चतुर्दश माला, खंड 14, अंक 4

सोमवार, 28 नवम्बर, 2005
7 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc. No. 59
Dated 4 Jan 2007

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 28 नवम्बर, 2005/7 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
(एक) तमिलनाडु में लगातार वर्षा के कारण हुई जनहानि	1
(दो) डा. विजयपत सिंघानिया द्वारा हाट-एयर बैलून में उड़ान के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 62, 63, 65, 66 और 68	2–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 64, 67 और 69 से 81	43–84
अतारांकित प्रश्न संख्या 626 से 855	83–466
स्थगन प्रस्ताव	
इराक में संयुक्त राष्ट्र के ''तेल के बदले अनाज'' कार्यक्रम में गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कुछ भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों की संलिप्तता	467–477, 511–644
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	467–477, 511–520, 639–644
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	521–535
श्री रूपचंद पाल	536–543
श्री जार्ज फर्नान्डीज	543–562
श्री मोहन सिंह	563–566
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	566–572
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	572–580
श्री पवन कुमार बंसल	581–588
श्रीमती मेनका गांधी	589–592
श्री ए. कृष्णास्वामी	592–594

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
डा. रतन सिंह अजनाला	594–596
श्री मधुसूदन मिस्त्री	596–600
श्री लालमणि प्रसाद	600–601
श्री अनंत गंगाराम गीते	601–604
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	604–607
श्री हरिन पाठक	607–611
डा. एम. जगन्नाथ	612–613
प्रो. एम. रामदास	614–616
श्री उदय सिंह	616–619
श्री मणि शंकर अय्यर	619–621
मोहम्मद सलीम	621–624
श्री मानवेन्द्र सिंह	624–626
श्री सुब्रत बोस	626–627
श्री असादुद्दीन ओवेसी	627–628
श्री पी. चिदम्बरम	628–638
सभा पटल पर रखे गए पत्र	478
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	478–479
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सत्रहवां प्रतिवेदन	479
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	479–507
(एक) अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी की हत्या	
श्री प्रणव मुखर्जी	479–481, 484
श्री लालकृष्ण आडवाणी	482
श्री वरकला राधाकृष्णन	482–483
(दो) जम्मू और कश्मीर में भूकंप के पश्चात राहत और पुनर्वास	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	485–491
(तीन) विभिन्न राज्यों मे भारी वर्षा और बाढ़ तथा सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	492–498
(चार) 28.10.2005 को दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	498–500

विषय	कॉलम
(पांच) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	501–503
(छह) 13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुआ नक्सलवादी हमला	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	503–506
(सात) 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, गिरिडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	506–507
सभा का कार्य	508–510
कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	510
नियम 377 के अधीन मामले	644–654
(एक) ऋण वित्त तथा वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को गारंटी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	644–645
(दो) उड़ीसा के गजपति जिले पारलखामुंडी में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर साहू	645
(तीन) दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई संवर्धन के लिए यमुना नदी पर कसाड बांध परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन कुमार	646
(चार) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में खादी और कुटीर उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	646–647
(पांच) टाटा स्टील के कोयला कामगारों को सातवें राष्ट्रीय मजदूरी समझौते के लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर दूबे	647
(छह) गोवा में कर्मली रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीपाद येसो नाईक	647–648
(सात) झांसी–जालौन सीमा पर स्थित करई बांध से जल प्रवाह के कारण प्रभावित हुई फसलों के लिए किसानों को हरजाना दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा	648
(आठ) 1947 विभाजन के बाद पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आकर बसे लोगों को मतदान का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अविनाश राय खन्ना	648–649
(नौ) राजस्थान में ऐजवाल और नयागुडा गांव से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 को चार लेन वाला बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री महावीर भगोरा	649

विषय कॉलम

(दस) बचत लिखतों को अभिदाय, संचयन और निकासी, तीनों चरणों पर कराधान से छूट की प्रणाली जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री स्वदेश चक्रवर्ती 649–650

(ग्यारह) बरेली-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 650

(बारह) बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में दरभासन हाइड्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 650–651

(तेरह) उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को दूर करने की दृष्टि से क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक 651

(चौदह) मुम्बई और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली देवगिरी एक्सप्रेस में दूसरे और तीसरे दर्जे के वातानुकूलित डिब्बों के साथ-साथ एक पेन्ट्री कार जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 651–652

(पन्द्रह) उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह 652

(सोलह) कोयम्बतूर रेलवे जंक्शन के विस्तार के लिए वहां रेलवे द्वारा एन.टी.सी. की अतिरिक्त भूमि का अर्जन किए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुब्बारायण 652–653

(सत्रह) महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पर्ली रेल लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए और निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील 653

(अठारह) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की दरों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 653–654

(उन्नीस) उत्तरी राज्यों से तमिलनाडु को पहुंचाई गयी दालों पर उद्ग्रहीत रेल भाड़ा टैरिफ में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई 654

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 655

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 656–662

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663–664

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663–666

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 28 नवम्बर, 2005/7 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) तमिलनाडु में लगातार वर्षा के कारण हुई जनहानि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसाकि माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि गत कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण तमिलनाडु में भारी प्राकृतिक आपदा की वजह से लगभग 273 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसके अलावा, 25 नवम्बर, 2005 को दो घटनाओं में यात्रियों को ले जा रही एक बस के बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण 123 लोगों के मारे जाने की खबर है।

इन आपदाओं में हुई मौतों पर सभा गहरा दुःख व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में हम तमिलनाडु के लोगों के साथ हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(दो) डा. विजयपत सिंघानिया द्वारा हाट-एयर बैलून में उड़ान के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसाकि हम सब जानते हैं, 26 नवम्बर 2005 को देश के एक प्रमुख उद्योगपति डा. विजयपत सिंघानिया ने अपने हाट एयर बैलून में उल्हासनगर, मुम्बई से 60 कि.मी. उत्तर, महाराष्ट्र के ऊपर 69,852 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि डा. सिंघानिया की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से देश के युवा वर्ग में उनके द्वारा प्रदर्शित साहसिक कारनामों की अदम्य भावना का अनुसरण करने का उत्साह जागेगा।

मुझे विश्वास है कि अपनी प्रेरक और साहसिक उपलब्धि द्वारा देश का नाम रोशन करने वाले डा. सिंघानिया को बधाई देने में सभा मेरे साथ होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

प्याज की कमी

*62. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस वर्ष राज्यवार प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद आज की तारीख तक किन-किन देशों को कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या देश में इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर के महीने में प्याज की भारी कमी के कारण प्याज की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान किन-किन देशों से कितनी मात्रा में प्याज का आयात किया गया और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में कितनी गिरावट हुई;

(छ) विशेषकर प्याज की कमी वाले राज्यों में प्याज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) प्याज की कीमतों को स्थिर रखने तथा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ज) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में प्याज का कुल अनुमानित उत्पादन राज्यवार अनुबंध-I पर दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात किए गए प्याज की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध-II पर दर्शाया गया है।

फसल वर्ष 2004-05 के दौरान रबी, खरीफ तथा पश्च खरीफ मौसम में देश में प्याज का कुल अनुमानित उत्पादन 59.42 लाख मी. टन है जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 4% अधिक है। तथापि, देश में खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% कम रहा है, यद्यपि खरीफ के तहत क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% अधिक है। इसका कारण विशेष रूप से प्रमुखतया प्याज की खेती करने वाले महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में त्रुटिपूर्ण तथा अत्यधिक वर्षा का होना था, जिससे विशेषतौर पर इन राज्यों में खरीफ प्याज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ राज्यों में खरीफ फसल भी विलम्बित हुई क्योंकि वर्षा की स्थिति त्रुटिपूर्ण थी। देश में सितंबर, 2005 में प्रमुख थोक मंडियों में प्याज का आना लगभग सितंबर, 2004 की स्थिति के समान था किंतु अक्तूबर, 2004 की तुलना में अक्तूबर, 2005 माह में यह 10% कम था। सितंबर तथा अक्तूबर, 2005 में मूल्य वृद्धि विगत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में क्रमशः लगभग 400 रु. प्रति क्विंटल तथा 500 रु. प्रति क्विटंल थी। मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्याज के आयात का निर्णय लिया। तथापि, सरकार द्वारा कोई आयात नहीं किया गया क्योंकि मूल्य शीघ्र ही स्थिर हो गए और बाजार में आवकों की स्थिति में सुधार हो गया।

सितंबर और अक्तूबर, 2005 के दौरान कुछ प्राइवेट व्यापारियों ने पाकिस्तान और स्पेन से लगभग 2000 मी. टन ताजे प्याज का आयात किया है। विगत 2 माह के दौरान प्राइवेट व्यापारियों द्वारा आयातित प्याज की मात्रा और इसके मूल्य का देशवार ब्यौरा अनुबंध-III पर दिया गया है।

भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन में सहायता दी जाएगी और जिसके परिणामस्वरूप देश में प्याज के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान तथा विकास फाउन्डेशन जो सब्जी बीज उत्पादन में लगा हुआ है, ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्याज बीज उत्पादन में 600 क्विटंल की पर्याप्त वृद्धि होने की रिपोर्ट दी है। प्याज के भंडारण के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्याज भण्डार गृहों की अधिष्ठापना के लिए कुल परियोजना लागत के 25% की दर पर बैक-एंडेड पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान कर रहा है।

अनुबंध I

ए-क्षेत्र '000 हैक्टेयर में
पी-उत्पादन '000 मी. टन में

राज्य	रबी		खरीफ		पश्च खरीफ		कुल	
	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	19.00	170.00	1.90	16.75	-	-	20.90	186.75
बिहार	22.00	235.00	2.25	32.25	-	-	24.25	267.25
गुजरात	17.50	365.00	3.25	165.00	22.00	430.00	42.75	960.00
हरियाणा	7.25	126.00	6.00	135.00	-	-	13.25	261.00
कर्नाटक	31.50	245.00	3.00	14.00	-	-	34.50	259.00
मध्य प्रदेश	21.00	245.00	5.00	66.00	-	-	26.00	311.00
महाराष्ट्र	43.00	850.00	11.48	270.00	25.50	550.00	80.98	1570.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	45.00	280.00	0.50	8.00	10.00	200.00	55.50	488.00
राजस्थान	14.00	172.00	13.00	290.00	–	–	27.00	326.00
तमिलनाडु	12.00	150.00	7.25	72.50	–	–	19.25	222.50
हिमाचल प्रदेश	52.50	550.00	1.25	13.00	–	–	53.75	563.00
अन्य	21.50	200.00	4.00	56.00	6.75	125.00	32.25	381.00
अखिल भारत	306.25	3588.00	63.78	1049.50	65.25	1305.00	435.28	5942.50

2004-05.
क्षेत्र-435.28 हजार हैक्टे.
उत्पादन-5942.50 हजार मी. टन

विवरण II

मात्रा-मी. टन में
मूल्य-लाख रु. में

गन्तव्य स्थान	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		23.11.05 तक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दुबई	81711	6539.55	108039	7540.98	104250	10068.56	100301	7861.64	437867	3940.80
बहरीन	14336	1179.59	21658	1542.52	23133	2511.67	19879	1691.06		
दोहा/कत्तर	1297	100.21	3210	244.51	1722	174.60	7157	637.35		
शारजाह	1397	111.44	9099	666.91	13110	1188.63	13483	1035.33		
कुवैत	1332	109.07	1450	105.35	3407	408.72	5076	409.56		
आबुधाबी	8725	706.48	4063	310.18	7408	733.01	8639	650.80		
पाकिस्तान	1391	98.72	15583	1003.79	0	0	13829	981.10		
रि यूनियन	3151	441.93	5530	623.29	6069	777.39	4887	699.74		
दम्माम	7236	608.84	15943	1131.96	14592	1510.59	9388	736.85		
सिंगापुर	16432	1510.19	20484	1612.20	24106	2252.08	20368	1729.39		
मलेशिया	83551	7683.6	111402	8239.32	162401	18462.24	134077	13485.91		
मालद्वीव	3347	369.30	3901	442.31	16546	1803.72	4625	563.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रीलंका	84236	6781.73	102668	7160.66	147013	13643.62	90372	7219.71		
बंगलादेश	187104	13571.76	94132	5602.82	270104	24008.54	464538	40208.97		
नेपाल	1488	99.51	6750	334.73	26882	1985.60	26602	1603.30		
सेचिल्स	645	89.41	688	88.35	375	57.37	965	152.57		
मारीशस	7842	927.48	9587	1138.39	11163	1563.42	10820	1435.38		
मसकट	182	15.21	1773	131.66	2451	236.80	2179	188.29		
आईबल अली			0	0			1855	156.70		
ग्रीस					1170	166.26	550	68.21		
अन्य	1521	196.51	9251	798.77	4759	628.18	1858	234.27		
कुल	506924	41140.53	545211	38716.70	840661	82171.00	941448	81749.13		

विवरण III

सितंबर तथा अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत में प्याज का आयात (अनन्तिम)

मद	देश	मात्रा (किग्रा. में)		मूल्य (रु. में)	
		सितम्बर	अक्तूबर	सितम्बर	अक्तूबर
ताजा प्याज	पाकिस्तान		2055600		21651890
ताजा प्याज	स्पेन		25600		1233637
शुष्क प्याज	मिश्र		900		108628
शुष्क प्याज	जर्मनी		1200		284238
शुष्क प्याज	बेल्जियम	12800		438915	

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय में स्थापित वस्तु कमी संबंधी आरंभिक चेतावनी प्रणाली ने बहुत पहले सितम्बर में ही आपूर्ति में भारी कमी कम क्षेत्र में बुआई और दूसरी फसल में समस्या के संकेत दिये थे? उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भारी मानसून के कारण प्याज वितरण के प्रभावित होने पर भी चर्चा की थी। क्या अभी ऐसी प्रणाली को संस्थागत बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें कृषि मंत्रालय द्वारा अपने आप और शीघ्र कार्यवाही की जाए?

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अक्तूबर महीने में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश में प्याज के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं हुई। जहां इस देश में 38 लाख टन प्याज की खपत होती है, वहां 59.2 लाख टन प्याज का प्रोडक्शन पिछले वर्ष हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों राज्यों में लगभग 40 परसेंट से ज्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता रहा है। वहां अनसिग्नल्ड रेन, इरेक्टिक रेन और एक्सेसिसव रेन

के कारण किसानों को दिक्कतें आई हैं और 6.8 परसेंट खरीफ की फसल में हमें प्याज की कमी हुई है। मार्केट अराइवल्स में देरी होने के कारण प्याज के दामों में निश्चित रूप से 10 दिन बढ़ोत्तरी हुई और चार सौ रुपए से पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल प्याज का दाम बढ़ा, लेकिन उसी समय सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्याज इम्पोर्ट करेंगे। जैसे ही यह निर्णय हुआ, प्याज के दाम स्टैबिलाइज होने लगे तथा हम लोगों का जो फैसला था कि चीन और पाकिस्तान से प्याज इम्पोर्ट करेंगे, उसे इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नैफेड ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से 800 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराई। इसके बाद दिल्ली की सरकार ने भी कई आउटलैट्स से प्याज उपलब्ध कराना शुरू किया और उसके बाद प्याज के दाम स्टैबिलाइज हो गए। अब देश में प्याज की कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय प्याज उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहा है जो 1980 के दशक के आरम्भिक वर्षों से प्रति हेक्टेयर दस टन के लगभग पर ही रूका हुआ है जबकि मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। अपने उत्तर में उन्होंने बढ़ोत्तरी की बात की है किन्तु उच्च उत्पादकता मुख्यत: अधिक एकड़ पर खेती से बढ़ी है। क्या वह उस कानून में भी संशोधन करेंगे जो किसानों को अपने उत्पाद निर्धारित कृषि विपणन केन्द्रों पर लाने को बाध्य करता है। क्या आयात के इस प्रश्न के कारण स्थानीय कृषक प्रभावित नहीं हो रहे है जिससे मूल्य कम हो गए है? आखिरकार किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्याज के उत्पादन में वृद्धि हेतु नैशनल हार्टीकल्चर मिशन काम कर रहा है। यह सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है। प्याज के क्वालिटी सीड उत्पादन हेतु यह मिशन सहायता देता है। इस वर्ष प्याज के बीज उत्पादन में 600 क्विंटल की बढ़ोत्तरी हुई है। नैशनल हार्टीकल्चर रिसर्च एंड डैवलपमेंट फाउंडेशन भी इसमें मदद करता है। यह संस्था वेजीटेबल सीड प्रोडक्शन में सहायता करती है। नैशनल हार्टीकल्चर बोर्ड प्याज के स्टोरेज हेतु 25 प्रतिशत कैपीटल सबसिडी भी उपलब्ध करा रहा है और नैफेड एक्सपोर्ट को रैगुलेट करने के लिए काम करता रहा है। एपीडा ने दो राज्यों, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को एक्सपोर्ट जोन के रूप में आइडेंटीफाई किया है जिससे प्याज का प्रोडक्शन बढ़े। अब प्याज की कोई किल्लत देशवासियों को नहीं है। इस बारे में सरकार सजग और सचेत है।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हमने एक नयी चीज टीवी पर देखी थी जहां प्याज उत्पादक सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने हड़ताल की थी और उन्होंने सारा प्याज यह कहते हुए सड़कों पर फैंक दिया था कि समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जिस मूल्य की मांग की थी वह 2 रु. प्रति किलोग्राम था जबकि उस दिन आन्ध्र प्रदेश में कीमत 8 रु. प्रति किलोग्राम थी। क्या हम हस्तक्षेप कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी प्रणाली बनायी जाए ताकि किसानों को कुछ न्यूनतम मूल्य दिया जाए और उपभोक्ता न्यूनतम मूल्य पर वस्तु पा सकें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न-प्याज की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित है और जो माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है वह मूल प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्याज का एम.एस.पी. घोषित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि प्याज का प्रोडक्शन देश में ज्यादा है, यह बात सत्य है। हमारे देश की घरेलू खपत से प्याज का प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण हम हर साल 8-9 प्रतिशत का एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अगर देश की घरेलू खपत से प्याज का उत्पादन ज्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट को परमिट किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कष्ट झेल रहे लाखों लोगों से संबंधित यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आन्ध्र प्रदेश और कई अन्य राज्यों में प्याज की कीमत 15 रु. प्रति किलो से भी अधिक पर पहुंच गयी है। किसान भी प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभाव में कष्ट झेल रहे हैं। यह वस्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या सरकार प्याज उत्पादकों को बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में प्याज को सम्मिलित करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार के विचाराधीन है। इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, इसके लिए किसानों की ओर से मांग है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपने इस मांग को नोट कर लिया है?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने मांग को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री साहब से कहना चाहूंगा कि प्याज के सीड हेतु जो नेशनल हार्टीकल्चर मिशन बनाया गया है, उसमें प्याज के सीड की क्वालिटी और उसका रेट दोनों चीजें शामिल हैं। इस समय से जो सीड लग रहा है वह इतना महंगा है कि किसान उसे खरीद नहीं सकता। उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए और उसका रेट ठीक रखने के लिए सरकार क्या कर रही है?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में बताया कि यह सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है और क्वालिटी बीज उत्पादन हेतु सरकार इसमें सहायता करती है। इसमें लोगों को सफलता भी मिली है। इस वर्ष 600 क्विटंल ज्यादा क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन हुआ है।

[अनुवाद]

नदियों को परस्पर जोड़ना

***63. श्री[+] राजनरायन बुधौलिया:**
श्री सीता राम यादव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नदियों को परस्पर जोड़ने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली केन-बेतवा नदी तथा देश के दक्षिणी भाग में बहने वाली कुछ अन्य नदियों को परस्पर जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु राज्य सरकारों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नदियों को परस्पर जोड़ने में कितनी धनराशि खर्च होगी और उसमें कितना समय लगेगा;

(छ) क्या सरकार का विचार परियोजना की शत-प्रतिशत लागत वहन करने का है;

(ज) क्या नदियों को परस्पर जोड़ने के फलस्वरूप कुछ जिलों/राज्यों में बाढ़ आने का कोई खतरा है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

भारी उद्योग, लोक उद्यम और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने जल संसाधन विकास के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों में जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का हस्तांतरण करने की योजना है जिनमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों को व्यवहार्यता प्रमाणित करने तथा इसे ठोस रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी अध्ययन करने के वास्ते वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया था। विभिन्न प्रकार के कराये गए अध्ययनों के आधार पर, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों की पहचान की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत दो संपर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी की हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत केन-बेतवा और 15 अन्य संपर्कों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इन संपर्कों के नाम संलग्न अनुबंध पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने तथा ऐसे संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की तैयारी प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच प्राथमिकता वाले संपर्कों अर्थात केन-बेतवा, पारबती-कालीसिंध-चंबल, गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा), दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा संपर्कों की पहचान की है। केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच 25 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार द्वारा केन-बेतवा संपर्क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी प्रारंभ करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(च) प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार, 2002 मूल्य स्तर पर नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) संबंधी कार्यक्रम पर लगभग 5,60,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। तथापि, सभी संघटक संपर्क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी करने के पश्चात ही वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितना समय लगेगा वह राज्यों की सहमति और सहयोग पर निर्भर है।

(छ) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ज) और (झ) नदियों को परस्पर जोड़ने से बाढ़ के किसी खतरे की संभावना नहीं है। इसके विपरीत, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम में विभिन्न भंडारणों के सृजन एवं उन्हें समेकित करने की योजना है जिनसे प्रासंगिक लाभ के रूप में कुछ हद तक बाढ़ में कमी लाने में मदद मिलेगी।

अनुबंध

1. महानदी (मणिभद्र)–गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क
2. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क
3. गोदावरी (इंचमपल्ली निचला बांध)–कृष्णा (नागार्जुनसागर टेल पोंड) संपर्क
4. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमसिला) संपर्क
6. कृष्णा (श्रीसैलम)–पेन्नार संपर्क
7. कृष्णा (अलमट्टी) पेन्नार संपर्क
8. पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (ग्रांड अनिकट) संपर्क
9. कावेरी (कट्टालई)–वेगाई (गुंडार) संपर्क
10. पारबती–कालीसिंध–चंबल संपर्क
11. दमनगंगा–पिंजाल संपर्क
12. पार–तापी–नर्मदा संपर्क
13. केन–बेतवा संपर्क
14. पंबा–अचनकोविल–वैप्पार संपर्क
15. नेत्रवती–हेमवती संपर्क
16. बेदती–वरदा संपर्क

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और जालौन के लोगों को केन-बेतवा नदियों के जुड़ जाने से पेयजल, सिंचाई, बिजली की कितनी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र के लोगों में बाढ़ एवं सूखे से उत्पन्न समस्याओं को लेकर जो भय बना हुआ है, उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, केन्द्र में सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता में आने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थित में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीपीआर का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। जब भी डीपीआर के ब्यौरे उपलब्ध हो जाएंगे, मैं उन्हें संबंधित सदस्य को भिजवा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन-बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में दौधन गांव के पास 73 मीटर ऊंचा बांध बनाने हेतु 25 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार द्वारा केन-बेतवा सम्पर्क के लिए जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, उस पर कुल कितनी लागत आएगी तथा अभी तक उस लागत का कितना रुपया इस योजना में खर्च किया गया है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, केन-बेतवा वही कार्यक्रम है। किंतु सरकार ने इस कार्यक्रम का वित्तपोषण करने का निर्णय लिया है। डीपीआर उपलब्ध हो जाने के बाद हमें इस कार्यक्रम हेतु धनराशि की वास्तविक आवश्यकता का पता चल पाएगा किंतु धनराशि की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है कि हमारी सरकार इस कार्यक्रम को महत्व देती है क्योंकि इससे और अधिक भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने बोला है कि खबर मिलने पर आपको बताएंगे।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, नदियों को जोड़ने की योजना की सर्वप्रथम कल्पना पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके सिंचाई मंत्री डा. के.एल. राव ने की थी। उस समय एक योजना भी बनी थी, क्योंकि देश के भाग्य और भविष्य का इस योजना से बहुत बड़ा संबंध था, लेकिन वह योजना फाइलों में दबकर रह गई। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से उस योजना को निकाला और निकालने के बाद उस पर कार्यवाही चालू की। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि आज वैश्वीकरण और उदारीकरण के सब लाभ बुर्जुआ क्लास ले रही है। हिन्दुस्तान का आम गरीब, जिसे आपकी भाषा में सर्वहारा वर्ग कहते हैं, वह आज भी इससे वंचित एवं दुखी है। अगर हमें उसकी खुशहाली और समृद्धि का इंतजाम करना है तो इस योजना के अलावा कोई योजना अब नहीं बची है। ऐसी स्थिति में सरकार का कहना है कि हमारे पास संसाधन कम हैं, जब संसाधन उपलब्ध होंगे तब हम इसका इंतजाम करेंगे, ऐसा आपने जवाब में कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि एक पंचवर्षीय योजना का पूरा धन इस योजना पर लगा दिया जाए। इससे देश में पानी की बहुतायत हो जाएगी। इसके साथ बिजली पैदा होगी और अनाज पैदा होगा। अब मैं आपसे राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री कैलाश मेघवाल: राजस्थान देश का 10 प्रतिशत क्षेत्र है और 1.5 प्रतिशत पानी राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान की जो योजनाएं हैं, चाहे पार्वती की हो, काली सिन्ध की हो या बनास की हो, इन्हें जोड़ने के लिए क्या आप प्राथमिकता से लेंगे और कब तक इस काम को पूरा करा देंगे, यह मेरा सवाल है?

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल से ज्यादा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, यह सच है कि यह कार्यक्रम भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू किया गया था। तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय के.एल. राव ने नदियों को परस्पर जोड़ने की संकल्पना आरंभ की थी। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय जो योजना तैयार की गई थी उसमें भारी लागत अंतर्ग्रस्त थी क्योंकि योजना के अंतर्गत पानी बिजली द्वारा खींचा जाना था। अतः खर्च प्रस्तावित योजना के अनुरूप नहीं था।

फिर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने जल संसाधनों के राष्ट्रीय संदर्श की शुरूआत की। उनके नेतृत्व के अंतर्गत उस कार्यक्रम के अंतर्गत काम चल रहा था। तदनन्तर स्वर्गीय राजीव गांधी सहित अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम को आगे बढ़ाना जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम नहीं रूका। विभिन्न क्षेत्रों की जांच का काम चल रहा है। तत्पश्चात्, एक जनहित याचिका के प्रत्युत्तर में उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन राजग सरकार, जिसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, को यह निदेश दिया कि वे इस परियोजना पर गंभीरतापूर्वक काम करें और नदियों को परस्पर जोड़ने का काम किया जाए, जिसे राजग सरकार ने किया वही काम चल रहा है।

फिर, जब सं.प्र.ग. सरकार सत्ता में आई हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में नदियों को परस्पर जोड़ने के इस विषय को प्राथमिकता दी। हमने देश को दो क्षेत्रों-प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र में बांटा। दोनों क्षेत्रों में हमने राजस्थान के क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों की पहचान की। प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर एक आरंभिक रिपोर्ट बना ली गई है। हिमालयी क्षेत्र में असम और पश्चिम बंगाल के कतिपय क्षेत्रों हेतु नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। अतः इसे आस्थगित रखा गया है। विदेश मंत्रालय इन देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। सरकार ने इस विशेष परियोजना के लिए पांच लाख साठ हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। यदि भविष्य में इस परियोजना के लिए आवंटन में वृद्धि करने की कोई मांग हुई तो सरकार उस पर विचार करेगी। हम इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको शुभकामना देता हूं। यह काफी व्यापक उत्तर है। क्या कोई और प्रश्न पूछना चाहता है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से परियोजना के बारे में पूछना चाहता हूं, सरकार ने परस्पर संपर्क के लिए केरल में पम्पा-अचलकोइल-व्यापर परियोजना की पहचान की है। केरल में संबंधित सिंचाई मंत्री ने यह कहा है कि इस परस्पर-संपर्क से क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। सभी राजनैतिक दलों और कई संगठनों ने यह कहा है कि न केवल इससे पर्यावरण को नुकसान होगा अपितु इससे केरल का धान का कटोरा कहा जाने वाला समस्त कुट्टानाड क्षेत्र भी बर्बाद हो जाएगा।

अब, केरल द्वारा किए जा रहे इस विरोध के आधार पर क्या सरकार प्रस्तावित पम्पा-अचलकोईल-व्यापर नदी के परस्पर संपर्क को छोड़ देगी और इस क्षेत्र को बचाएगी?

श्री संतोष मोहन देव: सरकार ने एक समिति गठित की है जिससे विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल किए गए हैं। वे इन सभी शिकायतों का निस्तारण करते हैं। यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है, सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है कि यहां-वहां कुछ ऐसी शिकायतें होंगी, तो मैं उस मामले की जांच करूंगा। यदि विशेषज्ञ दल संबंधित स्थान का दौरा पहले ही कर चुका तो ठीक है, परन्तु यदि विशेषज्ञ दल ने उस स्थान का दौरा अभी तक नहीं किया है तो मैं उन्हें वहां भेजूंगा तथा संबंधित मंत्री और सदस्य को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से अवगत भी करा दूंगा।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में कुछ स्थानों पर कड़ा विरोध हुआ है। उनका कहना है कि दक्षिण भारत की अनेक नदियां मुख्यत: मानसून आधारित हैं अर्थात् उनका जल स्रोत वर्षा जल है। साथ ही साथ, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां अपने जल स्रोत के लिए बर्फबारी पर निर्भर है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को महसूस किया है तथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की विरोधाभासी प्रकृति के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन करवाया है। यदि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ऐसा अध्ययन कराया है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैंने मात्र पिछले दस दिन से मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है। इसलिए, मैं इस विषय से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं। मैं इसकी जांच करूंगा और तत्पश्चात् माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हां। परन्तु मैं आपकी तैयारी की प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती के. रानी: महोदय, जैसा कि हमें पता है, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कृतिक बल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और इसे पहले ही विघटित किया जा चुका है।

अब, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव तमिलनाडु में कोट्टयलाई वैगै और गुन्दर नदी को जोड़ने का हैं। नदियों की इस प्रस्तावित परियोजना में सिंचाई और उद्योग को जलापूर्ति करने जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए कावेरी नदी से चौड़ी नहर के माध्यम से भारी मात्रा में जल प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री नदी जोड़ने की इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में आंकड़े दें।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वह नदियों को जोड़ने की इस परियोजना विशेष के लिए धन कैसे जुटाएंगे। क्या इस परियोजना में राज्य सरकार भी शेयर करेगी अथवा इस परियोजना का वित्तपोषण पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा धन जुटाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण पर छोड़ दी जाएगी?

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, कावेरी नदी विवाद वर्तमान में न्यायाधीन है और इस वजह से इस क्षेत्र में हमारी प्रगति थोड़ी धीमी है। सौभाग्य से, इस वर्ष काफी वर्षा हुई है और दोनों राज्यों के बीच कोई तनाव नहीं है। हम इस कार्य को समुचित समय पर शुरू करेंगे। मंत्रालय इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, नेताओं को चौकन्ना रहना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर हमने देखा है। कुछ ऐसे प्रान्त हैं, जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं। यदि नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों को बचाया जा सकता है, साथ ही साथ जिन इलाकों में सुखाढ़ की स्थिति रहती है, उन इलाकों में पानी लाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, नेपाल से गंगा, सरयू और बागमती नदियां निकलती हैं। इसके अलावा असम को ब्रह्मपुत्र नदी प्रभावित करती है। इन सब नदियों के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। लेकिन इस बारे में कोई आंशिक चर्चा भी इनके उत्तर में नहीं की गई है। इन्होंने यह कहा है कि इस मामले में नेपाल से वार्ता की जा रही है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो उन्हें हमेशा ही नेपाल से वार्ता के नाम पर दबा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें राज्य सरकारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रभावित प्रान्तों की राज्य सरकारों के साथ बैठक करके और विदेश मंत्रालय से बात करके क्या नेपाल से शीघ्र वार्ता माननीय मंत्री जी करेंगे? क्या इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि ऐसे इलाकों को बाढ़ और सुखाढ़ से बचाया जा सके?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं। 30 तारीख से दो दिन बाद, प्रधान मंत्री देश

के सभी सिंचाई मंत्रियों को संबोधित करने जा रहे हैं। इसलिए, हम प्रत्येक राज्य की विशिष्ट समस्याओं को जानना चाहते हैं। मात्र इतना ही नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। हमारा विचार हिमालयी परियोजनाओं को जानना है जिनकी संख्या 14 है। उनमें से छह अथवा सात परियोजनाओं पर विवाद है। इसलिए इस संबंध में प्रयास किए गए है। अनेक अवसरों पर, प्रधान मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके बारे में चर्चा की है। इसलिए राज्यों का विचार जानने के पश्चात् हम इसे उचित समय पर शुरू करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। इसलिए मैं आपको आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा करने हेतु नोटिस देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप आफ-एन-आवर में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 64, श्री मोहन रावले उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या 65, श्रीमती निवेदिता माने।

लौह अयस्क संबंधी डांग समिति

***65. श्रीमती निवेदिता माने:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लौह अयस्क के बारे में डांग समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं/उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टों की तरजीही मंजूरी देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु इस्पात मंत्रालय ने 20 अप्रैल, 2005 को एक "विशेषज्ञ समूह" का गठन किया था। "विशेषज्ञ समूह" के अध्यक्ष भारत सरकार, खान मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री आर.के. डंग थे। "विशेषज्ञ समूह" का गठन और इसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) "विशेषज्ञ समूह" ने अपनी रिपोर्ट 26 अगस्त, 2005 को अपनी रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) "विशेषज्ञ समूह" ने अपनी रिपोर्ट में लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे देने के तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) की सिफारिश की है। "विशेषज्ञ समूह" की सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। "विशेषज्ञ समूह" की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण I

क. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क के खनन के संबंध में राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह का गठन

1. श्री आर.के. डंग, पूर्व सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार-अध्यक्ष
2. महा निदेशक, भारतीय खान ब्यूरो-सदस्य
3. प्रबंध निदेशक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी-सदस्य
4. अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड-सदस्य
5. कार्यपालक निदेशक, स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन-सदस्य
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड-सदस्य
7. महानिदेशक, एनईईआरआई-सदस्य
8. महासचिव, फैडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज-सदस्य
9. प्रधान सचिव, (खान), कर्नाटक सरकार-सदस्य

10. प्रधान सचिव, (खान), उड़ीसा सरकार-सदस्य

11. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय-सचिव..........भाग नहीं लिया

12. अध्यक्ष, इंडियन स्टील अलायंस-सदस्य

13. श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय-सदस्य संयोजक

ख. विशेष समूह के विचारार्थ विषय

"खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (5) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कतिपय व्यक्तियों को तरजीही खनन अधिकार प्रदान करने के संबंध में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना"

विवरण II

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का ब्यौरा

"विशेषज्ञ समूह" की सिफारिशें लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के पट्टों तक ही सीमित हैं और मूलत: इसमें तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) शामिल है जिसे खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (5) के तहत लौह अयस्क और क्रोम अयस्क पट्टों के लिए आवेदन पत्रों पर निर्णय लेते समय लागू किया जाना है। तरजीही योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

तरजीही योजना: लौह अयस्क

— लौह अयस्क के लिए तरजीही योजना में "तरजीही क" इस्पात संयंत्रों के लिए निजी आधार पर खनन पट्टों के आबंटन के लिए है। इस तरजीही समूह के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों/परियोजनाओं को भिन्न प्राथमिकताएं दी गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है:

* **प्राथमिकता 1**: 30 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक मौजूदा क्षमताओं और अनुमानित विस्तार, दोनों हेतु सरकारी क्षेत्र के मौजूदा एकीकृत इस्पात संयंत्र।

* **प्राथमिकता 2**: मौजूदा क्षमता तथा वर्ष 2019-20 तक ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए अधिकांशत: भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष और इससे अधिक क्षमता के मौजूदा पूर्णत: एकीकृत इस्पात संयंत्र।

* **प्राथमिकता 3**: 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ग्रीनफील्ड संयंत्र जमा अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी द्वारा अयस्क प्रचुरता वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली क्षमताएं और वर्ष 2011-12 तक प्रारंभन के लिए योजनाबद्ध 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ब्राउन फील्ड व ग्रीन फील्ड संयंत्र (अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रवर्तित)।

* **प्राथमिकता 4**: अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रवर्तित न्यूनतम 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ग्रीनफील्ड संयंत्र।

* **प्राथमिकता 5**: न्यूनतम 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की सम्मिलित क्षमता वाले लोहा और इस्पात उत्पादक संघ।

— "तरजीह ख" खनन कंपनियों से संबंधित है और इस समूह के अंतर्गत प्रथम प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियों को तथा द्वितीय प्राथमिकता व्यावसायिक रूप से प्रबंधनाधीन उन कंपनियों को दी गई है जिनका उन पट्टों के आबंटन के लिए सुधार और सज्जीकरण का पिछला प्रमाणिक रिकार्ड है, जिनमें 55 प्रतिशत राखांश से कम का 90 प्रतिशत अयस्क है और तृतीय प्राथमिकता उन अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनियों को दी गई है जिनका पिछला प्रणाणिक खनन रिकार्ड है और वे घरेलू संयंत्रों को अयस्क की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

* इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां तथा प्रावधान निम्नलिखित हैं:

* इस्पात संयंत्रों द्वारा संचयन के माध्यम से 60 प्रतिशत लौह अयस्क का उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही 55 प्रतिशत से अधिक राखांश वाले सभी अयस्कों का खनन किया जाना चाहिए।

* विस्तार/ब्राउन फील्ड तथा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए पट्टों की मंजूरी देने के सभी मामलों को सिद्धांत रूप से पहले अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए और पट्टों की वास्तविक मंजूरी अंतिम उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़ी होनी चाहिए।

* तरजीही का संबंध संयंत्र की अवस्थिति या किसी राज्य विशेष की सीमाओं से नहीं होना चाहिए।

* जिन मामलों में पट्टे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं और विनिमय की अनुमति दी जाती है, को छोड़कर किसी भी निजी आबंटी द्वारा अयस्क का निर्यात या घरेलू बिक्री नहीं की जानी चाहिए। तथापि, संचित और सज्जित अयस्कों की घरेलू बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

* राज्य सरकारों द्वारा पहले ही किए जा चुके समझौता ज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें तरजीही योजना के अनुरूप बनाने के लिए उनमें यथा आवश्यक संशोधन या निरसन किए जाएंगे।

* अटार्नी जनरल से परामर्श करने के पश्चात तरजीही योजना को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि भविष्य में मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

तरजीही योजना: क्रोम अयस्क

तरजीही योजना

* **प्रथम प्राथमिकता:** 30 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने के लिए मौजूदा चार्ज क्रोम तथा फैरो क्रोम संयंत्र।

* **द्वितीय प्राथमिकता:** 20 वर्षों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ब्राउन फील्ड विस्तार/ग्रीन फील्ड योजनाएं (2 वर्ष के भीतर शुरू की जाने वाली)

* निजी आबंटियों द्वारा प्राकृतिक अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

"विशेषज्ञ समूह" ने सिफारिश की है कि उड़ीसा सरकार को खुलीभंडारों का निक्षेपण करना चाहिए जिनके लिए ओएमसी के पास अगले पांच वर्षों में भावी/खनन योजना नहीं है।

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष महोदय, देश के विकास में स्टील उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान, है, लेकिन इन वर्षों में स्टील की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है किस आयरन और माइन्स की खानों को लीज पर देते समय पब्लिक सैक्टर कम्पनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डंग समिति ने सरकार को जो सिफारिशें दी हैं, उन्हें कब तक स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है?

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, यह बात सही नहीं है कि स्टील के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, बल्कि स्टील के दामों में कमी आई है। यह बात सही है कि जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, उस समय काफी बढ़ोत्तरी आई थी। जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, उसके बाद दामों में बढ़ोत्तरी नहीं आई है, बल्कि 26 प्रतिशत कमी आई है, जिससे स्टील उद्योग को घाटा हुआ है। लेकिन हम कम्ज्यूमर्स को देखते हुए दाम बढ़ने नहीं दे रहे हैं।

जहां तक डंग कमेटी का मामला है, हमारे पास आयरन ओर की कमी नहीं है। हमारे पास 23 बिलियन टन आयरन ओर रिजर्व में है। इसलिए देश में, देशी या विदेशी जो भी स्टील कारखाना लगाना चाहे, हम सबको आमंत्रण देते हैं। जहां तक कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, इसके अलावा भी अनवारुल हुडा, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। डंग कमेटी की सिफारिशों को हम इस कमेटी के सामने रखेंगे और एक महीने के अंदर, यानी दिसम्बर तक वह अपनी रिपोर्ट दे देगी। जहां तक पीएसयूज की प्राथमिकता का सवाल है, डंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि पब्लिक सैक्टर को प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि स्टील के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक स्टील के दामों में बढ़ोत्तरी होती रही है। उसके दाम कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी दाम रुक गए, तो हमारे देश से जो मित्तल जैसी इंडस्ट्रीज बाहर चली गई है, वे भी अपने देश में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि डंग समिति ने जो सिफारिशें सरकार को दी हैं, क्या सरकार ने उस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से कोई सुझाव मांगे हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां तक स्टील के दामों के घटने का संबंध है, हम बार-बार समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं। इंडस्ट्रीज की तरफ से और पूरे देश की तरफ से मांग हो रही है कि अब दाम नहीं घटाए जाने चाहिए। जहां तक डंग कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, राज्य सरकारों को लिखकर उनसे कहा गया है कि वे इस महीने के अंत तक अपने सुझाव भेज दें। ज्यों ही सुझाव आ जाएंगे, उन्हें हुडा कमेटी के सामने रखा जाएगा।

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो डंग कमेटी के सदस्य थे, वे अनुपस्थित क्यों रहे, इसमें क्यों नहीं आए। अगर खान मंत्रालय के बारे में कोई रिपोर्ट बन रही है, तो उस मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेटरी अनुपस्थित क्यों रहें?

डंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि प्राइवेट सैक्टर को प्रायरिटी और बाहर की कम्पनियों को प्रायरिटी नहीं देनी है, बल्कि देश की कम्पनीज एवं प्राइवेट सैक्टर अंडरटेकिंग्स को प्रायरिटी देना है।

मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी क्यों नहीं इसे स्वीकार करके लागू करते हैं? मेरे प्रश्न का ग भाग है कि छः महीने पहले आयरन ओर का रेट एक हजार रुपये था लेकिन आज वह दो हजार रुपये हो गया है। यह बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मान्यवर मंत्री जी स्टील मिनिस्टर होने के बावजूद हाउस में बोल रहे हैं कि स्टील के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आप किस आधार पर ऐसा उत्तर दे सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी क्या बोलेंगे? क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर चैलेंज करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। चैलेंज की बात नहीं है।

[अनुवाद]

आपका यही कहना है कि आप अपने वक्तव्य को दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरी बात यह कही कि ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्सैंट रहे-यह बहुत नीचे के लेवल का मामला है। मैं इसे दिखवा लूंगा कि ज्वाइंट सैक्रेट्री एब्सैंट थे या नहीं थे। तीसरी बात इन्होंने कही कि *...(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम: मंत्री जी, यह आपके उत्तर में दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री रामविलास पासवान: हम उसे देख लेंगे। आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्सैंट रहे-इसका क्या कारण है, उसकी डिटेल में जाकर, मैं आपको पत्र लिख दूंगा। आपने अपने प्रश्न के ग भाग में आयरन ओर के दाम के बारे में कहा गया है। जब आयरन ओर के दाम अलग-अलग थे, उसका नतीजा यह होता था कि आयरन ओर किसी को 400 रुपये से मिलता था, किसी को 600 रुपये और किसी को 900 रुपये में मिलता था। यह काम विशेषकर एनएमडीसी के द्वारा होता था। जितने प्राइवेट सैक्टर के लोग थे, उन सबको बैठाकर हमने कहा कि आप इसका एक रेट तय करिये और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइये। श्री गणेशन कमेटी ने भी यही कहा था। इसके आधार पर हमने एक फार्मूला तय किया। वह फार्मूला 925 रुपये का लाया गया। इस 925 रुपये के कारण, एनएमडीसी को साल में जो एक हजार करोड़ रुपये का मुनाफा होता था, लेकिन इस बार इस वर्ष 1125 रुपये का एक्सट्रा मुनाफा होगा। इसका मतलब है कि वह मुनाफा एक हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2100 करोड़ रुपये का हो जायेगा। ट्रांसपरेंसी के लिए ऐसा किया गया है, ताकि कोई अपने मन से किसी को एक रेट पर और दूसरे को दूसरे रेट पर न दे। आपने अभी कहा कि खान मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्सैंट रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अन्तोगत्वा खान मंत्रालय को ही इसे कंसीडर करना है, जब खान मंत्रालय के कंसीडर में जायेगा तो जब उनके ज्वाइंट सैक्रेट्री रहेंगे, तो उनके सैक्रेट्री को भी वहां रहना ही पड़ेगा।

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जिस मंत्रालय के बारे में कमेटी बनेगी, उसके ज्वाइंट सैक्रेट्री एब्सैंट रहे, इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय: वह देखेंगे।

[अनुवाद]

वह इस पर गौर करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारे देश में आज कोई राष्ट्रीय खनिज नीति नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे राज्य जिनके पास लौह अयस्क हैं, इस्पात के विनिर्माण के उपयोग के लिए अन्य राज्य को इसे देने से इन्कार कर रहे हैं।

इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) हमारे देश की अग्रणी इस्पात निर्माण कंपनी है। इसने चिरिया माइन्स पट्टे पर लिया था जिसके पास प्रचूर भंडार हैं। भारत सरकार ने इस्को का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। इस्को का अब भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ विलय किया गया है। सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने और हमारे देश की अग्रणी इस्पात विनिर्माण इकाई होने के बावजूद, झारखंड सरकार पट्टे का नवीकरण करने से इंकार कर रही है, जिसका पट्टा इस्को के पास पिछले 30-35 वर्षों से था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण को न्याय के लिए न्यायालय जाना पड़ा है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस मामले को झारखंड सरकार के साथ उठाएगी ताकि पिछले 35 वर्षों से इसे पट्टे पर लेने वाली इस्को इसका नवीकरण करा सके और इस्को को चिरिया माइन्स से लौह अयस्क प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई जाएगी जिसका पालन सभी राज्य सरकारें करेंगी।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि अभी जो आइरन ओर तथा माइन्स की लीज के संबंध में जो पालिसी है, उसमें यह है कि जो पहले आए, वह पहले पाए-लेकिन राज्य सरकार को एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। उस विशेषाधिकार के तहत वह विशेष परिस्थिति में उसे बदल सकती है। इसके कारण इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो डांग कमेटी बनाई गई है, उसके पीछे मेन उद्देश्य है कि वह गाइडलाइन्स दे। अब जैसे तीन मेन राज्य सरकारें हैं, उन्होंने 102 एम.ओ.यूज. साइन कर रखे है, इसके अंदर उन्हें 102 मिलियन टन प्रति वर्ष चाहिए। हमारे पास 23 बिलियन टन रिजर्व्ड है। लेकिन यह बात भी सही है कि हर राज्य सरकार चाहती है कि उनके यहां जो यूनिट लगाएगा, उसे वे अभी 38 मिलियन टन प्रतिवर्ष हमारे यहां उत्पादन होता है, हमारा टारगेट है कि सन् 2020 तक हम इसे 110 मिलियन टन तक ले जाएं। अभी इसी सदन में पिछली बार 'पॉस्को' के ऊपर चर्चा हुई। अभी एक माननीय सदस्य ने लक्ष्मी मित्तल के संबंध में चर्चा की। हमारे पास आइरन ओर की कमी नहीं है। दो सौ साल तक हमारी जितनी आवश्यकता होगी, उतना हमारा उत्पादन है लेकिन दिक्कत यह होता है कि जो भी प्लान्ट्स लगाते हैं, उनका एक प्रेफरेंस होता है कि हमें चिरिया माइन्स ही चाहिए या हमें भिलाई वाला ही चाहिए। कोई कहते हैं कि हमें राठ घाट की माइन्स का चाहिए। यह जो डिमांड हो रही है और फिर राज्य सरकार भी अपनी शर्त लगाती है कि आप हमारे यहां प्लांट लगा दें तो हम आपको अमुक सुविधा देंगे, चाहे आप बाद में भी आएं। इन सारी चीजों को देखने के लिए इस समिति का गठन किया गया और इस समिति की जो रिपोर्ट आ गई है, हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस संबंध में एक हाइ लैवल हुड्डा कमेटी का गठन किया है और वह खान मंत्रालय की ही है। उसके बाद वह मामला वहां जाएगा। फिर आवश्यकता होगी तो एक नेशनल मिनरल पालिसी बनाई जाएगी। जो नेशनल पालिसी हमने बनाई है, सरकार फिर उस पर विचार करेगी।

'इस्को' का जहां तक संबंध है, हमने ज्यों ही मंत्रालय का पदभार संभाला, हम उसी समय चीफ मिनिस्टर साहब के यहां गये, आप भी साथ में थे और भी मित्र लोग साथ में थे। हमने मई के महीने में कार्यभार संभाला था, उस समय तक यह बात चर्चा में थी कि वह बिक जाएगा या प्राइवेट सैक्टर में जाएगा, लेकिन हमने एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और कहा कि हम इसका मर्जर 'सेल' में कर देंगे। अब इसका मर्जर हो गया है और जो फार्मेलिटी वगैरह है, वह अभी चल रही है। ''इस्को' के पास जितनी माइन्स हैं तथा स्टील बनाने की जरूरत है, अब वह सारा का सारा स्टील का पार्ट हो गया है। इसलिए उसके बारे में न अब कोई चिन्ता करने की जरूरत है और न ही कोई फंड की कमी है।

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह कहना है कि जब से यह सरकार बनी है और माननीय पासवान जी इस मंत्रालय को देख रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जैसा इन्होंने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हुआ हूं, स्टील की कीमतों में गिरावट आई है। मुझे यह लगता है कि मंत्री जी काल्पनिक जगत में रह रहे हैं! एक आदमी जो अपना कमरा बनाना चाहता है, वह नहीं बना सकता, क्योंकि सरिए की दुगनी कीमतें हो गई है। जहां भी स्टेट में काम हो रहे हैं, वहां उन्हें अपने सारे एस्टीमेट्स रिवाइज करने पड़ रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टील की कीमत कम हो गई है। एक साल के अंदर, जब आप मंत्री बने, तब सरिया क्या हिसाब बिकता था और आज क्या हिसाब बिक रहा है, जरा आप यह बताइए।

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, अभी जो इन्होंने कहा है, उसका जवाब मैं दे दूंगा लेकिन एच.आर. फायल की कीमत अप्रैल, 2005 में 36,650 रुपये प्रति टन थी, और 1.11.2005 में वह 36000 से घटकर 26750 हो गई है। यह मैं मुम्बई की बात कर रहा हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, कहीं भी कम रेट पर नहीं मिल रहा है। उससे ज्यादा पर मिल रहा है। ये कंपनियों की बात कर रहे हैं। कई कंपनियां इसके अंदर अरबों रुपये का लाभ उठा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह आपकी बात समझ चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: मैं जानकारी के लिए बतला दूं कि जितने हमारे यहां स्टील के उद्योग हैं, उन पर किसी का लगाम नहीं है। हमारे देश में स्टील के प्राइस बिल्कुल डी-कन्ट्रोल्ड हैं। यह प्राइस इन्टरनेशनल मार्केट के आधार पर तय होती है। आप जानते हैं कि वर्ष 2004 तक हमारा स्टील उद्योग इस तरह की क्राइसिस से गुजरा है, जब लग रहा था कि इस देश के सभी स्टील उद्योग बन्द हो जाएंगे। वर्ष 2004 के बाद स्टील क्षेत्र में कुछ सुधार आया है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टील के दाम में सुधार हुआ है। स्टील के दाम का घटना-बढ़ना हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारे कुल स्टील प्रोडक्शन का 33 प्रतिशत पब्लिक सेक्टर से आता है और बाकी लगभग दो-तिहाई उत्पादन प्राइवेट सेक्टर में होता है। मैं आपको यहां जो जानकारी दे रहा हूं, वह पूरी तरह से आथेंटिक है। अगर आप कहेंगे तो में इसे सदन के पटल पर भी रख सकता हूं और अगर आप इसे गलत

पाएं तो आप मुझ पर सदन में यह आरोप लगाकर प्रिविलेज मोशन या दूसरे मोशन्स ला सकते हैं कि मंत्री ने गलत बयान दिया है। मेरे पास ये सभी रिकाड्र्स उपलब्ध हैं कि जनवरी में क्या दाम थे और अभी क्या दाम हैं, जैसे पिग आयरन का दाम पहले 19,000 रुपए था जो इस समय 18,000 रुपये हो गया है। इसी प्रकार टीओआर सरिया का दाम 28,000 रुपए था जो घटकर 27,000 रुपए रह गया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, पूरी लिस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामविलास पासवान: महोदय, मैं यह पूरी लिस्ट दे सकता हूं। पता नहीं माननीय सदस्य मकान बनाते हैं कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी मिनिस्टर के ऊपर चार्ज लगा देना भी ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद महोदय, यद्यपि प्रश्न इस्पात मंत्रालय के समक्ष रखा गया है, जबकि इसका संबंध खनन पट्टे से है। सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे कई खान पट्टा धारक और संचालक हैं जो बिना किसी मूल्य-वर्द्धन के केवल लौह-अयस्क और क्रोम का निर्यात करते हैं। डांग समिति ने सुझाव दिया है कि किसी भी रक्षित आबंटिती को अयस्क का निर्यात और घरेलू बिक्री नहीं करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खान पट्टा धारकों और रक्षित आबंटियों के मामले में इसी नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यदि ऐसा है, तो इसका व्यवहारिक रूप से कब क्रियान्वयन किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: महोदय, हमारी अभी जो पालिसी है, चाहे वह आयरन ओर के संबंध में हो या स्टील के संबंध, उसमें पहले हम अपनी डोमेस्टिक खपत को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट की अनुमति देते हैं। अभी हमारे देश में आयरन ओर का प्रतिवर्ष उत्पादन 140 मिलियन टन है और देश में केवल 58 मिलियन टन का उपयोग होता है, शेष आयरन ओर को हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। जहां तक इसमें और कमी करने की बात है, इसके विषय में हम स्वयं चिन्तित हैं कि हमारे पास इतना रिजर्व रहना चाहिए ताकि हमें भविष्य में असुविधा नहीं हो।

जहां तक क्रोम ओर का सवाल है, हमारे पास उसका रिजर्व 114 मिलियन टन का है और इसमें से 99 प्रतिशत उड़ीसा में है। क्रोम ओर का प्रतिवर्ष उत्पादन तीन मिलियन टन है और हमारा कन्जम्प्शन दो मिलियन टन का है। शेष एक मिलियन टन एक्सपोर्ट होता है। हमने विभाग से पूछा कि इसका एक्सपोर्ट क्यों करते हो, इसे एक्सपोर्ट करना बन्द किया जाए, तो उन्होंने बताया कि इसके मैटेरियल्स बहुत ही लो स्टैण्डर्ड के हैं, लेकिन हमारी राय में यह एक्सपोर्ट भी बन्द होना चाहिए। पूरे विश्व में क्रोम का रिजर्व 8 बिलियन टन है, लेकिन हमारे यहां इसके अंगले कुछ समय में खत्म होने की संभावना है। इसलिए हम इसे देख रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध लगा देंगे।

महोदय, अभी श्री बसुदेव आचार्य जी ने चिरिया माइन्स और इस्को के बारे में जो बात कही थी, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि चिरिया में 10 खदानें हैं और उनमें से तीन खदानों के नवीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है और इस सम्बंध में सेल ने झारखण्ड हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर ले लिया है। इस समय यह मामला इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स के पास लम्बित है।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने प्रश्न रखा है जिसका मैं जवाब चाहती हूं।

दूसरे, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या कोई राज्य संवैधानिक रूप से खनिजों पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सकता है। यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल सरकार को लौह-अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय आपकी तरफ से इस मामले का समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रणाली संघीय है। बुरा न मानें।

[हिन्दी]

प्रवासी बर्ड फ्लू से बचाव

*66. **श्रीमती⁺ अर्चना नायक:**
श्री मुन्शी राम:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बर्ड फ्लू फैलने के भय से सरकार द्वारा आने वाले प्रवासी पक्षियों को भारत में आने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) कौन सी प्रजाति-विशेष इस बर्ड फ्लू की वाहक है और आमतौर पर वह किस जगह आती है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ रूस के सहयोग से एक साइबेरियन फाउंडेशन की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त फाउंडेशन में कौन-कौन से देश शामिल हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा बर्ड फ्लू से बचाव हेतु अभी तक क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को इस प्रकार की बीमारी से निपटने हेतु सतर्क रहने के अनुदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या रणनीति बनाई गई है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) प्रवासी पक्षियों के मौसमी निवास-परिवर्तन के दौरान उनके मार्ग को प्रभावित करना मानव के लिए संभव नहीं है। यह एक प्राकृतिक और पूर्व-निश्चित परिघटना है जो समस्त राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। अत: सभी राज्यों को परामर्श दिया गया है कि प्रवासी पक्षियों के बार-बार आगमन के क्षेत्रों की निगरानी को बढ़ाएं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिक खतरे वाले प्रवासी पक्षियों में बारहैडेड गीज, ग्रेट कारमोरेंट, ब्राउन हैडेड गल, ग्रेट ब्लैक हैडेड गल और रडि शेलडक शामिल हैं। भारत में इन पक्षियों के प्रमुख शीतकालीन स्थलों में ब्रह्मपुत्र घाटी, पांग बांध (हिमाचल प्रदेश), भरतपुर (राजस्थान), कश्मीर घाटी की झीलें, चिल्का (उड़ीसा), तमिलनाडु की आद्रभूमियां, लद्दाख में उच्च तुंगता वाली झीलें, गंग-मैदान आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस मामले की जानकारी है और इस विषय पर भारत में संभावित खतरों और तत्परता के बारे में इसके द्वारा अन्य संबंद्ध मंत्रालयों और पक्षी विशेषज्ञों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) सभी मुख्य सचिवों और मुख्य वन्यजीव वार्डनों को निदेश दिया गया है कि वे प्रवासी पक्षियों के सीरम के नमूनों का संग्रह करने में राज्य पशुचिकित्सा विभागों को सहयोग प्रदान करें और केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने वाली सभी आर्द्रभूमियों विशेषकर ऐसे क्षेत्र, जिनमें प्रवासी पक्षियों और कुक्कुट पक्षियों की पारस्परिक क्रिया की संभावना होती है, उनकी निगरानी रखें और इसकी सूचना मंत्रालय को भेजें।

अनुबंध

एवियन इन्फ्लूएंजा की मानीटरी के बारे में कार्य-बिन्दु (एक्शन पाइंट्स)

* पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में मानीटरी इकाई की स्थापना।
* प्रवासी पक्षियों की अधिक खतरे वाली प्रजातियों का सीरम वैज्ञानिक/वाइरस प्रतिचयन।
* प्रमुख आर्द्रभूमि स्थलों पर प्रवासी पक्षियों (विशेषकर जल पक्षियों) की मानीटरी।
* प्रमुख आर्द्रभूमि स्थलों पर जल पक्षियों की मानीटरी के लिए राज्य वन विभागों और स्वैच्छिक व्यक्तियों (वालंटीयर्स) की क्षमता का निर्माण।
* मृत पक्षियों के संग्रह और वाइरस जांच के लिए उनकी सुरक्षित ढुलाई के लिए पशु पालन विभाग के साथ सहयोग करना।
* वन्य पक्षियों आदि के व्यापार पर कृषि मंत्रालय द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसे जारी रखना।

श्रीमती अर्चना नायक: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने देश के किसी भाग में बर्ड फ्लू का पता लगाया है, यदि हां, तो सरकार द्वारा बर्ड फ्लू से ग्रस्त पक्षियों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, भारत में मनुष्य और पक्षियों में कोई बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है।

जहां तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संबंध है, भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। आवधिक अन्तर्मंत्रालय बैठकों में कैबिनेट सचिव इस संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कृतिक बल गठित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ोसी देशों पर नजर रखे हुए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन से 20,000 टामी फ्लू की खुराकें प्राप्त हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचना सामग्री प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत करवाता रहेगा तथा घरेलू जंगली पक्षियों के आयात, जीवित कुक्कुटों, जीवित सुअरों आदि के आयात पर दिनांक 6 अगस्त की अधिसूचना द्वारा छह माह का प्रतिबंध लगाया गया है। क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा अनुपूरक प्रश्न–श्रीमती अर्चना नायक।

श्रीमती अर्चना नायक: मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्रीमती मेनका गांधी: अध्यक्ष महोदय, विश्वभर में कार्यरत काफी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बर्ड फ्लू दवा कंपनियों द्वारा फैलायी गई अफवाह है। सबसे पहले बर्ड फ्लू मनुष्यों में नहीं फैलता है, दूसरा यह कि इसका अभी तक यहां उत्परिवर्तन (क्यूटेंटड) नहीं हुआ है। क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया है?

दूसरा यह कि जहां कहीं बर्ड फ्लयू के मामले रहे हैं वहां यह उन्हीं कुक्कुट पालन केन्द्रों में हुआ है जहां मुर्गीयों को भारी संख्या में अत्यधिक खराब स्थिति में रखा जाता है। बर्ड फ्लयू को रोकने के लिए क्या कुक्कुट पालन केन्द्रों के लिए कोई विनियमन बनाने का कोई प्रयास हुआ है?

हमारे पास एक निरीक्षण प्रणाली है जिसे कभी भी ठीक तरह से नहीं अपनाया गया है। कुक्कुट पालन केन्द्रों पर न कि जंगली पक्षियों पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ किस तरह का समन्वय करने का इरादा रखता है?

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि कैबिनेट सचिव पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार स्थिति से अवगत है और घरेलू जंगली पक्षियों और कुक्कुटों के आयात पर छह माह का प्रतिबंध लगाया गया है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, उन्होंने मेरा प्रश्न समझा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत ही तकनीकी मामले पर प्रश्न पूछा है।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, मैंने तकनीकी प्रश्न का उत्तर दे दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: जो मैंने पूछा है वह यह है। क्या मंत्रीजी ने यह एक अफवाह है के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है?...*द्वारा यह वास्तव में फैलाई गई है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं वह नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रीमती मेनका गांधी: ठीक है, सरकार कुक्कुट पालन केन्द्रों के बारे में क्या कर रही है? यही सब मैंने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: कैबिनेट सचिव द्वारा सभी कदम उठाए जा रहे है।

श्री नमोनारायन मीना: हम इस मामले से अवगत है और सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे काफी सक्रियता से करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, शीतकाल में विदेशों से हमारे यहां जो पक्षी आते हैं, खासकर जो साइबेरियम पक्षी हिन्दुस्तान में आते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न श्रीमती मेनका गांधी जी ने पूछा, उसी संबंध में मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं और उन गांवों में ज्यादातर लोग मुर्गी पालन या बत्तख पालन का कार्य करते हैं। उनके पक्षी नदियों में जाते हैं। इस पर नजर रखने के लिए केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने ग्रामीण स्तर पर क्या कोई सेंटर खोला है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसी आशा है कि यहां बर्ड फ्लू नहीं है।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। हाई सिक्यूरिटी एनीमल डिसीस लैबोरेट्री, भोपाल द्वारा अभी तक लगभग 1800 नमूनों का परीक्षण किया गया है और इन सभी नमूनों को नकारात्मक पाया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरे राज्य केरल में पक्षी विहार है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बर्ड फ्लू के बारे में है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, प्रेस को ऐसी खबर दी गई थी कि चीन की सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बर्ड फ्लू से संबंधित सूचना दी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त की गई है और क्या कोई निवारक कदम उठाए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के फ्लू को रोकने के लिए सतर्क रहने हेतु राज्य सरकारों को क्या ऐहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यदि कदम नहीं उठाए गए तो पक्षी विहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या चीन से कोई सूचना प्राप्त हुई है और उनके पक्षी विहार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल एजेंसी है। हमें 17 नवंबर को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लगभग 11 देशों ने कुक्कुट पालन और बर्ड फ्लू की रिपोर्ट दी है। लगभग 130 व्यक्तियों से संबंधित मामले की भी रिपोर्ट हैं जहां कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, वियतनाम आदि में 67 मौत हुई हैं। परंतु भारत से कोई रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: भाग्यवश, हमने देश में बर्ड फ्लू के बारे में सोचा भी नहीं। हम पर्याप्त चर्चाएं कर चुके हैं। धन्यवाद।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, यह सच है कि बर्ड फ्लू का अब तक केवल मुर्गियों में पता लगाया गया है। परंतु जिस तरह से यह देश में आ सकता है उनमें से एक यह है कि यह प्रवासी पक्षियों से भी देश में आ सकता है और प्रवासी पक्षियों को देश में आने के लिए बीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: और न ही अन्य उन्हें रोक सकते हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, यह भी सच है कि जो देश बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं वहां साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और चीन से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं। वास्तव में कोई अध्ययन नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि यह केवल पक्षियों को प्रभावित नहीं कर सकता है, बर्ड फ्लू एच 5 एन I की स्ट्रेन ने, विशेषकर, मानव को भी प्रभावित किया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा इससे सहमत नहीं है, इसलिए, यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मेरा दृष्टिकोण अलग है। मेरा मुद्दा यह है कि हमारे लिए रोकथाम करने वाले टीके प्राप्त करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: हमें बहुत बुरी स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सभी पक्षी बिल्कुल सुरक्षित हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: हमारे सभी पड़ोसी देशों ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। पाकिस्तान प्रभावित हुआ है। हमारे सभी पूर्वी देश प्रभावित हुए हैं और यह बहुत गंभीर बात है। इस पूरे प्रकरण में व्यंग्य की बात यह है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है। वे यह नहीं जानते की इसकी देखरेख कौन करेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न नहीं है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: यह बहुत ही गंभीर बात है। हमारे पड़ोसी देशों में इसका पता लगाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंह कृपया पहली बात को दोहराइए मत। आप जानते हैं कि मैं पहले की बात को दोहराने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, हमने विभिन्न मंत्रालयों के बीच पूर्ण समन्वय बना रखा है। स्वास्थ्य सचिव कृतिक बल के अध्यक्ष है और वह सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय रख रहे हैं।

हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में हैं। हमें मामले की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न सं. 67।

श्री के.एस. राव–उपस्थित नहीं।

श्री अजीत जोगी–अनुपस्थित। मैं आशा करता हूं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

अब, प्रश्न सं. 68–श्रीमती सी.एस. सुजाता।

किसानों द्वारा आत्महत्याएं

***68 श्रीमती+ सी.एस. सुजाता:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और कर्जदार किसानों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में चंडीगढ़ में आत्महत्याओं के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करने के संबंध में रणनीति तैयार करने हेतु मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और उड़ीसा राज्यों से किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। किसानों को आत्महत्याओं के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य का नाम	वर्ष	किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामलों की संख्या	टिप्पणी
आंध्र प्रदेश	2002-03	280	–
	2003-04	258	
	2004-05	972	
कर्नाटक	2002-03	2340*	*ये आंकड़े क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड पर आधारित हैं।
	2003-04	708	
	2004-05	271	
महाराष्ट्र	2002	131	–
	2003	180	
	2004	524	
केरल	2002	44	–
	2003	40	
	2004	96	
पंजाब	2002-03	शून्य	–
	2003-04	2	
	2004-05	शून्य	
उड़ीसा	2002-03	1	यह मामला लाभप्रद मूल्य न मिल पाने के कारण हुआ है।
	2003-04	शून्य	
	2004-05	शून्य	
गुजरात	2002	6	ये मामले ऋणग्रस्तता और वित्तीय समस्याओं के कारण हुए हैं। यह आंकड़ा राज्य पुलिस रिकाड्‌र्स पर आधारित है।
	2003	4	
	2004	5	

(ग) मृतक किसानों के प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र की राज्य सरकारें प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस अनुग्रह राशि के अलावा 50,000 रु. की राशि और दे रही है जिससे कि मृतक किसान के ऋणों का उन्मोचन हो सके। केरल सरकार ने ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000/-रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकारों ने राहत और पुनर्वास के लिये अन्य कल्याणकारी उपाय भी किये हैं।

इस तथ्य पर विचार करते हुए किसानों के संकट का मुख्य कारण उनकी ऋणग्रस्तता है, अतः कृषि ऋण की राशि में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार ने 18 जून, 2004 को एक "क्रेडिट पैकेज" की घोषणा की है जिसके अंदर परिकल्पना की गई है कि तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना कर दिया जायेगा। इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित परिकल्पनाएं की गयी हैं यथा

(1) संकटग्रस्त और बकाया ऋणग्रस्त किसानों के मामलों में ऋणों की "रिस्ट्रक्चरिंग" करना और उनके बकाया ऋणों की पांच वर्षों की अवधि के लिए रिशेड्यूलिंग करना।

(2) छोटे और सीमांत किसानों के पुराने एवं चिरकालिक ऋणों के एक बारगी में निपटान की विशेष योजना, और

(3) बैंकों को अनुमति देना कि वे किसानों को साहूकारों के लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दे सके जिससे किसान अपने ऋणों से उन्मोचित हो सकें।

2004-05 में कृषि ऋण के वितरण के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य में वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करके किसानों की ऋण संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा कर रही। किसानों के जोखिमों को कम करने के लिए उन स्थानों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलायी जा रही है जहां पर ज्यादा कवरेज किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में मजबूती लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है। कृषि उत्पादन में संवर्द्धन और विपणन के लिये किये जा रहे उपायों के साथ-साथ उपर्युक्त हस्तक्षेप से कुछ समय में किसानों का संकट कम हो सकेगा।

(घ) सरकार ने हाल ही में चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्रियों का न तो कोई सम्मेलन बुलाया है और न ही आयोजित किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या सरकार प्रभावित क्षेत्रों के ऋणी कृषकों द्वारा लिये गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्या का सवाल पहले भी सदन में उठाया जा चुका है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, पहला बजट पास होने से पहले भिन्न-भिन्न प्रदेशों के किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया गया था। सरकार के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस सवाल से कैसे निपटा जाए? यूपीए सरकार के गठन के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय, ऋण बोझ जो इन्डेब्टनेस, उसका सबसे बड़ा कारण था, इसके लिए रूरल क्रेडिट फ्लो को 3 साल में दोगुना किया गया। आत्महत्या के पीछे मुख्य कारण क्रौप का फेल्योर होना, ऋण बोझ, ड्राट तथा सोशल एंड इकानामिक इन्सेक्योरिटी था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सरकार ने जो क्रेडिट पैकेज 18 जून, 2004 को सुझाया था और जिसका पहले साल का लक्ष्य 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: उस लक्ष्य को हमने सफलतापूर्वक प्राप्त ही नहीं किया, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किया और ऋण में रिलीफ देने का फैसला लिया गया। ...*(व्यवधान)* वन टाइम सेटलमेंट के रूप में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या सरकार ऋणों को बट्टे खाते में डालने पर विचार करेगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अपने दूसरे अनुपूरक के रूप में रखिए।

[हिन्दी]

आप अपनी बात कहिए, आपको और कुछ कहना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस पर सभा में पूर्ण चर्चा की जा चुकी है।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः हमने किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम लांच की है, जिसके तहत ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप उनको लिखित भेज दीजिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः समय की कमी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उसके बाद खासकर सदर्न स्टेट्स में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहे। यदि आप प्रश्न काल नहीं चाहते हैं तो मैं इसे रोक दूंगा।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः महाराष्ट्र में जहां पिछले साल 1767 सुसाइड केस हुए थे, इस साल 6 महीने में केवल 178 सुसाइड हुए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, एक मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। आप कहते हैं कि सभी कदम उठाए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडुः आंध्र प्रदेश के बारे में क्या है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः आंध्र प्रदेश में जहां पिछले साल 972 सुसाइड केस हुए थे, वहां इस साल छः महीने में 40 केस हुए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः कर्नाटक में पिछले साल 271 सुसाइड केस हुए थे, वहां इस साल छः महीने में केवल 52 केस हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरनः केरल के बारे में क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाए। यह सही नहीं है। कृपया बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः आपके राज्य में जहां पिछले साल 524 केस हुए थे, वहां 6 महीने के अंदर केवल 86 केस सामने आए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाताः महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि केरल राज्य में विभिन्न कारणों की वजह से कितनी कृषिगत हानि आकलित की गई और राज्य ने केन्द्र से कितनी राहत की मांग की और केन्द्र ने राज्य को कितना राहत पैकेज प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदयः वह केरल के बारे में जानना चाहती हैं।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, केरल सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं इसकी विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री दलपत सिंह परस्ते–अनुपस्थित।

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, कृपया मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आप माननीय सदस्य को आंध्र प्रदेश के बारे में भी सूचना भेजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जल निकायों से प्रदूषणकारी तत्वों को निकालने की पेशकश

***64. श्री मोहन रावले:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने जल निकायों ने प्रदूषणकारी तत्वों को निकालने की अपनी विशेषज्ञता का लाभ देने की पेशकश की है;

(ख) क्या यू.के. ने गंगा-नदी की सफाई करने में भी सहायता देने की अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत और यू.के. के बीच 11 अक्तूबर, 2005 को हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में दोनों देश जल, वायु और मृदा प्रदूषण सहित प्रदूषण उपशमन हेतु प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल निकाय भी शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मजदूर

***67. श्री के.एस. राव:**
श्री अजीत जोगी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी और भुखमरी के शिकार लाखों कृषि मजदूरों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कृषि मजदूरों को राज्यवार कितनी मजदूरी दी जाती है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में विद्यमान कम मजदूरी कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(च) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि मजदूरों का है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क), (ख) और (च) सरकार ने जनता की गरीबी का सम्पूर्ण रूप से आकलन कराया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार, कुल जनसंख्या का लगभग 26% गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने से, बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर गरीबी रेखा से नीचे हैं। तथापि, खेतिहर मजदूरों के बीच गरीबी का अलग से कोई आकलन मौजूद नहीं है।

(ग) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारियों के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। इस अधिनियम के अनुसार, समुचित सरकारें पांच वर्षों से अनधिक अन्तराल पर अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/संशोधित करती हैं। कतिपय मामलों में, न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती महंगाई भत्ता (वी डी ए) शामिल है, जिसका आवधिक रूप में वर्ष में दो बार समीक्षा/संशोधन किया जाता है और अप्रैल तथा अक्तूबर से प्रभावी होता है। राज्य तथा केन्द्र दोनों क्षेत्रों में विभिन्न सरकारों द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी प्रत्यक्ष रूप में कृषि उत्पादन को इस तरह प्रभावित नहीं करती है जिस प्रकार जलवायु दशाएं, खेती करने की प्रथाएं और वैसे अन्य घटक कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(छ) और (ज) खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक विधान बनाने का प्रावधान सरकार के विचाराधीन था। तथापि, राज्य सरकारों के बीच आम राय न बनने के कारण इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रशासन	अकुशल खेतिहर मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी (रुपये में)	से लागू
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	64.00 से 84.00 (क्षेत्र के अनुसार)	5.11.2004
2.	अरूणाचल प्रदेश*	55.00 (क्षेत्र-I) 57.00 (क्षेत्र-II)	18.08.2005
3.	असम	69.00	1.4.2005
4.	बिहार	66.00	1.2.2004
5.	छत्तीसगढ़	52.87	1.4.2002
6.	गोवा*	94.00	27.6.2003
7.	गुजरात	50.00	1.4.2002
8.	हरियाणा	84.29 भोजन के साथ 88.29 बिना भोजन के	1.7.2004
9.	हिमाचल प्रदेश*	65.00	27.10.2003
10.	जम्मू और कश्मीर*	66.00	06.06.2005
11.	झारखंड	$	
12.	कर्नाटक	56.48	1.4.2003
13.	केरल*	72.00 हल्के कार्य के लिए 125.00 भारी कार्य के लिए	31.12.2004
14.	मध्य प्रदेश	56.96	1.10.2004
15.	महाराष्ट्र	क्षेत्र-I 51.00 क्षेत्र-II 49.00 क्षेत्र-III 47.00 क्षेत्र-IV 45.00	1.07.2004
16.	मणिपुर	72.40	1.7.2005
17.	मेघालय	70.00	1.4.2005
18.	मिजोरम	91.00	1.1.2005
19.	नागालैंड*	66.00	12.05.2004

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	52.50	1.1.2004
21.	पंजाब	87.59	1.9.2004
22.	राजस्थान*	73.00	20.7.2004
23.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को 01.10.2004 से लागू किया गया है	
24.	तमिलनाडु*	64.00	17.07.2004
25.	त्रिपुरा*	50.00	20.8.2002
26.	उत्तर प्रदेश	58.00	1.1.2004
27.	उत्तरांचल	73.00	1.08.2004
28.	पश्चिम बंगाल	62 भोजन के साथ 65 बिना भोजन के	31.12.2004
29.	अंडमान और निकोबार*	100.00 (अंडमान) 107.00 (निकोबार)	25.11.2004
30.	चंडीगढ़	1114.00	1.4.2005
31.	दादर और नगर हवेली	89.00	1.4.2005
32.	दमन और दीव	$	
33.	दिल्ली	122.00	31.08.2005
34.	लक्षद्वीप	$	
35.	पांडिचेरी*		
	— पांडिचेरी	45.00 से 54.00 5 के लिए	21.6.2002
	— माहे क्षेत्र	120.00 (हल्के कार्य के लिए)	25.1.2005
	— यनम क्षेत्र	(8 घंटों के लिए प्रस्तावित)	
	— कराइकल	160.00 भारी कार्य के लिए -वही-	25.1.2005
		55.00 से 75.00 6 घंटों के लिए	8.7.2003
		45.00 से 54.00 5 घंटों के लिए	21.6.2002
केन्द्रीय क्षेत्र		102.78 से 114.78	20.10.2005

*राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए परवर्ती मंहगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है।

$उपलब्ध नहीं।

न्यूनतम मजदूरी में जहां प्रावधान है, परिवर्ती मंहगाई भत्ता भी शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*69. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री ए. साईं प्रताप:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और ऐसी ही अन्य विद्यमान योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की जा चुकी है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को विद्यमान कृषि बीमा योजना में आवश्यक सुधार के अध्ययन और विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में अधिक फसलों को शामिल करने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों के अध्ययन के लिए गठित संयुक्त समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(च) यदि हां, तो समूह ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना देश में क्रियान्वित की जा रही मुख्य फसल बीमा योजना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अलावा कुछ प्राइवेट बीमा कम्पनियां सीमित पैमाने पर मौसम आधारित बीमा स्कीम क्रियान्वित कर रही हैं। इन स्कीमों की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 23 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पांडिचेरी।

(ग) और (ङ) सरकार ने वर्तमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया है। संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) और (च) इस दल ने कई सिफारिशें की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं-मुख्य फसलों के लिए बीमा यूनिट क्षेत्र को कम करके ग्राम पंचायत तक लाना, न्यूनतम फसल के परिकलन के आधार में सुधार करना, 80% और 90% का उच्चतर क्षतिपूर्ति स्तर पर, बुआई-पूर्व/पौध रोपण जोखिमों तथा कटाई पश्चात् क्षति का कवरेज, बारहमासी बागवानी फसलों का कवरेज।

(छ) सरकार संयुक्त दल की सिफारिशों की जांच कर रही है।

विवरण

फसल बीमा स्कीमों की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.)

* यह स्कीम किसानों की भू-जोत पर ध्यान दिए बिना सभी किसानों-ऋणी और गैर-ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध है।
* ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य और गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक।
* यह स्कीम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है।
* बीमित धनराशि को बीमित क्षेत्र की न्यूनतम उपज तक बढ़ाया जा सकता है।
* सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके संबंध में पर्याप्त वर्षों के विगत उपज आंकड़े उपलब्ध हैं, का कवरेज।
* वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में से फिलहाल 11 फसलों नामत: कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टेपिओका, वार्षिक केला और अनन्नास को कवर किया गया है।
* प्राकृतिक, अप्रतिरोध्य जोखिमों के कारण सभी उपज हानियों को कवर करते हुए मूल रूप से सभी-जोखिम बीमा योजना।
* बाजरा और तिलहन के लिए 3.5% और अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%; गेहूं के लिए 1.5% और अन्य रबी फसलों के लिए 2% की प्रीमियम दरें हैं। यदि

बीमांकिक आंकड़े के आधार पर निकाली गई दरें निर्धारित प्रीमियम दर से कम हो तो निम्नतर दर लागू होगी।

* वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दरें प्रभारित की जाती हैं।

* छोटे और सीमांत किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियर के 50% की राजसहायता दी जाती है। राजसहायता घटते आधार पर पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त की जाएगी।

* तीन वर्षों के अंदर बीमा की छोटी इकाई अर्थात् ग्राम पंचायत के स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन करना।

मौसम बीमा

* मौसम बीमा की मूल संकल्पना वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि जैसी मौसम की स्थिति, जिनका फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, में परिवर्तनों का आकलन करना है।

* फसल उत्पादन और मौसम पैरामीटरों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए सांख्यिकीय तकनीक है।

* मौसम बीमा वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि जैसी विभिन्न मौसमी स्थितियों में किया जा सकता है।

* मौसम आधारित बीमा स्कीम में से मुख्य फसलों के लिए वर्षा बीमा विभिन्न गैर-सरकारी साधारण बीमा कम्पनियों और भारतीय बीमा कम्पनी लि. द्वारा किया जा रहा है।

* वर्षा बीमा किसानों, जिन पर वर्षा से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र है।

* वर्षा बीमा वर्षा के प्रतिकूल घटना की स्थिति में श्रेणीकृत पैमाने पर दावे के भुगतान की गारंटी देता है।

* दावे तब उत्पन्न होते हैं जब सीमा की अवधि के दौरान सामान्य वर्षा से कम वर्षा होती है।

* भारत का मौसम विज्ञान विभाग सामान्य वर्षा आंकड़े और वास्तविक वर्षा आंकड़े प्रदान करता है।

* वर्षा बीमा किसानों की आवश्यकता के अनुसार बीमा कवरेज के विभिन्न विकल्प प्रदान करता है।

[हिन्दी]

लम्बित उपभोक्ता मामले

***70. श्री शिशुपाल पटले:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित मामलों की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और विभिन्न राज्य उपभोक्ता फोरमों में कुल लंबित शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्यों को नए उपभोक्ता मंचों की स्थापना और विद्यमान उपभोक्ता मंचों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा प्रदान किए जाने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ऐसे राज्यों द्वारा अब उपभोक्ता मंचों की स्थापना कर ली गई है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) केंद्र सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद-प्रतितोष आयोग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिवों के सहयोग से समय-समय पर उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की समीक्षा करती है।

विवरण-I संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/अनिर्णीत मामलों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है।

मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) ई-प्रशासन, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता मंचों के कार्य को व्यवस्थित करने और उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से न्याय दिलाने के लिए देश भर में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग के लिए मार्च, 2005 में एक परियोजना शुरू की गई है।

(2) मामलों का तेजी से निपटान सुकर बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित किया गया है।

(3) राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि उपभोक्ता मंचों को निष्क्रिय न रहने दें और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संशोधित उपबंधों का उपभोक्ताओं के लाभ के लिए समुचित प्रयोग किया जा रहा है।

(च) से (झ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार जिला मंचों और राज्य आयोगों की स्थापना के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 1995-99 और 2004-05 में क्रमशः 61.80 करोड़ रुपए और 10.20 करोड़ रुपए के एक-बारगी अनुदान रिलीज किए। इस वित्तीय सहायता का उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पहले से स्थापित उपभोक्ता मंचों के लिए किया जाना था।

विवरण-II संलग्न है जिसमें 1995-99 और 2004-05 के दौरान उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए और अनिर्णीत मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	अनिर्णीत मामले	निपटान का %	तारीख के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
	राष्ट्रीय आयोग	40110	32236	7874	80.37	31.10.2005
1.	आंध्र प्रदेश	17264	14905	2359	86.34	30.9.2005
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	57	55	2	96.49	30.6.2004
3.	अरुणाचल प्रदेश	33	22	11	66.67	30.6.2005
4.	असम	1846	990	856	53.63	31.12.2004
5.	बिहार	10688	6700	3988	62.69	30.6.2005
6.	चंडीगढ़	5071	4972	99	98.05	31.9.2005
7.	छत्तीसगढ़	2547	2041	506	80.13	30.6.2005
8.	दादरा व नगर हवेली/दमन व दीव	11	11	0	100.00	31.12.2004
9.	दिल्ली	23860	20282	3578	85.00	31.10.2005
10.	गोवा	1659	1489	170	89.75	31.9.2005

1	2	3	4	5	6	7
11.	गुजरात	21821	18266	3555	83.71	30.6.2005
12.	हरियाणा	27514	15725	11789	57.15	30.9.2005
13.	हिमाचल प्रदेश	4391	3752	639	85.45	31.8.2005
14.	जम्मू व कश्मीर	4512	3981	531	88.23	31.12.2003
15.	झारखण्ड	2067	1752	315	84.76	30.6.2005
16.	कर्नाटक	17251	15426	1825	89.42	31.8.2005
17.	केरल	19606	15574	4032	79.43	31.8.2005
18.	लक्षद्वीप	12	11	1	91.67	31.8.2005
19.	मध्य प्रदेश	20280	18077	2203	89.14	30.6.2005
20.	महाराष्ट्र	31378	17876	13502	56.97	31.7.2005
21.	मणिपुर	47	20	27	42.55	30.6.2003
22.	मेघालय	145	125	20	86.21	30.6.2005
23.	मिजोरम	92	50	42	54.35	30.6.2004
24.	नागालैण्ड	71	59	12	83.10	30.6.2005
25.	उड़ीसा	14030	7304	6726	52.06	30.9.2005
26.	पांडिचेरी	109	80	29	73.39	30.9.2005
27.	पंजाब	15759	11341	4418	71.97	30.9.2005
28.	राजस्थान	31371	21030	10341	67.04	30.9.2005
29.	सिक्किम	27	26	1	96.30	30.6.2005
30.	तमिलनाडु	12976	10037	2939	77.35	30.6.2005
31.	त्रिपुरा	866	772	94	89.15	30.9.2005
32.	उत्तर प्रदेश	43670	12433	31237	28.47	31.8.2005
33.	उत्तरांचल	2464	2097	367	85.11	30.6.2005
34.	पश्चिम बंगाल	9126	7897	1229	86.53	30.9.2005
	कुल	382731	267414	115317	69.87	

विवरण II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किया गया एक बारगी अनुदान

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-1999 के दौरान रिलीज की गई राशि	2004-2005 के दौरान रिलीज की गई राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	270.00	105
अरूणाचल प्रदेश	170.00	शून्य
असम	280.00	शून्य
बिहार	320.00	45
झारखण्ड	120.00	75
गोवा	70.00	शून्य
गुजरात	250.00	शून्य
हरियाणा	210.00	45
हिमाचल प्रदेश	170.00	शून्य
जम्मू और कश्मीर	70.00	शून्य
कर्नाटक	250.00	शून्य
केरल	190.00	शून्य
मध्य प्रदेश	500.00	105
छत्तीसगढ़	-	75
महाराष्ट्र	360.00	45
मणिपुर	130.00	शून्य
मेघालय	120.00	शून्य
मिजोरम	80.00	75
नागालैंड	120.00	15
उड़ीसा	180.00	270
पंजाब	180.00	शून्य
राजस्थान	350.00	45
सिक्किम	90.00	शून्य
तमिलनाडु	270.00	शून्य
त्रिपुरा	80.00	शून्य
उत्तर प्रदेश	680.00	शून्य
उत्तरांचल	-	75
पश्चिम बंगाल	220.00	45
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70.00	शून्य
चंड़ीगढ़ प्रशासन	60.00	शून्य
दादरा और नगर हवेली	60.00	शून्य
दमन और दीव	70.00	शून्य
दिल्ली	70.00	शून्य
लक्षद्वीप	60.00	शून्य
पांडिचेरी	60.00	शून्य
कुल	6180.00	1020.00

[अनुवाद]

चावल और गेहूं का उत्पादन

***71. श्री सुरेश कुरूप:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो पिछले तीन वर्षों से चावल और गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देश के किन क्षेत्रों में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है कि देश में खाद्यान्न की कमी न रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) उत्पादन और खपत के राज्य-वार अनुमानों के आधार पर निम्नलिखित राज्य वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान गेहूं और चावल के अधिशेष (सरप्लस) उत्पादक थे:

मद	2002-03	2003-04	2004-05
गेहूं	1. हरियाणा	1. हरियाणा	1. हरियाणा
	2. पंजाब	2. पंजाब	2. पंजाब
	3. उत्तर प्रदेश	3. उत्तर प्रदेश	3. उत्तर प्रदेश
		4. मध्य प्रदेश	4. मध्य प्रदेश
चावल	1. हरियाणा	1. हरियाणा	1. हरियाणा
	2. पंजाब	2. पंजाब	2. पंजाब
	3. उत्तर प्रदेश	3. उत्तर प्रदेश	3. उत्तर प्रदेश
	4. पश्चिम बंगाल	4. पश्चिम बंगाल	4. पश्चिम बंगाल
		5. उड़ीसा	5. उड़ीसा
		6. छत्तीसगढ़	6. छत्तीसगढ़

(ख) अखिल भारत स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन दीर्घकालीन उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शाता है। तथापि, खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव रहा है। यह खाद्यान्न उत्पादन मुख्य राज्यों के मामले में भी सच है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है।

विवरण

राज्य	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन मी. टन)		
	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	38.14	44.25	41.46
पंजाब	23.49	24.73	25.84
राजस्थान	7.54	17.99	11.93
पश्चिम बंगाल	15.52	15.98	16.25
मध्य प्रदेश	10.75	15.87	14.10
आंध्र प्रदेश	10.65	13.70	13.12
हरियाणा	12.33	13.22	13.22
बिहार	11.08	11.22	9.96
महाराष्ट्र	10.83	10.93	10.80
उड़ीसा	3.57	7.23	6.90
तमिलनाडु	3.78	3.80	5.30
अखिल भारत	174.77	213.46	204.61

*चौथे अग्रिम अनुमान

[हिन्दी]

बेरोजगारी

*72. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षित युवकों और देश में कुल बेरोजगार युवकों की संख्या के वर्तमान अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन युवकों को रोजगार देने और बेरोजगारी को कम करने हेतु कतिपय विशेष उपाय कर रही है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण, जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 1999-2000 के दौरान किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 90 लाख होने का अनुमान था। बेरोजगारों में से 60% अर्थात् लगभग 54 लाख शिक्षित (सेकेण्डरी एवं उससे अधिक) थे।

10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य था। इनमें से, लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया से तथा शेष 2 करोड़ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए जाने थे। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है, को पास कर दिया गया है।

[अनुवाद]

वनरोपण कार्यक्रम

***73. श्री एम. अप्पादुरई:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रम में किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने और क्षेत्र को वनक्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान वन संसाधनों से राज्यवार और वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(छ) वन माफिया और अन्य दूसरा वन संसाधनों को और नुकसान न पहुंचाया जाए इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ज) देश की 33 प्रतिशत भूमि को वनक्षेत्र के अंतर्गत लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवक्रमित वनों और सीमावर्ती भूमियों पर लोक भागीदारी के माध्यम से एक प्रमुख वनीकरण पहल प्रारंभ की है। एन ए पी के क्रियान्वयन के लिए वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों और गांव स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित संस्थागत ढांचे में जनकेन्द्रित दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है।

(ख) एन ए पी के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार जारी की गई निधियां विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) राज्यों में एन ए पी के अंतर्गत जागरूकता उत्पन्न करने और एफ डी ए परियोजनाओं के सहवर्ती आकलन में गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरों का रखरखाव एफ डी ए स्तर पर किया जाता है।

(ङ) एन ए पी के अंतर्गत, दसवीं पंचवर्षीय योजना तक 8.89 लाख हेक्टेयर के कुल परियोजना क्षेत्र के उपचार के लिए 22.11.2005 तक 650 एफ डी ए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(च) 2001-2002, 2002-2003 और 2003-04 के लिए वन संसाधनों से अर्जित की गई राजस्व राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वनों की अवैध कटाई, अग्नि, अतिक्रमण आदि को नियंत्रित करने के लिए वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य तौर पर एक एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम को प्रारंभ किया है। 2001-02 से 2003-04 तक तीन वर्षों में, विभिन्न राज्यों में वनों की अवैध कटाई के 6,46,052 मामलों की सूचना मिली है।

(ज) देश में वनावरण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) विषय के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और अवगत कराने के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया। राज्य वन मंत्रियों के 5-6 अगस्त, 2004 को हुए सम्मेलन में भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

(2) राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वृक्षारोपण के विषय में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक वृहत मीडिया योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए निवेदन किया है।

(3) निजी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षों की प्रजातियों को गैर-वन निजी भूमियों पर उगाने के लिए,

कटाई को युक्तिसंगत बनाने और पारगमन विनियमन हेतु राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

(4) राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों को प्रशासनों को सभी भूमियों के स्वामित्व और अन्य संबंधित विभागों के लिए मुख्य सचिव स्तर की समिति गठित करने और उन्हें वृक्षारोपण गतिविधियों में शामिल करने के लिए निवेदन किया है।

(5) अवक्रमित भूमियों के वनारोपण के लिए राज्य वन विभाग, स्थानीय गांव समुदायों और प्रायोजकों को शामिल करके मल्टी स्टेकहोल्डर प्रतिभागिता (एम एस पी) स्तर पर चर्चा शुरु की गई है।

(6) देश में सभी 1.73 लाख वनों के सीमावर्ती गांवों तक संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में एक नया घटक जोड़ा गया है।

(7) योजना आयोग ने राष्ट्रीय बांस मिशन को सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया है जिसके अंतर्गत वन और गैर-वन भूमियों पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जायेगा।

विवरण I

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2002-2005) और उसके बाद (2005-06, 22.11.2005 तक) जारी की गई राज्यवार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	36.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.29
3.	असम	17.00
4.	बिहार	6.44
5.	छत्तीसगढ़	42.17
6.	गोवा	0.64
7.	गुजरात	23.49
8.	हरियाणा	28.02
9.	हिमाचल प्रदेश	23.27
10.	जम्मू और कश्मीर	18.46
11.	झारखंड	24.51
12.	कर्नाटक	68.77
13.	केरल	8.63
14.	मध्य प्रदेश	48.72
15.	महाराष्ट्र	38.7
16.	मणिपुर	19.21
17.	मेघालय	7.63
18.	मिजोरम	45.97
19.	नागालैंड	28.31
20.	उड़ीसा	34.33
21.	पंजाब	4.92
22.	राजस्थान	17.33
23.	सिक्किम	17.99
24.	तमिलनाडु	50.08
25.	त्रिपुरा	16.05
26.	उत्तर प्रदेश	70.62
27.	उत्तरांचल	21.31
28.	पश्चिम बंगाल	18.4
	कुल	747.81

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वनों से एकत्र किया गया कुल राजस्व (2001-02 से 2003-04)

(धनराशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	5
1.	आंध्र प्रदेश	63.81	83.17	99.43	246.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.24	15.61	9.63	50.48
3.	असम	12.08	18.54	19.17	49.79
4.	बिहार	6.69	5.69	5.92	18.3
5.	छत्तीसगढ़	107.97	110.17	136.76	354.9
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा	1.18	0.72	1.81	3.71
8.	गुजरात	30.49	20.19	33.26	83.94
9.	हरियाणा	24.21	29.12	26.09	79.42
10.	हिमाचल प्रदेश	27.56	30.60	60.79	118.95
11.	जम्मू एवं कश्मीर	39.14	36.23	44.46	119.83
12.	झारखंड	14.92	22.04	22.41	59.37
13.	कर्नाटक	100.09	100.88	188.68	389.65
14.	केरल	113.70	149.57	187.18	450.45
15.	मध्य प्रदेश	350.84	554.09	535.71	1440.65
16.	महाराष्ट्र	133.82	102.01	132.55	368.38
17.	मणिपुर	0.73	0.78	0.95	2.46
18.	मेघालय	6.67	7.61	10.75	25.03
19.	मिजोरम	1.63	3.80	3.16	8.59
20.	नागालैंड	2.91	3.89	4.01	10.81
21.	उड़ीसा	87.24	96.91	49.81	233.96
22.	पंजाब	15.07	15.69	7.94	38.7
23.	राजस्थान	44.29	41.00	38.82	124.11

1	2	3	4	5	5
24.	सिक्किम	6.45	7.20	7.23	20.88
25.	तमिलनाडु	97.04	157.44	90.21	344.69
26.	त्रिपुरा	4.53	4.36	4.16	13.05
27.	उत्तर प्रदेश	67.81	87.10	66.00	220.91
28.	उत्तरांचल	91.50	149.86	127.23	368.59
29.	पश्चिम बंगाल	26.40	56.22	44.63	127.25
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.83	7.85	6.80	29.48
31.	चंडीगढ़	0.6	0.4	0.9	1.9
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.29	0.074	0.097	0.461
33.	दमन एवं दीव	0.0045	0.171	0.266	0.4415
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जल-क्षेत्र के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

***74. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री एस.के. खारवेन्थन:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 2005 को "द हिन्दू" में प्रकाशित "इंडिया फेसेज ऐ टरब्यूलेन्ट वाटर फ्यूचर: वर्ल्ड बैंक" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक प्रारूप रिपोर्ट का ध्यान किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विश्व बैंक का विचार जल संसाधन प्रबंधन और सिंचाई सहित जल-क्षेत्र के लिए भारत को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा जल-क्षेत्र में सुधार लाने के लिए इस ऋण का समुचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को विश्व बैंक के श्री जान ब्रिस्को द्वारा तैयार की गई "इंडियाज वाटरइकोनामी: ब्रेसिंग फार ए टरब्यूलेन्ट फ्यूचर" नामक शीर्षक के प्रारूप रिपोर्ट की जानकारी है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा स्वयं कराए गए अध्ययन पर आधारित है। इस रिपोर्ट में सामान्यत: भारत में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है और मोटे तौर पर नीचे दिए गए मुद्दों से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है:

(1) बदलते भारत को जरूरतों के साथ समायोजन;

(2) कमी और व्यापक परिवर्तनशीलता के साथ समायोजन;

(3) बढ़ते संघर्षों से निपटना;

(4) मौजूदा अवसंरचना का रखरखाव और समीक्षा करना;

(5) अल्प आपूर्ति वाले क्षेत्रों और अल्प आपूर्ति वाले सार्वजनिक प्रयोजनों के वास्ते अवसंरचना तैयार करना;

(6) विकास से प्रबंधन और विकास तक परिवर्तन करना;

(7) टरब्यूलेन्ट वाटर फ्यूचर से निपटने के लिए सरकार की मशीनरी को पुनर्जीवित करना; और

(8) सुधार करने के वास्ते प्राथमिकता, क्रमबद्धता, व्यवहारिकता के आधार पर रूपरेखा तैयार करना।

अधिकांश विषयों पर राष्ट्रीय जल नीति में विधिवत रूप से प्राथमिकता दिया गया है, से संबद्ध है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वर्तमान नीतियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाइयां की जाती हैं।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक के कन्ट्री डाइरेक्टर ने जल संसाधन परियोजनाओं के वास्ते 200 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति वर्ष के मौजूदा स्तर से लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष तक विश्व बैंक द्वारा निधि आबंटन को बढ़ाये जाने का उल्लेख किया है।

(च) अनुमोदित योजना के अनुसार बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाता है और ऋण सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रगति की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है।

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र

***75. डा. अरुण कुमार शर्मा:**
श्री मणि चारेनामै:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं और इनकी कार्य-प्रणाली क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों के स्थान और इनके विशिष्ट कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति के संबंध में व्यापक प्रचार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को ऐसे केंद्रों का वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्रों का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इन्हें कितनी वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) स्कीम के अनुसार जिला उपभोक्ता केंद्रों को सूचना, संसाधन और मार्गदर्शन केंद्र के रूप में काम करना है और इनका संचालन जिला परिषदों/प्रतिष्ठित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों से प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन बोर्ड लगाने की अपेक्षा की जाती है ताकि लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चल सके।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र स्कीम के अभाव का मूल्यांकन करने के लिए 2004 में भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो की एक यूनिट समाज और अनुसंधान संस्थान द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया।

विवरण

क्र.सं.	जिला	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
मणिपुर				
1.	चन्देल	रिसोर्स सेन्टर फार सोशल वेलफेयर एण्ड कम्यूनिटी डिवलपमेंट, जाफार बाजार, पोस्ट बाक्स नं. 18, जिला चन्देल, मणिपुर	5,00,000/- रु.	4,25,000/- रु.
2.	चन्देल	मणिपुर बोर्डर एरिया डिवलपमेंट सोसायटी, पोस्ट आफिस चाकिपिकारोंग, झाप्पु बाजार, चन्देल जिला, मणिपुर	5,00,000/- रु.	5,00,000/- रु.

1	2	3	4	5
3.	थाउबल	रूरल वोल्यूंटरी सर्विसेस, वंगवल नयाइ लीकाई, जिला थाउबल-795138, मणिपुर	5,00,000/- रु.	4,25,000/- रु.
4.	पश्चिम इम्फाल	मणिपुर वूमन काआर्डिनेटिंग काउंसिल, मणिपुर यूनिवर्सिटी के सामने, कांचीपुर, इम्फाल-795003	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
5.	इम्फाल पश्चिम	ग्रीनलैण्ड डिवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सागोल बैंड, टेरोसपत, लीराक, टीर्स रोड, इम्फाल, मणिपुर-795001	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
6.	विष्णुपुर	बैकवर्ड डिवलपमेंट सर्विसेज, वेंगजिंग बाजार, जिला थूबल-795148 (मणिपुर)	5,00,000/- रु.	4,25,000/- रु.
7.	सेनापति	एस सी/एस टी, बैकवर्ड चिल्डर्न वूमन आर्गेनाइजेशन, थाउबल, खुनू, पोस्ट एण्ड जिला थाउबल, मणिपुर	5,00,000/- रु.	4,25,000/- रु.
8.	चुरा-चन्दपुर	डेडिकेटिड पिपल्स आर्गेनाइजेशन किसमपत, लीमाकम, किकाई, इम्फाल-750001, मणिपुर	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
9.	इम्फाल पूर्व	मणिपुर रूरल सर्विस एसोसिएशन, आल्ड चेकान, आनन्द सिंह हायर सैकेन्डरी अकादमी गेट, इम्फाल ईस्ट जिला, मणिपुर-785001	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
	नागालैण्ड			
1.	दीमापुर	नागालैण्ड ट्राइबल रूरल डिवलपमेंट एसोसिएशन, दीमापुर, नागालैण्ड	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
	असम			
1.	नागांव	ग्राम विकास परिषद, रंगलू पोस्ट जुमेमर, नागांव जिला असम	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
	मिजोरम			
1.	आइजोल	मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन, आइजोल, ट्रेसर स्केर, आइजोल-796001 मिजोरम	5,00,000/- रु.	5,00,000/- रु.
	सिक्किम			
1.	नार्थ डिस्ट्रिक्ट	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गैंगटोक, सिक्किम-737101	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
2.	साउथ जिला सिक्किम	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गैंगटोक, सिक्किम-737101	5,00,000/- रु.	2,50,000/- रु.
3.	ईस्ट गैंगटोक	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गैंगटोक, सिक्किम-737101	5,00,000/- रु.	4,25,000/- रु.

[हिन्दी]

चीनी विकास कोष से सहायता

*76. **श्री रामदास आठवले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात आज की तिथि तक चीनी मिलों के विस्तार और इनके आधुनिकीकरण हेतु चीनी विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित कितने प्रस्ताव राज्यवार और वर्षवार प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कोष से कितनी चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने उक्त सहायता का पूरी तरह उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चीनी मिलों द्वारा वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऋण के संवितरण और परियोजना में उसके पूर्ण उपयोग होने में सामान्य तौर पर समय का एक अंतराल होता है। इसलिए ऐसे कुछ मामले ही होंगे जिनमें एक समय विशेष में संवितरित ऋण का पूर्ण उपयोग न हुआ हो। परियोजना के पूरा होने और उसके शुरू होने तक, चीनी विकास निधि से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है।

(ङ) चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के उपयोग को मानीटर करने के लिए एक प्रणाली पहले से ही मौजूद है। ऋण के समुचित उपयोग तथा परियोजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकार की ओर से मानीटरिंग एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी किस्त और शेष ऋण, यदि कोई हो, का संवितरण पहले दी गई किस्त के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुमोदित चार्टड लेखाकार की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाता है।

विवरण I

2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 (31.10.2005 तक) वर्षों के दौरान विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु चीनी मिलों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्षवार, राज्यवार संख्या

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उत्तर प्रदेश	2	1	1	3
कर्नाटक	1	-	-	1
मध्य प्रदेश	-	1	-	-
उत्तरांचल	-	1	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	1	-
महाराष्ट्र	-	-	1	-
तमिलनाडु	-	-	-	1
कुल	3	3	3	5

विवरण II

चीनी विकास निधि से 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 (31.10.2005 तक) वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों की संख्या

वर्ष	चीनी मिलों की संख्या
2002-03	15
2003-04	7
2004-05	8
2005-06 (31.10.2005 तक)	3
कुल	33

[अनुवाद]

कपास का आयात

*77. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कपास के कम उत्पादन और उत्पादित कपास की निम्न गुणवत्ता के कारण प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कपास का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्षों में इसके आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कपास के उत्पादन में वृद्धि कर इसकी लागत को कम करने तथा इसकी गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) गत कुछ वर्षों में देश में कपास के आयात का कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाई दिया है जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2000-01	212.36	1184.73
2001-02	387.04	2053.62
2002-03	233.85	1237.61
2003-04	252.98	1570.01
2004-05 (पी)	183.06	1099.60

स्रोत-डीजीसीआईएस
पी-अनन्तिम

कपास का आयात वर्ष 2001-02 में 387.04 हजार टन के उच्च स्तर पर पहुंचा। बाद में, यह घटकर वर्ष 2002-03 में 233.85 हजार टन और वर्ष 2004-05 के दौरान 183.06 हजार टन हो गया।

फरवरी, 2000 से सरकार कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित कर रही है ताकि देश में कपास का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाई जा सके और कपास की क्वालिटी में सुधार किया जा सके।

यह मिशन कपास विकास के विभिन्न पहलुओं अर्थात् अनुसंधान, विस्तार, फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियां, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों, विपणन अवसंरचना के विकास और ओटाई (गिनिंग) तथा प्रैसिंग फैक्टरियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का समेकन करता है।

इस मिशन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण आदानों, कृमि प्रबन्धन, फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रसार, सूक्ष्म-सिंचाई को लोकप्रिय बनाने, किसानों के प्रशिक्षण, विपणन सुविधाओं के निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और ओटाई तथा प्रैसिंग फैक्टरियों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि कपास का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

खाद्य तेल का उत्पादन

***78. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेल के उत्पादन और उसके आयात से संबंधित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों से देश में खाद्य तेल का उत्पादन घट रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में और अधिक कमी आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि करने और इसकी कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों के उत्पादन तथा आयात से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलो की निवल उपलब्धता/उत्पादन	खाद्य तेल का आयात
2002-2003	46.64	43.65
2003-2004	71.64	52.95
2004-2005	76.98 (अनुमानित)	45.42 (अनुमानित)

खाद्य तेलों के उत्पादन और आयात के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) देश में खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देना, कुछ राज्यों में तिलहनों, दालों, तेल ताड़ और मक्का की केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना कार्यान्वित करना, तेल ताड़ विकास के लिए वित्तीय सहायता देना, प्रजनक बीज की खरीद के लिए सहायता देना, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन करना आदि शामिल हैं। नारियल के तेल के सिवाय खाद्य तेलों के आयात की भी खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी गई है।

फास्फोरिक एसिड की कमी

***79. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पादित उर्वरक की मात्रा घरेलू मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है जिसके कारण भारी मात्रा में उर्वरक का आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिए फास्फोरिक एसिड जैसी कच्ची सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक नहीं मिल पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) देश ने नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की उत्पादन क्षमता की स्थापना के रूप में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। वर्तमान में यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और आंशिक संचलन नियंत्रण के अंतर्गत है। अन्य सभी उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

जहां तक यूरिया का संबंध है, गत वर्ष के दौरान अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था जिसके चालू वर्ष में और बढ़ने की आशा है। तथापि, मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण आयात भी किया जा रहा है ताकि मांग की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

जहां तक फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन का संबंध है, यह पर्याप्त मात्रा में और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आयातित कच्चे माल और मध्यवर्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है। हालांकि फास्फेटयुक्त कच्चे माल और मध्यवर्तियों को असारणीबद्ध कर उनके आयात को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है, तथापि चालू मौसम के दौरान फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए अत्यावश्यक मध्यवर्ती फास्फोरिक एसिड की पर्याप्त उपलब्धता में कठिनाई आती रही है। इसके कारण डीएपी का उत्पादन कम हुआ है फलतः अधिक आयात करना पड़ रहा है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हों और इस प्रयोजन से उर्वरक उत्पादकों द्वारा सीधे आयात किए जाने के अतिरिक्त सरकार आयातित डीएपी का बफर स्टाक रख रही है ताकि उत्पादन और उपलब्धता में होने वाली किसी प्रकार की कमी को पूरा किया जा सके।

पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता आयात से ही पूरी की जाती है और यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग तथा राज्य सरकारों से भलीभांति समन्वय कर सभी प्रमुख उर्वरकों की मांग और पूर्ति की स्थिति पर गहन निगरानी रख रही है।

बी.पी.ओ. क्षेत्र में कर्मचारियों की कार्य दशाएं

***80. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य दशाओं के संबंध में श्री वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीच्यूट द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का बी.पी.ओ. सेक्टर के कर्मचारियों की कार्य दशाओं की निगरानी करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्न श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को श्रम से संबंधित मुद्दों के बारे में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अधिदेश प्राप्त है। इसके संकाय को अनुसंधान परियोजनाओं के विषय-वस्तु के चयन में पर्याप्त शैक्षणिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस प्रथा के अनुसार, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में श्रमिकों से सम्बन्धित

माइक्रो-स्तर का अध्ययन संस्थान के एक एसोसिएट फेलो द्वारा कराया गया था। यह अध्ययन वर्ष 2003 के दौरान कराया गया था। इस अध्ययन की रिपोर्ट नोएडा, (उ.प्र.) में 6 काल सेन्टरों के 277 उपभोक्ता केयर एजेन्टों के बीच कराए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित थी। इस प्रकार, यह अध्ययन सीमित भौगोलिक क्षेत्र के काल सेन्टरों के एजेन्टों के प्रत्युत्तरों पर ही पूर्ण रूप से आधारित था।

इस अध्ययन में उद्योग को दीर्घकाल तक सशक्त बनाए रखने के लिए काल सेन्टरों के एजेन्टों के कार्य अनुभवों का मूल्यांकन मानव संबंधों की क्षमताओं और संभावित समस्याओं को सामने लाने के लिए किया गया है। यह उद्योग में सभी कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और देश में समस्त बी.पी.ओ. क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में व्यक्त दृष्टिकोण संस्था अथवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का न होकर सम्बन्धित अनुसंधानकर्त्ता का है।

बी.पी.ओ. मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारें विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत "समुचित सरकार" हैं और बी.पी.ओ. क्षेत्र में श्रम कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं।

भूमि-अपरदन

***81. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि का अपरदन तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमि अपरदन की उच्च दर से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भूमि के अपरदन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) जी, हां। भूमि संघटन (सायल फार्मेशन) और कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ईको-सिस्टम में सन्तुलन बनाए रखने के साथ-साथ होती रहती है। अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक संसाधनों के अवैज्ञानिक रीति से प्रयोग और अन्य कारणों से भूमि अनाच्छादन प्राकृतिक फार्मेशन से अधिक होता है। उपलब्ध आकलन के अनुसार देश में भूमि कटाव की औसत दर प्रति वर्ष 16.4 टन प्रति हैक्टेयर है जबकि 5.3 बिलियन टन से अधिक भूमि प्रति वर्ष जल कटाव के माध्यम से क्षतिग्रस्त होती है, परिणामस्वरूप लगभग 8 मिलियन टन पौध पोषक तत्व की वार्षिक हानि होती है। राष्ट्रीय भूमि सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एवं. एल.यू.पी.) द्वारा अभी हाल ही में कराए गए अध्ययन के अनुसार 328.60 मिलियन हैक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146.82 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र (45%) का विभिन्न रूपों से भूमि अपरदन (डीग्रेशन) हो रहा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	भूमि अपरदन का वर्ग	क्षेत्र का आकार मिलियन हैक्टेयर में
1.	जल कटाव	93.68
2.	वायु कटाव	9.48
3.	जल भराव	14.30
4.	लवणीयता/क्षारीयता	5.95
5.	मृदा अम्लीयता (एसडीटी)	16.03
6.	मिश्रित समस्या	7.38
	कुल अपरदित क्षेत्र	146.82

केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित कराए गए कुछ विशिष्ट मामलों में यह पाया गया है कि ऊपरी (टाप) मृदा की हानि से फसलों के उत्पाद में और किसानों की आय में कमी हो रही है। कृषि उत्पादकता बनाए रखने के विचार से भारत सरकार ने देश में भूमि अपरदन और मृदा कटाव के नियंत्रण के लिए पनधारा विकास संबंधी व्यापक स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार किया है। विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी किया जा रहा है, वे हैं:-(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.) के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित (डीग्रेडिड) भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये मृदा संरक्षण, (3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (4) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.एस.एस.), (5) अपरदित भूमियों के विकास के लिए बाह्य

सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.), (6) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (7) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) (8) समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), और (9) राष्ट्रीय वनरोपण और ईको-विकास परियोजना (एन.ए.ई.पी.)। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से मार्च, 2005 तक 28.533 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का 14577.32 करोड़ रुपये के व्यय से विकास कर लिया गया है जिसका स्कीम-वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

योजना आयोग द्वारा गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पनधारा विकास, वर्षा सिंचित कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यदल ने पनधारा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 20 वर्षों में 88.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के विकास के लिए एक संदर्शी योजना का सुझाव दिया है। तदनुसार 21.4 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत उपचार करने का प्रस्ताव किया गया है जिसकी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6422.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत होगी।

विवरण

विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके प्रारम्भ से मार्च, 2005 तक विकसित की गई अपरदित भूमि

(लाख हैक्टेयर क्षेत्र और करोड़ रुपये में व्यय)

क्र.सं.	मंत्रालय/ स्कीम और शुरू करने का वर्ष	इसके प्रारम्भ से नौंवी योजना तक उपचारित क्षेत्र और व्यय		दसवीं योजना के के प्रथम तीन वर्षों में उपचार किया गया क्षेत्र और व्यय (2002-05)		प्रारम्भ से लेकर मार्च, 2005 तक कुल उपचारित क्षेत्र और व्यय	
		क्षेत्र	खर्च	क्षेत्र	खर्च	क्षेत्र	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग							
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990-91)	69.79	1877.74	9.55	519.82	79.34	2397.56
2.	आरवीपी और एफपीआर (1962 और 81)	54.88	1516.26	5.99	377.91	60.87	1894.17
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए (1974-75)	2.58	166.27	0.60	60.16	3.18	226.43
4.	आरएएस (1985-86)	5.81	76.39	0.78	20.25	6.59	96.64
5.	ईएपी	15.00	2071.01	8.63	2685.25	23.63	4756.26
	उप योग	148.06	5707.67	25.55	3663.39	173.61	9371.06
(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय							
1.	डीपीएपी (1973-74)	13.79	897.67	12.50	844.39	26.29	1742.06
2.	डीडीपी (1977-78)	6.70	686.02	8.00	614.99	14.70	1301.01
3.	आईडब्ल्यूडीपी (1988-89)	37.36	461.26	24.60	848.94	61.96	1310.20
	उप योग	57.85	2044.45	45.10	2308.92	102.95	4353.37

1	2	3	4	5	6	7	8
(ग)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय						
1.	एनएईपी (1989-90)	4.76	383.82	4.01	469.07	8.77	852.89
	कुल (क+ख+ग)	210.67	8135.94	74.66	6441.38	285.33	14577.32

संक्षिप्त नामों का विवरण:–

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. – वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. – नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी

डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. – झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना

आर.ए.एस. – क्षारीय मृदा का उपचार

ई.ए.पी. – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

डी.पी.ए.पी. – सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

आई.डब्ल्यू.डी.पी. – समेकित पनधारा विकास परियोजना

एन.ए.ई.पी. – राष्ट्रीय वनरोपण और ईको-विकास परियोजनाएं

शेड्यूल-एम और औषधि उद्योग

626. श्री महबूब जाहेदी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल शेड्यूल-एम औषध उत्पादन प्रणाली को नियंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के 250 औषधि-विनिर्माता इस प्रणाली पर केन्द्रीय विधान बनाने के कारण आगामी नवम्बर की अवधि में सरकारी निविदा जमा कराने की अपनी पात्रता खो देंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह दु:खद स्थिति शेड्यूल-एम कानूनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है जिसमें औषधि विनिर्माताओं के लिए विभिन्न प्रभागों हेतु पृथक से पर्याप्त भूमि होना अपेक्षित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटी और मध्यम दर्जे के औषधि उद्योगों को बचाने हेतु इस प्रणाली को संशोधित करने हेतु राज्यों के साथ बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी हां। औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली की अनुसूची-एम में बेहतर विनिर्माण परंपराओं की अपेक्षाओं का प्रावधान है जिसका देश में सभी औषध विनिर्माण इकाइयों को पालन करना होता है। इन प्रावधानों को राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

(ख) औषध नियंत्रक प्रशासन, पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि आगामी नवम्बर अवधि में पश्चिम बंगाल के 250 औषध उत्पादकों की सरकारी निविदा जमा करने की पात्रता नहीं रहेगी।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

भेषज उद्योग में अनुसंधान

627. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं को भारत में भेषज उद्योग में अनुसंधान करने हेतु कठोर पशु परीक्षा विनियमन प्रणाली का पालन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भेषज अनुसंधान को सुकर बनाने हेतु पशु परीक्षणों के लिए स्वीकृति देने संबंधी मानदंडों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पशुओं पर अनुसंधान को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत बनाए गए और 2001 में यथासंशोधित पशुओं के प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियमावली, 1998 द्वारा विनियमित किया जाता है। अतः पशु अनुसंधान करने वाली प्रत्येक संस्था को इस नियमावली में विनिर्दिष्ट मानदंडों का पालन करना होता है। ये मानदंड किसी भी तरह से कठोर नहीं है परन्तु ये काफी उचित हैं और इन्होंने अनुसंधान संस्थाओं को अपनी पशु घर सुविधाओं में सुधार करने में सहायता की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादकों को प्रतिधारण मूल्य और राजसहायता प्रदान करना

628. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की विभिन्न किस्मों के उत्पादकों को इकाई-वार प्रति टन दी गई राजसहायता और प्रतिधारण मूल्य हेतु निधारित किए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न शीर्षों में प्रतिधारण मूल्य के एक भाग के रूप में प्रति टन राशि देते समय किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है; और

(ग) प्रतिधारण मूल्य के एक भाग के रूप में प्रति टन उत्पादन पर प्रत्येक इकाई को दी गई पूंजीगत लागत का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) वर्तमान में यूरिया एकमात्र ऐसा नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य, आंशिक वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है तथा राजसहायता/रियायत के लिए पात्र है। प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत प्रतिधारण मूल्य दिनांक 1.4.2003 से समाप्त कर दिया गया है। यूरिया इकाइयों के लिए समूह आधारित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) दिनांक 1.4.2003 से शुरू की गई है तथा विशेष समूहों से संबंधित यूरिया इकाइयों को 31.3.2003 तक प्रतिधारण मूल्यों के औसत के आधार पर निकाली गई रियायत दर के अनुसार यूरिया उत्पादक इकाइयों को प्रतिटन यूरिया का भुगतान किया जा रहा है। देय रियायत दर एक मिश्रित आंकड़ा है इसलिए विभिन्न शीर्षों में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। देय रियायत दर को फीडस्टाक, ईंधन, क्रय की गई बिजली और पानी के मूल्य में हुई वृद्धि/कमी के अनुसार समायोजित किया जाता है। रियायत दर और यूरिया के सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर को यूरिया उत्पादक इकाइयों को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। इकाईवार रियायत की अद्यतन दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	रियायत दर (रुपए/मी.टन)	बिक्री कर (रुपए/मी.टन)	कुल (रुपए/मी.टन)
1	2	3	4	5
	फीडस्टाक: गैस (1992 से पूर्व)			
1.	बीवीएफसी-नामरूप-III	5048	225	5273
2.	इफको-आंवला-I	5265	149	5414
3.	इंडोगल्फ-जगदीशपुर	6768	179	6947
4.	कृभको-हजीरा	4963	292	5255
5.	एनएफएल-विजयपुर-I	5504	175	5679

1	2	3	4	5
	फीडस्टाक: गैस (1992 से बाद)			
6.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा-I	6395	323	6718
7.	सीएफसीएल-गडेपन-I	7843	165	8008
8.	टीसीएल-बबराला	7747	182	8129
9.	ओसीएफएल-शाहजहांपुर	7711	172	7883
10.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा-II	9674	370	10044
11.	इफको-आंवला-II	5814	142	5956
12.	एनएफएल-विजयपुर-II	7915	206	821
	फीडस्टाक: नेफ्था (1992 से पूर्व)			
13.	इफको-फूलपुर-I	14422	346	14768
14.	एमसीएफएल-मंगलौर	15284	586	15870
15.	एमएफएल-मद्रास	17499	465	17964
16.	एसएफसी-कोटा	14264	384	14648
17.	स्पिक-तूतीकोरिन	15778	325	16103
18.	जैडआईएल-गोवा	15679	1772	17451
	फीडस्टाक: नेफ्था (1992 के बाद)			
19.	इफको फूलपुर-II	14652	336	14988
20.	सीएफसीएल गडेपन-II	14717	427	15144
	फीडस्टाक: ईंधन तेल/एलएसएचएस			
21.	जीएनएफसी-भरूच	8204	608	8812
22.	एलएफएल-नांगल	12848	281	13129
23.	एनएफएल-भटिंडा	11966	283	12249
24.	एनएफएल-पानीपत	11981	300	12281
	फीडस्टाक: मिश्रित			
25.	जीएसएफसी-वडोदरा	7186	459	7645
26.	इफको-कलोल	7865	675	8540
27.	आरसीएफ-थाल	9579	280	9859

भीमा और कृष्णा नदी में बाढ़

629. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र द्वारा सूचना दिए बिना अपने जलाशयों से अंधाधुंध पानी छोड़ने के बारे में अभ्यावेदन भेजा है जिसके कारण कृष्णा और भीमा नदी के किनारे के गांवों में बाढ़ आ गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय पर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले और केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अपने जलाशयों से पानी न छोड़ने के बारे में किस हद तक राजी कर लिया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने कृष्णा नदी में बाढ़ की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए 22 अगस्त, 2005 को कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक कराई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों सरकारें सम्बन्धित आंकड़ों और कराए गए अध्ययनों का आदान-प्रदान करेंगी, केन्द्रीय जल आयोग अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए दोनों राज्यों के तकनीकी अधिकारियों की बैठक आयोजित करेगा और कम से कम संभावित समय में अध्ययन पूरा करने के लिए कार्य योजना की रूप रेखा प्रस्तुत करेगा।

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के विकास हेतु योजनाएं

630. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने इस्को का और विकास करने संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'सेल' को 'इस्को' तथा इसकी कोयला खदानों और खानों में विभिन्न सुविधाओं को उन्नत बनाने हेतु धनराशि का निवेश करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए एक निगमित योजना मंजूर की गई है जिसमें 8017 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। इस योजना में अपरिष्कृत इस्पात के वर्ष 2004-05 में हुए 0.35 मिलियन टन के उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2011-2012 में 2.0 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में चिरिया खानों के विकास और अन्य खानों तथा कोयला खदानों में उपयुक्त निवेश करने की भी परिकल्पना की गई है।

इस्को ने निगमित योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

"सरिस्का" पर सीबीआई की रिपोर्ट

631. श्री रनेन बर्मन:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का में कोई बाघ नहीं बचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरिस्का के पुनरुद्धार हेतु कोई कार्य-योजना बनाई गई है क्योंकि यह विश्व भर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट में दर्शाया है कि सरिस्का में बाघ की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं है और बाघों

की पूरी संख्या मुख्यतः अवैध शिकार के कारण लुप्तप्राय सी हो गई है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जुलाई 2002 से अवैध शिकारियों के कम से कम 2-3 संगठित नेटवर्क बाघ रिजर्व में बाघों और तेंदुओं के अवैध शिकार में शामिल थे।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच टीम के माध्यम से सरिस्का से बाघों के लुप्त होने की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों (अवैध शिकारियों) की संभावित भूमिका और वन विभाग स्टाफ की संभावित मिलीभगत जांच का मुख्य विषय है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार को बाघों की संख्या को बढ़ाने की पहल के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के परामर्श से विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में वन विकास

632. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में वनों के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) इस राज्य में वन विकास हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वन और वन्यजीव क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं प्राप्त हुई है। उनका ब्यौरा इस प्रकार हैः

* एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 248.50 लाख रुपये की धनराशि वाले वर्ष 2005-06 के वार्षिक कार्यक्रम पर कार्रवाई की जा रही है।

* चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 17 सुरक्षित क्षेत्रों के लिए 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास योजना के अंतर्गत प्रचालन वार्षिक योजना। सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में 182.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2004-05 के लिए कुल अनुमोदित राशि 397.217 लाख रुपये है।

* बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित 2 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार से आगे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    (1) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए चन्दका वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा, भारत में पारिपर्यटन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना।

    (2) अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी), ब्रिटेन से अनुदान के लिए उड़ीसा में भूमि प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव।

* वन विकास अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने हेतु उड़ीसा राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान योजना अवधि के दौरान अब तक 40 प्रस्ताव भेजे हैं। प्राप्त हुए 40 प्रस्तावों में से 34 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और 6 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

* राज्य से प्राप्त हुई बांस विकास परियोजना, कृषि मंत्रालय को राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम के तहत विचारार्थ प्रेषित की गई है।

जैविक खाद

633. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जैविक खाद हेतु राजसहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) जैविक खादों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

(1) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंध को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें जैविक खादों तथा जैव-उर्वरकों के साथ रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण के आधार पर युक्तिसंगत उपयोग शामिल है।

(2) "उर्वरकों के संतुलित व समेकित उपयोग" जिसे अब कृषि के वृहद प्रबंध में समाहित कर लिया गया है, संबंधी स्कीम के तहत जैविक रूप से विखण्डन के योग्य शहर के अपशिष्ट को कम्पोस्ट में बदलने के लिए यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(3) सरकार ने 9वीं योजना के दौरान "जैव-उर्वरकों के विकास व उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" के तहत जैव-उर्वरक यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जिसमें प्रति यूनिट 20 लाख रु. दिए गए।

(ख) से (घ) सरकार ने अक्तूबर, 2004 से "जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" संबंधी एक नई स्कीम की शुरूआत की है तथा इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के जरिए ऋण से सम्बद्ध बैक-एन्डेड सब्सिडी के रूप में फल एवं सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिटों के लिए 40.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 25% की दर पर जैविक आदान उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए, जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों के लिए 20.00 लाख रु. तथा प्रति यूनिट वर्मी कल्चर हैचरियों के लिए 1.50 लाख रु. की राजसहायता दी जा रही है।

वनों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पुनर्वास

634. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन भूमि पर रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनर्वास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं.

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

635. श्री हितेन बर्मन: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 में किसी नई परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राज्य-वार परियोजना संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए/स्वीकृत किए गए/अस्वीकार किए गए और लंबित पड़े हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाओं की स्थापना नहीं करती है। तथापि, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार/स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 50 लाख रुपये और 75 लाख रुपये है। एक विवरण जिसमें प्राप्त, मंजूर किए गए परियोजना संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या आदि दर्शाई गई है, संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं अतः देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार कुल संख्या से संबंधित सूचना मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

राज्य	कुल प्राप्त	अनुमोदित	लंबित	बंद किए गए	खारिज किए गए
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	391	52	111	181	47
अंडमान निकोबार	1	0	0	0	1
अरूणाचल प्रदेश	5	1	0	4	0
असम	64	20	21	18	5
बिहार	17	4	5	4	4
छत्तीसगढ़	15	1	7	4	3
दिल्ली	16	1	4	6	5
गोवा	11	5	2	2	2
गुजरात	103	27	35	30	11
हरियाणा	81	15	25	29	12
हिमाचल प्रदेश	35	15	9	7	4
जम्मू-कश्मीर	55	14	17	21	3
झारखण्ड	7	2	3	1	1
कर्नाटक	184	39	64	64	17
केरल	92	20	30	28	14
एल.एम. एंड ए. द्वीपसमूह	2	0	0	0	2
मध्य प्रदेश	72	17	25	19	11
महाराष्ट्र	411	89	161	123	38
मणिपुर	80	24	4	35	17
मेघालय	17	4	5	5	3
मिजोरम	11	2	0	4	5
नागालैण्ड	64	2	3	9	50
उल्लेख नहीं	6	0	6	0	0
उड़ीसा	62	10	11	27	14
पांडिचेरी	8	3	2	2	1
पंजाब	183	51	29	86	17

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	104	9	48	27	20
सिक्किम	1	0	0	1	0
तमिलनाडु	187	44	54	65	24
त्रिपुरा	17	4	1	8	4
उत्तर प्रदेश	189	62	51	54	22
उत्तरांचल	28	8	13	6	1
पश्चिम बंगाल	131	34	46	39	12
कुल	2650	579	792	909	370

चिड़ियाघर में पक्षियों/पशुओं की स्थिति

636. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश चिड़ियाघरों में बड़ी संख्या में पशुओं और पक्षियों को छोटे पिंजरों में रखा जाता है जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पशुओं और पक्षियों के उचित रख-रखाव हेतु चिड़ियाघरों के कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा करने तथा उनके आसपास के वातावरण को उनके अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों में पशुओं और पक्षियों को इस उद्देश्य से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर कार्मिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। चिड़ियाघर निदेशकों और पर्यवेक्षकों के लिए 10 दिन की अवधि का कोर्स एक वर्ष छोड़कर आयोजित किया जाता है। प्राणि उद्यान पालकों के लिए 20 दिन अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चयनित भारतीय चिड़ियाघरों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, चिड़ियाघर आधिकारियों को चिड़ियाघर प्रबंधन में प्रशिक्षण हेतु विदेश के लिए नामित किया जाता है।

(घ) चिड़ियाघरों में पशुओं और पक्षियों की उचित देखरेख के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित किए है। इन मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए चिड़ियाघरों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। अनुपालन न करने वाले चिड़ियाघरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है यहां तक कि इनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

पशु आवास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन और चिड़ियाघरों के समग्र सुधार के लिए जरूरतमंद चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है।

भूजल पर आईडब्ल्यूएमआई की रिपोर्ट

637. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-जल के कम होने संबंधी अन्तरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) आईडब्ल्यूएमआई की सिफारिशों के आधार पर भू-जल के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को वार्षिक साझा (एनुअल पार्टनर्स) बैठक, 2002 के दौरान भारत में भूजल संसाधनों की गिरावट के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है। इस रिपोर्ट में गिरावट, लवणीकरण और प्रदूषण की तीन प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिनके दूरगामी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव होंगे तथा संसाधन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं:-

(क) **सूचना प्रणाली और संसाधन आयोजना:**-नियमित आधार पर भूजल मानीटरिंग के लिए उपयुक्त प्रणालियों के माध्यम से भूजल संसाधन को समझना और इस संसाधन के उपयोग की आयोजना करने में मानीटरिंग आंकड़ों को शामिल करना। इसके साथ ही भूजल की विद्यमानता, प्रयोग और संवर्धन तथा प्रबंधन के तरीकों पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना।

(ख) **मांग आधारित प्रबंधन:**-परमिट अथवा लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ताओं का पंजीकरण; उपयुक्त कानून तथा नियामक तंत्र; मूल्य निर्धारित प्रणाली, संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना; सुनिश्चित सिंचाई और जल बचत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा दृष्टिकोण आदि सहित स्थाई स्तरों तक निकासी का विनियमन करने के लिए प्रभावी प्रणाली।

(ग) **आपूर्ति आधारित प्रबंधन:**-समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों, पुनर्भरण के लिए सतही जल उपयोग को अधिकतम करना और जल संरक्षण तथा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रोत्साहन में सुधार लाते हुए भूजल पुनर्भरण का संवर्धन।

(घ) **नदी बेसिन के संबंध में भूजल प्रबंधन:**-भूजल संसाधन की आयोजना और प्रबंधन अधिकतम बेसिन स्तर की क्षमता के आधार पर करनी होगी जिसमें पुनर्भरण के लिए बेसिन पार प्रवाह अथवा सुनिश्चित सतही जल प्रणाली शामिल हो।

(ग) "जल" राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों में गिरावट की स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

सूचना प्रणाली और संसाधन आयोजना के संबंध में उठाए गए कदम:-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(2) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) लगभग 15,000 राष्ट्रीय मानीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में भूजल स्तरों की मानीटरी करता है।

(3) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबी.एनईटी) शुरू करना।

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(5) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

मांग आधारित प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:-

(1) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया जिसे 1992 और 1996 में पुनः परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः परिचालित किया गया है।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल

संसाधनों के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(3) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण उद्योगों/परियोजनाओं के द्वारा भूजल की निकासी का विनियमन कर रहा है। इन गंभीर क्षेत्रों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को परिचालित कर दी गई है जो अनुमति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के नए उद्योगों/परियोजनाओं से संबंधित हैं।

आपूर्ति आधारित प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:–

(1) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(4) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 2000 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराये हैं।

(5) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली में 100 वर्गमीटर और उससे अधिक के भूखंडों पर सभी नये भवनों में वर्षा जल सहित जल अपवाह के भंडारण के माध्यम से जल संचयन संबंधी प्रावधान को अनिवार्य करते हुए भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन किया है। इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशेष मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

(6) नौवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

नदी बेसिन के संदर्भ में भूजल प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:–

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत, मृदा और जल संरक्षण कार्य सहित, विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि आबंटित की जाती है। तथापि, गिरते भूजल स्तर, जो कि वाटरशेड क्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभ किए गए नमी संरक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक कार्यकलाप है, के लिए विशेष रूप से निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(2) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त मानसून अपवाह के 36453 मिलियन घनमीटर की मात्रा का पुनर्भरण किए जाने की योजना है।

कृषि विकास और नीति संबंधी सीमिति

638. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विकास और नीति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक समन्वय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन मुख्य क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें नई नीति पहल किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कृषि समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्माण करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करना और नियोजन तथा

इसके क्रियान्वयन में अन्तर्क्षेत्रीय (इन्टर-सेक्टोरल) और अन्तर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा देना है। इस समिति की संरचना इस प्रकार है-

1. प्रधान मंत्री, अध्यक्ष
2. कृषि तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के मंत्री
3. रसायन एवं उर्वरक मंत्री
4. वित्त मंत्री
5. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
6. जल संसाधन मंत्री
7. ग्रामीण विकास मंत्री
8. खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री
9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
10. उपाध्यक्ष, योजना आयोग
11. अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार परिषद्
12. अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान आयोग
13. सदस्य (कृषि) योजना आयोग
14. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव: संयोजक

संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव स्थायी रूप से आमंत्रितगण होंगे। अध्यक्ष संदर्भानुसार मंत्रियों/अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे।

(ग) और (घ) समिति उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पहचान कार्य में संलग्न है जिसके लिए नई नीति, विशेषकर अन्तर्क्षेत्रीय (इन्टर सेक्टोरल) प्रकृति की, की जरूरत है।

कृषि पर अंतरराष्ट्रीय परियोजना

639. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में विशेषकर असम में आज की तारीख में कृषि संबंधी चालू अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं में निर्वाचित जन प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) असम में कार्यरत किसान विज्ञान केन्द्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे केन्द्रों की स्थापनाओं में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में पर्यटन परियोजनाएं

640. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम की बारक घाटी जिलों के संबंध में पर्यटन की कई परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से कितनी सहायता की मांग की गई है और कितनी दी गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान अक्तूबर 2005 तक विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत असम सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 20.77 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

सिंचाई परियोजनाओं हेतु आंध्र प्रदेश को सहायता

641. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रनहिता-चेवेला, इचमपल्ली और दुम्मुगुडेय, नागार्जुनसागर टेल पोंड लिंक

परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के तौर पर चलाने हेतु सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) राज्य की सिंचाई मांग को पूरा करने के लिए यह किस हद तक सहायक होगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 21.8.2005 को माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित अपने पत्र में अनुरोध किया है कि भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं नामत: (1) प्रनहिता-चेवेल्ला परियोजना (2) इंचमपल्ली और (3) दुम्मुगुडेम नागार्जुनसागर टेल रेस पांड लिंक परियोजनाओं पर राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में विचार किया जाये और यह कि राज्य सरकार को राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज के रूप में 25,000/- करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर सहायता दी जाये।

(ख) और (ग) इस समय भारत सरकार ने "राष्ट्रीय परियोजना" की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया है।

[हिन्दी]

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

642. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आवश्यक वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता के कारण सिंचाई से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो बढ़ी हुई लागत सहित लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए गुजरात को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार ऐसी अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया करा रही है जो पूरा होने की अंतिम अवस्था में है और राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में 3 वृहद और 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं, जिन्हें पिछली योजनाओं से आगे लाया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 1996-97 से अक्तूबर, 2005 तक एआईबीपी के तहत गुजरात सरकार को निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते 4314.922 करोड़ रुपये की सीएलए/अनुदान मुहैया कराया गया है।

विवरण I

गुजरात की दसवीं पंचवर्षीय योजना की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

(करोड़ रु./क्षमता हजार हैक्टेयर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	नौवीं योजना तक व्यय	3/2004 तक संभावित व्यय	चरम क्षमता	नौवीं योजना तक सृजित क्षमता	मार्च, 2004 तक संभावित सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	6	8
वृहद परियोजनाएं							
1.	सरदार सरोवर (आईएस)	30823.00	12663.76	16659.28	1792.00	130.75	251.11
2.	जखारी	90.00	5.07	5.07	17.54	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	6	8
3.	सिदम्बर	205.35	0.26	0.36	17.41	0.00	0.00
	कुल	31118.35	12669.09	16664.71	1826.95	130.75	251.11
मध्यम परियोजनाएं							
1.	मुक्तेश्वर	46	40.97	44.1	4.79	3.3	5.69
2.	उन्द-II	64	59.07	62.32	5.31	0.8	1.95
3.	गोमा	47.59	12.66	12.87	4.89	0	0
4.	कोल्यारी	26	15.6	19.38	1.91	0.15	0.15
5.	ओजट-II	86.2	68.73	74.19	9.4	3	3.2
6.	वर्तु-II	57.15	52.45	56.06	6.17	4.5	5.3
7.	लिम्बडी भोगावो-II	41.41	34.58	36.81	4.51	0.5	0.5
8.	अजी-IV	111.77	81.34	91.25	3.75	0.93	0.93
9.	बकरोल	23.86	4.97	4.97	4.5	0	0
10.	भादर-II	119.3	67.62	78.69	8.57	0.5	0.5
11.	डेमी-III	36	31.13	38.37	2.6	0.15	0.15
12.	गुन्डा (उतावली)	37	29.03	31.13	1.94	0	0
13.	मेन	8.72	0.59	0.59	6.48	0	0
14.	सिंगर	20	3.17	5.55	2.2	0	0
15.	वरानसी	19.6	9.6	12.75	1.81	0	0
16.	कुन्ताली	43.99	5.09	5.18	3.16	0	0
17.	ब्राह्मणी-II	41.5	4.53	5.74	2.06	0	0
18.	चिनचाई एलआईएस	13.35	7.65	11	7	0	0
	कुल	843.44	528.78	590.95	81.05	13.83	18.37

आईएस-अंतर्राज्यीय

विवरण II

गुजरात सरकार को 1996-97 से 2005-06 तक एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए)/अनुदान

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल सीएलए/अनुदान
1.	सरदार सरोवर	3865.250
2.	झुज (सी)	4.740
3.	सिपु (सी)	6.455
4.	मुक्तेश्वर	10.863
5.	हरनव-II (सी)	0.065
6.	उमारिया (सी)	0.135
7.	दमनगंगा (सी)	9.470
8.	करजन (सी)	7.600
9.	सुखी (सी)	5.650
10.	देव (सी)	0.500
11.	वतरक कदाना आरबी नहर (सी)	3.110
12.	अजी-IV	11.108
13.	ओजट-II	12.110
14.	ब्राह्मणी-II	4.000
15.	भादर-II	0.866
	उप-जोड़ 1	3941.922
	फास्ट ट्रैक कार्यक्रम (एफटीपी) के तहत जारी सीएलए	
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफटीपी-I)	188.000
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफटीपी-II)	185.000
	उप-जोड़ 2	373.000
	कुल	4314.922

(सी)-पूर्ण

[अनुवाद]

भारी वर्षा के कारण फल व सब्जी की फसल प्रभावित होना

643. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारी वर्षा ने विशेषकर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा गोवा में इस वर्ष फल व सब्जी की फसल को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़ों तथा वर्ष 2005 के दौरान अपेक्षित फलों व सब्जियों का मुख्य किस्मों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष विभिन्न फलों व सब्जियों का निर्यात संभावित रूप से घटने या बढ़ने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित किसानों को राज्य-वार क्या सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। इस वर्ष भारी वर्षा से महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों में विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य से किसी प्रकार के फसल हानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

महाराष्ट्र में 5,698 हैक्टेयर क्षेत्र में फलों और 25,288 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। गुजरात में 4453 हैक्टेयर क्षेत्र में फलों और 18466 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की खेती वर्षा से प्रभावित हुई है।

गोवा में 97.22 हैक्टेयर क्षेत्र में फलों की फसल पर भारी वर्षा का प्रभाव पड़ा है। हालांकि, इस राज्य से सब्जियों की फसल के खराब होने की कोई खबर नहीं आयी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान होने वाले उत्पादन का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में फलों और सब्जियों के निर्यात में 11 प्रतिशत की गिरावट आयी है। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने बागवानी और सस्य फसलों के लिए 307.50 करोड़ रु. दिए हैं। गुजरात सरकार ने राज्य कोष से 400.00 लाख रु. और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 89.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है। गोवा सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को 5000 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विवरण I

गुजरात में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन

(उत्पादन मीटरी टन में)

फसलें	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
फल			
आम	2400	2400	2400
चीकू	1136	1136	1136
नीबू जाति	18733	18733	18733
केफल	8070	8070	8070
बेर	9720	9720	9720
केला	9785	9785	9785
अमरूद	4632	4632	4632
अनार	100	100	100
खजूर	20520	20520	20520
पपीता	196	196	196
कस्टर्ड एपल	2030	2030	2030
आंवला			
सब्जियां			
आलू	45700	45700	45700
प्याज	3900	3900	3900
वैगन	33150	33150	33150
बन्द गोभी	13050	13050	13050
ओकरा	11040	11040	11040
टमाटर	28070	28070	28070
फूलगोभी	11250	11250	11250
फलियां	7600	7600	7600

स्रोत: राज्य बागवानी विभाग

*2004-05 के आंकड़े और 2005-06 के प्रक्षेपण राज्य बागवानी बोर्ड से प्राप्त नहीं हुए हैं।

*महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों का उत्पादन**

(उत्पादन मीटरी टन में)

फसलें	2002-03	2003-04	2004-05
फल			
केला	3607590	4468635	4534628
चीकू	20537	23181	2443
अमरूद	203004	207296	212305
अंगूर	988722	1163051	1233863
आम	615910	429841	434320
अनार	509480	532977	568241
लाइम	122094	129756	132662
संतरा	881478	700478	718358
मोसम्बी	554115	563692	587023
सब्जियां			
बैंगन	499424	498269	473720
फलिया	137772	148528	139237
बंद गोभी	336375	343731	348894
फूल गोभी	296000	302089	283969
ओकरा	161454	169199	160506
प्याज	1427088	1434525	1422252
मटर	23680	25268	22378
आलू	161450	172978	163251
टमाटर	843555	892034	884016

स्रोत: राज्य बागवानी विभाग

*2004-05 के आंकड़े और 2005-06 के प्रक्षेपण राज्य बागवानी बोर्ड से प्राप्त नहीं हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन

(उत्पादन मीटरी टन में)

फसल	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (प्रक्षेपित)
सेब	348263	448742	527601	538193
अन्य समशीतोष्ण फल	63026	52733	60202	47656
नट	3256	1835	3726	2675
नीबू जाति के फल	16027	46424	28554	28931
अन्य उपोष्ण कटिबंधीय फल	29051	39890	71926	58672
योग	459623	589624	692009	676127

स्रोत राज्य बागवानी विभाग

गोवा में फलों और सब्जियों का क्षेत्र और उत्पादन

(उत्पादन मीटरी टन में)

फसल	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (प्रक्षेपित)
आम	17532	17800	18700	19200
केला	15743	16900	19755	16000
अनन्नास	4500	4500	4520	5000
अन्य फल	35000	35100	38600	40000
सब्जियां	70467	72322	74725	84000

स्रोत: अन्य बागवानी विभाग

विवरण II

भारत से बागवानी उत्पादों का निर्यात

(मात्रा: मीटरी टन
मूल्य: करोड़ रु. में)

उत्पाद	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्याज	441850	332.43	588712	361.80	859939	715.87	833210	621.09
ताजी सब्जियां	170090	249.88	183020	287.64	188321	252.28	181957	224.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अखरोट	7412	117.98	7631	121.23	6418	101.43	5674	92.83
आम	44429	80.99	38003	84.19	60551	110.52	52382	86.95
अंगूर	14606	60.21	25681	110.15	26748	105.89	35936	110.67
अन्य फल	110521	146.12	90608	121.74	149294	171.272	131541	164.00
योग:	788908	987.61	933655	108675	1291307	1457.26	1240700	1299.93

स्रोत: अपेडा

उड़ीसा में मत्स्य-पालन को संवर्धन

644. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा में मत्स्य-पालन के संवर्धन की क्षमता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में मत्स्य-पालन के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) योजना अवधि में मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी की विभिन्न योजनाओं पर व्यय राशि तथा इन योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, "अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास" तथा "समुद्री मात्स्यिकी अंत:संरचना और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास" संबंधी मेक्रो योजनाएं, जिसमें विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं, उड़ीसा राज्य सहित देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं। इन योजनाओं के तहत आवश्यकता के आधार पर, राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने के बाद केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-05) के दौरान उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमश: 435.21 लाख तथा 522.18 लाख रुपए दिए गए हैं। राज्य में समग्र मत्स्य उत्पादन 2001-02 अर्थात् 9वीं योजना के अंतिम वर्ष में 2.82 लाख टन की तुलना में 2004-05 में लगभग 3.10 लाख टन है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशन

645. श्री स्वदेशी चक्रवर्ती: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 नवम्बर, 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात् सीपीएसयू के सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत पेंशन अनिवार्य है;

(ख) 'यदि हां, तो बीएससीएल के हावड़ा वर्क्स के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें अभी ईपीएस 1995 के तहत पेंशन मिलनी है;

(ग) क्या हावड़ा स्थित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का कार्यालय मैं. हिन्दुस्तान मोटर्स के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अतिक्रमण में ईपीएफ राशि वापस लेने को मजबूर कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मृत कर्मचारियों की विधवाएं ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी हां। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित उन सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,

1952 लागू होता है और जो 15.11.1995 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य रहे थे या जो 16.11.1995 को या उसके बाद प्रतिष्ठान से जुड़े और निधि के सदस्य बने।

(ख) न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण मैसर्स हावड़ा वर्क्स आफ बी एस सी एल (डब्ल्यू बी/216) ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.11.2003 के निर्णय द्वारा मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक ई पी एस, 1995 का अनुपालन नहीं किया। पेंशन दावे, योजना उपबंधों के अनुरूप, उनकी प्राप्ति के बाद ही निपटाए जाते हैं अब तक पेंशन के 72 मामले निपटाए जा चुके हैं।

(ग) से (छ) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के किसी भी कर्मचारी को हावड़ा के उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ई पी एस, 1995 के तहत आज तक लाभ देने से इनकार नहीं किया गया है। अब तक मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स से जुड़े कुल 201 पेंशन मामले निपटाए जा चुके हैं जिनमें विधवा पेन्शन के 47 मामले शामिल हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.11.2003 के आदेश से पूर्व सेवा छोड़ चुके और अपना ई पी एफ आहरित कर चुके कर्मचारी ई पी एफ 1995 के तहत 16.11.1995 से समुचित ब्याज सहित अंशदान देकर ही पेंशन लाभों के पात्र बन सकते हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई के तहत भूमि

646. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों यथा-कोटदा, झडोल, गोगुंडा, खेरवाड़ा, सालुंबर, सारडा, आसपुर, धरियावाड़ा, सागपडा तथा प्रतापगढ़ में कितने हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है; और

(ख) राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) प्रश्न के उत्तर के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट

647. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट नामक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) बैकयार्ड पोल्ट्री के संवर्धन द्वारा असंगठित क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) "ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास" नामक घटक "राष्ट्रीय कुक्कुट और छोटे पशु सुधार परियोजना" का एक घटक है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है। योजना को चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(घ) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन तथा राज्य कुक्कुट फार्म अल्प आदान प्रौद्योगिकी स्टाफ, आदि उपलब्ध करा करके घरेलू कुक्कुट विकास को समर्थन देते हैं।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

648. **श्री परसुराम माझी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग और आगामी ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में कुछ इस्पात संयंत्रों के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) चूंकि इस्पात उद्योग लाइसेंसमुक्त और नियंत्रणमुक्त है अत: निजी क्षेत्र के अलग-अलग इस्पात संयंत्र

विस्तार आदि के लिए निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने में सक्षम है। सेल ने वर्ष 2012 तक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक निगमित योजना (इस्को सहित) तैयार की है। जिसमें 35000 करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना की गई है। इससे सेल की अपरिष्कृत और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में समनुरूप बढ़ोत्तरी सहित तप्त धातु के उत्पादन में वर्ष 2012 तक लगभग 22.5 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी प्राप्त करने की योजना है। निवेश के लिए धन की व्यवस्था बुनियादी तौर पर सेल के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने 8692 करोड़ रुपए के निवेश से द्रव इस्पात की मौजूदा 3 मिलियन टन क्षमता को वर्ष 2008-09 तक बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए एक विस्तार प्रस्ताव तैयार किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था आरआईएनएल के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी। हाल ही में, सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है।

जल संरक्षण पर जागृति कार्यक्रम

649. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भू-जल जांच-खोज, विकास तथा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जागृति पैदा करने के लिए जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में राज्यों में आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सहित भूजल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं जैसे किसी क्षेत्र में भूजल की वर्तमान स्थिति प्रबंधन, आवश्यकताओं के सम्बंध में जागरूकता पैदा करने के लिए समूचे देश में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आयोजित किए गए जन जागरूकता कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	3	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	-	1
3.	असम	1	1	1
4.	बिहार	1	1	3
5.	चंडीगढ़	-	-	2
6.	छत्तीसगढ़	2	3	3
7.	दिल्ली	2	3	3
8.	गुजरात	1	3	3
9.	हरियाणा	1	2	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1	3	2
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1	-	3
12.	झारखण्ड	1	2	-
13.	कर्नाटक	2	3	3
14.	केरल	2	3	3
15.	मध्य प्रदेश	2	3	3
16.	महाराष्ट्र	2	3	3
17.	मेघालय	-	1	1
18.	उड़ीसा	2	3	3
19.	पांडिचेरी	-	1	-
20.	पंजाब	1	1	-
21.	राजस्थान	2	3	2
22.	तमिलनाडु	2	2	3
23.	त्रिपुरा	-	1	-
24.	उत्तर प्रदेश	1	2	1

1	2	3	4	5
25.	उत्तरांचल	1	2	2
26.	पश्चिम बंगाल	2	3	3
	कुल जोड़	33	52	52

उर्वरकों में मिलावट

650. **श्री सुब्रत बोस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उर्वरकों, कीटनाशकों तथा रसायनों में मिलावट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी वजह से प्रतिवर्ष उत्पादन घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) उर्वरकों, कीटनाशकों और रसायनों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। कुल मिलाकर, देश में अच्छे गुणवत्ता वाले उर्वरकों और कीटनाशियों की बिक्री की जा रही है। फसल की पैदावार में कोई कमी केवल गुणवत्ताप्रद उर्वरकों और कीटनाशियों की अनुपलब्धता के कारण ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि असामयिक वर्षा, तेज हवा, बाढ़/सूखा आदि जैसे प्राकृतिक कारकों की भी फसल की पैदावार कम करने में अहम भूमिका होती है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के कारण किसानों को वहीं उर्वरक बेचे जाते है जो आदेश में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता के मानदण्ड को पूरा करते हैं। इसी प्रकार, कीटनाशियों और कृमिनाशियों की गुणवत्ता और बिक्री कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को प्रवर्तन एजेंसियां बनाया गया है और उनको उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985/आवश्यक जिंस अधिनियम 1955/कीटनाशी अधिनियम, 1966 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का समुचित अधिकार प्राप्त है। किसानों को मानक गुणवत्ता वाले आदान प्राप्त हो सकें, इसके लिए राज्यों को उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने की सलाह दी गई है। इसके लिए अधिसूचित निरीक्षक उर्वरकों और कीटनाशियों का नमूना लेते हैं और उसका विश्लेषण करके रिपोर्ट देते हैं। कीटनाशी और उर्वरकों के विश्लेषकों और निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कीटनाशी अधिनियम और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करने में उनके ज्ञान और कार्यात्मक दक्षता का उन्नयन हो सके। इसके बाद जोनल सम्मेलनों में आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

वन अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन

651. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गुजरात सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा अनुमोदित किए गए;

(ख) लंबित प्रस्तावों को अनुमोदन देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों में प्राप्त सभी प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) गुजरात सरकार से प्राप्त 110 प्रस्तावों को पिछले वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत समय पर सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 13 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे प्रस्तावों की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 और उनके अंतर्गत समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है। प्रस्तावों की पूरी जांच और उन पर निर्णय लेना सतत प्रक्रिया है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने कार्रवाई करने के लिए और नियमों के अंतर्गत पूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अपने लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।

गेहूं का आयात

652. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में गेहूं के कुल उत्पादन, खपत तथा आयात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयात किए गए गेहूं की दरें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में गेहूं का कुल उत्पादन, विभिन्न स्कीमों के तहत घरेलू उठान के रूप में प्रदर्शित खपत तथा उसका आयात नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)	खपत (घरेलू खपत) (लाख टन में)	आयात (मी. टन में)	आयातित गेहूं की औसत दर (प्रति) मी. टन रुपये में)
2002-03	657.60	194.64	शून्य	-
2003-04	721.10	170.74	457	5440
2004-05	720.00	173.94	222	5045

उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी खाते पर गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया।

मीठी नदी पर तेजाबी प्रभाव

653. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान (एन ई आर आई) द्वारा मुंबई की मीठी नदी तेजाबी घोषित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का नदी की सफाई के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार संस्थान ने मीठी नदी को तेजाबी के रूप में घोषित नहीं किया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की अध्यक्षता में मीठी नदी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम पी सी बी) ने मीठी नदी मुहाने में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मीठी नदी के किनारे औद्योगिक यूनिटों का सर्वेक्षण किया है और दोषी यूनिटों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

बासमती चावल

654. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो निर्यात गुणवत्ता के बासमती चावलों का उत्पादन कर रहे है तथा गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष ऐसे बासमती चावल के कुल उत्पादन का वर्षवार व राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे बासमती चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई स्कीम बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों की तुलना में बासमती चावल के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) बासमती चावल की पैदावार सिन्धु गंगा के मैदान में की जाती है। इस क्षेत्र में आने वाले राज्य है-पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश (यू.पी.) और जम्मू (जे.एंड.के.) इन राज्यों में होने वाले बासमती चावल के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन ('000 टन)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05*
हरियाणा	728.00	1248.00	1002.00
जम्मू-कश्मीर	60.98	87.78	88.00
पंजाब	240.00	384.00	382.50
उत्तर प्रदेश	462.00	645.21	640.00
उत्तरांचल	12.88	3.49	5.61
अखिल भारत	1503.86	2368.48	2118.11

*अनंतिम

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार देश में चावल, बासमती सहित, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चावल आधारित फसल-पद्धति वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रही है। इस स्कीम को अक्टूबर, 2000 से "मैक्रोमैनेजमेण्ट मोड आफ एग्रीकल्चर" में मिला दिया गया है।

(घ) बासमती चावल का उत्पादन वर्ष 2002-03 (15.04 लाख टन) की अपेक्षा वर्ष 2004-05 में (21.18 लाख टन) 41 प्रतिशत अधिक हुआ है। हालांकि 2003-04 की अपेक्षा 2004-05 के दौरान बासमती का उत्पादन कम रहा है।

[हिन्दी]

वर्षा बीमा योजना

655. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 'वर्षा बीमा योजना' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केवल उन्हीं क्षेत्रों के किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा जिनके पास वर्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं जहां के किसानों को वर्षा संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण इस योजना के लाभों से वंचित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कदम उठाने का है जिससे चयनित राज्यों के सभी किसानों को उक्त योजना का लाभ मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) द्वारा शुरू की गई वर्षा बीमा योजना की प्रमुख बातें विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ए.आई.सी. ने वर्ष 2005 में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में वर्षा बीमा योजना लागू की है।

(घ) और (ङ) वर्षा बीमा के कवरेज को बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के रेन गेज स्टेशनों के नेटवर्क का और अधिक विस्तार करें।

विवरण

वर्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

* वर्षा बीमा योजना एक ऐसा तंत्र है जिससे उन किसानों को कारगर जोखिम प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिन पर वर्षा के बुरे प्रभाव की संभावना रहती है।
* वर्षा बीमा गारण्टी के तहत, वर्षा के कारण स्थिति खराब होने पर ग्रेडेड स्केल के आधार पर दावों का भुगतान किया जाता है।
* दावे तब उत्पन्न होते हैं जब बीमा अवधि के दौरान वास्तविक वर्षा साधारण वर्षा से कम होती है।
* भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) साधारण वर्षा और वास्तविक वर्षा के आंकड़े उपलब्ध कराता है।
* वर्षा बीमा के अंतर्गत किसानों की जरूरतों के मुताबिक बीमा कवरेज के विभिन्न विकल्प मौजूद हैं।
* वर्षा बीमा ए आई सी द्वारा प्रमुख फसलों के मामले में चलायी जा रही है।

[अनुवाद]

नैफेड द्वारा बैंक गारंटी

656. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **कृषि मंत्री** 25 नवंबर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 908 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नेफेड) में वाणिज्य समिति के सदस्यों के गलत निर्णय लेने पर जिससे नेफेड को हानि हुई है, उत्तरदायी व जिम्मेदार न ठहराए जाने के क्या कारण हैं और क्या अन्य स्वायत्त निकायों में भी यही मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या नेफेड में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह पाए गए "अन्य जिम्मेदार अधिकारियों" के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नेफेड ने दिल्ली परिसंघ से धनराशि वसूल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय पंजीयक के समक्ष मामला दर्ज करने के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) नेफेड द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार, नेफेड की व्यवसाय समिति एक नीति बनाने वाला निकाय है, जो नेफेड के समग्र व्यवसाय के बारे में सामान्य नीति बनाता है और समय-समय पर इस प्रकार की शर्तों और सीमाओं को निर्धारित करता है जिसे यह उचित समझता है। यह व्यवसाय में हुई उन्नति का पुनरीक्षण भी करता है। इस प्रकार, समिति के सदस्यों पर कोई भी निजी दायित्व नहीं डाला जा सकता।

(ख) और (ग) नेफेड ने गलत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और नेफेड, दिल्ली शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और सहायक लेखा अधिकारी को सेवा से निकाल दिया है।

(घ) और (ङ) नेफेड ने केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी के सामने 6.37 करोड़ रु. की वसूली (मूलधन 5.96 करोड़ रु. और ब्याज 0.41 करोड़ रु.) के लिए दिल्ली संघ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है।

रिज क्षेत्रों का अतिक्रमण

657. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण किए गए रिज क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों से सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिक्रमण करने वालों की तैयार की गई सूची का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

658. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय भविष्य निधि सहित सेवानिवृत्ति लाभों की पूरी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सहारनपुर जिले के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और आज की तिथि के अनुसार उनको देय बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया धनराशि का तत्काल भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंनि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2004 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया गया है लेकिन कुछ मामलों में उनके केन्द्रीय भविष्य निधि की 10% राशि अभी जारी की जानी है।

(ख) कर्मचारियों के केन्द्रीय भविष्य निधि की राशि बिना विलंब के जारी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भविष्य निधि खातों को मई, 2005 में विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। अब कर्मचारियों के खाते संबंधित अंचलों में रखे जाते हैं। जिन कर्मचारियों के मामलों में अंतिम शेष अंतरण का रिकार्ड संबंधित अंचलों में अंतरित नहीं किया जा सका है उनकी केन्द्रीय भविष्य निधि की 10% राशि को रोक कर रखा गया है।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्वैच्छिख सेवा निवृत्ति योजना 2004 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	जिन कर्मचारियों को 100% भुगतान कर दिया गया है उन कर्मचारियों की संख्या	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके केन्द्रीय भविष्य निधि राशि के 10% का अभी भुगतान किया जाना है
24	12	11+1 (एक कर्मचारी के मामले में केन्द्रीय भविष्य निधि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

और ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके बकायों का भुगतान शीघ्र करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2004 के तहत स्वैच्छित सेवानिवृत्ति लेने वाले सहारनपुर जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का विवरण

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम	जारी की गई धनराशि			
			स्वै.से.नि.यो. प्रतिपूर्ति	ग्रेच्युटी	छुट्टी का नकदीकरण	केन्द्रीय भविष्य निधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	रतिराम	ए.जी. 2 (एम.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
2.	बाबूलाल	ए.जी. 1 (लेखा)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
3.	ए.एल. वोहरा	ए.जी. 1 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
4.	एच.के. जैन	ए.जी. 3 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
5.	जगपाल सिंह	ए.जी. 2 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
6.	मलखान सिंह	ए.जी. 2 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
7.	आर.पी.एस. मौर्य	ए.जी. 3 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
8.	सुखबीर सिंह	ए.जी. 3 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान

1	2	3	4	5	6	7
9.	राजपाल	ए.जी. 2 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
10.	जगपाल सिंह	ए.जी. 1 (डी)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
11.	बी.पी. गुप्ता	पिकर	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
12.	कर्ण सिंह	मुख्य वाचमैन	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान
13.	मदन लाल	ए.जी. 2 (डी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
14.	बीर सेन सिंह	ए.जी. 3 (डी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
15.	ओ.एस. त्यागी	ए.जी. 1 (डी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
16.	छत्तरसिंह	डस्टिंग आपरेटर	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
17.	जय नारायण	वाचमैन	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
18.	हरद्वारी लाल	डस्टिंग आपरेटर	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
19.	सुभाष चन्द	मुख्य वाचमैन	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
20.	बाबूराम	ए.एम. (क्यू.सी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
21.	जुगेश चंद	ए.एम. (क्यू.सी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
22.	सुभाष चंद	ए.एम. (क्यू.सी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
23.	धर्मपाल सिंह	ए.एम. (क्यू.सी.)	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	10% भुगतान अभी शेष है
24.	शिव चरन	वाचमैन	100% भुगतान	100% भुगतान	100% भुगतान	भुगतान के लिए कार्रवाई की जा रही है

[अनुवाद]

काजू क्षेत्र में मजदूरों का शोषण

659. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में काजू क्षेत्र में पात्र मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देकर मजदूरों का शोषण किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो श्रम कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को केरल में काजू उद्योग में निजी प्रबंधन द्वारा ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. का बड़े पैमाने पर अपवंचन किए जाने की भी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रबंधनों से बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु ई एस आई और ई पी एफ के प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) केरल सरकार, जो केरल में काजू क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण व कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकार है, ने सूचित किया है कि काजू क्षेत्र के अधिकतर श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देने के मामले नियोक्ताओं की जानकारी में लाए जाते हैं और उपचारी कदम उठाए जाते हैं।

(ख) काजू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी और अन्य श्रम विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार ने विशेष दस्ते बनाए हैं। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मामले में निरीक्षक अधिनियम के तहत प्राधिकारी के पास, उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध दावा याचिका दायर करते हैं और समुचित समय के भीतर इन कमियों में सुधार न करने के मामलों में अभियोजन मामले दायर किये जाते हैं।

(ग) और (घ) राज्य के कुछ निजी काजू प्रतिष्ठानों में इ एस आइ और इ पी एफ अंशदानों के अपवंचन संबंधी सूचना मिली है। इ पी एफ संगठन और इ एस आई निगम के पास, दायरे के लिए गए/लिए जा सकने वाले सभी कारखानों के आवधिक निरीक्षण हेतु और संगत अधिकारियों के तहत श्रमिकों के पंजीकरण और अंशदान सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण तंत्र/विशेष अभियान दस्ते हैं। उल्लघनों के मामले में विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा, इ पी एफ और ई एस आई निरीक्षकों को श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित ''विशेष प्रवर्त्तन दस्तों'' में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

जल संसाधन परियोजनाएं

660. मो. मुकीम: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश भर में जल संसाधन परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजना की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार ने राज्यों में अपनी ओर से किसी जल संसाधन परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं के मूल्यों में विसंगतियां

661. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दवाओं के मूल्यों में विसंगतियों को दूर करने हेतु दवाओं के मूल्य निर्धारण और इनकी उपलब्धता के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस बात पर ध्यान दिया गया है कि मूल्यों में विसंगति से दलालों को लाभ मिल रहा है और निर्धन रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दवा विक्रेताओं द्वारा रोगियों के शोषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) सरकार की मौजूदा मूल्य नीति का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों और समय-समय पर इसके द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

तदंतर, जीवनरक्षक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल ने 20 सितंबर, 2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

सरकार विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से कार्यबल की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके आधार पर एक नई भेषज नीति शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है।

समय-समय पर संशोधित औषध नीति का लक्ष्य उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली औषधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

काले हिरणों की संख्या

662. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काले हिरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या काले हिरणों की संख्या कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इनका संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उन राज्यों में काले हिरणों की संख्या जिनमें इनकी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास है, संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं, देश में काले हिरणों की संख्या कम होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) काले हिरण को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है, इस प्रकार इस प्रजाति को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जहां काले हिरण पाए जाते हैं वहां पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा नियमित गश्त लगाई जाती है। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों में जागरुकता उत्पन्न की जा रही है।

विवरण

*काले हिरणों की बहुलता वाले राज्यों में इनकी संख्या**

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जनसंख्या
1.	राजस्थान	22,036
2.	आंध्र प्रदेश	10,000
3.	गुजरात	25,025
4.	हरियाणा	3,400
5.	कर्नाटक	12,000
6.	महाराष्ट्र	9,742
7.	उत्तर प्रदेश	2,700

*राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

[हिन्दी]

पोस्को को अनुमति

663. श्री रशीद मसूद: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया की 'पोहाग स्टील कंपनी (पोस्को)' ने भारत सरकार से देश में निष्कर्षण क्रियाकलापों हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र को किन स्थानों पर अधिष्ठापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या इसकी अनुमति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) संघ सरकार को पोहांग स्टील कंपनी को लौह अयस्क हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

664. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान केन्द्र सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश में 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य को इन केन्द्रों का संचालन करने हेतु कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया है जबकि केन्द्र सरकार को इन केन्द्रों का संचालन करने हेतु शत-प्रतिशत व्यय का वहन करना होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत करने हेतु 141.36 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भेजा था जो कि केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी मांगी गई धनराशि सहित राज्य सरकार को 276.36 लाख रुपये संस्वीकृत करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई टी सी) राज्य सरकारों/निजी संगठनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय उन्हें चलाने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) और (छ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, योजना आयोग ने मध्य प्रदेश हेतु वार्षिक योजना 2005-06 में शिल्पकार प्रशिक्षण हेतु 1710 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

जल संरक्षण योजनाएं

665. श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री अजीत जोगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में मानसून के विफल रहने के मद्देनजर लागू की जा रही जल संरक्षण संबंधी योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन पुरानी जल संरक्षण योजनाओं के स्थान पर और अधिक प्रभावी योजनाएं चलाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना अभी तक किन-किन राज्यों में शुरू की गई है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) भारत सरकार देश में भूमि निम्नीकरण की रोकथाम करने तथा मृदा एवं जल संरक्षण के लिये विभिन्न पनधारा विकास स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इन स्कीमों के तहत शुरूआत से मार्च, 2005 तक 14577.32 करोड़ रु. के व्यय से 28.533 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। इन स्कीमों के लिये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 21.40 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र का विकास करने के लिये 6422.95 करोड़ रु. तथा 2005-06 में 3.36 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिये 1497.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। मौजूदा स्कीमों के लिये उपलब्धि तथा कोष आबंटन का ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

इन चालू स्कीमों में मृदा एवं जल संरक्षण, भूमि निम्नीकरण की रोकथाम, भू-जल को रीचार्ज करने आदि के लिये प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है। इनसे अपर्याप्त वर्षा के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिये उपचारित क्षेत्र की क्षमता में सुधार आया है। जबकि किसी नई स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है, जल संरक्षण पर अत्यधिक बल देने के लिये मौजूदा स्कीमों के दिशा-निर्देशों में व्यापक आशोधन किये गये हैं।

विवरण

(भौतिक-लाख हैक्टे. में तथा वित्तीय-करोड रु. में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अस्थायी लक्ष्य और परिव्यय 10वीं योजना		शुरूआत से मार्च, 2005 तक उपलब्धियां		लक्ष्य व परिव्यय 2005-06	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए	20.00	1000.00	79.34	2397.56	5.00	220.00
2.	आरवीपीएण्ड एफपीआर	12.0	800.00	60.87	1894.17	2.00	124.00
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए	1.0	100.00	3.18	226.43	0.30	30.00
4.	आरएएस	1.0	100.00	6.59	96.64	0.20	7.00
5.	ईएपीएस*	0.00	0.00	23.63	4756.36	0.00	0.00
6.	डीडीपी	68.0	1500.00	26.29	1742.06	12.00	353.00
7.	आईडब्ल्यूडीपी	44.0	1100.00	14.70	1301.01	6.00	268.00
8.	एनएईपीएस	68.0	1800.00	61.96	1310.20	8.00	485.00
		0.32	22.95	8.77	852.89	0.10	10.00
	कुल	214.32	6422.95	285.33	14577.32	33.60	1497.00

टिप्पणी: ईएपी के मामले में परिव्यय तथा लक्ष्य का निर्णय नहीं किया गया है।

एनडब्ल्यूडीपीआरए - वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

आरवीपीएण्ड एफपीआर - नदी घाटी परियोजनायें तथा बाढ़ प्रवण नदियां।

डब्ल्यूडीपीएससीए - झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिये पनधारा विकास परियोजना।

आरएएस - क्षारीय मृदा का सुधार

ईएपीएस - विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें

डीडीपी - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

आईडब्ल्यूडीपी - समेकित पनधारा विकास परियोजना

एनएईपीएस - राष्ट्रीय वन रोपण व पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम

[अनुवाद]

बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की खाका तैयार करने हेतु गठित कार्यबल

666. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 45 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैले बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की पहचान का खाका तैयार करने हेतु कार्य बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कार्य बल की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पश्चिम बंगाल के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के संबंध में कार्य बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग को आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (च) केन्द्रीय जल आयोग ने भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम और जम्मू तथा कश्मीर में अभिज्ञात बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने का काम हाथ में लिया और 54,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। बाद में जल संसाधनों के क्षेत्र में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों से संबोधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने जून, 1999 में एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर इन मानचित्रों के डीजीटीकरण तथा उन्हें अद्यतन बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा एक योजना तैयार की गई है। सीडब्ल्यूसी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण संबंधी कार्य विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से कराता है।

सिंचाई/तापीय परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

667. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण आंध्र प्रदेश में कई सिंचाई और ताप विद्युत परियोजनाएं तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना रूक गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब से लंबित पड़ी है और और इन परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) आंध्र प्रदेश की सिंचाई की एक और थर्मल पावर की दो परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित है। मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., विशाखापट्टनम की हाट मैटल उत्पादन की 4.0 से 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष वृद्धि करने के लिए अगस्त 2005 में पहले ही पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) उपर्युक्त लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

सिंचाई

(1) वारंगल जिले में जे. चोका राव गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम थर्मल पावर परियोजना

(2) मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. द्वारा वारंगल जिले में नीरीदुपल्ली के निकट 500 मैगावाट भोपाल्यापल्ली पावर स्टेशन।

(3) मैसर्स नव भारत फैरो अलाय लि. की जिला खम्माम में पलोंचा में कोल आधारित कैप्टिव पावर संयंत्र का 50 मैगावाट से 114 मैगावाट तक विस्तार

(ग) और (घ) मंत्रालय में सिंचाई परियोजना नवंबर 2005 में, थर्मल पावर परियोजना प्रस्ताव मई, 2005 में प्राप्त हुए थे। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए परियोजनाओं का आकलन आवेदकों से अपेक्षित पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर 120 दिनों की निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसलिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के कारण लागत में वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

668. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित रोजगार कार्यालयों की क्या भूमिका है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त रोजगार कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान सहित इनके संचालन में वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या शिक्षित बेरोजगार युवक इन रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण नहीं करवाते क्योंकि ये उनको रोजगार दिलाने में किसी प्रकार सहायक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) रोजगार कार्यालय, रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण करते हैं तथा अधिसूचित रिक्तियों हेतु अभ्यर्थियों को भेजते हैं। श्रम की मांग एवं पूर्ति के आकलन हेतु आंकड़ा-आधार (डाटा-बेस) का सृजन तथा आजीविका साहित्य तैयार करने के उद्देश्य से श्रम बाजार सूचना का संकलन करते हैं; रोजगार चाहने वालों को उनके कैरियर निर्माण में सहायता देने हेतु आजीविका-परामर्श एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते है।

(ख) रोजगार कार्यालय संबद्ध राज्य/संघ शासित सरकारों के सीधे प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं, अत: सूचना विस्तार से नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2001-2002 के दौरान, प्रत्येक रोजगार कार्यालय का औसतन व्यय लगभग 14.3 लाख रुपए था।

(ग) जी, नहीं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल रोजगार चाहने वालों का लगभग 70 प्रतिशत शिक्षितों (10वीं कक्षा एवं उससे अधिक) का है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मदिरा नीति

669. श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदिरा के उत्पादन, तैयार करने और इसकी खपत के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में मदिरा को एल्कोहलयुक्त पेय की श्रेणी से अलग करने तथा मदिरा को स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो मदिरा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ङ) वाइन समेत अल्कोहलयुक्त पेय संविधान के अंतर्गत राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अत: वाइन के संबंध कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, अंगूरों का मूल्यवर्धन, किसानों को अधिक आय की संभावना, रोजगार सृजन के अवसर, लोगों को हार्ड लिकर से दूर रखने की संभावनाएं, बढ़ते हुए स्वदेशी उत्पादन से वाइन के बड़े पैमाने पर आयात में कमी संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार देश में वाइन क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त कार्यकारी समूह जिसमें संबद्ध मंत्रालय और राज्य सरकार शामिल हैं ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में उत्पादन नीति और कराधान प्रयोजनों के लिए वाइन और बीयर को हार्ड लिकर से अलग रखने की सिफारिश की है।

मुख्यभूमि के साथ समुद्र संपर्क

670. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के आइलैंड सिटी में भीड़-भाड़ को कम करने के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को मुख्यभूमि से जोड़ने वाले समुद्र संपर्क का प्रस्ताव किया था और सेवरी-न्हावा समुद्र संपर्क की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वास्तव में यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यह प्रस्ताव अनुमोदन के कितने चरणों से गुजरेगा और अभी तक कितने चरण गुजर चुके हैं तथा इस समय यह मामला किस चरण में है;

(घ) इस परियोजना की लागत में अभी तक कितनी वृद्धि हुई है और आज की तारीख की स्थिति के अनुसार संशोधित लागत क्या है;

(ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(च) क्या इसे बी.ओ.टी. प्रणाली के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबन्धन क्या है और इसमें इच्छुक पार्टियां कौन-कौन सी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) मुख्य भूमि पर मुंबई में सेवरी से न्हावा को जोड़ने वाली मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक परियोजना छह लेन सड़क पुल 22 कि.मी. लम्बी (चरण-I) में होगी। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन मई 2001 में प्राप्त हुआ था।

(ग) केन्द्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के अंतर्गत 11 मार्च, 2005 को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक उपक्रम महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुमानित लागत वृद्धि 6% प्रति वर्ष है और वर्ष 2004 की कीमतों पर लागत 2700 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) एम.एस.आर.डी.सी. ने सूचित किया है कि इस परियोजना को बी ओ टी आधार पर कार्यान्वित करने के लिए पूर्व-पात्रता बोलियां आमन्त्रित की गई हैं और इस परियोजना को पूरा करने के लिए अनुमोदित अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से लगभग पांच वर्ष है।

(छ) एम.एस.आर.डी.सी. ने उल्लेख किया है कि बोलीकर्त्ताओं से प्राप्त न्यूनतम छूट अवधि-प्रस्ताव शर्तों को निर्धारित करेंगे। पूर्व-पात्रता के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक भागीदार (1) चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, (2) डाईबिडाग-एस पी सी एल-एफ कोन जे/वी, (3) आई आई एम सी कोन्सोरटियम, एसकेएएनएसकेए, (4) इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशल सर्विस लिमिटेड, एस के आई एल इन्फ्रास्ट्रक्चर, (5) लारसन एण्ड टर्बो लिमिटेड, और (6) रिलायंस एनर्जी हुंडई इंजीनियरिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों की उपलब्धता

671. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितना जल संसाधन है और बिजली, सिंचाई, पेयजल और अन्य विभिन्न उपयोगों में इसके कितने हिस्से का उपयोग किया जाता है और तथा जल की कितनी मात्रा अप्रयुक्त रह जाती है; और

(ख) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से जल संसाधनों/जल संचयन के लिए की गई मांगों का विवरण क्या है और वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इसे किस सीमा तक पूरा किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) देश में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएफ) आंकी गई है। इसमें से प्रयोज्य जल संसाधन 1122 बीसीएम (690 बीसीएम सतही जल और 432 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल) है। 629 बीसीएम जल का प्रयोग विविध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। जल प्रयोग के हिस्से के रूप में अनुमानतः 83% जल सिंचाई के लिए, 5% घरेलू प्रयोजनों के लिए, 5% उद्योगों के लिए तथा 7% अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाता है। शेष जल के बारे में यह समझा जा सकता है कि वह समुद्र में जा रहा है।

(ख) चूंकि जल एक राज्य का विषय है इसलिए जल संसाधनों की योजनाएं उनके अपने संसाधनों और योजना आबंटनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए सिंचाई, निमित्त के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण I

संशोधित अनुमोदन परिव्यय 2004-2005

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र का नाम	वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3385.58	531.86	9.32	75.76	4002.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.40	32.80	2.00	3.75	38.95
3.	असम	21.74	30.61	36.26	35.13	123.74
4.	बिहार	201.53	248.55	14.00	105.00	569.08
5.	छत्तीसगढ़	422.59	254.00	24.74	0.40	701.73
6.	गोवा	30.44	24.49	2.93	4.96	62.82
7.	गुजरात	1127.45	293.55	5.39	2.66	1429.05
8.	हरियाणा	200.00	0.00	53.25	45.00	298.26
9.	हिमाचल प्रदेश	18.54	57.37	2.12	12.74	90.77
10.	जम्मू एवं कश्मीर	77.53	77.73	10.05	28.83	194.14
11.	झारखंड	322.50	75.00	1.00	1.50	400.00
12.	कर्नाटक	3079.58	185.35	12.03	5.50	3282.46
13.	केरल	57.85	8.81	8.25	6.45	81.36
14.	मध्य प्रदेश	1270.24	232.69	5.17	8.10	1516.20
15.	महाराष्ट्र	2850.00	148.38	72.21	0.00	3070.59
16.	मणिपुर	38.00	6.50	4.61	10.20	59.31
17.	मेघालय	0.37	7.20	0.22	1.45	9.24
18.	मिजोरम	0.01	14.20	0.15	0.00	14.36
19.	नागालैण्ड	0.03	12.46	0.33	7.54	20.36
20.	उड़ीसा	352.15	54.98	4.00	4.75	415.88
21.	पंजाब	109.33	22.97	25.80	27.31	185.41
22.	राजस्थान	695.12	78.59	47.06	10.04	830.81
23.	सिक्किम	0.00	4.00	0.05	4.00	8.05

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	223.96	76.28	13.95	0.00	314.19
25.	त्रिपुरा	5.92	20.44	0.00	6.66	33.02
26.	उत्तर प्रदेश	800.00	89.99	28.33	130.00	1048.32
27.	उत्तरांचल	26.86	67.33	1.50	6.50	102.19
28.	पश्चिम बंगाल	101.76	34.11	7.56	113.14	256.57
	कुल राज्य	15419.48	2690.24	392.28	657.37	19159.37
29.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.86	0.00	3.00	4.86
30.	चण्डीगढ़	0.00	1.54	0.00	0.00	1.54
31.	दादर तथा नगर हवेली	0.01	0.67	0.20	0.00	0.88
32.	दमन तथा दीव	0.05	0.15	0.05	0.22	0.47
33.	दिल्ली	0.00	0.07	0.00	19.03	19.10
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
35.	पांडिचेरी	0.00	22.84	0.00	12.51	35.35
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.06	27.13	0.25	38.26	65.70
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	15419.54	2717.37	392.53	695.63	19225.07
	केन्द्रीय क्षेत्र	63.51	62.98	143.57	147.94	418.00
	कुल जोड़	15483.05	2780.35	536.10	843.57	19643.07

विवरण II

अनुमोदित परिव्यय 2005-2006

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र का नाम	वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6933.45	610.43	8.92	100	7652.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	59.90	2.36	8.23	71.49
3.	असम	39.21	23.94	2.95	28.00	94.10
4.	बिहार	–	–	–	–	893.18

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	560.69	333.59	23.01	0.25	917.54
6.	गोवा	59.12	44.99	4.20	11.96	120.27
7.	गुजरात	1601.05	208.72	3.19	1.10	1814.06
8.	हरियाणा	290.00	0.00	55.00	48.00	393.00
9.	हिमाचल प्रदेश	14.54	79.48	3.12	14.40	111.54
10.	जम्मू व कश्मीर	77.19	67.54	10.73	32.65	188.11
11.	झारखंड	374.75	70.00	2.50	2.75	450.00
12.	कर्नाटक	3509.91	384.70	40.00	7.80	3942.41
13.	केरल	95.21	11.10	7.05	5.74	119.10
14.	मध्य प्रदेश	1378.31	255.31	6.51	1.45	1641.58
15.	महाराष्ट्र	1985.75	249.45	6.87	1.29	2243.36
16.	मणिपुर	116.78	16.55	5.07	8.50	146.90
17.	मेघालय	1.42	9.00	0.26	3.42	14.10
18.	मिजोरम	0.01	17.40	0.15	0.00	17.56
19.	नागालैंड	0.05	12.35	1.00	0.05	13.45
20.	उड़ीसा	280.45	46.29	4.00	1.01	331.75
21.	पंजाब	112.32	62.45	14.00	33.00	221.77
22.	राजस्थान	812.80	150.56	71.56	10.15	1045.07
23.	सिक्किम	0.00	4.00	0.05	3.00	7.05
24.	तमिलनाडु	278.91	130.14	15.95	–	425.00
25.	त्रिपुरा	12.40	29.07	0.65	6.10	48.22
26.	उत्तर प्रदेश	1453.23	127.13	40.00	331.00	1951.36
27.	उत्तरांचल	26.65	29.02	1.77	20.14	77.58
28.	पश्चिम बंगाल	107.13	48.08	7.51	84.13	246.85
	कुल राज्य	20122.33	3081.19	338.38	764.12	24306.02
	संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.00	3.63	0.00	6.25	9.88
30.	चंडीगढ़	0.00	4.35	0.00	0.00	4.35

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादर तथा नगर हवेली	0.00	0.78	0.20	0.00	0.98
32.	दमन तथा दीव	0.09	0.14	0.00	0.36	0.59
33.	दिल्ली	0.00	0.04	0.00	17.12	17.16
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80
35.	पांडिचेरी	0.00	23.36	0.00	15.68	39.04
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.09	32.30	0.20	43.21	75.80
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	20122.42	3113.49	338.58	807.33	24381.82
	केन्द्रीय क्षेत्र	86.33	72.64	200.00	262.03	621.00
	कुल जोड़	20208.75	3186.13	538.58	1069.36	25002.82

क्रूज पर्यटन

672. श्री सुरेश चन्देल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में पांच सितारा होटलों जैसी सुविधाओं से युक्त बड़े जहाजों (क्रूज) में यात्रा करने के रूझान में वृद्धि हुई है और हमारे देश के पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों में इसकी अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में एक क्रूज पर्यटन नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति के कब तक तैयार होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में क्रूज शिपिंग नीति तैयार करने के लिए जहाजरानी मंत्री की अध्यक्षता में और पर्यटन राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त स्टीयरिंग दल का गठन किया गया है। इस स्टीयरिंग दल की सिफारिशों में विभिन्न कार्यदलों का गठन शामिल है, जो भारत में क्रूज शिपिंग नीति तैयार करने के लिए आप्रवासन, कस्टम क्लीयरेंस, क्वारन्टाइन प्रतिबंध, बंदरगाहों की पहचान, अवसंरचना संबंधी सुविधाएं, संपर्क व्यवस्था, कर संबंधी मामले, पर्यटन संबंधी मामले तथा कबोटाज संबंधी मुद्दों पर विचार करेगी। जहाजरानी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा क्रूज शिपिंग से संबंधित पालिसी पेपर के मसौदे पर विचार-विमर्श कर लिया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के कार्यालय का बन्द होना

673. श्री एन.एन. कृष्णादास: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान अथवा तत्पश्चात देश के किसी भी भाग में केन्द्रीय भूजल बोर्ड के किसी कार्यालय को बन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असीमित भू-जल बर्बादी को रोकने के लिए कोई तंत्र तैयार किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, झारखण्ड के नवनिर्मित राज्य में भूजल सर्वेक्षणों और खोज के लिए देहरादून (उत्तरांचल) में नए क्षेत्रीय कार्यालय के खोले जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के बरेली (उत्तर प्रदेश) स्थित राज्य यूनिट

कार्यालय (एसयूओ) का कार्यभार कम हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, एसयूओ बरेली को रांची (झारखण्ड) में अन्तरित कर दिया गया है। अब एसयूओ, बरेली के काम की देखभाल क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा बरेली में ही स्थित मण्डल कार्यालय द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) चूंकि 'जल' एक राज्य विषय है इसलिए असीमित भूजल अपव्यय को रोकने के लिए तंत्र निर्मित करने का दायित्व मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। तथापि, देश में भूजल संसाधनों के और आगे अति-दोहन को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न उपाय किए हैं:

* केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1970 में एक माडल बिल परिचालित किया था जिसे 1992 में पुनः तथा 1996 में फिर से सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बीच परिचालित किया गया ताकि उन्हें भूजल विकास के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बनाने के योग्य बनाया जा सके। भूजल के विकास और प्रबन्धन को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बीच पुनः परिचालित किया गया है।

* पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल संसाधनों के अति-दोहन के आधार पर 11 गंभीर क्षेत्र तथा भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अति-दोहित क्षेत्र अधिसूचित किए हैं।

* सीजीडब्ल्यूए उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भूजल की निकासी विनियमित कर रहा है। गंभीर क्षेत्रों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को परिचालित की जा चुकी है जो अनुमति प्राप्त करने के लिए नए उद्योगों/परियोजनाओं को सीजीडब्ल्यूए को भेजता है।

बंधुआ बाल मजदूर

674. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरि सिंह चावड़ा:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात कितने बंधुआ बच्चों/मजदूरों को कैद से मुक्त कराया गया है;

(ख) क्या मुक्त कराए गए बच्चों को पुनः बंधुआ मजदूरी में घसीट लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य सरकार ने बंधुआ बाल मजदूर सहित कार्यमुक्त कराए/छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर के फिर से बंधुआ बन जाने की रिपोर्ट नहीं दी है।

(घ) बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, बंधुआ मजदूरी का पता लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/उप संभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में क्रमशः जिला और उप-संभाग स्तर पर सर्तकता समितियों का गठन किया गया है।

विवरण

(क) बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बाल बंधुआ मजदूर और वयस्क बंधुआ मजदूर में कोई भी भेद नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद चिन्हित और मुक्त कराए/छुड़ाए गए (बाल बंधुआ मजदूरों सहित) बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या निम्नवत हैं:

राज्यों का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (25.11.05 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	-	1699	-	-
बिहार	125	314	281	141
हरियाणा	21	-	-	-
कर्नाटक	1854	-	64	-
मध्य प्रदेश	-	-	265	38

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	5	-	-	6
उड़ीसा	-	39	19	-
पंजाब	69	-	-	-
राजस्थान	-	10	-	-
उत्तर प्रदेश	-	398	41	114
छत्तीसगढ़	124	-	-	-
झारखंड	-	-	196	-
उत्तरांचल	-	5	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	5

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

675. **श्री मोहन सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2004-05 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की है और वर्ष 2006 के दौरान कितने पर्यटकों के यात्रा की आशा है तथा पिछले तीन वर्षों की तुलना में इन वर्षों में पर्यटकों की संख्या में कितनी गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटकों से कितनी विदेशी आय होने का अनुमान है;

(ग) क्या देश के होटलों द्वारा विदेशी पर्यटकों को दी जा रही विद्यमान आवास सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा होटल उद्योग में विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में सघन प्रचार शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान कितने भारतीय यात्रियों ने विदेशों की यात्राएं की हैं और उनके द्वारा ऐसी विदेश यात्राओं पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के संगत आंकड़ों सहित वर्ष 2004-05 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और परिवर्तन प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
2004-05	3.54	(+) 22.9
2003-04	2.88	(+) 17.3
2002-03	2.45	(+) 1.0
2001-02	2.43	(-) 10.0

जनवरी-अक्तूबर, 2005 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में 14 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2004-05 और 2003-04 के दौरान उच्च वृद्धि को देखते हुए ये आशा की जाती है कि यह प्रवृत्ति वर्ष 2006 में भी जारी रहेगी।

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशी पर्यटकों से हुई अनुमानित विदेशी मुद्रा आय नीचे लिखे अनुसार है:-

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (यू.एस. डालर मिलियन में)
2004-05	5029
2003-04	4122
2002-03	3312
2001-02	3137

(ग) और (घ) पर्यटन उद्योग में ये आम धारणा है कि देश में होटल आवास का अभाव है, विशेषकर व्यस्त पर्यटक मौसम के दौरान और बड़े शहरों में। देश में होटल में कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए ये मामला राज्य सरकारों तथा शहरी विकास

मंत्रालय के साथ उठाया गया है। रेल तथा नागर विमानन मंत्रालय से भी देश में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रेलवे और हवाई अड्डों की अतिरिक्त भूमि पर होटलों का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रमुख पर्यटक सृजक बाजारों, जैसे कि यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूएसए आदि में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा आउटडोर मीडिया में एक प्रमुख वैश्विक मीडिया अभियान चलाया गया है। यह अभियान नवम्बर 2005 के मध्य से आरंभ होकर साढ़े चार महीने तक चलेगा। इसके अतिरिक्त देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अक्तूबर, 2005 से वर्ल्डवाइड वेब पर एक आनलाइन अभियान भी आरंभ किया गया है।

(छ) पिछले चार वर्षों के दौरान विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा में किया गया अनुमानित भुगतान नीचे लिखे अनुसार है:-

वर्ष	विदेश जाने वाले भारतीय (मिलियन में)	विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान (यू.एस. डालर मिलियन में)
2004-05	6.3	5526
2003-04	5.6	3511
2002-03	5.1	3341
2001-02	4.6	3014

गंगा नदी में प्रदूषण

676. **डा. राजेश मिश्रा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा सफाई परियोजना की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें गंगा नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए साथ-साथ काम करने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सरकार ने गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना चरण-I शुरू करके प्रथम प्रयास किया था। इसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के 25 शहरों में शुरू किया गया और यह वर्ष 2000 में पूरी हो चुकी है। इस चरण के अंतर्गत 261 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनमें 259 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिदिन 865 मि.ली. क्षमता का एक सीवेज शोधन संयंत्र तैयार किया गया था।

गंगा कार्य योजना को 1993 में उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में फैले 59 शहरों के कार्यों के साथ गंगा कार्य योजना चरण-II के रूप में बढ़ाया गया था। इस चरण के अंतर्गत 227 अदद परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से 60 परियोजनाएं सितम्बर 2005 तक पूरी हो चुकी हैं। गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

गंगा कार्य योजना चरण I

स्कीम	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	(मात्रा) कुल
1	2	3	4	5	6	7
अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन	40	17			31	88
सीवेज शोधन संयंत्र	13	7			15	35
अल्प लागत शौचालय	14	7			22	43

1	2	3	4	5	6	7
शवदाहगृह	3	8			17	28
नदी तट विकास	8	3			24	35
अन्य स्कीम	28	3			1	32
कुल	106	45	0	0	110	261
गंगा कार्य योजना चरण-II						
अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन	20	0	0	11	45	76
सीवेज शोधन संयंत्र	7	0	0	5	23	35
अल्प लागत शौचालय	8	7	1	10	0	26
शवदाहगृह	0	1	0	0	5	6
नदी तट विकास	0	10	1	6	21	38
अन्य स्कीम	4	0	0	4	38	46
कुल	39	18	2	36	132	227

[अनुवाद]

जल क्षेत्र में आबंटन

677. **श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना सहित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जल क्षेत्र को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परिव्यय में भारी कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) विभिन्न पंचवर्षीय योजना में जल क्षेत्र के लिए आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जल क्षेत्र में योजना-वार आवंटन

(रुपए करोड़ में)

योजना	वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	सिंचाई संस्थागत वित्त	कमान क्षेत्र विकास	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
पहली योजना (1951-56)	376.24	65.62	0.00	0.00	13.21	455.07

1	2	3	4	5	6	7
दूसरी योजना (1956-61)	380.00	142.23	19.35	0.00	48.06	589.64
तीसरी योजना (1961-66)	576.00	327.73	115.37	0.00	82.09	1101.19
वार्षिक योजना (1966-69)	429.81	326.19	234.74	0.00	41.96	1032.70
चौथी योजना (1969-74)	1242.30	512.28	661.06	0.00	162.04	2577.68
पांचवी योजना (1974-78)	2516.18	630.83	778.76	0.00	298.61	4224.38
वार्षिक योजना (1978-80)	2078.58	501.50	480.40	362.96	329.96	3753.40
छठी योजना (1980-85)	7368.83	1979.26	1437.56	743.05	786.85	12315.55
सातवीं योजना (1985-90)	11107.29	3118.35	3060.95	1447.50	941.58	19675.67
वार्षिक योजना (1990-92)	5459.15	1680.48	1349.59	619.45	460.64	9569.31
आठवीं योजना (1992-97)	21071.87	6408.36	5331.00	2145.92	1691.68	36648.83
नौवीं योजना (1997-2002)	48259.08	8615.07	2659.00	1519.17	2629.23	63681.55
दसवीं योजना (2002-07)	71213.18	14406.66	0.00	4196.68	5927.00	95743.52

शिक्षित बेरोजगार युवा

678. **श्रीमती नीता पटैरिया:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री संतोष गंगवार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2005 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में राज्यवार और श्रेणीवार कुल कितने शिक्षित बेरोजगार लड़के/लड़कियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त रोजगार कार्यालयों में राज्यवार, श्रेणीवार और वर्षवार कितने लड़के/लड़कियों के नाम दर्ज हुए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यमों से रोजगार पाने वाले लड़के/लड़कियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न रोजगार कार्यालयों में सूचीबद्ध ऐसे बेरोजगार कब से रोजगार की प्रतीक्षा में हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) 31.12.2003 (नवीनतम) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले शिक्षितों (दसवीं कक्षा तथा उससे अधिक), जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी रोजगार हों, का राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा तथा वर्ष 2003 के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2001-2002 तथा 2003 के दौरान रोजगार चाहने वाले शिक्षितों के संबंध में रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया श्रेणी-वार नियोजन निम्नानुसार है:

वर्ष	नियोजन (हजार में)		
	पुरुष	महिला	कुल
2001	72.6	22.1	94.7
2002	50.9	19.8	70.7
2003	62.5	22.0	84.5

(घ) रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण तथा अधिसूचित रिक्तियों हेतु उनके नामांकन करना एक सतत् प्रक्रिया है। रोजगार चाहने वालों को रोजगार कार्यालयों से रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना होता है।

(ङ) सरकार का लक्ष्य 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का है। इनमें से, लगभग 3 करोड़ सामान्य विकास प्रक्रिया से तथा शेष 2 करोड़ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित होंगे।

विवरण

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य	31.12.2003 को चालू रजिस्टर पर संख्या			जनवरी-दिसम्बर 2003 के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1949.6	626.7	2576.3	175.5	62.9	238.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.0	4.3	14.3	2.3	1.0	3.3
3.	असम	817.1	209.4	1026.6	47.6	13.2	60.8
4.	बिहार	1342.0	124.4	1466.4	53.1	15.9	68.9
5.	छत्तीसगढ़	590.5	132.0	722.5	99.6	31.0	130.6
6.	दिल्ली	604.7	287.4	892.1	43.8	15.3	59.0
7.	गोवा	52.3	31.8	84.1	5.7	5.7	11.4
8.	गुजरात	674.0	173.1	847.1	166.2	60.2	226.4
9.	हरियाणा	563.2	115.0	678.3	81.5	13.3	94.8
10.	हिमाचल प्रदेश	493.1	220.0	713.1	74.4	39.2	113.6
11.	जम्मू व कश्मीर	51.3	6.9	58.2	10.5	7.2	17.7

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	784.7	132.3	916.9	253.5	49.2	302.6
13.	कर्नाटक	861.9	291.7	1153.7	85.2	48.1	133.3
14.	केरल	1755.7	1561.8	3317.5	167.1	197.4	364.5
15.	मध्य प्रदेश	1217.6	313.5	1531.1	246.1	75.7	321.7
16.	महाराष्ट्र	2534.6	658.3	3192.9	504.7	166.8	671.5
17.	मणिपुर	184.5	97.2	281.7	3.7	3.0	6.7
18.	मेघालय	10.6	10.6	21.1	1.8	2.3	4.1
19.	मिजोरम	10.5	7.7	18.2	1.1	1.0	2.0
20.	नागालैंड	16.6	9.9	26.5	5.9	4.0	9.9
21.	उड़ीसा	496.9	114.0	610.9	107.6	34.6	142.2
22.	पंजाब	202.7	87.5	290.2	47.8	19.9	67.7
23.	राजस्थान	545.3	66.2	611.5	158.2	24.5	182.8
24.	सिक्किम*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.	तमिलनाडु	1830.3	1443.1	3273.5	189.8	161.8	351.6
26.	त्रिपुरा	148.8	55.4	204.2	6.0	2.8	8.9
27.	उत्तरांचल	218.8	51.0	269.8	44.7	9.5	54.1
28.	उत्तर प्रदेश	1342.6	155.4	1498.1	363.5	54.6	418.1
29.	पश्चिम बंगाल	2733.0	951.0	3684.0	188.4	60.1	248.5
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.3	6.3	16.6	2.4	1.2	3.6
31.	चंडीगढ़	64.5	29.1	93.6	3.8	2.0	5.8
32.	दादर व नगर हवेली	1.2	0.6	1.8	0.4	0.2	0.7
33.	दमन व दीव	3.0	1.4	4.5	2.1	1.3	3.4
34.	लक्षद्वीप	3.5	2.2	5.7	0.5	0.3	0.8
35.	पांडिचेरी	80.4	71.5	151.9	11.3	8.8	20.1
	सकल योग	22205.9	8048.8	30254.8	3155.6	1193.8	4349.4

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्यकरण

679. श्रीमती अर्चना नायक:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इनके कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ए.टी.एम.ए. के माध्यम से कार्य-योजना अग्रेषित करने के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी के बीच कोई मतभेद है; और

(ङ) यदि हां, तो मतभेदों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मौजूदा समय तक 493 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत 42 कृषि विज्ञान केन्द्र भी शामिल है। पिछले एक वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा खेत परीक्षण के लिए 1205 प्रौद्योगिकियां आरंभ की गई, 0.40 लाख अग्रपंक्ति प्रदर्शन, 37,373 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 8.25 लाख कृषक और 0.86 लाख विस्तार कार्यकर्ता और 0.63 लाख प्रसार कार्यकलापों से 27.57 लाख किसान लाभान्वित हुए।

इसकी तुलना में पिछले वर्ष खेत परीक्षण के लिए 607 प्रौद्योगिकियां, 0.32 लाख अग्रपंक्ति प्रदर्शन, 30,517 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 7.50 लाख किसान और 0.69 लाख विस्तार कार्यकर्ता लाभान्वित हुए और 0.16 लाख विस्तार कार्यकलापों से 14.18 लाख किसान लाभान्वित हुए है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों में और अधिक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए है:

- किसानों को प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. के साथ इलैक्ट्रानिक कनैक्टिविटी प्रदान करना।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों में मृदा और जल परीक्षण सुविधाओं का सृजन।

(घ) और (ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र की वार्षिक कार्रवाई योजना पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति में विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया गया है इस समिति में अनुसंधान, विस्तार, वित्तीय संगठन और अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्रवाई योजना के बाद में क्षेत्रीय कार्यशालाओं में स्वीकृत किया गया। यह निर्णय लिया गया है कि अग्रपंक्ति प्रदर्शनों के लिए किस्मों और स्थान को ए.टी.एम.एज् के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। जब कभी भी ए.टी.एम.एज् द्वारा अनुरोध किया जाए उस समय कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाए।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योग
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	4
4.	असम	16
5.	बिहार	26
6.	छत्तीसगढ़	10
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	21
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू एवं कश्मीर	12
13.	झारखण्ड	17
14.	कर्नाटक	25
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1

1	2	3
17.	मध्य प्रदेश	37
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	5
20.	मेघालय	5
21.	मिजोरम	8
22.	नागालैंड	5
23.	उड़ीसा	25
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	15
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	28
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	60
31.	उत्तरांचल	12
32.	पश्चिम बंगाल	16
	योग	493

केरल द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना का विरोध

680. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार के कड़े विरोध के बावजूद नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना से संबंधित केन्द्रीय अभिकरण तमिलनाडु में वायपर लिंक परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अभिकरण को केरल सरकार द्वारा परियोजना के विरुद्ध उठाई गई बातों मुद्दों की जांच करने का अनुदेश दिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वायपर परियोजना के क्रियान्वयन के विरुद्ध कोई संकल्प प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने केरल में स्थित पाम्बा और अचनकोविल का अधिशेष जल तमिलनाडु में वैप्पार बेसिन में अन्तरित करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। किए गए अध्ययनों को लेकर केरल सरकार की कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें एनडब्ल्यूडीए ने स्पष्ट कर दिया है। इन मुद्दों पर एनडब्ल्यूडीए की तकनीकी सलाहकार समिति, शासी निकाय तथा सोसायटी की समय-समय पर आयोजित की गई बैठकों में और आगे चर्चा की गई है। एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की 26.3.2003 को हुई 19वीं वार्षिक आम बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जिसमें केरल सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री टी.एम. जैकब ने भी भाग लिया था, सोसायटी के अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि एनडब्ल्यूडीए तथा केरल सरकार को पम्बा-अचनकोविल तथा बेमबनद नम भूमि प्रणाली के लिए मिलकर एक अध्ययन करना चाहिए। बाद में केरल सरकार ने इस निर्णय का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए दिनांक 6.8.2003 के संकल्प की एक प्रति भेजी है जिसमें केन्द्र सरकार से पम्बा-अचनकोविल-वैप्पर परियोजना पूरी तरह छोड़ने का आग्रह किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने केरल विधान सभा के संकल्प को नोट कर लिया है और मतैक्य निर्माण प्रयोजन के लिए पम्बा-अचनकोविल-वैप्पर संपर्क को एक प्राथमिकतापूर्ण सम्पर्क न समझने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का पुनरुद्धार

681. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितनी सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं और कितनी सहकारी चीनी मिलें रुग्ण हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार करने का है अथवा तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 30.9.2005 की स्थिति के अनुसार, 202 सहकारी चीनी मिलें कार्यरत थीं और 113 चीनी मिलें रुग्ण/बंद पड़ी थीं।

(ख) से (घ) रुग्ण सहकारी चीनी मिलों जिनका नेटवर्थ समाप्त हो गया है, को पुनर्जीवित करने/जीवनक्षम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनर्स्थापन के लिए ऐसे मामलों की जांच करने तथा उनके पुनर्स्थापन की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति की सिफारिश के आधार पर, चीनी विकास निधि से ऐसे संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण उपक्रम के लिए उसकी मशीनरी व संयंत्र के पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण और साथ ही गन्ना विकास के लिए ऋण दिया जा सकता है।

ऐसी मिलों के आधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन के लिए ऋण पात्र परियोजना लागत का 60% तक "बैंक दर" से 2% कम की साधारण ब्याज की रियायती दर पर दिया जा सकता है जो वर्तमान में प्रभावी रूप से 4% बैठता है और इसकी अदायगी एक वर्ष के ऋण स्थगन के बाद समान अर्ध-वार्षिक किस्तों, जिनकी संख्या आठ से अधिक न हो, में की जाएगी।

कृषि उत्पाद में वार्षिक वृद्धि

682. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को भविष्य के लिए निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और फसल-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य 3.97% वार्षिक रखा गया है।

(ख) विभिन्न खाद्यान्न फसलों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2005-06 के लिये विभिन्न फसलों के उत्पादन का लक्ष्य नीचे दिया गया है:

2005-06 में उत्पादन लक्ष्य

खाद्यान्न

(मिलियन टन में)

चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दलहन	खाद्यान्न
87.80	75.53	36.52	15.15	215.00

वाणिज्यिक फसलें

तिलहन	गन्ना	कपास	जूट और मेस्ता
26.58	237.50	16.50*	11.28**

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें

**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें

(ग) यद्यपि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है फिर भी कीटों और रोगों, आदानों की उपलब्धता, अनुकूल मौसम और समतापीय परिस्थितियां आदि भी कुछ ऐसे अन्य कारक है जो कृषि उत्पादन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होगी इसका शुद्ध-शुद्ध और अलग से विनिश्चय करना मुश्किल है। हालांकि पानी की पर्याप्त सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जा रहा है। उपलब्ध जल का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए लघु सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

683. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अपने वर्तमान स्वरूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने में अपर्याप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धोखाधड़ी करने वाले विनिर्माताओं को उपभोक्ताओं को नकली वस्तुएं बेचने से रोकने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस अधिनियम में किए जाने वाले संभावित संशोधन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्माण परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

684. श्री विजय कृष्णः
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न भागों में शापिंग मामलों और अन्य भवन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण से रिज क्षेत्र का स्वरूप नष्ट हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्माण को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लिफ्ट सिंचाई परियोजना

685. श्री विक्रम केशरी देवः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कालाहांडी जिला में अपर*इंद्रावती परियोजना की लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरी होनी की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) ऊपरी इंद्रावती सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) की लिफ्ट नहर प्रणाली को सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खरीफ तिलहन उत्पादन परियोजना

686. श्री बालासाहिब विखे पाटीलः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन (सी ओ ओ आई टी) ने खरीफ तिलहन उत्पादन के लिये कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम हेतु नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में "ले आउट प्लान" का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय तेल उद्योग तथा व्यापार (सी ओ ओ आई टी) संगठन ने गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में दो प्रमुख खरीफ तिलहनी फसलों यथा मूंगफली और सूरजमुखी का अध्ययन करने के लिये, ताकि इनकी घटती हुई उत्पादकता के लिये कारणों की पहचान की जा सके और इसमें सुधार लाने के लिये उपायों का सुझाव दिया जा सके, वित्तीय सहायता की मांग करते हुये एक परियोजना प्रस्तुत की है। चूंकि तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम के तहत इस प्रकार के अध्ययन को संचालित करने के लिये वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये सी ओ ओ आई टी के प्रस्ताव को इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) भारत सरकार तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने तथा तिलहन उत्पादन के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम (आइसोपाम) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को तिलहनों की खेती करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीज की खरीद, अधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध रक्षण रसायनों के वितरण, पौध रक्षण उपकरणों, खर-पतवारनाशी दवाओं, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों के वितरण तथा जलवाहक पाइपों, प्रचार आदि के लिये सहायता दी जाती है।

किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिये राज्य कृषि विभागों के जरिये प्रखण्ड प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जरिये अग्रणी प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

जटरोफा किसानों के लिए राजसहायता

687. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जटरोफा किसानों के लिए राजसहायता और सुगम वित्त उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने रेलवे और परिवहन डीजल वाहनों के लिए जटरोफा तेल का उत्पादन करने हेतु जटरोफा की खेती का व्यवसायीकरण करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोबोड) बोर्ड जटरोफा सहित वृक्ष मूल के तिलहनों को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। नर्सरी उगाने तथा वाणिज्यिक रोपण, आदर्श बीज अधिप्राप्ति केन्द्र की स्थापना तथा प्रसंस्करण पूर्व और प्रसंस्करण सुविधाओं की अधिष्ठापना के लिए 30% बैंक-एन्डेड ऋण से सम्बद्ध सब्सिडी देने, जिसमें 50% संस्थागत वित्त और 20% लाभानुभोगी का अंश शामिल है, से संबंधित एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। "वृक्ष मूल के तिलहनों के समेकित विकास" से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत जटरोफा के पौध की खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु ऋण से सम्बद्ध बैंक एन्डेड सब्सिडी के जरिये प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

688. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरक अधिकारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा और स्वरूप क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरण अधिकारियों के खिलाफ चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह शिकायतें अवैध रूप से घूस मांगने से संबंधित हैं तथा दुग्ध डिपों के लाभार्थियों द्वारा की गई हैं।

(ग) जी, हां। तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(घ) जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

नदियों के समीप नगरों का विकास

689. श्री देविदास पिंगले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में विभिन्न नदियों के समीप नगरों के विकास हेतु कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विभिन्न परियोजनाओं की लागत कितनी है;

(ग) परियोजना रिपोर्ट कब से लंबित पड़ी है;

(घ) इस विलंबन के क्या कारण हैं और ये किस चरण में लंबित पड़ी है;

(ङ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) इस मंत्रालय को महाराष्ट्र में विभिन्न नदियों के किनारे शहरी विकास के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2002 में पंचगंगा नदी के किनारे कोल्हापुर शहर के लिए (49.74 करोड़ रुपए की लागत पर) और वर्ष 2004 में कृष्णा नदी के किनारे वाई शहर के लिए (53.83 करोड़ रुपए की लागत पर), भीमा नदी के किनारे पनधारपुर शहर के लिए (26.61 करोड़ रुपए की लागत पर), ताप्ती नदी के किनारे प्रकाशा शहर के लिए (4.62 करोड़ रुपए की लागत पर), गोदावरी नदी के किनारे पेठना शहर के लिए (12.80 करोड़ रुपए की लागत पर) तथा रंगवाली नदी के किनारे नवापुर शहर के लिए (4.55 करोड़ रुपए की लागत पर) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत् विचार के लिए नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोषों की कमी के कारण इन परियोजनाओं पर अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया जा सका। तथापि यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को, जन-निजी भागीदारी के साथ शुरू करने की संभावना को खोजते हुए योजना आयोग से आवश्यक धनराशि प्राप्त करके राज्य योजना प्रावधानों में से शुरू कर सकती है।

(ङ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

अलमाटी बांध में जल का भंडारण

690. श्री एम. शिवन्ना: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार को अस्थाई राहत उपाय के रूप में 519.60 मी. की तुलना में केवल 509 मी. जल का भंडारण करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) महाराष्ट्र में लगातार बाढ़ की स्थिति, अध्ययनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय और 25 अगस्त, 2005 को भारी मानसून के रुख पर महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से अल्पकालिक उपाय के रूप में अनुरोध किया कि 30 सितम्बर, 2005 तक अलमट्टी पर जल का स्तर 509 मीटर तक बनाए रखा जाये। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इसे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से निर्देश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि मूलभूत वास्तविकता की पूर्णतः समझबूझ के बाद मानवीय आधार पर, दो राज्यों के बीच मध्यस्थता को सरल बनाने के रूप में और वह भी 30 सितम्बर, 2005 तक सीमित अल्पकालिक अवधि के लिए मानी जाए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिनांक 5.9.2005 के अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि यह पूर्वधारणा की हाल की बाढ़ के दौरान महाराष्ट्र भूभाग में जलमग्नता अलमट्टी से 'पश्च जल दबाव' के कारण थी, भ्रान्तिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव से उनका सहमत होना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत योजनाएं

691. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन मध्य प्रदेश की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मंत्रालय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश के 13 प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से पांच प्रस्ताव खनन, चार ट्रांसमिशन लाइन, एक सड़क निर्माण और एक सब-वैल के निर्माण के संबंध में है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग वाले परियोजना प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 और उनके अंतर्गत समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है। प्रस्तावों की पूरी जांच और उन पर निर्णय लेना सतत प्रक्रिया है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने कार्रवाई करने के लिए और नियमों के अंतर्गत पूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अपने लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।

[अनुवाद]

ठेका श्रमिक

692. श्री पी. करुणाकरन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में अनेक ठेका श्रमिकों को श्रम कानून में परिकल्पित संरक्षण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सहित देश में पर्याप्त भोजन, आश्रय और चिकित्सीय सहायता की कमी की वजह से ठेका श्रमिकों की मौत की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी ठेकेदारों/नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत ठेका श्रमिकों को हितलाभ प्रदान न किए जाने के आरोप लगाते हुए समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच की गई है और कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यदि आवश्यक समझा गया तो मुकदमा चलाया जाना भी शामिल है।

(ग) से (ङ) केरल में प्राप्त सूचना के अनुसार, एक निर्माण कम्पनी मैसर्स पुंजलायड लि. द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए रखे गए बिहार राज्य के दो प्रवासी मजदूरों की मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई है। यह निर्माण कार्य राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अन्य बीमार कार्मिकों को राज्य के श्रम विभाग द्वारा उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गई थी जिससे उनका जीवन बचाया जा सका। श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसार, आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गई है और संबंधित ठेकेदारों को उनके द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में हुई चूक के लिए 31.10.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के श्रम आयुक्त द्वारा क्षेत्र कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि श्रम कानूनों के अनुपालन को कड़ाई से मानीटर किया जाए और सख्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। मैसर्स पुंजलायड द्वारा प्रत्येक मृतक कामगार के लिए 1.28 लाख रुपये की मुआवजा राशि बिहार सरकार के माध्यम से मृतक व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अदा करने हेतु राज्य के श्रमायुक्त के पास जमा करवा दी गई है।

[हिन्दी]

कृमिनाशक अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

693. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को कृमिनाशक अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुर, जयपुर, की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005-06 हेतु वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) आवेदक संगठन को इस मंत्रालय की तकनीकीय संवीक्षा समिति (टी सी एस) के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए दो बार बुलाया गया था। परन्तु वे बैठकों में उपस्थित नहीं हुए।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर परियोजना का आधुनिकीकरण

694. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जी हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक सहायता के वास्ते एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को संस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

गेहूं का भंडार

695. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं का भंडार सितम्बर, 2005 की शुरूआत में लगभग 11 मिलियन टन तक कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गेहूं सहित अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेहूं सहित खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार आगामी रबी के मौसम तक देश में मांग पूरी करने हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी कमी से खाद्य आधारित कार्यक्रमों, विशेष रूप से काम के बदले अनाज, योजना के प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो देश में खाद्यान्नों की कमी को दूर करने और मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या कमी के बावजूद विदेशों को खाद्यान्नों का निर्यात किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.9.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का 116.22 लाख टन स्टाक था।

(ख) वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान वसूल की गई खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

	चावल	गेहूं	जोड़
2002-03	190.02	190.55	380.57
2003-04	207.81	158.01	365.82
2004-05	240.37	167.96	408.33
2005-06 (23 नवम्बर, 2005 तक)	145.62	147.87	293.49

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आहार आदतों को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से उपर रह रहे परिवारों को खाद्यान्नों के आबंटन में चावल तथा गेहूं के अनुपात को सुप्रवाही बनाया गया है।

(2) देश के सभी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में खाद्यान्नों की पर्याप्त स्टाकिंग सुनिश्चित करना और उसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन रिलीज करना।

(3) अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नों का संचलन।

(4) खाद्यान्नों के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर बारीकी से नजर रखना।

(5) गेहूं के मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं रिलीज करना।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'इस्को' का 'सेल' के साथ विलय

696. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) के साथ विलय को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस विलय की नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस विलय से "सेल" को अपने संपूर्ण निष्पादन को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेल द्वारा 'इस्को' को लाभकारी बनाने के लिए इसमें कितनी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का सेल में विलय करने को मंजूरी दे दी है। सेवा में किसी व्यवधान के बगैर इसके स्थाई कर्मचारियों सहित इस्को के सभी दायित्वों, अधिकारों और देयताओं को सेल ग्रहण करेगा।

(ग) और (घ) इस विलय से इस्को सेल की वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय क्षमताओं को हासिल कर सकेगा जो विलयित कंपनी के विकास के लिए इस्को की खानों, कोयला खदानों, और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने और अच्छी कार्य-संस्कृति विकसित करने में सहायक होंगी।

(ङ) इस्को के लिए निगमित योजना के तहत इसके विकास और आधुनिकीकरण के लिए 8017 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

गोदामों की कमी

697. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) विभिन्न राज्यों में गोदामों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "एफ सी आई" को भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना

698. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए अपनी हिस्से की धनराशि जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान और इसके पश्चात् राज्यवार कुल कितनी धनराशि देय है; और

(ङ) केन्द्र सरकार के हिस्से की धनराशि को विषय रूप से केरल में कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाणपत्र और पहले प्रदान की गई धनराशि से संबंधित वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर दी जाती है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2002-05) और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 23.11.05 तक दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के लिए पिछले तीन वर्षों (2002-05) और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार संस्वीकृत केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	20.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	3.80	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.90
6.	दमन एवं दीव	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	11.83	4.42
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	4.50
11.	कर्नाटक	136.01	40.00
12.	केरल	150.00	150.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	11.25	5.85
15.	मणिपुर	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	17.72	0.00
18.	पांडिचेरी	428.34	75.00
19.	राजस्थान	0.00	0.00
20.	तमिलनाडु	1622.35	84.04
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
23.	उत्तरांचल	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	120.00	30.00
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.26	2.94
	कुल	2513.06	418.11

एफ.पी.आई. की स्थापना

699. श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को सराहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और प्रशासनिक समर्थन वाले ऐसे उद्योगों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी हां। हाल ही में, फ्रेंच और

इटली के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में बैठक की। दोनों ही प्रतिनिधियों ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभाव्यता और गतिशीलता की सराहना की। इन बैठकों में, मेजबान और मेहमान देशों को लाभकारी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग और भागीदारी विषय पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक सहायताप्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिटों की संख्या को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है। हाल ही में, वर्ष 2004-05 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण, एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है। मांस, पाल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% कर दिया गया है। खाद्य तेल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हैक्सन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% कर दिया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से बागवानी क्षेत्र के लिए आदि से अंत तक दृष्टिकोण (एंड-टू-एंड एप्रोच) सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैन्स पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिट
1	2
आंध्र प्रदेश	52
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	20
बिहार	4
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	1
गोवा	5
गुजरात	27
हरियाणा	15
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और कश्मीर	14
झारखण्ड	2
कर्नाटक	39
केरल	20
लक्षद्वीप	-
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	89
मणिपुर	24
मेघालय	4
मिजोरम	2
नागालैंड	2
उड़ीसा	10
पांडिचेरी	3
पंजाब	51
राजस्थान	9
तमिलनाडु	44
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	62
उत्तरांचल	8
पश्चिम बंगाल	34
कुल	579

भारतीय औषध उत्पादों के मूल्य

700. डा. एम. जगन्नाथ: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बाजार में भारतीय औषध उत्पादों के मूल्य देश में मौजूद मूल्य से उल्लेखनीय रूप से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्यातित प्रमुख प्रपुंज औषध और उनके विदेशों तथा घरेलू बाजार में तुलनात्मक मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) भारतीय औषधों के लिए विदेशी बाजार में बेहतर ढंग से पैठ जमाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) विदेशी बाजार में भारतीय औषध उत्पादों के मूल्य वाणिज्यिक आधार पर और अन्य कारकों जैसे किसी खास नैदानिक ग्रुप में कंपनी के बाजार बल, उसमें शामिल प्रतिस्पर्द्धियों के आधार पर भी तय होते हैं। अनुसूचीबद्ध औषधों और उनपर आधारित सूत्रयोगों के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित मूल्य देश में लागू होते हैं। ऐसे प्रपुंज औषधों/सूत्रयोगों के निर्यातक इन मूल्यों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

(ग) गत दो वर्षों में औषधों, भेषजों और सूक्ष्म रसायनों का निर्यात निम्न प्रकार है:–

(अमरीकी डालर मिलियन में मूल्य)

2003-04	:	3310.73
2004-05	:	3712.57

(घ) भारत सरकार विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत दवाइयों के निर्यात को संवर्धित करने के लिए अनेक उपाय करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात ढांचे और संबंधित कार्यकलापों (एएसआईडीई) के विकास, बाजार पहुंच प्रयास (एमएआई), बाजार विकास सहायता (एमडीए), व्यापार से संबंधित खर्च को पूरा करने, निर्यात-उत्कृष्ट शहरों का पुनर्गठन और निर्यातकों को सहायता, ब्रांड संवर्धन को गुणवत्ता, जांच-गृहों के आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन के लिए राज्यों को सहायता देना भी शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान क्षेत्र में भारत-पाक सहयोग

701. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालय पाकिस्तान के साथ कृषि विज्ञान क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उनके बीच कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी हां। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने कृषि में सहयोग के लिए कृषि विश्वविद्यालय, फैसलाबाद (पाकिस्तान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव की पहल की है। इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्न पर मुख्य जोर दिया जायेगा (1) किस्म विकास, (2) सस्य क्रियाएं, (3) वैज्ञानिक सूचना, (4) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम का विकास, (5) फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियां, (6) भण्डारण तथा संबद्ध बुनियादी ढांचा। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने कृषि विश्वविद्यालय, फैसलाबाद तथा अयूब कृषि अनुसंधान संस्थान, फैसलाबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव की पहल की है। इस समझौता ज्ञापन के तहत मुख्य गतिविधियों पर जोर दिया जायेगा (1) संकाय तथा विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, (2) सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं, (3) अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, (4) अध्ययन सामग्री तथा अन्य संबद्ध साहित्य का आदान-प्रदान, (5) सेमिनार तथा बैठकों में भाग लेना, (6) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

[अनुवाद]

खाद्य राजसहायता

702. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य राजसहायता के लिए आबंटित धनराशि और इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के खाद्यान्नों की खरीद पर खर्च करने के लिए प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के लीकेज और अन्यत्र किए जाने के कारण होने वाला घाटा अब 60% तक पहुंच चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारी मात्रा में खाद्यान्नों को अन्यत्र दिए जाने के कारण खाद्यान्नों की चालू वितरण प्रणाली को बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या गरीबों को खाद्यान्नों के वितरण के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2005-06 के लिए खाद्य राजसहायता के रूप में 26,031 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। बजट अनुमानों में 2005-06 के दौरान अंत्योदय परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न जारी करने के संबंध में वहन की जाने वाली अनुमानित राजसहायता के रूप में 16,684 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इतने बड़े पैमाने पर विपथन होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, योजना आयोग द्वारा अठारह प्रमुख राज्यों को कवर करते हुए किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन अध्ययन में यह देखा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए गए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों में से उचित दर दुकानों के स्तर पर लगभग 19.71 प्रतिशत का लिकेज हो जाता है और जाली कार्डों के जरिए लगभग 16.67 प्रतिशत का विपथन हो जाता है। इसके अलावा, परिवारों को शामिल करने में हुई त्रुटियों के कारण अवांछित लाभभोगियों (गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों) की ओर राजसहायता प्राप्त अनाज का विपथन होने से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नुकसान होता है। तथापि, यह रिपोर्ट 2001-02 के पुराने आरंभिक आंकड़ों पर आधारित है। चूंकि इसके बाद से अंत्योदय अन्न योजना लागू करने, जारी की जाने वाली मात्रा में परिवर्तन करने आदि जैसे कई उपाय किए गए है इसलिए इस रिपोर्ट पर पूर्णतया निर्भर करना कठिन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत सरकार ने विपथन और कदाचारों को रोकने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने हेतु कई उपाय किए हैं ताकि इसके लाभ लक्षित आबादी तक पहुंच सकें।

[हिन्दी]

सिंदरी उर्वरक कारखाना

703. श्री टेक लाल महतो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** सिंदरी उर्वरक कारखाना के बारे में 22 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3808 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंदरी उर्वरक कारखाने को पुनः शुरू करने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थापित प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में दो विकल्पों का प्रस्ताव किया है। इनमें से एक विकल्प 169.26 करोड़ रुपए की पूंजी लागत से 13024 रुपए प्रति मी. टन यूरिया की उत्पादन लागत पर त्वरित पुनर्प्रारंभ आधार पर संयंत्र को क्रियाशील बनाना है। दूसरा विकल्प 386.95 करोड़ रुपए की लागत से 11938 रुपए प्रति मी. टन यूरिया की उत्पादन लागत पर निष्पादन और कार्यक्षमता में सुधार लाना है।

(ग) इस इकाई का पुनरुद्धार प्रस्ताव की प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

अंडों में डायोक्सिन्स की अधिक मात्रा

704. **श्री सुरेश अंगड़ि:**
श्री सुबोध मोहिते:
श्री एस. अजय कुमार:
डा. के.एस. मनोज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टोक्सिक्स लिंक्स" नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में उत्पादित अंडों में डायोक्सिन्स होते हैं जैसा कि दिनांक 18 अक्तूबर, 2005 के "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) अंडे खाने वाले व्यक्तियों पर इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में मुर्गियों के प्रजनन और उन्हें खिलाने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन मानदंड बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) एक गैर-सरकारी संगठन "टाक्सिक्स लिंक" द्वारा क्वीन मेरी हस्पताल, लखनऊ के मेडिकल अपशिष्ट इनसिनरेटर के बिल्कुल समीप एक स्रोत से एकत्रित फ्री-रेंज चिकन अंडों के नमूनों में डायक्सिन पाया बताया गया था जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने इन निष्कर्षों पर गौर किया है।

(ङ) से (च) सरकार ने विभिन्न आयु वर्गों तथा विभिन्न प्रजातियों के लिए कुक्कुट आहार मानक प्रकाशित किए हैं। ये मानक कोडेक्स मानकों, उद्योग के अनुभव तथा शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त आदानों पर आधारित हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियां भी कुक्कुट प्रजनन के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों पर दिशानिर्देश उपलब्ध कराती हैं।

(छ) लागू नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

705. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री खारबेल स्वाईं:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-2006 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और इसका कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 21.11.2005 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2005-06 हेतु ब्याज की दर के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। तथापि, विचार-विमर्श के दौरान निर्णय नहीं लिया जा सका था अतः इस मामले पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

706. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में अभी भी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंध निदेशक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत पर्यटन विकास निगम में नियमित पद कब से खाली है;

(ग) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली रिसर्च समिति ने मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हेतु कुछ नामों की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) सीएमडी (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) का पद 1.10.1997 से खाली है और तब से दूसरे अधिकारियों द्वारा इसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला गया है। सरकार अब नियमित आधार पर सीएमडी के पद को भरने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक रिसर्च समिति ने उम्मीदवारों के एक पेनल की सिफारिश की थी, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

घरेलू टूर आपरेटरों को मान्यता

707. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू टूर आपरेटरों को मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे आपरेटरों से अब तक कितने सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) घरेलू पर्यटन के संवर्धन एवं विकास को गति देने एवं उच्च स्तर की सेवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने वास्तविक घरेलू टूर आपरेटरों को अनुमोदित करने के लिए एक स्वैच्छिक योजना प्रारम्भ की है। घरेलू टूर आपरेटरों द्वारा सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें पूरी की जानी अपेक्षित है, जो निम्न प्रकार से है:-

1. आपरेटर के पास न्यूनतम पांच लाख रुपयों की प्रदत्त पूंजी और बीस लाख रुपयों का कारोबार होना चाहिए।
2. आपरेटर को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रचालन में रहा होना चाहिए और उसके पास कम से कम 250 वर्ग फीट का कार्यालय क्षेत्र होना चाहिए।
3. आपरेटर के पास कम से कम 4 उपयुक्त रूप से योग्य कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए।
4. आपरेटर आयकर भरने वाला होना चाहिए।
5. मान्यता प्रदान हो जाने के पश्चात्, आपरेटर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधन और शर्तों का पालन करना होगा।

(ग) घरेलू टूर आपरेटरों के अनुमोदन हेतु दिशा-निर्देश, यात्रा व्यवसाय संघों के साथ परामर्श से तैयार किए गए हैं।

[हिन्दी]

किसानों की आय

708. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान कृषि उत्पाद की अंतिम लागत में से केवल 30 प्रतिशत लागत ही प्राप्त कर पाता है और शेष 70 प्रतिशत लागत बिचौलियों, अनाज एजेंटों और स्टाकिस्टों की जेब में जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र और संबंधित आर्थिक क्षेत्र में आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) इस मंत्रालय द्वारा 2004 में कराये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि किसानों के उत्पाद के अन्तिम मूल्य उसका अंश खाद्यान्नों तथा दालों के मामले में 56 से 89% के बीच, तिलहनों के मामले में 40 से 85% के बीच, फलों, सब्जियों तथा फूलों के मामले में 32 से 68% के बीच बदलता रहता है जो किसानों द्वारा अपनाये गये विपणन माध्यम तथा उसके खेत से मण्डी की दूरी पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) विपणन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर कृषि मंत्रालय ने राज्यों के दिशा-निर्देश के लिये कृषि मंडियों से संबंधित एक आर्दश विधान (ए पी एम सी अधिनियम) का निरुपण किया है। इससे कृषि जिंसों के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा मिलेगा और 'अनुबंध पर खेती' का समर्थन करने के लिए एक संस्थागत ढांचा भी प्राप्त होगा, जिसके तहत कम्पनियां कृषि उत्पादों के विपणन के लिये अनुबंध करती हैं और साथ ही, किसानों को प्रौद्योगिकीपरक तथा पूंजीगत सहायता प्रदान करती हैं। इस व्यवस्था से लघु फार्म क्षेत्र को सस्य-प्रसंस्करण उद्योग तथा विस्तार सलाह, बीज, ऋण और विश्वस्त तथा लाभप्रद मण्डियों के साथ जोड़ने की एक प्रभावी प्रणाली प्राप्त होगी।

अब तक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम तथा नागालैंड राज्यों ने प्रत्यक्ष मण्डियों का प्रावधान करने हेतु अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन किया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की कमी

709. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में यूरिया और अन्य रसायन उर्वरकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) अक्तूबर, 2005 माह में पश्चिम बंगाल राज्य में प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता इस प्रकार है:-

(मात्रा '000 मी. टन में)

उर्वरक का नाम	अक्तूबर, 2005 के लिए आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतशेष स्टाक
यूरिया	65.00	85.05	51.97	33.08
डीएपी	35.00	50.37	39.83	10.54
एमओपी	30.00	57.13	28.44	28.69

(ग) से (ङ) वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में यूरिया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यविषाक्तता से मोरों की मृत्यु

710. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में "फूड पोयजनिंग से दस मोर मरे" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) अन्य वन्य जीवों और पक्षियों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) देश में वन के निकट रहने वाले लोगों की हिंसक वन्य जीवों से रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 27 अक्तूबर, 2005 को हरियाणा में नारनोल के निकट हमीदपुर में कीटनाशक विष के कारण छः मोर मर गये हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों के कीटनाशकों की भारी मात्रा के उपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए गांवासियों के साथ बैठकें आयोजित की है। वन विभाग, हरियाणा में सुरक्षित कीटनाशकों और जैव पीड़क नाशकों पर अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए कृषि विभाग को भी निवेदन किया है।

(ग) वन्य पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों में शामिल हैं:-

1. वन्य, प्राणिजात और वनस्पति जात की प्रजातियों को उनके संकटपन्न/संकटमय स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के विभिन्न दर्जे प्रदान करके वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की छः अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है।

2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को 2002 में संशोधित करके और अधिक सख्त बनाया गया है।

3. वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सशक्त बनाया गया है।

4. मोर और अन्य चारा चुगने वाले पक्षियों को असावधानीवश हुई क्षति से बचाने के लिए रसायनिक पीड़कनाशियों के अंधाधुंध और अतार्किक उपयोग को न्यूनतम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समेकित कोट प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है।

5. जैवीय कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए और फसलों को कीटों के हमले व बीमारियों से बचाने के लिए किसानों के बीच जागरुकता उत्पन्न की जा रही है।

(घ) वनों के नजदीक रह रहे लोगों को हिंसक वन्य पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

1. वन्यपशुओं के मानवीय वासस्थलों में आवारा भटकने की घटनाओं को कम करने के लिए पर्यावास और पशु गलियारों को बहाल करना।

2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव वार्डन को, मानवजीवन अथवा

किसी भूमि पर खड़ी फसल सहित संपत्ति के लिए खतरा बन गए पशुओं के समूह अथवा पशु के शिकार के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सशक्त बनाया गया है।

3. मानव-पशु भिड़ंत की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रही भुगतान किया गया है।

4. मानव-पशु भिड़ंत को कम करने के लिए संरक्षण और अतिरिक्त आय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सीमान्तवर्ती वनवासियों के बीच जागरुकता उत्पन्न की गई है।

भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक

711. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 31 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के 68 पद खाली पड़े हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अक्तूबर, 2005 में प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया है। इसके अलावा, समूह "ख" से समूह "क" के रिक्त पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए आंतरिक रूप से भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

[अनुवाद]

बगलिहार जल-विद्युत परियोजना

712. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में बगलिहार जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(च) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि के खर्च किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या इस परियोजना पर कोई विवाद है; और

(ज) यदि हां, तो इसका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) निष्पक्ष विशेषज्ञ ने अपने सहायक, विशेषज्ञ निर्धारण के लिए समन्वयक एवं भारत और पाकिस्तान के तकनीकी शिष्टमण्डल के साथ 2 और 3 अक्तूबर, 2005 को बगलीहर जल विद्युत परियोजना का स्थल निरीक्षण किया।

(ख) से (घ) स्थल निरीक्षण इस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके द्वारा निष्पक्ष विशेषज्ञ यह निर्धारण कर पायेगा कि क्या भारत द्वारा तैयार किये गये बगलीहर बांध का यह डिजाइन सिन्धु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप है। निष्पक्ष विशेषज्ञ को उनको संदर्भित प्रश्नों पर अंतिम निर्धारण देना है और अगले वर्ष के शुरू में ही उनके निष्कर्ष आने की आशा है। विश्व बैंक को किसी अंतरिम रिपोर्ट की आवश्यकता अथवा इसे प्रस्तुत किए जाने की संभावना नहीं है, अत: विश्व बैंक द्वारा किसी प्रकार का उत्तर दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) सूचित की गई प्रगति के अनुसार, लगभग 50% तक कंक्रीट बांध ब्लाक पूरे किए गए थे, भूमिगत पावर हाउस के सिविल कार्य लगभग पूरे कर लिए गए थे, 150 मे.वा. का एक टर्बाइन/जेनरेटर लगा दिया गया था और दो अन्य यूनिटें संस्थापित की जा रही थीं।

(च) चालू आकलन के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की संभावना है।

(छ) और (ज) पाकिस्तान ने यह विवाद उठाया है कि बगलीहर जल विद्युत संयंत्र सिन्धु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने विश्व बैंक द्वारा एक निष्पक्ष विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक नाम का अनुमोदन किया था जो दोनों पक्षों की बात सुनने और सभी संगत दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात इस मामले में कोई निष्कर्ष निकालेगा। यह प्रक्रिया जून, 2005 में शुरू हो गई थी और मई, 2006 में इस पर कोई निष्कर्ष निकलने की संभावना है।

धान की खेती के लिए मुआवजा पैकेज

713. **श्री एल. गणेशन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को धान की खेती के लिए विभिन्न मुआवजा पैकेज देती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंडों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनाशकारी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा नष्ट हुई फसलों के कारण नुकसान उठाने वाले, विशेषकर पंजाब और दक्षिणी राज्य के किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या फिर जाने पर विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) राहत व्यय को वित्त पोषित करने की मौजूदा नीति के अनुसार राज्य सरकारें बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास उपाय करने के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। भारत सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत तथा पुनर्वास के लिये सहायता राज्यों को आपदा राहत कोष स्कीम (सी आर ए) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) के तहत दी जाती है। प्रत्येक राज्य के लिये एक आपदा राहत कोष गठित किया गया है, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। यदि आपदा गम्भीर प्रकृति की होती है और राज्य के आपदा राहत कोष में उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं होती है तो राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। फसलन क्षेत्रों सहित राहत तथा पुनर्वास के लिये सहायता पंजाब तथा दक्षिणी राज्यों सहित सभी राज्यों के लिये उपलब्ध है।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

714. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र की निगरानी करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशानिर्देश बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या देश में आयात किए जा रहे खाद्य पदार्थों को आने की अनुमति देने से पूर्व उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन सहित निगरानी की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 संसद में प्रस्तुत किया है जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की व्यवस्था है। खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में खाद्य वस्तुओं के संबंध में मानक और मार्गनिर्देश निर्धारित करना, खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री की निगरानी/विनियमन करना ताकि लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित हो सके, प्रमाणन निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता देना और उन्हें मार्गनिर्देश जारी करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में अंशदान करना, आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) इस विधेयक में व्यवस्था है कि सरकार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत खाद्य की किसी वस्तु को निषेध, प्रतिबंधित अथवा आयात को नियंत्रित करते समय खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानकों का पालन करेगी।

उर्वरकों का उत्पादन/आयात

715. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों का इकाईवार कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन इकाइयों को इकाईवार कितनी राजसहायता स्वीकृत की गई और दी गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों को आयात किया गया;

(घ) क्या कुछ निजी व्यापार कंपनियों को भी उर्वरकों को आयात करने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन गैर-उत्पादक उर्वरक कंपनियों को वितरित मात्रा और राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित पोषक तत्वों अर्थात नाइट्रोजन (एन) और फास्फेट (पी) के अनुसार उर्वरकों की कुल इकाईवार मात्रा संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन इकाइयों को दी गई राजसहायता संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों की कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	डीएपी	एमओपी	यूरिया
2002-03	3.70	25.32	शून्य
2003-04	7.34	25.79	शून्य
2004-05	6.44	34.09	6.41

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ गैर-उत्पादक निजी व्यापारिक कंपनियों को भी उर्वरकों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई मात्रा और उन्हें वितरित की गई राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण V में दर्शाया गया है।

विवरण I

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादन ('000' मी. टन)		
	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
एनएफएल: नांगल-I	13.5	16.0	3.5
एनएफएल: नांगल-II	220.1	220.1	227.2
एनएफएल: भटिण्डा	235.5	235.4	246.8
एनएफएल: पानीपत	225.4	235.3	244.4
एनएफएल: विजयपुर	397.7	406.4	426.2
एनएफएल: विजयपुर विस्तार	398.8	400.3	432.2
बीवीएफसीएल: नामरूप-II	0.0	0.0	0.0
बीवीएफसीएल: नामरूप-III	85.7	110.7	94.8

1	2	3	4
एफएसीटी: उद्योगमंडल	69.4	68.1	62.3
एफएसीटी: कोचीन-I*	4.4	0.0	0.0
एफएसीटी: कोचीन-II	103.7	85.3	94.7
आरसीएफ: ट्राम्बे**	45.6	44.4	52.5
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	51.7	48.8	46.4
आरसीएफ: ट्राम्बे-V	9.6	8.1	0.0
आरसीएफ: थाल	707.2	796.5	823.4
एनएफएल: चेन्नई	256.5	253.5	270.9
एसएआईएल: राउरकेला	0.4	0.0	0.0
उत्पाद द्वारा	28.9	19.9	29.2
सहकारिता क्षेत्र			
इफको: कांडला	368.0	322.1	362.5
इफको: कलोल	247.5	220.6	255.1
इफको: फूलपुर-I	253.6	248.7	260.0
इफको: फूलपुर-II	397.8	391.5	397.8
इफको: आँवला-I	398.4	397.8	397.7
इफको: आँवला-II	398.0	397.8	398.0
कृभको: हजीरा	737.6	815.6	830.6
निजी क्षेत्र:			
जीएसएफसी: वडोदरा	178.5	223.1	235.4
जीएसएफसी: सिक्का-I	117.9	81.0	51.5
जीएसएफसी: सिक्का II	0.0	9.5	50.3
सीएफएल: विजाग	111.9	133.8	164.9
एसएफसी: कोटा	181.1	167.4	174.3
डीआईएल: कानपुर	0.0	0.0	0.0
जैडआईएल: गोवा	264.2	278.1	307.6
स्पिक: तूतीकोरिन	324.3	344.3	385.7
एमसीएफ: मंगलौर	199.0	170.9	192.5

1	2	3	4
सीएफएल: एन्नौर	30.8	34.0	44.9
जीएनएफसी: भरूच	357.9	336.5	371.9
टीसीएल: तूतीकोरिन	19.7	20.5	18.8
टीसीएल: हल्दिया	111.7	91.1	78.1
पीएनएफ: नांगला	0.0	0.0	0.0
जीएफसीएल: काकीनाड़ा	134.7	142.8	146.4
आईजीसीएल: जगदीशपुर	397.7	396.6	453.2
हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.: दाहेज	54.2	40.9	51.5
डीएफपीसीएल: तलोजा	38.7	34.6	20.6
एनएफसीएल: काकीनाड़ा-I	258.4	275.3	302.2
एनएफसीएल: काकीनाड़ा-II	287.7	273.9	338.2
सीएफसीएल: गडेपन-I	397.9	417.6	442.2
सीएफसीएल: गडेपन-II	397.8	393.1	411.4
टीसीएल: बबराला	397.8	397.7	445.4
ओसीएफ: शाहजहांपुर	374.7	394.5	396.1
ओसीएफ: पारादीप	132.2	65.1	114.6
पीपीएल: पारादीप	134.5	164.9	184.3

पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्वों (एनपीके) के रूप में यूरिया, डीएपी और मिश्रितों (एनपीके) का इकाईवार उत्पादन

फास्फेट

कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पादन ('000' मी. टन)		
	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
एफएसीटी: उद्योगमंडल	31.1	28.2	20.2
एफएसीटी: कोचीन-II	103.7	85.3	94.7
आरसीएफ: ट्राम्बे	45.6	44.4	52.5
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	51.7	48.8	46.4

1	2	3	4
एफएमएल: चेन्नई	73.4	77.6	52.5
एचसीएल: खेतरी	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	1.9	0.0	0.0
सहकारिता क्षेत्र			
इफको: कांडला	949.5	832.6	938.3
निजी क्षेत्र			
जीएसएफसी: वडोदरा	35.4	65.0	62.0
जीएसएफसी: सिक्का-I	301.2	206.9	131.6
जीएसएफसी: सिक्का-II	0.0	24.2	128.7
सीएफएल: विजाग	150.2	175.7	216.2
जैडआईएल: गोवा	141.8	166.1	178.0
स्पिक: तूतीकोरिन	143.0	146.2	176.9
एमसीएफ: मंगलौर	46.7	40.2	84.4
सीएफएल: एन्नौर	37.7	38.4	49.6
जीएनएफसी: भरूच	35.2	24.3	36.0
टीसीएल: हल्दिया	310.0	234.0	220.6
जीएफसीएल: काकीनाड़ा	285.2	362.2	373.9
हिंडालको: दाहेज	137.2	103.6	131.7
डीएफपीसीएल: तलौजा	38.7	34.6	20.6
ओसीएफ: पारादीप	337.7	151.6	282.7
पीपीएल: पारादीप	292.9	344.0	407.3

विवरण II

क्र.सं.	स्थान सहित इकाई का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आरती इंडस्ट्रीज लि., गुजरात	0.0	5.8	6.7
2.	एग्रो फास्फेट इंडिया लि., मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.5
3.	आन्ध्रा शुगर्स लि. आंध्र प्रदेश	4.4	5.5	8.0

1	2	3	4	5
4.	अरावली फास्फेट लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान	2.9	3.4	4.9
5.	अरिहंत फास्फेट्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	5.3	5.5	2.4
6.	आशा फास्फेट्स लिमिटेड, मंदसौर, मध्य प्रदेश	0.3	0.2	0.0
7.	एशियन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	5.0	10.3	10.3
8.	बालाजी फर्टिलाइजर्स, महाराष्ट्र	0.0	1.3	2.9
9.	बसंत एग्रो-टेक इंडिया लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र	7.1	11.2	9.7
10.	बीईसी लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	16.1	16.2	16.1
11.	बीईसी लिमिटेड, वर्धा, महाराष्ट्र	6.8	10.4	10.5
12.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र	0.0	2.3	0.0
13.	बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान	14.0	11.2	8.6
14.	केमटेक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मेडाक, आंध्र प्रदेश	1.8	2.4	3.3
15.	कोयम्बटूर पायोनीर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	6.5	7.0	5.7
16.	धारामसी मोरारजी केमिकल कोआपरेटिव लि. खेमली, राजस्थान	6.8	6.6	3.8
17.	धारामसी मोरारजी केमिकल कोआपरेटिव लि. कुमहारी, एमपी	7.7	0.0	0.0
18.	डीएमसीसी, अंबरनाथ, महाराष्ट्र	25.7	19.8	14.7
19.	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि. चेन्नई (अब कोरोमंडल (फर्टिलाइजर्स लि. में मर्ज हो गई है)	18.6	18.5	16.4
20.	गायत्री स्पिनर्स लि., राजस्थान	1.7	2.2	2.3
21.	हिंद लीवर केमिकल्स लि., हल्दिया, पश्चिम बंगाल (अब टाटा केमिकल्स लि.)	22.5	12.4	19.6
22.	इंडियन फास्फेट लिमिटेड, राजस्थान	0.0	0.0	2.8
23.	जयराम फास्फेट, नागपुर, महाराष्ट्र	5.6	8.1	6.3
24.	जयश्री केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लि. (इकाई-I), कोलकाता	7.1	6.1	5.3
25.	जयश्री केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लि. (इकाई-II), कोलकाता	6.6	6.5	7.1

1	2	3	4	5
26.	जुबिलेंट आर्गेनाइज लिमिटेड, ज्योतिभा - फुले नगर, उत्तर प्रदेश	20.6	18.7	17.2
27.	काशी उर्वरक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	0.1	0.1	0.0
28.	खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंदौर, एमपी	22.7	29.2	25.5
29.	खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, झांसी इकाई (पहले श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि., उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता था)	12.8	13.7	10.5
30.	खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राजस्थान	0.0	0.0	4.6
31.	खेतान फर्टिलाइजर्स रामपुर, उत्तर प्रदेश	2.5	0.0	0.0
32.	कृष्णा इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कोआपरेटिव लिमिटेड, चेन्नई	3.4	3.8	3.4
33.	लिबर्टी फास्फेट्स लिमिटेड, गुजरात	11.3	8.8	8.1
34.	लिबर्टी फास्फेट्स लिमिटेड, उदयपुर-राजस्थान	24.3	29.4	23.5
35.	लिबर्टी उर्वरक लिमिटेड, मध्य प्रदेश	0.0	3.6	9.5
36.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि., मध्य प्रदेश	0.5	0.0	1.0
37.	मध्य भारत फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश	0.0	0.4	1.8
38.	मध्य प्रदेश आर्गेकिम लिमिटेड, मध्य प्रदेश	0.2	0.1	0.0
39.	महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश	1.3	0.9	0.0
40.	मंगलम फास्फेट्स लिमिटेड, राजस्थान	1.1	0.5	1.0
41.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश	0.5	0.5	0.2
42.	नर्मदा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लि., जूनागढ़, गुजरात	0.3	0.1	0.3
43.	निरमा लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	13.3	14.2	13.2
44.	फास्फेट कंपनी लिमिटेड, रिश्रा, पश्चिम बंगाल	13.0	12.6	12.2
45.	प्रगति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजाग, आंध्र प्रदेश	1.6	3.0	3.0
46.	पद्यूषा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	4.4	3.1	1.9
47.	प्रेमसखी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राजस्थान	3.6	4.1	3.5
48.	प्रियंका फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, विजाग, आंध्र प्रदेश	1.5	1.8	1.6
49.	रामा कृषि रसायन, पुणे, महाराष्ट्र	10.5	12.8	8.8

1	2	3	4	5
50.	रामा फास्फेट लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश	16.0	16.0	15.8
51.	रामा फास्फेट्स (उदयपुर इकाई), राजस्थान	8.9	11.2	9.6
52.	साधना फास्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	0.9	2.2	0.6
53.	शिवा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नांदेद, महाराष्ट्र	10.6	10.7	8.4
54.	श्री भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र	2.0	1.7	1.6
55.	श्री गणपति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	0.2	0.1	1.0
56.	शूरवी कलर केमिकल्स लिमिटेड, राजस्थान	0.9	0.7	1.0
57.	सोना फास्फेट्स लिमिटेड, गुजरात	0.1	0.1	0.0
58.	श्रीकृष्णा फर्टिलाइजर, मुजफ्फरपुर, बिहार	0.3	0.2	0.0
59.	सुभोद्या केमिकल्स लिमिटेड, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश	2.2	1.4	1.9
60.	स्वास्तिक फर्टिलाइजस एंड केमिकल्स लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश	3.6	3.7	2.5
61.	टी.जे. एग्रो फर्टिलाइजर, गुजरात	0.0	1.4	3.0
62.	टेडको ग्रेनाइट लिमिटेड, भीलवारा, राजस्थान	0.0	5.3	8.6
63.	तीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	15.6	14.4	15.4
64.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, कर्नाटक	2.0	3.5	5.6
65.	वी.के. फास्फेट्स, उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.3
	कुल उत्पादन ('000 मी. टन में))	385.2	406.9	393.8

विवरण III

क्र.सं.	इकाई का नाम	दी गई कुल राजसहायता (लाख रुपये में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	बीवीएफसीएल/एचएफसी-नामरूप	1256	1440	2864
2.	फैक्ट-कोचीन	96	-1046	-663
3.	एफसीआई-सिन्दरी	4270	4046	0
4.	जीएनएफसी-भैरुच	25576	22485	26546
5.	जीएसएफसी-बरोदा	8614	7001	21768

1	2	3	4	5
6.	एमएफएल-मद्रास	45218	40976	49674
7.	एमएफएल-भटिंडा	48861	50201	43437
8.	एमएफएल-नांगल	35253	54485	45251
9.	एमएफएल-पानीपत	39942	46588	40468
10.	एमएफएल-विजयपुर	14315	16449	14645
11.	एमएफएल-विजयपुर विस्तार	27854	28414	32083
12.	एनएलसी-नवेली	6560	5061	-15
13.	आरसीएफ-थाल	40631	66942	67109
14.	आरसीएफ-ट्रोम्बे-V	945	156	0
15.	इफको-आँवला	26888	14735	15817
16.	इफको-आँवला विस्तार	20515	14389	24556
17.	इफको-कलोल	27739	28694	31976
18.	इफको-फुलपुर	50623	46095	52658
19.	इफको-फुलपुर विस्तार	69098	57755	86560
20.	कृभको-हजीरा	19112	32221	19751
21.	सीएफसीएल-कोटा	21835	19956	38649
22.	सीएफसीएल-कोटा विस्तार	59369	61747	82119
23.	डंकन-कानपुर	7463	0	0
24.	इण्डो-गल्फ-जगदीशपुर	19748	10628	21597
25.	एनएफसीएल-मंगलौर	18910	22621	38463
26.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा	18096	12012	18425
27.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा विस्तार	12591	20781	29805
28.	ओसीएफएल-शाहजहांपुर	20046	20143	36176
29.	ओसीएफ-कोटा	21941	29937	31048
30.	एसपीआईसी-तूतीकोरिन	43103	52003	66813
31.	टाटा-बबराला	21904	17588	38266
32.	जेडएसीएल-गोवा	29221	38141	48461
	अन्य भुगतान/आईसी/सीडी आदि	242	9456	0
	घटाए: प्राप्तियां	-28835	0	0
	सकल योग	779000	852100	1024315

विवरण IV

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	दी गई राजसहायता की राशि लाख रुपये में		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र सुगर	131.72	267.59	279.06
2.	अरावली	128.77	167.12	156.85
3.	अरीहंत	263.11	208.33	128.48
4.	अरीहंत फर्ट	9.05	0.00	0.00
5.	आशा फॉस्फ	9.92	0.35	17.42
6.	एशियन फर्टिलाइजर	181.51	386.43	377.61
7.	बालाजी	0.57	30.46	86.25
8.	बंसत	340.40	345.77	348.64
9.	बीइसी (पी)	298.55	328.35	451.77
10.	बीइसी फर्टिलाइजर	628.23	716.55	583.11
11.	भारत फर्टिलाइजर	136.68	84.02	34.74
12.	बीएमएफपी	113.82	74.24	59.38
13.	बोहरा	740.08	405.63	300.82
14.	सीएफएल	7847.77	15513.11	30151.92
15.	कमटेक फर्ट	79.36	105.01	127.95
16.	कोयम्बटूर	251.32	305.54	276.19
17.	दीपक	2071.27	1756.87	1407.46
18.	डीएमसीसी	1478.73	1269.92	735.13
19.	ईआईडी (पेरी)	2148.67	2233.91	0.00
20.	फैक्ट	15422.20	12241.20	21165.71
21.	गायत्री	62.50	78.18	83.43
22.	जीएफसीएल	15669.39	18210.43	32896.61
23.	जीएफसीएल (इफको)	0.00	868.50	0.00
24.	जीएनवीएफसी	2208.90	3827.85	4815.10
25.	जीएसएफसी (एस)	4843.52	3320.13	26346.99

1	2	3	4	5
26.	जीएसएफसी (बी)	17198.21	16118.71	0.00
27.	हिन्डालको	0.00	5821.22	11473.44
28.	एचएलएल	15097.09	16603.68	0.00
29.	इफ्को	56917.57	64742.91	97170.77
30.	इफ्को (जीएफसीएल)	1698.43	3411.70	2398.56
31.	आईजीसीएल	7018.86	1798.43	0.00
32.	जय राम	211.86	311.35	253.99
33.	जय श्री (I)	345.40	332.57	228.81
34.	जय श्री (II)	252.69	363.02	273.53
35.	जय श्री (III)	44.59	2.68	0.00
36.	जुबीलेंट	690.68	689.93	33.36
37.	काशी उर्वरक	7.36	2.72	1.40
38.	खेतान केमिकल्स (I)	1013.85	1169.67	1152.75
39.	खेतान केमिकल्स (II)	0.00	416.75	306.51
40.	खेतानी फर्ट	135.13	0.00	7.43
41.	कोठारी	27.81	3.45	0.00
42.	कृष्णा इंडस्ट्रीज	128.51	165.70	147.29
43.	लिबर्टी	1421.58	1461.12	1200.05
44.	महादेव	161.33	31.24	18.57
45.	मंगलम	72.11	26.95	34.28
46.	मरदीआ	161.13	29.38	0.00
47.	एमबी (पीवीटी)	0.00	4.92	28.04
48.	एमबीएपीएल	90.66	16.14	41.83
49.	एमसीएफएल	3699.07	3013.48	7251.41
50.	मेडिक	147.21	0.08	0.00
51.	मेक्सकेन फास	0.00	44.87	0.00
52.	एमएफएल	8110.20	11667.84	13896.62
53.	एमपीओएल	10.96	3.18	3.59

1	2	3	4	5
54.	मुक्तेश्वर	27.33	10.81	11.18
55.	मुनाक	0.00	8.59	0.00
56.	नर्मदा एग्रो	0.00	16.13	6.78
57.	नटराज अरगेनिक	0.00	63.84	9.05
58.	निरमा	807.32	615.09	615.39
59.	ओसीएफएल	18632.10	8510.45	26444.59
60.	ओरियेन्टल	7.06	0.51	0.00
61.	फास्फेट कम्पनी	535.38	562.00	526.30
62.	पीपीएल	12042.56	20404.70	31031.64
63.	प्रगति	71.91	126.65	122.33
64.	प्रत्यक्षा	267.09	153.29	27.85
65.	प्रेमसखी	167.45	224.85	153.10
66.	प्रियंका	79.48	72.97	66.72
67.	पाइराइट फास्फेट	8.14	0.00	0.00
68.	राजलक्ष्मी	2.95	1.97	0.00
69.	रामा फॉस I	277.57	622.84	643.30
70.	रामा फॉस (यू)	660.68	766.23	290.02
71.	राशि फर्ट	28.83	2.82	0.00
72.	आरसीएफ	7050.82	9276.23	11410.07
73.	रेवती मिनरल	31.47	0.79	1.07
74.	आरकेआरएल	437.58	578.37	0.00
75.	साधना	78.47	100.14	33.58
76.	शारदा फर्ट	0.00	0.00	0.00
77.	शा वालेस	0.00	0.00	0.00
78.	शिवा	387.70	397.66	399.90
79.	श्री एसिड	43.71	0.00	0.00
80.	श्री गनपति	4.38	0.33	34.16

1	2	3	4	5
81.	श्री जी फॉस	25.24	0.00	0.00
82.	श्री जी फर्ट	1.74	0.00	0.00
83.	श्री कृष्णा	7.20	0.00	43.16
84.	श्री निवास फर्ट	743.66	25.84	0.00
85.	सोना फॉस	2.43	1.77	0.85
86.	एसपीआईसी	8414.20	9152.58	15722.58
87.	सुबोधिया	79.09	71.24	80.93
88.	सुरभी	37.86	32.02	31.60
89.	स्वास्तिक	149.33	142.30	120.05
90.	टीडीको	55.32	157.99	337.94
91.	तिस्टा	763.19	626.26	742.14
92.	तुंगभद्रा	79.82	151.50	170.51
93.	वाम	1.51	147.81	0.00
94.	जेडआईएल	10354.08	13969.86	24398.79
95.	जुबलीन्ट (वीएएम)	0.00	0.00	813.13
96.	खेतान केमिकल्स III	0.00	0.00	104.51
97.	लिबर्टी उर्वरक	0.00	0.00	362.97
98.	ओसीसीएल	0.00	0.00	0.00
99.	रामा कृषि	0.00	0.00	448.20
100.	टी जे अग्रो	0.00	0.00	122.57
101.	टाटा केमिकल्स (एचएलएल)	0.00	0.00	23395.57
102.	एग्रो फोस	0.00	0.00	1.27
	योग	232092.98	257995.65	395476.65
	अक्तूबर 200 से पूर्व बिक्री पर राजसहायता राशि	16300.00	2346.00	1375.89
	विशेष भाडे के लिए राजसहायता	381.00	258.00	846.15
	सकल योग	248773.98	260599.65	397698.69

विवरण I

कम्पनी का नाम	आयातित डीएपी की बिक्री पर दी गई वर्ष-वार मात्रा और रियायत की राशि					
	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
आईपीएल	140741.27	2377.40	231620.3	3707.72	50452.22	1974.38
कारगिल	78800.25	1297.07	127646.7	2397.20	231224.55	8628.96
एमएमटीसी	386.62	6.55	371.55	7.48	0.00	0.00

कम्पनी का नाम	एमओपी की बिक्री पर दी गई वर्ष-वार मात्रा और रियायत की राशि					
	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
आईपीएल	1044761.32	32087.32	1069358.72	27168.37	1536642.34	80609.18
पीसीटीएल	1871.88	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
एमएमटीसी	20844.90	644.93	13785.95	241.47	5839.55	316.01

कम्पनी का नाम	आयातित यूरिया की बिक्री पर दी गई वर्ष-वार मात्रा और रियायत की राशि					
	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
आईपीएल	0	0	0	0	18500	1372

चंडीगढ़ में राशन कार्ड जारी किया जाना

716. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कुल कितने परिवारों में राशन कार्ड हैं;

(ख) उपर्युक्त परिवारों में से कितने परिवारों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के रूप में पहचान की गई है;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कुल कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं;

(घ) अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जारी करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किन शर्तों को लागू किया गया है;

(ङ) क्या प्रशासन द्वारा नया कार्ड जारी करने के लिए आवेदक द्वारा इस शपथपत्र को दाखिल करना पर्याप्त नहीं समझा जाता है कि उसके पास पहले कभी राशन कार्ड नहीं था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस पद्धति से बड़ी संख्या में अन्य प्रकार से पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित होते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसे 2,28,152 परिवार हैं, जिनके पास राशन कार्ड हैं।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ में उपर्युक्त 2,28,152 परिवारों में से 12024 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी किए गए थे। तथापि, मौसमी श्रमिकों के पलायन के कारण गरीबी रेखा से नीचे के अधीन फिलहाल 6673 परिवारों को राशन प्रदान किया जा रहा है।

(घ) अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जारी करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निम्नलिखित शर्तें अपनाई जा रही है:-

(1) प्रति व्यक्ति प्रति माह 250 रुपये की उच्चतम आय सीमा की शर्त है।

(2) आवेदक के पास स्कूटर/रेफ्रिजेरेटर अथवा रंगीन टेलीविजन नहीं होना चाहिए।

(ङ) नया राशन कार्ड जारी करने के लिए शपथ-पत्र भरना पर्याप्त नहीं समझा जाता है।

(च) राशन कार्ड जारी करने के संबंध में दोहरेपन से बचने के लिए केवल सरेन्डर/डिलीशन प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाता है और शपथ-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है।

(छ) और (ज) चूंकि आवेदक द्वारा वांछित डिलीशन/सरेन्डर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है इसलिए पात्र और वास्तविक व्यक्ति के छूट जाने की संभावना नगण्य है।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि कृषि

717. श्री मित्रसेन यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने देश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, विशेषकर उन जिलों की जहां वार्षिक वर्षा कम होती है और सिंचाई के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्र आता है, की समस्याओं के निदान के लिये "इन्हैन्सिंग सस्टेबिलिटी आफ ड्राईलैण्ड फार्मिंग सिस्टम्स" नामक एक नई योजना तैयार की है। प्रारम्भ में इस योजना को कुल 16 जिलों अर्थात राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चार-चार जिलों में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये 20.00 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का प्रावधान किया गया है। राज्यवार आवंटन योजना को क्रियान्वयन के लिये अंतिम रूप से अनुमोदन मिल जाने के बाद किया जायेगा।

रोजगार सृजन हेतु लक्ष्य

718. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) 10वीं योजनावधि अर्थात् वर्ष 2002-2007 हेतु प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रोजगार अवसरों की दर से लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के विरल प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 2000-2002 (जुलाई-दिसम्बर) के दौरान प्रतिवर्ष औसतन लगभग 84 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाने का अनुमान है।

कीड़ों के कारण क्षति

719. श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कीड़ों के कारण नुकसान उठा रहे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) इस समस्या के परिणामस्वरूप किसानों को कुल कितना घाटा हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 12वें वित्त आयोग ने "कृमि आक्रमण" को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल किया है जिसके लिए आपदा राहत कोष (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से राहत व्यय किया जा सकता है।

(ख) ऐसे किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए जिनकी फसलें कृमि आक्रमणों के कारण बर्बाद हो गई हैं, अब तक सीआरएफ अथवा एनसीसीएफ के अधीन सहायता के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क खनन संबंधी दिशा-निर्देश

720. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क खनन के संबंध में एक विशेष समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टों को तरजीही मंजूरी देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने हेतु इस्पात मंत्रालय ने 2.4.2005 को एक "विशेषज्ञ समूह" का गठन किया था। "विशेषज्ञ समूह" ने 26.08.2005 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे प्रदान करने के लिए तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) की सिफारिश की है। तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) "विशेषज्ञ समूह" की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का ब्यौरा

"विशेषज्ञ समूह" की सिफारिशें लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के पट्टों तक ही सीमित हैं और मूलत: इसमें तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) शामिल है जिसे खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(5) के तहत लौह अयस्क और क्रोम अयस्क पट्टों के लिए आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेते समय लागू किया जाना है। तरजीही योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

तरजीही योजना: लौह अयस्क

* लौह अयस्क के लिए तरजीही योजना में "तरजीही क" इस्पात संयंत्रों के लिए निजी आधार पर खनन पट्टों के आबंटन के लिए है। इस तरजीही समूह के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों/परियोजनाओं को भिन्न प्राथमिकताएं दी गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है:

— **प्राथमिकता 1:** 30 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक मौजूदा क्षमताओं और अनुमानित विस्तार, दोनों हेतु सरकारी क्षेत्र के मौजूदा एकीकृत इस्पात संयंत्र।

— **प्राथमिकता 2:** मौजूदा क्षमता तथा वर्ष 2019-20 तक ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए अधिकांशत: भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष और इससे अधिक क्षमता के मौजूदा पूणत: एकीकृत इस्पात संयंत्र।

— **प्राथमिकता 3:** 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ग्रीनफील्ड संयंत्र जमा अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी द्वारा अयस्क प्रचुरता वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली क्षमताएं और वर्ष 2011-12 तक प्रारंभन के लिए योजनाबद्ध 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ब्राउन फील्ड व ग्रीन फील्ड संयंत्र (अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रवर्तित)।

— **प्राथमिकता 4:** अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रवर्तित न्यूनतम 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ग्रीनफील्ड संयंत्र।

— **प्राथमिकता 5:** न्यूनतम 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की सम्मिलित क्षमता वाले लोहा और इस्पात उत्पादक संघ।

* "तरजीह ख" खनन कंपनियों से संबंधित है और इस समूह के अंतर्गत प्रथम प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियों को तथा द्वितीय प्राथमिकता व्यावसायिक रूप से प्रबंधनाधीन उन कंपनियों को दी गई है जिनका उन पट्टों के आबंटन के लिए सुधार और सज्जीकरण का पिछला प्रमाणिक रिकार्ड है, जिनमें 55 प्रतिशत राखांश से कम का 90 प्रतिशत अयस्क है और तृतीय प्राथमिकता उन अधिकांशतः भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनियों को दी गई है जिनका पिछला प्रणाणिक खनन रिकार्ड है और वे घरेलू संयंत्रों को अयस्क की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

* इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां तथा प्रावधान निम्नलिखित हैं:

— इस्पात संयंत्रों द्वारा संचयन के माध्यम से 60 प्रतिशत लौह अयस्क का उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही 55 प्रतिशत से अधिक राखांश वाले सभी अयस्कों का खनन किया जाना चाहिए।

— विस्तार/ब्राउन फील्ड तथा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए पट्टों की मंजूरी देने के सभी मामलों को सिद्धांत रूप से पहले अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए और पट्टों की वास्तविक मंजूरी अंतिम उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़ी होनी चाहिए।

— तरजीही का संबंध संयंत्र की अवस्थिति या किसी राज्य विशेष की सीमाओं से नहीं होना चाहिए।

— जिन मामलों में पट्टे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं और विनिमय की अनुमति दी जाती है, को छोड़कर किसी भी निजी आबंटी द्वारा अयस्क का निर्यात या घरेलू बिक्री नहीं की जानी चाहिए। तथापि, संचित और सज्जित अयस्कों की घरेलू बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

— राज्य सरकारों द्वारा पहले ही किए जा चुके समझौता ज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें तरजीही योजना के अनुरूप बनाने के लिए उनमें यथाआवश्यक संशोधन या निरसन किए जाएंगे।

— अटार्नी जनरल से परामर्श करने के पश्चात तरजीही योजना को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि भविष्य में मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

तरजीही योजना: क्रोम अयस्क

तरजीही योजना

* **प्रथम प्राथमिकता:** 30 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने के लिए मौजूदा चार्ज क्रोम तथा फैरो क्रोम संयंत्र।

* **द्वितीय प्राथमिकता:** 20 वर्षों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ब्राउन फील्ड विस्तार/ग्रीन फील्ड योजनाएं (2 वर्ष के भीतर शुरू की जाने वाली)

* निजी आबंटियों द्वारा प्राकृतिक अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

"विशेषज्ञ समूह" ने सिफारिश की है कि उड़ीसा सरकार को खुली भंडारों का निक्षेपण करना चाहिए जिनके लिए ओएमसी के पास अगले पांच वर्षों में भावी/खनन योजना नहीं है।

सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

721. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सीमेंट संयंत्रों की निकटवर्ती गांवों के रिहायशी इलाकों में स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जल निकायों, सड़कों इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस संबंध में सीमेंट उद्योगों के लिए क्या नियम तथा विनियमन हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) गुजरात में सीमेंट संयंत्र, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध सहमति से चलाया जा रहा है, जो नियमित रूप से सहमति शर्तों और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की मानीटरिंग कर रहा है। इससे अवसंरचना और अन्य सुविधाओं पर दुष्प्रभाव पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सीमेंट उद्योगों से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

चावल का उत्पादन

722. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2004-2005 के दौरान चावल के उत्पादन का क्या लक्ष्य था;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान चावल का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2005 हेतु चावल का उत्पादन लक्ष्य 93.50 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2004-05 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन 85.31 मिलियन मी. टन था जिसमें खरीफ चावल का 71.67 मिलियन मी. टन उत्पादन और रबी चावल का 13.64 मिलियन मी. टन उत्पादन शामिल था। इस प्रकार वर्ष 2004-05 में चावल का उत्पादन लक्षित उत्पादन से 8.19 मिलियन मी. टन कम था। यह कमी वर्ष 2004-05 के खरीफ मौसम में मुख्यतया चावल के कम उत्पादन के कारण आई। दक्षिण-पश्चिम मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण गिरावट आई। अखिल भारतीय वर्षा इसकी दीर्घावधिक औसत का केवल 87% थी।

भारत सरकार चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 1994-95 में क्रियान्वयन हेतु चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 अंश आधार पर क्रियान्वित किया गया। केन्द्रीय सरकार देश में चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम क्रियान्वित करती रही है।

इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से बृहत् कृषि प्रबंधन प्रणाली के अधीन 26 स्कीमों के साथ मिला दिया गया ताकि राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। अब यह स्कीम भारत सरकार और राज्यों के बीच 90:10 अंश आधार पर क्रियान्वित की जा रही है इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को उनकी कार्य योजनाओं के अनुसार उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, संकर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शन के जरिए समेकित कृमि प्रबंध के प्रचार; महिलाओं सहित कृषक प्रशिक्षण; इलैक्ट्रानिक मीडिया और प्रकाशित साहित्य के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण; कृषि उपकरणों; स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की संस्थापना; किस्मीय प्रतिस्थापना; प्रमाणित बीजों के उत्पादन आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा भारत सरकार की 100% सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंटलाईन प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है।

स्पान्ज लौह संयंत्रों की स्थापना

723. श्री विक्रम भाई अर्जनभाई माडम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा आगामी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कितने स्पान्ज लौह संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है; और

(ख) इससे देश में इस्पात की उपलब्धता कितनी बढ़ जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) मौजूदा औद्योगिक नीति के अनुसार देश में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दसवीं योजना की शेष अवधि तथा आगामी 11वीं योजना के दौरान सृजित होने वाली नई स्पंज लोह क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नए (ग्रीनफील्ड) संयंत्र

वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल क्षमता (एमटी)
दसवीं योजना की शेष अवधि (2005-06 और 2006-07)	52	4.593
11वीं योजना-पहला वर्ष: 2007-08	6	1.254
योग	58	5.847

विस्तार के लिए प्रस्तावित मौजूदा इकाइयां

वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल क्षमता (एमटी)
दसवीं योजना की शेष अवधि (2005-06 और 2006-07)	72	5.465
11वीं योजना-पहले 2 वर्ष: 2007-08 और 2008-09	5	1.857
योग	77	7.322

सभी अतिरिक्त स्पंज लोहा क्षमता निजी क्षेत्र में सृजित हो रही है।

(ख) केवल स्पंज लोहे का उपयोग करके स्पात का उत्पादन करने पर 88 प्रतिशत (लगभग) उत्पादन होता है। तथापि, इस्पात की घरेलू उपलब्धता में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी होगी यह चार्जमिक्स के संयोजन पर निर्भर करेगा।

कपास और सोयाबीन की फसलों का नष्ट होना

724. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खराब मौसम तथा अत्यधिक वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कपास और सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चक्रवाती वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है तथा वे आत्महत्या करने को विवश हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गरीब किसानों के जीवन तथा उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में खराब मौसम तथा अत्यधिक वर्षा के कारण कपास और सोयाबीन फसलें बर्बाद हो गई हैं। तथापि, तमिलनाडु राज्य में कपास और सोयाबीन फसलों के बर्बाद होने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) इस संबंध में आत्महत्या के किसी मामले की सूचना नहीं है। किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), आपदा राहत कोष (सीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की गई है।

ऋण जाल में फंसे किसान

725. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों की राज्यवार प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या देश में ऋण में फंसे हुए किसानों के परिवारों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान ऋण में फंसे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) ब्यौरा विवरण-I पर है।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा विवरण-II पर है।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 498 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कृषक परिवारों के 40.3% परिवारों के 40.3% परिवार ऋणग्रस्त हैं।

(ङ) ब्यौरा विवरण-III पर है।

विवरण I

औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (रु.) (आय के बदले के रूप में)

एमपीसीई* (रुपये)

राज्य/के.शा.प्र.	खाद्य पर	गैर-खाद्य पर	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	289.00	223.55	512.55
अरुणाचल प्रदेश	307.42	275.23	582.65

1	2	3	4
असम	311.72	167.70	479.42
बिहार	250.28	153.32	403.60
छत्तीसगढ़	219.11	159.78	378.89
गुजरात	313.29	249.58	562.87
हरियाणा	393.97	347.13	741.10
हिमाचल प्रदेश	371.46	337.01	708.47
जम्मू-कश्मीर	396.86	314.96	711.82
झारखण्ड	225.06	127.79	352.85
कर्नाटक	262.71	228.48	491.19
केरल	418.88	481.71	900.59
मध्य प्रदेश	217.17	189.13	406.30
महाराष्ट्र	268.25	255.87	524.12
मणिपुर	314.98	277.29	592.27
मेघालय	347.06	245.68	592.74
मिजोरम	365.06	291.53	656.59
नागालैण्ड	478.02	404.91	882.93
उड़ीसा	202.81	138.94	341.75
पंजाब	403.84	424.17	828.01
राजस्थान	308.63	248.82	557.45
सिक्किम	329.60	218.42	548.02
तमिलनाडु	302.07	270.74	572.81
त्रिपुरा	316.64	245.25	561.89
उत्तर प्रदेश	257.30	217.59	474.89
उत्तरांचल	301.81	264.78	566.59
पश्चिम बंगाल	311.32	196.42	507.74
केन्द्र शासित प्रदेशों का समूह	349.84	308.66	658.50
अखिल भारत	278.74	224.09	502.83

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट सं. 495: कृषक परिवारों का खपत व्यय, 2003

*मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय

विवरण I

प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों की कुल और ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या ('00)	ग्रामीण किसानों की अनुमानित संख्या ('00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या ('00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	142512	60339	49493	82.0
अरुणाचल प्रदेश	15412	1227	72	5.9
असम	41525	25040	4536	18.1
बिहार	116853	70804	23383	33.0
छत्तीसगढ़	36316	27598	11092	40.2
गुजरात	63015	37845	19644	51.9
हरियाणा	31474	19445	10330	53.1
हिमाचल	11928	9061	3030	33.4
जम्मू-कश्मीर	10418	9432	3003	31.8
झारखण्ड	36930	28238	5893	20.9
कर्नाटक	69908	40413	24897	61.6
केरल	49942	21946	14126	64.4
मध्य प्रदेश	93898	63206	32110	50.8
महाराष्ट्र	118177	65817	36098	54.8
मणिपुर	2685	2146	533	24.8
मेघालय	3401	2543	103	4.10
मिजोरम	942	780	184	23.6
नागालैण्ड	973	805	294	36.5
उड़ीसा	66199	42341	20250	47.8
पंजाब	29847	18442	12069	65.4
राजस्थान	70172	53080	27828	52.4
सिक्किम	812	531	174	38.8
तमिलनाडु	110182	38880	28954	74.5

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	5977	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	221499	171575	69199	40.3
उत्तरांचल	11959	8962	644	7.20
पश्चिम बंगाल	121667	69226	34696	50.1
केन्द्र शासित प्रदेशों का समूह	2325	732	372	50.8
अखिल भारत	1478988	893504	434242	48.6

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट सं. 498: कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता एनएसएस 59वां चक्र राठण्ड (मई, 2005)

विवरण III

1.संस्थागत ऋण के अंश को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश सहित देश के ऋणग्रस्त किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए सरकार ने बैंकों को ये सलाह दी है:-

(1) कृषि क्षेत्र की ओर प्रति वर्ष 30% की दर पर ऋण प्रवाह में वृद्धि करना।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अधीन ऋण पुन: संरचना:

* दबाव में किसान—राज्य सरकार द्वारा आपदा-प्रभावित जिलों के रूप में घोषित 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार किसानों के बकाया ऋण का पुन: निर्धारण/पुन: संरचना पुन: निर्धारित ऋण दो वर्षों के शुरू के ऋण स्थगन सहित वर्तमान ब्याज दरों पर पांच वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान योग्य होगा।

* बकाया वाले किसान—किसानों, जो नए ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं क्योंकि उनके पहले के ऋणों को अवमानक अथवा संदेहात्मक के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, के चूक वाले ऋणों को दिशानिर्देशों के अनुसार पुन: निर्धारित किया जाएगा ताकि ऐसे किसान नए ऋण के लिए पात्र बन सकें।

उपर्युक्त पुनर्निर्धारण पर, किसान नए ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।

3.बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे छोटे और सीमांत किसानों, जिन्हें चूककर्त्ता घोषित किया गया है और वे नए ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं, को ब्याज या ऋण की आंशिक माफी सहित एकबारगी निपटान (ओटीएस) मंजूर करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें जहां केवल बैंकों ने इस आधार पर ऋण देने के लिए मना किया है कि ऋण खाते का निपटान समझौते अथवा बट्टे खाते में डालने के माध्यम से किया गया था।

4. देश के कुछ भागों में किसान गैर-संस्थागत महाजनों (अर्थात साहूकारों) से कर्ज के भारी भार के कारण विकट दबाव का सामना करते हैं। बैंकों को ऐसे किसानों को अग्रिम ऋण देने की अनुमति दी गई है ताकि उन्हें ऋणग्रस्तता से राहत मुहैया कराई जा सके।

5. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों और 5 लाख रुपये तक के कृषि-व्यवसाय और कृषि क्लीनिकों के लिए ऋणों के लिए मार्जिन/जमानत आवश्यकताओं को माफ करें।

धान और गन्ने की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

726. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में धान और गन्ने की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने सरकार से धान और गन्ने की फसल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) धान और गन्ने की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने क्या प्रमुख कारण बताए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2005-06 मौसम के लिए धान (सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 570 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड-ए) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है जबकि वर्ष 2005-06 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) 79.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2005-06 मौसम हेतु धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा के लिए आग्रह नहीं किया है तथा साथ ही चीनी मौसम 2005-06 हेतु सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के संबंध में कोई सुझाव/टिप्पणी भी नहीं दी है।

खाद्यान्न की खरीद

727. **श्री ई.जी. सुगावनम:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न खरीदा गया;

(ख) क्या देश में पिछले एक वर्ष से खाद्यान्न के उत्पादन तथा खरीद में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगामी वर्ष में खाद्यान्न के उत्पादन तथा इसकी खरीद में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2004-05 में संगत विपणन मौसम के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किये गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

जिंस	विपणन मौसम	मात्रा
चावल	खरीफ विपणन मौसम 2004-05	246.83
गेहूं	रबी विपणन मौसम 2005-06	147.87
मोटे अनाज	खरीफ विपणन मौसम 2004-05	8.26
जोड़		402.96

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान खाद्यान्नों के राज्यवार उत्पादन तथा केन्द्रीय पूल में वसूली को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान 1950.88 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान 1984.78 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट केवल 1.7% है जो नगण्य है। तथापि पिछले वर्ष की वसूली की तुलना में फसल वर्ष 2004-05 में खाद्यान्नों की वसूली में कोई कमी नहीं हुई है।

(ङ) देश में कृषि के मैक्रो मैनेजमेंट मोड के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के विकास की योजना क्रियान्वित की जा रही है ताकि इन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। जहां तक वसूली का संबंध है, खरीफ विपणन मौसम 2005-06 के दौरान पर्याप्त वसूली केन्द्र खोलने तथा कर्मचारियों की तैनाती करने, आदि सहित वसूली प्रचालनों हेतु सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों के साथ दिनांक 18.8.2005 को एक बैठक की गई थी ताकि विपणन योग्य अधिशेष सहित राज्यों में वसूली बढ़ाई जा सके। इसी प्रकार आगामी विपणन मौसम 2006-07 में वसूली के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा करने हेतु राज्यों के खाद्य सचिवों की एक बैठक निश्चित की गई है।

विवरण I

(मात्रा लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04				2004-05 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)			
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	89.53	0.07	34.98	124.58	94.39	2.31	26.69	123.39
अरुणाचल प्रदेश	1.55	0.06	0.76	2.37	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	38.81	0.73	0.18	39.72	35.91	1.10	0.2	37.21
बिहार	53.93	37.38	14.83	106.14	39.6	40.33	14.7	94.63
छत्तीसगढ़	54.1	1.07	2.29	57.46	43.83	0.86	1.92	46.61
गोवा	1.71	–	0.01	1.72	–	19.82	–	19.82
गुजरात	12.77	20.37	26.35	59.49	11.54	91.93	19.4	122.87
हरियाणा	27.93	91.34	11.52	130.79	30.23	–	8.72	38.95
हिमाचल प्रदेश	1.21	4.98	7.72	13.91	1.22	6.84	8.19	16.25
जम्मू-कश्मीर	5.04	3.09	5.49	13.62	5.98	4.99	6.04	17.01
झारखंड	23.1	1.18	3.42	27.7	16.77	1.50	2.97	21.24
कर्नाटक	25.16	1.11	34.54	60.81	29.65	7.45	57.68	94.78
केरल	6.24	–	0.04	6.28	5.95	–	0.02	5.97
मध्य प्रदेश	16.8	72.37	33.78	122.95	11.69	76.06	23.31	111.06
महाराष्ट्र	28.39	8.92	51.71	89.02	20.97	27.41	60.16	108.54
मणिपुर	3.70	–	0.1	3.8	–	–	–	–
मेघालय	2.01	0.02	0.28	2.31	–	–	–	–
मिजोरम	1.13	–	0.2	1.33	–	–	–	–
नागालैंड	2.07	0.13	0.71	2.91	–	–	–	–
उड़ीसा	68.02	0.08	1.43	69.53	64.66	0.11	1.66	66.43
पंजाब	96.56	144.89	5.45	246.9	104.37	148.67	5.03	258.07
राजस्थान	1.65	58.76	96.67	157.08	1.5	58.13	48.8	108.43
सिक्किम	0.21	0.08	0.64	0.93	–	–	–	–
तमिलनाडु	32.24	–	10.35	42.59	53.02	2.03	11.39	66.44
त्रिपुरा	5.17	0.05	0.02	5.24	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	130.19	255.67	32.61	418.47	108.8	250.36	34.37	393.53
उत्तरांचल	5.69	7.45	3.81	16.95	5.78	7.94	3.58	17.3
पश्चिम बंगाल	146.62	9.86	1.2	157.68	149.08	9.61	1.73	160.42
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.31	–	0.01	0.032	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	0.22	0.01	0.03	0.26	–	–	–	–
दिल्ली	0.12	1.02	0.09	1.23	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन और दीव	0.04	–	–	0.04	–	–	–	–
पांडिचेरी	0.64	–	0.01	0.65	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	18.14	1.13	2.66	21.93
सकल जोड़	882.86	720.69	381.23	1984.78	853.08	758.58	339.22	1950.88

नगण्य: 500 टन से कम

विवरण II

वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान केन्द्रीय पूल में वसूल किए गए खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) की मात्रा को बताने वाला विवरण

(मात्रा लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विपणन मौसम	चावल खरीफ विपणन मौसम 2003-04	गेहूं रबी विपणन मौसम 2004-05	मोटे अनाज खरीफ विपणन मौसम 2003-04	जोड़	चावल खरीफ विपणन मौसम 2004-05	गेहूं रबी विपणन मौसम 2005-06	मोटे अनाज खरीफ विपणन मौसम 2004-05	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	नगण्य	–	–	0	0.01	–	–	0.01
आंध्र प्रदेश	42.3	–	2.77	45.07	39.04	–	2.23	41.27
असम	0.17	–	–	0.17	नगण्य	–	–	0
बिहार	3.63	0.15	0.01	3.79	3.43	–	–	3.43
चण्डीगढ़	–	नगण्य	–	0	0.19	–	–	0.19
छत्तीसगढ़	–	नगण्य	–	0	0.19	–	–	0.19
दिल्ली	–	0.02	–	0.02	–	–	–	0
गुजरात	–	–	0.01	0.01	–	–	–	0
हरियाणा	13.34	51.15	1.99	66.48	16.62	45.29	1.3	63.21
हिमाचल प्रदेश	0.30	0.01	–	0.04	0.02	–	–	0.02
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	0	0.01	–	–	0.01
झारखण्ड	0.02	–	–	0.02	0.01	–	–	0.01
कर्नाटक	–	–	0.02	0.02	0.21	–	4.29	4.5
केरल	–	–	–	0	0.33	–	–	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	1.12	3.49	-	4.61	0.42	4.84	0.02	5.28
महाराष्ट्र	3.08	-	0.60	3.68	2.05	-	0.31	2.36
नागालैण्ड	-	-	-	0	0.11	-	-	0.11
उड़ीसा	13.73	-	-	13.73	15.9	-	-	15.9
पंजाब	86.62	92.4	-	179.02	91.06	90.1	नगण्य	181.16
राजस्थान	0.41	2.79	0.74	3.94	0.22	1.59	-	1.81
तमिलनाडु	2.07	-	-	2.07	6.52	-	-	6.52
उत्तर प्रदेश	25.54	17.41	-	42.95	29.71	6	-	35.31
उत्तरांचल	3.23	0.54	-	3.77	3.16	0.54	-	3.7
पश्चिम बंगाल	9.25	-	-	9.25	9.44	-	-	9.44
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	0	-	-	-	0
पांडिचेरी	-	-	-	0	-	-	-	0
अन्य	-	-	-	-	-	0.45	-	-
सकल जोड़	228.28	167.96	6.17	402.41	246.83	147.87	8.26	402.96

नगण्य: 500 टन से कम

राजस्थान में पर्यटन का विकास

728. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार के पास कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत प्रस्तावों तथा आज की स्थिति के अनुसार लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक राज्य को प्रस्ताववार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई तथा शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन एवं भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की स्कीमों सहित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद अवसंरचना तथा गंतव्य विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से प्रति वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के आधार पर पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता एवं प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर निधि अवमुक्त की जाती है।

वर्ष 2004-05 एवं चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
2004-05			
1.	राजस्थान में नेशनल कैपिटल रीजन टूरिस्ट सर्किट का विकास	738.00	590.40
2.	राजस्थान में दाहोती टूरिस्ट सर्किट का विकास	725.10	580.00
3.	एलिफेंट विलेज (हाथी ग्राम) अम्बेर, जयपुर का विकास	492.18	393.74
4.	पांच अन्य भाषाओं में विद्यमान राजस्थान पर्यटन पोर्टल के अनुवाद के लिए आई.टी. परियोजना स्कीम	24.42	21.98
5.	जयपुर में अम्बेर किला परिसर का विकास	333.33	166.66
6.	जयपुर हैरिटेज इंटरनेशनल उत्सव, 2005	15.00	12.00
2005-06			
1.	अम्बेर किला, जयपुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी लगाना	129.26	116.33
2.	जयपुर में हवा महल एवं जंतर-मंतर का विकास	464.32	371.45

भू-जल संसाधनों का संरक्षण

729. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ट्यूब वैल लगाने तथा भू-जल अन्वेषण तथा दोहन और भू-जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या नीति बनाई गई है;

(ख) इस संबंध में असम में क्रियान्वित की जा रही नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम सरकार को बाढ़ प्रबंधन के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण नलकूपों की स्थापना, भूजल संसाधनों की रक्षा तथा संरक्षण सहित भूजल अन्वेषण और दोहन के लिए योजनाएं बनाने के दायित्व मूलत: सम्बन्धित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, जल संसाधन विकास प्रबन्धन के निमित्त नीतियां और कार्यक्रम बनाने का निर्देशन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपना ली। यह नीति वर्ष 2002 में संशोधित की गई और अपनाई गई। यह नीति असम राज्य सहित सारे देश में कार्यान्वित की जानी है। भूजल के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित नीति में बनाए गए प्रावधानों का वर्णन नीचे किया गया है:

(1) भूजल क्षमता का वैज्ञानिक आधार पर आवधिक पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय उपलब्ध जल की गुणवत्ता और इसके निष्कर्षण की आर्थिक व्यवहारिता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) भूजल संसाधनों का दोहन इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि वह पुनर्भरण की संभावनाओं से बढ़ न जाए और साथ ही सामाजिक समानता सुनिश्चित की जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा भूजल के अतिदोहन के हानिकारक पर्यावरणात्मक परिणामों को कारगर ढंग से रोका जाना चाहिए। भूजल संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता-दोनों में सुधार के लिए भूजल पुनर्भरण परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए।

(3) सतही जल और भूजल संसाधनों का एकीकृत और समन्वित विकास तथा उनके संयुक्त प्रयोग की परिकल्पना एकदम परियोजना, आयोजना स्तर से ही की जानी चाहिए और उसे परियोजना कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

(4) विशेष रूप से तटों के किनारे भूजल के अतिदोहन से बचा जाना चाहिए जिससे कि समुद्री जल, मीठे जलभृतों के भीतर प्रवेश न कर जाए।

(ख) असम सरकार द्वारा अभी तक कोई अलग राज्य जलनीति नहीं बनाई गई है।

(ग) असम सरकार को ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निधि प्रदान की जा रही है। यह योजना केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 150 करोड़ रुपये (90% अनुदान तथा 10% ऋण) के लिए नवम्बर 2004 में मंजूर की गई थी। इस योजना को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अधीन असम सरकार को अभी तक प्रदान की गई निधि निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रदान की गई निधि (रुपये करोड़ों में)
2004-05	9.30
2005-06	11.268

उपर्युक्त के अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना आयोग ने भी असम सरकार को निधि प्रदान की है जिनका वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
प्रदान की गई निधि (रुपये करोड़ों में)	1.50	23.60	25.00	27.00

भू-अपरदन

730. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष असम तथा पड़ोसी राज्यों में ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ द्वारा अपरदन के कारण बड़े-बड़े भू-खण्ड कट कर बह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो असम तथा अन्य राज्यों में कितने क्षेत्र भूमि का अपरदन हुआ; और

(ग) भू-भाग को बहाल करने और इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई तथा राज्यों को कितनी सहायता दी गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) बाढ़ तथा उससे जुड़ा कटाव ब्रह्मपुत्र सहित सभी कछारी नदियों का एक सतत तथा प्राकृतिक घटनाक्रम है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने गंभीर बाढ़ प्रबंधन/कटावरोधी कार्य हाथ में लेने के लिए असम और सिक्किम और पश्चिम बंगाल (उत्तर बंगाल सहित) पूर्वोत्तर राज्यों के वित्तपोषण के लिए 150 करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की है। इसमें से 11.4 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2004-05 के दौरान प्रदान की गई। 2005-06 के दौरान अभी तक 14.63 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए 41.28 करोड़ रुपये की एक योजना जनवरी, 2005 में भी मंजूर की गई है और उसे कार्यान्वयन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा हाथ में ले लिया गया है।

[हिन्दी]

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग

731. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच पर्यटन के विकास के लिए कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या निर्णय लिए गए?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री अलेक्जेंडर डाउनर-भारत-आस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क वार्ता के चौथे चरण के लिए 7-10 जून, 2005 को भारत की यात्रा पर आए। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह के साथ उनकी बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दे शामिल थे। दोनों पक्ष पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संपर्क बढ़ाने पर भी सहमत हुए। तथापि, दोनों देशों के बीच पर्यटन को विकसित करने के लिए अलग से कोई बातचीत नहीं हुई।

[अनुवाद]

उड़ीसा की कंसबहल सिंचाई परियोजना

732. **श्री जुएल ओराम:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की कंसबहल सिंचाई परियोजना के लिए कितना आवंटन किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार के वार्षिक योजना दस्तावेज 2004-05 के अनुसार उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कंसबहल सिंचाई परियोजना पूरी कर ली गई परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1979-80 में शुरू की गई थी और 33.34 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत की तुलना में 33.609 करोड़ रुपये के व्यय से नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी की गई थी।

(ग) परियोजना का कृष्य कमान क्षेत्र 7310 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सहित 5050 हेक्टेयर है।

टमाटर और आलू के मूल्यों में वृद्धि

733. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान टमाटर और आलू के मूल्य काफी अधिक हैं तथा देश में इन वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात तथा आयात किया गया यदि किया गया हो तो, विदेशी मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। टमाटर की कीमत देश में सामान्य है। तथापि, आलू की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक हैं। बहरहाल देश में उपर्युक्त जिन्सों की कोई किल्लत नहीं है।

(ख) पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सितम्बर माह में अनियमित और अभूतपूर्व वर्षा, जिसने तैयार फसल को क्षति पहुंचाई, के कारण आलू की कीमत में वृद्धि हुई। इसी वजह से मण्डियों में आलू की कम उपलब्धता के कारण कीमतों में वृद्धि हुई।

(ग) इन जिन्सों की निर्यात और आयात की गई मात्रा संलग्न विवरण-I से IV में दर्शाई गई है।

(घ) भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है। बागवानी विकास के अधीन चलाए जाने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य फसल उत्पादन में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर सभी बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। क्षेत्रीय विशिष्ट फसलों पर जोर दिया जाएगा। इस घटक के अधीन किसानों को बागवानी फसलों की उन्नत खेती के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। बागवानी उत्पाद हेतु शीतागार और भण्डागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्रति परियोजना 50 लाख रुपये से अनधिक परियोजना लागत की 25% और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति परियोजना 60 लाख रुपये की सीमा तक परियोजना लागत की 33.33 प्रतिशत की दर पर राशि मुहैया कराता है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू का निर्यात

क्र.सं.	देश	मूल्य लाख रुपये में			मात्रा (000 कि.ग्रा.)		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बहरीन आईएस	–	2	–	–	41.41	–
2.	बंगलादेश पीआर	–	4.85	36.01	–	160.3	687.32
3.	बेल्जियम	–	–	5.46	–	–	100

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	कनाडा	0.48	–	0.86	10	–	23
5.	डेनमार्क	–	8.66	–	–	200	–
6.	फ्रान्स	–	–	0	–	–	0.16
7.	जर्मनी	–	20.2	8.59	–	630	200
8.	इंडोनेशिया	–	–	0.13	–	–	3.2
9.	इटली	–	18.1	–	–	388.44	–
10.	जापान	–	0.11	–	–	7	–
11.	कोरिया आरपी	–	–	0.82	–	–	18.15
12.	कुवैत	–	0.17	–	–	3.52	–
13.	मलेशिया	2.16	5.56	48.72	41	97	686.4
14.	मालदीव	25.18	50.05	93.29	333.33	803.04	1,648.40
15.	मारीशस	98.89	269.66	180.39	1129.25	3,021.10	1,846.70
16.	मोंज़्बिक	–	–	0.13	–	–	4
17.	नेपाल	501.27	1,989.15	1,646.19	14687.64	55,234.66	42,604.62
18.	नार्वे	–	0.23	1.46	–	3	21
19.	ओमान	–	8.37	–	–	131.6	–
20.	पाकिस्तान आईआर	–	–	9.54	–	–	140
21.	कतर	4.86	2.15	0.12	70	43	2
22.	सऊदी अरब	0.21	0.31	2.54	1.7	9	46.44
23.	सेयचल	–	18.2	105.22	–	216	1,725.00
24.	सिंगापुर	16.17	9.1	53.09	121.13	114.52	487.59
25.	श्रीलंका डीएसआर	511.8	245.99	637.38	7800.77	3,816.20	10,567.45
26.	स्विटजरलैण्ड	0.11	–	–	1	–	–
27.	संयुक्त अरब अमीरात	10.49	18.71	4.76	144.9	312.09	121.11
28.	ब्रिटेन	10.75	0.36	2.34	24.41	8	42
29.	संयुक्त राज्य अमरीका	–	35.35	–	–	800	–
30.	यमन गणराज्य	–	20.32	–	–	500	–
31.	अनुल्लेखित	–	51.05	1.8	1,200.00	38	
	कुल	1182.37	2,778.65	2,838.85	24365.13	67739.88	61012.54

स्रोत: डीजीएफटी की वेबसाईट

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान टमाटर का निर्यात

क्र.सं.	देश	मूल्य लाख रुपये में			मात्रा (000 कि.ग्रा.)		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1.	बहरीन आईएस	-	0.09	0.04	-	0.38	0.38
2.	बंगलादेश पीआर	1,145.92	416.91	529.35	12,546.69	6,228.06	6,228.06
3.	ब्रुनेई	2.05	-	-	10	-	10
4.	ताईवान	-	2.9	-	-	10	10
5.	फिनलैण्ड	3.34	-	-	35	-	50
6.	इजराईल	-	0.41	4.2	-	10	-
7.	इटली	-	14.78	-	-	50	34.56
8.	केन्या	5.21	10.15	-	37.54	34.56	14
9.	कोरिया आरपी	5.42	2.25	0.74	28	14	-
10.	लतविया	-	0.82	-	-	5.76	5.76
11.	मलेशिया	-	0.07	0.21	-	1.8	1.8
12.	मालदीव	11.65	32.53	8.32	75.38	290.96	290.96
13.	नेपाल	3.28	175.57	30.61	74.71	4,356.41	4,356.41
14.	न्यूजीलैण्ड	-	0.16	-	-	6	6
15.	ओमान	-	0.2	-	-	0.84	0.84
16.	कतर	03.2	-	8.47	4.31	-	-
17.	रूस	-	2.86	-	-	21.89	21.89
18.	सऊदी अरब	1.79	-	0.26	8.03	-	5.35
19.	सिंगापुर	2.36	0.16	-	31.5	5.35	75
20.	श्रीलंका डीएसआर	-	4.79	3.84	-	75	34.01
21.	संयुक्त अरब अमीरात	3.24	2.78	0.73	31.95	34.01	-
22.	संयुक्त राज्य अमरीका	-	18	0.7	-	183	183
23.	अनुल्लेखित	0.46	-	0.87	3	-	-
	कुल	1,185.05	685.42	588.36	12886.11	11328.02	11328.02

स्रोत: डीजीएफटी की वेबसाईट

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू का आयात

क्र.सं.	देश	मूल्य लाख रुपये में			मात्रा (000 कि.ग्रा.)		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1.	भूटान	0	122.82	276.09	0	2,329.00	4,813.22
	कुल		122.82	276.09			

स्रोत: डीजीएफटी की वेबसाईट

विवरण IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान टमाटर का आयात

क्र.सं.	देश	मूल्य लाख रुपये में			मात्रा (000 कि.ग्रा.)		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1.	भूटान	-	9.23	2.67	-	31.6	4.5
2.	संयुक्त राज्य अमरीका	-	-	0.3	-	-	0.96
	कुल	-	9.23	2.97	-	31.6	5.46

स्रोत: डीजीएफटी की वेबसाईट

चावल/गेहूं के उत्पादन पर खर्च

734. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक एकड़ भूमि पर चावल/गेहूं के उत्पादन पर आने वाले खर्च के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो चावल तथा गेहूं के उत्पादन पर मदवार कितनी लागत आती है;

(ग) क्या इन खर्चों पर विचार करने के बाद ही सरकार इन उत्पादों के मूल्य निर्धारित करती है;

(घ) यदि हां, तो एक एकड़ भूमि से कितना लाभ अर्जित होता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए अपनी व्यापक स्कीम के माध्यम से चयनित फसलों की खेती की लागत के आंकड़े एकत्रित करता है। चयनित राज्यों के लिए धान और गेहूं सहित विभिन्न मुख्य फसलों की प्रति हेक्टेयर खेती की लागत और प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य राज्यों के लिए फसल वर्ष 2002-03 से संबंधित धान के लिए और 2003-04 हेतु गेहूं के लिए खेती की लागत की विभिन्न मदों को दर्शाने वाले ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II पर दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) धान और गेहूं सहित कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, संबंधित फसलों की उत्पादन लागत के अतिरिक्त, सारे राज्यों की विभिन्न फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियों, मांग व आपूर्ति की स्थिति, मूल्य प्रवृत्तियों, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तों, फसल विविधीकरण की

जरूरत, संसाधन उपयोग दक्षता तथा खाद्य सुरक्षा इत्यादि जैसे संबंधित घटकों का ध्यान रखता है।

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एक समान हैं। मूल्य नीति में यह सुनिश्चित करना चाहा गया है कि उच्च लागत/कम सम्पन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा उत्पादन की ए2+एफएल लागत (पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए और पारिवारिक श्रम की दिहाड़ी का निहित मूल्य सहित नकद व वस्तु के रूप में वास्तविक व्यय) को शामिल किया जाए। चयनित राज्यों में मौसम 2004-05 हेतु धान व गेहूं के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों और दोनों फसलों के अधीन भूमि प्रति हेक्टेयर आय के साथ उत्पादन की उनकी लागत दर्शाने वाला एक तुलनात्मक ब्योरा विवरण-III पर दर्शाया गया है।

विवरण I

खेती की लागत का मद-वार ब्यौरा (रु./हैक्टेयर)

वर्ष:-2002-03 फसल-धान

मद	राज्य			
	पंजाब	हरियाणा	उ.प्र.	पश्चिम बंगाल
1	2	3	4	5
प्रचालन लागत	17748.61	18544.22	11738.19	17604.03
मानव श्रम				
परिवार	2329.91	3824.04	3030.14	5041.84
संबद्ध	907.48	817.27	29.05	12.92
अनियत	1962.54	3193.25	2329.04	4336.04
कुल	5199.93	7834.56	5388.23	9390.80
पशु श्रम				
किराए का	0.96	0.66	48.72	278.89
अपना	116.20	96.72	623.47	2877.10
कुल	117.16	97.38	672.19	3155.99
मशीनरी श्रम				
किराए का	1311.06	1137.95	1362.51	707.33
अपना	2087.66	985.52	151.54	2.36
कुल	3398.72	2123.47	1514.05	709.69
बीज	554.39	340.01	1017.73	635.49
उर्वरक एवं खाद				
उर्वरक	2526.66	2671.85	1402.06	1532.69
खाद	151.96	62.23	90.59	354.69
कुल	2678.62	2734.08	1492.65	1887.38

1	2	3	4	5
कीटनाशक	1179.12	1221.83	57.87	217.88
सिंचाई खर्च	4149.34	3746.82	1331.59	1210.44
विविध	4.10	0.00	0.00	15.69
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	467.23	446.07	263.88	380.67
निर्धारित लागतें	11609.09	10885.40	5751.99	6312.73
स्वामित्व वाली भूमि का जमाबन्दी मूल्य	8135.96	7774.98	3789.64	4636.38
पट्टे की भूमि हेतु भुगतान किया गया किराया	1856.41	1380.89	274.92	84.61
भूमि राजस्व, कर, उपकर	0.00	0.00	7.14	38.30
उपकरणों व एफ, भवन पर मूल्य ह्रास	177.48	121.02	378.30	342.85
निर्धारण पूंजी पर ब्याज	1430.24	1608.51	1301.99	1210.59
कुल लागत	29348.70	29429.62	17490.18	23916.76

विवरण II

खेती की लागत का मद-वार ब्यौरा (रु./हैक्टेयर)

वर्ष: 2003-04 फसल-गेहूं

मद	राज्य		
	पंजाब	हरियाणा	उ.प्र.
1	2	3	4
प्रचालन लागत	10978.14	13947.88	11955.96
मानव श्रम			
परिवार	887.27	2719.40	2009.71
संबद्ध	251.30	133.65	15.47
अनियत	899.26	1132.66	1330.26
कुल	2037.83	3985.71	3355.44
पशु श्रम			
किराए का	4.11	2.70	25.85
अपना	89.04	275.68	352.27
कुल	93.15	278.38	378.12

1	2	3	4
मशीनरी श्रम			
किराए का	2124.26	2404.82	2436.38
अपना	1101.68	882.04	368.12
कुल	3225.94	3286.86	2804.50
बीज	836.38	1004.19	1175.60
उर्वरक एवं खाद			
उर्वरक	2699.25	2388.72	1994.83
खाद	56.24	0.00	31.57
कुल	2755.49	2388.72	2026.40
कीटनाशक	1202.30	757.57	21.60
सिंचाई खर्च	504.35	1906.19	1892.90
विविध	16.92	0.00	0.00
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	305.78	340.26	301.40
निर्धारित लागतें	11436.89	9632.62	7285.33
स्वामित्व वाली भूमि का जमाबन्दी मूल्य	6751.25	7037.40	5259.81
पट्टे की भूमि हेतु भुगतान किया गया किराया	2451.38	641.83	69.20
भूमि राजस्व, कर, उपकर	0.00	0.00	8.51
उपकरणों व एफ, भवन पर मूल्य ह्रास	284.26	272.85	452.63
निर्धारण पूंजी पर ब्याज	1950.00	1680.54	1495.18
कुल लागत	22415.03	23580.50	19241.29

विवरण III

चयनित राज्यों हेतु धान व गेहूं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य/उत्पादन लागत/आय

फसल का नाम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु./क्विंटल)	उत्पादन लागत (रु./क्विंटल)							
		पंजाब		हरियाणा		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
		सी2	ए2+एफएल	सी2	ए2+एफएल	सी2	ए2+एफएल	सी2	ए2+एफएल
गेहूं	640	487.20	293.73	489.51	312.05	509.44	345.61	एन.एस.	एन.एस.
धान (सामान्य)	560	442.14	287.12	630.87	430.03	462.07	327.87	555.90	425.01
धान (श्रेणी-क)	590								

फसल का नाम	आय (रु./हैक्टेयर)							
	पंजाब		हरियाणा		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
	सकल आय	निवल आय	सकल आय	निवल आय	सकल आय	निवल आय	सकल आय	निवल आय
गेहूं	15206.47	5617.95	17190.48	7753.14	12613.09	3848.39	एन.एस.	एन.एस.
धान	16293.65	4397.53	14797.29	1589.77	7085.77	-1036.01	5736.83	-5151.97

नोट:

1. वर्ष 2004-05 की उत्पादन लागत पहले वर्षों से संबंधित लागत अनुमानों के आधार पर और थोक मूल्य सूचकांक संख्याओं पर आधारित परिवर्तनीय आदान मूल्य सूचकांक के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रक्षिप्त है।
2. सी2 लागत: पट्टे की भूमि हेतु भुगतान किए गए किराए और पारिवारिक श्रम की दिहाड़ी, स्वामित्व वाली भूमि हेतु किराया और निर्धारित पूंजी पर ब्याज सहित नकद और वस्तु के रूप में वास्तविक व्यय।
3. ए2 लागत: पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए सहित नकद और वस्तु के रूप में वास्तविक व्यय
4. एफ एल: पारिवारिक श्रम
5. सकल आय: उत्पादन की कीमत और खेती की ए2 लागत के बीच अंतर
6. निवल आय: उत्पादन की कीमत और खेती की सी2 लागत के बीच अंतर
7. धान की आय वर्ष 2002-03 के खेती की लागत के आंकड़े पर आधारित है तथा वर्ष 2003-04 के धान की खेती के लिए
8. एन.एस. ''भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक स्कीम'' के अधीन शामिल नहीं किया गया।

हिसार में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म

735. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिसार में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म के संदर्भ में पट्टा समझौता तथा पट्टा किराया मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक सुलझ जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) हरियाणा सरकार केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार द्वारा अधिग्रहित भूमि का पट्टा बढ़ाने पर सहमत हो गई है।

सीएडीपी के अंतर्गत राज्यों को अनुदान

736. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान तथा अब तक क्रियाकलापवार राज्यों को कितना अनुदान दिया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को क्रमश: 14144.71 लाख रुपये और 14150.58 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था। क्रियाकलापवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान का क्रियाकलापवार विवरण

रुपये लाख में

क्र.सं.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियाकलाप	2003-04	2004-05
1.	खेत संबंधी विकास (ओएफडी) कार्य की स्थलाकृतिक और मृदा सर्वेक्षण, आयोजना एवं डिजाइन	1180.88	513.52
2.	फील्ड चेनलों का निर्माण और/अथवा पूर्ण पैकेज ओएफडी कार्य	14058.67	15034.77
3.	खेत नालियों का निर्माण	309.09	897.66
4.	भूमि सततलन*	23.91	0.000
5.	वाराबन्दी**	174.82	0.000
6.	किसानों और खेत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	119.83	17.08
7.	जल जमाव का सुधार	394.67	161.17
8.	प्रदर्शनों सहित अनुकूली परीक्षण	66.89	30.94
9.	जल प्रयोक्ता संघों का कार्यात्मक अनुदान	57.44	153.57
10.	सीएडी कार्यक्रम की मानीटरी/मूल्यांकन	9.48	15.66
11.	भूजल विकास के लिए सब्सिडी*	1.20	0.000
12.	स्थापना लागत	2333.92	2407.58
	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएडी कार्यों के लिए स्वीकृत कुल अनुदान	18730.80	19231.94
	पिछले वर्षों के बैकलाग के संबंध में बकाया/वसूलियां तथा अन्य समायोजन	-4586.17	-5080.50
	जारी करने के लिए पात्र राशि	14144.63	14151.44
	वर्ष के दौरान निवल निर्गम (यह अंतर राशि जारी करते समय पूर्णांक बनाने के कारण हुआ है।)	14144.71	14150.58

*पुनर्गठित सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 से आस्थगित क्रियाकलाप।

**2004-05 से वाराबंदी पर केन्द्रीय सहायता रोक दी गई।

पर्यटन परियोजनाएं

737. श्री ए. साईं प्रताप: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं हेतु बिना किसी पूर्व शर्त के 488 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं जिन्हें कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर प्राथमिकता प्रदान की गई है, के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए 488 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों को पारस्परिकता के आधार पर संसाधित कर उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों तथा अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

दसवीं योजना के वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई राशि का विवरण

(रुपये लाखों में)

2005-06 (21.10.2005 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0.00	0.00
2.	असम	0	48.97	39.17
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00
4.	बिहार	0	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2	518.41	415.00
6.	गोवा	0	0.00	0.00
7.	गुजरात	2	1253.31	562.64
8.	हरियाणा	0	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1	30.00	24.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5	3515.37	2808.41
11.	झारखंड	0	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0	0.00	0.00
13.	केरल	1	2598.00	2078.40
14.	मध्य प्रदेश	1	1024.25	450.19
15.	महाराष्ट्र	1	1104.91	880.91

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	0	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0	0.00	0.00
21.	पंजाब	0	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1	129.26	116.33
23.	सिक्किम	0	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	8	2193.47	1415.57
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	1039.77	831.72
27.	उत्तर प्रदेश	7	845.15	675.38
28.	पश्चिम बंगाल	2	2443.54	1850.65
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	2	138.58	109.66
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00
	जोड़	36	17012.84	12362.65

टिप्पणी:-इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आई.टी., उत्सव, मेले एवं त्यौहार परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

गुजरात में पक्की सड़क का निर्माण

738. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास गुजरात के जूनागढ़ जिले में वीसा वाडर से सामुनगीर के बीच पक्की सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितना खर्च आएगा तथा इसके वित्तपोषण के स्रोत कौन-कौन से हैं; और

(ङ) इस सड़क का निर्माण कब तक हो जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास की फसल के बीमा प्रीमियम की दर में वृद्धि

739. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (आर.के.बी.वाई.) के अंतर्गत 2004 के खरीफ मौसम में कपास की फसल के लिए बीमा प्रीमियम की दर में तेजी से हुई वृद्धि देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए कुल मिलाकर रुकावट सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को इस तेज वृद्धि के बोझ से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में स्थानों का विकास

740. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में स्थानों की पहचान कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश को इस प्रकार के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत/जारी की जा चुकी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटक स्थलों/स्थानों के विकास एवं संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को उन परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न योजनाओं में प्रत्येक वर्ष उनके साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में अभी तक 1038.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 799.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए अभी तक 45.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 33.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

वन भूमि को नियमित करना

741. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व खेती हेतु प्रयोग में लाई जा रही भूमि को नियमित करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र के वन्य गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, के अंतर्गत, 18 सितम्बर 1990 को 1980 से पूर्व पात्र अतिक्रमणों को नियमित करने, वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने तथा आदिवासियों के विवादास्पद दावों जैसे पट्टा, लीज और अनुदान आदि के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र राज्य से 73 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इन गांवों को बदलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें

742. **श्री मोहन रावले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में ऐसी कतिपय फसलों की पहचान की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात की संभावना वाली फसलों के रूप में अंगूर, अंगूर वाईन, अलफोंसो आम, केसर आम, अनार, केला, संतरा, प्याज आदि जैसी फसलों की पहचान की है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के क्षेत्रीय कार्यालय का बंद किया जाना

743. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के कोचीन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी बल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना के चलने के कारण तथा इसे बंद किए जाने के विचार के विरुद्ध लोगों, कामगारों तथा मजदूर निकायों के विरोध को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम के कोचीन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का उसके चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में विलय कर दिया गया है। यह निर्णय संगठनात्मक रिस्ट्रक्चरिंग तथा लागत में कमी करने की कवायद के हिस्से के रूप में लिया गया है।

(ग) और (घ) इस निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण

744. श्री परसुराम माझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व बैंक की सहायता से प्रमुख नदियों में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में वन्दाधुरा, महानदी, ब्राह्मणी, बैतारमी जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट योजना वित्तपोषित की गई है अथवा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी नहीं। इस समय विश्व बैंक की सहायता से प्रमुख नदियों में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपाय करने के लिए कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए 3493 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ''महानदी बेसिन विकास योजना'' नामक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ.पी.आई.) को वित्तीय सहायता

745. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी.आई.) से जुड़े व्यक्तियों पर भार और कम करने के लिए कृषि उत्पाद की दर निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास अथवा उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए इसे वित्तीय सहायता देने सहित क्या नवप्रवर्तन उपाय किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) कृषि लागत एवं मूल्य संबंधी आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों के विचार और अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रत्येक मौसम के लिए प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और सरकारी तथा सहकारी एजेंसियों के जरिए खरीद कार्य करती है। कृषि वस्तुओं संबंधी नीति में उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और तर्कसंगत मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। मूल्य संबंधी नीति में भी अर्थव्यवस्था के समग्र आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और एकीकृत मूल्य ढांचा तैयार करने का प्रयत्न किया गया है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर से सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 50 लाख रुपये और 75 लाख रुपये है। हाल ही में वर्ष 2004-05 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है।

वन में आग के कारण हुई क्षति

746. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में वनों में लगने वाली आग के कारण हुई क्षति का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वनों में लगने वाली आग को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वनों में इस विध्वंसक आग से विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के वनस्पति और जीव जन्तुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वनों में लगने वाली आग के कारण राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा सूचित आर्थिक क्षति संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, इस क्षति में जैव-विविधता क्षति, मृदा उर्वरता क्षति, पुररुद्भव क्षति, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव आदि जैसी अप्रत्यक्ष क्षति शामिल नहीं है। वन में लगने वाली लगभग सभी प्रकार की आग मनुष्यों द्वारा (इरादतन अथवा गैर-इरादतन) लगाई जाती है। इरादतन आग लघु वनोत्पाद का संग्रह करना, नई नरम घास प्राप्त करना अथवा स्थानीय देवता आदि को प्रसन्न करना आदि जैसे विभिन्न कारणों से लगाई जाती है।

(ग) और (घ) 'दावानल नियंत्रण और प्रबंधन', एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम का एक घटक है। दावानल निवारण एवं नियंत्रण हेतु फायर लाइनों, फायर वाचरों, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं और क्षेत्रीय वाहनों के सृजन और रख-रखाव तथा ग्रामीण वन समितियों को सहायता देना आदि जैसे प्रभावशाली उपाय करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को इस स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये)
2002-03	45.82
2003-04	24.08
2004-05	54.00

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वन में आग के कारण क्षति (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यथा-सूचित)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2001-02 क्षति (लाख रुपये)	वर्ष 2002-03 क्षति (लाख रुपये)	वर्ष 2003-04 क्षति (लाख रुपये)
1	2	3	4
अन्य राज्य			
आंध्र प्रदेश	0.28	*	2.02
अरुणाचल प्रदेश	17.23	शून्य	12.29

1	2	3	4
बिहार	*	*	*
छत्तीसगढ़	–	2.09	0.10
गुजरात	17.87	8.31	13.68
गोवा	*	*	*
हरियाणा	*	*	*
हिमाचल प्रदेश	40.26	74.30	86.41
जम्मू-कश्मीर	*	*	*
झारखण्ड	*	*	*
कर्नाटक	शून्य	0.26	0.25
केरल	3.31	0.63	4.06
मध्य प्रदेश	0.01	0.47	*
महाराष्ट्र	23.00	15.00	11.00
उड़ीसा	4.58	2.85	0.25
पंजाब	24.34	27.71	17.08
राजस्थान	*	0.15	0.04
तमिलनाडु	*	*	*
उत्तर प्रदेश	2.70	1.17	1.19
उत्तरांचल	1.17	5.19	10.12
पश्चिम बंगाल	3.04	*	*
उत्तर पूर्व और सिक्किम			
असम	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	*	*	*
मेघालय	*	*	*
मिजोरम	1.65	0.10	1.27
नागालैंड	*	*	*
सिक्किम	*	*	*
त्रिपुरा	0.10	*	*

1	2	3	4
संघ शासित प्रदेश			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	शून्य	9.90
चण्डीगढ़	*	शून्य	शून्य
दादरा और नगर हवेली	*	*	*
दमन और दीव	*	*	*
लक्षद्वीप	*	शून्य	शून्य
नई दिल्ली	*	*	*
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

*उपलब्ध नहीं

इंडियन काउंसिल आफ वेटेरिनरी एंड फिशरी रिसर्च का गठन

747. **श्री महबूब जाहेदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अलग एक इंडियन काउंसिल आफ वेटेरिनरी एंड फिशरी रिसर्च बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) कृषि के लिए समेकित दृष्टिकोण पर बल को ध्यान में रखते हुए जो कृषि, पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों के एकीकरण का आह्वान करती है, अलग पशुचिकित्सा और मात्स्यिकी अनुसंधान परिषद के सृजन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) द्वारा पशुओं के लिए विकसित टीका

748. **श्री रशीद मसूद:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर द्वारा जानवरों को प्लेग से बचाने के लिए एक टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त टीके के कब तक बाजार में उपलब्ध किए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में प्लेग से मरने वाले जानवरों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने रिंडरपेस्ट (मवेशी प्लेग) तथा पेस्टे डेस पैटीत्स रूमिनेन्ट्स-पीपीआर (भेड़/बकरी प्लेग) के विरुद्ध वैक्सीन विकसित किया है।

(ख) वैक्सीनेशन (टीकाकरण) के जरिए देश से मवेशी प्लेग का उन्मूलन हो गया है। व्यावसायिक उत्पादन के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के अतिरिक्त भारतीय इम्यूनालोजिकल्स व इंटरवेट्स को पीपीआर के टीके की प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी गई है।

(ग) वर्ष 2004 के दौरान देश में पीपीआर के 639 प्रकोपों में भेड़ तथा बकरियों की कुल 4499 मौतों की सूचना है।

सूखा प्रभावित राज्य

749. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री परसुराम माझी:
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष देश में विशिष्ट रूप से सूखे से प्रभावित राज्य-वार क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप प्रत्येक को कितना नुकसान हुआ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय दल द्वारा किन राज्यों का दौरा किया गया तथा इस दल के क्या निष्कर्ष रहे;

(घ) प्रत्येक प्रभावित राज्य द्वारा कितनी सहायता तथा खाद्यान्न मांगे गए;

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई तथा खाद्यान्न दिए गए;

(च) क्या विशेष रूप से मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आवश्यक धनराशि और खाद्यान्न कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (छ) हालांकि, दक्षिण-पश्चिम मानसून शुरू होने के पश्चात् किसी भी राज्य से सूखे हेतु सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन झारखण्ड ने 22 जिलों में सूखा घोषित किया है और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 644 मण्डलों में लगातार सूखा स्थिति अधिसूचित की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सितम्बर, 2005 के दौरान हुई वर्षा जिससे इस राज्य में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है के दृष्टिगत प्रबल सूखे जैसी स्थिति की नए सिरे से समीक्षा करे और राहत सहायता के लिए अपनी पुनः आकलित जरूरत, यदि कोई हो, को भी सूचना दें।

आंध्र प्रदेश और झारखण्ड ने अभी तक सूखे से हुई हानि, यदि कोई हो, की मात्रा की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

गंगोत्री ग्लेशियर का सिकुड़ना

750. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर ने अपनी हाल की रिपोर्ट में पर्यटन कार्यकलापों के कारण गंगोत्री ग्लेशियर के सिकुड़ने के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटकों को शिक्षित करने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तीस्ता सिंचाई परियोजना

751. **श्री हितेन बर्मन:** क्या जल संसाधन मंत्री तीस्ता सिंचाई परियोजना के बारे में 6 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता सिंचाई परियोजना के कार्य निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार परियोजना के सभी तीनों चरणों को वर्ष 2015 तक पूरा कर सकेगी; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में सरकार की कार्य योजना अथवा कार्य अनुसूची का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) तीस्ता (तिस्ता) बराज परियोजना (टीबीपी) तीन चरणों में कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित थी। परियोजना के पहले चरण में 9.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किए जाने की परिकल्पना की गई है। पहला चरण तीन अवस्थाओं में उप-विभाजित है और अवस्था-1 पुनः उप अवस्था-1 तथा उप अवस्था-2 में उप-विभाजित है। सम्प्रति, परियोजना के चरण-1 की अवस्था-1 की उप-अवस्था का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उप-अवस्था-1 में 3.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है जिसमें से 31.3.2005 तक 1.285 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है। 1.25 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने के लिए परियोजना की

उप-अवस्था-1 के प्राथमिकतापूर्ण घटक, जो अग्रिम अवस्थाओं में हैं उन्हें दिसम्बर, 2008 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना की अवस्था-1 के पहली उप-अवस्था दिसम्बर, 2012 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना के दूसरे चरण में दार्जिलिंग जिले में सिवोक पर स्थित कारोनेशन सेतु के प्रति प्रवाह 600 मीटर की दूरी पर तीस्ता नदी पर एक भण्डारण बांध का निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ ही 235 मेगावाट पनबिजली पैदा की जा सके। विशाल वन क्षेत्रों की जलमग्नता के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

परियोजना का तीसरा चरण अधिशेष बाढ़ जल को व्यपवर्तित करने और साथ ही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के बीच नौसंचालनीय मार्ग उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक नहर द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा के साथ जोड़ने के प्रस्ताव से संबंधित है। इस प्रस्ताव का वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

752. श्री मुन्शीराम:
डा. एम. जगन्नाथ:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं या किए जाने का प्रस्ताव है जैसा कि 12 अक्तूबर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कुल कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्ति के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार वृहद/मध्यम और सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों जो पूरी होने की अन्तिम अवस्था में है, के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत वर्ष 1996-97 से केंद्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान अक्टूबर, 2005 के अन्त तक इस कार्यक्रम के तहत 18 राज्यों को 35 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सतही जल सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में अनुदान के रूप में 452.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) सभी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं दसवीं पंचवर्षीय योजना की निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 4500 करोड़ रुपये का बजट आबंटन है। एआईबीपी के तहत शामिल की गई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय शेष लागत, सृजित की जाने वाली शेष क्षमता, वर्ष-वार चरणबद्धता और पूरा करने का लक्षित वर्ष दर्शाते हुए समझौता ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है।

विवरण

2005-06 के दौरान एआईबीपी के तहत अनुदान के रूप में जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	राशि (रुपये करोड़)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	जुराला	17.8890
	उप-जोड़	17.8890
	असम	
2.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	7.2450
	उप-जोड़	7.2450
	बिहार	
3.	पश्चिमी कोसी नहर	5.9640

1	2	3
4.	सोन नहर का आधुनिकीकरण	4.8000
	उप-जोड़	10.7640
	गुजरात	
5.	सरदार सरोवर	162.0000
	उप-जोड़	162.0000
	हरियाणा	
6.	डब्ल्यूआरसीपी	3.3405
	उप-जोड़	3.3405
	हिमाचल प्रदेश	
	2005-06 में निर्माणाधीन सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.3465
	2005-06 में 102 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें	6.6645
	उप-जोड़	7.0110
	जम्मू-कश्मीर	
7.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	3.1464
8.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	1.3959
9.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	0.6480
	54 सतही लघु सिंचाई स्कीम	2.7000
	उप-जोड़	7.8903
	कर्नाटक	
10.	यूकेपी चरण-1	17.3778
11.	यूकेपी चरण-2	36.0300
	उप-जोड़	53.4078
	मध्य प्रदेश	
12.	बाणसागर (यूनिट-1)	8.5593
13.	बारगी बांध आरबीसी 16 किमी.-63 किमी. बारगी डाइवर्जन प्रो. केनाल (63 किमी. से 104 किमी. तक)	4.8864
	उप-जोड़	13.4457

1	2	3
	महाराष्ट्र	
14.	मदन टैंक	1.5105
15.	डोंगरगांव	1.5090
16.	शिवना तल्की	4.4325
17.	अमरावती	1.1820
	उप-जोड़	8.6340
	मणिपुर	
18.	खुगा	-
19.	थोबल	3.1500
	उप-जोड़	3.1500
	मिजोरम	
	2004-05 में 43 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें	4.5000
	उप-जोड़	4.5000
	उड़ीसा	
20.	ऊपरी इंद्रावती (आरबीसी)	15.9840
21.	सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय	7.9464
22.	रेंगाली	7.4688
23.	ऊपरी कोलाब	1.9242
24.	लोअर इंदिरा	26.0280
25.	लोअर सुकतेल	4.2840
26.	तेलनगिरि सिंचाई परियोजना (केबीके)	3.7440
27.	सासन नहर का सुधार	3.8190
	उप-जोड़	71.1984
	पंजाब	
28.	तलवाड़ा से नीचे एच.पी. तक सिंचाई	1.6965
29.	यूबीडीसी की रिमाडलिंग	3.000
	उप-जोड़	4.6965

1	2	3
	राजस्थान	
30.	नर्मदा नहर	23.3760
31.	चौली	0.9795
32.	माही बजाज सागर	5.4480
	उप-जोड़	29.8035
	उत्तर प्रदेश	
33.	सरजू नहर	22.5000
34.	राजघाट नहर	3.3540
35.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	4.9200
	उप-जोड़	30.7740
	उत्तरांचल	
	2004-05 में 226 निर्माणाधीन सतही लघु सिंचाई स्कीमें	16.9020
	उप-जोड़	16.9020
	सिक्किम	
	2004-05 में 100 नई लघु सिंचाई स्कीमें	0.3375
	उप-जोड़	0.3375
	कुल जोड़	452.9892

[अनुवाद]

चाय उद्योग के श्रमिकों की समस्याएं

753. श्री जोवाकिम बखला: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति अथवा बोर्ड बनाया गया है अथवा बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी समस्याओं को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के चाय बगानों में श्रमिकों की रोजमर्रा की समस्याओं पर विचार करने हेतु ऐसी कोई औपचारिक समिति नहीं है। तथापि, उत्तरी बंगाल में चाय उत्पादक जिलों में संयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त स्तर के अधिकारी तैनात हैं जो पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में श्रमिकों की रोजमर्रा की समस्या पर विचार करते हैं। जहां तक बागान श्रम अधिनियम के अंतर्गत कल्याण उपायों का संबंध है, विषय से संबंधित समितियां, बोर्ड हैं जो कल्याण से संबंधित विषय-वस्तु की देखरेख और निगरानी करते हैं।

सबरीमाला के विकास हेतु वन भूमि

754. श्री पी.सी. थामस: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केरल में सबरीमाला के विकास के प्रयोजनार्थ कुछ वन भूमि देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कुछ मान्य शर्तें जुड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी अनुपालन किस प्रकार में की जानी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) त्रावणकोर देवसोम बोर्ड केरल राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान के अनुसार तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबरीमाला मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास कर रहा है। राज्य सरकार ने उक्त मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य में मैसर्स इको-स्मार्ट (इंडिया) लिमिटेड को लगाया है। सबरीमाला के विकास के लिए मैसर्स इको-स्मार्ट (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान की रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र सरकार ने त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अतंर्गत निलाकल में 110.524 हैक्टेयर और पेरियर बाग रिजर्व में 12.675 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का अनुमोदन प्रदान किया है। विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई विस्तृत शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सबरीमाला मंदिर के विकास के लिए त्रावणकोर देवसोम के पक्ष में निलाकल में 110.524 हैक्टेयर वनभूमि और पेरियर बाघ रिजर्व में 12.675 हैक्टेयर के वनेतर प्रयोग के लिए सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन में उल्लिखित शर्तें

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति अपरिवर्तनीय होगी।

2. प्रतिपूरक वनीकरण राज्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा और इसका रखरखाव परियोजना लागत पर किया जाएगा।

3. (1) वनेतर क्षेत्र में सभी कार्य राज्य सरकार द्वारा तैयार प्रस्तावित मास्टर योजना के अनुसार किए जाएंगे।

   (2) वन भूमि का वनेतर क्षेत्र के लिए मास्टर योजना में उल्लिखित प्रयोजन के सिवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित गैर-वनभूमि को राज्य सरकार द्वारा छह माह के भीतर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा अथवा स्थानीय वन अधिनियम की समान धारा के अंतर्गत आरक्षित वन अधिसूचित किया जाएगा।

5. वृक्षों को केवल तभी काटा जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो और वह भी राज्य वन विभाग की कठोर निगरानी के अंतर्गत।

6. क्षेत्र की वनस्पति जाति और प्राणिजाति को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण के दौरान मजदूर कैम्प आदि वनेतर क्षेत्र से बाहर वनभूमि पर न स्थापित किए जाएं।

8. मुख्य वन संरक्षक (मध्य) क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर वन क्षेत्र में वनस्पति जाति और प्राणीजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई अन्य शर्त जो वह उपयुक्त समझता हो, समय-समय पर इसे लगा सकता है।

9. अनुमोदन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में आई ए संख्या 1373 में पारित अंतिम आदेश की शर्त पर होगा।

पेड़ जनित तिलहनों का उत्पादन

755. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान पेड़ जनित तिलहनों के उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में यह कितनी मात्रा में एकत्र किए गये हैं; और

(ख) देश में पेड़ जनित इन तिलहनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) देश में वृक्ष मूल के तिलहन की अनुमानित क्षमता 50 लाख मी. टन प्रति वर्ष है तथा अनुमानित वर्तमान संग्रह 5-6 लाख मी. टन प्रति वर्ष है। देश में 30.00 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ दसवीं योजना अवधि के दौरान वृक्ष मूल के तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड द्वारा ''वृक्ष मूल के तिलहन का समेकित विकास'' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में उत्कृष्ट पौधरोपण सामग्री तथा माडल पौध रोपण का विकास, वृक्ष मूल के तिलहन (टीबीओ) के बाग की स्थापना, प्रसंस्करण-पूर्व तथा प्रसंस्करण सुविधाओं आदि की स्थापना परिकल्पित है। देश में अनुसंधान संस्थाओं की नेटवर्किंग द्वारा आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2004-05 के दौरान 21 राज्यों में 8000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उत्कृष्ट पौध रोपण सामग्री का प्रयोग करके माडल पौध रोपण किया गया है।

रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में चीन के साथ समझौता ज्ञापन

756. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा में बड़े पैमाने पर पारस्परिक आदान-प्रदान तथा सहयोग प्रदान करने के लिए चीन के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग हेतु एक विद्यमान समझौते ज्ञापन को पुनः तीन वर्षों की

अवधि के लिए बढ़ाने हेतु चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के साथ 25 अक्तूबर, 2005 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) और (ग) यह समझौता दोनों देशों के बीच रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। स्पष्ट रूप से पहचान किए गए क्षेत्र श्रम और सामाजिक सुरक्षा विधान, रोजगार संवर्धन के उपाय और नीतियां, श्रम संबंध, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियां तथा आपसी हित का कोई अन्य क्षेत्र हैं।

असम में चाय-बागानों का बन्द किया जाना

757. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम के कई चाय बागानों को बन्द किए जाने से श्रमिकों के भविष्य के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तथा इसके बाद चाय बागान क्षेत्र में महामारी फैलने के कारण प्रभावित कामगारों की बागान-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत योजनाएं

758. श्री रामदास आठवले:
श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्यों में कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय ऋण/सहायता आबंटित की गई तथा जारी की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके फलस्वरूप कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2004-05 तक की अवधि के दौरान एआईबीपी के तहत इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान एआईबीपी के तहत सहायता के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं द्वारा सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

विवरण I

एआईबीपी के तहत सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	लाभान्वित
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्रीरामसागर चरण-1	टी
2.	चेय्येरू (अन्नामाया) (सी)	
3.	प्रियदर्शिनी जुराला	
4.	सोमसिला	
5.	नागार्जुन सागर	टी
6.	मड्डुवलासा	
7.	गुंडालवागु	टी
8.	मेड्डीगेड्डा	टी
9.	कानुपुर नहर	
10.	येराकलोवा जलाशय	टी
11.	वम्सधारा चरण-2 फेज-1	टी
	असम	
1.	पाहुमारा	टी
2.	हवाईपुर लिफ्ट	

1	2	3
3.	रुपाही (सी)	टी
4.	धनसिरि	टी
5.	चंपामती	टी
6.	बोरोलिया	टी
7.	बोरदीकराई (सी)	टी
8.	बूढ़ी दिहंग	टी
9.	कोलांग बेसिन में एकीकृत सिंचाई परियोजना	टी
10.	कोलांगा	
11.	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	टी
	बिहार	
1.	पश्चिमी कोसी	
2.	ऊपरी क्यूल	
3.	दुर्गावती	
-	बाणसागर	
4.	ओरनी जलाशय	
5.	बिलासी जलाशय (सी)	
6.	सोन आधुनिकीकरण	
7.	बताने	टी
	झारखंड	
1.	गुमानी	टी
2.	तोराई	टी
3.	लतरातू (सी)	टी
4.	कंसजोर	टी
5.	सोनुआ	टी
6.	सुरंगी	टी
7.	तपकारा जलाशय (सी)	टी
8.	ऊपरी शंख	टी
9.	पंचखेड़ो	

1	2	3
	गोवा	
1.	सलौली	
2.	तिल्लारी आईएस (गोवा का हिस्सा)	
	गुजरात	
1.	सरदार सरोवर	टी
2.	झुज (सी)	टी
3.	मुक्तेश्वर	टी
4.	सिपु (सी)	टी
5.	दमनगंगा (सी)	टी
6.	कर्जन (सी)	टी
7.	सुखी (सी)	टी
8.	देव (सी)	टी
9.	वतरक (सी)	टी
10.	हरनव-2 (सी)	टी
11.	उमरिया (सी)	टी
12.	अजी-4	
13.	ओजट-2	
14.	ब्रह्मणी-2	
15.	भादर-2	
	हरियाणा	
1.	गुड़गांव नहर (सी)	
2.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	
3.	डब्ल्यूआरसीपी	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	
2.	सिधाता	
3.	चेंजर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	

1	2	3
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	मारवल लिफ्ट	
2.	लेथपोरा लिफ्ट	
3.	कोयल लिफ्ट	
4.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	
5.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	
6.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	
7.	राजपोरा लिफ्ट	
8.	त्राल लिफ्ट	
9.	इगोफे	
10.	जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण	
11.	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई	
	कर्नाटक	
1.	ऊपरी कृष्णा चरण-1	
2.	मलप्रभा	
3.	हीरेहल्ला	
4.	घटप्रभा चरण-3	
5.	करंजा	
6.	ऊपरी कृष्णा चरण-2	
7.	गंटोरी नाला	
8.	मस्कीनल्हा	
	केरल	
1.	कल्लादा (सी)	
2.	मुवाट्टुपुझा	टी
	मध्य प्रदेश	
1.	इंदिरा सागर यूनिट-1	
	इंदिरा सागर यूनिट-2	टी
2.	बाणसागर यूनिट-1	
	बाणसागर यूनिट-2	टी
3.	ऊपरी वेनगंगा (सी)	टी
	राजघाट बांध	
4.	सिंध फेज-2	
5.	सिंध फेज-1	
6.	माही	टी
7.	बरियारपुर एलबीसी	
8.	उर्मिल आरबीसी (सी)	
9.	बंजर (सी)	टी
10.	बावनथाडी	टी
11.	महान	टी
12.	ओंकारेश्वर फेज-1	टी
13.	बारगी डाइवर्जन फेज-1	टी
	छत्तीसगढ़	
1.	हसदेव बांगों	टी
2.	शिवनाथ डाइवर्जन (सी)	टी
3.	जोंक डाइवर्जन	टी
4.	कोसारटेडा	टी
5.	बरनाई	टी
	महाराष्ट्र	
1.	गोसीखुर्द	टी
2.	सूर्या	टी
3.	वाघुर	टी
4.	भीमा	
5.	ऊपरी तापी (सी)	टी
6.	ऊपरी वर्धा	टी
7.	वान	
8.	जायकवाडी चरण-2 (सी)	टी

1	2	3
9.	विष्णुपुरी	टी
10.	बहुला	टी
11.	कृष्णा	
12.	कुकाडी	टी
13.	ऊपरी मानर	टी
14.	हतवाने	
15.	चसकमान	टी
16.	ऊपरी पेन गंगा	टी
-	बावनथाडी (आईएस)	
17.	खड़कवासला	टी
18.	कदवी	
19.	कसारी	
20.	कसारसाई	टी
21.	जावलगांव	
22.	कुंभी	
23.	पतगांव	टी
24.	शिवना तल्की	
25.	मदन टैंक	
26.	डोंरगांव	टी
27.	अमरावती	टी
	मणिपुर	
1.	खुगा	टी
2.	थोबल	टी
3.	दोलैथाबी बैराज	टी
	मेघालय	
1.	रंगाई घाटी	टी
	उड़ीसा	
1.	ऊपरी इंद्रावती	टी
2.	रेंगाली आरबीसी	
3.	सुबर्णरिखा	टी
4.	आनंदपुर बैराज फेज-1	
5.	ऊपरी कोलाब	टी
6.	टीटलागढ़ चरण-2	
7.	लोअर इंदिरा	टी
8.	लोअर सुकटेल	
9.	पोट्टेरू	
10.	नराज बैराज	
11.	तेलनगिरि	
12.	रेत सिंचाई	
13.	कानुपुर	टी
14.	छेलीगदा बांध	
15.	सासोन नहर प्रणाली का सुधार	
16.	सालंदी बांया मुख्य नहर-अंबहाटा	
17.	सल्की सिंचाई का सुधार	
	पंजाब	
1.	रणजीत सागर बांध (सी)	
2.	यूबीडीसी का रिमाडलिंग	
3.	तलवारा से एच.पी. की सिंचाई	
4.	शाहपुरकंदी बांध	
5.	कंदी नहर का विस्तार (चरण-2)	
	राजस्थान	
1.	जैसमंद (आधुनिकीकरण) (सी)	
2.	छापी (सी)	
3.	पंचाना (सी)	
4.	आईजीएनपी चरण-2	
5.	बिसालपुर	

1	2	3
6.	नर्मदा नहर	
7.	गंभीरी (आधुनिकीकरण) (सी)	टी
8.	चौली	
9.	माही बजाज सागर	टी
10.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	
	तमिलनाडु	
1.	डब्ल्यूआरसीपी	टी
	त्रिपुरा	
1.	मनु	टी
2.	गुमती	टी
3.	खोबई	टी
	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	
1.	सारदा सहायक (सी)	
2.	सरयू नहर	
3.	ऊपरी गंगा मध्य गंगा नहर के साथ (सी)	
4.	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना (सी)	
5.	बाणसागर नहर	
6.	लखवर व्यासी	
7.	टेहरी	
8.	ज्ञानपुर पंप नहर (सी)	
9.	पूर्वी गंगा नहर	
10.	राजघाट बांध	
11.	राजघाट बांध (सी)	
12.	गुंतानाला बांध (सी)	
13.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	
14.	जरौली पंप नहर	
	पश्चिम बंगाल	
1.	तीस्ता बैराज	टी
2.	कंग्सावती (सी)	टी
3.	डीवीसी बैराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	टी
4.	तटको	टी
5.	पतोली	टी
6.	हनुमाता	टी
7.	सुबर्णरिखा बैराज	टी

सी-पूर्ण

आईएस-अंतर्राज्यीय

टी-लाभान्वित जनजातीय क्षेत्र

विवरण II

एआईबीपी-केन्द्रीय ऋण/अनुदान आबंटन और जारी करना

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	के दौरान आबंटित/जारी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान						कुल	
		2002-03		2003-04		2004-05			
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	275.00	33.186	275.000	205.530	275.000	61.283	825.000	299.999
2.	असम	35.00	12.300	35.000	9.428	35.000	0.053	105.000	21.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	150.000	14.481	100.000	74.644	75.000	26.051	325.000	115.176
4.	झारखंड	35.000	9.670	31.000	1.833	31.000	14.900	97.000	26.403
5.	गोवा	40.000	0.000	8.000	2.000	5.000	0.455	53.000	2.455
6.	गुजरात	1000.000	1000.330	850.000	650.359	1000.000	420.000	2850.000	2070.689
7.	हरियाणा	18.000	18.000	25.000	7.735	25.000	7.795	68.000	33.530
8.	हिमाचल प्रदेश	18.000	8.150	15.000	14.692	15.000	1.236	48.000	24.078
9.	जम्मू-कश्मीर	35.000	34.999	60.000	12.555	40.000	5.113	135.000	52.667
10.	कर्नाटक	737.000	620.850	450.000	266.478	567.000	314.792	1754.000	1202.120
11.	केरल	17.000	5.665	31.000	31.000	50.000	34.608	98.000	71.273
12.	मध्य प्रदेश	220.000	220.000	740.000	568.440	850.000	361.691	1810.000	1150.131
13.	छत्तीसगढ़	104.000	104.000	1000.000	74.630	75.000	2.048	279.000	180.678
14.	महाराष्ट्र	175.000	133.134	414.000	164.395	707.000	380.085	1296.000	677.614
15.	मणिपुर	28.000	18.500	22.000	12.500	18.000	8.050	68.000	39.050
16.	मेघालय	4.000	1.500	4.000	0.000	4.000	0.000	12.000	1.500
17.	उड़ीसा	250.000	179.570	250.000	147.460	280.000	13.929	780.000	340.859
18.	पंजाब	150.000	36.660	100.000	0.000	100.000	0.000	350.000	36.660
19.	राजस्थान	200.000	174.385	560.000	499.837	400.000	267.966	1160.000	942.188
20.	तमिलनाडु	4.000	0.000	20.000	0.000	5.000	0.000	29.000	0.000
21.	त्रिपुरा	28.000	2.625	22.000	1.939	20.000	2.100	70.000	6.664
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	400.000	359	341	274.785	430.500	123.144	1171.500	756.929
23.	पश्चिम बंगाल	45.000	28.133	40.000	3.144	40.000	9.423	125.000	40.700
	कुल जोड़	3968.000	3015.138	4493.000	3023.385	5047.500	2054.718	13508.500	8093.142

विवरण III

एआईबीपी-सृजित सिंचाई क्षमता

(क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	के दौरान सृजित क्षमता			कुल
		2002-03	2003-04	2004-05 (प्रत्याशित)	3/2005 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	75.825	11.288	15.334	102.447
2.	असम	3.653	21.853	4.639	30.145

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	47.950	60.694	118.655	227.299
4.	झारखंड	2.520	0.000	0.000	2.520
5.	गोवा	1.720	2.919	1.800	6.439
6.	गुजरात	89.969	40.380	128.000	258.349
7.	हरियाणा	3.266	2.956	6.000	12.222
8.	हिमाचल प्रदेश	0.200	0.300	0.300	0.800
9.	जम्मू-कश्मीर	5.587	3.183	1.029	9.799
10.	कर्नाटक	45.090	138.834	79.341	263.265
11.	केरल	4.800	9.219	5.030	19.049
12.	मध्य प्रदेश	16.683	11.159	23.257	51.099
13.	छत्तीसगढ़	17.275	11.908	15.969	45.602
14.	महाराष्ट्र	13.609	27.584	35.867	77.060
15.	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000
16.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000
17.	उड़ीसा	3.599	44.516	16.238	64.353
18.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000
19.	राजस्थान	37.363	50.367	59.121	146.851
20.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000
21.	त्रिपुरा	0.000	0.415	2.119	2.534
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	78.860	30.069	78.549	187.478
23.	पश्चिम बंगाल	6.145	3.499	16.768	26.412
	कुल	454.564	471.143	608.016	1533.723

[अनुवाद]

वन रोपण कार्यक्रम

759. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए देश की एक-तिहाई भूमि को वन भूमि में बदलने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचाने गए क्षेत्र कौन से हैं तथा देश में वनरोपण के लिए राज्य-वार कितने एकड़ भूमि उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनरोपण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों को आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश की एक तिहाई भूमि को वन भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं बनाई है। तथापि, मंत्रालय ने अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमि के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) प्रारंभ किया है। स्थानीय पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवक्रमित वन, झाड़ियां और खाली पड़ी भूमि वनीकरण के लिए उपयुक्त समझी जाती है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण की भारत की परती भूमि एटलस 2000 के अनुसार परती भूमियों का राज्य-वार आकलन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए सहायता अनुदान क्रियान्वित कर रहा है। गैर-सरकारी संगठनों और वृक्षारोपण के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों सहित विभिन्न अभिकरणों को वित्तीय सहायता मुहैय्या कराई गई है।

विवरण

भारत की परती-भूमियों का राज्य-वार आकलन (भारत की परती भूमि एटलस 2000 के अनुसार)

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कवर किए गए जिलों में कुल परती भूमि क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	51750.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	18326.25
3.	असम	20019.17
4.	बिहार	20997.55
5.	गोवा	613.27
6.	गुजरात	43021.28
7.	हरियाणा	3733.98
8.	हिमाचल प्रदेश	31659.00
9.	जम्मू-कश्मीर*	65444.24
10.	कर्नाटक	20839.28
11.	केरल	1448.18
12.	मध्य प्रदेश	69713.75
13.	महाराष्ट्र	53489.08
14.	मणिपुर	12948.62
15.	मेघालय	9904.38
16.	मिजोरम	4071.68
17.	नागालैंड	8404.10
18.	उड़ीसा	21341.71
19.	पंजाब	2228.40
20.	राजस्थान	105639.11
21.	सिक्किम	3569.58
22.	तमिलनाडु	23013.90
23.	त्रिपुरा	1276.03
24.	उत्तर प्रदेश	38772.80
25.	पश्चिम बंगाल	5718.48
26.	संघ शासित क्षेत्र	574.30
	कुल	638518.31

*जम्मू और कश्मीर में सर्वेक्षण न किया गया क्षेत्र: 120849 वर्ग कि.मी.

अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष

760. **श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इसके अनुसरण में क्या उपाय किए गए हैं और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च उत्पादकता वाली चावल की किस्मों में निवेश, कटाई उपरान्त और कटाई पूर्व मशीनों हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लाने तथा आधुनिक फसल प्रबन्ध विधियों के संबंध में किसानों को शिक्षित करने हेतु पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाने के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए। इनमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और स्कूली बच्चों के लिए चावल पर सवाल-जवाब (क्विज) का आयोजन करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाने से चावल उत्पादकता में सुधार लाने, संकर चावल और चावल गहनीकरण प्रौद्योगिकी प्रणाली के लोकप्रियकरण से किसानों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को प्रेरित करने में सहायता मिली है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली चावल के संकरों और अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए जिम्मेवार है। पिछले दो वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में चावल की किस्में निर्मुक्त की गई हैं। इनमें शामिल हैं- धानरशी, शांति, मुगद, सुगंध, स्वेता, सी एस आर-23, सुकर धान-1 और समुति। इसके अलावा, खेती के लिए चावल के तीन संकरों नामत: सुरुचि 5402, पंत संकर धान-3 और नरेन्द्र उसर संकर धान भी निर्मुक्त किए गए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पावर टिलर के लिए ट्रांसप्लांटर के हिचिंग मकेनिज्म हेतु प्रोटोटाईप का अभिकल्पन और आविष्कार किया जो परीक्षण के लिए तैयार है। इसके अलावा, संकर चावल का पौध रोपण करने के लिए कोरियाई और चीनी ट्रांसप्लांटरों का मूल्यांकन किया गया। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों (एफएमटी और टीआई) ने कटाई-पूर्व प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया। कम्बाइन हार्वेस्टरों, स्व-नोदित और ट्रैक्टर चालित रीपरों, थ्रेशरों, स्ट्रा-रीपरों, क्लीनरों, ग्रेडरों आदि को चलाने पर कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

केन्द्रीय सरकार ने आधुनिक फसल प्रबंधन प्रणालियों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्कीमों को सहायता दी है। वर्ष 2002-03 में एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस केन्द्रों की स्थापना शुरू की गई। अब तक 2459 कृषि उद्यम स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को विशेषज्ञ सलाह देने के लिए नि:शुल्क लाइनों के जरिए कार्यरत किसान काल केन्द्रों और कृषि हेतु मास मीडिया पर नई स्कीमें वर्ष 2004-05 में शुरू की गई। विस्तार प्रणाली को किसानों के प्रति जिम्मेवार बनाने के लिए ''विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता'' लागू की गई है।

देवरायानादुर्गा पहाड़ियों का विकास

761. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के तुमकुर जिले में देवरायानादुर्गा पहाड़ियों का विकास करने और इसे पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटक रुचि वाले स्थानों/स्थलों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान करता है:

(1) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(2) पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास

(3) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता

तुमकुर जिले में देवरायानादुर्गा पहाड़ियों के विकास के लिए न तो किसी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है और न ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में ई.एस.आई. अस्पताल

762. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

763. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु औद्योगिक इकाइयों में श्रम के "हायर और फायर" मानदंडों की सुविधार्थ वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम में अनिवार्य संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

रबी की फसल संबंधी अभियान

764. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सर्दी (रबी) की फसल संबंधी अभियान को अंतिम रूप देने हेतु राष्ट्रीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि विकास दर को 4 प्रतिशत बढ़ाने हेतु मिशन-4 शुरू करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अर्थव्यवस्था में वर्तमान कृषि विकास दर कितना योगदान दे रही है;

(च) क्या सरकार ने विशेष फसल के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। इस सम्मेलन में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के अधीन कृषि से संबंधित कार्य करने वाले वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी कृषि संबंधी उपलब्धियों को बयान किया और उन्होंने बीजों, उर्वरक, कीटनाशकों, ऋण आदि जैसे विभिन्न आदानों के लिए अपनी आवश्यकताएं भी प्रस्तुत कीं।

(ग) और (घ) इस सम्मेलन के दौरान कृषि जलवायुवीय विशिष्टीकृत रणनीति अपनाकर कृषि की वृद्धि दर को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ङ) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) कृषि में 4% की लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए, एक कृषि-जलवायुवीय विशिष्टकृत रणनीति अपनाना जरूरी समझा जाता है, जिसके लक्ष्य में जिन्स और कृषि जलवायु दोनों से संबंधित क्षेत्र हो ताकि बीज, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों और उचित प्रौद्योगिकियों से संबंधित बाधाओं के जिन्स विशिष्ट समाधान के साथ-साथ विशिष्ट बाधाओं, चाहे वे मृदा, भूमि अथवा जल से संबंधित हों, को हल करने के माध्यम से सम्भाव्य अंतरों को समाप्त किया जा सके। चावल, गेहूं, मक्का, कपास, तिलहन एवं दलहन आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संभावित क्षेत्रों, जहां उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, को लक्ष्य बनाकर एक अल्पकालिक रणनीति बनाई गई है। उदाहरण के लिए चावल के लिए अभिज्ञात क्षेत्र हैं गंगा के निचले और ऊपरी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी पठार जहां पैदावार में वृद्धि होने के काफी अवसर हैं।

कृषि उत्पादन वृद्धि और उत्पादकता के उद्देश्य के लिए अभिज्ञात अन्य क्षेत्रों में जल प्रबंध, उच्च उपज किस्में, संतुलित उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां हैं जिन पर सम्मिलित रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

विवरण

स्थायी मूल्यों (1993-94 मूल्यों) पर कृषि वृद्धि

वर्ष	कृषि, वानिकी, मात्स्यिकी करोड़ रु.	वृद्धि (%)
1993-94	241967	
1994-95	254090	5.0
1995-96	251892	-0.9
1996-97	276091	9.6
1997-98	269383	-2.4
1998-99	286094	6.2
1999-00	286983	0.3
2000-01	286666	-0.1
2001-02	304666	6.3
2002-03	283393	-7.0
2003-04	310611	9.6
2004-05	314180	1.1

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन

765. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेटिरोलाजी और ब्रिटेन के हेडली सेन्टर फार क्लाइमेट प्रेडिकेशन एण्ड रिसर्च ने संयुक्त अध्ययन के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि ''ग्लोबल वार्मिंग'' से भारत में कृषि, जैव-विविधता, बीमारियों का स्वरूप और जल उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय कृषि और पारिस्थितिकी के इन परिवर्तनों के अनुकूल किस सीमा तक होने की सम्भावना है; और

(घ) ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत-यू.के. अध्ययन ''भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जांच'' से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन देश में कृषि, जैवविविधता, रोग पद्धति एवं जल उपलब्धता सहित पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव को व्यक्त करता है जो पहले से ही नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण दबाव का सामना कर रहा है।

(ख) और (ग) ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा संरक्षण, पावर सैक्टर में सुधार, सक्रिय पुन: नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा के लिए ईंधन में परिवर्तन, वनीकरण एवं वन संरक्षण, कोयले की पर्याप्त उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए कदम; गैस प्रदीप्ति में कमी करना और तेल क्षेत्र में अपशिष्ट ताप प्रतिप्राप्ति पंप सैटों का मानकीकरण, वर्तमान पंप सेटों को अधिक ऊर्जाक्षम बनाने के लिए उनका परिशोधन, पावर टैरिफ को सुव्यवस्थित करना एवं कृषि क्षेत्र में बेहतर कल्टिवर अभ्यास आदि के संबंध में तीव्र आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से व्यापक सुधार के साथ-साथ वर्तमान नीति फ्रेमवर्क देश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों से छुटकारा दिलाता है। जहां तक जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन का संबंध है, विभिन्न पारि प्रणालियों में संभावित जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि एवं वानिकी क्षेत्रों के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकाल दो बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते हैं। भारत इन दोनों समझौतों का एक पक्षकार है और निर्दिष्ट क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के सूचीकरण के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है। क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए विकासशील देशों के लिए ऐसे कोई दायित्व नहीं हैं जबकि विकसित देशों (अनुबंध-1) के लिए हैं।

नदी/झील संबंधी उपयोग प्रभार

766. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों/झीलों को साफ रखने के लिए सरकार का विचार उपयोग प्रभार लगाकर धन जुटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नदियों और झीलों के प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाकर धन एकत्र करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि जल राज्य का विषय होने के कारण राजस्व एकत्र करने के ऐसे प्रस्तावों पर शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं

767. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23.5 करोड़ किसान और कृषि-श्रमिक असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के लिए उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा की तर्ज पर उनके लिए अलग से चिकित्सा सुविधाएं आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस वर्ग की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय कृषि श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा देने वाले किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृषि श्रमिक तथा अन्य लोग पूरे देश में फैले राज्यों और केन्द्र सरकार दोनों की राज्य स्तर से जिला और तहसील तथा उप केन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं ले रहे हैं। पुनर्नामित सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उपलब्ध है जिसमें अन्य के साथ-साथ कृषि श्रमिक भी शामिल हैं। इसके तहत एकल व्यक्ति को 165/- रुपये, 5 सदस्यों तक वाले परिवार को 248/- रुपये और 7 सदस्यों तक वाले परिवार को 330/- रुपये का सब्सिडीकृत वार्षिक प्रीमियम देना होता है। इस योजना के तहत अस्पताल के खर्चे के लिए फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 30,000/- रुपये तक और दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में 25 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है ताकि खास तौर पर गरीबों, समाज के कमजोर तत्वों और कृषि श्रमिकों को एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा सके।

[अनुवाद]

वनभूमि का परिवर्तन

768. श्री एन.एन. कृष्णादास:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से वनभूमि को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने और वन भूमि/उत्पाद पर अधिकारों की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पांच राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ से वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 511 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें मध्य प्रदेश के 315 वन गांव, महाराष्ट्र के 73 वन गांव, गुजरात के 112 वन गांव शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय ने वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने, पात्र अतिक्रमणों को नियमित करने तथा वन भूमि पर विवादास्पद दावों का निपटान करने के लिए 1990 में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

साफ्ट ड्रिंक कंपनियों द्वारा जल का दोहन

769. श्रीमती अर्चना नायकः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास साफ्ट ड्रिंक उत्पादों हेतु भू-जल के अत्यधिक दोहन पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई ज्ञापन सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) वातित जल निर्माताओं सहित उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी विनियमित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि को गंभीर क्षेत्रों की एक सूची परिचालित की थी, जोकि अनुमति प्रदान करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए नए उद्योगों के प्रस्ताव सीजीडब्ल्यूए को भेजता है। ऐसे क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता और स्थल विशिष्ट वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सीजीडब्ल्यूए द्वारा हर मामले में अलग-अलग एनओसी प्रदान किया जाता है। इस तरह की अनुमति की एक पूर्वापेक्षा, उद्योग द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा के पानी के संरक्षण की प्रणाली का अनिवार्यतः अपनाया जाना है। चूंकि किसी भी उद्योग के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण राज्य सरकार/राज्य एजेंसियां/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होता है, इसलिए सॉफ्टड्रिंक कम्पनियों द्वारा भूजल के दोहन पर रोक लगाने की कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है।

(ग) और (घ) सॉफ्टड्रिंक उत्पादों के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाए जाने के संबंध में उड़ीसा सहित राज्य सरकारों से जल संसाधन मंत्रालय/सीजीडब्ल्यूबी में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

770. श्री जीवाभाई ए. पटेलः
श्री रघुराज सिंह शाक्यः
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः
श्री आलोक कुमार मेहताः
डा. के. धनराजूः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चीनी के उत्पादन, उपभोग और मूल्य के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए चीनी का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मूल्य की चीनी का आयात किया गया, और इसकी कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का उत्पादन, खपत और लागत निम्नानुसार थाः-

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	उत्पादन	खपत	देश की चार प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्य का रेंज (रुपये/क्विंटल)*
2002-03	201.32	183.35	1190-1525
2003-04	139.58	175.00	1265-1810
2004-05	130.00	169.88	1570-2075

*स्रोतः मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग

(ग) और (घ) चीनी सामान्य लाइसेंस के अधीन है और इसका आयातकों के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार खुले रूप में आयात किया जा सकता है। तथापि, सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुसार, शुल्क मुक्त पात्रता प्रमाण-पत्र स्कीम, जिसके तहत इस प्रकार के आयात शुल्क मुक्त होते हैं लेकिन ये निर्यात बाध्यता के अध्यधीन होते हैं जिसे निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होता है, के अधीन प्राप्त अग्रिम लाइसेंस के प्रति कच्ची चीनी सहित सभी जिंसों का वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किया जा सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा तथा इसकी लागत निम्नवत् थी:-

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा लाख मी. टन में	सीआईएफ मूल्य (रुपये/करोड़)
2002-03	0.41	32.93
2003-04	0.74	62.70
2004-05	8.89	954.24

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता

(ङ) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में सूखा पड़ने तथा कीट ग्रसन के कारण गत दो चीनी मौसमों यथा 2003-04 तथा 2004-05 चीनी मौसमों के दौरान चीनी का उत्पादन घटकर क्रमश: 140 लाख मी. टन तथा 130 लाख मी. टन हो गया। आगामी चीनी वर्ष (2005-06) के आरंभ में 3 महीने की खपत के बराबर नियामक आरंभिक स्टाक रखने के लिए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत चीनी फैक्ट्रियों द्वारा कच्ची चीनी के आयात को प्रोत्साहित किया है।

(च) सरकार ने चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(क) 2005-06 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) 9% के मूल रिकवरी पर 79.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जोकि इस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% प्वाइंट की वृद्धि पर 88 पैसे के प्रीमियम के अध्यधीन है।

(ख) प्रभावी रिलीज व्यवस्था के माध्यम से चीनी मिलों के लिए बेहतर मासिक खुली बाजार वसूली सुनिश्चित की गई थी ताकि वे 99.44% तक गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान कर सकें और इस प्रकार गन्ना किसानों को गन्ने की खेती तथा इसके अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अत: सामान्य मानसून तथा गन्ना कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण वर्तमान 2005-06 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 180 लाख मी. टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 130 लाख मी. टन था।

रबी अभियान की घोषणा

771. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रबी अभियान 2004-05 की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी अभियानों के लिए राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। रबी अभियान को शुरू करने से संबंधित अंतिम सम्मेलन 15 और 16 सितम्बर, 2005 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्यतया केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित कृषि अनुसंधान संस्थानों आदि के अंतर्गत कृषि से संबंधित मामलों को संभालने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन ने विगत फसलन मौसम में कृषि के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तथा आगामी फसलन मौसम की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों की तैयारी का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मंच का काम किया। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की बीजों, उर्वरकों, कृमिनाशियों तथा अन्य आदानों की आवश्यकता का आकलन किया गया ताकि ये समय पर यथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा सकें। इस अनुभव ने यह दर्शाया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच इस तरह का परस्पर तालमेल कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।

[अनुवाद]

तटीय समुद्र में मछलियों की कमी

772. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल के मछुआरों से विदेशों द्वारा यांत्रिक तरीके से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कारण तटीय समुद्र क्षेत्र में मछलियों की कमी संबंधी बड़ी संख्या में मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर केरल के तटीय समुद्र में मत्स्य संपदा का वैज्ञानिक अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में अब केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा कराए जा रहे समुद्र तट वाले राज्यों में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यन गणना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा मात्स्यिकी संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए केरल सहित भारत की संपूर्ण तट रेखा के साथ-साथ वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। अध्ययनों ने केरल तट के साथ मछली पकड़ने की कोई बड़ी कमी की सूचना नहीं दी है, जो कि पिछले तीन वर्षों में 6 लाख टन से कुछ अधिक पाई गई है। सरकार ने भारतीय जल क्षेत्र में किसी विदेशी जलयान को अनुमति नहीं दी है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी गणना की प्रमुख विशेषताएं मत्स्यन गांवों में नौका एवं गीयर तथा बुनियादी ढांचा सुविधाओं को बनाए रखने के अलावा मछुआरा समुदाय की स्थिति, उनकी शैक्षिक स्थिति, व्यवसाय की स्थिति, सहकारी समितियों की सदस्यता, आदि सहित मछुआरा समूह के संबंध में आंकड़ा संचयन से संबंधित हैं।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

773. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का है ताकि यह बदलते समय के अनुसार उपयुक्त बना रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बागान श्रमिक अधिनियम में संशोधन से देश में बागान श्रमिकों को किस सीमा तक और अधिक सुरक्षा और लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन संबंधी परामर्श को त्रिपक्षीय मंच पर उठाया गया है। आम राय बन जाने के पश्चात् संशोधन के लिए उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उठाया जाना

774. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए वितरण हेतु खाद्यान्नों का अपना कोटा समय पर उठाने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के बीच खाद्यान्नों के वितरण हेतु सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के राज्यवार आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 17.9.2004 को राज्यों के खाद्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसके बाद 28.10.2004 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया

था। इन सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूर/विस्थापित व्यक्तियों/बेघर आबादी सहित भुखमरी के कगार पर खड़े परिवारों को राशन हकदारी प्राधिकार पर्चियां जारी की जाएं, उचित दर दुकान के लाइसेंसों के आबंटन के मामले में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए; उचित दर दुकान के लाइसेंसधारकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उचित दर दुकानों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाए; निर्गम की मात्रा, खाद्यान्नों के मूल्य, उपलब्धता, खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली आदि के बारे में सूचना का प्रचार किया जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सस्ती और स्थानीय पसंद के अनुरूप बनाया जा सके।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004-2005 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टनों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान			% उठान		
		गरेनी	अंअयो	जोड़	गरेनी	अंअयो	जोड़	गरेनी	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1,230.128	476.248	1,706.376	1,261.816	4,56.115	1,717.931	*102.576	95.773	100.677
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.680	9.816	41.496	31.610	8.661	40.271	99.779	88.233	97.048
3.	असम	650.434	150.086	800.520	623.762	139.178	762.940	95.899	92.732	95.306
4.	बिहार	2,219.184	420.000	2639.184	809.910	382.079	1,191.989	36.496	90.971	45.165
5.	छत्तीसगढ़	586.635	200.997	787.632	556.720	180.399	737.119	94.901	89.752	93.587
6.	दिल्ली	155.270	16.510	171.780	148.735	13.984	162.719	95.791	84.700	94.725
7.	गोवा	11.848	4.112	15.960	0.000	5.040	5.040	0.000	*122.568	31.579
8.	गुजरात	716.567	167.081	883.648	556.091	114.301	670.392	77.605	68.411	75.866
9.	हरियाणा	257.040	71.532	328.572	217.587	65.097	282.684	84.651	91.004	86.034
10.	हिमाचल प्रदेश	134.816	44.116	178.932	118.553	41.755	160.308	87.937	94.648	89.592
11.	जम्मू-कश्मीर	243.008	66.076	309.084	235.598	43.508	279.106	96.951	65.845	90.301
12.	झारखण्ड	801.112	204.380	1,005.492	365.914	167.666	533.580	45.676	82.036	53.067
13.	कर्नाटक	987.813	326.463	1,314.276	972.701	300.882	1,273.583	98.470	92.164	96.904
14.	केरल	487.048	165.560	652.608	493.640	156.714	650.354	*101.353	94.657	99.655
15.	मध्य प्रदेश	1,326.222	406.254	1,732.476	1,225.005	380.325	1,605.330	92.368	93.618	92.661
16.	महाराष्ट्र	2,069.837	674.467	2744.304	1,773.019	598.260	2,371.279	85.660	88.701	86.407
17.	मणिपुर	44.884	10.716	54.600	29.035	8.631	37.666	65.163	80.543	68.895
18.	मेघालय	60.152	16.708	76.860	60.389	16.119	76.508	*100.394	96.475	99.542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	मिजोरम	21.241	7.439	28.680	21.644	7.098	28.742	*101.897	95.416	100.216
20.	नागालैण्ड	39.529	12.551	52.080	42.787	11.922	54.709	*108.242	94.988	105.048
21.	उड़ीसा	1,436.088	260.604	1,696.692	1,071.942	232.275	1304.217	74.643	89.129	76.868
22.	पंजाब	166.416	30.120	196.536	110.983	22.766	133.749	66.690	75.584	68.053
23.	राजस्थान	713.839	246.701	960.540	651.375	230.951	882.326	91.250	93.616	91.857
24.	सिक्किम	14.076	4.164	18.240	14.022	4.048	18.080	99.616	97.454	99.123
25.	तमिलनाडु	1,608.365	434.011	2,042.376	1,665.081	424.791	2,089.872	*103.526	97.876	102.326
26.	त्रिपुरा	100.929	22.971	123.900	104.670	21.376	126.046	*103.707	93.056	101.732
27.	उत्तर प्रदेश	3,316.042	1,169.138	4,485.180	2,777.114	1,126.056	3,903.170	83.748	96.315	87.024
28.	उत्तरांचल	177.120	32.052	209.172	178.697	41.620	220.137	*100.890	*129.851	105.328
29.	पश्चिम बंगाल	1,618.945	391.595	2,010.540	1,259.804	260.473	1,520.273	77.816	66.516	75.615
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.430	1.800	9.230	0.887	0.000	0.887	11.938	0.000	9.610
31.	चंडीगढ़	8.749	0.888	9.636	0.170	0.191	0.361	1.943	21.509	3.746
32.	दादरा व नगर हवेली	5.544	1.176	6.720	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
33.	दमन और दीव	1.428	0.252	1.680	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
34.	लक्षद्वीप	0.372	0.168	0.540	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
35.	पांडिचेरी	28.238	6.874	35.112	2.620	1.235	3.855	9.278	17.966	10.979
	जोड़	21,277.028	6,053.626	27,330.654	17,381.885	5,463.555	22,845.440	81.693	90.253	83.589

*बैकलाग कोटा सहित

गेहूं की नई किस्मों का विकास

775. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में गेहूं की फसल की सात नई किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त किस्मों के नाम क्या हैं;

(ग) देश के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उक्त किस्मों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और उक्त किस्मों की औसतन प्रति हैक्टेयर पैदावार कितनी है;

(घ) क्या उक्त नयी विकसित गेहूं की किस्मों की औसत पैदावार अनुसंधान प्रयोगशालाओं में दर्शाई गई औसत पैदावार से अलग हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आकलन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। दिनांक 27-30 अगस्त, 2005 के दौरान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में आयोजित 44वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं की बैठक में गेहूं की सात नई किस्मों की पहचान की गई है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) विशिष्ट कृषि मौसम स्थितियों के अंतर्गत जिनके लिए इनकी सिफारिश की गई है, तीन वर्ष के बहुस्थानिक परीक्षण के आधार पर फसल मानक, अधिसूचना तथा किस्म जारी करने से संबंधित केन्द्रीय उप-समिति द्वारा जारी करने और अधिसूचित करने के बारे में विचार करने के लिए गेहूं की विकसित की गई नई किस्मों की पहचान की गई है। एक बार इन किस्मों के जारी होने तथा अधिसूचित हो जाने पर इन्हें अग्रपंक्ति प्रदर्शनों, मूल्यांकन और किसानों द्वारा भविष्य में खेती करने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए बीज श्रृंखला में शामिल किया जाएगा।

विवरण

किस्म	उत्पादन परिस्थिति	अंगीकरण का क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4
डीबी डब्ल्यू 16	सिंचित, पछेती बुवाई	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर मंडल को छोड़कर), पश्चिम उत्तर प्रदेश (झांसी मंडल) जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा (जम्मू और कठुवा जिला) तथा हिमाचल प्रदेश के हिस्से (ऊना जिला तथा पोंटा घाटी) तथा उत्तरांचल (तराई क्षेत्र)।	यह किस्म स्ट्रिप और पूर्ण रतुआ दोनों की प्रतिरोधी है और इसकी पैदावार व्यापक रूप से उगाई जाने वाली पीबीडब्ल्यू-373 किस्म के बराबर है जो कि भूरे रतुए के प्रति संवेदनशील है। इससे क्षेत्र में किस्मगत विविधीकरण में मदद मिलेगी। इसकी औसत पैदावार 39 क्विंटल/है. है।
एच डी 2888	बारानी, समय पर बुवाई	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड उड़ीसा, असम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग।	सामान्य किस्मों (चैक) की तुलना में एच डी 2888 किस्म अधिक पैदावार के साथ-साथ भूरे रतुए की प्रतिरोधी है। इसकी औसत पैदावार 23 क्विंटल/है. है।
एच आई 1531	बारानी/सीमित सिंचाई, समय पर बुवाई	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोटा तथा राजस्थान का उदयपुर मंडल और उत्तर प्रदेश का झांसी मंडल।	उपलब्ध वाणिज्यिक किस्मों की तुलना में एच आई 1531 किस्म की अच्छी पैदावार होती है और पर्ण रतुआ की प्रतिरोधी है तथा बारानी दशा के लिए उपयुक्त है और सीमित सिंचाई स्थितियों में भी बेहतर है। बारानी स्थिति के अंतर्गत इसकी औसत पैदावार 25 क्विंटल/है. है जबकि सीमित सिंचाई स्थिति में 27 क्विंटल/है. है।
एन आई ए डब्ल्यू 917	सिंचित, समय पर बुवाई	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्र।	अन्य किस्मों की तुलना में एन आई ए डब्ल्यू 917 की बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधी तथा अच्छी गुणवत्ता है। इसकी औसत पैदावार 43 क्विंटल/है. है।
पी बी डब्ल्यू 533	सिंचित, पछेती बुवाई	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मैदानी भाग।	सामान्य किस्मों की तुलना में सामान्य (चैक) यह किस्म तना और पत्ती रतुआ दोनों की प्रतिरोधी व अच्छी पैदावार वाली हैं। इसकी औसत पैदावार 37 क्विंटल/है. है।

1	2	3	4
ए के डी डब्ल्यू 2997-16 (ह्यूरम)	बारानी, समय पर बुवाई	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मैदानी भाग	ए.के.डी.डब्ल्यू. 2997-16 बेहतर पैदावार के साथ-साथ तना और पत्ती रतुआ दोनों की प्रतिरोधी है। इसकी औसत पैदावार 12 क्विंटल/है. है।
डी डी के 1025 (डिकोक्यूम)	सिंचि, समय पर बुवाई	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मैदानी भाग के साथ-साथ इसका पहाड़ी क्षेत्र और केरल जिसमें नीलगिरि और दक्षिणी पठार का पालनी पर्वतीय क्षेत्र शामिल है	डीकोक्यूम किस्म बेहतर पैदावार और तना तथा पत्ती रतुआ रोग की प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाली किस्म भी है। इसकी औसत पैदावार 38 क्विंटल/है. है।

[अनुवाद]

बाघ गणना हेतु नई प्रणाली

776. श्री उदय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट आफ इंडिया ने बाघ गणना कराने हेतु एक नई प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बाघ परियोजना निदेशालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान से निवेश के साथ अखिल भारत बाघ, बड़े मांसाहारी जीव, खुरवाले पशुओं के अनुमान, पर्यावास स्थिति आकलन एवं निगरानी के आयोजन के लिए एक उन्नत कार्यप्रणाली विकसित की है। जी आई एस क्षेत्र में नमूना का उपयोग करते हुए सघन अभिकलन के अनुकरण से पर्यावास स्थिति के आकलन के अतिरिक्त बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों की सापेक्षिक प्रचुरता को तालिकाबद्ध करने के लिए वन कर्मचारियों एवं डाटा संग्रहकर्त्ताओं द्वारा वन बीट स्तर प्राथमिक डाटा संग्रह कार्यप्रणाली शामिल है। इस प्रक्रिया की पुनरीक्षा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की जाएगी।

श्रम कानूनों में संशोधन

777. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रम कानूनों में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कतिपय परिषदों और अन्य संगठनों से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) श्रम बाजारों को लचीला बनाने के उद्देश्य से, 'श्रम बाजार को लचीला बनाना' विषय पर 'एक विचार-विमर्श लेख' विभिन्न पणधारियों में उनके दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए परिचालित किया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कतिपय कार्यकलापों को एक अलग अनुसूची में रखते हुए ताकि धारा 10 के उपबंध इन पर लागू न हों और अधिनियम की धारा 31 में "आपातकाल" शब्द को "लोकहित" के रूप में बदलते हुए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन; और

(2) अध्याय 5बी की प्रयोजनीयता के लिए 100 की फिल्टर संख्या को बढ़ाकर 300 करके और छंटनी पर कामगारों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर और प्रतिष्ठान के बंद होने पर सतत् सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अथवा छः माह से अधिक के लिए

उसके किसी भी भाग के लिए 15 दिन का औसत वेतन के बजाए 45 दिनों का औसत वेतन बशर्ते कि इस प्रकार की छंटनी प्रतिपूर्ति औसत मजदूरी के 90 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए; और धारा 36ख की प्रयोजनीयता का सभी उपक्रमों पर विस्तार करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन।

पणधारियों के दृष्टिकोण प्राप्त हो रहे हैं।

राजस्थान हेतु पानी छोड़ना

778. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में शिमला में आयोजित बैठक के दौरान पंजाब सरकार 1981 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो पानी को कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) शिमला में 25 अक्तूबर, 2005 को उत्तरी क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया है कि राजस्थान को उसके जल का उचित हिस्सा दिया जा सकता है बशर्ते राज्य आवश्यक नहरों का निर्माण पूरा कर ले और उसके पास आवश्यक क्षमता हो।

मुक्त आकाश वाली नीति के तहत अमरीका तथा ब्रिटेन के साथ समझौता

779. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका और ब्रिटेन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान देश में कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ;

(घ) क्या भारत को अग्रणी पर्यटक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) सरकार ने 14 अप्रैल, 2005 को ''मुक्त आवास'' नीति के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के साथ एक हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 सितम्बर, 2005 को ब्रिटेन के साथ भी एक संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यह ''मुक्त आकाश'' नीति पर आधारित नहीं है। इन दोनों समझौतों के परिणामस्वरूप इन बाजारों से भारत में विभिन्न पर्यटक गंतव्यों के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए हवाई सीट क्षमता में वृद्धि हुई है।

(ग) 2004 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन संख्या 3.37 मिलियन थी।

(घ) और (ङ) पर्यटन को विकसित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:-

(1) गंतव्यों एवं परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास;

(2) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता;

(3) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

1. कमरों की संख्या में वृद्धि करना।
2. हवाई सीट क्षमता में वृद्धि करने के माध्यम से संपर्क को और बढ़ाना।
3. सड़क अवसंरचना में सुधार।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम

780. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन के कोकिंग कोयले के उत्पादकों के साथ साम्य समझौते के माध्यम से संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि देश को इस उत्पाद के आयात की आवश्यकता न रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) राष्ट्रीय इस्पात नीति में जैसी परिकल्पना की गई है, सरकार विदेशी इस्पात और कोयला कंपनियों का साथ संयुक्त उद्यम तथा साम्या भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। उदारीकरण के माहौल में अलग-अलग कंपनियां ऐसी संभावनाएं तलाश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में गिरावट

781. श्री अजीत जोगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के लिए किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस प्रवृत्ति के उलट कार्य करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तविक अर्थों में (वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर) वानिकी, लट्ठाबंदी (लागिंग) और मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में सकल पूंजी निर्माण के संबंध में अनुमानित कुल निवेश वर्ष 2001-02 के 20360 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 24186 करोड़ रु. हो गया। पिछले तीन वर्षों में कुल निवेश निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल निवेश (करोड़ रु. में)
2001-02	20360
2002-03	21500
2003-04*	24186

*त्वरित अनुमान
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बजट 2005-06 में लघु सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) सहित बागवानी और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2005-06 में 630 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है जो समेतिक ढंग से एक छत के नीचे अनुसंधान, उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए पश्च और अग्र सम्पर्क वाला सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। बजट में वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 4800 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। भारतीय कृषि में जल उपयोग कुशलता में सुधार करने के लिए वर्ष 2005-06 में लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। कृषि में निवेश की गति बढ़ाने के लिए ऋण प्रवाह के महत्व को देखते हुए वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से कृषि क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 30% तक कृषि ऋण बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त अंशदाताओं हेतु ई.पी.एफ. ब्याज दर

782. श्री मनोरंजन भक्त: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेवानिवृत्त भविष्य निधि अंशदाताओं के लेखाओं पर 9.5 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर अदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए सदस्यों के खातों में जमा की जाने वाली ब्याज की दर (9.5%) को सरकार द्वारा क्रमशः 06.05.2005 और 01.08.2005 को अनुमोदित कर दिया गया था। ब्याज की अंतिम दर की घोषणा होने तक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्ष 2003-04 में सदस्यों के दावों का निपटान 9.5% की दर से किया था, जो कि सरकार द्वारा अन्ततः अनुमोदित की गई दर के अनुसार था।

अधिसूचना जारी होने तक वर्ष 2004-05 के लिए दावों का निपटान 8.5% की अन्तरिम दर पर किया जा रहा था। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि निपटान किए गए दावों के संबंध में ब्याज की बकाया राशि का अपनी ओर से भुगतान कर दें।

कृषि आय में गिरावट

783. श्री एम. शिवण्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों के कृषकों को "प्रोड्यूज एण्ड पेरिश पालिसी" को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल की रिपोर्ट के अनुसार शहरी आय में वृद्धि के बावजूद पिछले पांच वर्षों में कृषि आय में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि आय में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण बाजार को वैश्विक कीमत श्रृंखला से समेकित करने से यह किस प्रकार भारतीय कृषकों को कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट से उबारेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जुलाई, 2005 में बताया कि 60 प्रतिशत कृषक परिवारों ने कृषि को व्यवसाय के रूप में पसन्द किया। केवल 27 प्रतिशत कृषि परिवारों ने कृषि को नहीं पसन्द किया, क्योंकि उन्होंने इसे लाभकारी नहीं समझा।

चयनित राज्यों में प्रमुख फसलों के उत्पादन की लागत पर आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न फसलों के संबंध में सकल लाभ सकारात्मक है, हालांकि उतार-चढ़ाव होता रहता है। चयनित राज्यों ने विभिन्न फसलों के तहत होने वाले सकल लाभ को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कृषि आय को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण पर जोर दे रही है। अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च संपर्कों वाले आद्योपांत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2005-06 के दौरान देश में 2300.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) शुरू किया गया है। बागवानी विकास हेतु वर्ष 2005-06 के लिए दसवीं योजना के दौरान 1091.00 करोड़ रुपये शामिल किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य उचित गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु क्षमता निर्माण, उन्नत/उच्च उपज वाली फसलों के कवरेज को बढ़ाना, अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूत आधार का निर्माण करना है। आसान ऋण के नियमित प्रवाह के लिए हाल ही में सरकार द्वारा एक फार्म क्रेडिट पैकेज की घोषणा की गई है ताकि किसानों को अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाने के योग्य बनाया जा सके और आय बढ़ाने के लिए संसाधनों के प्रयोग में उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति से आय में कमी से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) ग्रामीण बाजारों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने का एक उद्देश्य कृषि क्षेत्र के व्यापार संहिता में सुधार करके किसानों की आय में सुधार लाना है, इससे कृषि जिंसों की मांग बढ़ने की प्रत्याशा है और इससे भारतीय किसानों को लाभ होगा।

निजी एवं सहकारी क्षेत्र से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 72 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है, ताकि कृषि मंडियों, ग्रेडिंग, मानकीकरण आदि जैसी विपणन एवं सहयोगी सेवाओं की स्थापना की जा सके।

विवरण

विभिन्न फसलों के तहत प्रति हैक्टेयर सकल लाभ

(रुपए/हैक्टे.)

फसल	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
गेहूं	हरियाणा	18548.87	21042.94	18583.00	18212.79	18729.93
	पंजाब	16916.54	20965.27	19944.64	18803.72	16714.76
	उत्तर प्रदेश	13049.93	13722.10	11602.47	11201.68	11494.94
धान	आंध्र प्रदेश	13817.59	12989.54	12447.50	11841.90	16918.73
	हरियाणा	12103.27	12610.13	17716.31	16354.62	14797.29
	पंजाब	11312.87	17232.10	18350.95	21135.61	16293.65
	पश्चिम बंगाल	13327.06	10824.00	6672.73	7137.45	5736.83
ज्वार	कर्नाटक	3140.37	2561.51	1213.68	833.21	777.85
	महाराष्ट्र	5023.36	5445.95	2591.69	1865.05	5735.29
बाजरा	गुजरात	उपलब्ध नहीं	3078.92	1826.14	5527.89	2787.58
	उत्तर प्रदेश	5985.66	7527.28	5039.80	5527.89	4792.93
मक्का	आंध्र प्रदेश	6597.73	41404.31	2207.90	5125.24	5067.16
	मध्य प्रदेश	3170.02	3212.46	1864.15	1734.75	1617.91
चना	मध्य प्रदेश	5728.94	7683.20	8754.89	10005.83	6642.61
	उत्तर प्रदेश	8862.31	उपलब्ध नहीं	14824.76	12225.84	9245.41
अरहर	महाराष्ट्र	11480.93	10405.89	7080.38	9466.08	8552.90
	उत्तर प्रदेश	15132.73	14538.11	12845.11	12145.04	10086.45
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	5408.42	4235.31	4202.01	5605.75	2729.20
	महाराष्ट्र	6149.83	5229.00	3897.31	6201.40	5232.62
मूंगफली	गुजरात	13392.21	4567.61	2410.63	15665.21	7786.62
	तमिलनाडु	9927.90	8417.73	6329.19	1870.35	5488.33
जूट	असम	7891.48	10442.34	8965.71	8813.05	4805.76
	पश्चिम बंगाल	10398.42	11696.27	7652.54	9489.56	9895.20

1	2	3	4	5	6	7
गन्ना	कर्नाटक	45899.76	44540.06	36432.70	42745.17	46031.34
	महाराष्ट्र	28460.24	25602.39	15327.38	19285.87	19329.94
	तमिलनाडु	52573.00	52654.57	51881.99	50257.19	33311.67
	उत्तर प्रदेश	30411.43	27582.53	28129.91	28764.85	27719.18
कपास	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	7785.64	12578.74	10731.05	20818.43
	गुजरात	14349.01	6312.10	1957.33	3710.00	8831.89
	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	6583.35	3304.54	2089.47	4000.68

टिप्पणी:- 1. उत्पादन के सकल मूल्य और उत्पादन के ए2 लागत के बीच सकल लाभ में अन्तर है (पट्टेदार भूमि के लिए भुगतान किए गये किराए सहित नगद एवं प्रकार में सभी खर्च)

कराईकल क्षेत्र को जल छोड़ना

784. प्रो. एम. रामदास: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कावेरी समझौते के अंतर्गत कराईकल क्षेत्र को कितने जल की मात्रा छोड़ी गई है;

(ख) क्या छोड़ा गया जल समझौते के अनुरूप सही है;

(ग) यदि नहीं, तो समझौते को तोड़ने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कराईकल क्षेत्र के लिए कोई पृथक समझौता करने पर विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कराईकल क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई जल की मात्रा हजार मिलियन घन फुट (टीएमसी) में निम्नानुसार है:

जल वर्ष	तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	पाण्डिचेरी संघराज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार
2002-03	3.089	1.154
2003-04	2.228	1.008
2004-05	8.816	4.209

(ख) और (ग) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के दिनांक 25.6.1991 के अन्तरिम आदेश के अनुसार पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराईकल क्षेत्र से 6 टीएमसी जल की आपूर्ति तमिलनाडु राज्य द्वारा विनियमित ढंग से की जाएगी। तमिलनाडु सरकार के अनुसार 6 टीएमसी जल की उपर्युक्त आपूर्ति, कर्नाटक राज्य द्वारा तमिलनाडु को मेत्तूर में वार्षिक आधार पर प्रदान किये जाने वाले 205 टीएमसी में से की जाएगी। मेत्तूर बांध को सीडब्ल्यूडीटी के अन्तरिम आदेश के अनुसार कर्नाटक से 205 टीएमसी की निर्धारित मात्रा की बजाय वर्ष 2002-03 में केवल 94.87 टीएमसी जल तथा 2003-04 के दौरान 65.16 टीएमसी जल ही प्राप्त हो सका है। उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान अन्तर्वाह में भारी कमी रही है।

(घ) और (ङ) सीडब्ल्यूडीटी का दिनांक 25 जून, 1991 का आदेश अधिकरण को भेजे गए विवाद के अन्तिम अधिनिर्णय तक वैध है। अधिकरण के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अधिकरण के निर्णय का समय 6.8.2005 के बाद एक वर्ष तक बढ़ा दिया है।

आंध्र प्रदेश में मुर्गी पालन उद्योग

785. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में हुई वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश का मुर्गी पालन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योग को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य को हुए इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने 29.20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) राज्य को इस संबंध में एक केन्द्रीय दल के आकलन के आधार पर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषक ऋण नीति

786. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषक सरकार की कथित कृषक विरोधी नीतियों के विरुद्ध विशेषत: कृषक ऋण नीतियों को लेकर इनके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कृषकों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) देश में किसान ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, कृषि ऋणों पर उच्च ब्याज दर, अपर्याप्त ऋण राहत उपायों, कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी जरूरतों सहित ऋण देने की प्रक्रियाओं में जटिलताओं की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और इस संबंध में उपचारी उपायों की मांग कर रहे हैं।

(ग) (1) किसानों को पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 18 जून, 2004 को एक फार्म ऋण पैकेज घोषित किया जिसमें कृषि ऋण का प्रवाह तीन वर्षों में दुगुना किया जाना शामिल था प्रमुख घोषणाएं निम्नानुसार थीं:-

* कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह 30% प्रति वर्ष की दर पर बढ़ाना।
* वाणिज्यिक बैंकों (सी.बी.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं को कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए सक्रिय किया जाएगा।
* विशेष कृषि ऋण योजना (एस.ए.सी.पी.) के अंतर्गत, वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण शाखा पर कम से कम 100 नए किसानों को वित्तपोषित किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 लाख नए उधारकर्त्ता नामांकित होंगे।
* बागान और बागवानी, मात्स्यिकी जैव खेती आदि में कम से कम 2 से 3 नई निवेश परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
* वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में कम से कम 10 कृषि क्लिनिकों का वित्तपोषण।
* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक छोटे और मार्जिनल किसानों को अधिक ऋण देंगे और इस दिशा में प्रगति की मानिटरिंग की जाएगी।
* काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टाधारियों को ऋण प्रदान करना।
* ऋण को बट्टे खाते में डालने के स्थान पर ऋण पुनर्संरचना।
* निम्नलिखित के लिए ऋण राहत उपाय–
  - विपदाग्रस्त किसान
  - बकायादार किसान
  - छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए ओ.टी.एस.
  - गैर-संस्थागत साहूकारों से विगत के ऋणों से छुटकारे के लिए किसानों को ऋण।
* किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) स्कीम में सुधार करना और वित्त के पैमाने का पुन: निर्धारण और इसे पुन: निश्चित करना ताकि विशेषकर पूंजी-सघन कृषि कार्यों के लिए किसानों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना।
* कृषि, कृषि प्रसंस्करण और कृषि बायोप्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए विशेष पैकेज।

2. किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) एक ऐसा मुख्य घटक है जिसे उत्पादन प्रयोजनों हेतु बैंक ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार करने, ऋण संवितरण तंत्र को सरल करने तथा ऋण के उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

के.सी.सी. स्कीम का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती संबंधी जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से ऋण समर्थन एक लचीले, कठिनाई रहित और लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त मात्रा में और समय पर मुहैया कराना है। इस स्कीम की विषय वस्तु किसानों की निवेश और खपत संबंधी ऋण जरूरतों को शामिल करके संशोधित कर दी गई है। के.सी.सी. के जारी किए जाने में हुई प्रगति काफी प्रभावशाली है और बैंकों ने 31 अगस्त, 2005 तक 530 लाख से अधिक के.सी.सी. जारी किए हैं। के.सी.सी. धारकों को जोखिम कवरेज के लिए दुर्घटना के कारण मौत होने अथवा स्थायी अपंगता के मामले में अधिकतम क्रमशः 50,000 रुपए और 25,000 रु. तक का प्रावधान है।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कृषि के लिए ऋण देने की अपनी दर एकल दर तक कम करें जो 50,000 रुपए तक की अधिकतम सीमा तक के फसल ऋणों पर प्रति वर्ष 9% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दर से अधिकतर फसल ऋण खाताधारियों को लाभ होगा और इसमें लगभग सभी छोटे और सीमान्त किसान कवर होंगे। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ब्याज दर में कमी के कारण कृषि क्षेत्र को ऋण की मात्रा में गिरावट न आए। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, यह निर्धारण है कि अन्ततः उधारकर्त्ता से प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर 2 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में उनके बेन्चमार्क प्राईम लैन्डिंग दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) ऋणग्रस्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ऋण राहत उपाय शुरू करें:-

* विपत्तिग्रस्त किसान:- राज्य सरकार द्वारा "आपदा प्रभावित" घोषित जिलों में दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार किसानों पर बकाया ऋण का पुनः निर्धारण/पुनः संरचना। पुनः निर्धारित ऋण की अदायगी दो वर्ष के प्रारम्भिक ऋण स्थगन काल सहित मौजूदा ब्याज दर पर पांच वर्ष की अवधि में की जाएगी।

* बकायादार किसान:- ऋण के मामले में उन चूककर्त्ता किसानों, जिनके पहले के ऋण अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) अथवा संदिग्ध घोषित कर दिए जाने के कारण वे नये ऋण प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए हैं, के ऋण का पुनः निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, ताकि वे नये ऋण प्राप्त करने के पात्र हो सकें।

उपरोक्त पुनर्संरचना के बाद किसान नए ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।

(5) जिन छोटे तथा सीमान्त किसानों को चूककर्त्ता (डिफाल्टर) घोषित किया गया है और जो नया ऋण लेने के लिए अपात्र हो गये हैं, उनके ब्याज अथवा ऋण को आंशिक रूप से माफ करते हुए एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.) का अवसर देने की सलाह बैंकों को दी गई है। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें, जिन्हें ऋण से केवल इसी आधार पर वंचित किया गया कि ऋण खाते का निपटान समझौते के आधार पर किया गया अथवा ऋण माफ कर दिया गया।

(6) देश के कुछ भागों में किसान गैर-संस्थागत ऋणदाताओं (उदाहरणार्थ साहूकारों) के ऋण के भारी बोझ में दबे होने के कारण अत्यंत व्यथित होते हैं। ऐसे किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत देने के लिए उन्हें ऋण देने हेतु बैंकों को अनुमति दी गयी है।

(7) 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों और 5 लाख रुपए तक के कृषि व्यापार तथा कृषि क्लिनिकों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) संबंधी आवश्यकताओं को हटाने की सलाह बैंकों को दी गई है।

मछुआरों हेतु आवास योजना

787. डा. के.एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत आवासीय योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपना अंशदान जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की और चालू वित्तीय वर्ष का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) एक मछुआरा गृह निर्माण के लिए 40,000 रुपए की यूनिट लागत की हिस्सेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर की जाती है।

(ग) से (ङ) पहले जारी धनराशियों से संबंधित प्रस्तावों वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद राज्यों को किश्तों में केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी जाती है। 2002-03 से 2004-05 तथा 2005-06 (23.11.2005 तक) की अवधि के लिए केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना संबंधी आदर्श मछुआरा गांवों का विकास संबंधी घटक के तहत मछुआरा घरों के निर्माण के लिए संस्वीकृत निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना संबंधी आदर्श मछुआरा गांवों के विकास संबंधी घटक के तहत घरों के निर्माण के लिए विगत तीन वर्षों (2002-05) तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष (23.11.2005 तक) के दौरान स्वीकृत राज्यवार केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-06 (23.11.2005 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	205.50	150.00	43.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	32.00	0.00
3.	असम	0	0	4.60	10.00
4.	बिहार	32.10	0	66.69	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	49.80
6.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	15.00
7.	गुजरात	0.00	63.00	0.00	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	44.75	20.0	50.00	30.00
9.	झारखंड	20.00	62.00	100.00	289.00
10.	कर्नाटक	151.65	100.00	234.88	350.00
11.	केरल	200.00	50.00	0.00	200.00
12.	मणिपुर	0.00	0.00	12.52	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	2.20	30.34	0.00
14.	मध्य प्रदेश	24.75	0.00	20.00	0.00
15.	नागालैंड	0.00	50.00	101.55	0.00
16.	उड़ीसा	0.00	94.00	0.00	184.07
17.	पांडिचेरी	0.00	70.00	0.00	0.00
18.	राजस्थान	0.00	0.00	10.00	25.00

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	150.64	162.36	219.38	200.00
20.	त्रिपुरा	12.52	44.20	0.00	06.00
21.	उत्तर प्रदेश	103.50	28.00	306.90	211.50
22.	उत्तरांचल	0.00	0.00	6.45	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	40.00	160.00	150.00
	कुल	739.91	991.56	1505.31	1764.12

दक्षिण एशिया में पर्यटन को प्रोत्साहन

788. श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मु:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस (सार्क) देशों के पर्यटन मंत्रियों ने हाल ही में दक्षिण एशिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों हेतु किसी घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) 29 जुलाई, 2005 को कोलम्बो में हस्ताक्षर की गई घोषणा में दक्षेस (सार्क) देशों के मध्य पर्यटन में सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। यह इंटर एवं इंट्रा-रीजनल पर्यटन का संवर्धन करने हेतु एक सक्रिय संयुक्त अभियान के लिए रणनीतियां तैयार करने पर भी जोर देता है। यह आगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सभी देशों द्वारा, सतत तरीके से संस्कृति एवं विरासत, ईको एवं साहसिक पर्यटन तथा अन्य पर्यटन उत्पादों के क्षेत्र से लाभ हासिल करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।

(ग) पर्यटक स्थलों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के परामर्श से, प्राथमिकता प्रदान की गई, पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है।

(घ) अभी तक, विभिन्न राज्यों में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई कुल धनराशि 269.7 करोड़ रुपए है।

देश छोड़कर जाने वाले पशु चिकित्सक

789. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ शीर्षस्थ पशु चिकित्सक बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों में जा रहे हैं जिससे देश की पशु चिकित्सक सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट से उभरने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपाय क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) अभी तक किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार ने इस बात की कोई खबर नहीं दी है कि बड़ी संख्या में पशुचिकित्सक पश्चिमी देशों में जा रहे हैं जिससे पशुचिकित्सा सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषकों द्वारा औने-पौने दामों पर बिक्री

790. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धान और चावल की राज्य-वार खरीद की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में विशेषत: पंजाब में सरकारी एजेंसियों द्वारा संपूर्ण फसल की खरीद न करने की वजह से कृषकों द्वारा आत्महत्याएं करने और अपनी फसल उत्पादों को औने-पौने दामों पर बेचने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन फसलों के संपूर्ण स्टाक की खरीद करने और कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से औने-पौने दामों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खरीफ विपणन मौसम 2005-06 में धान और चावल की राज्यवार वसूली (23.11.2005 की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मौजूदा खरीफ विपणन मौसम 2005-06 के दौरान इस विभाग को पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से मजबूरन बिक्री की इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ केन्द्रीय पूल के लिए बड़ी संख्या में केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर उचित औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की वसूली करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के लाभों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1997-98 में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना प्रारंभ की है। अब यह योजना विभिन्न राज्यों में चल रही है।

विवरण

विपणन मौसम 2005-06 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान खरीफ अनाजों की प्रगामी वसूली

(आंकड़े टन में)
(अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल वसूली 2004-05 (हजार टन में)	प्रगामी वसूली 2005-06					की स्थिति के अनुसार	संगत स्थिति 2004-05				
		चावल (लेवी)	धान	चावल के रूप में जोड़	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि	मोटे अनाज		चावल (लेवी)	धान	चावल के रूप में जोड़	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि	मोटे अनाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
आंध्र प्रदेश	3904	65547	8776	71427	7246	141447	21.11.2005	949	4020	3642	613	86636
असम	0	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
बिहार	343	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
चंडीगढ़	19	0	0	0	-	-	21.11.2005	8119	0	8119	-	-
छत्तीसगढ़	2837	2348	232437	158081	8188	57	22.11.2005	0	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली	0	0	0	0	-	-	13.11.2005	0	0	0	-	-
हरियाणा	1662	162992	2333876	1726689	7361	4891	22.11.2005	250555	1501878	1256813	37863	130250
हिमाचल प्रदेश	2	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
गुजरात	0	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
झारखंड	1	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
कर्नाटक	21	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
केरल	33	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
मध्य प्रदेश	42	0	848	568	370	576	21.11.2005	0	0	0	-	-
महाराष्ट्र	205	0	6716	4500	4500	8431	21.11.2005	0	64	43	-	-
नागालैण्ड	11	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
उड़ीसा	1590	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
पांडिचेरी	0	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
पंजाब	9106	8877	11590205	7774314	4559	-	22.11.2005	578793	10021956	7293504	498	-
राजस्थान	22	1024	35	1047	400	-	22.11.2005	0	6656	4460	-	-
तमिलनाडु	652	0	6	4	-	-	22.11.2005	0	16278	10906	165	-
उत्तर प्रदेश	2971	36292	62898	78434	17650	-	22.11.2005	79168	61095	120102	74903	-
उत्तरांचल	316	2790	5747	6640	-	-	16.11.2005	0	4375	2931	-	-
पश्चिम बंगाल	944	0	0	0	-	-		0	0	0	-	-
जोड़	24683	279870	14241544	9821704	50274	155402		917584	11616322	8700520	114042	216886

धान की बाजार पहुंच/मिल मालिकों द्वारा धान की खरीद

विपणन मौसम	पंजाब		हरियाणा		उत्तर प्रदेश		आंध्र प्रदेश	
	प्रगामी	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि	प्रगामी	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि	प्रगामी	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि	प्रगामी	पूर्व दिन की तुलना में वृद्धि
धान की बाजार पहुंच								
2005-2006	13720383	13004	3979003	33113	675000	34500	313405	35608
2004-2005	13891026	2588	3286096	22193	883672	157076	165215	67408
मिल मालिकों और डीलरों द्वारा धान की खरीद								
2005-2006	2130178	8619	1645127	28807	-	-	304629	34715
2004-2005	3869070	1846	1784218	21846	822577	141993	161195	66492

टिप्पणी: अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन वसूली चावल की वसूली के एजेंसीवार ब्यौरा और मोटे अनाजों की किस्मवार वसूली के लिए कृपया आगे के पृष्ठ देखें।

विपणन मौसम 2005-2006 के दौरान चावल और धान की वसूली का एजेंसी-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					धान								चावल
	भा.खा. नि.	राज्य सरकार	सी.एस. सी.	को-आप.	जोड़	भा.खा. नि.	राज्य सरकार	सी.एस. सी.	को-आप.	रा.भां. नि.	एग्रो-इंड	कोनफिड	जोड़	के रूप में जोड़
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
आंध्र प्रदेश	65547	-	-	-	65547	4896	-	3880	-	-	-	-	8776	71427
असम	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
बिहार	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
चंडीगढ़	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
छत्तीसगढ़	2348	-	-	-	2348	-	-	-	232437	-	-	-	232437	158081
दिल्ली	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
हरियाणा	162992	-	-	-	162992	92951	649372	-	1001658	200087	218329	171479	2333876	1726689
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
गुजरात	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
झारखंड	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
कर्नाटक	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
केरल	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	0	216	-	159	473	-	-	-	848	568
महाराष्ट्र	-	-	-	-	0	-	*4643	-	2073	-	-	-	6716	4500
नागालैण्ड	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
उड़ीसा	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
पांडिचेरी	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
पंजाब	8877	-	-	-	8877	1040410	2538658	2764249	2429037	1416809	1401042	-	11590205	7774314
राजस्थान	1024	-	-	-	1024	35	-	-	-	-	-	-	35	1047
तमिलनाडु	-	-	-	-	0	-	-	6	-	-	-	-	6	4
उत्तर प्रदेश	765	35527	-	-	36292	-	40871	#4270	11061	-	6696	-	62898	78434
उत्तरांचल	1140	1650	-	-	2790	-	2478	-	3269	-	-	-	5747	6640
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
जोड़	242693	37177	0	0	279870	1138508	3236022	2772564	3680008	1616896	1626067	171479	14241544	9821704

* टी.डी.सी. द्वारा वसूली

\# एस.एफ.सी. द्वारा वसूली

फसलवार वसूली

आंध्र प्रदेश

फसल	चावल	धान	चावल जोड़
खरीफ	65547	8776	71427
रबी	0	0	0
जोड़	65547	8776	71427

तमिलनाडु

फसल	चावल	धान	चावल जोड़
कुरुवई	–	6	4
सांबा	–	–	–
जोड़	–	6	4

विविधता-वार खरीफ मोटे अनाजों की वसूली

राज्य	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	जोड़
आंध्र प्रदेश	–	–	141447	–	141447
छत्तीसगढ़	–	–	57	–	57
हरियाणा	–	4891	–	–	4891
मध्य प्रदेश	102	–	474	–	576
महाराष्ट्र	5473	34	2924	–	8431
जोड़	5575	4925	144902	0	155402

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव

791. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उदारीकृत अर्थव्यवस्था के माहौल के अनुरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में व्यापक सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ प्रस्तावित सुधार उक्त अधिनियम को केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा;

(घ) क्या केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की सूची और अनुसूचियों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 के उपबंधों और आवश्यक वस्तुओं की सूची की उदारीकरण के संदर्भ में उनकी संगतता तथा देश भर में आवश्यक वस्तुओं, खासतौर पर कृषिजन्य वस्तुओं के संचलन और वितरण पर से अनावश्यक अथवा असंगत प्रतिबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जा रही है।

(च) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन के संबंध में उपयुक्त स्तर पर जब भी औपचारिक निर्णय ले लिया जाएगा, इस आशय का एक विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया जाएगा।

लौह अयस्क संबंधी समिति की रिपोर्ट

792. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क के मुद्दे की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टों को तरजीही मंजूरी देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु इस्पात मंत्रालय ने 20.4.2005 को एक ''विशेषज्ञ समूह'' का गठन किया था। ''विशेषज्ञ समूह'' ने 26.08.2005 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ''विशेषज्ञ समूह'' ने अपनी रिपोर्ट में लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे प्रदान करने के लिए तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) की सिफारिश की है। तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ''विशेषज्ञ समूह'' की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का ब्यौरा

''विशेषज्ञ समूह'' की सिफारिशें लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के पट्टों तक ही सीमित हैं और मूलतः इसमें तरजीही योजना (स्कीम आफ प्रीफरेंसेज) शामिल है जिसे खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(5) के तहत लौह अयस्क और क्रोम अयस्क पट्टों के लिए आवेदन पत्रों पर निर्णय लेते समय लागू किया जाना है। तरजीही योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

तरजीही योजना: लौह अयस्क

* लौह अयस्क के लिए तरजीही योजना में ''तरजीही क'' इस्पात संयंत्रों के लिए निजी आधार पर खनन पट्टों के आबंटन के लिए है। इस तरजीही समूह के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों/परियोजनाओं को भिन्न प्राथमिकताएं दी गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है:

- *प्राथमिकता 1*: 30 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक मौजूदा क्षमताओं और अनुमानित विस्तार, दोनों हेतु सरकारी क्षेत्र के मौजूदा एकीकृत इस्पात संयंत्र।

- *प्राथमिकता 2*: मौजूदा क्षमता तथा वर्ष 2019-20 तक ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए अधिकांशतः भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले 2 मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक क्षमता के मौजूदा पूर्णतः एकीकृत इस्पात संयंत्र।

- *प्राथमिकता 3*: 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ग्रीनफील्ड संयंत्र जमा अधिकांशतः भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी द्वारा अयस्क प्रचुरता वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली क्षमताएं और वर्ष 2011-12 तक प्रारंभन के लिए योजनाबद्ध 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के ब्राउन फील्ड व ग्रीन फील्ड संयंत्र (अधिकांशतः भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रवर्तित)।

- *प्राथमिकता 4*: अधिकांशतः भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रवर्तित न्यूनतम 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ग्रीनफील्ड संयंत्र।

- *प्राथमिकता 5*: न्यूनतम 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की सम्मिलित क्षमता वाले लोहा और इस्पात उत्पाद संघ।

* ''तरजीह ख'' खनन कंपनियों से संबंधित है और इस समूह के अंतर्गत प्रथम प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियों को तथा द्वितीय प्राथमिकता व्यावसायिक

रूप से प्रबंधनाधीन उन कंपनियों को दी गई है जिनका उन पट्टों के आबंटन के लिए सुधार और सज्जीकरण का पिछला प्रमाणिक रिकार्ड है, जिनमें 55 प्रतिशत राखांश से कम का 90 प्रतिशत अयस्क है और तृतीय प्राथमिकता उन अधिकांशत: भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली लिमिटेड कंपनियों को दी गई है जिनका पिछला प्रमाणिक खनन रिकार्ड है और वे घरेलू संयंत्रों को अयस्क की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

* इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां तथा प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- इस्पात संयंत्रों द्वारा संचयन के माध्यम से 60 प्रतिशत लौह अयस्क का उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही 55 प्रतिशत से अधिक राखांश वाले सभी अयस्कों का खनन किया जाना चाहिए।

- विस्तार/ब्राउन फील्ड तथा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए पट्टों की मंजूरी देने के सभी मामलों को सिद्धांत रूप से पहले अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए और पट्टों की वास्तविक मंजूरी अंतिम उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़ी होनी चाहिए।

* तरजीही का संबंध संयंत्र की अवस्थिति या किसी राज्य विशेष की सीमाओं से नहीं होना चाहिए।

* जिन मामलों में पट्टे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं और विनिमय की अनुमति दी जाती है, को छोड़कर किसी भी निजी आबंटी द्वारा अयस्क का निर्यात या घरेलू बिक्री नहीं की जानी चाहिए। तथापि, संचित और सज्जित अयस्कों की घरेलू बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

* राज्य सरकारों द्वारा पहले ही किए जा चुके समझौता ज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें तरजीही योजना के अनुरूप बनाने के लिए उनमें यथाआवश्यक संशोधन या निरसन किए जाएंगे।

* अटार्नी जनरल से परामर्श करने के पश्चात् तरजीही योजना को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि भविष्य में मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

तरजीही योजना: क्रोम अयस्क

तरजीही योजना

- *प्रथम प्राथमिकता:* 30 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने के लिए मौजूदा चार्ज क्रोम तथा फैरो क्रोम संयंत्र।

- *द्वितीय प्राथमिकता:* 20 वर्षों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ब्राउन फील्ड विस्तार/ग्रीन फील्ड योजनाएं (2 वर्ष के भीतर शुरू की जाने वाली)

- निजी आबंटियों द्वारा प्राकृतिक अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

"विशेषज्ञ समूह" ने सिफारिश की है कि उड़ीसा सरकार को खुली भंडारों का निक्षेपण करना चाहिए जिनके लिए ओएमसी के पास अगले पांच वर्षों में भावी/खनन योजना नहीं है।

इंटिग्रेटेड पोटेंशियल फिशिंग जोन मल्टी लिंगुअल एडवाइजरिज

793\. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तटीय राज्यों में इंटिग्रेटेड पोटेंशियल फिशिंग जोन मल्टी लिंगुअल एडवाइजरिज विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एडवाइजरियों के इस्तेमाल के पश्चात् मछली ढूंढने का समय कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे मछुआरा समुदाय की अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) से (ङ) पारंपरिक तथा मशीनीकृत मत्स्यन नौका प्रचालकों को क्षमतावान मत्स्यन क्षेत्र की सूचना मछली उतारने के केन्द्रों को भेजे गए फैक्स/ई-मेल के जरिए तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर इलैक्ट्रानिक बोर्डों पर सूचना प्रदर्शित करके पहुंचाई जाती है। यह सूचना भारतीय तट के साथ-साथ विभिन्न गहराइयों में तथा मत्स्यन बंदरगाहों/मछली उतारने के केन्द्रों से अधिक दूरी पर भी उपलब्ध भरपूर मत्स्य संसाधनों के संबंध में होती है। मछुआरे बिना ईंधन तथा समय बरबाद किए मत्स्यन क्षेत्रों में सीधे पहुंच सकते हैं। इससे उनके लाभ में बढ़ोत्तरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

विवरण

विभिन्न स्थानों पर स्थापित/प्रस्तावित प्रदर्शन बोर्डों की सूची

क्र.सं.	बोर्ड का स्थान	राज्य	स्थिति
1.	वेरावल	गुजरात	स्थापित
2.	रत्नागिरि	महाराष्ट्र	स्थापित
3.	पंजिम	गोवा	स्थापित
4.	माल्पे	कर्नाटक	स्थापित
5.	बेपोर	केरल	स्थापित
6.	नीन्दाकारा	केरल	स्थापित
7.	मुनाम्बम	केरल	स्थापित
8.	वीपीन द्वीप	केरल	स्थापित
9.	थंगाचिमडम	तमिलनाडु	स्थापित
10.	नागापट्टिनम	तमिलनाडु	स्थापित
11.	थेंगेथाट्टु	पांडिचेरी	स्थापित
12.	वीरमपट्टिनम	तमिलनाडु	स्थापित
13.	रोयापुरम	तमिलनाडु	स्थापित
14.	निजामपटमन	आंध्र प्रदेश	प्रस्तावित
15.	मछलीपटनम	आंध्र प्रदेश	प्रस्तावित
16.	काकिनाडा	आंध्र प्रदेश	स्थापित
17.	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	स्थापित
18.	गोपालपुर	उड़ीसा	स्थापित
19.	डायमंड हारबर	पश्चिम बंगाल	स्थापित
20.	फिजेरगंज	पश्चिम बंगाल	प्रस्तावित
21.	ककडवीप	पश्चिम बंगाल	प्रस्तावित
22.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान द्वीप	प्रस्तावित
23.	अगाति	लक्षद्वीप	स्थापित

[हिन्दी]

ई एस आई अस्पतालों की स्थिति

794. श्री ब्रजेश पाठक: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ई.एस.आई. अस्पतालों की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थिति और उनका कार्य सामान्यतया संतोषप्रद है।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की सुविधाओं में और सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) *राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का आधुनिकीकरण:* उपकरण की उपलब्धता के संवर्धन तथा नैदानिक एवं क्लिनिक सुविधाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं।

(2) *विशेषज्ञता/उच्च विशेषज्ञता सेवाओं के लिए अनुबंध व्यवस्थाएं:* बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को और अधिक व्यापक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों ने विशेषज्ञता वाले अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाएं की हैं। ऐसी सेवाओं तक शीघ्र पहुंच के लिए एक चक्रीय निधि तंत्र की भी स्थापना की गयी है।

(3) *आदर्श अस्पताल योजना:* कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहमति से प्रति राज्य में एक अस्पताल को सीधे संचालन हेतु नियंत्रण में लिया गया है/लिया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों को वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। ये अस्पताल बेहतर

उपकरणों से सुसज्जित हैं तथा व्यापक गौण देख-रेख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उनके दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

(4) *चिकित्सा देख-रेख के प्रावधान हेतु निधियों में अभिवृद्धि:* राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा देख-रेख के प्रावधान पर व्यय की प्रतिपूर्ति 1.4.2005 से 750 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये प्रति बीमित व्यक्ति परिवार कर दी गयी है।

(ङ) वर्ष 2005-06 के बजट में निगम ने चिकित्सा देख-रेख सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु 823.98 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है।

[अनुवाद]

आईडीपीएल और एचएएल को पुनः चालू करना

795. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का पुनर्गठन कर इसे पुनः चालू करने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुनर्गठन और पुनः चालू किए जाने के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. के पुनरुद्धार करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन सी सी एफ द्वारा खरीद

796. **श्री रघुनाथ झा:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) को निदेश दिया है कि वह ब्रांड वाले उत्पादों को या तो सीधे विनिर्माता से खरीदे अथवा ऐसा न होने पर मात्र अपने प्राधिकृत वितरकों से खरीदे;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.सी.सी.एफ. ने ब्रांड वाले उत्पादों की आपूर्ति हेतु उन आपूर्तिकर्त्ताओं को लगाया है जो न तो विनिर्माता हैं और न ही उनके प्राधिकृत वितरक;

(ग) यदि हां, तो एन.सी.सी.एफ. द्वारा उक्त निदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या एन.सी.सी.एफ. ने एच पी कम्प्यूटरों और कार्ट्रिजेज इत्यादि की खरीद सीधे कम्पनी अथवा इसके अधिकृत डीलरों से न करके, ऊंची कीमतों पर इनकी खरीद आर.एस.आर. से की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को सरकार द्वारा खरीद और आपूर्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की सलाह दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों/चैनलों से ब्रांडयुक्त मदों की खरीद करता रहा है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे आपूर्तियों की खरीद विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों/चैनलों से करते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे ठेके की दरों और एच.पी., राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा वितरकों के बीच हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार एच.पी. कम्प्यूटरों की खरीद एच.पी. के प्राधिकृत वितरकों से और कार्ट्रेजों की खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं (रिसेलर) से अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कर रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षमता

797. **श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सिंचाई क्षमता के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक सिंचाई क्षमता का किस हद तक निर्माण किया गया है तथा सिंचाई क्षमता में गिरावट के, यदि कोई हों, क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने और सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन 9.936 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन 2004-05 के अन्त तक 3.367 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाने की संभावना है।

(घ) सिंचाई विकास एक सतत प्रक्रिया है और सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और वित्तपोषण की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, पहले से चली आ रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करती है। एआईबीपी के अधीन सीएलए 1999-2000 से पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के पहाड़ी राज्यों सहित विशेष श्रेणी राज्यों और साथ ही उड़ीसा के कालाहाण्डी, बोलनगीर तथा कोरापुट जिलों जैसे सूखा प्रवण जिलों की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाती है। एआईबीपी के मानदण्डों में और अधिक ढील दे दी गई है ताकि जनजातीय क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों को वरीयता देते हुए गैर-विशेष श्रेणी राज्य में 100 हैक्टेयर से अधिक क्षमता वाली नई लघु सिंचाई योजना शामिल की जा सके। ऋण/अनुदान के लिए छूट का विस्तार विशेष श्रेणी राज्यों की बराबरी पर सूखा प्रवण क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगले चार वर्षों के दौरान भारत निर्माण के अधीन 10 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किए जाने की परिकल्पना भी की गई है।

[हिन्दी]

खाद्य राजसहायता में बढ़ोत्तरी

798. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की वजह से खाद्य राजसहायता के भार में किस सीमा तक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का विचार गेहूं की खरीद के लिए बाण्ड्स जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू फसल मौसम के दौरान गेहूं की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) गत वर्षों की तुलना में गेहूं की खरीद पर हुए खर्च में अनुमानत: कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) रबी 2005 के लिए केन्द्रीय पूल हेतु की गई कुल वसूली पर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि करने और इसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक खर्चों में वृद्धि होने के कारण खाद्य राजसहायता का होने वाला अतिरिक्त खर्च लगभग 175 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के लिए 2005-06 के दौरान (चरण-2 में) 5000 करोड़ रुपये तक के बांड जारी करने की अनुमति दी है। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम ने सरकारी गारंटी के अधीन फरवरी से जून, 2005 तक के बीच बांडों के जरिए (चरण-1 में) 5000 करोड़ रुपये जुटाए थे।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन खाद्यान्नों की खुली वसूली चलती रहती है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के अनुसार।

[अनुवाद]

रबी फसल के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

799. **श्री बृजकिशोर त्रिपाठी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रबी फसल के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड तय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी हां, सरकार ने 29 सितम्बर, 2005 को रबी मौसम 2005-06 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित कर दिए हैं।

(ख) 2005-06 की रबी मौसम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये हैं:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूं	650
जौ	550
चना	1435
मसूर	1535
तोरिया/सरसों	1715
कुसुम के बीज	1565
तोरिया	1680

(ग) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे अन्य संगत घटकों जिन्हें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मानती है, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी निर्णय करती है। सी.ए.सी.पी. एम.एस.पी. की सिफारिश करते समय कृषि/उत्पादन की लागत, आदान प्रयोग के रुझानों और विस्तार, संबंधित फसल की उत्पादकता और उत्पादन, स्वदेशी एवं वैश्विक विपणन मूल्यों, अन्तर-फसल मूल्य समानता, आपूर्ति-मांग स्थिति, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों और अधिप्रापण और वितरण इत्यादि का विश्लेषण करता है।

मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहन

800. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त मधुमक्खी पालन संबंधी परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वीकृत तथा स्वीकृति हेतु लम्बित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) देश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

1. एपिस मेलीपेरा और सेराना के लिए दक्षता उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण।
2. एपिस डोरसाटा के लिए दक्षता उन्नयन।
3. वैज्ञानिक मधु प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से मधु प्रसंस्करण करते हुए गुणत्ता उन्नयन।

इसके अतिरिक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) केन्द्रीय प्रायोजित "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" स्कीम (एन.एच.एम.) का कार्यान्वयन कर रहा है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से पराग सेचन को समर्थन देना स्कीम का एक घटक है। डी.ए.सी. कार्य

योजना के माध्यम से राज्य प्रयासों के कृषि संपूरण/अनुपूरण में बृहत प्रबन्धन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत फसलोत्पादकता सुधारने के लिए मधमुक्खी पालन का विकास एक घटक था। इस घटक स्कीम को 2005-06 से एन.एच.एम. के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबन्धन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास संबंधी अपनी स्कीम के द्वारा मधुमक्की पालन के संवर्द्धन के लिए भी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. और एन.एच.बी. को प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। के.वी.आई.सी. को पश्चिम बंगाल से ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर.आई.एस.सी.) स्कीम के तहत तीन परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी और एक परियोजना को अस्वीकृत/वापिस कर दिया गया था।

(घ) के.वी.आई.सी. में आंध्र प्रदेश की केवल एक परियोजना मंजूरी के लिए लम्बित है जिसे दिसम्बर, 2005 के अंत तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मधुमक्खी पालन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	के.वी.आई.सी.			एन.एच.बी.	
		प्राप्त परियोजना	स्वीकृत परियोजना	अस्वीकृत/वापिस कर दी गई	वाणिज्यिक बागवानी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत	बृहत प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	-	-	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
3.	असम	7	4	3	-	-
4.	विहार	7	4	3	-	-
5.	गुजरात	-	-	-	-	1
6.	हरियाणा	-	-	-	1	2
7.	झारखण्ड	4	2	2	-	-
8.	कर्नाटक	1	-	1	-	-
9.	महाराष्ट्र	1	1	-	-	-
10.	केरल	-	-	-	-	3
11.	मिजोरम	-	-	-	-	3
12.	नागालैंड	2	1	1	-	-
13.	उड़ीसा	1	1	-	-	-
14.	राजस्थान	-	-	-	8	8
15.	उत्तर प्रदेश	2	-	2	3	2

1	2	3	4	5	6	7
16.	उत्तरांचल	2	–	2	1	1
17.	तमिलनाडु					2
18.	पश्चिम बंगाल	3	2	1		
	कुल	26	13	12	13	23

सिंचाई हेतु जल

801. श्री पवन कुमार बंसल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सिंचाई कार्य के लिए वर्तमान में कितना जल उपलब्ध है;

(ख) क्या निकट भविष्य में आवश्यकता में भारी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी आवश्यकताओं का अनुमान क्या है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की वर्तमान उपलब्धता भूमिगत स्रोतों के माध्यम से है। विभिन्न गांवों में खोदे गए 31 नलकूपों से सिंचाई की जाती है। इन 31 नलकूपों की क्षमता 18.57 घन मीटर प्रति सेकेन्ड (क्यूसेक्स) है।

(ख) चूंकि कृषि के तहत क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ रहा है इसलिए निकट भविष्य में सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ने की संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

802. श्री विजय कृष्ण: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 तक देश में इस्पात का कुल अनुमानित उत्पादन व मांग कितनी होगी;

(ख) वर्तमान में देश में लगभग कितनी मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है; और

(ग) देश में लौह अयस्क खानें राज्य-वार कहां-कहां स्थिति हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2019-2020 तक देश में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का घरेलू उत्पादन 110 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा और उस समय तक परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की घरेलू मांग 90 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी।

(ख) भारत में अपेक्षाकृत बेहतर लौह अयस्क के स्व-स्थाने भंडार हैं जिनमें 11.43 बिलियन टन हैमेटाइट और 10.68 बिलियन टन मैग्नेटाइट अयस्क हैं।

(ग) देश में प्रमुख लौह अयस्क खानों की राज्य-वार स्थान-स्थिति निम्नानुसार है:-

	राज्य का नाम	लौह अयस्क खान की स्थान-स्थिति
1.	छत्तीसगढ़	दुर्ग, दांतेवाड़ा
2.	गोवा	नार्थ गोवा, साउथ गोवा
3.	झारखंड	सिंहभूम (पश्चिम)
4.	कर्नाटक	चिकमंगलूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग
5.	उड़ीसा	क्योंझर, सुन्दरगढ़

[अनुवाद]

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु राज्यों को अनुदान

803. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों को सीमान्त किसानों और कृषक समूहों द्वारा चलाए जाने वाली लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी सहायता दी गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा प्रस्तावित ऐसी अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोनजाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत वर्ष 1996-97 से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है जो निर्माण की अन्तिम अवस्था में हैं और राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं और जिन्हें चार वित्तीय वर्षों में पूरा किया जा सकता है। वर्ष 1999-2000 से विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तथा उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जिलों) की सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें भी एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-05 से अनुदान घटक शुरू किया गया है। ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत बहुत छोटे किसानों और कृषक वर्गों द्वारा चलाई जा रही लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषण दिया जाता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा विक्रेताओं को दवा कंपनियों द्वारा भारी मुनाफा देना

804. **मो. मुकीमः**
श्री मुनव्वर हसनः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दवा कंपनियां अपनी जेनरिक दवाओं पर खुदरा विक्रेताओं को भारी मुनाफा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों द्वारा कितना मुनाफा दिया जा रहा है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने तथा गरीब मरीजों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) अनुसूचित औषधों और दवाओं के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित सूत्रयोगों के मामले में खुदरा विक्रेताओं के लिए ट्रेड मार्जिन 16% निर्धारित है। गैर-अनुसूचीबद्ध दवाओं के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं विभिन्न कारकों यथाः उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, आर एंड डी व्यय, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पादन नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि के मद्देनजर तय किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

सरकार/राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) व्यापार चैनल के जरिए विपणित आम उपभोग की दवाओं के मूल्यों में परिवर्तन की नियमित निगरानी करता है और जहां जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अनुचित वृद्धि पायी जाती है, वहां कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सीमित नमूनों के लिए विनिर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को दिए जा रहे ट्रेड मार्जिन पर आंकड़े संग्रहित किए हैं। यह पाया गया कि कुछ विनिर्माताओं ने खुदरा विक्रेताओं को काफी ज्यादा मार्जिन दिया था। तथापि, ऐसी दवाओं का बाजार हिस्सा काफी कम था।

जीवनरक्षक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु मूल्य नियंत्रण के इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने 20 सितम्बर, 2005 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सरकार विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से कार्यबल की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके आधार पर नई भेषज नीति शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है।

समय-समय पर यथासंशोधित औषध नीति का उद्देश्य-उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की औषधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

जामनगर में कृषि मेला-प्रदर्शनी

805. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडमः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर गुजरात के जामनगर जिले में कतिपय कृषि मेला-प्रदर्शनियां आयोजित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रदर्शनी के कब तक आयोजित किये जाने की संभावना है और इसके लिए राज्य-वार कितनी केन्द्रीय धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारत सरकार ने भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन के साथ संयुक्त रूप से कृषि एक्सपो आयोजित करने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों अथवा उसी प्रकार के संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले पांच क्षेत्रीय और दो अन्य कृषि मेलों को समर्थन देने की भी योजना बनाई है। इस संबंध में राज्य-वार कोई भी राशि सुनिश्चित नहीं की गई है।

गुजरात के जामनगर जिले में कृषि मेला अथवा प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों के पास केन्द्रीय प्रायोजित 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन' स्कीम के अंतर्गत अपने राज्य विस्तार कार्य योजना में राज्य और/अथवा जिला स्तर के कृषि मेलों को शामिल करने के लिए लचीलापन है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

द्वितीय हरित क्रांति

806. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में द्वितीय हरित क्रांति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार मोटे अनाज व अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी के समान कृषि आदानों में बढ़ोत्तरी नहीं होती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि आदानों में तुलनात्मक वृद्धि कितनी हुई है; और

(छ) मूल्य वृद्धि के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रासंगिक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) भारत सरकार कृषि विकास में तीव्रता लाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई स्कीमों का पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है। मोटे अनाजों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित अनाज/मोटे अनाज विकास कार्यक्रम को वृहत प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मक्का, दलहन और तिलहन विकास कार्यक्रमों को समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी शुरू किया गया है। ये सभी स्कीमें सतत आधार पर कृषि में उच्चतर विकास करने के लिए चलाई जा रही हैं।

(ङ) से (छ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की सिफारिश करते समय आदान लागतों में बढ़ोत्तरी और इसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

मेघालय में बारापानी बांध

807. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय में बारापानी बांध काफी पुराना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी संरक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) भारत में लागू विशेषतः असम के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय जलविधि और विधानों सहित विभिन्न जल विधियों का ब्यौरा क्या है और इन विधियों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) मेघालय में उमियम (बारापानी) बांध 40 वर्ष पुराना है। यह बांध 1965 में पूरा करके चालू किया गया।

(ख) मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड ने बांध की गैलरी में रिसाव की समस्या सूचित की और आवश्यक सलाह मांगने के लिए इस मामले को केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को भेजा। सीडब्ल्यूसी इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी/आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है ताकि बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सलाह दी जा सके।

(ग) संसद द्वारा बनाए गए नदी जल अधिनियम, 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 पूरे भारत वर्ष में लागू हैं। संसद द्वारा अधिनियमित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण तथा तत्संबंधी मामलों के निमित्त उपायों की आयोजना और एकीकृत कार्यान्वयन के लिए है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार (जल संसाधन मंत्रालय) द्वारा शासित होते हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्यों में किए गए कार्य

808. **श्री जुएल ओराम:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के शुरू होने के समय से किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में मई, 2006 से दसवीं योजना के दौरान 2300.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है, ताकि बागवानी का समग्र विकास किया जा सके। तभी से स्कीम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को प्रस्तुत करें। विभिन्न बैठकों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया गया और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत कवर किए गए सभी 18 राज्यों के संबंध में योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। राज्यों, जिनके लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को अनुमोदित किया गया है, की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्यों जिसके लिए वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन किया गया है, की सूची

क्र.सं.	राज्य
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ़
4.	दिल्ली
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	झारखण्ड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	उड़ीसा
14.	पंजाब
15.	राजस्थान
16.	तमिलनाडु
17.	उत्तर प्रदेश
18.	पश्चिम बंगाल

कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु आबंटन

809. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कृषि विज्ञान केन्द्रों के आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अच्छा प्रदर्शन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों को पुरस्कार और अधिक अनुदान देने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कृषि विज्ञान केन्द्रों का आबंटन दसवीं योजना में 860.00 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया है जबकि नौवीं योजना में 275.48 करोड़ रु. का वास्तविक व्यय था।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान केन्द्र के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को मान्यता देने और सांस्थानिक स्वाभिमान की भावना विकसित करने तथा उसकी अलग पहचान को ध्यान में रखते हुए हर दो वर्ष में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति-पत्र, एक पट्टिका तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के विकास हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के लिए नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

* कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों की इलैक्ट्रानिक सम्पर्क की सुविधा प्रदान करना।
* कृषि विज्ञान केन्द्रों में मृदा व जल परीक्षण.सुविधाओं का सृजन।

कृषि हेतु विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता

810. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कृषि के विकास हेतु विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपयोग में लायी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए गुजरात सरकार द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस राशि का पूरा उपयोग किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पालीमर का उत्पादन

811. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषत: महाराष्ट्र में पालीमर का कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ख) बहुप्रयोग हेतु पालीमर के विकास के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पालीमर के विकास हेतु स्वीकृत अनुसंधान और विकास प्रस्तावों का राज्यवार विशेषत: महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी/सरकारी क्षेत्र में नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां पालीमर का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) देश में राज्यवार पालीमरों का उत्पादन निम्न प्रकार है:-

राज्य	2002-03 (एमटी)	2003-04 (एमटी)	2004-05 (एमटी)
आंध्र प्रदेश	65204	74502	67620
गुजरात	2374144	2511210	2618761
हरियाणा	3879	4877	6017
महाराष्ट्र	679699	695883	804840
राजस्थान	34593	35496	39001
तमिलनाडु	144647	145786	127251
उत्तर प्रदेश	291058	263650	299123
पश्चिम बंगाल	581861	767763	813132
कुल	4175085	4499167	4775745

(ख) से (घ) पेट्रोरसायन उद्योग जिसका पालीमर एक अंग है, विनियमित और लाइसेंसमुक्त है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी कोई रोक नहीं है। अत: यह विभाग विकास या अनुसंधान और विकास के लिए किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों को विनियमित नहीं करता है। तथापि, पालीमर सहित इस सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह विभाग पेट्रोरसायन से संबंधित राष्ट्रीय नीति तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

वन विकास में निजी भागीदारी

812. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की भागीदारी से वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का कार्यान्वयन कराने के लिए वन अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार देश में वनरोपण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वनरोपण की वार्षिक दर बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अवक्रमित वनों के वनीकरण/पुन:स्थापन में गैर-सरकारी संगठन और वन विभाग को शामिल करके निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में वर्ष 2004-05 के लिए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दु 16क और 16ख के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए 12,923 लाख पौध और 14,77,870 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों के मुकाबले बिन्दु 16क के अंतर्गत 9,076 लाख पौध और बिन्दु ख के अंतर्गत 11,26,115 हेक्टेयर की उपलब्धि की सूचना प्राप्त हुई है।

(ङ) और (च) जी, हां। 20-सूत्री कार्यक्रम के बिन्दु 16क और 16ख के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए क्रमश: 12,560 लाख पौध और 16,29,425 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

813. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित विकास सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु कितने वनक्षेत्र की आवश्यकता है; और

(ग) इन सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित राज्यवार सिंचाई परियोजनाएं और उनके लिए वनभूमि की आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 120 दिन के भीतर पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	सम्मिलित वन भूमि (हैक्टेयर)
1.	गोदावरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	344.00
2.	संशोधित वागहर नदी परियोजना	महाराष्ट्र	78.62
3.	नहरीकरण सक्की/किरननाला परियोजना	पंजाब	शून्य

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के निर्यात पर घाटा

814. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री रघुनाथ झा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को गेहूं तथा चावल के निर्यात पर कम वसूली के कारण 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को निर्यातकों को अनावश्यक सुविधाएं देने के कारण 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस नुकसान की भरपाई कैसे करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने आवश्यकता तथा भण्डारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न खरीदे थे और उसे सस्ती कीमतों पर विदेश में बेचा गया;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक जिम्मेदारी तय की गई है; और

(छ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजनार्थ गेहूं तथा चावल की बिक्री पर कोई कम वसूली नहीं हुई थी क्योंकि प्रभावी निर्यात मूल्य मंत्रिमंडल के निदेश तथा वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त अंतर-मंत्रालयीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निर्यातकों को कोई अनावश्यक सुविधा प्रदान नहीं की। निर्यातकों को प्रदान की गई सुविधाएं यथा (1) चावल में टोटे की अनुमति (2) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट, और (3) स्टाक की समय-समय पर सड़क द्वारा ढुलाई की सुविधा निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्यान्नों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के विशिष्ट उद्देश्यों से दी गई थीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार किसानों द्वारा पेशकश किए गए सभी खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल हेतु खरीदने के कर्त्तव्य से बंधी है। चूंकि स्टाक का भंडारण करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण क्षमता नहीं थी इसलिए यह निर्णय किया गया था कि खाद्यान्नों की उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित मूल्यों पर निर्यात के लिए बिक्री की जाए ताकि रखरखाव पर आने वाली उच्च लागतों में कमी की जा सके और स्टाक को खराब होने से रोका जा सके।

(च) और (छ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कार्यस्थलों पर जानलेवा दुर्घटनाएं

815. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत, कार्यस्थलों पर खराब सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण हुई जानलेवा दुर्घटनाओं की पूरी खबर नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में कार्यस्थलों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की पूरी खबर न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए कोई नया तंत्र आरंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी और ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) की संयुक्त राज्य अमेरिका के आरलेन्डो में आयोजित कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर 17वीं विश्व कांग्रेस में प्रस्तुत "इन्ट्रोडक्टरी रिपोर्ट: डीसेन्ट वर्क- सेफ वर्क" नामक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि सदस्य राष्ट्रों से व्यावसायिक दुर्घटनाओं तथा बीमारियों से संबंधित आंकड़े प्रायः अत्यंत अपूर्ण होते हैं, चूंकि आंकड़ों को कम बताना एक सामान्य प्रवृत्ति है तथा सरकारी रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के दायरे में बहुधा अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कामगारों की सभी श्रेणियों को नहीं लाया जाता है।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट में उल्लिखित दुर्घटनाओं की संख्या में कमी का कारण कामगारों की सभी श्रेणियों को मुख्य रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, शामिल न किया जाना है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किए गए विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में, राज्य सरकारें प्रवर्तनकारी एजेंसियां हैं तथा वे घातक दुर्घटना का ब्यौरा एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः, इस संबंध में आंकड़ों से संबंधित कोई भी सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड

816. श्री पी.सी. थामस: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड के बारे में 1 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1186 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार की सिफारिशों सहित प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड को विचारार्थ भेज दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पटसन बैगों का आयात

817. श्री ए. साई प्रताप: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार बांग्लादेश से भारी मात्रा में पटसन के बैग आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाना है; और

(घ) उक्त आयात में कुल कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटक स्थलों पर बाढ़ का असर

818. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के कई भागों में हुई भारी वर्षा तथा आई बाढ़ के कारण देश में, विशेषकर तमिलनाडु में बहुत से पर्यटक स्थलों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने नुकसान का अनुमान लगाया गया है तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे पर्यटक स्थलों को पुनः बनाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों/स्थानों के विकास एवं संवर्धन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। अभी तक हाल की भारी वर्षा और बाढ़ के कारण देश में पर्यटक स्थलों को हुए किसी नुकसान के संबंध में किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जैव-विविधता कार्य योजना

819. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) ने राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति तथा कार्य योजना के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम

प्रयास के रूप में एक परियोजना रिपोर्ट, जिसके आधार पर राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना को अंतिम रूप देना था, को तैयार करने के प्रयोजन से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत दो संगठनों यथा ''कल्पवृक्ष'' एवं ''बायोटक कैंसोर्टियम इंडिया लि.'' को कार्य सौंपे गए थे। परियोजना अवधि की समाप्ति पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कल्पवृक्ष द्वारा समेकित की गई एवं तैयार प्रारूप परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात् मंत्रालय ने कल्पवृक्ष द्वारा तैयार की गई प्रारूप रिपोर्ट में काट-छांट एवं रिपोर्ट में ध्यान में आयी कमियों एवं अनियमितताओं में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया। विशेषज्ञों के दल द्वारा इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से सुधार किया गया। यह संशोधित रिपोर्ट प्रारूप राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए एक निवेश के रूप में सुधार किया गया। यह संशोधित रिपोर्ट प्रारूप राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए एक निवेश के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय में राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रथम प्रारूप पर चर्चा की गई है और अंतिम प्रारूप को प्रारूप पर्यावरण नीति के उपबंधों के अनुरूप तैयार किया जाना है। मंत्रालय में प्रारूप राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुमोदन के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:-

* प्रारूप राष्ट्रीय कार्य योजना पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श;
* मंत्रिमंडल द्वारा कार्य योजना के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी को तैयार करना;
* राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी करना।

बाढ़ प्रबंधन तथा भू-अपक्षरण नियंत्रण के लिए कृतिक बल

820. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ तथा भू-अपक्षरण नियंत्रण के लिए कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसमें क्षेत्रवार परिव्यय कितना-कितना है एवं वर्ष 2005-06 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई एवं वर्ष 2006-07 के लिए कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) आदर्श अध्ययन सहित मजुली द्वीप के भू-अपक्षरण की रोकथाम के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत क्रियान्वयन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2005-06 के दौरान कौन-कौन से स्थायी रोकथाम उपाय क्रियान्वित किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान कौन से स्थायी रोकथाम उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) कार्यबल की रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों के बीच परिचालित की जा चुकी है। कार्यबल की कुछेक सिफारिशों पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। सिफारिश के अनुसार फरक्का बराज परियोजना के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया गया है। कार्यबल द्वारा अनुशंसित तात्कालिक उपायों के अधीन पहले से चली आ रही केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 15.42 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं और 5.51 करोड़ रुपये की राशि बिहार सरकार को प्रदान की जा चुकी है। कार्यबल द्वारा अनुशंसित बाकी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तकनीकी पैरामीटर और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

(ख) माजुली द्वीप में बाढ़ और कटाव की समस्या के समाधान के लिए माजुली द्वीप की मास्टर योजना की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई 85.56 करोड़ रुपये की एक योजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 2003 में तकनीकी दृष्टि से मंजूर की गई। योजना आयोग ने 2004 में 41.28 करोड़ रुपये की लागत के चरण-1 निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सिद्धान्त रूप में मंजूरी प्रदान कर दी। तदनुसार भारत सरकार द्वारा योजना मंजूर कर दी गई और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 2005-06 में तटबन्धों की मरम्मत और निर्माण, उन्हें ऊपर उठाने और उनका सुदृढ़ीकरण करने तथा माडल अध्ययन सहित आरसीसी सहित निर्माण कार्य का काम हाथ में ले लिया है। इन निर्माण कार्यों के लिए 2006-07 के दौरान 14.45 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

बाल श्रम संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

821. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद महाराष्ट्र सहित देश के आदिवासी तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत श्रम संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे संगठनों द्वारा विशेषरूप से आदिवासी तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, जनजातीय और अनुसूचित जातियों की प्रधानता वाले क्षेत्रों सहित देश के भिन्न-भिन्न जिलों में कार्य से हटाए गए बच्चों हेतु विशेष स्कूल चलाने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों को निधियां दी जाती हैं। इन आवेदनों पर संवीक्षा के बाद और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 1.79, 1.78 और 1.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गयी है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये संगठन कामकाजी बच्चों की पहचान करने के बाद उन्हें विशेष स्कूलों में भेजते हैं। विशेष स्कूलों में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के बाद इन बच्चों को नियमित स्कूलों की मुख्यधारा में लाया जाता है।

(घ) से (च) मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त होते ही उन्हें जांच हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है और तत्काल यथाअपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तथापि, हाल ही में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान बाल श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

असम

1. सदऊ असम ग्राम्य पुत्तीभावल संस्था, नौगांव
2. बहुमुखी कृषि आरू कल्याण समिति, नौगांव

आंध्र प्रदेश

3. ग्रामीण सामाजिक कल्याण संस्था, महबूब नगर
4. ग्रामीण विकास संगठन, महबूब नगर
5. ग्रामीण विकास के लिए युवा संस्था, खम्माम

बिहार

6. वैशाली कुंज, हाजीपुर
7. सुदा महिला समाज कल्याण परिषद, नालन्दा
8. महिला एवं शिशु विकास परिषद, खगडिया
9. ग्रामीण समाधान विकास परिषद, बक्सर
10. हेल्पिंग इण्डिया, सरन
11. भारतीय ग्रामीण सेवा संस्था, दरभंगा
12. सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर
13. समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना
14. शकुन्ता प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली
15. सुविधा इन्टरनेशनल, पश्चिमी चम्पारण

झारखंड

16. दीप ज्योति, देवघर
17. ज्ञान निकेतन, साहिबगंज

छत्तीसगढ़

18. नवीन अंकुर महिला मंडल, रायपुर

हरियाणा

19. जन चेतना संगठन, सिरसा

जम्मू और कश्मीर

20. भारतीय समाज कल्याण
21. राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू

कर्नाटक

22. ग्रामीण विकास सेवा समिति, बंगलौर

मध्य प्रदेश

23. ग्राम विकास संघ, जबलपुर
24. महिला सेवा मंडल, सतना
25. मन्जू महिला समिति, जबलपुर
26. श्री नव निकेतन शिक्षा समिति, भोपाल
27. रविन्द्र भारद्वाज कल्याण एवं शोध संस्थान

28. ज्ञानपंथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल

महाराष्ट्र

29. मध्य भारत शिक्षा समिति, गोंदिया
30. बाल विकास अकादमी, औरंगाबाद
31. ग्रामीण विकास एस एण्ड पी संस्थान, नागपुर
32. सामाजिक बहु-उद्देशीय संस्था, नागपुर
33. सोनाली शिक्षण संस्था, नागपुर
34. अनुसाया माता महिला के एण्ड जी, भन्डारा
35. उज्जवल गौंडवाना संस्थान, गोंदिया
36. लोक कल्याण शिक्षण संस्थान, गोंदिया

मणिपुर

37. शहरी कल्याण संगठन
38. अपार्ड
39. केयर, मणिपुर
40. ग्रामीण स्वयं सेवी संगठन पसटोई पार्ट-2 इम्फाल (प.)
41. संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, थाऊबल
42. मणिपुर राज्य बाल कल्याण परिषद, इम्फाल
43. ग्रामोत्थान सेवा केन्द्र, वांघाल
44. अवनगिरि नुपी मारूप, इम्फाल
45. आशुफिमेई विकास समिति
46. संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, वांघ

नागालैंड

47. डिजेवी समिति, कोहिमा
48. सेनेनुओको बाल कल्याण समिति, कोहिमा
49. जनजातीय कल्याण विकास संघ, दीमापुर
50. ओल्डहोम मल्टीपरपज को-आपरेटिव सोसायटी

नई दिल्ली

51. प्रयास, बसंत कुंज
52. मल्टी विजन फाउन्डेशन, नरेला
53. जन जाग्रति शिक्षा, मंगोलपुरी
54. चेतना जनहित समिति, दिलशाद गार्डन
55. प्रगति फाउन्डेशन, पूर्वी आजाद नगर
56. स्पंदन, वसंत कुंज
57. अखिल भारतीय कोणार्क शिक्षा एवं कल्याण समिति
58. सचल शिशु सदन, गोल मार्किट
59. बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली
60. राष्ट्रीय श्रम सहकारिता परिषद लिमिटेड, सिरी इंस्टिट्यूट क्षेत्र

उड़ीसा

61. स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ
62. शकुन्तला ग्रामोद्योग एवं सामाजिक कार्य
63. मानव सेवा सदन, ढेंकनाल, नवीन
64. बाल एवं महिला विकास केन्द्र (सीसीडब्ल्यूडी)
65. जागरूकता एवं ग्रामीण विकास परिषद (कार्ड)
66. गोपीनाथ ज्यू यूथ क्लब
67. नारायणी महिला मंडल, खुर्दा
68. उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर
69. विश्व जीवन सेवा संघ, खुर्दा
70. ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा अनुसंधान संगठन, भुवनेश्वर
71. गानिया उन्मूलन समिति, नयागढ़
72. श्रद्धांजलि, भुवनेश्वर
73. जन कल्याण सेवा संस्थान, केन्द्रपाड़ा
74. भारत ज्योति, क्योंझर
75. गांधी तकनीकी संवर्धन संस्थान
76. हरिजन आदिवासी मंगल समिति, नयागढ़

राजस्थान

77. समाज कल्याण धर्मार्थ न्यास, भरतपुर
78. कर्मा बाल विद्या निकेतन समिति, कोटा
79. दिव्य ज्योति विद्या मंदिर विद्यालय समिति, कोटा
80. नवोदय बाल विद्यालय समिति, कोटा
81. दीप विद्या मंदिर समिति, दौसा

82. कोटा शिक्षा संस्थान, कोटा

83. दर्शन शिक्षा समिति, कोटा

84. लोक शक्ति संस्थान, जयपुर

85. शिवम शिक्षण समिति, करौली

86. महिला युवा विकास फाउन्डेशन, करौली

तमिलनाडु

87. ग्रामीण विकास संगठन, मदुरै

88. चेन्नई महाबोधि समिति, कावैरपेट्टै

89. रूरल स्वीवर्ट्स इन इण्डिया, करूर

त्रिपुरा

90. अखंड योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, अगरतला

उत्तर प्रदेश

91. संत कबीर दास सेवा संस्थान, सिद्धार्थ नगर

92. मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान

93. जनहितकारी संस्थान, कुशीनगर

94. समाज कल्याण शिक्षण संस्थान, बस्ती

95. मदन मोहन मालवीय विकलांग सेवा संस्थान

96. ग्राम विकास संस्थान, गाजीपुर

97. राष्ट्रीय महिला एवं बाल देखरेख समिति

98. हरिजन एवं निर्बल शिक्षण विकास समिति

99. संस्कृत भाषा विकास परिषद, सेवापुरी, देवरिया

100. प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर

101. ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया

102. चिल्ड्रन इमेन्सिपेशन सोसायटी, प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर

103. जीवन रेखा कल्याण समिति, संत कबीर नगर

104. जनजातीय कल्याण समिति, श्रावस्ती

105. नवोदय ग्रामोद्योग समिति, जे.पी. नगर

106. जनप्रिय सेवा संस्था

107. कपिल बाल एवं सेवा समिति, बस्ती

108. अवध महिला एवं बाल कल्याण समिति

109. शिक्षा महिला समिति, बस्ती

110. डा. भीमराव अम्बेडकर, महाराजगंज

112. वैष्णवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद

113. अखिल भारतीय महिला अध्ययन एवं विकास संगठन, कानपुर

114. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, कानपुर

115. स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर

116. हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद

117. कृषक विकास समिति, गाजीपुर

118. पूर्वांचल मानव कल्याण संस्थान, महाराजगंज

119. भारतीय कल्याण एवं महिला विकास संस्थान

120. पारख, इलाहाबाद

121. हरिजन विकास एवं सामाजिक उत्थान समिति, इलाहाबाद

122. संत रविदास शिक्षा समिति, कुशीनगर

123. भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, देवरिया

पश्चिम बंगाल

124. इखुपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर

125. क्योराखाली जन सेवाश्रम, दक्षिणी 24-परगना

126. मुक्ति ग्रामीण विकास एवं जरूरतमंद बालक समिति, दक्षिणी 24 परगना

127. भारतीय ग्रामीण चिकित्सा संघ, कोलकाता

128. ग्राम कल्याण समिति, कोलकाता

129. रंगपुर मिताली संघ, हुगली

130. गोपालपुर डा. बी.आर. अम्बेडकर किशोर सेवा संघ

131. बिधि चन्द्रपुर भारत संघ, हावड़ा

132. व्यापक क्षेत्र विकास समिति, नाडिया

133. स्कोटलेन निर्धनता उन्मूलन केन्द्र

134. कोसमोस, कोलकाता

135. बडकुल्ला लुना सिल्क खादी समिति, नाडिया

136. दम दम पार्क उन्नयनी सानाभाई, कोलकाता

वर्ष 2003-04 के दौरान बाल श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

असम

1. सादो असोम ग्राम्य पुथिभावल संस्था, नौगांव
2. बाहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नौगांव

आंध्र प्रदेश

3. ग्रामीण समाज कल्याण संगठन, महबूबनगर
4. ग्रामीण विकास संगठन, महबूबनगर
5. युवा संगठन ग्रामीण शिक्षा एवं विकास, खम्मम

बिहार

6. वैशाली कुंज, हाजीपुर
7. सुदा महिला समाज कल्याण परिषद, नालंदा
8. महिला एवं शिशु विकास परिषद, खगरिया
9. ग्रामीण समाधान विकास परिषद, बक्सर
10. हैल्पिंग इंडिया, सारन
11. भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान, दरभंगा
12. सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर
13. समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना
14. शकुन्तला प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली
15. सुविधा इन्टरनेशनल, वेस्ट चम्पारन

छत्तीसगढ़

16. नवीन अंकुर महिला मंडल, रायपुर

हरियाणा

17. जन चेतना संगठन, सिरसा

जम्मू एवं कश्मीर

18. भारत सामाजिक कल्याण
19. नेशनल डेवेलपमेंट इंस्टीच्यूट, जम्मू

कर्नाटक

20. ग्रामीण विकास सेवा सोसाइटी, बंगलौर

मध्य प्रदेश

21. ग्राम विकास संघ, जबलपुर
22. महिला सेवा मंडल, सतना
23. मंजू महिला समिति, जबलपुर
24. श्री नव निकेतन शिक्षा समिति, भोपाल
25. रवीन्द्र भारद्वाज कल्याण एवं शोध संस्थान

महाराष्ट्र

26. मध्य भारत एजूकेशन सोसाइटी, गोंडिया
27. बाल विकास अकेडेमी, औरंगाबाद
28. ग्रामीण विकास एस एण्ड पी संस्थान, नागपुर
29. लोक कल्याण शिक्षण संस्थान, गोंडिया

मणिपुर

30. शहरी कल्याण संगठन
31. ए पी ए आर डी
32. सी ए आर ई, मणिपुर
33. ग्रामीण स्वयंसेवी संगठन पास्टोई पार्ट-2 इम्फाल (डब्ल्यू)
34. यूनाइटेड ग्रामीण विकास सेवाएं, थाउबल
35. मणिपुर राज्य बाल कल्याण परिषद, इम्फाल
36. ग्रामीण उत्थान केन्द्र सेवा, वांघल
37. आवनगिरी नूपी मरूप, इम्फाल

नागालैंड

38. डजेवी सोसाइटी, कोहिमा
39. सैनेनोको बाल कल्याण सोसाइटी, कोहिमा
40. एसोसिएशन आफ ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट, दिमापुर
41. ओल्ड होम मल्टीपरपज को-ओप. सोसाइटी

नई दिल्ली

42. प्रयास, वसंत कुंज
43. मल्टी विजिन फाउंडेशन, नरेला
44. जन जाग्रति एजुकेशन, मंगोलपुरी
45. चेतना जनहित सोसाइटी, दिलशाद गार्डन
46. प्रगति फाउंडेशन, ईस्ट आजाद नगर
47. स्पंदन, वसंत कुंज

48. अखिल भारतीय कोनार्क शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण
49. मोबाइल क्रेचेज, गोल मार्किट
50. बंधुवा मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली
51. नेशनल फैड. आफ लेबर कोप. लि. सिरी इंस्ट. एरिया

उड़ीसा

52. एसोसिएशन फार हेल्थ एज्यूकेशन एंड डेव.
53. शकुन्तला ग्रामोद्योग एवं सोशियल एक्शन
54. मानव सेवा सदन, धेंकनाल
55. बाल एवं महिला विकास केन्द्र (सीसीडब्ल्यूडी)
56. काउंसिल फार अवेयरनेस एण्ड रूरल डेव. (सीएआरडी)
57. गोपीनाथ जेऊ युथ क्लब
58. उड़ीसा मुल्टीपर्पज डेव. सेन्टर, चन्द्रशेखरपुर
59. विश्व जीवन सेवा संघ, खुर्दा
60. ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा अनुसंधान संगठन, भुवनेश्वर
61. सुभद्रा महिला कल्याण विकास संगठन

राजस्थान

62. सामाजिक कल्याण धमार्थ न्यास, भरतपुर
63. कर्मा बाल विद्या निकेतन समिति, कोटा
64. दिव्य ज्योति विद्या मंदिर स्कूल समिति, कोटा
65. नवोदय बाल विद्यालय समिति, कोटा
66. दीव विद्या मंदिर समिति, दौंसा
67. कोटा शिक्षण संस्थान, कोटा
68. जन जाति महिला विकास संस्थान

तमिलनाडु

69. ग्रामीण विकास संगठन, मदुरै
70. चेन्नई महाबोधी सोसाइटी, कवारायेपट्ट
71. रूरल स्टिवर्डस् इन इंडिया, करूर

त्रिपुरा

72. अखंड योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, अगरतला

उत्तर प्रदेश

73. संत कबीरदास सेवा संस्थान, सिद्धार्थनगर
74. मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान
75. जन हितकारी संस्थान, कुशीनगर
76. समाज कल्याण शिक्षण संस्थान, बस्ती
77. एम एम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान
78. ग्राम विकास संस्थान, गाजीपुर
79. नेशनल वुमैन एंड चाइल्ड केयर सोसाइटी
80. हरिजन एवं निर्बल शिक्षण विकास समिति
81. संस्कृत भाषा विकास परिषद, सेवा पुरी देवरिया
82. प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर
83. ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया
84. चिल्ड्रेन इमेन्सीपेशन सोसाइटी प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर
85. लाइफ लाइन वेलफेयर सोसाइटी, संत कबीर नगर
86. जनजाति कल्याण सोसाइटी, श्रावस्ती
87. कपिल बाल एवं सेवा समिति, बस्ती
88. अवध महिला एवं बाल कल्याण समिति
89. शिखा महिला समिति, बस्ती
90. डा. भीम राव आम्बेडकर, महाराजगंज
91. वैष्णवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद
92. जन जीवन माध्यमिक शिक्षा समिति
93. अखिल भारतीय महिला अध्ययन और विकास संगठन, कानपुर
94. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, कानपुर
95. स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर
96. हरिजन एवं निर्बल शिक्षा समिति, इलाहाबाद
97. कृषक विकास समिति, गाजीपुर
98. पूर्वांचल मानव कल्याण संस्थान, महाराजगंज
99. भारतीय कल्याण एवं महिला विकास संस्थान
100. परख, इलाहाबाद
101. हरिजन विकास एवं सामाजिक उत्थान समिति, इलाहाबाद

102. संत रविदास शिक्षा समिति, कुशीनगर

103. भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, देवरिया

पश्चिम बंगाल

104. इखपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर

105. क्योराकली जन सेवाश्रम, दक्षिणी 24-परगना

106. मुक्ति ग्रामीण विकास एवं जरूरतमंद बालक समिति, दक्षिणी 24-परगना

107. भारतीय ग्रामीण चिकित्सा संघ, कोलकाता

108. ग्राम कल्याण समिति, कोलकाता

109. रंजापुर मिताली संघ, हुगली

110. गोपालपुर डा. बी.आर. अम्बेडकर किशोर सेवा संघ

111. बिधि चन्द्रपुर भारत संघ, हावड़ा

112. व्यापक क्षेत्र विकास समिति, नाडिया

113. कोसमोस, कोलकाता

114. बडकुल्ला लुना सिल्क खादी समिति, नाडिया

वर्ष 2002-2003 में गैर-सरकारी संगठनों को जी आई ए के अंतर्गत जारी कुल अनुदान

असम

1. सादो असम ग्रामय पुथीभवल संस्था, नौगांव

2. बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नौगांव

आंध्र प्रदेश

3. ग्रामीण समाज कल्याण एसोसिएशन, महबूबनगर

4. ग्रामीण विकास संगठन, महबूबनगर

5. यूथ एसोसिएशन रूरल एजुकेशन और डेवलपमेंट, खम्माम

बिहार

6. वैशाली कुंज, हाजीपुर

7. सुधा महिला समाज कल्याण परिषद, नालंदा

8. महिला एवं शिशु कल्याण विकास परिषद, खगड़िया

9. ग्रामीण समाधान विकास परिषद, बक्सर

10. हेल्पिंग इंडिया, सारन

11. भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान, दरभंगा

12. सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर

13. समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना

14. शकुन्तला प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली

15. सुबिधा इंटरनेशनल, पश्चिम चम्पारण

छत्तीसगढ़

16. नवीन अंकुर महिला मंदिर, रायपुर

हरियाणा

17. जन चेतना संस्थान, सिरसा

जम्मू-कश्मीर

18. भारतीय समाज कल्याण

19. नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट, जम्मू

कर्नाटक

20. रूरल डेवलपमेंट सरभिसेस सोसायटी, बंगलौर

मध्य प्रदेश

21. मन्जू महिला समिति, जबलपुर

22. श्री नव निकेतन शिक्षा समिति, भोपाल

23. रविन्द्र भारद्वाज कल्याण एवं शोध संस्थान

महाराष्ट्र

24. मध्य भारत शिक्षा समिति, गोन्डिया

25. बाल विकास एकेडिमिक, औरंगाबाद

26. लोक कल्याण शिक्षा संस्थान, गोन्डिया

मणिपुर

27. यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सरभिस, थोयबल

28. मणिपुर स्टेट कौंसिल शिशु कल्याण, इम्फाल

नागालैंड

29. सनेनुअको शिशु कल्याण समिति, कोहिमा

30. एसोसिएशन आफ ट्रेवल कल्याण विकास, डिमापुर

31. आर्ड हाम मल्टीपरपस का-आप. सोसाईटी

नई दिल्ली

32. प्रयास, वसंत कुंज

33. जन जागृति शिक्षा, मंगोलपुरी

34. चल शिशु गृह गोल मार्केट

35. बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली

36. नेशनल फैडरेशन आफ लेबर को-आपरेशन लि., श्री इंस्टीट्यूट एरिया

उड़ीसा

37. मानव सेवा सदन, ढेंकनाल, नयू

38. उड़ीसा मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सेंटर, चन्द्रशेखपुर

39. इन्स्टीट्यूट फार कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट एक्शन, भद्रक

40. नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी

41. रुचिका सोसाइल सर्विस विंग, भुवनेश्वर

42. सेंटर फार चिल्ड्रेन एंड ओमेन डेवलपमेंट (सीसीडब्ल्यूडी)

43. काउंसिल फार अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट (सीएआरडी)

44. गोपीनाथ ज्यू यूथ क्लब, राजस्थान

राजस्थान

45. नवोदय बाल विद्यालय समिति, कोटा

46. दीप विद्या मंदिर समिति, डोसा

47. कोटा शिक्षण संस्थान, कोटा

48. जन जाति महिला विकास संगठन

तमिलनाडु

49. आर्गेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट, मदुराई

50. चेन्नई महाबोधी सोसाइटी, कवाराइपेट्टी

51. रूरल स्टीवार्ड इन इंडिया, करूर

त्रिपुरा

52. अखंड योगा एंड नेचरल थेरापी, अगरतला

उत्तर प्रदेश

53. संस्कृत भाषा विकास परिषद, सीवापुरी, डेयोरिया

54. प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर

55. ग्राम सेवा संगठन, डेयोरिया

56. चिल्ड्रेन ईमान्सिएशन सोसाइटी प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर

57. लाइफ लाइन वेलफेयर सोसाइटी, संत कबीर नगर

58. ट्रिबल वेलफेयर सोसाइटी, सारावस्ती

59. कपील बाल एवं सेवा समिति, बस्ती

60. अवध महिला एवं बाल कल्याण समिति

61. सीखा महिला समिति, बस्ती

62. डा. भीमराव अम्बेडकर, महाराजगंज

63. वासनवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद

64. जनजीवन माध्यमिक शिक्षा समिति

65. आल इंडिया ओमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, कानपुर

66. आल इंडिया ओमेन्स कान्फ्रेन्स, कानपुर

67. स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर

68. हरिजन निर्बल शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद

69. कृषक विकास समिति, गाजीपुर

70. पूर्वांचल मानव कल्याण समिति कल्याण संस्थान, महाराजगंज

71. भारतीय कल्याण एवं महिला विकास संस्थान

72. परख, इलाहाबाद

73. हरिजन विकास एवं सामाजिक उत्थान समिति, इलाहाबाद

74. भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, देवरिया

पश्चिम बंगाल

75. ईखुपत्रिका सोसाइल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, मिदनापुर

76. कैराबली जन सेवाश्रम, साऊथ 24 परगना

77. मुक्ति रूरल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड इन नीड सोसाइटी, साऊथ 24 परगना

78. सेंट्रल फार सोशल डेवलपमेंट नार्थ 24 परगना

79. तफापल्ली मिलानी संघ, साऊथ 24 परगना

80. इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन, कोलकाता

81. विलेज वेलफेयर सोसायटी, कोलकाता

82. रंजापुर मिटाली संघ, हुगली

83. गोपालपुर डाक्टर बी आर अम्बेडकर किशोर सेवा संघ

84. विधिचंद्रपुर भारत संघ, हावड़ा

85. कंपरिहेन्सिव एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, नाडिया

86. कोसमोस, कोलकाता

87. बदकुल्ला लूना सिल्क खादी सोसायटी, नाडिया

गिर में शेर की मृत्यु

822. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में जसाधर एवं राजकोट रेंज के गिर अभ्यारण्य में कई शेर मृत पाए गए हैं जिससे अगस्त, 2005 से अब तक मरने वाले शेरों की कुल संख्या आठ हो गई है;

(ख) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शेरों के मारे जाने में पार्कों/अभ्यारण्यों के आस-पास के ग्रामीणों की भूमिका क्या है;

(ङ) क्या गिर अभ्यारण्य में जसाधर रेंज में मृत शेर के पास दस वर्षीय तेंदुए एवं एक अजगर के शव भी मिले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार प्रभावित ग्रामीणों को उनके पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा देती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार गिर अभ्यारण्य के जसाधर रेंज में 18.10.2005 को एक शेर मरा हुआ पाया गया। अगस्त, 2005 से मरे हुए शेरों की कुल संख्या 12 है।

गिर अभ्यारण्य में कोई राजकोट रेंज नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। जांच से पता चला है कि शेर की मृत्यु तेंदुए के साथ लड़ाई के कारण हुई है।

(घ) अगस्त, 2005 से मरे हुए 12 शेरों में से दो स्थानीय लोगों द्वारा जहर देने के कारण मरे हैं।

(ङ) और (च) शेर के मृत शरीर के पास तेंदुए का कंकाल पाया गया था। नजदीक में कोई अजगर मृत नहीं पाया गया था। जांच से पता चला कि मृत्यु का कारण शेर और तेंदुए के बीच लड़ाई है।

(छ) और (ज) जी, हां। गुजरात सरकार के संकल्प के अनुसार, एक भेड़ की मौत के लिए 250 रु. से एक दुधारू भैंस की मौत के लिए 5000 रु. तक पशुधन के नुकसान हेतु गांववासियों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

आधारभूत परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाना

823. श्रीमती मेनका गांधी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में आधारभूत परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु भारतीय मूल के लोगों द्वारा नियंत्रित निगमों सहित भारतीय मूल के लोगों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त धनराशि किन परियोजनाओं पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जल संसाधन मंत्रालय में आधारभूत परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने के लिए भारतीय मूल के लोगों द्वारा नियंत्रित निगमों सहित भारतीय मूल के लोगों (पीआईओएस) को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालय

824. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार गरीब ग्रामीण किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबद्ध राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग कृषि शिक्षा के समन्वित अनुसंधान, सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए सीमित रूप से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता है;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4
राज्य कृषि विश्वविद्यालय			
1.	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013	
2.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030	
3.		श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	डेयर/भा.कृ.अ.प. से विकास अनुदान की स्वीकृति दी जानी है।
4.	बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा-848125	
5.	छत्तीसगढ़	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-492012	
6.	गुजरात	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द-388110	डेयर/भा.कृ.अ.प. से विकास अनुदान की स्वीकृति दी जानी है।
7.		जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	-वही-
8.		नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450	-वही-
9.		सरदार कृषीनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाड़ा-385506	-वही-
10.	हरियाणा	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004	
11.	हिमाचल प्रदेश	चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062	
12.		डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन-173230	
13.	जम्मू-कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू-180004	
14.		शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर-191121	

1	2	3	4
15.	झारखण्ड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची-834006	
16.	कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर-560065	
17.		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़-580005	
18.		कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर-585401	डेयर/भा.कृ.अ.प. से विकास अनुदान की स्वीकृति दी जानी है।
19.	केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर-680656	
20.	मध्य प्रदेश	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004	
21.	महाराष्ट्र	डा. बाला साहिब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712	
22.		महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर-440006	
23.		मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी-431402	
24.		महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी-413722	
25.		डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला-444104	
26.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003	
27.	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004	
28.	राजस्थान	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001	
29.		राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002	
30.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003	
31.		तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई-600051	
32.	उत्तर प्रदेश	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002	
33.		दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा-281001	
34.		नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224229	

1	2	3	4
35.		सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-250110	
36.	उत्तरांचल	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145	
37.	पश्चिम बंगाल	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर-741252	
38.		उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार-736165	
39.		पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता-700037	
		केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	
40.	मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर-795004	
		मानद विश्वविद्यालय	
41.	दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012	
42.	उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122	
43.		इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद	
44.	हरियाणा	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001	
45.	महाराष्ट्र	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई-400061	

मूर्तियों को नदियों/समुद्र में बहाए जाने से प्रदूषण

825. **श्री असादुद्दीन ओवेसी**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूर्तियों को नदियों/समुद्र में बहाए जाने से पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मूर्तियों को नदियों/समुद्र में बहाए जाने से पशुधन को हुए नुकसान तथा जल प्रदूषण का आंकलन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नदियों, झीलों और मुहानों में मूर्तियों को बहाए जाने के कारण जल गुणता में परिवर्तन का मूल्यांकन करने हेतु किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि चालकता, जीव-रसायन आक्सीजन मांग और भारी धातु सांद्रण की दृष्टि से जल गुणता में गिरावट आती है।

(ग) और (घ) मूर्तियों को बहाए जाने के कारण हुए प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें तीन प्रावस्थाओं, अर्थात् बहाव-पूर्व, बहाव के दौरान और बहाव के बाद जल गुणता की मानीटरी, बहाने वाले नामोदिष्ट केन्द्रों की पर्याप्त संख्या का अभिनिर्धारण, अस्थाई परिरुद्ध तालाबों/बांधों का निर्माण, उपयुक्त निपटान हेतु फूलों, कपड़ों और सजावटी वस्तुओं जैसी पूजा सामग्री को हटाने और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के सुझाव दिए गए हैं।

[हिन्दी]

लघु सिंचाई परियोजनाएं

826. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कतिपय योजनाओं के माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां। सरकार सतही जल स्कीमों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना के लिए "राष्ट्रीय परियोजना" नामक दो स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 (आज की तारीख तक) के दौरान एआईबीपी (अनुदान/ऋण) के माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता विवरण-I में दी गई हैं। विभिन्न राज्यों को (कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना 2004-05 और 2005-06 (आज की तारीख तक) के दौरान राज्यों (जिलावार) में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता विवरण-II में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (आज की तारीख तक) के दौरान एआईबीपी के तहत सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों के लिए उपलब्ध कराई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 के दौरान	2005-06 के दौरान (आज तक)	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	-	10.00
2.	असम	16.855	-	16.855
3.	मणिपुर	1.50	-	1.50
4.	मेघालय	1.7438	-	1.7438
5.	मिजोरम	5.00	4.50	9.50
6.	नागालैंड	4.00	-	4.00
7.	सिक्किम	0.75	0.3375	1.0875
8.	त्रिपुरा	8.00	-	8.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1.925	7.011	8.936
10.	जम्मू-कश्मीर	5.44	4.95	10.39
11.	उत्तरांचल	38.9917	20.952	59.9437
	कुल	94.2055	37.7505	131.9560

*90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में

विवरण II

कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 2004-05 और 2005-06 के (आज की तारीख तक) के दौरान जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (करोड़ रुपये में)	
				2004-05	2005-06 (आज की तारीख तक)
1.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	32.84	2.44	2.70
		अनंतपुर	13.77	–	5.1625
2.	कर्नाटक	गुलबर्गा	35.357	4.42	–
		बंगलौर ग्रामीण	19.42	1.00	–
3.	झारखंड	सरायकेला	3.14	0.33	0.649
		पलामू	11.06	1.17	0.525
4.	छत्तीसगढ़	कबीर धाम	2.236	–	0.750
5.	उड़ीसा	गंजम	12.82	1.14	–
		गजपती	6.01	0.55	–
6.	राजस्थान	अजमेर	4.489	–	1.125
		पाली	2.45	–	0.75
7.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	4.934	0.74	0.565
		दक्षिण-24 परगना	18.664	0.21	1.20
8.	तमिलनाडु	शिवगंगई	1.222	–	0.458
		विल्लुपुरम	9.372	–	3.5145
9.	मध्य प्रदेश	टिकमगढ़	3.923	–	0.70
10.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी	1.0401	–	0.156
11.	जम्मू-कश्मीर	कुपवाड़ा	3.0588	–	0.6375
12.	केरल	पलक्कड़	1.3753	–	0.30
		पथनमथिटा	1.404	–	–
13.	गुजरात	सबरकंठा	6.5512	–	–
		बनासकंठा	7.6653	–	–
कुल	13	22	202.9819	12.00	19.1925

[अनुवाद]

आवश्यक औषधियों की कीमतें

827. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी भेषज बहुदेशीय कंपनियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक औषधियों की कीमतों को कम कराने तथा कीमतें नियंत्रित रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं या कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) वर्तमान मूल्य नियंत्रण नीति के अनुसार, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 75 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डी पी सी ओ, 95 के प्रावधानों के तहत निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं विभिन्न कारकों यथा: उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, आर एंड डी व्यय, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि के मद्देनजर तय किए जाते हैं। ओआरजी-आईएमएस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की मासिक खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार एनपीपीए दवाओं की कीमतों को मानीटर करता है। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

उचित मूल्य पर जीवन रक्षक औषधों को उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणब सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने 20 सितम्बर, 2005 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सरकार कार्यबल की सिफारिशों की जांच विभिन स्टेकधारकों के परामर्श से कर रही है। इसके आधार पर शीघ्र ही नई औषध नीति घोषित किए जाने की संभावना है।

जड़ी-बूटियों की खेती के लिए सहायता

828. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में जड़ी-बूटियों की खेती तथा अनुसंधान की अत्यधिक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 तक व्यापक वृहत प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को औषधीय तथा सुगन्धीदायक पौधों के विकास सहित बागवानी के विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। इस स्कीम का यह घटक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में अब राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों के विकास के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक वृहत प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2001-2002 तक स्वीकृत परियोजनाओं का सारांश

(राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	एसएमपीबी	2001-02 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्वीकृत राशि की संख्या				2002-03 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्वीकृत राशि की संख्या				2003-04 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्वीकृत राशि की संख्या				2004-05 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्वीकृति राशि की संख्या				2005-06 (अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान स्वीकृत निधि
		अनुबंध	स्वीकृत राशि	संवर्धन-लक्ष्य	स्वीकृत राशि	अनुबंध	स्वीकृत राशि	संवर्धन-लक्ष्य	स्वीकृत राशि	अनुबंध	स्वीकृत राशि	संवर्धन-लक्ष्य	स्वीकृत राशि	अनुबंध	स्वीकृत राशि	संवर्धन-लक्ष्य	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	4	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	7	155.00	10	34.90	5	59.0	42	67.51	6	83.00	48	55.24	5	109.00	13.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	6	32.50	3	20.00	1	2.00	9	36.51	1	6.00	20	100.43	5	30.00	8.00
4.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17.00	–	–	5	44.00	–
5.	बिहार	–	–	1	2.00	–	–	1	1.00	–	–	–	–	–	–	–	–	5.00
6.	चण्डीगढ़	–	–	1	22.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3.00	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	9	225.00	–	–	4	47.50	48	196.15	4	100.00	1	5.00	2	28.00	35.75
8.	दिल्ली	–	–	2	30.00	–	–	5	54.80	–	–	6	70.90	1	1.95	5	37.00	–
9.	गोवा	–	–	2	50.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	गुजरात	–	–	3	40.00	1	9.00	4	56.00	8	14.86	2	16.00	49	58.07	2	30.00	50.50
11.	हरियाणा	–	–	1	14.00	1	9.00	2	40.00	43	94.47	2	27.00	62	191.11	3	15.50	10.90
12.	हिमाचल प्रदेश	–	–	8	137.00	–	–	3	12.50	3	5.79	4	46.00	4	12.82	6	74.00	33.00
13.	जम्मू-कश्मीर	–	–	2	20.00	–	–	7	66.00	7	28.68	2	13.00	2	11.07	7	87.00	8.00
14.	झारखंड	–	–	3	60.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	25.00	–
15.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	कर्नाटक	–	–	9	137.00	–	–	5	54.00	53	70.49	1	8.00	78	52.92	13	139.00	69.50
17.	केरल	–	–	1	13.00	9	34.00	9	144.00	5	4.21	2	17.00	33	30.07	10	95.70	11.00
18.	मध्य प्रदेश	–	–	8	135.00	42	236.90	5	35.00	261	631.81	4	38.00	266	593.98	3	39.00	37.00
19.	महाराष्ट्र	–	–	8	50.80	2	7.00	5	30.00	40	92.91	–	–	80	81.36	6	56.50	20.00
20.	मणिपुर	–	–	3	53.00	–	–	1	2.00	12	36.23	1	10.00	96	463.31	1	10.00	16.00
21.	मेघालय	–	–	3	20.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	23.00	–
22.	मिज़ोरम	–	–	5	96.00	–	–	2	45.00	–	–	1	2.00	–	–	5	58.50	9.00
23.	नागालैण्ड	–	–	4	43.00	–	–	1	10.00	1	8.10	–	–	10	22.11	1	15.00	–
24.	उड़ीसा	–	–	9	193.00	3	16.50	1	5.00	47	102.13	2	32.00	41	52.64	11	125.00	18.00
25.	पंजाब	–	–	1	10.00	–	–	1	8.00	–	–	–	–	16	73.45	–	–	2.00
26.	राजस्थान	–	–	5	78.00	5	40.20	1	2.00	51	137.33	2	30.00	354	1161.58	5	46.00	3.00
27.	सिक्किम	–	–	13	274.00	–	–	–	–	2	1.95	–	–	19	40.79	3	36.00	–
28.	तमिलनाडु	–	–	1	10.00	–	–	4	28.00	9	20.31	7	59.20	18	28.25	26	277.50	65.50
29.	त्रिपुरा	–	–	1	9.00	–	–	1	21.00	–	–	–	–	1	8.44	–	–	10.00
30.	उत्तर प्रदेश	–	–	10	167.00	1	9.00	8	44.00	15	55.29	6	59.00	2	8.53	13	124.00	32.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31.	उत्तरांचल	-	-	13	197.00	1	3.00	22	211.96	30	33.49	8	113.5	41	63.92	34	419.00	18.00
32.	पश्चिम बंगाल	-	-	1	25.00	1	3.00	3	17.00	1	00.60	3	7.50	16	43.98	6	68.00	29.80
33.	नई दिल्ली																	2.00
	कुल	-	-	144	2378.30	79	422.50	101	995.76	687	1638.82	66	755.10	1258	3161.02	183	2014.70	507.25

विवरण II

कृषि में वृहद प्रबन्धन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बागवानी के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन, निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण (कृषि मंत्रालय)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	747.39	500.00
3.	झारखण्ड	0.00	95.00	103.00
4.	गोवा	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2000.00	444.44	600.00
12.	छत्तीसगढ़	1315.00	425.00	384.00
13.	महाराष्ट्र	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	775.00	684.41
17.	तमिलनाडु	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	500.00	675.00

1	2	3	4	5
19.	उत्तरांचल	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.10	0.00	0.00
22.	असम	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1802.08	0.00	0.00
25.	मेघालय	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	79.00	37.70	30.00
32.	लक्षद्वीप	72.50	49.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	35.00	35.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55.12	124.27	9.50
	कुल	17235.00	16412.94	13601.37

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को विशेष अनुमति

829. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्रियान्वित होने के बावजूद भी प्रदूषण फैलाने वाली बहुत सी कंपनियों को वन भूमि में प्रचालन करने की विशेष अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में अपनी सिफारिशों सहित ऐसी कंपनियों के प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशें करने के क्या आधार हैं; और

(ङ) ऐसे आधार को मानने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) गुजरात में वन भूमि पर चल रही प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कोई विशेष अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधियों की कीमतों के संबंध में कृतिक बल की रिपोर्ट

830. श्री निखिल कुमार:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधियों की कीमतों तथा वाजिब दरों पर उनकी उपलब्धता के संबंध में कृतिक बल तथा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई तथा इसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) जीवनरक्षक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु मूल्य नियंत्रण के इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने 20 सितम्बर, 2005 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यबल की कुछ मुख्य अनुशंसाएं मूल्य नियंत्रण को औषध की अनिवार्यता न कि कारोबार के आधार पर आरोपित किए जाने तथा यह सिर्फ सूत्रयोगों न कि प्रपुंज औषधों पर लागू किए जाने के बारे में हैं। कार्यबल की कुछ अन्य प्रमुख सिफारिशें जेनेरिक औषधों को बढ़ावा देने, जन स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने, औषधों के विनिर्माण में लगे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को पुनर्जीवित करने, औषधों में आर एंड डी गतिविधियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली की अनुसूची-एम के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने, औषध एवं नैदानिक (विनियमन) अधिनियम को लागू करने, औषधों व नैदानिकों के एक राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएडीटी) की स्थापना करने, नए पेटेंटशुदा औषधों के लिए मूल्य संबंधी वार्ता प्रक्रिया शुरू करने, थोक अधिप्राप्ति तंत्र को सुचारू बनाने, कैंसर और एचआईवी/एड्सरोधी औषधों पर सीमा शुल्क को माफ करने, बी पी एल परिवारों के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों में राज्य रुग्णता निधि स्थापित करने, औषधों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करने, एसएसआई यूनिटों के लिए छूट सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने, फार्मा कंपनियों से विवादित अधिक वसूली गई राशि के निपटारे हेतु प्राधिकृत एक निपटारा आयोग की स्थापना करने से संबंधित हैं।

सरकार कार्यबल की सिफारिशों की जांच विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से कर रही है। इसके आधार पर शीघ्र ही नई औषध नीति घोषित किए जाने की संभावना है।

लंगूर का अवैध शिकार

831. श्री उदय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंगूर की दुर्लभ प्रजातियों का भी अवैध शिकार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने लंगूर मारे गए तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) लंगूर के अवैध शिकार की कुछ घटनाएं सूचित की गई हैं। तथापि, राज्यों से कोई चिंताजनक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मिजोरम राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान दो लंगूरों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वे राज्य जिनमें हूलाक लंगूर के प्रमुख पर्यावास हैं उनमें इनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लंगूर की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम:-

1. हूलाक लंगूर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है। इस प्रकार इस प्रजाति को उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को 2002 में संशोधित किया गया है और वन्यजीव अपराधों के प्रति और अधिक कठोर बनाया गया है।
3. राज्य वन विभागों के अवैध शिकार रोधी स्टाफ द्वारा गहन गश्त।

4. सामुदायिक वनों में सीमांत गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्राम परिषद् प्राधिकरण संरक्षण प्रयासों में इनके सहयोग लेने के लिए सहायता ली जा रही है।

5. मीडिया के माध्यम से संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

विवरण

लंगूर बहुलता वाले राज्यों में इनकी संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	70
2.	असम	1,985
3.	मणिपुर	200
4.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
5.	त्रिपुरा	80
6.	मेघालय (नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की गणना के अनुसार)	399
7.	नागालैंड	20

[हिन्दी]

राजस्थान के मरूस्थल त्रिकोण का विकास

832. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के मरूस्थल त्रिकोण में पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण पर्यटन योजनाओं एवं भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं सहित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद अवसंरचना और गंतव्य विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य के परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है। पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधि अवमुक्त की जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	अम्बेर किला, जयपुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी लगाना	129.26	116.33
2.	जयपुर में हवा महल एवं जंतर मंतर का विकास	464.32	371.45

भूजल का अन्यत्र उपयोग

833. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अजीत जोगी:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने के लिए भूजल का अवैध रूप से अन्यत्र उपयोग पर रोक लगाने के कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राज्यों में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने अधिक पानी निकाले जाने तथा डार्क क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) चूंकि 'जल' एक राज्य विषय है इसलिए भूजल की निकासी को विनियमित करने के निमित्त उपाय करने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1970 में एक माडल बिल परिचालित किया था जिसे 1992 में तथा बाद में 1996 में पुन:परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून अधिनियमित कर सकें। भूजल के विकास और प्रबन्धन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पुन: परिचालित किया गया है। तथापि, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) भूजल के अति-दोहन पर रोक लगाने के लिए निम्न विनियामक उपाय कर रहा है:

(1) सीजीडब्ल्यूए ने भूजल संसाधनों के अतिदोहन के आधार पर 11 गंभीर क्षेत्र तथा भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अति-दोहन क्षेत्र अधिसूचित किए हैं।

(2) अतिदोहित, गंभीर तथा अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में उद्योगों/परियोजना द्वारा भूजल की निकासी का विनियमन सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किया जा रहा है। नए उद्योग/परियोजनाएं स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव, भूजल निकासी के संबंध में अनापत्ति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्डों तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सीजीडब्ल्यूए को भेजे जाते हैं जिनका मूल्यांकन स्थल-विशिष्ट तकनीकी अध्ययनों आदि के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग किया जाता है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जोकि जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और राज्यों द्वारा भी जल स्तरों की आवधिक मानीटरी की जाती है। किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश के भीतर 5723 निर्धारण यूनिटों (ब्लाकों/मण्डलों/तालुकों) में से 839 यूनिटों को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् इनमें वार्षिक भूजल निष्कर्षण वार्षिक पुनर्भरणीय संसाधन से बढ़कर है और मानसून-पूर्व अथवा मानसूनोत्तर अथवा दोनों अविधियों में दीर्घकालीन भूजल स्तर प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। इसके अलावा 226 यूनिट 'गभीर' है अर्थात भूजल विकास की स्थिति वार्षिक पुनर्भरणीय संसाधन 90% और 100% के बीच है तथा मानसून-पूर्व और मानसूनोत्तर-दोनों अवधियों में दीर्घकालीन भूजल स्तर प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। 550 'अर्धगंभीर' यूनिट हैं जिनमें भूजल विकास की स्थिति वार्षिक पुनर्भरणीय संसाधन 70% और 90% के बीच है तथा मानसून-पूर्व अथवा मानसूनोत्तर अवधि में दीर्घकालीन जलस्तर प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट देखने में आई है।

इसके अलावा, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय 'त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)' नामक एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अधीन 1991 की जनगणना के अनुसार 20000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में जल आपूर्ति कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तपोषण की शैली केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 अनुपात में है जिसमें शहरी स्थानीय निकायों से 5% का अंशदान शामिल है। अत्यन्त न्यून प्रतिव्यक्ति आपूर्ति, अत्यन्त दूरस्थ और बहुत गहरे जल स्रोत, सूखा प्रवण क्षेत्रों, जल स्रोत में लवणता, फ्लूराइड तथा लोहे के अंश की अधिकता तथा जल आधारित रोगों की उच्च मात्रा जैसी विशेष समस्याओं से घिरे हुए कस्बों को प्राथमिकता दी गई है।

उर्वरक उद्योग पर उदारीकरण का प्रभाव

834. **श्री अजीत जोगी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में राज्यवार कुल कितनी उर्वरक उत्पादन इकाईयां हैं;

(ख) सरकार की उदारीकरण की नीति का उर्वरक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) उर्वरक उद्योग के सुरक्षोपाय के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों दोनों में कार्य कर रही उर्वरक उत्पादन इकाइयों की कुल संख्या के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण और आंशिक संचलन तथा वितरण नियंत्रण के अधीन है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को दिनांक 25.8.1992 से नियंत्रणमुक्त किया गया था। यूरिया का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशात्मक अधिक खुदरा मूल्य पर किसानों को बेचा जाता है। तदनुसार, उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता/रियायत का भुगतान किया जाता है ताकि वे किसानों को उस वहनीय मूल्य पर उर्वरकों को बेच सकें जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता

है और जो सामान्यत: इन उर्वरकों के उत्पादन की लागत से कम होता है। राजसहायता तंत्र के जरिए जहां किसानों को उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से बचाया जाता है, वहीं उत्पादक/आयातक को उस कम कीमत पर, जिस पर उसे किसानों को इन उर्वरकों को बेचना होता है, रखने के लिए मुआवजा दिया जाता है।

दिनांक 31.3.2003 तक स्वदेशी यूरिया उत्पादक इकाइयों को राजसहायता तत्कालीन इकाई विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) के अनुसार दी जाती थी जिसे 1.4.2003 से यूरिया इकाइयों के लिए समूह आधारित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नई मूल्य निर्धारण योजना का लक्ष्य राजसहायता के वितरण में व्यापक पारदर्शिता, एकरूपता और दक्षता लाना है तथा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए स्वत: लागत कम करने के उपाय उठाने हेतु यूरिया इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। नई मूल्य निर्धारण योजना को चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-1 की अवधि एक वर्ष अर्थात् 1.4.2003 से 31.3.2004 तक थी और चरण-2 की अवधि दो वर्ष अर्थात् 1.4.2004 से 31.3.2006 तक है। नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-1 और 2 की प्रभावकारिता की समीक्षा करने और 1.4.2006 से शुरू होने वाले चरण-3 के लिए यूरिया इकाइयों की नीति बनाने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

विवरण

देश में कार्यरत प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों का नाम	कार्यरत इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4	–	–	4	4
2.	असम	1	1	–	–	1
3.	गोवा	1	–	–	1	1
4.	गुजरात	8	–	3	5	8
5.	हरियाणा	1	1	–	–	1
6.	कर्नाटक	1	–	–	1	1
7.	केरल	2	2	–	–	2
8.	मध्य प्रदेश	2	2	–	–	2
9.	महाराष्ट्र	5	4	–	1	5
10.	उड़ीसा	2	–	–	2	2
11.	पंजाब	3	2	–	1	3
12.	राजस्थान	3	–	–	3	3
13.	तमिलनाडु	4	1	–	3	4
14.	उत्तर प्रदेश	7	–	4	3	7
15.	पश्चिम बंगाल	1	–	–	1	1
	कुल	45	13	7	25	45

[अनुवाद]

जल संरक्षण हेतु पोर्ट ब्लेयर परिषद तथा फुकेट के अधिकारियों के बीच समझौता

835. श्री मनोरंजन भक्त: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जल संरक्षण हेतु पोर्ट ब्लेयर परिषद तथा फुकैट के अधिकारियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन, शिक्षा और संस्कृति, शहरी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, वाणिज्य और निवेश के क्षेत्रों में मित्रता/सहयोग पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल तथा थाइलैण्ड राज्य के फुकैट प्रान्त के राज्यपाल के बीच पोर्ट ब्लेयर में 29.6.2005 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। शहरी विकास के क्षेत्र के अधीन नई जल संचयन तकनीकों, जल उपचार संयंत्रों के उन्नयन, पुराने जल आपूर्ति नेटवर्क के अध्ययन तथा जल वितरण नेटवर्क और गाद हटाने की पुरानी मलव्यवस्था लाइनों को पुन: बिछाने के यौक्तिकीकरण में विशेषज्ञता के नियमित आदान-प्रदान संबंधी एक समझौते को लेकर सहमति हुई है।

(ग) उपर्युक्त समझौते के अनुसरण में पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद ने जल संचयन तकनीकों, ठोस अपशिष्ट प्रबंध की आधुनिक और संधारणीय विधियों के अध्ययन, पर्यटन के प्रोत्साहन आदि जैसे क्षेत्रों में फुकैट अधिकारियों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के लिए पार्षदों और अधिकारियों का तीन समूहों में शिष्टमण्डल भेजने का निर्णय लिया है।

दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

836. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्य वस्तुओं की तरह ही दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्राथमिक उत्पादन से अंतिम उत्पादन तक दूध तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तथा इस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डेयरी राज्य का विषय है और दूध की कीमतें राज्य सरकारों/राज्य डेयरी परिसंघों द्वारा तय की जाती हैं।

(घ) सरकार देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/विनियामक आदेश क्रियान्वित कर रही है:-

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम।
2. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
3. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।
4. दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश।

इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दूध की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन, प्रौद्योगिकी नवीनता तथा गुणवत्ता नियंत्रण करने वाली प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सहकारी दुग्ध संघों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में जाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डेयरियों को प्रोत्साहित और वित्त पोषित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

किसान काल सेन्टर

837. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने वाले कुछ किसान काल सेन्टरों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान इन सेन्टरों से कितनी कालें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) काल सैन्टर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं होता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विशिष्ट विषयों, जिनके संबंध में किसानों द्वारा की गई कालों में जानकारी मांगी गई, में फसल खेती पद्धतियां, रोग, बीजों, ऋण की उपलब्धता, फसलोपरान्त प्रबन्धन, विपणन सूचना आदि शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	काल सैन्टर का स्थान	राज्य जिनमें सेवा उपलब्ध की जानी है	वर्तमान वर्ष जनवरी-अक्तूबर 2005 के दौरान प्राप्त कालों की संख्या
1.	मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव	31199
2.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	39415
3.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	32876
4.	बंगलौर	कर्नाटक	21736
5.	चैन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44012
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	19606
7.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब	37513
8.	जयपुर	राजस्थान	47489
9.	इन्दौर	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	39039
10.	कोलकाता	(1) पश्चिम बंगाल, बिहार उड़ीसा, झारखण्ड	62990
		(2) त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	22692
11.	अहमदाबाद	गुजरात, संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली	49787
12.	दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा	28285
	कुल		380773

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) को धनराशि आबंटन

838. प्रो. एम. रामदास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'डेयर' हेतु धनराशि आवंटन में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाने तथा दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार का विचार कृषि मंत्रालय के परिव्यय का एक प्रतिशत भाग 'डेयर' को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) को कृषि मंत्रालय के परिव्यय का एक प्रतिशत से अधिक तथा वित्तीय वर्षों 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए क्रमशः 32.50 प्रतिशत, 31.91 प्रतिशत तथा 25.34 प्रतिशत वास्तविक परिव्यय लेखा मुहैया किया गया है।

कृषि मजदूरों की दुर्दशा

839. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) ने यह ध्यान दिलाया है कि 450 मिलियन वेतनभोगी कृषि मजदूरों में कई मजदूर घोर गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत में कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार करने तथा इनकी सहायता करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) ऐसे विवरण वाला एक समाचार दैनिक समाचार-पत्र "द हिन्दू" में 14.10.2005 को प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार ने जनता की गरीबी का सम्पूर्ण रूप से आकलन कराया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसओ) के सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार, कुल जनसंख्या का लगभग 26 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने से, बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर गरीबी रेखा से नीचे हैं। तथापि, खेतिहर मजदूरों के बीच गरीबी का अलग से कोई आकलन मौजूद नहीं है।

सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी और गरीबी उन्मूलक/रोजगार सृजक योजनाएं शुरू की हैं जिनमें अन्य लोगों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। ऐसी कुछ योजनाएं हैं: स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) आदि। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना चला रही है। इसके अलावा, खेतिहर मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर के लोगों के बीमा कवर हेतु जनश्री बीमा योजना भी उपलब्ध है। सरकार ने सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना (यू एच आई एस) को भी पुनः तैयार किया है जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ, खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं और इसके लिए एकल व्यक्ति पांच लोगों के परिवार और सात लोगों के परिवार के लिए क्रमशः 165 रुपये से 248 रुपये और 330 रुपये का रियायती वार्षिक प्रीमियम है। इस योजना में 30,000 रुपये प्रति परिवार अस्पताल व्यय, दुर्घटना की वजह से कामगार की मृत्यु कवरेज 25,000 रुपये आदि की व्यवस्था है। हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार के लिए परिसम्पत्ति सृजक सार्वजनिक कार्य के कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक ग्रामीण घर से कम से कम एक व्यक्ति के लिये 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है।

इस्पात उद्योग में निवेश

840. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें निजी, सरकारी क्षेत्र और प्रत्येक विदेशी निवेश का हिस्सा कितना होगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार के भावी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) चूंकि इस्पात उद्योग लाइसेंसमुक्त और नियंत्रणमुक्त है। अतः निजी क्षेत्र के अलग-अलग इस्पात संयंत्र सरकार की मंजूरी लिए बगैर निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा इस्पात उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के मामले में इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सरकार की मंजूरी लिए बगैर अपनी विस्तार योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। सेल ने 35000 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से तप्त धातु के उत्पादन में वर्ष 2012 तक लगभग 22.5 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी प्राप्त करने के लिए एक निगमित योजना (इस्को सहित) तैयार की है। निवेश के लिए धन की व्यवस्था अधिकांशतः सेल के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने 8692 करोड़ रुपए के निवेश से द्रव इस्पात की मौजूदा 3 मिलियन टन क्षमता को वर्ष 2008-09 तक बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए एक विस्तार प्रस्ताव तैयार किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था आरआईएनएल के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी। हाल ही में, सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दी है।

कृषि एवं सिंचाई हेतु आबंटन

841. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई हेतु बजटीय आबंटन में वृद्धि करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र और सिंचाई हेतु राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इस क्षेत्र में वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) 30 जून, 2005 तक किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ङ) आबंटन राशि कितनी कम रही है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) हाल ही में जुलाई, 2005 में कर्नाटक राज्य सहित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे गम्भीरता से अपने राज्यों में नीति संबंधी पैरामीटरों की समीक्षा करें और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य योजना में अधिकतम आबंटन प्रदान करें। आगे इस पर भी बल दिया गया कि जब तक विशेषकर सिंचाई एवं जल-संसाधन प्रबन्धन पनधारा विकास एवं जल/अपरदित भूमि के सुधार और प्रभावकारी विस्तार सेवाओं विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए आवश्यक अवसंरचना के प्रावधान के लिये राज्य स्तर पर कृषि क्षेत्र के निवेश में उचित कदम नहीं उठाये जाते तब तक कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत के लक्षित विकास दर को प्राप्त करना कठिन होगा।

उपरोक्त अनुरोध के अनुसरण में यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु राज्य योजना में बजट संबंधी आबंटन में उचित वृद्धि करेंगी।

(च) केन्द्र सरकार राज्यों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

खाद्यान्नों का प्रति-व्यक्ति उपभोग

842. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग खाद्यान्नों की उपलब्धता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों में खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है; और

(घ) उपभोग के अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000 (55वें दौर में) में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराये

गए नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले लोगों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत 11.90 कि.ग्रा. प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10.66 कि.ग्रा. प्रति माह है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) रहने वाले लोगों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत 14.13 कि.ग्रा. प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 11.59 कि.ग्रा. प्रति माह आंकलित की गई है। देश में वर्ष 1999 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 13.97 कि.ग्रा. प्रति माह थी।

खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार रोजगार सृजन एवं कल्याण स्कीमें कार्यान्वित करती है, ताकि खाद्यान्नों तक जनसंख्या के जरूरतमंद वर्ग की पहुंच में वृद्धि की जा सके। इसमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, लक्षित जनवितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), मध्यावकाश भोजन स्कीम और अन्त्योदय अन्न योजना शामिल हैं।

कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाएं

843. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विपणन अवसंरचना परियोजना में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, जिसमें उनकी इक्विटी 26 प्रतिशत तक हो;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के दायरे में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के क्रियाकलापों जिसमें संग्रहण, सफाई, श्रेणीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, लेबल लगाना, पैक करना, फल पकाने हेतु चैम्बर्स, खुदरा थोक क्रियाकलाप की पूरी श्रेणी आते हैं तथा मूल्यवर्द्धित सुविधाओं को लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय कृषि व्यापार परियोजनाओं के लिए उद्यमीय पूंजीगत सहायता प्रदान करके कृषि व्यापार विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है और ऐसी परियोजनाओं के लिए विस्तृत रिपोर्टें तैयार करने में उत्पादकों के समूह को सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषि-व्यापार परियोजनाओं की स्थापना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आय और रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादकों को सुनिश्चित मण्डी प्रदान करना है। पात्र परियोजनाओं के लिए साम्य पूंजी (इक्विटी) के रूप में उद्यमीय पूंजीगत सहायता परियोजना इक्विटी के 26% अथवा कुल परियोजना लागत के 10% अथवा 75 लाख रुपए इनमें जो भी कम हो, तक मुहैया की जाती है। यह स्कीम इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ (एस.एफ.ए.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इस स्कीम में संग्रहण; सफाई, श्रेणीकरण, गुणवत्ता, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकिंग, फलों की पकाई करने वाले चैम्बरों, खुदरा बिक्री, थोक व्यापार संबंधी कार्यकलाप से संबंधित कृषि व्यापार की व्यापक किस्म की परियोजनाओं और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों तथा बागवानी, पुष्पकृषि, औषधीय तथा सुगन्धी दायक पौधे, लघु वन उत्पाद, रेशम उत्पादन, जैव खेती, वर्मी कम्पोस्ट, मधुमक्खीपालन, बागान फसलों और मात्स्यिकी में मूल्य वर्द्धन सुविधाओं को कवर किया गया है। तथापि, कुक्कुट और डेयरी परियोजनाओं को इस स्कीम में कवर नहीं किया जाएगा।

(ग) यह स्कीम 11.7.2005 से कार्यान्वित कर दी गई है।

[हिन्दी]

सौदा खनन घटना

844. श्री रशीद मसूद: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सौदा खनन घटना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(घ) क्या खनन के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को कोई निदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 15 जून, 2005 (14 जून, 2005 की तीसरी पाली) को हुई केन्द्रीय सौदा खनन दुर्घटना की जांच करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व सचिव, डा. पी.डी. शेनाय की अध्यक्षता में 17 अक्तूबर, 2005 को खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत एक जांच न्यायालय का गठन किया है।

(ख) और (ग) जांच न्यायालय की पहली बैठक 19 और 20 नवम्बर, 2005 को आयोजित की गई। कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई, जांच न्यायालय के परिणामों पर आधारित होगी।

(घ) और (ङ) खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला कम्पनियों के लिए पहले से ही खान अधिनियम, 1952 में मौजूदा सुरक्षा उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अलावा समय-समय पर सुरक्षा निर्देशों के संबंध में परिपत्र जारी करता है।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय को कोल लिंकेज

845. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय स्पंज लौह कंपनियों ने इस्पात मंत्रालय को कोल लिंकेज के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राधिकारियों द्वारा कोल लिंकेज दिये जाने की मनाही के कारण इन इकाइयों को नियंत्रित मूल्य पर कोयला प्राप्त करने के लाभ दिए जाने से मना कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। स्पंज लोहा इकाइयां कोल लिंकेज की मंजूरी के लिए आवेदन करती रही हैं। स्पंज लोहा इकाइयों के लिए इस्पात मंत्रालय में कार्यरत लिंकेज समिति द्वारा अलग-अलग मामलों की जांच करने के बाद लिंकेज मंजूर किए जा रहे थे। तथापि, सरकार द्वारा कतिपय नीतिगत बदलावों पर विचार किए जाने के चलते जनवरी, 2005 से मामलों को स्थगित रखा गया है। दिनांक 3.10.2005 को कोयला मंत्रालय में स्पंज लोहा इकाइयों के लिए एक स्थाई लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) का गठन किए जाने के बाद मामलों की जांच पुनः शुरू कर दी गई है। लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोयले की कीमतों का विनियमन नहीं किया जाता है। लिंकेज के अभाव में स्पंज लोहा इकाइयां अपनी आवश्यकता का कोयला खुले बाजार से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) अब स्पंज लोहा इकाइयों के लिए कोयला मंत्रालय में कार्यरत स्थाई लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) लंबित मामलों को देख रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुरोधों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	63
2.	उड़ीसा	130
3.	झारखंड	45
4.	छत्तीसगढ़	110
5.	आंध्र प्रदेश	21
6.	कर्नाटक	8
7.	मध्य प्रदेश	3
8.	उत्तर प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	8
10.	गुजरात	3
11.	गोवा	1
12.	तमिलनाडु	3

[हिन्दी]

जल क्षेत्र में सम्मेलन

846. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में दिल्ली में राज्य के मुख्य सचिव, सचिवों तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कमान क्षेत्र अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किये गए मुद्दों तथा इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन में दिए गए सुझावों/सिफारिशों का क्रियान्वयन कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां। राज्यों के प्रधान सचिवों। सचिवों (सिंचाई एवं जल संसाधन) और कमान क्षेत्र प्राधिकारियों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन 4 और 5 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

(ख) से (घ) विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय, एआईबीपी के तहत लाए जाने वाले नये परियोजना प्रस्ताव, राज्य सरकारों द्वारा बाजार से केन्द्रीय सहायता का ऋण घटक लेना और एआईबीपी के तहत परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करना शामिल है। इस सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

- भारत निर्माण के तहत शामिल की जाने वाली स्कीमों की पहचान करना और एक 'कार्य योजना' तैयार कर जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
- भारत निर्माण के तहत पहचान की गई स्कीमों के लिए राज्य वित्त विभाग के परामर्श से वित्तपोषण के स्रोतों का उल्लेख करना।
- राज्यों द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापन में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना को पूरा करने के लिए राज्यों को निश्चित समय-सीमा का पालन करना चाहिए।
- सभी गैर-अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
- केन्द्र अन्तर्राज्यीय मुद्दों जैसे हिस्सेदारी-लागत, अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं की प्रगति में बाधा के त्वरित समाधान को सुविधाजनक बनाए।

इस सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए इस ओर राज्यों का ध्यान दिलाया गया है।

[अनुवाद]

इच्छामती नदी में बाढ़

847. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिला में बसीरहाट उप-मंडल में हाल ही में इच्छामती नदी में अचानक आई बाढ़ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उच्च ज्वार के साथ-साथ होने वाले उच्च भूमि निस्सरण के कारण सितम्बर, 2005 के दौरान इच्छामती नदी का स्तर अधिक था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से बसीरहाट क्षेत्र में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया था। नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाने के कारण एक स्थान पर तटबंध में दरार पैदा हुई तथा नाजुक स्थानों में क्षति पहुंची। दरार बंद करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और नाजुक खंडों में पुनरुद्धार कार्य प्राथमिकता आधार पर प्रारंभ कर दिया गया है।

(घ) शून्य।

पी एस यू/सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

848. **श्री रघुनाथ झा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ शिकायतें नियमित मामलों के पंजीकरण हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अग्रेषित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सी बी आई द्वारा इन मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समितियों के कर्मचारियों के खिलाफ लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इनमें से फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फेक्ट) के कर्मचारियों से संबंधित दो शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच के लिए भेजी गई हैं।

(ग) और (घ) सीबीआई ने एक शिकायत पर नियमित मामला दर्ज किया है तथा दूसरे मामले में प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। इस बात को देखते हुए कि इन मामलों की जांच चल रही है, अत: ऐसी स्थिति में कोई खुलासा करना जनहित में नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाओं का उत्पादन

849. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्मित की जा रही दवाओं की खपत का प्रतिशत क्या है; और

(घ) दवा उत्पादन के क्षेत्र में देश के कब तक आत्मनिर्भर बन जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) देश में संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र दोनों ही में औषध और तत्संबंधी मदें बनाने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में प्रचालन में हैं। औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत औषधों के विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों में निहित है। चुनिंदा क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। देश के समूचे औषध बाजार में भारतीय भेषज सेक्टर का हिस्सा अब बढ़कर लगभग 70% हो गया है।

सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक उपायों/प्रोत्साहनों के चलते उत्पादन, गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में फार्मा सेक्टर पर खासा प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के विनिर्माण हेतु नए निवेश, आर एंड डी कार्यों के लिए सुविधाओं की स्थापना, वैश्विक विनियमों के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता तथा सबसे महत्वपूर्ण घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा लागत प्रभावी तरीके से दुनिया भर में बहुत से स्थानों को निर्यात किया गया है। देश अधिकांश औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यह जरूरी नहीं है कि औषधों का आयात देश में उत्पादन की कमी से संबंधित हो, क्योंकि विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न कारणों यथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते औषधों की उपलब्धता, विदेशों में अपनी मूल कंपनी से अधिप्राप्ति से संबंधित आयातों के चलते ऐसा किया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा

850. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा छोटे, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, बीमा, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में किसानों के जीवनस्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) अन्य लोगों के साथ-साथ कृषि कामगार वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा स्कीमों के तहत लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्कीम के तहत 65 वर्ष और इसके ऊपर आयु वर्ग के व्यक्ति पेन्शन पाने के पात्र हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत परिवार में पोषणकर्त्ता की मृत्यु की स्थिति में 10,000 रु. की सहायता उपलब्ध है। जनश्री बीमा योजना गरीबी रेखा के नीचे या उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर रहने वाले व्यक्तियों और कृषि मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करती है। गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों को पुनर्सृजित सर्वव्यापक स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी उपलब्ध है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि मजूदर शामिल हैं जिसमें क्रमश: एक व्यक्ति के लिए, पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए और सात सदस्यों के एक परिवार के लिए 165 रुपये, 248 रुपये और 330 रुपये की राजसहायता प्राप्त वार्षिक प्रीमियम का प्रावधान है। स्कीम में फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 30,000 रुपये तक के हास्पिटेलाइजेशन खर्च की वापसी, दुर्घटना के कारण कामगारों की मृत्यु का कवरेज (25,000 रु.) आदि का प्रावधान है।

हाल ही में कृषि मजदूरों सहित विशेषकर समाज के गरीब और संवेदनशील वर्गों को समेकित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है।

(घ) किसानों के आय के स्तर को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को और गतिशील बनाने के लिए सरकार ने कई पहलों की शुरूआत की है जिसमें शामिल हैं:- (1) किसानों के संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाना और सरकारी ऋण ढांचे का सुदृढ़ीकरण; (2) गुणवत्ता वाले आदानों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना; (3) कृषक अनुकूल मांग आधारित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा; (4) बागवानी/क्रियाकलापों सहित उच्च मूल्य वाली फसलों का त्वरित विविधीकरण; (5) अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण; (6) सूक्ष्म सिंचाई के जरिए उपलब्ध जल संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को अपनाना और शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की दीर्घकालिकता का संवर्धन; (7) कृषि मंडियों और फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग में सुधार, और (8) किसानों के लिए जोखिम प्रबन्धन तंत्र के व्यापक ढांचे की शुरूआत।

बाघ कृतिक बल की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा

851. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघ कृतिक बल की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रियान्वयन प्रक्रिया में कोई खामी पायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। बाघ टास्क फोर्स की सात तत्काल सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन्हें कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में बहुविषयक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

बाघ अभ्यारण्यों के संबंध में कृतक बल रिपोर्ट

852. श्री सुरेश कुरूप: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाघ अभ्यारण्यों की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए गठित कृतक बल द्वारा प्रधानमंत्री को प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) कृतक बल द्वारा किस प्रकार की तत्काल और दीर्घ अवधि योजना का सुझाव दिया गया है; और

(ग) भारतीय वातावरण के मद्देनजर उन स्थानों पर बाघों की सुरक्षा के लिए जहां पर जंगलों में न सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं बल्कि लोग भी रहते हैं, वहां के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) बाघ टास्क फोर्स रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं-

(1) प्रशासन संस्थानों को पुन: सुदृढ़ करना।

(2) बाघ संरक्षण के अनुकूल प्रयासों को सुदृढ़ करना, अवैध शिकारों को रोकना, वन्यजीव अपराधियों को दोषी सिद्ध करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क को समाप्त करना।

(3) बाघों के लिए अनुल्लंघनीय क्षेत्रों में मानव दबाव को कम करते हुए इनका विस्तार करना।

(4) सह-अस्तित्व की कार्यनीति तैयार करके बाघों के पर्यावास स्थलों का प्रयोग करने वाले स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को सुधारना।

(5) लोगों के वन, जल और घासभूमि के आर्थिक निवेश द्वारा बाघ सुरक्षित क्षेत्रों की सीमा में वन पर्यावास स्थलों का पुनरुद्धार करना।

(ख) बाघ टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश की गई तत्काल कार्रवाई (दीर्घकालीन सहित) जिनको कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बाघ रिजर्वों और उसके आसपास तथा अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लाभ के लिए पारि-विकास को वन्यजीव संरक्षण के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों" का विकास के साथ ही साथ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की बाघ परियोजना में शामिल किया गया है।

विवरण

कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

1. प्रधानमंत्री को 2 से 3 वर्षों के लिए बाघ परियोजना की संचालन सिमति की अध्यक्षता करने का अनुरोध।

2. बाघ परियोजना निदेशालय को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक कानूनी प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे इसको अधिक स्वायत्तता मिलेगी और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बिठाना सक्षम हो जाएगा।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत शीघ्र ही एक वन्यजीव अपराध ब्यूरो की स्थापना की जाए।

4. बाघों एवं उनके वास स्थलों की अगली गणना (नवम्बर में योजित) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सुझाव दी गई और टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृत नई प्रणाली का प्रयोग करके की जानी चाहिए। एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में छह माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जो विभिन्न मानदण्डों के आधार पर राज्य की प्रगति का मूल्यांकन करेगी।

5. मुख्य बाघ वास स्थलों से ग्रामों के पुनर्वास को इसकी वित्तीय और संभारणीय बाधाओं के साथ एक वर्ष के भीतर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए और 2-3 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

6. प्रत्येक बाघ रिजर्व द्वारा एक वर्ष के भीतर सह-अस्तित्व के लिए योजना तैयार की जाएगी ताकि स्थानीय समुदायों के साथ संरक्षण के लाभों को बांटा जा सके।

7. टास्क फोर्स की सिफारिशों का प्रयोग करके स्थानीय समुदायों के साथ पर्यटन के लाभों की हिस्सेदारी।

मूंगफली का उत्पादन

853. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और उसके पश्चात् देश में मूंगफली का कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ख) देश में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) देश में 2002-03 से 2005-06 तक के दौरान मूंगफली का उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन में)
2002-03	41.21
2003-04	81.82
2004-05	70.24 (चौथा अग्रिम अनुमान)
2005-06	59.43 (पहला अग्रिम अनुमान - खरीफ)

(ख) और (ग) भारत सरकार देश में मूंगफली सहित तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के विचार से 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित "तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम" (आइसोपाम) का कार्यान्वयन कर

रही है। स्कीम के अंतर्गत किसानों को मूंगफली सहित तिलहनों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों का वितरण, पौध संरक्षण रसायनों का वितरण, पौध संरक्षण उपस्करों, खरपतवार नाशियों, रिजोबियम कल्चर/फास्फेट विलेय बैक्टीरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट का वितरण, छिड़काव सेटों और जल वाहिका पाइपों के वितरण इत्यादि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों संबंधी सूचना का प्रचार करने के लिए खंड प्रदर्शन और समेकित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) प्रदर्शन राज्य कृषि विभागों के माध्यम से और प्रत्यक्ष प्रदर्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं।

चावल खरीद संबंधी मानदंडों में छूट

854. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ भागों में विलम्बित तथा निरंतर होने वाली मानसूनी वर्षा के कारण कुछ राज्यों में धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चावल खरीद हेतु निर्धारित मानदण्डों में छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई सहायता/रियायत दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) देश के कुछ भागों में देरी से तथा लगातार हुई वर्षा से खरीफ फसल के प्रभावित होने के कारण कुछ राज्य सरकारों ने खरीफ खाद्यान्नों की वसूली के लिए एक समान विनिर्दिष्टियों के मानदण्डों में ढील देने का अनुरोध किया है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अनुरोध पर खरीफ विपणन मौसम 2005-06 के लिए चावल की विनिर्दिष्टियों में निम्नलिखित ढील दी गई है।

पंजाब

रा चावल ग्रेड 'ए' तथा साधारण दोनों के मामले में उनमें चावल के क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों के रूप में अधिकतम 2% की मौजूदा सीमा की तुलना में 3% तक की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त 3% क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों से ऊपर 1% की सीमा तक पिन प्वाइंट क्षति वाले चावल को भी कस्टम मिल्ड चावल तथा लेवी चावल दोनों के लिए स्वीकार किए जाने की अनुमति दी गई है। कस्टम मिल्ड चावल के लिए आउट-टर्न अनुपात को रा तथा सेला चावल के मामले में क्रमशः 67% तथा 68% की मौजूदा सीमा से कम कर क्रमशः 66% तथा 67% कर दिया गया।

हरियाणा

रा चावल ग्रेड 'ए' तथा साधारण दोनों के मामले में उनमें चावल के क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों के रूप में अधिकतम 2% की मौजूदा सीमा की तुलना में 3% तक की अनुमति दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के तहत वसूल किए गए धान की मिलिंग की जा सके। इसके अतिरिक्त 3% क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों से ऊपर 1% की सीमा तक पिन प्वाइंट क्षति वाले चावल को भी कस्टम मिल्ड चावल तथा लेवी चावल दोनों के लिए स्वीकार किए जाने की अनुमति दी गई है। कस्टम मिल्ड चावल के लिए आउट-टर्न अनुपात को रा तथा सेला चावल के मामले में क्रमशः 67% तथा 68% की मौजूदा सीमा से कम कर क्रमशः 66% तथा 67% कर दिया गया।

मध्य प्रदेश

ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए धान से प्राप्त रा चावल के आउट टर्न अनुपात को 1% कम कर उसे मौजूदा 67% से 66% कर दिया गया है।

जल संसाधनों हेतु विदेशी सहायता

855. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में जल संसाधनों के विकास के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए संघ सरकार द्वारा गुजरात सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने पूरी राशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों में जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तपोषण अभिकरणों से प्राप्त सहायता राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के योजना आबंटनों में प्रावधान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। किए गए व्यय की बाद में प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्व बैंक

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	समझौता/पूरा करने की तारीख	मिलियन डोनर करेन्सी में सहायता की राशि	के दौरान प्राप्त संवितरण 2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III सीआर 2952-आईएन एलएन-4166-आईएन	03.06.1997 31.07.2004	108.100 एसडीआर 130.00 अमेरिकी डालर	38.290	11.317
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) एलएन-4360-आईएन	04.02.1999 31.3.2006	170 अमेरिकी डालर	28.02	14.33
3.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर 3635-आईएन	06.06.2002 31.1.2009	80 एसडीआर	1.500 (2.160 यूएसडी)	3.740
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एलएन 4750-आईएन	11.1.2005 31.3.2011	394.02 यूएसडी	-	21.97

1	2	3	4	5	6	7
5.	उड़ीसा	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर 2801-आईएन	05.01.1996 31.3.2004	194.800 एसडीआर	19.096	11.76
6.	राजस्थान	राजस्थान क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर 3603-आईएन	15.3.2002 31.3.2008	110 एसडीआर	3.475	12.303
7.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर 2745-आई	22.09.1995 31.3.2004	161.900 एसडीआर	9.884	5.894
8.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर. 3602-आईएन	08.03.2002 31.10.2007	117 एसडीआर	1.568	7.698
9.	बहुराज्यीय	जल विज्ञान परियोजना*	22.9.1995 31.12.2003	75.1 एसडीआर	6.645	-

यूरोपीयाई आर्थिक समुदाय-अनुदान

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समझौता/पूरा करने की तारीख	सहायता राशि मिलियन यूरो में	के दौरान प्राप्त संवितरण (मिलियन यूरो में)	
					2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
10.	उड़ीसा	उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	03.07.1995 31.12.2004	10.700 यूरो	2.366	-
11.	पांडिचेरी	टैंक पुनर्वास परियोजना	21.02.1997 31.12.2004	6.650 यूरो	-	0.557
12.	महाराष्ट्र	क्षारीय भूमि सुधार परियोजना-II	11.7.1995 31.12.2005	15.500 यूरो	-	-

द्विपक्षीय सहायता
(जेबीआईसी जापान ऋण)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समझौता/पूरा करने की तारीख	सहायता राशि मिलियन यूरो में	के दौरान प्राप्त संवितरण	
					2003-04	2004-05
13.	आंध्र प्रदेश	कुर्नुल कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण	25.01.1996 26.02.2005	(ट्रेंच-1) 16049	4325.92	2350.79
				(ट्रेंच-2) 4773	-	826.313
14.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना	25.02.1997 29.05.2006	13222 येन	1686.264	1385.984
15.	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना	12.12.1997 31.12.2004	(टेंच-1) 6844.227	1193.941	819.678
				(ट्रेंच-2) 6342	-	177.318
जर्मनी-ऋण						
16.	महाराष्ट्र	लघु सिंचाई परियोजना	31.12.1998 30.12.2006	23.008 यूरो	1.360	0.731
17.	उड़ीसा	लिफ्ट सिंचाई परियोजना**	19.02.1993 30.06.2003	28.121 यूरो	0.018	0.014
18.	हिमाचल प्रदेश	लघु सिंचाई एवं जल आपूर्ति परियोजना	31.10.2002 31.12.2005	5.20 डीएम	*	*
फ्रांस-ऋण						
19.	गुजरात	हाइड्रोप्लस फ्यूसगेट प्रणाली***	10.12.1998 30.06.2004	5.399 यूरो	0.137	0.087
नीदरलैंड-अनुदान						
20.	केरल	केरल समुदाय सिंचाई परियोजना	17.12.1993 11.12.2002	1.057 यूरो	0.022	0.00
21.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश नलकूप परियोजना	14.11.1994 31.3.2002	10.722 यूरो	0.788	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	बुंदेलखंड एकीकृत जल विकास परियोजना	12.6.1996 31.3.2003	1.270	0.330	0.00

*वितरण में तकनीकी सहायता नहीं दर्शायी गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

स्थगन प्रस्ताव

इराक में संयुक्त राष्ट्र के "तेल के बदले अनाज" कार्यक्रम में गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कुछ भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों की संलिप्तता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे "संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार इराक में संयुक्त राष्ट्र के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में संलिप्त भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा उचित कार्यवाही करने में विफल रहने और इन गम्भीर अपराधों पर पर्दा डालने के प्रयासों" के बारे में सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी और जार्ज फर्नांडिस से स्थगन प्रस्ताव के दो नोटिस प्राप्त हुए हैं।

मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्हें बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रस्ताव को निम्नलिखित रूप में लाने की अनुमति दे दी है:-

> "इराक में संयुक्त के 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम के गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कथित रूप से संलिप्त भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में बताया गया है, के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने में केन्द्रीय सरकार की विफलता और इन गंभीर अपराधों को ढकने में उसके प्रयास।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी अब सभा से अनुमति ले सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस स्थगन प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है किन्तु मैंने कल आपको एक पत्र लिखा था और मैंने यह कहा था कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर इस सभा में वाद-विवाद उद्देश्यपूर्ण, वास्तव में तथ्यपरक और देश एवं सभा को जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा शायद, वोल्कर समिति से हमारे विशेष दूत को प्राप्त पत्रों की भी आवश्यकता पड़े। उन्होंने स्वयं ही न्यूयार्क में जनसंचार माध्यमों को कहा था कि सभी संबंधित पत्र अनिवार्य दस्तावेज हैं। यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया था।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सुझाव देता हूं कि अनुमति मिलने के बाद आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने वे कागजात प्राप्त किए हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैं औपचारिक रूप से केवल प्रक्रिया से चलूंगा। आप केवल औपचारिक रूप से सभा की अनुमति मांगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं "इराक में संयुक्त राष्ट्र के 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम के गैर-संविदागत लाभभोगियों के रूप में कथित रूप से संलिप्त भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों जैसाकि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में बताया गया है, के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने में केन्द्र सरकार की विफलता और इन गंभीर अपराधों को ढकने में उसके प्रयास" के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसको अनुमति दिए जाने पर कोई विरोध है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, चूंकि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में इस पर निर्णय लिया जा चुका है। मैं औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अंतर्गत, स्थगन प्रस्ताव पर 16.00 बजे अथवा इससे पहले चर्चा की जाएगी। नियम 62 के तहत इस पर चर्चा के लिए कम से कम 2 घंटे और 30 मिनट का समय आबंटित किया जाता है। इस प्रस्ताव पर कागजात आदि प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद चर्चा की जा सकती है। यह रोजाना के मामलों के निपटान के बाद शुरू होगी। मेरे विचार से सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं सरकार की प्रतिक्रिया चाहता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, वह एक पृथक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे पहले ही उठा चुके हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: आप इस प्रश्न को उठाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, मैं इसे पहले ही उठा चुका हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी: तो, मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय। कल जब मैं कोलकाता में था, तो मेरी आपसे टेलीफोन पर बात हुई जिसमें आपने मुझे माननीय विपक्ष के नेता की इस मांग के बारे में सूचना दी कि उन सभी कागजातों जो विशेष दूत ने वोल्कर समिति से प्राप्त किए हैं, को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। मेरे कोलकाता से वापिस आने के तुरंत बाद, आपने उदारता का परिचय देते हुए, मुझे इस पत्र की प्रति भिजवाई जो विपक्ष के नेता ने आपको भेजा है और मैंने उनका जवाब दिया। मैंने उल्लेख किया कि श्री वीरेन्द्र दयाल को इस सच्चाई का पता लगाने हेतु जांच प्राधिकारी जस्टिस पाठक की सहायता के लिए सामग्री और दस्तावेज एकत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों के साथ संपर्क करने के लिए एक विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कागजातों को वोल्कर समिति द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया। जिसके अधिकारी श्री दयाल के साथ गए। ये कागजात प्रवर्तन निदेशालय के कानूनी कब्जे में है और विश्लेषण तथा जांच के पश्चात्, इन्हें केवल जस्टिस पाठक को उनकी जांच और आवश्यक कार्रवाई के उद्देश्य के लिए सौंपा जाएगा। जस्टिस पाठक जांच समिति के अलावा कोई भी व्यक्ति जांच समाप्त होने तक इन कागजातों को जांचने का पात्र नहीं है। विनीत नारायण मामले और कुछेक अन्य मामलों में फैसलों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांचकर्त्ता एजेंसियां जांच के मामलों में किसी प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नहीं आती और केवल कानून तथा न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः, जांच के पूरा होने से पहले, इन सामग्रियों और दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उस पर परदा डालना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: कृपया मुझे बात पूरी करने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। उन्हें बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: सविनयपूर्वक, मैं यह बताना चाहता हूं इसे नियम 188 में होने के कारण यह व्यवस्था है कि जो मामला विचाराधीन या जांच आयोग की जांच के अधीन हो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक प्रावधान है तथा उस उपबन्ध के तहत आपको अनुमति दी गई है तथा आपने इसे स्वीकार किया है। लेकिन यह इतनी आसानी से संभव नहीं है क्योंकि जांच अधिकारियों के अलावा प्रशासन में किसी के पास कोई प्राधिकार नहीं है। उनका काम न्यायमूर्ति पाठक के अधीन गठित जांच प्राधिकरण की सहायता करना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम तो केवल उन कागजातों को सभापटल पर रखने की मांग कर रहे हैं जिनकी सारी दुनिया को जानकारी है।

[हिन्दी]

यह सारी दुनिया को मालूम है, यह पेपर्स क्यों न रखे जाएं। ...*(व्यवधान)* हम पहले ही कह रहे हैं कि वह कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विपक्ष के नेता की बात सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष स्पष्टतः स्वीकार करता हूं कि जब मैं यह पत्र लिख रहा था तो कुछ साथियों ने सुझाव दिया था कि अंततः हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अमुक-अमुक पर छापा मारा है। जिनका नाम हमदान तथा अन्दलीव सहगल आदि हैं। क्या आप उनकी मांग नहीं कर सकते? मैंने कहा; 'नहीं'। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह काम किया है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक जांच प्राधिकरण है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपना काम किया है। लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री ने विशेष दूत को भेजकर वोल्कर समिति से मिलने तथा संबंधित आवश्यक दस्तावेज लाने के लिए कहा है। अब, मैं समझता हूं कि इसमें अन्तर है। लेकिन क्या प्रवर्तन निदेशक भी उनके साथ गए थे, इस बात को मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि उन्होंने ही न्यूयार्क में प्रेस से कहा था तथा वहां वोल्कर समिति से बातचीत करते हुए न्यूयार्क में एक सप्ताह का समय बिताया था। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इन दस्तावेजों को वोल्कर समिति रिपोर्ट का एक भाग क्यों नहीं माना जाए। क्योंकि वोल्कर समिति स्वयं ये सभी दस्तावेज अनेकों देशों से संबंधित हजारों दस्तावेज नहीं देती। इसलिए श्री विरेन्द्र दयाल

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

को हमें उसके पास अलग से भेजना पड़ा। मैं समझता हूं कि यदि सरकार तथा पार्टी भी गंभीर है, पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम सच्चाई का पता लगाने के लिए गंभीर है तो इस दस्तावेजों को संसद को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

मुझे यही कहना है। मैं उनसे इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहूंगा। यह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का मामला नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम आपसे एक स्पष्ट टिप्पणी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं अपनी टिप्पणी दूंगा।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, सविनयपूर्वक, मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री दयाल को पाठक जांच प्राधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह प्रधानमंत्री की सहायता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई का पता लगाने के लिए है। सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच प्राधिकरण की नियुक्ति की गई थी तथा श्री दयाल को जांच प्राधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री दयाल की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वे संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली से पूर्णतः वाकिफ हैं। वे महासचिव के अधीन स्थाई अवर सचिव रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थाई सदस्य रहे हैं। इसलिए, वे 'संयुक्त राष्ट्र' प्रणाली से वाकिफ हैं। उनका काम न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण की सहायता करना है न कि प्रशासन की सहायता करना, सच्चाई को जानना है या कुछ सूचनाएं प्राप्त करना है। इसलिए इसका यही साधारण अर्थ है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो बात कही है, उसमें समीक्षा का प्रश्न नहीं है। भारत के इतिहास में यह पहली घटना है कि जब एक सरकारी पार्टी पूरी की पूरी जांच के घेरे में आ गई है। यह सदन *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया केवल दस्तावेजों के बारे में बात करें। मेरिट पर बोलने की बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: इसलिए मैं पेपर के बारे में कहना चाहता हूं कि पेपर की समीक्षा यह सदन न करे लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए सदन के संज्ञान में सारे डाकूमेंट्स ले जायें तो इसमें पार्टी और इस सदन का और उस दस्तावेज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए सदन के संज्ञान में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति और एक पद पर रहने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि पार्टी के आला पद पर बैठने वाले लोगों *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप डाकुमेंट्स के बारे में बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर बोल रहा हूं। जब बोलेंगे तभी बतायेंगे। मुझे आपके माध्यम से इस सदन को हकीकत बतानी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि मुझे किसी की सहायता की जरूरत होगी तो मैं आपसे कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस देश को हकीकत जाननी चाहिये, दुनिया को हकीकत जाननी चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई बार इस सदन में ऐसे सवाल उठे हैं जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित होते हैं। अगर इस सदन में वे पेपर्स नहीं लाये जाते हैं तो ये कागज ऐसे हैं जिनके माध्यम से सच्चाई न केवल इस देश को बल्कि दुनिया को जाननी है। उन कागजात को छिपाने का मतलब यह होगा कि सरकार दोषी लोगों को सजा कम दे रही है, दोषी व्यक्तियों को संरक्षण दे रही है। हो सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे नहीं कह सकते, मुझे खेद है। आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मुझे मेरा विनिर्णय देना है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं, उधर यह बीमारी क्यों हो जाती है?

अध्यक्ष महोदयः आप इसे छोड़िये।

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, जरा इनकी बीमारी को ठीक कीजिये।

अध्यक्ष महोदयः हम आपका आदर करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया हर बात को अच्छी भावना से लें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम मैरिट पर नहीं जाना चाहते हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि इस कागज को सदन में रखने से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और देश पूरी हकीकत जान जायेगा। इसलिये हम। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह उनके लिए सलाह है, मेरे लिए नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या आपकी बात पूरी हो गई?

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, कहां हो गई? टोका-टाकी में जो भी था, वह भी खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदयः आप ब्रीफ में समरी दीजिये।

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमें दो मिनट फ्री तो दीजिये। हल्ला बंद कराइए, तब हम बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे क्या फायदा हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह जो कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): **अध्यक्ष महोदय**, हम* नाम ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह **बहुत ही** आपत्तिजनक है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः दोनों ही पक्षों का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी दलों के माननीय सदस्यों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कुछ टिप्पणियों से आपके नेताओं की स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम चाहते हैं कि आप इस पर अपनी आब्जर्वेशन दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आब्जर्वेशन देने का मौका तो दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंहः आप हम लोगों के संरक्षक हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, इसलिए जो भी कागजात हैं, उन्हें आप सदन में मंगवाइये, ताकि सदन के माध्यम से देश जान सके कि इसमें कौन-कौन से लोग हैं, वे बड़े हैं या छोटे हैं, उन सबकी कलई खुल जाए। इसलिए ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री किरिप चालिहा कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसमें पर्दे के पीछे बहुत लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये, आपकी बात आ गई।

श्री प्रभुनाथ सिंह: कुछ लोग सामने आ गए हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं। हम चाहते हैं कि पर्दे के पीछे के लोगों का नाम भी इसमें खुलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हो गई।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सरकार ने उनकी नियुक्ति की है, अत: ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। वस्तुत: जहां तक मुझे याद है तथ्यों का पता लगाने के लिए पहले श्री वीरेन्द्र दयाल को नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात् ही न्यायमूर्ति पाठक को न्यायिक आयोग के रूप में लाया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): उन्हें केवल दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, पर सही है। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक आयोग की भूमिका के बीच अंतर है। अपने भाषण के दौरान मैं इस पर चर्चा करूंगा। परन्तु जहां तक श्री वीरेन्द्र दयाल का संबंध है, इसका संबंध न्यायमूर्ति पाठक द्वारा की जा रही जांच से है और उस आधार पर यह कहा जाता है कि इसे दिया नहीं जा सकता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले इसका उत्तर दिया जाए। सभा के नेता ने इस तथ्य का हवाला दिया कि प्रवर्तन निदेशक उनके साथ थे और उस आधार पर कहा जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों को हम नहीं दे सकते। मैंने स्वयं माना था कि जब सीबीआई ने यहां छापे मारे थे तो मैं दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकता था। वह एक अलग मामला है। परन्तु इस मामले में श्री वीरेन्द्र दयाल को सरकार की इच्छा से यह पता लगाने के लिए कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट अथवा दस्तावेजों में ऐसा क्या है, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी तथा श्री नटवर सिंह के नाम लेने पड़े, वे यह सभी दस्तावेज लाए। यदि वे दस्तावेज सभा में उपलब्ध नहीं किए जाते तो क्या सभा के लिए यह अनुचित नहीं होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मुझे बोलने का एक अवसर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री येरननायडु, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

माननीय सदस्यों, उनके स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में विपक्ष के माननीय नेता ने एक तर्क दिया है। मैंने उसे दो-तीन बार सुना है। यह विपक्ष की राय है। मैं अपने विचार रखता हूं।

यह सही है और हमारे नियमों में विशेष रूप से उल्लिखित है कि जब कोई मामला किसी न्यायालय अथवा किसी जांच आयोग अथवा जांच प्राधिकरण के समक्ष होता है तो इस पर सभा पटल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह सामान्य नियम है। परन्तु एक उपबंध है जिसमें अध्यक्ष को विवेकाधिकार दिया गया है। मैंने चर्चा कराने के लिए अपने इस विवेकाधिकार का प्रयोग किया क्योंकि देश अथवा विपक्ष में मेरे मित्र इस पर वाद-विवाद की मांग कर रहे थे। मामले के महत्व को देखते हुए ही मैं इसके लिए तैयार हुआ हूं। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच आरंभ होने के बावजूद यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सभा-पटल पर चर्चा की जा सकती है। मुझे ऐसा बताया गया है।

इसलिए, जांच आयोग द्वारा मामला हाथ में लेने के बाद, हम आमतौर पर मामले पर चर्चा नहीं करते। परन्तु एक बार जब जांच का गठन कर दिया गया तथा उन्हें दस्तावेज सौंप दिए गए हैं तो मैं समझता हूं कि इस समय इस मामले पर जोर नहीं डाला जाना चाहिए। जब भी कोई रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ ही रिपोर्ट भी सभा में प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात्, सभा उस पर फिर से चर्चा कर सकती है। वैसे भी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत मैं विरोधी अथवा समर्थक किसी दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने के लिए सरकार को निर्देश दे सकूं।

इस स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए पहले की माननीय अध्यक्षपीठों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जांच समिति पहले ही अपना कार्य शुरू कर चुकी है और समिति की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाएगी। माननीय सदस्य को सभा में इस मामले के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं विपक्ष के माननीय नेता के अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके निवेदन को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के बाद कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। नहीं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप डायरैक्शन नहीं दे सकते है पर सरकार द्वारा इसको छिपाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी यही टिप्पणी है। आप अपनी बात कह सकते है। मैं आपको नहीं रोक रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, हम केवल पत्रों को रखने का अनुरोध कर रहे है। वे पत्रों को सभा पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने वक्तव्य में अपनी बात कह सकते है।

बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सभा-पटल पर दस्तावेज रखे जाएंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.21 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1445(ङ) जो 1 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 2005-2006 के रबी मौसम के दौरान उसमें उल्लिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की सप्लाई को दर्शाने वाला आदेश निहित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2864/2005]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्रों को रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2865/2005]

अपराह्न 12.211/4 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): महोदय, मैं "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का कार्यकरण" के बारे में

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.21½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सत्तरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कार्मिक नीति के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के तिरासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति के एक सौ सत्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.23 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी की हत्या

[अनुवाद]

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)**: मुझे सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी श्री मणियप्पन रमण कुट्टी की दर्दनाक हत्या के संबंध में शोकाकुल हृदय से यह बयान देना पड़ रहा है। श्री कुट्टी अफगानिस्तान में जरांज-देलारम सड़क परियोजना में चालक के पद पर कार्यरत थे। सीमा सड़क संगठन अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है। यह सड़क अफगानिस्तान के विकास तथा वहां के लोगों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कोई इस सड़क का विरोध करेगा तथा इस पर कार्य कर रहे लोगों को धमकाएगा। सरकार को श्री मणियप्पन रमण कुट्टी जो अफगानिस्तान में सेवा के दौरान मारे गए, की मृत्यु से गहरा धक्का लगा है और दुःख पहुंचा है। वे सीमा सड़क संगठन के ईमानदार और समर्पित कर्मचारी थे।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2866/2005

श्री मणियप्पन रमण कुट्टी का तीन अफगान नागरिकों के साथ 19 नवंबर, 2005 को अपहरण कर लिया गया था। यह समाचार मिलते ही काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने अफगान अधिकारियों के साथ तत्काल संपर्क स्थापित किया और अपहरण किए गए लोगों के बारे में पता लगाने तथा उनकी सुरक्षित और सलामती के साथ रिहाई के लिए उनकी सहायता मांगी। अगले दिन 20 नवंबर, 2005 को तालिबान ने इस अपहरण की जिम्मेदारी ली और सीमा सड़क संगठन को 48 घंटे के भीतर अफगानिस्तान से हटाने की मांग की और ऐसा न करने पर भारतीय बंधक की हत्या कर देने की धमकी दी।

यह बात एक समाचार एजेंसी को टेलीफोन के जरिए कही गई तथा अपहरणकर्त्ताओं ने न तो दूतावास से और न ही सीमा सड़क संगठन से संपर्क करने का कोई प्रयास किया। अफगान सरकार भी उनसे संपर्क साधने में नाकाम रही।

मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अफगान अधिकारियों के सहयोग से श्री मणियप्पन रमण कुट्टी की सुरक्षित रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए। राष्ट्रपति करजई ने एक विशेष मंत्रिमंडल बैठक बुलाकर तथा इस संकट से निपटने के लिए एक कार्य दल का गठन करके इस कार्य को स्वयं अपने हाथ में लिया।

दिल्ली में प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इस घटनाक्रम पर नजर रखी। उनके अनुदेशों पर, मंत्रिमंडल सचिव के अधीन एक समूह, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा तथा सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं, का गठन किया गया था ताकि नियमित आधार पर गतिविधियों की मानीटरी की जा सके। श्री मणियप्पन रमण कुट्टी के परिवार से भी सम्पर्क किया गया था ताकि इस मुसीबत के समय उन्हें सहायता तथा सांत्वना दी जा सके।

22 नवम्बर, 2005 को देर शाम कुछ समाचार एजेंसियों ने सूचना दी कि उन्हें तालिबान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कुछ लोगों से टेलीफोन कालें प्राप्त हुई थी जिसमें भारतीय बंधक की हत्या करने की बात कही गयी थी। दूसरे दिन इस समाचार की पुष्टि हो गई जब श्री मणियप्पन रमण कुट्टी का शव देलारम के निकट बरामद हुआ। सरकार ने उनके शव को अंतिम संस्कार किए जाने हेतु उनके गृह नगर भेजने की व्यवस्था की।

तालिबान तथा उसके समर्थक इस क्रूरतापूर्ण कार्य के परिणामों के लिए जिम्मेवार होंगे। ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार अफगानिस्तान के आर्थिक विकास तथा उसे एक स्थिर एवं खुशहाल देश बनाने के प्रयासों में उसे समर्थन तथा सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान में सभी भारतीयों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगानी प्राधिकारियों के संपर्क में हैं। हमने संबंधित मंत्रालयों तथा एजेंसियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है। हमारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के नेतृत्व में एक टीम अफगानिस्तान जा रही है।

एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ इस अमानवीय तथा बर्बर कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। श्री मणियप्पन रमण कुट्टी भारत-अफगान मैत्रीपूर्ण परियोजना पर नितांत समर्पण भाव से कार्य कर रहे थे। उनकी असामयिक मृत्यु से सीमा सड़क संगठन तथा देश को नुकसान हुआ है। भारत-अफगान मैत्री के लिए उनके इस सर्वोच्च बलिदान का हम सम्मान करते हैं। उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्वों को हम हार्दिक संवेदना देते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी आजीविका तथा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। परिवार को मुआवजे तथा लाभों के रूप में लगभग 9 लाख रुपए और साथ ही श्री मणियप्पन रमण कुट्टी के दो बच्चों को माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा तथा इसके अतिरिक्त दिवंगत कर्मचारी की पत्नी श्रीमती पी. बिंदू को उदारीकृत परिवार पेंशन दी जाएगी।

मैं सभा को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम अपने सभी नागरिकों की संरक्षा तथा सुरक्षा को अत्यंत महत्व देते हैं तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए हम कोई भी जरूरी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है। परन्तु विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। नियम काफी कड़े हैं। आचार्य जी कृपया उन्हें समझाएं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कौन कह रहा है कि चर्चा नहीं होगी। ऐसे बैठे रहने से चर्चा नहीं होती है, इसके लिए नोटिस देना होता है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरी खुद की भी भावनाएं हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तालिबान के इस अमानवीय तथा बर्बरतापूर्ण कार्य की निंदा करने में सदन के नेता का समर्थन करता हूं। मैंने आज सुबह समाचारपत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह कहा गया है कि इस कायरतापूर्ण कार्य में पाकिस्तान का हाथ है। यदि ऐसा है तो यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। मेरे पास ऐसा करने का उस प्रेस रिपोर्ट के अलावा कुछ भी आधार नहीं है। हम पाकिस्तान से काफी लम्बे समय से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते रहे हैं। उस समय से जब वे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी करने पर सहमत हुए थे कि वे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान से किसी प्रकार का आतंकवाद चलने नहीं देंगे। अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के विरुद्ध यह कार्य एक गम्भीर मामला है। यह भारत के विरुद्ध है। साथ ही यह भारत और अफगानिस्तान की मित्रता में फूट डालने का एक प्रयास है। मैं वक्तव्य में कही गई सभी बातों का समर्थन करता हूं पर यह कहूंगा कि सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि क्या वक्तव्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा तथाकथित वक्तव्य में कोई मतलब की बात है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, श्री राधाकृष्णन! आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप परिवार के साथ सहानुभूति जताना चाहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने नोटिस दिया है। विदेश के काम करने वाले मलयाली सहित लोगों के जीवन की सुरक्षा अब खतरे में है।

अध्यक्ष महोदय: सभी भारतीय लोगों की।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां मलयालियों सहित सभी भारतीयों की।

अध्यक्ष महोदय: मलयाली भी भारतीय ही हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां। मैं सरकार का ध्यान एक विशिष्ट तरीके में आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार ने पहले ही ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है और यह हम सभी जानते हैं। एक ऐसे मामले में भी जहां पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी। यदि यह मामला है तो प्रधानमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करके निर्दोष मलयाली की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा किया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इतना ही नहीं। हमारे पास पहले ऐसे मामले भी है जहां हमने जेल से कैदियों को छोड़कर तालीबान के समक्ष पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय: केवल आवाज उठाने से ही कोई बात नहीं बनेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केन्द्र सरकार का अफगान सरकार से हस्तक्षेप करके श्री कुट्टी को बचाने के लिए कहना बुद्धिमत्ता नहीं थी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे अफगान सरकार से लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसका सही रास्ता यह था कि एक अत्यंत विशिष्ट तरीके से हस्तक्षेप किया जाता। हम गरीब मलयाली है। हमारी शिकायतें कोई नहीं सुनता। मैं मृत शरीर के साथ उनके गांव गया था। मैं वहां इकट्ठे हुए लोगों की भावनाएं समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं शव के साथ उसके गांव तक गया। मैंने देखा कि हजारों व्यक्ति उसकी शवयात्रा में शामिल थे। सभी ने यह महसूस किया कि हम भारत के नागरिक है और सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए। यह सिर्फ केरल का मामला नहीं है। यह देश का मामला है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अप्रिय कार्रवाई करने पर मजबूर मत कीजिए। ये खाली धमकियां नहीं है। श्री जार्ज कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

मामले की विशेष महत्ता और गंभीरता के कारण मैंने पहले ही दिन देश की चिंता को देखते हुए अध्यक्षपीठ से इसका उल्लेख किया था। यदि आप लोग यह समझते कि यह कुर्सी सदन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको अध्यक्षपीठ की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सदन में अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यदि आप पूरे सदन के लिए अपनी इच्छानुसार व्यवहार करेंगे, तो मैं सदन कैसे चलाऊंगा?

मैंने इस मामले को दोबारा उठाने की अनुमति दी है। मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। विपक्ष के नेता ने कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करने की बजाय आप बता रहे हैं कि आप शव के साथ गए और इसके संबंधियों को देखा। दी गई सुविधा का दुरूपयोग मत कीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी: अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता द्वारा उठाए गए एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने इसके बारे में आज सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जानकारी ली थी। वे यहां नहीं है, केरल में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बात को गलत ढंग से उद्धृत किया गया है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान उत्तरदायी था। प्रेस के साथ उनकी बातचीत के दौरान किसी ने उनसे पूछा था और उन्होंने बीती बातें बताई। उन्होंने कहा था कि पहले पाकिस्तान ने तालिबान से संपर्क किया था और उस घटना का उल्लेख किया था। अब, जब हमने उस संबंधित व्यक्ति को बचाने के लिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया है कि क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा था कि वे किसी समय तालिबान से संपर्क करेंगे। किंतु अब उन्होंने तालिबान के साथ किसी संपर्क से इंकार कर दिया है और इसलिए वे उस व्यक्ति को बचाने के लिए अब हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अतः उन्होंने यह नहीं कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान उत्तरदायी है।

मैंने सोचा कि मुझे सही स्थिति बतानी चाहिए।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) जम्मू और कश्मीर में भूकंप के पश्चात राहत और पुनर्वास

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या-7, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल। आपको छह वक्तव्य देने हैं। आप उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से, आप सूचना दे सकते हैं। कोई भी माननीय सदस्य सूचना दे सकता है। मैं आपसे सूचना आमंत्रित करता हूं। मैं किसी चर्चा पर रोक नहीं लगा रहा हूं।

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से मैं जम्मू और कश्मीर में भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, 8 अक्तूबर, 2005 को रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केन्द्रबिन्दु पाकिस्तान में 34.6 उत्तर आक्षांतर और 73.0 पूर्व देशांतर, मुजफ्फराबाद से 55 कि.मी. पश्चिमी-उत्तर पश्चिम में था। इस भूकंप के झटके, उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए जिसमें अन्य राज्यों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल राज्य शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर बुरी तरह प्रभावित हुआ।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य में, कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और बडगांव जिले तथा जम्मू डिवीजन में ऊधमपुर, कठुआ, पुंछ, डोडा और राजौरी जिले प्रभावित हुए। उरी और तंगधार बुरी तरह प्रभावित हुए। बारामूला जिले में उरी के 95 गांव और कुपवाड़ा, जिले में तंगधार के 42 गांव प्रभावित हुए जिनमें से उरी के 7 गांव और तंगधार के 7 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए।

3. राज्य सरकार ने, अपने अनंतिम आकलन के अनुसार, जान-माल के नुकसान की सूचना इस प्रकार दी है

- 1336 व्यक्ति (1216 सिविलियन और 120 रक्षा तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिक) मारे गए हैं।
- 6587 व्यक्तियों (6240 सिविलियन और 347 रक्षा तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों) के घायल होने की सूचना है।
- 38875 मकानों/भवनों (कश्मीर डिवीजन में 36,693 जम्मू डिवीजन में 2182) के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की सूचना है।
- 71,078 मकानों (कश्मीर डिवीजन में 53,000 और जम्मू डिवीजन में 18,078) के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना है।

4. भारत सरकार ने स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को वित्तीय और संभारकीय सहायता प्रदान की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष, जो चौबीसों घंटे काम करता है, ने भूकंप के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजदीकी नजर रखी। गृह मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आपात सहायता कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों को 8 अक्तूबर, 2005 को सलाह जारी की थी। जम्मू और कश्मीर स्थित सेना और अर्ध-सैनिक बलों ने स्थिति के अनुरूप तत्काल कार्रवाई की और राहत तथा बचाव अभियान चलाने में स्थानीय प्रशासन को पूरी मदद की।

5. माननीय प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष ने राहत और पुनर्वास की समीक्षा करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्रिमंडल सचिव और केन्द्रीय गृह सचिव, समग्र स्थिति और जमीनी स्तर पर राहत अभियानों की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें करते रहे हैं।

6. राज्य सरकार के साथ राहत प्रयासों का समन्वय करने के लिए तत्काल ही गृह मंत्रालय के दौर वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजा गया था।

7. भूकंप के कारण पैदा हुई स्थिति की सरकार में कई स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की गई। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से राज्य सरकार को 10 अक्तूबर, 2005 को 100 करोड़ रुपए की राशि तत्काल ही जारी की गई। तत्काल आपदा राहत अभियानों में मदद हेतु आपदा राहत निधि (सीआरएफ) के केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त अर्थात् 32.42 करोड़ रुपये भी अग्रिम में 10 अक्तूबर, 2005 को जारी किए गए। राज्य सरकार के साथ राहत अभियानों की समीक्षा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 11 अक्तूबर, 2005 को राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को 500 करोड़ रुपए की और राशि जारी करने

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2867/2005

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

की घोषणा की। 500 करोड़ रुपए की इस राशि में से वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य केन्द्रीय सहायता से अग्रिम के रूप में/केन्द्रीय करों/शुल्क के राज्य हिस्से की अग्रिम अदायगी के रूप में 200.28 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

8. भूकंप के कारण हुए नुकसान और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित निधियों का आकलन करने के लिए 11 से 14 अक्तूबर, 2005 के बीच एक अंतर-मंत्रालय टीम को भी राज्य में भेजा गया था। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

9. सशस्त्र बलों और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों ने तत्काल ही स्थिति के अनुसार कार्रवाई की तथा बचाव, राहत और पुनर्वास अभियान में स्थानीय प्रशासन को अमूल्य सहायता प्रदान की।

10. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की आपात सहायता लाइन, राज्य सरकार को अपेक्षित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के प्रतिपक्ष मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्रवाई का समन्वय कर रही है। कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कुछ कार्रवाईयां नीचे दी गई हैं।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार को आवश्यक दवाइयों और उपकरणों आदि की पर्याप्त आपूर्ति की है। चिकित्सा राहत कार्य और लोक स्वास्थ्य उपाय करने के लिए सेना और राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने हेतु डाक्टरों और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं।

12. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उरी, तंगधार और पुंछ सहित राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न और चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराया है।

13. राज्य में पीओएल और एलपीजी का पर्याप्त स्टाक था। किसी अत्यावश्यक स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3000 के एल अतिरिक्त मिट्टी के तेल का आवंटन मंजूर किया गया है।

14. पेयजल आपूर्ति विभाग ने अवरुद्ध/क्षतिग्रस्त/हैंडपंपों के बदले नए हैंडपंप लगाने सहित भूकंप से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम (एआर डब्ल्यूएसपी) के तहत 5% आवंटन के प्रावधान से राज्य सरकार को 2.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

15. शहरी विकास मंत्रालय (1) आश्रयों के रूप में प्रयोग के लिए पूर्वनिर्मित सामग्रियों से 130 स्थानों पर 130 सामुदायिक हालों का निर्माण, (2) बिल्डिंग डेमोंस्ट्रेशन केन्द्रों का निर्माण और (3) तकनीकी पेशेवरों अर्थात् जम्मू और कश्मीर सरकार के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

16. राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 48 घंटों के अंदर दूरसंचार नेटवर्क शुरू कर दिया गया था। उरी और तंगधार स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को शुरू कर दिया गया है। 7 एसटीडी/पीसीओ (उरी-4 और तंगधार-3) को आम जनता के लिए बिना किसी प्रभार के चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में संचार में सुधार करने के लिए 104 दूरसंचार इंमरसैट सेटेलाइट फोन लगाए गए हैं।

17. राज्य के अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

18. महिला और बाल विकास विभाग, कुपवाड़ा, पुंछ और उरी में तीन सुधार गृह स्थापित कर रहा है जो अनाथों और विधवाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े आदि प्रदान करेगा। प्रत्येक विधवा को 10,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान की जा रही है।

19. नागर विमानन मंत्रालय ने पांच घरेलू एयरलाइन्स के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में श्रीनगर/जम्मू में बिना किसी प्रभार के 199.3 एमटी राहत सामग्री हवाई जहाज से उठाने का प्रबंध किया है।

20. रेल मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी प्रभार के राहत सामग्री की ढुलाई की है।

21. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आगामी शीत ऋतु के मद्देनजर, सभी प्रभावित लोगों को आश्रय प्रदान करना इस समय चिंता का मुख्य विषय है। राज्य सरकार और भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित उन सभी परिवारों को जिनके मकान पूरी तरह/बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, शीत ऋतु शुरू होने से पहले आश्रय प्रदान करने को उचित प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य को आसान बनाने के लिए कई एजेंसियों ने इस प्रयास में अपनी इच्छा व्यक्त की है जिससे कई विकल्पों का पता लगाया गया है और एक निश्चित समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने में सहायता मिली है।

22. मामलों की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैंने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ 22 अक्तूबर, 2005 को भूकंप से प्रभावित परिवारों को आश्रय प्रदान करने को विशेष महत्व देते हुए समग्र राहत अभियानों की विस्तृत समीक्षा की। इसके पश्चात् मैंने, जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री के साथ 21 नवम्बर, 2005 को आगे और विस्तृत अनुवर्ती समीक्षा की

जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था, के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), योजना आयोग के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस संयुक्त प्रयास के माध्यम से भूकंप से प्रभावित लोगों को आश्रय और राहत सामग्री का प्रावधान करने के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।

23. आश्रय स्थलों के संबंध में अपनी ओर से तुरंत राहत प्रदान के लिए, सरकार का ध्यान प्रभावित लोगों को टेंटों की व्यवस्था करने पर था। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर सरकार को 22 नवम्बर, 2005 तक लगभग 28,612 टेंट उपलब्ध करा दिए हैं जिनमें 2,300 हाई ऐलटिटयूड/आर्कटिक टेंट शामिल हैं। हमारा, राज्य सरकार को नवम्बर, 2005 के अंत तक लगभग 30,900 टेंटों और दिसम्बर, 2005 तक लगभग 50,620 टेंटों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संभारिकी सहायता के माध्यम से भूकंप प्रभावित लोगों को प्रदान की गई राहत सामग्री संबंधी अनंतिम आंकड़ों में 46,153 तारपोलिन शीट, 3,305 स्लीपिंग बैग, 17,340 गद्दे, 2,04,470 कंबल और 2,51,466 गर्म कपड़े शामिल हैं।

24. प्रभावित व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवारों, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, को अपने क्षतिग्रस्त मकानों का स्वयं पुनर्निर्माण करने के लिए 1.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ऐसे प्रत्येक लाभार्थी को उक्त राशि के 40% की पहली किस्त अर्थात् 40,000/- रु. का वितरण पहले ही 19.10.2005 से शुरू किया जा चुका है और सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 21 नवम्बर, 2005 तक 84.00 करोड़ रु. की राशि वितरित कर दी गई है।

25. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई इस सहायता से प्रभावित लोग अपने मकानों के मलबे से सीजीआई शीटें और इमारती लकड़ी निकाल करके तथा तंगधार, उरी और पुंछ में जम्मू और कश्मीर राज्य वन निगम के स्वामित्व वाले बिक्री केन्द्रों और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एसआईसीओपी से भी सीजीआई शीटें और इमारती लकड़ी खरीदकर अपने घरों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं।

26. राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को रियायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में निर्माण सामग्री अर्थात् सीमेंट, सीजीआई शीटें, लकड़ी और लोहे की छड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रभावित लोगों को अपने मकानों के निर्माण में यथासमय जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लक्षित 450 इंजीनियरों में से 376 इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर लिया है।

27. उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने उन परिवारों के लिए, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 22,000 अस्थाई आश्रय यूनिटों (टीएसयू) (उरी में 15,000 और तंगधार में 7,000) का निर्माण करने का भी निर्णय लिया है। ऐसे बेसहारा परिवारों, जो शरद ऋतु के प्रारंभ होने से पहले मध्यवर्ती आश्रय का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होंगे, को कुछेक आश्रय स्थल राज्य सरकार और भारत सरकार की एजेंसियों (अर्थात् एनएचपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है जबकि बाकी आश्रयों का निर्माण प्रभावित परिवारों द्वारा स्वयं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने 30,000 रु. की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने उन परिवारों को 5,000 रु. की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है जो 30 नवम्बर, 2005 से पहले टीएसयू का निर्माण कर लेंगे। भूकंप-रोधी मकानों/भवनों का निर्माण करने में लोगों की सहायता करने के लिए इंजीनियरों और मिस्त्रियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

28. इन मकानों के प्रोटो टाइप को गृह मंत्रालय से विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन मध्यवर्ती आश्रयों के निर्माण में, इमारती लकड़ी/ईंट की दीवारों और सीमेंटयुक्त फर्श के साथ सीजीआई शीटों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक आश्रय का आकार 12'×10' होगा। गृह मंत्रालय ने सेल (एसएआईएल) से 8000 एमटी की सीजीआई शीटें प्राप्त की हैं जो राज्य सरकार के सुपुर्द कर दी गई है।

29. चूंकि स्थायी आवास का निर्माण करने में कुछ समय लगने की संभावना है इसलिए शहरी विकास मंत्रालय ने प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक हालों का निर्माण करने हेतु कदम उठाए हैं। प्रत्येक सामुदायिक हाल की क्षमता 150-200 व्यक्तियों की है। कामन शौचालय और रसोई युक्त ऐसे सामुदायिक हालों के निर्माण में प्रति यूनिट लगभग 30 लाख रु. की लागत आएगी। शहरी विकास मंत्रालय ने 130 स्थानों (अर्थात् उरी-66, तंगधार-38 और पुंछ-26) में 130 सामुदायिक हालों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इन सामुदायिक हालों का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है और 32 सामुदायिक हालों (अर्थात् उरी में 22 और तंगधार में 10) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 25 सामुदायिक हालों का निर्माण कार्य चल रहा है। शहरी विकास मंत्रालय का 15.12.2005 तक सभी 130 सामुदायिक हालों का निर्माण कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है।

30. पुनर्वास के समग्र प्रयास के एक भाग के रूप में, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा 22 गांवों को अपनाया गया है। इस ढांचे के अंतर्गत सेना ने तीन गांव, वायु सेना ने चार, सीमा सुरक्षा बल ने चार, केन्द्रीय

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

रिजर्व पुलिस बल ने एक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एक, एनएचपीसी ने छह और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने तीन गांवों को अपनाया है। अपनाए गए गांवों में, प्रभावित लोगों के लिए आश्रय का निर्माण करने तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा समुचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

31. गैर-सरकारी संगठनों ने भी जम्मू और कश्मीर में भूकंप से प्रभावित लोगों को आश्रय प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। भारतीय जैन संगठन (बीजेएस) ने 870 प्रि-फैब्रिकेटिड ढांचे प्रदान किए हैं जो जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से उरी और तंगधार में, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में लगाए जाने हैं। 245 प्रि-फैब्रिकेटिड ढांचों की पहली खेप 12 नवम्बर, 2005 को जम्मू में राज्य सरकार के सुपुर्द की गई थी और इसे राज्य सरकार द्वारा पहले ही तंगधार में भेज दिया गया है। 277 प्रि-फैब्रिकेटिड ढांचों की दूसरी खेप 21.11.2005 को जम्मू में सौंप दी गई और शेष 348 प्रि-फैब्रिकेटिड ढांचों की तीसरी खेप 30 नवम्बर, 2005 तक राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। ये प्रि-फैब्रिकेटिड ढांचे तंगधार में चार स्थानों और उरी में एक स्थान में लगाए जाएंगे जहां भूस्खलन/हिमस्खलन के प्रति उनकी सुभेद्यता के कारण परिवारों को पुनः बसाना अपेक्षित था।

32. सीड्स (एसईईडीएस), एक अन्य गैर सरकारी संगठन ने दिसम्बर, 2005 के अंत तक पुंछ में 400 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

33. गृह मंत्रालय, राज्य के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री की यथासमय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राहत और पुनर्वास प्रयास के लिए आगे आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। यह मंत्रालय, राज्य के साथ राहत और पुनर्वास उपायों का निरंतर प्रबोधन कर रहा है।

34. मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि पहले की भांति इस बार भी राज्य सरकारों, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों, कार्पोरेट सेक्टर और सरकार की विभिन्न एजेंसियां और जनता में जम्मू और कश्मीर में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों की तहेदिल से सहायता करने के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया।

35. मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझाव भी चाहता हूं।

अपराह्न 12.31 बजे

(तीन) विभिन्न राज्यों में भारी वर्षा और बाढ़ तथा सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से विभिन्न राज्यों में भारी वर्षा और बाढ़ तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए राहत कार्यों से संबंधित वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारा देश अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 60% भू-भाग भूकम्प संभावित क्षेत्र है, लगभग 8% क्षेत्र अर्थात् करीब 40 मिलियन हैक्टेयर बाढ़ संभावित है तथा लगभग 8000 कि.मी. तटीय रेखा में चक्रवात और तूफानी लहरें आने की संभावना बनी रहती है। देश को सुनामी का भी सामना करना पड़ा है जिसका अनुभव हमें पहली बार दिसम्बर, 2004 में हुआ। हाल ही में जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरी भारत के कुछ अन्य भागों में रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का गंभीर भूकम्प आया जिसके कारण व्यापक क्षति हुई।

2. मैंने पिछले सत्र के दौरान संसद में दक्षिण पश्चिम मानसून 2005 के दौरान बाढ़ और भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान के बारे में एक वक्तव्य दिया था। मानसून के मौसम के दौरान 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भिन्न-भिन्न मात्रा में हुए नुकसान की सूचना दी थी। उस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य गम्भीर रूप से प्रभावित हुए थे।

3. तत्पश्चात्, चालू उत्तर-पूर्वी मानसून 2005 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के दक्षिणी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, दबाव और चक्रवाती तूफानों के कारण हुई भारी वर्षा और बाढ़ के कारण भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभावित हुए हैं।

4. संबंधित राज्य सरकारों ने ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाए। इनमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, राहत शिविरों की स्थापना करना, निःशुल्क राहत उपलब्ध करवाना, अनिवार्य वस्तुओं का वितरण, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, स्वास्थ्य और साफ-सफाई उपाय, आदि शामिल हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2868/2005

5. भारत सरकार ने इन राज्यों में, प्रत्येक में गहराई से स्थिति का प्रबोधन किया है तथा बाढ़ की स्थिति से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान की है। मंत्रिमंडल सचिव के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन समिति तथा गृह मंत्रालय, नियमित रूप से समीक्षाएं कर रहा है तथा आवश्यक वित्तीय और संभारिकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाले मंत्रालयों के साथ अनुवर्ती बैठकें कर रहा है।

6. केन्द्र सरकार ने बचाव और राहत अभियानों में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए वायु सेना हैलीकाप्टरों, सेना नावों, सेना की टुकड़ियों तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा जल जनित बीमारियां और महामारियों की रोकथाम के लिए अनिवार्य दवाओं और औषधियों, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन गोलियों, ओआरएस पैकटों का आवश्यक स्टाक उपलब्ध करवाया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों को जहां कहीं आवश्यकता थी, अनिवार्य वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों का अतिरिक्त स्टाक उपलब्ध करवाया गया। मंत्रालयों तथा अन्य संबंधित संगठनों अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दूरसंचार विद्युत, पेयजल आपूर्ति, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन को प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की तत्काल मरम्मत और पुनरुद्वार सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए।

7. अब मैं माननीय सदस्यों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में चालू उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ ब्योरों की सूचना देना चाहूंगा।

8. आंध्र प्रदेश में, चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण सितम्बर, 2005 में तटीय आंध्र के कई स्थानों अर्थात् श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्नम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटुर, वारंगल, खम्माम तथा नालगोण्डा जिलों में 70-80 कि.मी. के उच्च वेग की हवाओं के साथ भारी वर्षा हुई। राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान और उसके फलस्वरूप भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए निम्नलिखित नुकसान की सूचना दी है:

(क) मारे गए व्यक्तियों की संख्या: 56

(ख) प्रभावित लोगों की संख्या: 350 लाख

(ग) पूरी तरह क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की संख्या: 34218

(घ) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की संख्या: 83252

(ङ) क्षतिग्रस्त फसली क्षेत्र: 333758 हैक्टेयर

(च) फसलों को हुई अनुमानित हानि: 939.54 करोड़ रुपये

9. आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें चक्रवर्ती तूफान, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई कुल क्षति को 2746.77 करोड़ रुपए पर आंका गया है। क्षति और धनराशि की आवश्यकता का मौके पर आकलन करने के लिए 26.9.2005 से 28.9.2005 तक एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया। एनसीसीएफ से धनराशि जारी करने के लिए केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

10. उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य को 26-28 अक्तूबर, 2005 तक बंगाल की खाड़ी में बने गहन दबाव के कारण अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ का पुनः सामना करना पड़ा, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ वैलोर, प्रकाशम, चितूर, कडूडपा और नालगोण्डा जिलों के 59 मंडल प्रभावित हुए। इस बार की बाढ़ में 31 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 2934 घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। राज्य सरकार ने 44,554 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा उन्हें 107 राहत शिविरों में शरण प्रदान की।

11. आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2005-06 के लिए आपदा राहत निधि (सीआरएफ) में से 344.08 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें केन्द्रीय अंशदान के रूप में 258.06 करोड़ रुपये और राज्य अंशदान के रूप में 86.02 करोड़ रुपए शामिल हैं। राज्य सरकार को चालू वर्ष के लिए सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान की प्रथम किश्त के 129.03 करोड़ रुपए 8.6.2005 को जारी की गई थी, जबकि तुरंत आपदा के लिए इतनी ही राशि की दूसरी किश्त 8.11.2005 को अग्रिम रूप से जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपए तदर्थ रूप से जारी करने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से 1.50 लाख मीट्रिक टन चावल तदर्थ रूप से जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

12. कर्नाटक राज्य को तीन बार भारी वर्षा और बाढ़ का सामना करना पड़ा। पहली बार भारी वर्षा और बाढ़ जुलाई और अगस्त, 2005 के महीने में आई। भारी वर्षा और महाराष्ट्र के जलाशयों से अत्यधिक पानी छोड़ने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के 61 तालुकों में जान और माल का काफी नुकसान हुआ। बेलगाम, बीजापुर, बागलकोटे, गुलबर्ग और रायचुर जिलों में बाढ़ के कारण अधिकतम क्षति हुई। शिमोगा, चिकमंगलूर, उडुपी तथा कुर्ग जिलों में भी काफी नुकसान

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

हुआ। राज्य सरकार ने निम्नलिखित क्षति की सूचना दी है:-

(क) मारे गए व्यक्तियों की संख्या: 130

(ख) प्रभावित लोगों की संख्या: 27.24 लाख

(ग) मारे गए पशुओं की संख्या: 11601

(घ) क्षतिग्रस्त घरों की संख्या: 84049

(ङ) क्षतिग्रस्त फसली क्षेत्र: 1.94 लाख हैक्टेयर

(च) कुल अनुमानित क्षति: 3640.07 करोड़ रुपये

13. राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्षति और धनराशि की आवश्यकता का मौके पर आकलन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम को राज्य में भेजा गया। केन्द्रीय टीम ने 17.8.2005 से 20.8.2005 तक राज्य का दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 11.9.2005 को हुई अपनी बैठक में अन्तर मंत्रालयी ग्रुप (आईएमजी) द्वारा केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट पर विचार किया तथा तत्पश्चात् इस पर 5.10.2005 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया। उच्च स्तरीय समिति ने निम्नलिखित अनुमोदित किया:-

(क) जुलाई और अगस्त, 2005 में आई बाढ़ के लिए एनसीसीएफ से 255.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता।

(ख) राहत रोजगार के लिए एसजीआरवाई के विशेष घटक के अंतर्गत 0.72 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न।

14. कर्नाटक में दूसरी बार बाढ़, 20 और 21 सितम्बर, 2005 को उत्तरी कर्नाटक में हुई लगातार वर्षा तथा महाराष्ट्र राज्य में धानेगांव जलाशय और कोयना बांध से अत्यधिक पानी छोड़ने के कारण आई। बेलगाम, बिदर तथा गडक जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सितम्बर, 2005 में आई अचानक बाढ़ के कारण राज्य सरकार ने निम्नलिखित क्षति सूचित की है:-

(क) प्रभावित जिलों की संख्या: 3

(ख) प्रभावित तालुकों की संख्या: 9

(ग) प्रभावित गांवों की संख्या: 134

(घ) प्रभावित जनसंख्या: 13067

(ङ) खोले गए राहत केन्द्रों की संख्या: 20

(च) क्षतिग्रस्त घरों की संख्या: 950

(छ) प्रभावित फसलें (एकड़ में): 56,584

(ज) कुल अनुमानित क्षति (रुपए लाख में): 8974.71

15. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के फलस्वरूप अक्तूबर, 2005 के अन्तिम सप्ताह के दौरान कर्नाटक में तीसरी बार भारी वर्षा और बाढ़ सूचित की गई। दबाव के परिणामस्वरूप मैसूर, बैंगलोर ग्रामीण, मंडिया, चामराजनगर, दवनगेरे, हसन, कोलर तथा रायचूर जिलों में कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई। बैंगलोर शहर में भी व्यापक आप्लव, सड़कों पर बाढ़, सड़क संचार अवरुद्ध होना, घरों और रेलवे पुलों का ढहना सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। इस दौर की वर्षा में 30 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, 21,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 60,000 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई जबकि सार्वजनिक उपयोग के कार्यों को हुई क्षति में अन्य बातों के साथ-साथ 500 टैंकों, 500 पुलों/पुलियों, 400 विद्युत खम्बों को हुई क्षति शामिल है।

16. द्वितीय अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम का गठन किया गया तथा उसे दूसरी ओर तीसरी बार अर्थात् सितम्बर और अक्तूबर, 2005 में आई बाढ़ के फलस्वरूप हुई क्षति तथा धनराशि की आवश्यकता का मौका पर आकलन करने के लिए नवम्बर, 2005 के दूसरे सप्ताह में राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

17. चालू वर्ष के लिए सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान की 86.00 करोड़ रुपए की दोनों किश्तें राज्य सरकार को क्रमशः 30.05.2005 तथा 11.08.2005 को पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, जुलाई-अगस्त, 2005 में आई बाढ़ हेतु 11.08.2005 को एनसीसीएफ से राज्य को 357.00 करोड़ रुपए तदर्थ रुप से जारी किए गए थे।

18. तमिलनाडु में अक्तूबर, 2005 के अन्तिम सप्ताह के दौरान चैन्ने और निकटवर्ती जिलों में भारी वर्षा हुई और बाढ़ आई। मेतूर बांध में पानी का अभूतपूर्व प्रवाह होने तथा इसके फलस्वरूप कावेरी बेसिन में पानी छोड़ने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार वर्षा के कारण कृष्णागिरि वैलोर डिस्ट्रिक्ट बेल्ट में भी बाढ़ आने की सूचना दी गई।

19. प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर पूर्व मानसून के शुरू होने से राज्य सरकार द्वारा सूचित क्षति नीचे दी गई है:-

(क) मारे गए व्यक्तियों की संख्या: 64

(ख) प्रभावित गांवों की संख्या: 750

(ग) जल प्लावित गांवों की संख्या: 125

(घ) असहाय व्यक्तियों की संख्या: 7.00 लाख

20. लगभग 360 राहत केन्द्र खोले गए तथा राहत केन्द्रों और प्रभावित क्षेत्रों में 12 लाख खाने के पैकेटों की आपूर्ति की गई। मदिपक्कम (कांचीपुरम जिला) स्थित तट रक्षकों तथा चैन्ने में पुलियानथोपे क्षेत्र स्थित सेना ने साजो-सामान पहुंचाने सहित राहत अभियानों में राज्य सरकार की मदद की।

21. वर्ष 2005-06 के लिए तमिलनाडु राज्य को सीआरएफ में 209.08 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें केन्द्रीय अंशदान के रूप में 156.81 करोड़ रुपए तथा राज्य अंशदान के रूप में 52.27 करोड़ रुपए शामिल है। राज्य सरकार को चालू वर्ष हेतु 78.40 करोड़ रुपए की सीआरएफ की केन्द्रीय अंशदान की प्रथम किश्त पूर्व में जारी धनराशि का क्रेडिटिंग, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, जारी की जाएगी।

22. एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने 17-18 नवम्बर, 2005 तक तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस टीम की रिपोर्ट की प्राप्ति पर यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

23. चालू उत्तर पूर्व मानसून के दौरान संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को भी भारी वर्षा और बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस बाढ़ के कारण जल प्लावन हुआ जिसके परिणामस्वरूप सड़कें, पुल तथा कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई हैं जिसकी वजह से संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में सामान्य जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कराईकल जिले में अरासलर नदी के उपर बना पुल, मुसलाधार वर्षा के कारण बह गया।

24. संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने 47,000 घरों तथा 7015 हैक्टेयर फसल क्षेत्र को हुई क्षति सूचित की है। संघ शासित प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि सार्वजनिक कार्यों, विद्युत, स्थानीय प्रशासन, पशुपालन, आवास आदि को हुई क्षति का नुकसान 150 करोड़ रुपए लगाया गया है।

25. प्रभावित लोगों को शरण देने के लिए पांडिचेरी में 90 तथा कराईकल जिले में 30 राहत शिविर लगाए जाने की सूचना है।

26. तमिलनाडु में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गठित अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए पांडिचेरी का भी दौरा किया। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

27. संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए जाने वाले राहत और पुनर्वास उपायों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित संघ शासित क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों से धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

28. मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न स्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में उनके प्रयासों में मदद करने के लिए भारत सरकार राज्यों को हर सम्भव अपेक्षित वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान करेगी तथा आपदा प्रबन्धन तंत्र में सुधार लाने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझाव चाहता हूं।

अपराह्न 12.32 बजे

(चार) 29.10.2005 को दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** मैं, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से दिल्ली में 29.10.2005 को क्रमिक रूप से हुए बम धमाकों से संबंधित वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

मैं, इस सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 29.10.2005 को दिल्ली में पहाड़गंज, सरोजनी नगर मार्केट और कालकाजी में तीन बम धमाके हुए थे। पहला विस्फोट लगभग 1730 बजे पहाड़गंज के मुख्य बाजार में हुआ। विस्फोट के समय बाजार में भारी भीड़ थी जिसके कारण 16 व्यक्ति मारे गए और 108 व्यक्ति घायल हुए। दूसरा विस्फोट ओखला बस डिपो के निकट बस स्टैंड में हुआ। बाहरी रिंग रोड पर चल रही मुद्रिका बस में यात्रा कर रहे एक यात्री ने किसी अन्य यात्री द्वारा छोड़े गए एक बैग के बारे में कंडक्टर को सूचित किया। बैग में बम होने की आशंका होने पर ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बाहर फेंक दिया। बैग के बाहर फेंकते ही उसमें विस्फोट हो गया जिसके कारण 12 व्यक्ति घायल हो गए। बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरा विस्फोट लगभग 1800 बजे मुख्य सरोजनी नगर मार्केट में चाट की एक दुकान में हुआ। किसी ने दुकान के मालिक को छोड़े गए बैग के बारे में सूचित किया। जैसे ही वह बैग के निकट पहुंचा वैसे ही विस्फोट हो गया जिसके कारण गैस सिलेंडरों में धमाका हुआ और चाट की दुकान के

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2869/2005

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

सामने हाकरों की दुकान में रखे कपड़ों में आग लग गई। इस विस्फोट में 43 व्यक्ति मारे गए और 104 घायल हुए।

2. बाद में सात और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जिससे मरने वालों की कुल संख्या 66 हो गई।

3. दिल्ली पुलिस ने इन धमाकों की जांच-पड़ताल करने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष सैल के नेतृत्व में 300 अधिकारियों और कार्मिकों की एक टीम तैनात की है। अपराध स्थल पर बुलाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के विशेषज्ञों ने सभी तीनों स्थानों पर अलग-अलग मात्राओं में उच्च क्षमता की विस्फोटक सामग्री पाई। यह आशंका जताई गई है कि विस्फोटों में आर डी एक्स का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध लोगों का सुराग देने वालों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। मामले की जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि दिल्ली में बम विस्फोट करने की साजिश, विदेश स्थित उग्रवादी संगठन द्वारा रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये हैं, श्रीनगर का निवासी तारिक अहमद डार जिसे 10.11.2005 को गिरफ्तार किया गया था और मो. हुसैन फाजिल, श्रीनगर का निवासी तथा एक रफीक, जिन्हें 22.11.2005 को गिरफ्तार किया गया था। तारिक अहमद डार से पूछ-ताछ करने पर पता चला है कि वह इन धमाकों का मुख्य संयोजक और मददगार था। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

4. धमाकों के तुरंत बाद तत्काल ही पुलिस द्वारा लोगों में विश्वास बहाल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आम जनता की सहायता से गहन प्रयास किए गए। जनता को स्थिति से अवगत कराने तथा विश्वास की भावना पैदा करने के लिए मास मीडिया का व्यापक प्रयोग किया गया। अगले दिन ही अधिकांश क्षेत्रों में दुकानें खुल गईं। दिवाली, ईद और छठ त्योहारों के अवसर पर बाजार में आए लोगों के हुजूम से जनता में विश्वास बहाली का पता चलता है। 15 नवम्बर को गुरु पर्व के अवसर पर निकला जलूस एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। व्यापार मेले के लिए भी अत्यंत कारगर ढंग से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

5. दिल्ली पुलिस ने भी राजधानी में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बाजारों के प्रवेश द्वारों पर विशेष जांच की जा रही है। प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाए गए हैं और इन्वर्टिड मिरर की सहायता से जांच करने के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। जांच के लिए चालित मैटल डिटेक्टरों का प्रयोग किया जाता है। परित्यक्त वाहनों की जांच की जाती है और यदि उनका कोई दावेदार नहीं पाया जाता है तो उन्हें वहां से हटा दिया जाता है।

6. सभी होटलों/गैस्ट हाउसों के प्रबंधकों और स्टाफ को अतिथियों की पहचान तथा उनके सामान के उचित ब्योरे रखने के संबंध में ब्रीफ किया गया है। उनसे उनके होटलों/गैस्ट हाउसों में ठहरे हुए अतिथियों के पूरे ब्योरे देने के लिए भी कहा गया है। उनसे उन वाहनों के पंजीकरण नंबर भी नोट करने को कहा गया है जिनसे अतिथि होटल में आते हैं। सभी गैस्ट हाउस के मालिकों से होटलों के प्रवेश द्वार पर शीघ्रातिशीघ्र सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया गया है।

7. व्यापारी संघों के साथ ही साथ आवासी कल्याण निकायों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। अभी तक ऐसी लगभग 900 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उन्हें आतंकवादी गुटों से खतरों के बारे में सुग्राही बनाया जाता है।

8. बीट स्टाफ, बाजार में प्रत्येक दुकान पर जाता है। दुकानदारों को और अधिक सतर्क तथा सावधान रहने के संबंध में ब्रीफ किया जाता है। सुरक्षा उपायों के संबंध में जिला पुलिस द्वारा तैयार की गई आडियो कैसटें विभिन्न बाजारों में चलाई जा रही हैं। टैक्सी स्टैंड के मालिकों/पार्किंग परिचारकों को परित्यक्त वाहनों के बारे में नियमित रूप से ब्रीफ किया जा रहा है। उन्हें, जहां तक संभव हो, प्रवेश द्वार पर वाहनों की जांच करने के बारे में भी कहा जा रहा है।

9. मेट्रो रेल नेटवर्क की सुरक्षा, पुलिस कार्मिकों के अलावा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों को तीन कंपनियां तैनात करके की जा रही है। हवाई अड्डों की सुरक्षा बाह्य सड़कों पर पीसीआर वैन तैनात करके सुदृढ़ की गई है।

10. केन्द्र सरकार ने वयस्क की मृत्यु के प्रत्येक मामले में 2 लाख रु. तथा नाबालिग की मृत्यु के प्रत्येक मामले में 1 लाख रु. की अनुग्रह राहत मंजूर करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने भी मृतक के निकटतम संबंधी को उसी दर पर अनुग्रह राशि का भुगतान मंजूर करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने स्थायी विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये; गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 50,000 रुपये; छोटी-मोटी चोटों के मामले में 5000 रुपये; और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में हानि के 50 प्रतिशत की दर से लेकिन अधिकतम 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्णय लिया है।

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस के उस चालक और परिचालक, जिसने सूझ-बूझ दिखा कर समय पर कार्रवाई करके अनेक जानें बचाई, के लिए विशेष पुरस्कार का भी अनुमोदन किया है। इनमें, चालक और परिचालक, प्रत्येक को 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार; चालक की डीटीसी में नियमित नौकरी; और परिचालक की पदोन्नति शामिल है।

अपराह्न 12.33 बजे

(पांच) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** मैं, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा से संबंधित वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

1. जम्मू और कश्मीर राज्य में हिंसा का समग्र स्तर, 2005 में प्रत्यक्ष रूप से कम रहा है। वर्ष 2004 के पहले दस महीनों की तुलना में 2005 की तदनुरूपी अवधि के दौरान आतंकवादी घटनाओं में 22% की कमी हुई है। अक्तूबर, 2005 तक अनुमानतः 219 आतंकवादियों ने घुसपैठ की है जो 2004 की तुलना में 55% गिरावट का द्योतक है।

2. वर्ष 2004 की तुलना में 2005 में घाटी में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष अक्तूबर तक घाटी में 5,33,211 लोग आए जब कि पिछले वर्ष के दौरान 3,03,109 लोग आए थे। अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई जिसमें 3.88 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। लोगों में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की चाहत भी दृष्टिगोचर होती है।

3. तथापि, हाल में आतंकवादी गुटों ने अपनी उपस्थिति का अहसास कराने के लिए कार बमों, आई ई डी और आत्मघाती हमलों का सहारा लेकर तथा राजनीतिक नेताओं/कार्यकर्त्ताओं और सुरक्षा बलों को लक्ष्य बना कर संकेतात्मक कार्रवाई की है।

4. हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि 18 अक्तूबर, 2005 को श्रीनगर में हुए एक आतंकवादी हमले में डा. गुलाम नबी लोन, राज्य मंत्री (शिक्षा) की उनके निवास स्थान पर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने मोहम्मद युसुफ तरिगामी, विधायक के आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा कार्मिकों की समय पर की गई कार्रवाई ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। आतंकवादियों ने उस समय हमला किया जब पूरा सरकारी तंत्र भूकंप पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में जुटा हुआ था।

5. राज्य में नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद 14 से 16 नवम्बर, 2005 के बीच आतंकवादियों द्वारा उच्च प्रोफाइल की कुछ घटनाएं की गईं। 16 नवम्बर, 2005 को श्रीनगर में टीआरसी के निकट जे एंड के बैंक मुख्यालय के समीप एक कार बम धमाका हुआ जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए और विधायक और भूतपूर्व मंत्री सहित 50 व्यक्ति घायल हो गए। 15 नवम्बर, 2005 को एक आतंकवादी ने उस समय एक ग्रेनेड फेंका जब एक भूतपूर्व मंत्री, तंगमार्ग, जिला-बारामुला में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री को मामूली चोटें आईं। इस घटना में छः व्यक्ति मारे गए और 71 व्यक्ति घायल हो गए। 14 नवम्बर, 2005 को आतंकवादियों ने लाल चौक, श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ के बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। तीन सिविलियन और सीआरपीएफ के दो जवान मारे गए और नौ लोग घायल हुए।

6. उच्च प्रोफाइल की घटनाओं के संदर्भ में आतंकवाही हिंसा में वृद्धि को राज्य में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है। राज्य सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभियान चलाने के प्रति कृत संकल्प है।

7. राज्य में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद आमतौर पर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति उस समय भी देखी गई जब पूर्व सरकार ने नवम्बर, 2002 में सत्ता संभाली थी। आतंकवादियों ने नवम्बर, 2002 से जनवरी, 2003 के बीच 10 बड़ी वारदातें की जिनमें रघुनाथ मंदिर पर किया गया आत्मघाती हमला शामिल है। संकेतात्मक हिंसा में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि आतंकवादी गुट यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हाल के भूकंप के बावजूद उनकी मारक क्षमता और आतंक फैलाने का उनका संकल्प समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि, सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ रोकने के उपायों के कारण घुसपैठियों की संख्या में कमी आई है लेकिन निश्चित रूप से घुसपैठ जारी है। सीमा के उस पार से आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता भी जारी है।

8. मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर की अध्यक्षता में एकीकृत मुख्यालय (यूएचक्यू) और भारत सरकार, आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों में सतत रूप से सुधार कर रही हैं और उनका प्रबोधन कर रही हैं। सुरक्षा बलों से कहा गया है कि वे अपनी सतर्कता बढ़ाएं और आसूचना एजेंसियों के साथ अधिक कारगरता से प्रयासों का समन्वय करें।

9. सरकार, जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और समग्र बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के चहुंमुखी विकास के बारे में कई राजनीतिक दलों, समुदायों और क्षेत्रों के साथ राजनीतिक

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2870/2005

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

स्तर पर बातचीत शुरू की है। प्रधानमंत्री ने 5 सितम्बर, 2005 को मीरवाइज उमर फारूख के नेतृत्व में आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (एपीएचसी) के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की थी। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों का शांतिपूर्वक हल निकालने के प्रति अपने विश्वास की पुन: पुष्टि की और प्रतिनिधिमंडल को यह याद दिलाया कि प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मसम्मान और गौरवपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

10. सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ग्रुपों की नापाक हरकतों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दृढ़संकल्प है।

अपराह्न 12.34 बजे

(छह) 13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुआ नक्सलवादी हमला

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** मैं, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से जहानाबाद, बिहार में 13.11.2005 को हुए नक्सली हमले से संबंधित वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, मैं जहानाबाद में 13.11.2005 को हुए नक्सली हमले के सिलसिले में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 300 से 400 नक्सलियों ने इस माह की 13 तारीख को लगभग 2100 बजे जहानाबाद के एसएस कालेज स्थित सीआरपीएफ कैंप, टाउन पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स और उप-जेल पर एक साथ हमला किया। जबकि एस.एस. कालेज, टाउन पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन्स पर नक्सली हमलों को विफल कर दिया गया, नक्सली, जहानाबाद स्थित उप-जेल को तोड़ने में सफल हो गए। इस प्रक्रिया में, 389 कैदी जेल से भाग गए। इसमें नक्सलियों का एक शीर्ष नेता और कुछ नक्सलियों सहित रणवीर सेना के कार्यकर्त्ता शामिल थे। नक्सलियों ने जेल से 8 होम गार्ड राइफलें और कुछ गोली-बारूद लूट लिया।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए संख्या** एल.टी. 2871/2005

3. इन हमलों में कुल मिलाकर दो जेल कार्मिक, रणवीर सेना के दो कार्यकर्त्ता और दो नक्सली तथा एक सिविलियन मार दिया गया या मर गया।

4. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जहानाबाद के कतिपय क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के बारे में आसूचना मिली थी जिससे नदौल रेलवे स्टेशन, काको पुलिस स्टेशन और पुलिस गश्ती दलों पर नक्सली हमलों की आशंका होती थी।

5. राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने में जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक की प्रथम दृष्ट्या चूक का पता लगाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने इन हमलों का मुकाबला करने में सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका सहित इन हमलों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए श्री वी. जयशंकर, आयुक्त और सचिव, जल संसाधन विभाग और श्री ए.सी. वर्मा, महानिरीक्षक (रेलवे) को शामिल करके दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट इस माह के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

6. राज्य सरकार ने महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में ''विशेष आपरेशन'' शुरू किया है। नक्सलवादियों को पकड़ने तथा भगोड़े कैदियों को पुन: गिरफ्तार करने की दृष्टि से व्यापक छापे मारने हेतु सुरक्षा बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उप महानिरीक्षक, 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा 6 पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन विशेष अभियानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तथा पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराये गये हैं। पीछे हटे नक्सल अतिवादियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए हर सम्भव प्रयास करने तथा जहानाबाद घटना के बाद किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सभी जिलों और पुलिस स्टेशनों को सतर्क कर दिया गया है। अभी तक 222 भगोड़े कैदी लौट आए हैं। जहानाबाद और अन्य जिलों, जहां अभियान चलाया जा रहा है, से 20 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है तथा लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। हमले के तुरंत बाद सी आर पी एफ की 4 कम्पनियां तथा आर ए एफ की 2 कम्पनियां जहानाबाद में तत्काल तैनात कर दी गई थीं। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए सीमा सुरक्षा बल की 5 कम्पनियों को भी तैयार रखा गया है। आवश्यकता आधारित अभियानों के लिए पटना और गया में एन एस जी की 2 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 2 एमआई-17 हेलीकाप्टर बिहार सरकार को सौंपे गए हैं।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

8. नक्सली उग्रवादियों के विरुद्ध अभियानों में राज्य सरकार के अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहायता करने हेतु महानिरीक्षक (आपरेशन), सीआरपीएफ और महानिरीक्षक (प्रशासन), एनएसजी के साथ मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) को एक सप्ताह के लिए पटना में तैनात किया गया था।

9. जहानाबाद घटना के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित सभी राज्यों में जहानाबाद जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शस्त्रगारों और जेलों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और उन्हें सुदृढ़ करने की भी सलाह दी है।

10. इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक, हालांकि नक्सली हिंसा का स्तर लगभग उसी स्तर पर रहा, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में नक्सली हिंसा की कुछ मुख्य घटनायें हुई है।

11. केन्द्र सरकार, नक्सल प्रभावित राज्यों में आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती, बारूदी सुरंग रक्षित वाहन तथा प्रभावपूर्ण नक्सल विरोधी अभियानों के लिए, जहां भी आवश्यक है, हवाई सहायता भी उपलब्ध करवाती रही है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों के लिए भारतीय रिजर्व बटालियनें भी स्वीकृत की गई हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता के साथ हाल ही में अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बटालियनें अनुमोदित की हैं।

12. सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के बीच व्यापक समन्वय बनाने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं। केन्द्रीय गृह सचिव, राज्यों द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा तथा समन्वय करने हेतु प्रत्येक तीन महीने में एक बार नियमित रूप से समन्वय केन्द्र की बैठकों का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय, उनके बीच संयुक्त अभियानों सहित राज्यों द्वारा चलाए जा रहे नक्सलवाद-विरोधी अभियानों को सुकर बनाने के लिए नक्सलवाद पर कार्य बल की मासिक बैठकें आयोजित करते हैं।

13. इसके अतिरिक्त, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की प्रथम बैठक 19 सितम्बर, 2005 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि (1) राज्य, नक्सलवाद के खतरे से कारगर रूप से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और समन्वित कार्रवाई करेंगे; (2) संयुक्त अभियानों हेतु उपयुक्त तंत्र को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा; (3) राज्य, राज्य पुलिस बलों और आसूचना संबंधी कार्य को भी सुदृढ़ करेंगे और उनका उन्नयन करेंगे; तथा (4) राज्य, सुशासन और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु राज्य और जिला स्तरों पर विशेष तथा स्थायी प्रशासनिक ढांचे का गठन करेंगे तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें दी गई निधियों का उचित ढंग से उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

14. सरकार, नक्सलवाद के खतरे से अवगत है और वह व्यर्थ की हिंसा में संलिप्त नक्सलवादियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। सरकार, राजनीतिक, सुरक्षा और विकास मंचों पर बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, नक्सलवादियों और उनके आधारभूत ढांचे के विरुद्ध और अधिक केन्द्रित, सतत और गहन नक्सलवाद-विरोधी अभियान चलाने में राज्य सरकारों के प्रयासों में आगे और मदद करने की भी इच्छुक है।

अपराह्न 12.34$^1/_2$ बजे

(सात) 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, गिरीडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर 11.11.2005 को होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र गिरीडीह, झारखंड पर हुए नक्सलवादी हमले से संबंधित वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।**

[हिन्दी]

2. राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस महीने की 11 तारीख को लगभग 1720 बजे लगभग 150 नक्सलवादियों ने गिरिडीह शहर में जिला होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर हमला किया। यह हमला इतना अचानक, फुर्ती और छद्मपूर्ण ढंग से किया गया था कि संतरी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका और उसे काबू कर लिया गया। नक्सलवादियों ने मौके पर ही तीन होम गार्डों और एक बाहरी व्यक्ति को मार दिया तथा 183 बंदूकें (31-4डी पी राइफलें, 91-.4 मार्क राइफलें, 10-.22 राइफलें, 51-.303 राइफलें), 2 रिवाल्वर और लगभग 2500 राउंद गोलाबारूद लूट लिया। जिला होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर हमला करने से पहले, नक्सलवादियों ने सड़क के किनारे ट्रैक्टरों में बारूदी सुरंगें प्लांट करके/सुरंगें/आईईडी रख कर शहर में प्रशिक्षण केन्द्र की ओर जाने

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2872/2005

वाली अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का रास्ता रोक दिया था। साथ ही साथ, नक्सलवादियों ने होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र से लगभग 300 गज की दूरी पर गिरिडीह-जमुआ सड़क पर विस्फोट से एक ट्रैक्टर को उड़ा दिया। नक्सलवादियों ने हथियार लूटने के पश्चात, वहां पास ही में चल रहे गोशाला मेले में निरुद्देश्य गोलीबारी की जिससे मेले में भगदड़ मच गई और एक सिविलियन की मृत्यु हो गई। उन्होंने गिरिडीह-डुमरी बाईपास सड़क पर एक पुलिस पार्टी पर भी घात लगाकर हमला किया जिससे झारखंड सशस्त्र पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया। हमला करने के पश्चात नक्सलवादी बिहार में जमुई जिले की सीमा पर स्थित पारसनाथ, झुमरा हिल्स और गनवा जंगलों की ओर भाग गए।

3. इन हमलों में कुल मिलाकर 8 व्यक्ति (4 होम गार्ड, 2 जे ए पी और 2 सिविलियन) मारे गए और 9 अन्य (6 होम गार्ड और 3 सिविलियन) घायल हो गए।

4. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें गिरिडीह जिले में पुलिस पिकेटों/पुलिस स्टेशनों/पुलिस प्रतिष्ठानों पर नक्सलियों द्वारा हमला के संबंध में जानकारियां थीं और इस संबंध में जिला पुलिस को सूचित कर दिया गया था। तथापि, शहर के बीचों-बीच स्थित होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर हमला होने के संबंध में सोचा भी नहीं गया था।

5. राज्य सरकार ने गिरिडीह और कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद के साथ लगे अन्य जिलों में जोनल महानिरीक्षक, बोकारो और जोनल महानिरीक्षक, रांची की अगुवाई में व्यापक रूप से घेराबंदी-तलाशी और छान-बीन अभियान शुरू किया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, घटना के बाद चलाए गए अभियानों में एक मुठभेड़ में 3 नक्सलवादियों को निष्क्रिय किया गया है तथा हजारीबाग और अन्य जिलों में 7 अन्य को पकड़ा गया है। नक्सलवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों को चालकों सहित हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए नक्सलवादियों और संदिग्ध ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है।

6. राज्य सकार ने सभी जिला अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया है और उनसे शस्त्र और गोलाबारूद प्रतिष्ठानों और जेलों में भी सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

7. केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है और वह नियमित आधार पर स्थिति का प्रबोधन कर रही है। झारखंड में नक्सलवादी-विरोधी ड्यूटी के लिए सी आर पी एफ की 5 बटालियनें तैनात की गई हैं। राज्य सरकार से एक व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा गया है ताकि नक्सलवादियों को पकड़ा जा सके और नक्सलवादियों द्वारा होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र से लूटे गए हथियार और गोलाबारूद बरामद किया जा सके।

अपराह्न 12.35 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से 28 नवम्बर, 2005, सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए किये जाने वाले सरकारी कार्यों की घोषणा करने के लिए खड़ा हूं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सरकारी कार्य के किसी भी मद जो आज के आदेश पत्र से आगे लाया गया हो, पर विचार किया जाना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना एवं पारित किया जाना:-

   (1) भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध) विधेयक, 2004.

   (2) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005

3. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के निरनुमोदन की मांग वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कराधान विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार करना तथा पारित करना।

4. मणिपुर विश्वविद्यालय (अध्यादेश), 2005 के निरनुमोदन की मांग वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा मणिपुर विश्वविद्यालय (सं. 2) विधेयक, 2005 पारित किये जाने के बाद इस पर विचार करना तथा पारित करना।

5. आपदा प्रबन्धन विधेयक, 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद इस पर चर्चा करना तथा पारित करना।

अध्यक्ष महोदय: सभा का कार्य सभा पटल पर रखे गए कार्यक्रम के अनुरूप किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे इस पर पूरा ध्यान देंगे। मैं इन्हें संबंधित मंत्री को भिजवा दूंगा।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि ये सभी मंत्री को भेजे जाएं।

*डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मुद्दे भी जोड़ दिये जाए:

1. देशभर में नदियों को जोड़ने के कार्य को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया जाना चाहिए। यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाए और मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत दो परियोजनाएं इसमें सम्मिलित की जायें। नर्मदा क्षिप्रा जल संरक्षण योजना के एक भाग के रूप में मालवा क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

2. केन्द्रीय सड़क निर्माण निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश से संबंधित सभी सड़क निर्माण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाए। मध्य प्रदेश के विशेषकर उज्जैन के कई शहरों में यातायात की भीड़ कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कृपया प्रारंभ होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

1. ग्वालियर-आगरा फोर्ट-जयपुर के बीच ब्राडगेज पर चलायी गयी नयी इंटरसिटी रेलगाड़ी को सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी एवं महत्वपूर्ण तीर्थाटन केन्द्र अजमेर तक अविलम्ब चलाये जाने की आवश्यकता।

2. लगातार कई वर्षों से अकाल एवं सूखे से पीड़ित तथा पिछड़ेपन एवं बी.पी.एल. तथा निर्धन परिवारों की संख्या को देखते हुए तथा सीमान्त कृषकों की बहुलता को दृष्टिगत रख कर अजमेर जिले को शीघ्र ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

**श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): महोदय, इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित किए जाएं:-

1. देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों पर जातिगत दुराग्रहों एवं पूर्वाग्रहों के कारण अत्याचारों एवं भेदभाव की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और सामूहिक संगठित हमले हो रहे हैं, इस विषय सहित अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर चर्चा।

2. राजस्थान राज्य की विस्तृत भौगोलिक संरचना में विशाल रेगिस्तान, पहाड़ी जंगल, सूखा प्रवण तथा अल्प विकसित क्षेत्रों का समावेश होने के कारण इसकी चहुंमुखी विकास व प्रगति के लिए आधारभूत ढांचा निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला होने से इस राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

अपराह्न 12.36 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 25 नवम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 25 नवम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था, उस पर आपका नियमन चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण के लिए एक नोटिस दिया है।

---

*मूलतः संस्कृत में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, ध्यानाकर्षण इस प्रकार से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अब तक आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानते हैं कि ध्यानाकर्षण क्या होता है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तो, मुझे लगता है कि परिचालन कक्षा आयोजित करनी पड़ेगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.37 बजे

स्थगन प्रस्ताव

इराक में संयुक्त राष्ट्र के 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम में गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कुछ भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों की कथित संलिप्तता—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब विपक्ष के माननीय नेता बोलेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

महोदय आज 28 नवम्बर, 2005 को लगभग एक माह पूर्व 27 अक्टूबर 2005 को वोल्कर समिति के सभापति श्री पाल वोल्कर ने न्यूयार्क में वोल्कर समिति की पांचवीं और अन्तिम रिपोर्ट जारी की। एक महीने के पश्चात् यह सभा इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रही है।

वोल्कर समिति की प्रकृति और इसे सौंपा गया कार्य कुछ इस प्रकार का था कि उस पर इस सभा में आमतौर पर बड़ी चर्चा नहीं होती। यह विषय मुख्यत: संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था कि कैसे इराक के लोग जो उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बड़ी कठिनाई मे थे, को राहत देने के लिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम बिल्कुल ही बदल गया और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय इस पूरे समय में क्या कर रहा था। उसी दिन सभापति की निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियां इस प्रकार थी:

> "तेल के कई क्रेताओं और मानवीय सामग्रियों के विक्रेताओं द्वारा भ्रष्ट तथा अवैध गतिविधियों की समिति के जांच के परिणाम से समिति को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी और प्रबन्धन की विफलता संबंधी समिति का मूल निष्कर्ष सिद्ध हुआ है। प्रशासनिक रिपोर्ट के माध्यम से सुदृढ़ कार्यकारी नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र में और अधिक विश्वसनीय नियंत्रण और लेखापरीक्षा पर बल दिया जाता है।"

मैं सभापति की इस खास टिप्पणी का उद्धरण मात्र इस बात पर जोर देने के लिए दे रहा हूं कि चर्चा की विषयवस्तु हम नहीं थे; भारत नहीं था। श्री वोल्कर के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच समिति की चर्चा और जांच का विषय यह था कि क्यों एक कार्यक्रम जो अत्यधिक मुसीबत झेल रहे इराक के लोगों के लाभार्थ बनाया गया कार्यक्रम एक विशाल भ्रष्टाचार और इराक सरकार को अवैध सहायता का कार्यक्रम कैसे बन गया, आदि?

पहली चार रिपोर्टें मुख्यत: संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से संबंधित थी कि संयुक्त राष्ट्र उस समय क्या कर रहा था। अब पांचवीं रिपोर्ट में, इन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी कागजात उन्होंने खोजे थे, आश्चर्यजनक ढंग से इराक सरकार ने इन सभी लेन देनों के रिकार्ड बहुत सावधानी से संभाल कर रखे थे। अधिकारियों के बारे में, वस्तुत: जब मैं संयुक्त राष्ट्र के श्री शशि से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि "शासनाध्यक्ष ने अपनी इच्छा से बांटा होगा और जिस किसी भी चीज पर हस्ताक्षर किए होंगे, रिकार्ड को सम्भाल कर रखा गया था।"

ऐसा हुआ था कि तेल मंत्रालय का भवन नष्ट नहीं हुआ था, ना ही उस पर बम गिरे थे और इस वजह से कागजात मौजूद हैं। अतएव, जब पांचवा खंड इन सभी रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुआ तब स्वाभाविक रूप से देश आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें आखिर इतनी भारतीय कंपनियां कैसे आ गयी। 125 से अधिक, लगभग 130 कंपनियों का उल्लेख था। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी कि इस प्रकार के कार्य से वे फायदा उठा रहे थे। यह बहुत बड़ा घोटाला था। उन्होंने बहुत पैसा कमाया।

हमें निश्चय ही धक्का लगा था और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को और अधिक धक्का लगा होगा जब इसे गैर संविदात्मक लाभभोगियों के बीच देश के विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी का नाम मिला होगा। ...*(व्यवधान)* अतएव, यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब कुछ समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, "यह कैसे हुआ, इससे मैं बहुत क्षुब्ध और रोष में

हूं।'' मैंने उसी दिन उनके वक्तव्य का स्वागत किया। 15 नवम्बर को जब वह हिन्दुस्तान टाईम्स कान्क्लेव को संबोधित करने गयी तो सुबह उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं। शाम में मुझे भी उसी कान्क्लेव में आमंत्रित किया गया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्वागत किया। किन्तु मुझे आश्चर्य हुआ था और उस आश्चर्य को मैं आज भी व्यक्त करता हूं। उन्हें इस प्रकार की निराशा व्यक्त करने में लगभग तीन सप्ताह क्यों लग गए? ऐसा वोल्कर समिति की रिपोर्ट आने के तत्काल पश्चात किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा किया गया होता तो ना ही विदेश मंत्री और ना ही कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिये जाते। किसी ने ऐसा नहीं कहा होता।

श्री नटवर सिंह की आरंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे सही में आश्चर्य हुआ था। उन्होंने आपनी आरंभिक प्रतिक्रिया फ्रैंकफर्ट से दी थी। बाद में जब वह यहां आए तो उन्होंने यहां तक कहा कि यह रिपोर्ट पूरी...* असत्य है। जब हम राष्ट्रपति से मिलने गए तो श्री जार्ज फर्नांडिज और अन्य सहयोगी भी वहां थे। हमने उनसे कहा कि क्या यह तरीका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपति को वाद-विवाद में न लाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे माननीय मंत्री को उद्धृत करने दीजिए। एक स्थान पर उन्होंने कहा, ''मैं एक राजनयिक हूं और एक राजनयिक होने के नाते मेरी अपनी सीमाएं हैं। मुझे नियंत्रित रोष से अधिक कुछ कहने की अनुमति नहीं है।'' उन्होंने कहा कि राजनयिक को केवल नियंत्रित रोष की भावना दिखाने की ही अनुमति है।

किन्तु उन्होंने वास्तव में जो कुछ कहा जिसे पीटीआई न्यूज एजेन्सी द्वारा विस्तार से दिखाया गया था कि, ''यह रिपोर्ट...* असत्य है।'' उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ कार्यकर्त्ताओं की छवि धूमिल करने की साजिश है। वोल्कर समिति कांग्रेस पार्टी और इसके कुछ कार्यकर्त्ताओं को बदनाम करना क्यों चाहेगी? कार्यकर्त्ता शब्द का इस्तेमाल किए बिना इसी प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी महासचिव द्वारा दुहरायी गयी थी। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास है। जब प्रेस के लोगों ने उनसे नटवर सिंह के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि, ''मैं उनके बारे में नहीं बता सकती। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रही हूं।'' इस पर विस्तार में चर्चा हुई है और इसीलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं।

किन्तु मैं कहूंगा कि पूरे वोल्कर समिति रिपोर्ट की यह पृष्ठभूमि है और इसे ऐसी ही स्वीकार किया जाना चाहिए। वोल्कर समिति के सभी तीनों सदस्य प्रख्यात व्यक्ति है। श्री वोल्कर स्वयं अपने क्षेत्र में प्रख्यात नेता हैं। वे अमरीका में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रहे हैं।

अन्य सदस्य, अपराध और अपराध-विज्ञान के प्रोफेसर हैं तथा उन्हें धन-शोधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है। तीसरा व्यक्ति स्विटजरलैंड में एक न्यायाधीश है। अत: वे सभी प्रख्यात व्यक्ति हैं और वे भारत के विरुद्ध नहीं हैं। वे भारत के विरुद्ध नहीं हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष अथवा पार्टी के विरोधी नहीं हैं। इस पर विचार करने के लिए जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई तो पहले ही दिन उन्होंने पूरे विश्व को कानूनी कार्रवाई करने का संकेत तक दे डाला। बाद में श्री चिदम्बरम ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकदमा चलाने अथवा मान हानि की बात ही नहीं की। हो सकता है कि उन्होंने मुकदमा चलाने अथव मान हानि की बात न की हो परन्तु कानूनी कार्यवाही की बात कही गई थी कि कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। श्री वोल्कर की स्वयं इसका संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार के नोटिस का स्वागत करेंगे और उन्हें नोटिस तो भेजने दीजिए। तो स्पष्ट है कि हमारे मित्र श्री कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने उन्हें बताया होगा कि वे यह किस प्रकार कर सकते हैं। यह संभव नहीं है। तत्पश्चात्, उन्हें इसका अहसास हुआ होगा इसलिए उन्होंने अपनी धमकी वापस ले ली। परन्तु आरंभिक प्रतिक्रिया धमकी वाली थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से भेंट करते हैं और बार-बार कहते हैं कि उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली नहीं हैं। तत्काल प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए थी कि यदि ये नाम सामने आए हैं तो इसकी पूरी जांच की जाएगी। इस स्थिति में आज जो स्थिति है, वह पैदा नहीं होती। आरंभिक प्रतिक्रियाओं में पूरी रिपोर्ट को बकवास और विद्वेषपूर्ण तथा मनगढ़न्त कहा गया और अब स्थिति यह है कि हमने जांच आरंभ कर दी है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तथा वोल्कर समिति से तथ्यों का पता लगाने के लिए पहले श्री वीरेन्द्र दयाल की नियुक्ति की। उसके बाद, दबाव बढ़ता गया। मेरे दल तथा एनडीए से संबंध रखने वाले अन्य दलों ने यह दबाव बनाया था। परन्तु इससे भी बड़ा दबाव मीडिया ने डाला था। लगभग सभी की राय यही थी कि इस स्थिति में श्री नटवर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनयिक हलकों में भी आमतौर पर कहा जाता है कि इस प्रकार की रिपोर्ट में नाम आने के बाद कोई व्यक्ति विदेश मंत्री किस प्रकार बना रह सकता है। स्पष्ट रूप से यह मान लिया गया था कि वह विदेश मंत्री बने नहीं रह सकते। हालांकि वह स्वयं यह कहते रहे कि ''मैं विदेश मंत्री बना रहूंगा, आप देखते रहना''। उन्होंने, उनसे पूछा कि यदि कुछ समय बाद वह आपकी लाइब्रेरी में आपसे

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

मिलने आएं तो क्या आपको उम्मीद है कि आप विदेश मंत्री बने रहोगे। उन्होंने कहा कि "बिल्कुल, क्यों नहीं? वह विदेश मंत्री बने रहेंगे। उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए? इस प्रकार के वक्तव्य न तो सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और न ही देश की। देश को वोल्कर समिति की रिपोर्ट को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि ये उनके निष्कर्ष हैं। उनका कहना था कि, उन्हें जो भी दस्तावेज तेल मंत्रालय इराक सरकार से मिले हैं वे उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। हम वोल्कर समिति को दोष क्यों दें? इराक हमारा शत्रु नहीं है।

जहां तक इराक के विरुद्ध अमरीका अथवा संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी सरकार की इस बारे में अलग राय होती। जब हमारी सरकार थी तब हमने इसका समर्थन नहीं किया था। अब आपकी सरकार है। परन्तु यह कहा जा रहा है कि चूंकि हमने अमरीका के विरुद्ध कतिपय रूख अपनाया था, जिसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र पर भी पड़ा था, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। इस प्रकार के वक्तव्य तथा ऐसी टिप्पणियां हमारी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): एनडीए सरकार केन्द्र में छह वर्ष तक सत्ता में रही और श्री राम नाईक तब पेट्रोलियम मंत्री थे। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे इसकी जानकारी है। इसलिए मैंने तत्काल तत्कालीन तेल मंत्री से पूछा था कि उस समय क्या हुआ था। मेरा ध्यान जब वोल्कर समिति की रिपोर्ट तथा आंकड़ों की ओर दिलाया गया तो मैं संतुष्ट हो गया था। इसके अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन के नाम के धन को नहीं लिया गया था और किसी प्रकार की दलाली नहीं हुई थी। जब यह बातें सामने आईं तो, मेरे पूर्व तेल मंत्री ने मुझे यह बताया और मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे तत्काल पूछा था कि क्या हुआ था।

माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय विधि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक को वे सब अधिकार क्यों नहीं दिए गए, जो उन्हें जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने चाहिए थे। उन्हें अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक प्राधिकरण बनाया गया है। वहां हमारा सदस्य मुझे और अधिक जानकारी देगा। परन्तु मुझे लगता है कि अधिनियम के उस उपबंध विशेष के अंतर्गत एक आयोग के अधीन सभी अधिकार उन्हें दिए जा सकते हैं, हालांकि यह निर्भर करता है कार्यकारिणी पर, जब उसका एक आयोग के रूप में गठन किया जाता है तो उसे उसके अधिकार संसदीय अधिनियम से प्राप्त होते हैं। उसे कार्यकारिणी द्वारा अधिकार नहीं दिए जाते। जैसे कि उदाहरण के लिए आज एक प्राधिकरण लोगों से पूछताछ नहीं कर सकता जबकि एक आयोग हमेशा ही लोगों से पूछताछ करता है। इसके अतिरिक्त, मेरा मानना है कि एक आयोग धारा 8बी के अंतर्गत एक व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है, यह प्राधिकरण धारा 8बी के अंतर्गत एक नोटिस तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक कि सरकार उसे यह अधिकार नहीं देती और सरकार जो अधिकार उसे देती है, उन्हें कभी भी वापस ले सकती है। यदि आज वह उसे यह कहकर अधिकार देती है कि "ठीक है, आप एक विशेष मामले में लोगों से पूछताछ कर सकते हैं और जब एक व्यक्ति बयान देने आएगा तो सरकार कह सकती है कि हम इस अधिकार को वापस लेते हैं।" मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक के प्राधिकरण को इतना सीमित क्यों रखा गया है? उन्हें जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण आयोग क्यों नहीं बनाया गया? जहां तक मुझे याद है जब तक बनाए गए सभी जांच आयोग, हमेशा आयोग ही रहे हैं। मुझे ऐसे किसी मामले का ध्यान नहीं आता। जब एक आयोग को एक प्राधिकरण में बदलने के लिए इस धारा 11 का प्रयोग किया गया हो और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो तथा उन पर इस प्रकार से अंकुश लगाया गया हो। कुछ तर्क भी तो होना चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसके पीछे क्या तर्क है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में भ्रान्तियां तथा संदेह हैं कि यहां एक ऐसी सरकार है, जिसने कि आरंभ में कहा था कि यह बकवास है तथा इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने माना कि हो सकता है कि किसी ने अपने निजी लाभ के लिए कांग्रेस के नाम का दुरुपयोग किया हो।

यह बहुत गम्भीर मामला है। यदि यह सच है कि तो सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि जांच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए तथा जस्टिस पाठक यह पता लगा सके कि वह कौन है जो कांग्रेस दल के नाम का दुरुपयोग करके धन कमा रहा है। कैसे भी, इस वोल्कर समिति रिपोर्ट में कांग्रेस दल का नाम आना देश के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष के लिए इसे मुद्दा बनाना लाभकारी हो सकता है। किन्तु, वास्तव में, मुझे आश्चर्य है कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने क्यों-क्या यहां कम्यूनिस्ट पार्टी से कोई-मौन? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कांग्रेस पार्टी और सरकार तो कम से कम रिस्पौंसिव हुई। जब आलोचना हुई तो उन्होंने

[अनुवाद]

श्री नटवर सिंह को विदेश मंत्रालय के पद से हटा दिया और श्री आर.एस. पाठक को नियुक्त कर दिया।

[हिन्दी]

मुझे याद नहीं किसी स्टेज पर कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोब की भी मांग की हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमारी पार्टी ने सबसे पहले जांच की मांग की थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आपको इस समय उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी की ओर से अन्य कोई बोलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री सलीम जब आप वाद-विवाद में भाग लेंगे तो आपको उत्तर देने का अधिकार होगा।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे यह जानकारी दीजिए क्या मौन का इस तथ्य से कुछ संबंध है। जब मैंने इस विशेष घोटाले के गैर-संविदात्मक लाभभोगियों से संबंधित तालिका-3 का गौर से अध्ययन किया तो मैंने देखा कि इसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में कम्यूनिस्ट पार्टियों द्वारा शासित आधे दर्जन से भी अधिक देशों के नाम शामिल थें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी पढ़कर सुना देता हूं कि किस-किस कंट्री की कम्युनिस्ट पार्टी बेनिफिशरीज रही है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अगर हमारी कंट्री में नहीं है तो छोड़ दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको तो कम से कम डिमांड करनी चाहिए। इसका पता लगाना चाहिए कि किसने पैसे लिये हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: सबसे पहले हमने डिमांड की है। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): उन कंट्रीज की लिस्ट में नाम देखने से पहले ही हम प्रोब की डिमांड कर चुके हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी: कृपया दूसरे देशों के नाम यहां नहीं उठाइये। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कह रहा हूं। मैं दूसरे नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: यह सब तो होता ही है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान में किसी कम्युनिस्ट का नाम नहीं मिला। *...(व्यवधान)* मैं आडवाणी जी को सिर्फ याद दिला रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: थोड़ी-थोड़ी टोका-टाकी अच्छी है। एक दफा टोका-टाकी हो गयी इसलिए अब मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, सभा के नेता ने श्री कुट्टी जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, के मामले का उल्लेख किया था। किन्तु, इस सभा में, हमने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। उन सभी चर्चाओं में हमने हिंसा

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

और हत्याओं पर चिंता व्यक्त की थी और हमने आतंकवाद के वित्त पोषण पर हमेशा चिंता जताई कि अन्य देश किस प्रकार इसे वित्त पोषित कर रहे हैं। वास्तव में, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध दिया गया व्यापक संकल्प मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के बारे में था। मैं कहता हूं कि भारत में आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वित्त पोषण गलत है। भारतीय व्यापार में किसी भी प्रकार का वित्त पोषण देश की सम्प्रभुता या राजनैतिक दलों अथवा लोगों की निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रभावित होती है। यह बहुत दुखद बात है। निस्संदेह भ्रष्टाचार एक बुराई है किन्तु वोल्कर ने जो रहस्य उद्घारित किया है वह भ्रष्टाचार के साथ-साथ ईमानदारी के अभाव को दर्शाता है। यह देश के राजनैतिक नेतृत्व की, देश की सम्प्रभुता और निर्णय लेने संबंधी स्वतन्त्रता के प्रति वचनबद्धता के अभाव का द्योतक है। यह दुखदायी और शर्मनाक मामला है। इसलिए, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार मित्रोखिन अभिलेखों यद्यपि यह पुस्तक के रूप में नहीं है, द्वारा किये गए रहस्योंद्घाटनों पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि हम इस पुस्तक पर चर्चा नहीं कर सकते किन्तु इसमें किये गए रहस्योद्घाटन बहुत गम्भीर हैं और इन पर विचार किया जाना चाहिए।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं आपसे चाहता हूं कि इसी मामले पर मैंने यहां ब्रिटिश उच्चायोग से जानकारी ली है और मुझे यह बताया गया कि इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हाउस आफ कामन्स में उठाने की अनुमति दी गई और उनका उत्तर दिया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम इस पर क्यों न चर्चा करें। किन्तु यह मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि मित्रोखिन अभिलेखों के मामलों पर चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे बहस करना चाहता हूं कि और इस मामले पर आपके साथ अलग से चर्चा करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: और वह* का दौरा? *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वह ही क्यों? बहुत सारे लोग गये होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर उसमें उनका नाम होता तो मैं पहले ही कह देता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी छोड़िए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो इस सभा का सदस्य नहीं है, के नाम का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जहां तक मेरा संबंध है, यदि उनका नाम उसमें है तो मैं जांच की मांग करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी पार्टी के किसी सदस्य के संलिप्त होने से इंकार नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि यह मामला वोल्कर समिति की रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। यह मामला भारतीय राजनीति की भेद्यता, भारतीय राजनीतिज्ञों की भेद्यता, भारतीय राजनैतिक दलों की भेद्यता जो मोटे धन के लालच में आ जाते हैं, का है। इस मामले में मोटे धन का लालच निश्चित तौर पर हमें प्रभावित करता है। श्री चिदम्बरम सहमत है। मुझे याद है जब वे गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में गृह राज्य मंत्री थे तो मैंने विदेशी वित्त पोषण का मुद्दा उठाया था। हमारे देश में एक कानून है। मैं नहीं जानता कि क्या अन्य देशों में भी ऐसा ही कानून मौजूद है। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का निमंत्रण स्वीकार करता है और वहां जाकर सरकार की बिना अनुमति के उनका सत्कार स्वीकार करता है, जब वह वापस आता है तो उससे यह कहा जाता है कि आपने सरकार की अनुमति के बिना ऐसा किया। और तो और एक कप चाय भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। जहां तक विदेशी वित्त पोषण का संबंध है आम आदमी के लिए कड़े कानून हैं।

पिछले कुछ महीनों में जो रिपोर्ट आई हैं वे यह दर्शाती है कि यह रिपोर्ट उन राजनैतिक दलों और राजनेताओं पर लागू नहीं होती है जो अकूत धन एकत्र किए हुए हैं। अतः हालांकि इस पर चर्चा किए जाने की जरूरत है, मैं आपसे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और गृहमंत्री से यह अपील करता हूं कि भारतीय राजनीति पर विदेशी धन का इतना अधिक प्रभाव क्यों है, इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यदि इसके लिए किसी कानून की जरूरत पड़े तो वह भी बनाया जाना चाहिए। किंतु वह कानून वर्तमान कानून अर्थात् विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम जैसा न हो जोकि उन छोटे व्यक्तियों अथवा संसद सदस्य पर लागू होता है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं अथवा उस पत्रकार पर लागू होता है जो इसके बारे में नहीं जानता है। मेरा अंतिम सवाल यही है। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः जब आप होम मिनिस्टर थे, तब आपने अपने समय में फारेन फंडिंग के बारे में इन्क्वायरी क्यों नहीं किया? तब आपने इंक्वायरी क्यों नहीं की? तब आप क्यों पीछे हट गए? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

''कि अब सभा स्थगित होती है।''

यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है। हम काफी अच्छी चर्चा कर सकते हैं। पहले ही अच्छी शुरूआत हो चुकी है।

माननीय सदस्यों, आप भोजनावकाश चाहते हैं अथवा नहीं? क्या आप विश्रांतिकाल चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्यगणः हां।

अध्यक्ष महोदयः अब भोजनावकाश होगा। हम अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होंगे। मतदान सायं 6 बजे के आसपास होगा।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह प्रतिपक्ष के माननीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा सदन में स्थगन प्रस्ताव उठाया गया, जिस पर बहस की आपने अनुमति दी। इसके संदर्भ में उन्होंने जो बयान दिया, मुझे उसे सुनने का मौका मिला। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत इस बयान से होती है-

[अनुवाद]

> ''इराक में संयुक्त राष्ट्र के 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम के गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कतिपय भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों की कथित अंतर्वलिता जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में प्रतिवेदन किया गया है, के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में केन्द्र सरकार की विफलता और उसका इस गंभीर अपराध पर पर्दा डालने का प्रयास करना।''

[हिन्दी]

आडवाणी जी ने स्थगन प्रस्ताव पर इस बात पर जोर और बल दिया कि जब यह रिपोर्ट आई, तब से अब तक केन्द्रीय सरकार के पास एक्शन लेने के लिए पर्याप्त समय था। आडवाणी जी देश के उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं और गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की जिम्मेदारी सम्भाली है। वह भी जानते हैं कि सरकार के पास कदम उठाने का मसला तब आता है, जब सरकार के पास कुछ कागज हों या कुछ तथ्य उसे मिलें। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का इस पर क्या रवैया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा जो पाल वाल्कर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की पांचवीं और फाइनल सब्स्टेंशियल रिपोर्ट 27 तारीख को आई। वैसे वह एक तरह से दुनिया को पेज-बाई-पेज इसकी खबर आती रही थी। दुनिया के पत्रकारों को, राजनीतिक नेताओं को इसके बारे में पता चलता रहता था। 28 और 29 तारीख को यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसके दो वाल्यूम थे। आप रिपोर्ट के वाल्यूम एक और दो में एक जगह भी हमें दिखा दें कि जहां भारत के किसी बड़े बिजनेस घराने या किसी बड़े व्यक्ति का नाम हो। जिनका नाम है भी, उन्हें इस बारे में नोटिस देकर उनका जवाब इस रिपोर्ट के अंदर दाखिल करने का काम उन्होंने किया है।

मैंने बड़े गौर से रिपोर्ट के दोनों वाल्यूमस्स के एक-एक पन्ने को पढ़ने की कोशिश की है। मैंने देखा कि दोनों वाल्यूम्स के अंदर जिन देशों या कम्पनीज का जिक्र था कांट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के बारे में या नानकांट्रैक्चुअल बेनिफिशरीज के बारे में, उन्हें बाकायदा नोटिस दिया और उन्होंने जवाब में क्या कहा, इसे भी उस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि अनवेरीफाइड डाक्यूमेंट्स, अनवेरीफाइड ट्रांजेक्शन के ऊपर लिस्ट उन्होंने निकाली, यह आज से नहीं सदियों से है। यह लिस्ट

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

निकालने के बाद "अलमादा" न्यूज मैगजीं‍स से लेकर कई पत्रिकाओं के अंदर भारत का जिक्र दो जगह किया गया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आल इंडिया कांग्रेस नहीं, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारी पार्टी का नाम क्या है, उन्होंने इंडिया कांग्रेस पार्टी करके और एक आदमी का नाम देकर उसे टेबल किया, जिसे पाल वाल्कर ने खुद कहा अनवेरीफाइड। आडवाणी जी ने सही किया, आपने बड़ी कुशलता के साथ सही मोशन यहां रखा। आपने यह नहीं कहा कि मेरे पास सबूत हैं, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह शब्द जोड़ दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपकी राय बहुत अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो परम्परा के मुताबिक ही होता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अनवेरीफाइड क्लाइंट्स, अनवेरीफाइड इस्यू के बारे में बताना चाहता हूं। इस सदन के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा विक्टिम होने की मिसाल है तो वह खुद हमारे आडवाणी जी हैं। इस देश में एक दिन पत्रिकाओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा यह उछालने की कोशिश की गई कि फलां-फलां नेता ने जैन से पैसा लिया और जैन डायरी में उनका नाम है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उस पर क्या रिस्पांस था?

अध्यक्ष महोदय: आप बीच में न बोलें।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: उन्होंने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसी बात पर आ रहा हूं। आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं यह जानता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं यह जानता हूं। पहले मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बात सुनें। ...*(व्यवधान)* महोदय, यदि वे शुरुआत में ही इस पर मुझे बीच में टोकते रहे तो मुझे आपके संरक्षण की जरूरत होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हरिन जी आप जानते हैं कि वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इन्हें कहूंगा कि पहले मेरी बात सुन लें। अनवैरीफाइड डाक्यूमेंट के शिकार दुनिया के कोने-कोने में लोग हुए हैं, उसके बारे में मैंने कहा था। आडवाणी जी ने सही कहा कि कोर्ट जांच करे, पड़ताल करें। जब तक जांच न हो, मैं सदन में नहीं आऊंगा। यह बात मैं कहने ही जा रहा था। जैन डायरी में अगर किसी का नाम चला गया तो वह दोषी साबित हो गया। लेकिन अदालत ने माननीय आडवाणी जी को बरी किया। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं।

आज की चर्चा बहुत सीमित है कि वोल्कर समिति की टेबल 1 से 5 के अंदर ट्रांजैक्शन लिस्ट में ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो नाम हैं, उनके बारे में सरकार का रवैया क्या है? ट्रांजैक्शन तब हुआ जब भारत सरकार ने नेतृत्व में यूपीए सरकार नहीं थी। अगर ट्रांजैक्शन हुआ उसमें भारत सरकार की कोई इंवोल्वमेंट नहीं थी। जब वोल्कर कमेटी की टेबल 1 से 5 में डिटेल्ड लिस्ट आई, जिसकी आधी लिस्ट के बारे में लोगों ने इंकार भी कर दिया, तो एक देश की सरकार को क्या करना चाहिए? 29-30 तारीख को देश के सारे अखबारों में इस बारे में चर्चा छाई रही। हमारी सरकार ने 6 तारीख को यानि एक हफ्ते के अंदर ही माननीय दयाल जी को नियुक्त किया के वे सारे तथ्यों को जुटाने के लिए खुद जाएं। हमारी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर ऐलान किया कि इसकी जड़ में क्या है यह पता लगाया जाएगा। यह देखने के लिए मैं इंक्वायरी अथारिटी माननीय आरएस पाठक के द्वारा बैठा रहा हूं। क्या सरकार ने तुरंत कारवाई नहीं की? साथ ही साथ विदेश मंत्री जिनको युनाइटेड नेशन्स के साथ बात करनी, विदेश मंत्रियों से बात करनी होती है और प्रोटोकोल को निभाना है, आठ दिन के अंदर सरकारी कार्यवाही की गई। दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, किसी देश के साथ रिश्ते बिगड़ें, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। जो देश सावरन हैं, लोकतंत्र जहां मजबूत है, वहां हमारी सरकार ने इतने कम समय के अंदर इंक्वायरी कमेटी ही बैठाई हो, ऐसा नहीं बल्कि उनको प्राइमरी कागज क्या-क्या मिलने चाहिए, उसकी छानबीन के लिए भी एक व्यक्ति भेजा है और तुरंत ट्रांजैक्शन के दायरे में, फैमा का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए भी डायरेक्टर आफ इंफोर्समेंट को आदेश दिया। क्या यह एक्शन नहीं है? क्या यह कोई कार्यवाही नहीं है? इसका तुलनात्मक विवरण मैं बाद में दूंगा। मैं आपको तुलनात्मक सूची बाद में दूंगा। सदन में जब चर्चा के लिए नियम 184 के तहत और एडजर्नमेंट मोशन के तहत बात आई तो चर्चा करने से पहले हम बहुत लड़ाई कर सकते थे कि नियम 184 में यह दायरा नहीं आता है, आर.एस. दयाल पर चर्चा क्यों होगी आदि, लेकिन पहले ही दिन सरकार की तरफ से हमने अपना रवैया साफ कर दिया कि चर्चा किसी भी नियम के तहत आ जाए, हम चर्चा के लिए के लिए तैयार हैं। हम तो दो दिन पहले ही चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन एनडीए की विक्टरी की खुशी के लिए दो दिन और लग गये। सरकार का रवैया पहले दिन से साफ था।

जिन लोगों के, दुनिया के बारे में, लड़ाई के बारे में अलग-अलग ख्यालात हैं और स्वर्गीय पंडित नेहरू जी जब देश के प्रधान मंत्री नहीं बने थे, उससे बहुत पहले, दुनिया के देशों को, क्रांति के लिए, चाहे स्पेन की सिविल-वार हो, चाहे अफ्रीका की लड़ाई हो, उनकी आवाज गुंजती थी कि हमारी सरकार कब बनेगी, आजादी कब मिलेगी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी की फैसला था कि दुनिया में जो-जो देश अपने को आजाद कराना चाहते हैं, उनका साथ हम देंगे। और भारत सरकार। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने से मत रोकिए, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ही नहीं कम्युनिस्ट मूवमेंट आफ इंडिया सबने मिलकर के दुनिया के जिन-जिन प्रांत में तबाही हुई या तानाशाही हुई, उनके खिलाफ सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज आई। गमाल अब्दुल नासिर के स्वेज नहर क्राइसिस से लेकर नेल्सन मंडेला की रिहाई तक हमारे देश की सरकार ने इस सदन में, कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने हमदर्दी और सहयोग का परिचय दिया। मुझे इस बात का फख्र है कि इराक में सैंक्शन के खिलाफ हमारी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने दुनिया में आवाज बुलंद की। वर्ष 1994 में दो लाख बच्चे मर गए। वर्ष 1995 में एक या दो नहीं पूरे 36 हजार लोग बसरा में दवाओं के अभाव में खत्म हो गए। वे लोग कहां से आए थे? बेबीलोन से आए थे, कुछ यूफ्रेडिस के किनारे से आए थे। राष्ट्र संघ में हम लोगों ने और दुनिया के देशों ने आवाज उठायी। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हम लोग उस समय विपक्ष में बैठते थे। इराक में जिस दिन अटैक हुआ, उस दिन सदन में खड़े होकर हमने कहा कि अटैक बंद करने के लिए सदन की ओर से निंदा होनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उस समय सरकार ने उचित नहीं समझा कि वह खुद कुछ कहे। हम लोगों के दबाव में अध्यक्ष महोदय के द्वारा घोर निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया, जो हिंदी में था। यदि अंग्रेजी में होता, तो आक्यूपेशन फोर्स को तुरंत पता लग जाता। ...*(व्यवधान)* यह रिकार्ड में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। कोई हिन्दी का अपमान नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वे बोल रहे हैं कि हिंदी समझने में देर लगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे हिन्दी में बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जब जवाब दिया जाएगा, तब 45 सवालों के जवाब हम लोग देंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आप हिंदी के बारे में। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने हिन्दी में जो बयान दिया था, वह ठीक ही दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने स्पीकर जी का अभिनन्दन किया कि उन्होंने हिंदी में बयान प्रस्तुत किया। ...*(व्यवधान)* 'कड़ी भर्त्सना' का 'घोर निन्दा' अनुवाद किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यह देखूंगा। यदि किसी के विरुद्ध कुछ कहा गया है तो मैं उसे हटा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): राष्ट्रभाषा का सदन में अपमान किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल मुनी चौबे: आप हिंदी में बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय: आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए। यदि ऐसा कोई आरोप होगा तो मैं उसे हटा दूंगा।

...(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रतिपक्ष के नेता का पूरा हक है कि सदन में सरकार की आलोचना करे और यदि सरकार की कोई गलती हो तो उसको सदन के सामने लाए। ...(*व्यवधान*) वोल्कर रिपोर्ट के मामले में आडवाणी जी ने इस प्रकार की जिम्मेदारी निभाई। मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं।

पहली बात, हमारी पार्टी के ऊपर काफी कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है। उनको जो दुख हुआ और उन्होंने जो हमदर्दी जताई उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पालिसी के बारे में, कामन एक्शन के बारे में अपने आप में सक्षम है। हमारे नेता ने पहले दिन ही साफ कर दिया है कि इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए इंक्वायरी होगी और अगर इंक्वायरी में कुछ सच्चाई सामने आएगी, तो जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही होगी। ...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[*हिन्दी*]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप तुलना कीजिए। मैं हल्ला नहीं करना चाहता हूं। एक घटना वोल्कर की है जिसके साथ भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वोल्कर ने इराक रीजिम को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए न अटल जी, न आडवाणी जी और न ही मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार थे। एक और घटना जिसके लिए भारत सरकार खुद जिम्मेदार थी, उसका डायरैक्ट इनवाल्वमैंट हुआ, उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया? दोनों की तुलना कीजिए। यह वोल्कर की इनक्वायरी रिपोर्ट है। सिक्योरिटी काउंसिल की एप्पान्टिड कमेटी है। जिस रिपोर्ट को आज की तारीख तक सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसकस नहीं किया, अभी तक जनरल असेम्बली ने डिसकस नहीं किया लेकिन हम लोग डिसकस कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। दुनिया के किसी देश ने इसको डिसकस नहीं किया लेकिन हमने इसको डिसकस किया जो बहुत अच्छी बात है। सरकार की अभी नजर बगदाद में नहीं है, न्यूयार्क में नहीं है। दिल्ली में खुद अपनी आंखों के सामने, सदन के स्टोन थ्रो डिसटेंस में, साउथ ब्लाक के स्टोन थ्रो डिसटेंस में, जब पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता की कुशलता दिखाने के लिए 13 मार्च को तहलका एपीसोड को छेड़ा जो लोग कैमरे में पकड़े गए थे, जिस पर बहस करने की मांग करते थक गए, कितने सदस्यों को दस बार चिल्लाते-चिल्लाते कार्डिऐक प्राबलम हो गई लेकिन 184 पर डिसकशन छोड़िए, एडजर्नमैंट मोशन पर बहस छोड़िए 193 पर भी डिसकशन नहीं माना। इन दोनों में अन्तर है। हमने एडजर्नमैंट मोशन मान लिया, नियम 184 पर डिसकशन मान लिया, जिस की वजह से आप बहस करने के लिए खड़े हो गए। हमने सदन में आने से पहले एनक्वायरी बैठ दी और हमने इस पर बहस करवायी। जिन लोगों ने तहलका पर कार्रवाई की, आपने उनके घर छापा मारा, उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया। जिस कम्पनी ने उसे स्पौंसर किया, उसे हिन्दुस्तान के बाहर कर दिया। दोनों में अन्तर है। ...(*व्यवधान*) आप कुछ भी कहिए। काब आफ एक्शन कब होता है? वह जब होता है तब बहस होती है। काज आफ एक्सन उस दिन हो गया, जिस दिन तहलका के लिए इनक्वायरी बैठायी। काज आफ एक्सन उस दिन हो गया था जब मैन इन दी यूनिफार्म को कोर्ट मार्शल में भेज दिया था। आज मैन विदआउट यूनिफार्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की। काज आफ एक्शन के लिए बहस की मांग की लेकिन आपने नहीं करायी। आप इन सब चीजों को छोड़िए। आपकी कोई पालिसी नहीं है लेकिन हमारी पालिसी साफ है। हम खुल्लम-खुल्ला बहस चाहते हैं और इस डिसकशन को मान लिया गया तथा बहस के लिए आगे आए।

इराक में सैंक्शन की बात दुनिया को मालूम है। इसे वोल्कर रिपोर्ट ने भी मान लिया। मैं पैरा पढ़ कर सुना सकता हूं। इंटरनेशनल प्राइस के नीचे, एसक्रो एकाउन्ट के जरिए उनको तेल बेचने की इजाजत मिली और ह्यूमैनटेरियन ग्रुप्स में जो आता था, उसकी कीमत इंटरनेशनल प्राइज के ऊपर थी। इराक का फैसला इराक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करे। हम सद्दाम हुसैन के एडवाइजर नहीं थे, न उनके फाइनेन्स मिनिस्टर थे। उन्होंने फैसला किया और उसकी आपूर्ति की। रिपोर्ट में कहा गया कि फंड्स ह्यूमनटेरियन नीडस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें थोड़ा खर्चा कमेटी पर भी होता है जिस का काम वैपन्स आफ मास डिस्ट्रक्शन को सर्च करना है।

तीसरी बात यह है कि आडवाणी जी, आप देश के गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको देश की पूरी चीज मालूम है। आप बताएं कि जब वैपन्स आफ मास डिस्ट्रक्शन कमेटी नियुक्त हुई तब सद्दाम हुसैन सत्ता में थे, राज कर रहे थे, हम लोग रिश्ता निभाते थे चाहे अटल जी निभाएं, या पहले और कोई निभाए, चाहे मनमोहन सिंह जी निभाएं। हम लोग उसे निभाते थे। आयल फार फूड प्रोग्राम की इनक्वायरी कब बैठायी? वह अप्रैल 2004 में बैठायी। जब सद्दाम का राज और मंत्रिमंडल कैद में था, कोई मंत्री मर गया था, कोई नजरबंद था, किसी का ट्रायल चल रहा था।

[अनुवाद]

एस्क्रो के खाते में से निकाली गई राशि का 28 प्रतिशत भाग व्यापक संहार के हथियारों पर खर्च किया गया।

उस समय किसी ने भी यह मुद्दा नहीं उठाया कि क्या ठीक है और क्या गलत।

यूनाइटेड नेशन ने जब देखा, यूनाइटेड नेशन्स का जो मैम्बर है। हमें संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने पर गर्व है। हम संयुक्त राष्ट्र की सत्ता पर प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र का आदर करते हैं।

[हिन्दी]

यूनाइटेड नेशन्स में सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों ने सोचा कि आयल फार फूड प्रोग्राम क्या किया जाए, इसमें घपला हुआ या नहीं, यूनाइटेड नेशन्स के पदाधिकारियों ने गलती की है या नहीं, इसे देखने के लिए एक कमेटी वर्ष 2004 में बनी। अब कमेटी किससे बात करेगी? मान लीजिए हमारे खिलाफ शिकायत हो, मेरी मां अगर कैद में हो, मेरे पिताजी भी कैद में हो या मेरे भाई का कत्ल हो गया हो तो मेरे घर की तरफ से बयान कौन देगा या तो मेरा पड़ोसी देगा या कोतवाली की पुलिस देगी।

[अनुवाद]

सरकार ने सम्पूर्ण कार्यक्रम संचालित किया। मैं यह टिप्पणी करने नहीं जा रहा हूं कि यह सही है अथवा गलत। यह संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर है कि वह टिप्पणी करता है अथवा नहीं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वे सही हैं अथवा गलत।

[हिन्दी]

मैं यह कहने के लिए तैयार हूं और राजनीतिक परिचर्चा के लिए भी तैयार हूं। अप्रैल 2004 में जब सत्र शुरू हुआ था तो उसमें यह कहा गया था कि रिकार्ड जल गए, इसके बारे में डाटा में भी कुछ नहीं है, कुछ आयल मिनिस्ट्री के पास रिकार्ड है, फलाना मिनिस्ट्री के पास कुछ रिकार्ड है और कुछ रिकार्ड जल गए। रिकार्ड कौन सप्लाई कर रहे थे, मिनिस्टर लोग सप्लाई कर रहे थे और मिनिस्टर कौन थे, मैं मिनिस्टर्स के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, जो वर्ष 2004 के मिनिस्टर थे, वर्ष 2003 के सद्दाम रिजीम के मिनिस्टर्स थे। उनका राजनीतिक तर्क क्या है, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मेरे बाकी के जो साथी हैं वे इस पर बहस करेंगे। इस तरह से कुल मिलाजुला कर सब्सटांशियल रिपोर्ट तैयार हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के भाग I से मात्र एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। इसका सचेतक राजनीतिज्ञों और पार्टियों को अंदाजा है। अब रिपोर्ट की शुरुआत देखिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस बात को दोहराता हूं कि मैं इस रिपोर्ट पर प्रश्न उठाने, इसका विरोध करने अथवा इस पर टीका-टिप्पणी करने जा रहा हूं। मैं इसकी विषय वस्तु व प्रयुक्त भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पृष्ठ 1623 को उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है कि:

> "रिपोर्ट में उस तरीके को स्पष्ट किया गया है जिस तरीके से इराक ने राजनीतिक वरीयता के आधार ठेका देने हेतु तथा मानवीय आधार पर तेल प्राप्त करने वाली कम्पनियों से अनुचित भुगतान प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को चालाकी से प्रभावित किया।"

तीन भागों में अनुचित भुगतान को परिभाषित किया गया है। ...*(व्यवधान)* मैं इस विषय पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इसे पढ़ रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अनुचित भुगतानों को तीन भागों में परिभाषित किया गया है, भाग I को सद्दाम की सत्ता द्वारा परिभाषित किया गया है।

[हिन्दी]

मुझे पैसा मिल रहा था, मैंने सरचार्ज लगाया। सरचार्ज की परसेंटेज सात परसेंट, दस परसेंट या पन्द्रह परसेंट थी, उनके हिसाब से था कि जो करें हम ही करें। यह अच्छा था या बुरा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

लेकिन उस समय उस देश का यही कानून था। यह हमारा इन्टप्रेटेशन है कि यह सरचार्ज जो पे किया गया यह इलिसिट पे किया गया। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन्स के साथ जो रिश्ता हुआ एकाउंट के जरिए से उनमें सरचार्ज नहीं था। लेकिन सरचार्ज के खिलाफ जो पैसा मिल रहा था वे गलत ले रहे थे, गलत दे रहे थे, वे चार्ज करेंगे क्योंकि कन्ट्री का अपना-अपना एन्फोर्समेंट है। वे गलत ले रहे थे, इसकी जांच में वोल्कर ने कुछ रैफ्रेंस दिया था। जिन देशों का रैफ्रेंस है वे देश उनको जवाब देंगे। देश में मौजूदा सरकार होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वे अनुमति देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वोल्कर समिति के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मंत्री को कम से कम इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह समिति महासचिव द्वारा नियुक्त की गयी थी। परन्तु संयुक्त राष्ट्र महा सभा जिसके हम भी सदस्य हैं, द्वारा इसकी संपुष्टि की गयी थी। इस प्रकार यह हमारी समिति है। वह कोई संदेह व्यक्त नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वह किसी प्रकार का संदेह नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने ऐसा कहा ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: कुल मिलाकर, सद्दाम हुसैन अब सत्ता में नहीं थे। यह सच है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता के प्रति कृतज्ञ हूं। मैंने आलोचना नहीं की थी। मैंने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र का सम्मान करते हैं, हम इसके गौरवान्वित सदस्य हैं और हम समिति के निष्कर्षों का भी सम्मान करते हैं।

अब मैं मुख्य महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आप क्या कर रहे हैं। क्या यह सही है। उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक वह अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप यह देखें कि आपके नेता ने यह पूछने के पश्चात् बोला था कि इसके लिए सहमत हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: देश के कोई व्यापारी सौदा करने के लिए अगर कोई काम करें, यूनाइटेड नेशंस के कानून के खिलाफ काम करें, अन्याय करें तो उनके खिलाफ कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, देश की सरकार की होती है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिनांक 19.11.2005 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित प्रेस वक्तव्य को पढ़ना चाहता हूं। हमारे पूर्व तेल मंत्री, श्री राम नाइक जी ने बड़ी सच्चाई के साथ यह कहा, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा-

भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री ने कहा है कि "मुझे वर्ष 2002 में तेल अधिभार के बारे में जानकारी थी।" उन्होंने कहा कि "मुझे जानकारी थी।" यह अच्छी बात है कि उन्हें पता था। उन्होंने क्या किया? मैं उद्धृत करता हूं: "राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रह चुके श्री राम नाइक ने शुक्रवार को कहा है कि उन्हें इसके बारे में जुलाई 2002 में ही जानकारी थी। मुझे याद है कि वोल्कर समिति के अनुसार मेरे लिए जुलाई, 2002 का समय काफी महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वोल्कर के निष्कर्ष बताते हैं कि वर्ष 2002 का शरत् काल विभिन्न देशों के व्यवसाय समूहों के बीच किए गए सर्वाधिक अधिकार धनराशि के लेनदेन की अवधि थी। "जुलाई, 2002 में, तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति, सद्दाम हुसैन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत तेल कूपन पर अधिभार की मांग कर रहे थे।"

प्रेस को सम्बोधित करते हुए, श्री राम नाइक ने कहा कि, "इराक में व्यावसायियों के एक बड़े शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पत्र श्री सद्दान हुसैन को दिया था। उन्हें स्वयं इराकी राष्ट्रपति से इंडियन आयल के लिए कूपन प्राप्त हुए थे।" श्री नाइक ने बिल्कुल सही कहा है कि "परन्तु जब उन्हें यह बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मूल्य के अलावा एक डालर प्रति बैरल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की दर से अधिभार देना होगा तो उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।'' श्री राम नाइक ने सही काम किया। परन्तु आगे क्या हुआ?

अगला कदम काफी महत्वपूर्ण है। यहां मैं निष्कर्ष पर आता हूं। ''यद्यपि श्री नाइक ने स्वीकार किया कि व्यावसायीगण जो इस शिष्टमंडल के सदस्य थे, ने इराक के साथ व्यवसाय किया होगा। जब रिपोर्ट में कहा गया कि एक बिलियन डालर से अधिक का व्यवसाय किया गया था तो श्री नाइक ने यह कहकर कि उनके पास आंकड़े नहीं है इस दावा को खारिज अथवा इसका खण्डन नहीं किया। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने भारतीय कम्पनियों को सौदा दिलाने में मदद की थी। श्री नाइक ने कहा कि ''भारतीय शिष्टमंडल का नेता होने के कारण ऐसा करना उनका कर्त्तव्य था।'' क्या इन भारतीय कम्पनियों के माध्यम से उनको अथवा राजग के अन्य नेताओं को कुछ रिश्वत राशि प्राप्त नहीं हुई होगी। इस पर श्री नाइक कहते हैं कि ''यह दोषारोपण है।''

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने यह चाहा था कि भारतीय व्यवसायी संयुक्त राष्ट्र कानूनों का उल्लंघन न करे श्री नाइक का जवाब था ''नहीं''। उन्होंने यह पूछे जाने पर भी नकारात्मक उत्तर दिया कि क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय को चेतावनी दी थी कि ये भारतीय फर्में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन कर सकती है। श्री नाइक यह स्पष्ट नहीं कर सके कि आखिर क्यों राजग सरकार इंडियन आयल की अच्छी नीतिपरक स्थिति-तेल कूपन अस्वीकार करना-अपनाने के लिए अन्य भारतीय कम्पनियों को राजी नहीं कर सकी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नाइक ने इंडियन आयल, जो कि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है, के संदर्भ में सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा, ''कोई अधिकार नहीं, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करो।'' परन्तु उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथ गए शिष्टमंडल में शामिल व्यावसायियों के सौदों में उनकी मदद की। वह उनके संबंध में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं तथा उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह दोषारोपण है। मैं इस बात को दुहराता हूं कि यह भी एक दोषारोपण है जिसे आर.एस. पाठक कमीशन में साबित किया जाएगा।

[हिन्दी]

क्या राम नाइक जी साबित करेंगे कि 2002 में जब आपको पता था कि सरचार्ज के जरिये हिन्दुस्तान की कंपनी चाहे 'ए' हो, 'बी' हो, 'सी' हो या 'डी' हो, चाहे मेरा भाई हो या मेरा चाचा हो, यह काम कर रहे हैं। जब पैट्रोलियम मंत्री को मालूम था, आडवाणी जी उस समय आप उप-प्रधान मंत्री थे, क्या भारत सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं बनता था कि भारत के नाम पर कोई काला धब्बा न लगे, इसके लिए हम कदम उठायें और इतने ढंग से कदम उठायें कि ...*(व्यवधान)* आज यह कहना ठीक नहीं है, किसी पर कीचड़ उछालने के लिए हम पार्लियामैन्ट में नहीं आते हैं। आपने सही बात शुरू की जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन भारत के सम्मान के विरुद्ध अगर काम हो रहा है और पूर्व पैट्रोलियम मंत्री को मालूम था कि ऐसा हो सकता है तो आपने कदम क्यों नहीं उठाए? हम यह भी कहेंगे कि ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी के बारे में आप कहेंगे ही, ऐसा हम लोग कह चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप ज्यूडीशियल इनक्वायरी कराएं। आप उससे भाग क्यों रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, आपको तो भाषण देने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह नहीं कहूंगा कि यू.एन. की रिपोर्ट में क्या है और क्या नहीं है। वोल्कर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और उसकी छानबीन होगी। जहां तक भारत का टू ट्रांजैक्शंस से संबंध है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वह हम देखेंगे। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इराक को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने इराक के लिए राजनैतिक सपोर्ट जाहिर किया, उन लोगों के बारे में जो कुछ हुआ, वह किताबों में है लेकिन वोल्कर ने एक अच्छा काम किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

रिपोर्ट के पृष्ठ 10 में यह कहा गया है:

''इराक की नीतियां गैर-मित्र देशों की कंपनियों को इसके कच्चे तेल को प्राप्त करने से नहीं रोकती थी। संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य दूसरे देशों में स्थित कंपनियों द्वारा ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए अनुबंध के अंतर्गत भारी मात्रा में तेल की खरीद और इस हेतु धन प्रदान किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत कई साख-पत्रों का क्रियान्वयन गैर-संविदात्मक कंपनियों द्वारा किया गया था। तालिका 4 में तेल कंपनियों के गुप्त वित्त पोषकों की सूची दी गई है जिनकी पहचान करने में समिति समर्थ थी।''

दूसरे ही पृष्ठ में, इसके अनुसार, ''इन कंपनियों के नाम सोमो अनुबंध या संयुक्त राष्ट्र के रिकार्डों में उल्लिखित नहीं है।''

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अतएव, क्या सुरक्षा परिषद द्वारा अपने निष्कर्षों पर व्यापक रूप से चर्चा करने और महासभा द्वारा इसे अपनाए जाने से पहले अथवा जब तक भारत का संबंध है, पाठक जांच अधिकरण द्वारा और सत्यापित निष्कर्षों की अधिकारिक रूप से छानबीन नहीं की जाती, सभा द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय लेना और निर्णायक टिप्पणी देना ठीक होगा।

आडवाणी जी, विपक्ष के नेता के रूप में मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा "जैन हवाला डायरी मामले" मुद्दे पर आपके साथ ऐसा करने के कारण किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करने के लिए अपना पक्ष मजबूत करना उचित होगा?

[हिन्दी]

क्या दुनिया खत्म हो गई अगर डायरी लिख दी? आपने उस समय कहा था कि क्या यह तरीका ठीक है और क्या यही नीति हम अपने देश के लिए अपनाएंगे? ...*(व्यवधान)*

सरकार, अधिकरण के माध्यम से सच्चाई का पता लगाए और जो भी सच्चाई सामने आए, सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। कृपया हमें यह न पढ़ाएं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे कार्य करना चाहिए अथवा कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।

कांग्रेस को मालूम है कि जब प्रश्न शांति और युद्ध का हो तो विश्व की सहायता के लिए कैसे कीमत अदा की जाती है। कांग्रेस को मालूम है कि जब प्रश्न औपनिवेशिक दमन और मुक्ति का हो तो इसकी कैसे कीमत अदा की जाती है। कांग्रेस को यह मालूम है कि जब दक्षिण अफ्रिका पर प्रतिबंध का प्रश्न हो तो रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन करने हेतु कैसे कीमत अदा की जाती है। कांग्रेस को मालूम है कि जब वियतनाम में हो-ची मिन्ह के नेतृत्व में किए गए संघर्ष के समर्थन का प्रश्न हो तो विश्व के सम्मानित देशों में कैसे कीमत अदा की जाती है। कांग्रेस को मालूम है कि इंदिरा गांधी के चरित्र हनन का कैसे प्रयास किया गया और बाद में विश्व में उन्हें महान नेता के रूप में स्वीकार किया गया। कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि आपने श्री राजीव गांधी के चरित्र हनन का और उनका अपमान करने का कितना प्रयास किया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंततः सही ठहराया। कांग्रेस को यह मालूम है कि उन्होंने इसके लिए कितना बलिदान किया है। कांग्रेस पार्टी आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण के परिणाम की प्रतीक्षा करेगी और परिणाम के साथ जनता के समक्ष आयेगी। हमें भाजपा द्वारा पाठ पढ़ाए जाने और दिशानिर्देशित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, जब भाजपा के लौह पुरुष बोलने के लिए उठे, तो हमें उम्मीद थी कि उनके पास काफी तर्क होंगे और वह इसे तर्क संगत ठहराएंगे कि शीतकालीन सत्र के दो कीमती दिन बर्बाद किए गए। परन्तु अंततः राई का पहाड़ निकला और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या निकाला। आपने देखा और सुना। उन्होंने प्रारंभ में पाल वाल्कर रिपोर्ट की विश्वसनीयता, सटीकता और दस्तावेजों पर निर्भरता के बारे में कहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अति महत्वपूर्ण अधिकारी के अनुसार रिकार्डों को संभाल कर रखा गया था।

यदि आक्रमण से पूर्व गत 15 वर्षों से इराक में हुए विध्वंस की सूची तैयार की जाए तो प्रतिबंध के दौरान और अभी तक 1.5 मिलियन लोगों की जानें गईं और इनमें से सभी सिविल नागरिक थे और 0.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु हुई। प्रतिबंध पूर्व और प्रतिबंध के बाद की 15 वर्ष की अवधि के दौरान इसकी गणना की है। लूटा गया 80 प्रतिशत माल तस्करी, निर्धारित से कम कीमत और विभिन्न अन्य तरीकों के माध्यम से अमेरिकन बहु-राष्ट्रीय तेल कंपनियों को फायदे में प्राप्त हुआ। परन्तु रिपोर्ट में एक भी अमेरिकन कंपनी का उल्लेख तक नहीं किया गया। पाल वोल्कर को जब सोमो द्वारा संभाल कर रखे गए रिकार्ड उपलब्ध कराए गए, तो कोई भी दस्तावेज नहीं मिला।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु पाल वोल्कर रिपोर्ट और अन्यत्र भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह बात दर्शाते हैं। संग्रहालय से लूटे गए और लंदन के नीलाम घरों में कीमती वस्तुओं को पाया जा सकता है। इराकी सभ्यता की इन महत्वपूर्ण वस्तुओं, कीमती सामानों का इनके चाहने वालों ने पता लगाया। इन लोगों के अनुसार अनाज के बदले तेल कार्यक्रम में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था।

दुर्भाग्यवश, मुझे यह जान कर दुःख हुआ कि भाजपा के लौह पुरुष और इस सभा में विपक्ष के नेता भी वही बात कहते हैं जो अमरीकी प्रशासन कहता है। इन प्रतिबंधों पर, पूरे विश्व ने कहा, लोकमत पर दबाव डाला गया और वह भी वर्ष 1995 में संकल्प के रूप में शुरू हुआ जिसे केवल बाद की तिथि में ही क्रियान्वित किया जा सकता था। परन्तु क्या हुआ था? तेल के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरू करने के पश्चात ही रहन-सहन में 83 प्रतिशत और उष्मीय प्रभाव (क्लोरीफिक इफैक्ट) की उपलब्धता में सुधार हुआ है, शिशु-मृत्यु दर को किसने माना है? इसे अमेरिकी प्रेस द्वारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने माना है, मैं इस पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं कि क्या इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पाल वोल्कर के पूर्ववृत्त और इन सभी चीजों के बारे में स्वीकार किया गया है। लेकिन रिपोर्ट के आने से पहले क्या परिचालित किया जा रहा है, विश्वनीयता के बारे में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा क्या

कहा गया है? वाल स्ट्रीट जर्नल में वाल स्ट्रीट जर्नरल के पूर्व एशोसिएट संपादक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, इसमें कहा गया है कि वोल्कर रिपोर्ट एक दूसरी चाल है। सी.पी.आई. (एम.) यह नहीं कह रही है। सी.पी.आई.(एम.) द्वारा पहले ही दिन मांग की गई थी कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसे कदाचार और सभी तरह के उन आरोपों में शामिल करना चाहिए जिन्हें सुना जा सकता है। इसमें कहा गया है "वोल्कर रिपोर्ट नव-रुढ़िवादियों की विश्व साम्राज्य की उनकी योजना के रास्ते में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हटाने की दूसरी चाल है।"

यह सी.पी.आई.(एम.) नहीं कह रही है; यह कांग्रेस पार्टी ही नहीं कह रही है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ही नहीं कह रहे हैं। इसे कई अन्य लोगों द्वारा कहा जा रहा है। मैं भी अन्य की तरह कह सकता हूं। तेल की तस्करी के माध्यम से इस कांड में अधिकतर अमरीकी कंपनियां संलिप्त है, इसके लाभार्थी कौन थे? हैलीबर्टन, एक अमेरिकी कंपनी, डिक चेनी और अन्य का नाम लिया गया है। विश्वनीयता का क्या होगा? पाल वोल्कर की रिपोर्ट में इस सबकी जांच नहीं की गई है। सोमो अथवा कहीं और कोई भी कागजात नहीं पाया जा सका है।

अध्यक्ष महोदयः नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री रूपचंद पालः हां। विश्वनीयता क्या है? ब्रिटेन की संसद के एक सदस्य जार्ज गेलोवे जो कि इराकी मामले के प्रबल समर्थक थे का नाम भी श्री नटवर सिंह के नाम की तरह सामने आया है, उन्होंने इसे चुनौती दी। वह सीनेट के समक्ष उपस्थित हुए। अन्त में क्या हुआ? जो सीनेटर आरोप लगा रहे थे गायब हो गए।

ये आरोप कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं कहा गया है, इसमें इंडिया कांग्रेस कहा गया है। वे पार्टी का नाम नहीं जानते है। वे यह भी नहीं जानते कि क्या श्री नटवर सिंह विदेश मंत्री हैं या नहीं लेकिन हमें इस पर विश्वास करना ही होगा क्योंकि यह बात पाल वोल्कर से उठी है। क्या वह विश्वसनीय हैं? हां अन्य नाम कौन-कौन से हैं? हां, इसमें कोफी अन्नान के पुत्र का नाम भी है। ...*(व्यवधान)* इसमें मेगावती सुकरणोपुत्रि इन्डोनेशिया को पूर्व राष्ट्रपति, रूस के विदेश मंत्री, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं, यहां तक कि उन सम्मानित पादरियों के नाम भी है जिन्होंने इराकी मामले का समर्थन किया था। उस कैथोलिक पादरी का नाम भी है जिसने आने वाले तेल के एक बैरल को भी कभी नहीं देखा था लेकिन हमें फिर भी विश्वास करना होगा क्योंकि ...*(व्यवधान)* रूसी विदेश मंत्री के जाली हस्ताक्षर किए गए है। यह माना गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठकः यदि आप मानते है कि रिपोर्ट जाली है तो आप सरकार से आयोग वापस करने को कहें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री हरिन पाठक, आपका नाम सूची में है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आपना नाम सूची में है। आप भी इसमें योगदान करेंगे। आप प्वाइंट नोट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जो व्यवधान डालेंगे उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, यदि आप व्यवधान डालेंगे तो आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

श्री रूपचंद पालः जालसाजी का यह जिक्र तब आया जब जालसाजी हो रही है। यह बात नहीं है कि सी.पी.आई.(एम.) ने अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया है कि जालसाजी बहुत पहले की गई है। इसके पश्चात् ही सब कुछ संसद में आ गया है। नहीं, यह हजीम अल अमीन के *अल हयात* में नवम्बर, 2003 में प्रकाशित किया गया कि जालसाजी हो रही है, प्रत्येक चीज की झेरोक्स प्रतियां और मंत्री के पत्रशीर्ष को एकत्रित किया गया है। यह फिलिस्तीन पत्रिका सजदा अहमद अकीज *दुनिया अल वतन* में आया है, यह बात नहीं है कि नटवर सिंह का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी का नाम आने के बाद यह आज ही प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट की विश्व में अनदेखी की जा रही है।

दुर्भाग्यवश, मैं उस प्रत्येक चीज जिसे कांग्रेस कर रही है का प्रबल समर्थक नहीं हूं। एक ही व्यक्ति श्री नटवर सिंह को जाना पड़ा है। वह विदेश मंत्री थे। सरकार ने यह अपना निर्णय लिया है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। बड़े-बड़े नाम आए है और बड़े नाम अभी आने हैं। पाल वोल्कर ने लाभान्वित होने वाली तेल कंपनियों के 80 प्रतिशत नामों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है ...*(व्यवधान)* ये नाम आए हैं, पॉल वोल्कर ने स्वयं माना है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। जार्ज गलोवे के प्रकरण की। उन्होंने इस प्रकरण को देखा है। जार्ज गलोवे उनके हितों का समर्थन कर रहे हैं। आरोप किस तरह के है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रूपचंद पाल]

आरोप किस तरह के हैं? क्या यह इस पीले आदमी, उस श्वेत आदमी और उस काले आदमी को उसके रंग के अनुसार चुना गया है? नहीं, आरोप में एक प्रणाली है। जिन्होंने प्रतिबंधों का विरोध किया, जिन्होंने आक्रमण का विरोध किया है उन पर आरोप लगाए गए हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की परम्परा रही है और वह विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता का समर्थन करता रहा है। यह हमारी धरोहर है। इसी धरोहर के आधार पर हमारी विदेश नीति बनाई जाती है। कौन सी पार्टियों पर आरोप लगाए गए हैं? रूस के विदेश मंत्री, रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी इन्डोनेशिया के नेता, अफ्रीकी नेता फ्रांस–क्या यह एक तरह की प्रणाली नहीं है।

दुर्भाग्यवश, यह प्रणाली भाजपा के समर्थन में है और जिस तरीके से वे इसे विस्तार दे रहे हैं उसके समर्थन में हैं। हमने इसी सभा में सेना भेजने की आलोचना करना चाहते थे, तब क्या हुआ? कुछ लोगों ने हिन्दी और अंग्रेजी और अंग्रेजी और हिन्दी के बारे में बात की। इसे सारा विश्व जानता है। जब संकल्प लाया गया यह कहा गया कि नहीं–नहीं 'निंदा' एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन हिन्दी में यह निंदा हो सकता है।

हम प्रतिबंध की अवधि के दौरान क्या कर रहे है? क्या आर.एस.एस. प्रतिबंध से प्रभावित इराक के बच्चों के लाभार्थ धन संग्रहित कर रहा था? नहीं, यह किसने किया? भारतीय युवाओं ने ऐसा किया। उत्तरदायी राजनीतिक दलों ने ऐसा किया, हमने दवाइयां भेजी थी। हम प्रतिबंधों का मतलब समझते हैं। क्यूबा की जनता प्रतिबन्धों का मतलब जानती है। क्या उन्होंने ही तेल के मूल्य निर्धारित किये थे?

विपक्ष के नेता सम्प्रभुता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समझौते करने के बारे में बात कर रहे थे। यह सरकार, कांग्रेस नटवर सिंह सम्प्रभुता नहीं है। सम्प्रभुता क्या है? अपनी ही जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपने तेल का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है। यदि हिमाचल के सेबों का मूल्य अमेरिकी प्रशासन, जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित किया जाए तो भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होगी? वे क्या करेंगे?

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं पीड़ित व्यक्तियों के हितार्थ कार्य करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उपायों को अवैध कहते हैं अथवा इसे अवैध नहीं कहते। मैं देश भक्त हूं। इराक के लोग इससे सहमत होंगे। कुछ धन का सरचार्ज के रूप में भुगतान करने को आप अवैध कह सकते है। यह कितना धन था? अधिभार के रूप में कुल कितना धन अदा किया जायेगा, इसमें कमीशन के रूप में कितनी राशि है? यह दो प्रतिशत से भी कम है। यह 100 बिलियन डालर है। अस्सी प्रतिशत लाभ अमेरिकन कंपनियों को जाता है। फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और आक्रमण कर रहे हैं। विपक्ष के नेता सम्प्रभुता की बात करते हैं। किन्तु वे इराकी सरकार की सम्प्रभुता भूल जाते हैं। इसमें एक पैटर्न है। भाजपा के दृष्टिकोण में एक पैटर्न है।

जी हां, पॉल वोल्कर का अपनी रिपोर्ट के पीछे कोई उद्देश्य नहीं रहा होगा। उनका उद्देश्य होगा भी क्यों? वे कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं जानते हैं। उन्होंने इसे इंडिया कांग्रेस कहा है। वह यह नहीं जानते कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। वे यह नहीं जानते थे कि नटवर सिंह एक मंत्री थे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नाम के साथ इसकी भूमिका ऐसी ही होनी है। जब आप इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता की बात करते हैं तो सम्पूर्ण विश्व ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किन्तु भाजपा इसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मान रही हैं। जब शीतकालीन सत्र आरम्भ हुआ तो लोगों ने हमारी ओर आशा के साथ देखना आरम्भ कर दिया। यहां भूकम्प भी आए हैं। यहां बाढ़ भी आती है। यहां कामगारों के मुद्दे भी है जिन पर रोशनी डालने की अपेक्षा होती है। हम सरकार से जानने की सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय साझा निम्नतम कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया है।

किसान मर रहे हैं। किन्तु हमें सभा में इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। सम्पूर्ण सभा का उपयोग फिरौती की तरह हो रहा है। इस छोटी सी अवधि में दो बहुमूल्य दिन नष्ट हो गए हैं। जब लौह पुरुष खड़े हुए तो हमने सोचा कि दो बहुमूल्य दिनों को नष्ट करने का बहुत औचित्यपूर्ण तर्क देंगे किन्तु पहाड़ खोदने से क्या निकला, हम जानते हैं।

अब, विश्वसनीयता के बाद, मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या अपनी पार्टी से केवल आप ही एक वक्ता हैं?

श्री रूपचंद पाल: अन्य वक्ता भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: तब, आपको समय में भागीदारी करनी होगी।

श्री रूपचंद पाल: महोदय मुझे खेद है। मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

बुश प्रशासन, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा की गई बड़ी-बड़ी गलतियों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। क्या किसी अन्य सम्प्रभु देश के तेल के मूल्यों का निर्धारण करना गलत बात नहीं है? यद्यपि वहां समिति, सुरक्षा परिषद 661 के बावजूद इनका

निर्धारण मेनहट्टन में किया जा रहा था। किन्तु वास्तविक मूल्य निर्धारण मेनहट्टन में किया जा रहा था। क्या यह सत्य नहीं है कि एक सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र के सम्प्रभुता अधिकारों का हनन किया जा रहा था। मूल्यों का निर्धारण कौन करता है? ऐसा क्यों है? पॉल वोल्कर ने इसकी जांच नहीं की। क्यों? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं केवल इस सभा में पूछूंगा और राष्ट्र भी इसे जान ले। सम्पूर्ण विश्व यह प्रश्न पूछ रहा है।

क्या हिमाचल प्रदेश के सेबों का मूल्य अन्य किसी देश के लोगों द्वारा बाहर कहीं निर्धारित किया जायेगा? क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? यदि हम हिमाचल प्रदेश के सेबों का मूल्य निर्धारण किसी अन्य द्वारा बाहर कहीं किये जाने को स्वीकार नहीं करते हैं तो इराकी लोग बाहर कहीं किसी अन्य द्वारा उनके तेल मूल्य के निर्धारण कैसे स्वीकार करेंगे?

अब अधिभार किसके हित में है? यह घोर भ्रष्टाचार है। भाजपा को अचानक से यह पता चला है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। हम उनके इतिहास से परिचित हैं। हम जानते हैं कि तहलका में क्या हुआ था। वह बोल रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि विदेशी वित्त पोषण की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए। क्या वह तब सो रहे थे जब उन्होंने आर.एस.एस. से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों की सूची जारी की थी?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह 1000 करोड़ रुपये से अधिक था।

श्री रूपचंद पाल: वह गृह मंत्री के रूप में सो रहे थे। मैं किसी की दक्षता और निपुणता पर आशंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं। किन्तु उन्होंने इसकी जांच की कोशिश नहीं की। और अब वह यह मांग कर रहे हैं कि एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए। जी हां, ऐसा होना चाहिए। हमें कुछ चीजों का पता लगाना होगा कि आर.एस.एस. कैसे धन ले रही है, अप्रवासी भारतीय किस प्रकार धन उपलब्ध करवा रहे हैं।

महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक प्रक्रिया है। मैं राम नाइक के अंश पर आ रहा हूं जो उन्होंने उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय: जब वे मंत्री थे।

श्री रूपचन्द पाल: जी हां, जब वह मंत्री थे। जुलाई में उन्होंने कहा था कि आईओसी को अधिभार का भुगतान करने के लिए कहा था किन्तु मैं ऐसा व्यक्ति हूं मैं कैसे अपने सरकारी उद्यम को अधिभार का भुगतान करने के लिए कह सकता हूं? इसलिए, मैंने इसे रोक दिया।

किन्तु उन उद्यमियों के बारे में क्या है जो उनके साथ यात्रा करते रहे? उन्हें क्या व्यक्तिगत लाभ हासिल हुए? क्या आप जानते हैं श्री पाठक यह कितना था? मैंने इसकी गणना की है।

श्री हरिन पाठक: आप मुझसे क्या चाहते हैं?

श्री रूपचंद पाल: उन्होंने उद्यमियों को कितना लाभ पहुंचाया? यह 1400 करोड़ रुपये था। ...*(व्यवधान)* यह 1400 करोड़ रुपये था। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: किसे?

श्री रूपचंद पाल: यह 69 मिलियन डालर था। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: लाभार्थी का नाम राम नाइक नहीं है। लाभार्थी नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाल, कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री रूपचंद पाल: मैं पीठ को ही संबोधित कर रहा हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री हरिन पाठक: वोल्कर रिपोर्ट के अनुसार पैसा कांग्रेस पार्टी और श्री नटवर सिंह को गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे हमें बताएंगे। आप भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रूपचंद पाल: 69 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध था और उसकी एक बड़ी मात्रा को एक अमरीकन कंपनी द्वारा ले जाने की अनुमति दी गई। यदि आप कुल लाभ को परिकलित करें। जो कि चार डालर मार्जिन है, तो पाएंगे कि उस कंपनी के हिस्से में भारी मात्रा में धनराशि आई। ...*(व्यवधान)* जब अगले भाजपा अध्यक्ष बोलेंगे, तो वे कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं। इस मामले में जांच होने दें। कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ, ये सभी मुद्दे ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हम भी जांच की मांग करते हैं।

श्री रूपचंद पाल: कुछेक ऐसी कंपनियां हो सकती हैं। जिन्होंने मानवीय जरूरतों की वस्तुओं की आपूर्ति की। ये उनका अधिकार है। वे क्यों शामिल होना चाहेंगे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। एक गठन, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जांच होने दें। यदि भाजपा के पास अति सावधानी के साथ एकत्रित किया गया कोई रिकार्ड है, तो वह इसे प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन इराक में क्या हुआ। यह पूरे विश्व को पता है। उन्होंने सबकुछ नष्ट कर दिया। एसओएमओ द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कोई पावन दस्तावेज

[श्री रूपचंद पाल]
नहीं हैं। जिसके आधार पर विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा नहीं लगाया जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हरिन पाठक: आपको वहां बैठना चाहिए और कांग्रेस की ओर से बोलना चाहिए। आप गलत पक्ष में बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नांडिस के अलावा किसी की भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इससे क्या होता है, इसे छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: आप इस सीट पर क्यों बैठे हैं, आप अमरीकी सीनेट में जाकर बैठिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसे बोल रहे हैं? कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: महोदय, वे मुझे अमरीकी सीनेट में भेज रहे हैं। मुझे इस सभा का सदस्य होने पर गर्व है। मैं वहां नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: आप हर बात का जवाब मत दीजिए। इसे हास्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री हरिन पाठक: मेरे शहर के लोग मुझे यहां छठी बार भेजकर गर्व महसूस कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा हंसी-मजाक अच्छा रहता है।

...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, इस विषय पर अभी तक जो बहस हुई है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): इनके सुनने से पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। वे एक माननीय सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और यह मेरे लिए पर्याप्त है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक माननीय सदस्य नहीं मानते। मेरी अनुमति के बिना अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मानवेन्द्र सिंह, आपको अपनी बुरी आदतों से परहेज करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, इस विषय पर अभी तक जो चर्चा हुई है, उससे बहुत सी बातें सामने आयी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसने बोला है? कृपया खड़े हो जाइए। जैसे ही आप खड़े होंगें। आपका नाम दर्ज किया जाएगा और आपको आदेश मिल जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रासंगिक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैंने यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह मुझे दीजिए, मैं इसे हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसे हटा दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः यहां जिस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया वोल्कर समिति रिपोर्ट देखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। यदि कुछ भी असंसदीय अथवा अनुचित है, तो मैं इस बारे में देखूंगा। लेकिन इसे उठाने का एक तरीका है। आप इसे व्यवस्था का प्रश्न बना सकते हैं अथवा उन्हें मान जाने के लिए कह सकते हैं। आप केवल खड़े होकर चिल्लाना शुरू नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री गोपाल, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया इस विषय से इतर न जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह स्पैसीफिक सब्जैक्ट है।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः मैं यहां स्पैसीफिक बात रखने के लिए ही खड़ा हुआ हूं और वह यह है कि हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का श्री फार्मी गोनी, लम्बार्डी के गवर्नर, नार्दन इटली से क्या रिश्ता है, क्योंकि इस चर्चा के लिए उसका महत्व है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अध्यक्षा अपना ध्यान नहीं रख सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है और किस नियम के तहत है।

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 58 का उल्लेख करना चाहता हूं।

हम वोल्कर समिति रिपोर्ट के संबंध में प्रस्ताव पर-जैसा कि आपने बोला है-चर्चा कर रहे हैं।

नियम 58(3) के अनुसार:

"प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।"

यहां श्री जार्ज फर्नान्डीज कांग्रेस पार्टी के इटली से संबंध का उल्लेख कर रहे हैं। यही व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपकी व्यवस्था के प्रश्न को जायज ठहराता हूं।

श्री फर्नान्डीज, कृपया इसमें तब तक न जाएं जब तक कि आप इसका संबंध वोल्कर समिति रिपोर्ट से न बिठा लें। इसलिए, पहले आप इसका आधार बताएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप वोल्कर समिति रिपोर्ट के साथ संबंधों का आधार बताएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः पहले आप वोल्कर समिति रिपोर्ट के साथ संबंध जोड़ें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वोल्कर समिति रिपोर्ट के साथ संबंध क्या है। यदि इसका वोल्कर समिति रिपोर्ट से संबंध है, तो आप आधार बनाएं। आप आधार बनाए बिना ही प्रश्न कर रहे हैं कि इस मामले का इटली से वोल्कर समिति रिपोर्ट का संबंध कैसे हैं। आपको पहले यह स्थापित करना होगा। आप ऐसे कीजिए, तभी मैं आपको अनुमति दूंगा। रिपोर्ट में दिखाइए कि इटली का संबंध इसमें कैसे है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं बशर्ते कि यह वोल्कर रिपोर्ट से संबंधित हो। मैं केवल यही कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, यह पूर्णतया इस वाद-विवाद से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री फार्मी गोनी, तेल के जो कूपन दिए हैं, सबसे बड़ा हिस्सा उनका है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या वह इसमें है?

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी हां। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आरएसएस का नाम किस पेज पर था? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। आपको इस प्रकार से व्यवधान नहीं डालना चाहिए। श्री पाठक आप ऐसा कटु प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने ही कहा था कि आप छठी बार लोक सभा के सांसद है। ऐसी कटु टिप्पणियां न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इस एक व्यक्ति को दो करोड़ 47 लाख बैरल तेल के लिए कूपन्स दिये गये, जिसमें से *...(व्यवधान)* आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? यह वास्तव में अनुचित है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह वोल्कर समिति रिपोर्ट से संबंधित है, तो वे बोल सकते है। वे इसके लिए एक मामला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इससे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, जिनके लिए 9 लाख 75 हजार डालर दिये गये, ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप एक पार्टी पर आक्षेप लगा रहे है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से हटा चुका हूं।

श्री फर्नान्डीज, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मुझे सूचना दिये बिना ऐसे आक्षेप नहीं लगा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मानवेन्द्र सिंह, आप दुविधा पैदा कर रहे हैं।

श्री फर्नान्डीज, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें।

विचाराधीन प्रस्ताव भारतीय वस्तुओं तथा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से संबंधित है। इस सभा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी इटलीवासी ने धन कमाया है या नहीं। इसलिए, यदि किसी भारतीय वस्तु या व्यक्तियों के नाम का रिपोर्ट में उल्लेख है, तो उनका संदर्भ दे सकते हैं। यह सरकार इटली से संबंधित कैसे उत्तर दे सकती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उस टिप्पणी को पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से हटा चुका हूं। वह आक्षेप बिना किसी सूचना तथा बिना किसी उचित प्रक्रिया के नहीं लगा सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीजः इस साल मई महीने की पांच तारीख को। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या बात है? मान्यवर तो बोलते हैं, लेकिन बात नहीं सुनते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस चर्चा में कई माननीय सदस्य भाग लेंगे। इन सदस्यों के नाम यहां है। मैं उनका नाम पुकारूंगा। इसलिए, कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सही प्रकार से चलने दें। श्री जार्ज फर्नान्डीज एक बहुत ही वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य से, मैं अनुरोध करता हूं कि वे संकल्प की विषय वस्तु के बाहर की बातें न करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः इस पर जब इन्वेस्टीगेशन शुरू हुआ, तो उसके तत्काल बाद इस व्यक्ति को श्री नटवर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों ने संदेश भेजा था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मुझे रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या एवं उस भाग का उल्लेख करने दें। जिसका वे हवाला दे रहे हैं। वे अनुलग्नक के किस पृष्ठ का हवाला दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप इसे दिखाइए। अन्यथा, इसका वोल्कर रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं होगा। इसे मत मानिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया है। मैंने पहले ही इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। श्री फर्नान्डीज, कृपया अपने आपको वोल्कर रिपोर्ट से संबंधित भारतीय वस्तुओं एवं व्यक्तियों तक ही सीमित रखें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों को फिर याद दिला रहा हूं। यह प्रस्ताव स्वयं विपक्ष के नेता ने दिया है। मैंने केवल एक शब्द "कथित रूप से" जोड़ा है क्योंकि यही तरीका है। मुझे विश्वास है कि श्री आडवाणी मुझसे सहमत होंगे। इसमें कहा गया है कि–"संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कथित रूप से शामिल गैर-संविदात्मक लाभभोगियों, शामिल भारतीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों आदि के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने में केन्द्र सरकार की विफलता है।" इसलिए, रिपोर्ट में व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम आने ही चाहिएं। और उस आधार पर आप हवाला दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने ऐसा कहा था। इसलिए श्री फर्नान्डीज स्वयं को प्रस्ताव के इसी रूप तक ही सीमित रखें। यही चर्चा का दायरा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। आप क्यों खड़े हो रहे हो? इसलिए कृपया स्वयं को चर्चा के दायरे में ही रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री जार्ज फर्नान्डीज जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विपक्ष के नेता उसी के दायरे में बोले। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपत्तिजनक हो।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः सभा का मूल्यवान समय निकलता जा रहा है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। यदि मुझे किसी की सहायता चाहिए होगी तो मैं मांग लूंगा। कुंवर मानवेन्द्र सिंह आप एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः अध्यक्ष महोदय, अगर आप सीमित चर्चा मानकर बता रहे हैं तो। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: वही मोशन में है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हम यह मानकर चल रहे हैं कि* और नटवर सिंह जी इन दो लोगों का नाम इसमें सामने आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि यहां क्या हो रहा है। पहले उन्हें मनाइए। यदि वह मान जाएंगे तभी मैं आपको अनुमति दे पाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): सारी रूलिंग हमारे लिए ही है। उनके लिए क्या कोई रूलिंग नहीं है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं। यह भारत के लोगों की सभा है। यहां कुछ नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अब, वह मान गए हैं, श्री आडवाणी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, इस समय व्यवधान इसलिए है क्योंकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। वे ऐसे नाम ले रहे हैं, जिन्हें लेने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब उन्होंने पहले नाम लिए थे तो मैंने ऐसा नहीं कहा था।

उन्होंने सही कहा था कि कोई भी नाम लेने से पहले वह उसकी भूमिका बताना चाहते हैं। यह भारतीय संस्थाएं ही होंगी। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम का यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उनके नाम का यहां उल्लेख नहीं है। परन्तु वह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप कांग्रेस का नाम ले सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप पार्टी का नाम ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप यह जानते हो। मैंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप पार्टी का रेफरेंस देकर अपनी बात कहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, पार्टी का कोई साइनबोर्ड नहीं होता है। पार्टी के कुछ सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पार्टी का उल्लेख कर सकते है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया खामोश रहेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस तथ्य के बावजूद कि इसकी जांच चल रही है, इसके महत्व को देखते हुए मैंने इस वाद-विवाद की अनुमति दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज जबसे आपने बोलना शुरू किया है तब से आप केवल नामों का उल्लेख कर रहे है जोकि यहां पर प्रासंगिक नहीं है। आप सभा के कुछ माननीय सदस्यों का नाम ले रहे है। उनके नाम का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। आप पार्टी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने आपको केवल इस बात तक ही सीमित रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे समर्थन नहीं मांगा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वी.के. ढुम्मर कृपया अपने स्थान पर जाइए। जब तक मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता तब तक अपना मुंह न खोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्षमा कीजिए। ऐसा लगता है जैसे आप बोलने वाले नहीं है। आप पहले ही नामों का उल्लेख कर चुके है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री जार्ज फर्नान्डीज मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने आप को सीमित रखें। यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अगर किसी व्यक्ति को किसी से व्यक्तिगत राजनीतिक आक्रोश हो, तो जब तक वह सदन में बहस का विषय न हो, वह व्यक्ति इस डिबेट को अपने व्यक्तिगत आक्रोश या व्यक्तिगत निराशा को व्यक्त करने का अवसर न बनाए। इस ढंग से डिबेट को बर्बाद न करे और इस तरह से अपने अधिकार का दुरूपयोग न करे।

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): मैं यह अपील करना चाहती हूं कि हम संसदीय मानकों को इस हद नहीं गिरा सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस वाद-विवाद के विषय पर आइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है। आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह टीका टिप्पणी है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो तेल की लूटपाट हुई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस बात पर चर्चा कर रहे है कि वोल्कर समिति रिपोर्ट में जिन भारतीय कंपनियों और लोगों के नाम आए है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। आप उस बारे में कहें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: वोल्कर रिपोर्ट पर जो कुछ बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपसे मांग की थी कि वहां से जो पेपर्स आए हैं, वे हम लोगों के हाथों में भी आने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह अध्याय बंद हो चुका है। आपको पता यह बात हर कोई जानता है। यह बहुत पहले अर्थात् प्रातः ही समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उन पेपर्स के बिना फिर कौन सी चर्चा हो सकती है? जो सबूत वहां से आए हैं, वे इन्होंने दबाकर रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों से यह कहा जाए कि आप बोलें तो हम क्या बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। आप क्यों चिल्ला रहे है? कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर प्रश्न कर रहे हो जोकि आप नहीं कर सकते। कृपया अपनी बात जारी रखे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हम किसी गंभीर और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा नहीं कर सकते?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक मंत्री है। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हम सभी ने जो व्यवधान हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के प्रति गंभीर नहीं है। यहां पर एक अध्यक्षपीठ है, इस अध्यक्षपीठ पर कोई व्यक्ति बैठा है। जिसका कर्तव्य यह देखना है कि क्या आप प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न पूछने के हकदार हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कौन बोल रहा है? मैं जानना चाहता हूं। क्या उसमें खड़े होने की हिम्मत है। वह अच्छी बात नहीं है। आप अध्यक्षपीठ की गरिमा को कम कर रहे है। यह सभा है। क्या आपको इस सभा का सदस्य होने पर गर्व है? आप व्यवस्था का प्रश्न कीजिए। यदि वह ग्राह्य होगा। तो मैं उस पर विचार करूंगा। जब मुझे लगता है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तब मैं स्वयं यह निदेश देता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से पहले ही निकाल दिया गया है। तब भी हर कोई टिप्पणी कर रहा है और अध्यक्षपीठ को आदेश देने की कोशिश कर रहा है। मैं बार-बार श्री फर्नान्डीज से अनुरोध कर रहा हूं कि यदि वह कुछ बोलना चाहते हैं तो वे स्थगन प्रस्ताव के विषय से ही संबंधित बातें बोल सकते है और वे अपने आपको उसी तक सीमित रखे। अन्यथा इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक अच्छी और सुव्यवस्थित चर्चा चाहता हूं। मैं विपक्ष के नेता की सराहना करना चाहता हूं कि कि उन्होंने इसे उचित स्तर पर उठाया है। इसलिए मैं उस स्तर को बनाए

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रखना चाहता हूं। उन्होंने इस स्तर को बनाए रखा था। हम सभी को उनसे सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार...

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय मैं इस टिप्पणी के लिए आपका आभारी हूं। परन्तु मैं समझ नहीं पाया हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी के नाम के उल्लेख से इस प्रकार की खलबली क्यों मची है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसकी आज्ञा क्यों नहीं दी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मेरी बात को कोई भी नहीं सुन रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि रिपोर्ट में उनके नाम का उल्लेख नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कांग्रेस पार्टी के नाम का उल्लेख किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके लिए इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उन्होंने दो बार इसका उल्लेख कर दिया है। वह यह जानते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एक नाम का उल्लेख किया जा सकता है और दूसरे नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता। आरोप क्या है?

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कांग्रेस पार्टी का नाम इसमें होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, कांग्रेस पार्टी का नाम इसमें होना चाहिए। आपने कांग्रेस के नाम का उल्लेख किया। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कृपया यह मुझ पर छोड़ दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष का कुछ तो आदर करें। निश्चित रूप से मैं यह वाद-विवाद देखूंगा। यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक है तो आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए संसदीय प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार है। परन्तु एक साथ चिल्लाना नियमों में कहीं भी नहीं है। यह दोनों पक्षों पर लागू होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सभी पक्षों पर लागू होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आप सत्ता पक्ष में हैं। ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मैं कह रहा था कि दो व्यक्तियों पर *...(व्यवधान)* मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि यह सभा वाद-विवाद करना चाहती है। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है। आप केवल समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। क्या आप परेशानी महसूस नहीं कर रहे? आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैंने इसकी अनुमति दी। आपका नाम इसमें नहीं है। यह पहले ही काटा जा चुका है। मैं आपसे शांति बनाए रखने का अनुरोध कर रहा हूं। यदि वह फिर से ऐसा करते हैं तो मैं उन पर नजर रखूंगा। संसदीय कार्यविधि की मेरी समझ तथा ज्ञान के अनुसार जैसा कि मैं पिछले वर्षों में अपने पद पर रहने के अनुभव से जान सका हूं। मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि जांच के बावजूद मैंने इस वाद-विवाद की अनुमति दी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि कुछ कहा या किया जाना है तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी इस पर विचार करेगी। रिपोर्ट पर प्रभाव डाले बिना यह वाद-विवाद कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। परन्तु यह क्या किया जा रहा है? फर्नान्डीज जी आप अनावश्यक रूप से रिपोर्ट से काफी आगे जा रहे हैं और वैयक्तिक संदर्भ दे रहे है जिससे बचा जा सकता है। मैं आपसे ऐसे न करके विषय पर आने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं विपक्ष के नेता और श्री जार्ज फर्नान्डीज के विचारार्थ एक छोटी सी बात कहूंगा।

हम भारतीय हस्तियों के बारे में वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। यहां दो हस्तियां इससे संबद्ध हैं। एक श्री नटवर सिंह है जिनके नाम का उल्लेख किया गया है। दूसरी कांग्रेस पार्टी है। बार-बार श्री जार्ज फर्नान्डीज दो व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं। ये दो व्यक्ति कौन हैं? कांग्रेस पार्टी में कई लोग हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: ये दो हस्तियां हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: अतः उनके लिए दो लोगों के बारे में कहना पूर्णतः अनुचित है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक हस्ती तो कांग्रेस पार्टी है। दूसरा श्री नटवर सिंह हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती यदि वह कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते, यदि वे श्री नटवर सिंह के बारे में कहते। परन्तु यदि वह कांग्रेस पार्टी में से एक व्यक्ति को निशाना बनाते है तो यह अनुचित है। यह उस व्यक्ति से निजी दुश्मनी निकालना होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही इसे काट दिया है।

श्री प्रणब मुखर्जी: इसके लिए संसदीय मंच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। *...(व्यवधान)* मैं फिर यह कहता हूं कि किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी निकालने हेतु संसदीय मंच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): श्री राम नाईक के बारे में क्या होगा? सभी सदस्य श्री राम नाईक के नाम की चर्चा कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी यह गलत है। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखता हूं। मैंने उन्हें यह कहने के लिए सचेत किया था कि वह श्री नाईक के द्वारा कही गई किसी बात का संदर्भ नहीं दे सकते, जो उन्होंने मंत्री होते हुए कही न हो। अतः मैं अपनी क्षमता से इसका विरोध करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जो भी उन्होंने कहा, उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैंने उनको इसकी अनुमति नहीं दी थी। आप इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? मंत्री के रूप में यदि उन्होंने सभा में कुछ कहा है तो आप उसका संदर्भ दे सकते हैं।

मैंने इस बात की अनुमति दी है। मेरी अनुमति के अलावा कुछ भी नहीं। मैंने उनको चेतावनी दी थी कि जब वह मंत्री थे उस समय के बारे में कुछ न कहा जाए। कृपया यह न कहें। श्री नटवर सिंह के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को संदर्भित करे बिना आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: कांग्रेस पार्टी एक संस्था है *...(व्यवधान)*। परन्तु इसमें सारे कांग्रेसी शामिल नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आपको कैसे पता? आपको यह जानकारी कहां से मिली? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ऐसा करना उनकी आदत है। जो वह उद्धृत कर रहे है वह परिप्रेक्ष्य से बाहर की बात को गलत तरीके से कहना है। वह ऐसा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वाद-विवाद इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कृपया उन लोगों के नाम न लें जो यहां नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उल्लेख किया है। यह एक पार्टी का नाम है। यह देश में इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। वे सत्ता में हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वे सत्ता में हैं। कांग्रेस पार्टी जानी-पहचानी पार्टी है, चाहे अभियान में कोई भी गलती हो। कोई भी कांग्रेस पार्टी समझ सकता है। आपने इसका उल्लेख किया है। किंतु कंपनियों का उल्लेख करते हुए यह कहने की कि फलां-फलां शामिल है, कोई संगतता नहीं है। कृपया ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में श्री फर्नान्डीज की बात के अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कुछ भी कहा या किया जाएगा तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाएगा और वह मेरी अनुमति पर निर्भर होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इनको तहलका पर बहस चाहिए। आप इसके लिए एक दिन तय करिए, जिससे इस पर बहस की जा सके। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चलिहा, मैं पहले भी आपको एक बार चेतावनी दे चुका हूं। आप बार-बार अध्यक्ष की अवमानना कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, मैं आपको बता दूं कि आप संकट में है। आप मेरा पहला निशाना होंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं कितना इन लोगों को डांटू? गला भी खराब हो जाता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 6 बजे वोटिंग है। अभी दूसरी बहुत सारी पार्टीज के मैम्बर्स इस पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह जो चर्चा हो रही है, उसे आपने इस स्तर पर रखा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने नहीं, इन्होंने इस चर्चा को रखा है। मोशन की लैंग्वेज पढ़िए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: लेकिन कुछ बातें इसके साथ जुड़ी होती हैं जो सामने आनी जरूरी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए दूसरा मौका ढूंढिए। ठीक ढंग से मोशन लेकर आइए। बोलने का मौका देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्योंकि यह ऐसा कांड है जिसमें भ्रष्टाचार के भीतर भ्रष्टाचार है। *...(व्यवधान)* और इसका सबूत है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सबूत तो है लेकिन यहां तो कोई जज नहीं है। जज साहब तो वहां बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सदन में तो आप ही हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारी बात कोई सुनता नहीं है। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में बहुत शोरगुल है। जो लोग बाहर नहीं जा सकते कृपया स्वयं को नियंत्रित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आप भी मेरी सूची में है, चिंता मत कीजिए। श्री जैन, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री आरून रशीद, श्री ठुम्मर और आप भी। किसी भी दिन आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और श्री प्रधान भी शामिल हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मेरा आग्रह है कि इस मामले में जिन लोगों के नाम आए हैं या आने वाले हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई होना आवश्यक है। हमारा आपसे आग्रह है कि किसी भी मामले पर तेजी से और जितनी जल्दी से कार्रवाई की जाती रही है यहां भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसमें जो भी अपराधी बनकर, अपना नाम छिपाकर या बताकर सामने आते हैं, इन सब लोगों पर कानूनी कार्रवाई अविलम्ब होनी चाहिए। मेरा यह आपसे आग्रह है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या वे ये तीन वाक्य बोलने के लिए 50 मिनट ले सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अकेले ही 50 मिनट नहीं लिए है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो हो गया उसे छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के विरोध में है लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव के बहाने जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, हमारी उन भावनाओं के साथ पूरी सहमति है। यह हमारी परेशानी है चूंकि कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इसलिए अच्छी परंपरा और बुरी परंपरा दोनों के उदाहरण हम कांग्रेस पार्टी में ही ढूंढते हैं। जब वर्ष 1951 में अंतरिम संसद थी तो 24 सितंबर, 1951 को इस देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने अपनी ही पार्टी के संसद सदस्य के खिलाफ संसद की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। श्री यचदि मुदगल सदन की सदस्यता से इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि अपनी कार्रवाई को चलाने के लिए बम्बई के सर्राफा बाजार से एक हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए उन्हें मिलते थे। यानी इस संस्था और कांग्रेस पार्टी के जमाने का ऐसा इतिहास था कि यदि 5 हजार रुपये की रिश्वत के मामले का आरोप लग जाये, तो उस आरोप की जांच के लिये एक संसदीय कमेटी बनाकर भारत के सार्वजनिक जीवन, जिनका मानदंड स्थापित करने के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपने ही सदस्यों का इस सदन से निष्कासन कर दिया। यह भी एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी का रहा है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वोल्कर समिति की जो रिपोर्ट आई है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बयान को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं - कि हम वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर बहस नहीं कर रहे हैं। वोल्कर समिति की रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम आये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार की जो विफलता है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम इस विषय पर आते हैं तो हमें मानना है कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार उस कमेटी ने 630 पृष्ठों की अपनी आख्या में 2400 कम्पनियों के नाम दिये हैं और उनमें दो कम्पनियां भारत की हैं। एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा नटवर सिंह। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी को एक बाहर की कम्पनी के रूप में माना जाता है और इस कम्पनी पर इलजाम लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगा, कांग्रेस पार्टी को उस इल्जाम से मुक्त होने की शुरुआत करनी चाहिये थी और इस देश के विदेश मंत्री को अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये था। यदि उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र नहीं दिया था तो भारत के प्रधानमंत्री को, जिनका मानदंड स्थिर रखना है-उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करना चाहिये था। लेकिन इस काम को न कांग्रेस पार्टी ने किया, न इस सरकार ने ही किया। हमें इस बात पर अफसोस है, इसलिये हमें चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह मानहानि का दावा करेगी। उसके बाद यह खबर आई कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है जिसमें कहा कि वोल्कर समिति ने उन सब को, जिनके नामों का जिक्र किया गया है, उनको अपनी सफाई देने का अवसर दिया है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया है। यह बात समझ में आती है कि यह अवसर कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया लेकिन जिनको सफाई देने का अवसर दिया, उन पर रिपोर्ट की आख्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस पर भी विचार व्यक्त कर दिया। उनको इस बात का बाद में अफसोस हुआ कि नटवर सिंह नाम का व्यक्ति भारत का विदेश मंत्री है। यह कहा गया कि हमारी उनसे कोई निजी दुश्मनी या द्वेष नहीं है इसलिये उनका नाम रिपोर्ट में आया। हमें जो दस्तावेज बरामद हुये, ईराक तेल बेचने वाली कम्पनी के दस्तावेज के आधार पर हमें इन नामों को दिखाया गया। हम कहना चाहते हैं कि इस देश के सार्वजनिक मानदंडों को स्थापित करने के लिये कांग्रेस पार्टी को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। कांग्रेस पार्टी और इस सरकार ने कमीशन बना दिया जिसे हम न्यायिक कमीशन कह सकते हैं। लेकिन इस कमीशन को नियुक्त करने के लिये कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है। उसकी घोषणा सदन के भीतर होती, उसकी रिपोर्ट सदन में आती लेकिन सरकार ने एक कमीशन ही बना दिया। इसलिये हम मांग करेंगे कि उस कमीशन की नियुक्ति कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत होनी चाहिये जिसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो ताकि सदन उस पर पूरी तरह से बहस कर सके।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि जो इलजाम लगे हैं, वे क्या हैं? वोल्कर समिति कहती है कि ये इलजाम नहीं हैं। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि हमने किसी के बारे में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिये जो तथ्य प्रकट किये गये हैं, उन तथ्यों में क्या बातें सामने आई हैं। 13वीं और 14वीं किश्त में जो तेल का उठान हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी के लिये 2-2 मीट्रिक टन तेल का उठान हुआ। इस 4 मीट्रिक टन तेल में कांग्रेस पार्टी ने उसका उठान किया या कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी व्यक्ति या संस्था ने जिसका नाम स्विस कम्पनी मैसफील्ड ए.जी. कम्पनी है, उसने एक मीट्रिक टन बैरल तेल का उठान किया।

श्री नटवर सिंह जी को 2.2 बिलियन बैरल तेल दोबारा आवंटित हुआ और उन्हें आबंटित उस तेल में से 1.9 बिलियन बैरल का उठान हुआ। इसके बारे में वह कमेटी कहती है कि नटवर सिंह के नाम से जिस तेल का उठान हुआ, उस पर उन्हें 32 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ। ऐसा उस कमेटी के तथ्यों में प्रकट किया गया है। इसकी सफाई इस देश की जनता के सामने होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जो इस देश के विदेश मंत्री हैं, उस विदेश मंत्री के पुत्र के एक दोस्त की कम्पनी के ऊपर वित्त मंत्रालय की ओर से छापा डाला गया। हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि भारत सरकार को वोल्कर कमेटी

से संबंधित तथ्य मिल गये हैं। लेकिन उन्हें इस सदन के सामने रखना इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस पर एक न्यायिक कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी श्री दयाल की अध्यक्षता में बन गई है, इसलिए उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन डी.आई.आर. ने जो जगत सिंह के मित्र की कम्पनी के ऊपर छापा डाला था, उसके जरिये कुछ तथ्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को मिले होंगे। उन तथ्यों को इस सदन के सामने रखने में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को क्या परेशानी है। उन तथ्यों को इस सदन के सामने रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो स्विटजरलैंड की मेसफील्ड है, उस कम्पनी से कांग्रेस पार्टी के और नटवरसिंह जी के क्या रिश्ते हैं, इसकी सफाई बहस के अंत में हो तथा भारत सरकार इस सदन के सामने इन दोनों तथ्यों को उजागर करे। वोल्कर ने पूरी दुनिया के सामने भारत के नेताओं के बारे में इस बात को बतलाया है कि भारत सरकार ने और भारत की कतिपय पार्टियों ने श्री सद्दाम हुसैन को परेशानी के समय में मदद की और उस परेशानी के समय मदद के एवज में कुछ फीस वसूली, जिस फीस को वह घूस का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से किसी पार्टी या सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूस लेने और देने में आरोपित किया जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के सार्वजनिक जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इस देश के सामने आये, इसके बारे में सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए।

तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इल्जाम आने के बाद या ये तथ्य आने के बाद भारत के विदेश मंत्री ने इस देश के अंदर जो वक्तव्य दिये, मैं ऐसा समझता हूं कि एक जिम्मेदार विदेश मंत्री की हैसियत से उनके वे बयान जिम्मेदाराना नहीं थे। उन वक्तव्यों से भारत के एक मित्र देश के साथ रिश्तों में खटास पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने अपनी नाक बचाने के लिए कुछ ऐसा किया कि उन्हें विदेश मंत्रालय से हटा लिया। वे वक्तव्य, जो आरोप लगने के बाद और उन्हें विदेश मंत्रालय से हटाने के बीच में भारत के विदेश मंत्री ने दिये, उसकी सफाई भारत सरकार की आज की तारीख में देनी चाहिए। ईरान के मामले में भारत सरकार की वैदेशिक कूटनीति क्या होगी, इसके बारे में परिवर्तन की एक घोषणा विदेश मंत्री की हैसियत से की गई है। इसके बारे में आज सरकार क्या कहती है और क्या सोचती है, इस बारे में भी देश के सामने सफाई आनी चाहिए। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजों पर उनकी ओर से कहा गया कि यह एक देश की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के लोगों ने किया है, चूंकि उस देश का सद्दाम हुसैन के ऊपर आक्रमण को लेकर हमने सक्रिय ढंग से प्रतिवाद किया था, इसलिए उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। यदि उनकी यह बात सही है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि हम इस देश के बाहर जाकर दुनिया के बीच में किसी महान देश के कृपापात्र होने की कोशिश करते हैं और कृपापात्र होने के लिए इस देश के भीतर देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार अपनी पीठ ठोकती है और उसके साथ यह भी कहा जाता है कि यह उस तरह की साम्राज्यवादी शक्तियों का हमारे देश के नेतृत्व को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, इन दोनों बातों के बीच में जो विरोधाभास है, उसकी भी सफाई इस सदन के भीतर आनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यस्थगन प्रस्ताव का तो विरोध करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मंशा और भावना है, उस मंशा और भावना का समर्थन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आदरणीय अध्यक्ष जी, वोल्कर समिति में हुए खुलासे ने कांग्रेस पार्टी की कलई खोलकर रख दी है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। इस सदन में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं द्वारा विदेश से धन लेकर देश के सम्मान और हितों को बेचने की भर्त्सना भी करनी चाहिए। इस सदन में सरकार द्वारा भीषण अपराध की लीपापोती करने और सच्चाई को सामने न आने देने की निन्दा भी करनी चाहिए।

यू.एन. की वोल्कर कमेटी रिपोर्ट में टेबल 3 पर फेज 10, 11, 12 और 13 में कांग्रेस और नटवर सिंह दोनों की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में इसके अलावा जो नान कान्ट्रैक्चुअल बैनिफिशियरीज हैं, उनके नाम भी उल्लिखित हैं। नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसने पैसा लिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नाम आया है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अभी सदन में बहस कर रहे थे। वे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का नाम किसने लिया, कांग्रेस पार्टी का नाम कैसे आ गया। कांग्रेस पार्टी के नाम 4 मिलियन बैरल आइल कैसे अलाट हुआ, 2 मिलियन बैरल कांग्रेस पार्टी से किसने उठाया, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई भी सफाई इस सदन में नहीं दी गई। इससे साबित होता है कि जरूर 4 मिलियन बैरल कांग्रेस पार्टी के नाम से अलाट हुआ है, नटवर सिंह के नाम से 4 मिलियन बैरल अलाट हुआ है। स्विस कंपनी का नाम जो अभी आ रहा है, वह कौन सी है? इस कंपनी का नाम हैमडैन है जो इंडियन कंपनी है, जिस पर रेड भी हुई है और जिसके संबंध नटवर सिंह के पुत्र के साथ हैं- ऐसी बातें अखबारों में आ रही हैं। जो स्विस कंपनी मेसफील्ड एजी है, उसके साथ हैमडैन का संपर्क है। इस बारे में भी सरकार की तरफ से सदन में कुछ नहीं कहा गया।

[श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी और लैफ्ट पार्टीज के लोग तहलका रिपोर्ट्स पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वोल्कर समिति के संबंध में तहलका की क्या रिपोर्ट है। तहलका वीकली का नवंबर इश्यू कहता है–

[अनुवाद]

"नटवर के बाद कौन?" सात कांग्रेसी और हैं। वे कौन हैं?

अध्यक्ष महोदय: उनका नाम मत लीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। वे तहलका का बहुत समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: शायद।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं सिर्फ तहलका का उल्लेख कर रहा हूं। जी हां। क्या है? मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उत्तरी राज्य के एक मुख्यमंत्री 10 जनपथ के बहुत नजदीक जाने जाते हैं। तहलका में वही हैं। केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)। वह कौन हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? उनके 10 जनपथ से नजदीकी संबंध हैं। उनका नाम तहलका में है। अत: सत्तापक्ष और सरकार को बताना चाहिए कि यह कौन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं जिनका नाम इसमें है? एक एआईसीसी सचिव है। वह कौन हैं? ...*(व्यवधान)* आप तहलका पर विश्वास कर रहे हैं। आप बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं तहलका का उल्लेख कर रहा हूं। मैं किसी के नाम का हवाला नहीं दे रहा हूं। यह बातें तहलका में हैं।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, आप इसे सत्यापित नहीं कर सकते हैं। क्या आप इसे सत्यापित कर सकते हैं? किसी भी वक्तव्य को यहां पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन वे मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप बैठ क्यों नहीं जाते। यह ठीक नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: राज्य सभा के एक जाने-माने सदस्य हैं जिन्हें 10 जनपथ का करीबी समझा जाता है। महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वह किसी का नाम नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह स्वयं आरोप की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सकते हैं। क्या आप सत्यापित कर सकते हैं?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह वोल्कर समिति के संदर्भ में है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सत्यापित कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्होंने रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी है। उन्हें नकारने दीजिए।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्हें इन्कार करने दीजिए कि यह रिपोर्ट में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे सत्यापित कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, हमारे पास रिपोर्ट नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे सत्यापित करते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हां, यह तलका में है... साप्ताहिक ...*(व्यवधान)* मैं यह सत्यापित कर सकता हूं कि यह तलका में प्रकाशित हुआ है ...*(व्यवधान)* दि. 19.11.2005 को।

अध्यक्ष महोदय: रिपोर्ट नहीं। जो यह पढ़ रहे हैं वह किसी संदर्भ में लगाए गए आरोप हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वे तहलका की मांग कर रहे हैं। इसीलिए मैं तहलका का संदर्भ दे रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे तहलका के बारे में कुछ नहीं कहना है, जो बात समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई है उसी का मैं हवाला दे रहा हूं ...*(व्यवधान)* इस तरफ के लोग तहलका की मांग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे समाचार-पत्र से पढ़ रहे हैं जिसे आप स्वयं सत्यापित नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्होंने कई समाचार-पत्रों का हवाला दिया किंतु किसी ने आपत्ति नहीं जतायी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैंने बात पूरी नहीं की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जो अब उत्तर भारत के एक राज्य के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, वह कौन है? ...*(व्यवधान)* उन्हें बताने दीजिए। राजस्थान युवा कांग्रेस के एक भूतपूर्व महासचिव, उन्हें बताने दीजिए यदि कांग्रेस के लोग लिप्त नहीं हैं ...*(व्यवधान)* केवल श्री नटवर सिंह ही शामिल नहीं हैं बल्कि अन्य लोग भी हैं ...*(व्यवधान)* सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष ने इराक के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री सद्दाम हुसैन को एक पत्र लिखा है ...*(व्यवधान)* कृपया सुनिए ...*(व्यवधान)* आप सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी ...*(व्यवधान)* हां, उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा गया था उसे उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): आप सारे नाम नहीं ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्होंने एक पत्र लिखा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बैठने को कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार ने इससे इन्कार नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद, यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह लिखे गए पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। मैं देखूं आप क्या कहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके बारे में भी इन लोगों ने निकलवा दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपको मेरी बात सुननी चाहिए कि मैं क्या आरोप लगा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने स्वयं यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से एक पत्र मिला है और वे सद्दाम हुसैन से मिले। ...*(व्यवधान)* इस सभा को इसके बारे में जानने का हक है। ...*(व्यवधान)* वोल्कर समिति की रिपोर्ट में कांग्रेस का नाम है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: पत्र में क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपको हमें यही तो बताना है, श्रीमती सोनिया गांधी को यही बताना है ...*(व्यवधान)* देश को यह जानने का अधिकार है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि किसी ने पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से कुछ लिखा है तो क्या आपको वह भी जानने का अधिकार है? यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपका समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः मैं यह कैसे जान सकता हूं कि पत्र में क्या लिखा है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सोनिया गांधी ने क्या लेटर दिया, इसके बारे में देशवासी जानना चाहते हैं। इसके बारे में उचित जानकारी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको पांच मिनट दिए गए थे; आपने आठ मिनट का समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठीः इस पर सीबीआई से इन्क्वायरी करानी चाहिए। जो कमीशन आपकी तरफ से नियुक्त हुआ है उसका एविडेंस कौन लेगा? अध्यक्ष जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, एविडेंस लेने के लिए कानून की जरूरत होती है। जो कमीशन बना है, उसकी कोई लीगल एनटीटी नहीं है। देश के बाहर जो एविडेंस लेंगे, वह किस कानून के अंतर्गत लिए जाएंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से वे अन्य देशों से सबूत ले सकते हैं। सीबीआई द्वारा इन्क्वायरी कराने से कांग्रेस के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में देशवासियों को पता चल जाएगा, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि सीबीआई इन्क्वायरी करे। बोफोर्स के बाद यह दूसरा कांड है। सारे देशवासियों को इसके बारे में मालूम है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को न केवल नेशनलाइज किया है, बल्कि अब इंटरनेशनलाईज कर दिया है। उनकी सौ साल की पार्टी है। वह नकली कांग्रेस है, असली कांग्रेस नहीं है। नकली कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। आज आयल फार फूड प्रोग्राम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठीः इससे देश का क्या सम्मान रहेगा। सारे प्रांतों के लोग क्या कहेंगे? आयल फार फूड प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी, रूलिंग पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। यह गंभीर मामला है। इसके बारे में सीबीआई से इन्क्वायरी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप इसे मुझे दिखाइए। आपने दोगुना समय ले लिया है। अब, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव विपक्ष द्वारा ऐसे विषय पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने देश की सम्प्रभुता को भुला दिया है। हमारे जैसे जो भी आजाद मुल्क दुनिया में हैं, उनकी सम्प्रभुता और सार्वभौमिकता को कम महत्व दिया है। इसका कारण यह है कि विपक्ष की जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह दूसरा है। आपने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद फंस जाएंगे। आप कहां-कहां फंस रहे हैं, वह सुन लीजिए और अपने को बचाने का काम करिए। यह यू.एन. का मामला है। देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाकर, मैं समझता हूं कि विपक्ष अमरीका की कूटनीति के जाल में फंस गया है। विपक्ष, शीशे के घर में बैठकर पत्थर फेंकने का काम कर रहा है। वह यह नहीं जानता कि पत्थर जब उलटकर उनके घर पर लगेगा, तो उनका घर भी चूर-चूर हो जाएगा।

महोदय, अमरीका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण इराक में जब हजारों दुधमुंहे बच्चे भूख और दवाओं के अभाव में दम तोड़ने लगे और जब इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए तब 1995 में फूड फार वर्क प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया। इसके तहत ईराकी जनता को खाना और जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए एक सहायता कार्यक्रम यू.एन. ने शुरू किया। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभुत्व अमरीका का रहा। स्वाभाविक है कि इराक को पेट्रोल विरासत में मिला है और उसे बेचकर ही वहां के नागरिकों के जीवन की आवश्यक चीजें खरीदी जानी थीं।

महोदय, 30-40 वर्षों से अमरीका, इराक पर दबाव बनाता रहा है और उसे अपने अधीनस्थ देश के रूप में रखने का प्रयास

करता रहा है। अमरीका चाहता था कि इराक केवल अमरीका को ही तेल बेचे और इसीलिए उसने इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए। यही कारण है कि कोई भी स्वाभिमानी देश अथवा उसका अध्यक्ष, यह सहन नहीं कर सकता, चाहे वे सद्दाम हुसैन हों या कोई और राष्ट्राध्यक्ष। कोई भी स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र अथवा उसका अध्यक्ष इस प्रकार का दबाव सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि अमरीका ने आर्थिक एवं सामरिक प्रतिबन्ध इराक पर लगाए और एक बार अमरीका ने इराक पर निशाना भी साधा था। जब इराक के बच्चे और जनता भूख से मर रही थी, तब इस तरह से आर्थिक नाकेबन्दी की गई।

महोदय, यह ठीक है कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट की यहां बहुत बात की जा रही है। यह रिपोर्ट वर्ष 2001 की है जब फूड फार आयल ट्रांजैक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें अमरीका को 69.4 बिलियन अमरीकी डालर का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस रिपोर्ट में आया है कि अमरीका ने इराक को मानवीय सहायता के लिए 38.6 बिलियन डालर खर्च किए। चूंकि समय कम है इसलिए मैं इस खर्च के विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च किया गया। इस सारे काम का संचालन कौफी अन्नान और अमरीका, दोनों ने स्वतः ही कर लिया। 38.6 मिलियन अमरीकी डालर इराक में मानवीय सहायता हेतु खर्च किए गए और उसमें से 18 बिलियन डालर, अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति के स्वर्गीय पिता, जार्ज बुश-प्रथम के समय इराक से जो युद्ध हुआ था, उसके बदले में ले लिए गए। तेल निर्यात पर 5.3 बिलियन डालर खर्च किए, वे ले लिए। हथियार निरीक्षण पर जो खर्च हुआ, उसके लिए 0.5 बिलियन डालर लिए गए। 9.35 बिलियन डालर डैवलपमेंट फंड्स फार ईराक से हमला करने से पहले हड़प लिए। इन सारी चीजों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक खर्चों की वसूली भी इराक में ही की गई और 1.4 बिलियन डालर इस मद में लिए गए। वोल्कर कमेटी ने भी अपना सारा खर्च इराकी बच्चों के दूध-दवाई के हिस्से से लिया। उनका 18 महीने का वेतन 30 मिलियन डालर हुआ। इस कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस हेतु वेतन भी 30 मिलियन डालर लिया गया और मानवीय सहायता के मद से लिया गया। ये सब बातें रपट में वोल्कर कमेटी द्वारा ही दर्ज की गई हैं। इसके लिए वोल्यूम एक और दो देखा जा सकता है। क्या यह इराक में अमेरिकी की खुली लूट नहीं है? क्या यू.एस., यू.के. के जरिए या यू.एस. के कार्पोरेशन के जरिए आयल फोर फूड कार्यक्रम के तहत ईराक को लूटा गया है, क्योंकि यह सारा काम अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस आधार पर, जिन तथ्यों पर यह रिपोर्ट बनाई गई, वह शक के घेरे में है, उसकी विश्वसनीयता आज भी शक के घेरे में है। वोल्कर रिपोर्ट अमेरिका द्वारा सोची हुई कूटनीति के तहत एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, इसलिए इसकी गहन जांच और गहन छानबीन करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्योंकि जो देश ईराक को सपोर्ट करेगा उसकी इमेज को खराब करने के लिए एक बड़ी चाल भी हो सकती है, यह जांच का विषय है। जहां भी भ्रष्टाचार हो, गंगोत्री से भ्रष्टाचार नीचे की छोटी नदियों में जाता है, इसलिए गंगोत्री को साफ रखना चाहिए। मैं सिद्धांततः इस पक्ष में हूं, लेकिन वोल्कर रिपोर्ट को रशिया, साउथ अफ्रीका और अन्य देशों ने रिजेक्ट कर दिया, फ्रांस ने भी रिजेक्ट कर दिया और आप इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं। मल्होत्रा जी, वर्ष 2001 में एनडीए का शासन था। आप लोग बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लेकर, जैसे एस.टी.सी. आदि का इसमें इन्वाल्वमेंट है, इस रिपोर्ट में उसका भी इन्वाल्वमेंट है। सन् 2001 में एनडीए सरकार थी, उसकी पूरी लिस्ट है। केवल श्री राम नाईक का सवाल नहीं है, किन लोगों ने विजिट किया है, मैं बताना चाहता हूं। राजग के शासन काल में निम्नलिखित नेताओं ने शिष्टमंडल के साथ अथवा उसके बिना इराक का दौरा किया था। विदाउट और डेलीगेशन के साथ भी, 1999-2000 में जुलाई 27 से 29 तक श्री वी.के. राम मूर्ति, मिनिस्टर आफ पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सन् 2001 में सितम्बर, 22 से 25 तक श्री अजित कुमार पांजा, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मैं इसकी इंतजार कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर कोई आरोप होगा, तो हम उसे निकाल देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इराक में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी खाली नाम लिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जिस समय आयल फोर फूड कार्यक्रम चल रहा था, उस समय आप लोग बड़े-बड़े डेलीगेशन लेकर गए। सन् 2002 में श्री अजित कुमार पांजा, विदेश राज्य मंत्री ईराक गए। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: सद्दाम के साथ पोस्टर लगाए थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केवल इराक के साथ हमारे नजदीकी संबंधों को दर्शाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: वर्ष 2001 में 31 अगस्त से 2 सितम्बर के बीच राज्य सभा की उप सभापति डा. नजमा हेपतुल्ला के नेतृत्व में एक 75-सदस्यीय सद्भावना शिष्टमंडल ने इराक का दौरा किया था।

[हिन्दी]

वे कांग्रेस के थे, आपने उन्हें केबिनेट का पोस्ट क्यों दिया था, उन्हें आप क्यों ले आए? ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: इराक में लिखा गया था—सुप्रीम काउंसिल आफ इंडियन पार्लियामेंट। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इतना समय नहीं हैं, नहीं तो हम आपको फोटो के साथ दिखाते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी फोटो की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसलिए हम नेसेसिटी नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जब भी स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ है तो पार्टी की संख्या के अनुसार समय दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके समय के बारे में निर्णय लूंगा। वे केवल आपको व्यथित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार हमें समय मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जुलाई 6 और 7, 2002 श्री राम नाईक जी, जनवरी 20 से 22, 2002,

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह, रेल राज्य मंत्री ने इराक का दौरा किया।

[हिन्दी]

वे वहां हनीमून मनाने गए थे? ...*(व्यवधान)* क्या कारण था? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

6-7 जुलाई, 2002 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक के नेतृत्व वाले 53-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने इराक का दौरा किया था।

सामान्य राजनयिक बातचीत से इतर सरकार में रहने वाली पार्टी के इतने ज्यादा कार्यकर्त्ताओं द्वारा दौरा करने का क्या कारण हो सकता है? श्री राम नाईक एक 53-सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ गए। श्री राम नाईक ने उप राष्ट्रपति की तहायासिन रामादान; उप प्रधानमंत्री श्री हिकमत अलकाजवी; और इराक की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष डा. सद्दायन हम्मादी से मुलाकात करने के अतिरिक्त सद्दाम हुसैन के साथ दो घंटे तक बैठक की थी।

अध्यक्ष महोदय: केवल पदनाम बताएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: श्री राम नाईक ने तेल मंत्री, व्यापार, उद्योग और खनिज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विद्युत मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री के साथ भी बैठकें की थी जिसमें तेल के बदले अनाज कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई थी। ...*(व्यवधान)* मैं संबंध बता देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कुछ भी असंसदीय बात नहीं की है। वे आवंटित समय के भीतर बोल रहे हैं। वे अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। आप टोकाटाकी क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जब आपकी तरफ से माननीय सदस्य बोले रहे थे, तब हमने एक शब्द नहीं बोलना था। यदि हम भी आपके बोलने पर टोकने लगेंगे तो आप एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। ...*(व्यवधान)* मैं संबंध बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमीशन से बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह परमीशन हमको नहीं दी गई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह नोट करना रोचक है कि श्री राम नाईक ने विशेष तौर पर शिष्टमंडल में शामिल कंपनियों यथा-मोहन एक्सपोर्ट्स एल.के. ट्रेडिंग ओवरसीज के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाया। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसमें नाम दिए गए हैं। आप वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को देख लीजिए, उसमें नाम दिए गए हैं। इन्होंने सरचार्ज लिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में नाम है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: शिष्टमंडल में अजंता फार्मा, वडोदरा ऐलम्बिक, यूनीक फार्मास्यूटिकल्स के भी प्रतिनिधि थे जिनका मि. पाल वोल्कर की रिपोर्ट में सद्दाम हुसैन सरकार को अधिभार का भुगतान करने हेतु नाम लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): आप सरकार से कार्यवाही की मांग कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम तो सरकार से कार्यवाही की मांग करेंगे ही, लेकिन आप लोग क्यों चुप थे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, (*) एम्बेसडर आफ इंडिया ने 28 जनवरी, 2004 को विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और इस पर आला अधिकारियों ने टिप्पणी की है। इसमें साफ-साफ उन्होंने अपने पत्र में कहा है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इन्होंने समाचार में पढ़ा। जंग और अलमाडा के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति भी संलग्न थी। इन दोनों अखबारों की हेडलाइन में था कि राष्ट्रपतियों, राजनेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक दलों को सद्दाम हुसैन ने कई लाख बैरल क्रूड आयल दिया। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? 28 जनवरी, 2004 को एनडीए की सरकार थी। उस समय श्री यशवन्त सिन्हा विदेश मंत्री थे। उस समय आप लोगों ने चुप्पी क्यों लगायी हुई थी? उसका क्या कारण था? उसके पीछे क्या रहस्य था? वह पत्र बगदाद से आया था। *भारत के राजदूत ने वह पत्र लिखा विदेश सचिव, भारत सरकार को, उस समय भारत सरकार में आप लोग ही बैठे थे। अब आप लोग इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। अनभिज्ञता जाहिर करके आप अपनी रिस्पान्सिबिलटी से मुकर नहीं सकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है। देश हर बात को संजीदगी से लेता है। वह देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उन कम्पनियों पर शिकंजा कसने का काम क्यों नहीं किया गया? आज शक की सुई आपकी तरफ है। यह यक्ष प्रश्न खड़ा है कि आप शक के घेरे में हैं, इसीलिए आपने चुप्पी लगायी थी। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि आप पाक-साफ हैं। वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य आ रहे हैं, उसकी सच्चाई की जांच अति आवश्यक है क्योंकि इराक में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के मामले में जो रिपोर्ट आयी है, वह पिन-पाइंटिड नहीं है। एक्चूएल बैनिफिशरी का सिर्फ अनुमान लगाया गया है, चाहे वह कांट्रेक्चुएल का हो या नान-कांट्रेक्चुएल का हो, इसमें केवल इंगित किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता से जांच के लिए केन्द्र सरकार की तरफ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

से, यूपीए की तरफ से जस्टिस आर.एस. पाठक की अध्यक्षता में जूडिशियल इन्क्वायरी बैठाई गई है और उसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। केन्द्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए विरेन्द्र दयाल जी को कागजात और तथ्यों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

मैं समझता हूं विपक्ष जिस तरह भ्रष्टाचार उन्मूलन पर अपनी पार्दर्शिता दिखा रहा है, मैंने पहले इसलिए कहा था कि शीशे के घर में मत बैठिए। आप सर्वोच्च सदन में बात करें, इस बात पर आज ही बहस हो और तय हो जाए कि 10-15 वर्षों में देश के अंदर या बाहर जो टैंडर हुए, उनकी पारदर्शिता के लिए कमीशन बिठाया जाए। हम कमीशन की मांग करते हैं, चाहे इंडीपैंडेंट जांच आयोग बिठाएं, चाहे कौन्टैक्स्ट या नान-कौन्टैक्स्ट में बैनीफिट लिया गया हो। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्येन्द्र दूबे, नेशनल हाईवेज अधिकारी की हत्या कैसे हुई? उस समय कौन्ट्रैक्टर कौन था? वे देश की सड़क बनाने का काम कर रहे थे। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीडिया में रिश्वत लेते हुए दिखाया गया। ...*(व्यवधान)* आज इस तरह की परिस्थिति कैसे आई? आप बहुत साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उस समय राष्ट्रीय पार्टी कौन थी, मल्होत्रा जी को मालूम है। ...*(व्यवधान)* तहलका कांड को पूरे देश ने टीवी पर देखा। ...*(व्यवधान)* आपके समय में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार पर बंदिश होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाई लैवल इंडीपैंडेंट कमीशन बिठानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मैं आपके सामने एक और तथ्य लाना चाहता हूं। इराक में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वोल्कर कमेटी में एक से एक ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो खुद कमेटी के निष्कर्ष की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट तैयार होने के सात महीने पहले उसकी इंटरिम रिपोर्ट पर अमरीकी हाउस आफ रिप्रैजैंटेटिव्ज के अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी उनकी संसदीय समिति में रिपोर्ट पर चर्चा हुई और यूएन के सदस्य देशों को रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं दी गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: संयुक्त राष्ट्र देशों को विश्वास में नहीं लिया गया। ...*(व्यवधान)* अंतरिम रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम हो या जम्मू-कश्मीर की पैंथर पार्टी का नाम हो, अक्टूबर माही वोल्कर समिति में खुले रूप से भारतीय राजनीति में जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, उस बारे में मैं यही निवेदन करूंगा कि वह परिस्थिति क्यों पैदा होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इंटरनेशनल ला का वायलेशन रुकना चाहिए। इसके लिए ताकत इकट्ठा करें, देश को इकट्ठा करें, संसद में इस पर चर्चा हो, ...** भ्रष्टाचार की निश्चित रूप से गहन जांच हो और छः महीने के भीतर रिपोर्ट आ जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो लोग विदेशी धन लेने की चर्चा कर रहे हैं, ...** क्या कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: विदेशी धन लेने से मना करने का सख्त कानून बनना चाहिए ताकि ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा। यदि उसमें किसी दोषारोपण का जिक्र होगा तो मैं उस पर गौर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमें भी ठीक से सुनाई नहीं दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने संगठन के बारे में कहा है, किसी इनडिवीजुअल का नाम नहीं लिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास है। आपने एक गलती की है और मैंने भी गलती की है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आपने गलत स्थान से बोला है। मैंने इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया। मैं पूरे भाषण को रद्द कर सकता हूं। चूंकि यह मेरी भूल थी, मैं आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति देता हूं। आपको अपने स्थान से बोलना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): क्या मैं इस स्थान से बोल सकता हूं। मात्र एक पंक्ति का अंतर है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, परन्तु इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, इराक में तेल के बदले अनाज प्रोग्राम में कुछ कथाकथित अनियमितताओं पर जो वोल्कर समिति बनाई गयी, उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत से देशों के व्यक्तियों व संस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदन किया है, लेकिन सिर्फ हिन्दुस्तान के अलावा कहीं वह आवेश, वह उत्तेजना पैदा नहीं हुई, जो यहां हुई है। यह स्वाभाविक है। जैसा श्री मोहन सिंह जी ने पहले बात करते हुए कहा था—एक तो कारण यह है कि हम अपने आचरण के कारण, अपनी परम्पराओं के कारण, जिनका जिक्र उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस समय का किया था जब उन्होंने एक पार्टी के सदस्य के खिलाफ यहां खड़े होकर उनको बर्खास्त करने का रेजोल्यूशन पेश किया था। पहली बात यह है कि हम कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई भी एक संकेत देखते हैं, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। यह बात सही है कि उसके लिए हमारे देश में एक आवेश या उत्तेजना पैदा हुई, वह माना जा सकता है, लेकिन दूसरी बात है कि हम लोग अपनी पोलिटिकल क्लास से अगर एक दूसके के खिलाफ एक शब्द भी देख लेते हैं, तो यह जांच करने की कोशिश नहीं करते कि क्या उसमें सत्य है या वह सत्य हो सकता है या नहीं? हम एकदम उस बात को पकड़ लेते हैं और एक बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही इस वक्त हुआ है।

यह एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। मैं कबूल करूंगा कि मैंने इस रिपोर्ट को पूरा नहीं पढ़ा और किसी के लिए भी इसे पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसे बहुत लोगों ने पढ़ा है। मुझे शक है, मुझे नहीं मालूम कि आडवाणी साहब ने भी पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी या नहीं? लेकिन जो बातें अखबारों के जरिये आई हैं, उनको हम तथ्य मानकर, सत्य मानकर यहां बहस कर रहे हैं। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि जो दौर नान-कांट्रेक्टच्युअल एंटीटिस या पर्सन्स का जिक्र जिसमें बार-बार हो रहा है, क्या उसके प्रति रिपोर्ट में कहीं कुछ दर्ज है? यह पांच वाल्यूम्स की रिपोर्ट है। चार वाल्यूम्स में व्यापक तौर पर बहुत कुछ दर्शाया गया है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं। पांचवीं रिपोर्ट में व्यापक तौर पर उस संबंध में कहा गया है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है। बाद में टेबल थ्री में बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। उसमें दो हमारे नाम हैं। वहीं से एकदम पकड़ लिया, जैसे किसी को इनसीन्यूएट करो और सजा दे दो। क्या आपने तथ्य जानने की कोशिश की? मैं समझता हूं कि सरकार ने उस पर जो कदम उठाया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी और सही ढंग से होनी चाहिए थी कि कुछ दिनों के बीच ही सरकार ने उस पर एक कमीशन बैठा दिया।

अब यहां क्या कहा गया? यहां कहा गया कि वह कमीशन नहीं है बल्कि एक अथारिटी है। इन बातों पर माननीय सदस्य बहुत ज्यादा चीजों से वाकिफ हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसे अगर मामूली तौर पढ़ा होता और देखा होता कि नोटीफिकेशन क्या है—क्या किसी ने नोटीफिकेशन देखने की कोशिश की? क्या उसमें नहीं देखा कि वह भी, जो कमीशनन आफ इंक्वायरी एक्ट है, उसके तहत है। पूरे अधिकार उनको मिले हुए हैं। आप पूछेंगे कि क्यों नहीं उसका कमीशन नाम दिया। आप सैक्शन ग्यारह पढ़िये, वह भी वही कमीशन बन जाता है, जो दूसरा है, सिर्फ अंतर इतना है क्योंकि यह सरकार चाहती है कि उसमें अनेक वर्ष न लग जायें और तहलका कमेटी जैसे उस पर कमीशन न बैठें जो उस पर फैसला न दें।

अपराह्न 4.29 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

हम चाहते हैं कि कुछ महीने, जो उसमें तय किये हैं, उस समय में हम सच्चाई की तह तक पहुंचे। यह तभी हो सकता है जब उसमें आठ-बी सैक्शन वगैरह की जरूरत न पड़े। उस पर एतराज हो रहा है। वह सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि जो सच्चाई है, उसे हम लोगों के सामने लेकर आयें।

यहां कहा गया था, उस वक्त बार-बार उस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बहुत देरी के साथ उस पर जिक्र किया। क्या आप भूल गये हैं, आप पूरी रिपोर्ट पढ़िये—मैं फिर कहता हूं कि अगर अखबारों के दो शब्द देखकर हम अपना फैसला बना लेते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। क्या आप नहीं जान सकते कि उन्होंने कहा था कि 'आई हैड केप्ट सेइंग। मैं बार-बार कहती रही थी। ''उसमें यह कहा गया था। क्या वह आपके घर अपनी हर प्रैस स्टेटमैंट भेजे कि मैंने आज यह कहा, आज मैंने ये विचार दिये हैं? यहां पार्लियामैंट में खड़े होकर जब हम चर्चा शुरू करते हैं- यह एक अच्छी चर्चा हुई है। थोड़ी देर बीच में विघ्न जरूर हुआ, चर्चा में एक रुकावट हुई कि 40 मिनट में कुछ नहीं कहा गया। एक पुराने सदस्य हैं जिनके मन में कोई बसी हुई है, एक माइंड सेट

[श्री पवन कुमार बंसल]

है कि किसी न किसी ढंग से मैं वह बातें कहूं, जिन बातों से अब कोई ताल्लुक नहीं, बेशक वह हमारे रूल्स के तहत आता है या नहीं। उन चालीस मिनट का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं बाकी समय का जिक्र करना चाहूंगा जब एक सकारात्मक तथा अच्छी बहस हुई। उसमें मुद्दे उठाये गये हैं लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं। कमीशन किस बात के लिए बनाया गया हैं, उन बातों को जाना जाए। जब यह प्रश्न हमारे सामने है, मैं यह नहीं कहता कि इतने में यह साबित हो गया कि कहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं बीच में अगर एक नाम आ गया, उससे एक बुनियाद बनती है, आगे तफतीश करने की और वह तफ्तीश एक आथोरिटी, एक कमीशन के जरिये बनती है और 15 दिन भी ज्यादा कहा गया, दस दिन के बीच में ही वे डाक्यूमेंट्स वहां से यहां आ गये। क्या कभी सुना था इतनी जल्दी होते हुए? क्या इससे सरकार की उत्सुकता मालूम नहीं होती कि सरकार सच्चाई तक पहुंचना चाहती है? क्या डाइरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और डाइरेक्टरेट आफ एनफोर्समेंट सरकार के अंतर्गत नहीं है? क्या उसके तहत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? उस बात की क्या प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने परवाह नहीं की कि अपनी पार्टी के खिलाफ वहां इंक्वायरी हो सकती है, उनसे भी कोई स्टेटमेंट लिया जा सकता है, यह सरकार उसको रोक सकती थी लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी- क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि उस रिपोर्ट में जो दर्शाया गया है, वह सत्य नहीं है। कहीं न कहीं से नाम आ गये हैं। आज यह कहने का मेरा अधिकार नहीं है कि वे कहां से आये हैं लेकिन हमारे सामने संभावनाएं खड़ी हैं और वे संभावनाएं क्या हैं? मैं कबूल करना चाहूंगा कि पहली संभावना क्या है? पहली संभावना यह हो सकती है कि जो दो नाम बताये गये हैं, क्या उन्होंने कोई अनियमितताओं की हैं? क्या किसी ढंग से वहां से वाउचर लेकर उनसे कोई पैसा बनाया गया है, यह कहीं नहीं कहा गया। यह मैं अपने आप से आपको कह रहा हूं। यह एक संभावना बन सकती है।

दूसरी संभावना जो बन सकती है कि क्या इराक के बीच में किसी वक्त किसी के नाम तो किसी ने इस्तेमाल नहीं कर लिये कि किसी के नाम में पैसा लेकर डाल दिया और कोई पैसा साइफन-आफ तो नहीं कर दिया गया? इन बातों को तय किया जाएगा। मैं इसी संदर्भ में आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। जिस बात का जिक्र यहां बार-बार हुआ है, उस वक्त सरकार आपकी थी। आपने उस समय हर प्रयास किये कि यहां से देश के लिए हमारा सौदा ज्यादा हो। आपने प्रयास किये होंगे कि सौदे हों। क्या कोई बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकती थी? आपने बार-बार इस चीज पर जोर दिया। "क्या सोनिया गांधी जी ने एक पत्र नहीं लिखा था?" क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? क्या अखबारों में उसके बाद नहीं आया या फिर आप जानना नहीं चाहते अगर अखबार पढ़ते भी हैं कि फ्रेटरनल ग्रीटिंग्स अगर किसी को दी जाती हैं तो उस पत्र का जिक्र फिर आप कर रहे हैं, फिर जोर डाल रहे हैं। क्या आप भूल गये कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पत्र राम नाईक को दिया था और राम नाईक ने उसके बाद एक वेबसाइट पर कहा था कि मैं यह पत्र लेकर आया हूं और पूरी गंभीरता के साथ इराक के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहता हूं क्योंकि इराक में सैंक्शंस का मुकाबला बड़ा डटकर किया है। यह आपने कहा था और आज आप हमारे ऊपर यह इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आडवाणी जी की बहुत इज्जत करता हूं जब से मैं पार्लियामेंट में 1984 से हूं, जब से मुझे उन्हें नजदीक से देखने का मौका मिला है और हम समितियों में भी इकट्ठे रहे थे। मैं नहीं मानता कि जल्दी-जल्दी वे ऐसी बात कह देते हैं लेकिन उन्होंने एक ऐसी गंभीर बात कही है और वह सिर्फ हमारे डामेस्टिक, यहां बात करने के लिए नहीं कही है, बल्कि उसकी रेमीफिकेशंस क्या हो सकती है, यह नहीं सोचा गया। उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल देश की नीतियां बदलने के लिए हो रहा है। यह कहा गया है और इसके साथ आपके साथी जो बहुत सीनियर हैं और हालांकि, आज वह हाउस के सदस्य नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन शायद ब्रीफिंग उन्होंने ही आडवाणी जी को की होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बाहर ऐसे ही कहा था कि उस वक्त पैसे लिये गये, आप कनक्लूजन पर पहुंच गये, आपने तो पैसला सुना दिया और आपका फैसला देशवासियों के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फाइनल है। उन्होंने कह दिया कि यह पैसा लिया गया है क्योंकि अंदर लाबिंग हाउस में हुई थी कि जो यह एनडीए की सरकार उस वक्त इराक में फोर्सेज भेजना चाहती थी, वह नहीं भेजे—यह कहा गया है। अब इन दोनों बातों को पढ़िए। यह इल्जाम सिर्फ एक सदस्य पर नहीं लगाया जा रहा है। यह इल्जाम पूरे पार्लियामेंट पर भी लगाया जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में यह रिजोल्यूशन पास हुआ था। आप यह कहने की कैसे जुर्रत कर रहे हैं? मल्होत्रा जी, जो फैसला हुआ था, उस फैसले में आप भी हिस्सेदार थे। क्या आप नहीं चाहते थे? हम लोगों ने आपको कहा, आप मजबूर हुए क्योंकि हमेशा इराक हिन्दुस्तान के साथ था। बहुत बार जब चुनौती का समय आया था, उस वक्त इराक हमारे साथ था। तब आपने उस बात की परवाह नहीं की। लेकिन फिर भी यहां रिज्योल्युशन हुआ। आज आप उसे यह कहने के लिए इन्टरप्रेट कर रहे हैं कि उस रिज्योल्युशन के लिए एक मोटिवेशनल फोर्स यह थी कि वहां से पैसा आया था। आप इस बात को मानिए। क्या आपने यह पूछने की कोशिश की थी कि उसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन्स क्या थीं? उस कमीशन ने क्या कहा है, आपने इसे जानने की कोशिश नहीं की है। आपने कह दिया कि यह सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही, जिनके नाम इस रिपोर्ट में थे। क्या दो नामों का आ

जाना ही बहुत है? कल को मैं आपकी पार्टी के चार नाम अगर डलवा दूं और फिर हम यहां शोरगुल खड़ा करें कि आपको फांसी दी जाए—मैं वोल्कर कमेटी के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूं— कहने के लिए बहुत कुछ और मैं दोहराना चाहता हूं कि मुझे नसीहत देना वाजिब नहीं है, लेकिन फिर मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी। यह आपको अधिकार है कि जहां आप सरकार के खिलाफ कोई बात देखें, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यह आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन आपकी तरफ से उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप समझते हैं कि जब आपके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं तो कहीं से कोई भी कोई चीज अखबारों से पढ़ ली और उसके पीछे पड़ गए। क्या आप दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं कि वे आपके लिए एजेण्डा तय करें? शोर आदि की वजह से दो दिन से हाउस नहीं चल सका। पहले ही दिन हमने माना और कहा कि हम इस पर बहस करवाने को तैयार हैं, लेकिन आपने नहीं माना। आपने नियम 184 के तहत इसके लिए नोटिस दिया। इसके बावजूद कि यह मामला नियम 184 के तहत नहीं आता है, हमने आपकी बात मानी। बहस शुरू हुई लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया? खैर छोड़िए इस बात को, क्योंकि वह प्रयास विफल रहा। आपके इरादे भी विफल रहे हैं। आप जानते हैं कि उस रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है, कांग्रेस सहित दो व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं यह साबित नहीं हुआ कि उनको पैसा मिला। मैं इसे साबित नहीं हुआ न कह कर, उससे एक स्टेप नीचे रहकर, यह कहूंगा कि वोल्कर कमेटी ने अपने समय में कहीं काई तफ्तीश नहीं की। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान उपस्थित न करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: कहीं तफ्तीश नहीं की गयी कि कांग्रेस या कांग्रेस के किसी आदमी की हैण्डराइटिंग या हस्ताक्षर कहीं हैं। क्या कहीं यह लिखा गया है? मैं आपसे चुनौती देकर यह पूछता हूं कि क्या कहीं इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कांग्रेस के किसी नुमाइन्दे या आदमी ने कहीं हस्ताक्षर किए हों? ...*(व्यवधान)* उसकी तफ्तीश के लिए ही यह कमीशन बनाया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बंसल, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: क्या यह कहीं लिखा है कि कांग्रेस का आपस में या कांग्रेस की तरफ से किसी कंपनी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे मैसफील्ड और हमदान, के साथ कोई पत्राचार हुआ हो? वहां सैकड़ों कंपनियां थीं और उन कंपनियों के साथ आपने मंत्री उन्हें वहां लेकर गए थे ताकि वे आपका ट्रेड प्रमोट कर सकें। वे कांट्रैक्चुअल पार्टीज थीं, उन सभी का यही काम था। कहां है जिक्र उन कम्पनियों का साथ देने का है?

यहां कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को 32 करोड़ रुपए मिले। हम कल्पना और तथ्यों के बीच कैसे अन्तर करते हैं और क्या हम नहीं जानते हैं कि उनके बीच क्या अन्तर है? क्या संसद में इस तरह से डिबेट होगी? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्या कहीं यह दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी की किसी के साथ कोई अरेंजमेंट, कोई समझौता या कोई बातचीत हुई थी?

सभापति महोदय: बंसल जी, कृपया अपनी बात कंक्लूड कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं आपसे दो मिनट का समय और चाहूंगा।

क्या कहीं यह दिखाया गया है कि उसमें ऐसा कुछ हुआ है? मैं यह बात अपने जिम्मे नहीं लेना चाहता कि मैं वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वोल्कर कमेटी रिपोर्ट में जिन अन्य लोगों के नाम दिए गए हैं, उनको अलग-अलग मौका मिला था, क्योंकि उनके प्रति उसमें दस्तावेज भी थे। हिन्दुस्तान के किसी भी व्यक्ति के नाम से दस्तावेज नहीं थे। मल्होत्रा साहब, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य का नाम उसमें नहीं है। केवल एक सारणी में, टेबल में नाम है। दूसरे लोगों के प्रति दस्तावेज थे।

मैं केवल दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला नाम किसका था, इसका जिक्र अभी हुआ है।* मैं सिर्फ उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं और किसी संदर्भ में नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय: नाम डिलीट कर दिया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं अपने वाक्य को वापस लेता हूं। यह समझ लिया जाए कि नहीं कहा। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। दो जगह नाम थे। उन्होंने उसको चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि जो दस्तावेज थे, वे जाली

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

थे, वे बनाए गए थे और गढ़े गए थे। एक सदस्य को बीच में मौका मिला, सीनेट की कमेटी में जाने का। वहां क्या सवाल-जवाब हुए, सीनेट की कमेटी ने भी उसके बाद अपना विचार बदल दिया। आप मल्होत्रा जी उनकी रिपोर्ट को पढ़ें। मैंने थोड़ा-थोड़ा देखा है कि उस रिपोर्ट में क्या है। उसके साथ एक टिप्पणी वोल्कर रिपोर्ट में हुई है। उस हालात में हम यह नहीं कहते कि आप हमारे खिलाफ कुछ मत कहें, कोई बात न कहें। मैं कहता हूं कि दो जगह नाम आए हैं, लेकिन उसके बाद जो रेशनल है, सही तरीका क्या होना चाहिए, वह इस सरकार ने अपनाया है। वह तरीका यह हो सकता था, जिसकी दिशा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया जी ने तय की और आदेश दिया यूपीए सरकार को, जिसे सरकार ने माना कि अगर कहीं जिक्र आया है, तो हम पूरी तफ्तीश करेंगे। इस कारण मैं कहता हूं कि उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दीं। अगर वही एनोलाजी लेकर हम आगे जाएं, तो ठीक नहीं है। वे डाक्यूमेंट्स फेब्रिकेटेड या फोर्ज हो सकते हैं। इराक के पुराने आफिशियल ने खुद माना कि उन्हें बार-बार कहा जा रहा था, सोमो, जो स्टेट आयल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन है उसकी बात को मानकर कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी वही कहा कि इस संस्था ने मुझे इस बात के लिए रखा था कि डाक्यूमेंट तैयार करो। शायद आपने या रूप चंद पाल जी ने उसका जिक्र किया था। उसके बाद जब आक्यूपेशन फोर्सेज पहुंची, पूरे बगदाद में लैटर फैड्स बांटे जा रहे थे, मंत्रियों के नाम पर सब कुछ लिखा जा सकता था। किसी भी तरीके से, जो चीज दिमाग में आए, उस बात का डाक्यूमेंट तैयार किया जा सकता था। उस हालात में हम मानते हैं कि अगर रूल आफ ला से गवर्न करते हैं, हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम का दुनिया में बड़ा नाम है और उस वक्त मामूली सी लीड कोई दे दे, हम उसके पीछे लग जाएं, अपनी सोच और शक्ति को छोड़ दें और उसे मानना शुरू कर दें कि यह जो हुआ है, सही है, यह अनुचित है। विपक्ष के नेता भी उसी पर खड़े होकर बोले हैं। मुझे इसका अफसोस है। *...(व्यवधान)* यह कमीशन है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आपने कमीशन बनाए, कैमरे में सब कुछ आ गया, फिर भी बात नहीं माने। क्या हुआ था जब 15 दिन तक संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी गई। हमने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का नोटिस भी दिया था, नियम 184 की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन आपने कहा कि हमारा नोटिस जो नियम 184 के तहत है, उसे स्थगन प्रस्ताव में बदल दो। हमने उसे मान लिया। इसलिए आप हमारी और अपनी तुलना नहीं कर सकते। आप संसद में भले ही कुछ कह लें, लेकिन बाहर जाकर अकेले में थोड़ा सोचें कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क है, क्या अंतर है। किस हिसाब से एक पार्टिसिपेटरी डैमोक्रेसी की तरह से यूपीए सरकार चलना चाहती है, किस ढंग से चाहती है कि सभी को साथ लेकर चला जाए, यह देखने की बात है। आप कोई गलती निकालते हैं, तो हम उस पर अपने आपसे इंट्रोस्पेक्शन करके जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उस बात पर सहयोग चाहते हैं। सहयोग यह नहीं है कि आप जो करते हैं हल्ला करते रहें, हम चाहते हैं कि क्रिटीकली एनोलाइज करें कि कितना फर्क पड़ा है आज और पहले के ज्यूरिस्प्रूडेंस पर।

सभापति जी, आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं जिस चीज का जिक्र मोहन सिंह जी ने किया था, आज भी कांग्रेस उसी परम्परा पर खड़ी है। आज भी वही आदर्श हैं, जिन्हें लेकर वह आगे बढ़ रही है, जो किसी वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने तय किए थे। आज भी कांग्रेस के गले में वही ताबीज है, जो महात्मा गांधी ने पहनाया था। वही प्रेरणा लेकर हम आगे चल रहे हैं। हम इस बात के प्रति वचनबद्ध हैं और इसे कहने की जरूरत नहीं है।

सात तारीख को कमेटी बना दी, उसके कुछ दिन बाद 11 तारीख को अथोरिटी बना दी। हम चाहते हैं कि ये उसकी तह में जाएं और जितना समय तय हुआ है, उसमें पूरी तफ्तीश करें। उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी और वह रिपोर्ट कानून के तहत संसद के सामने पेश होगी। फिर उस पर बहस कीजिए। आप फिर इसका जिक्र कीजिए कि क्या चीज इसमें नहीं रखी गई? सिर्फ बाहर कहने के लिए कहा जा रहा है कि शायद कोई बात छिपाई गई या शायद पारदर्शिता नहीं है। आप जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें, क्योंकि आज लोग गुमराह नहीं हो सकते।

अपराह्न 4.45 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

यह बात वे समझते हैं कि असलियत क्या है? लोग इस विषय में जानते हैं और उन्होंने कुछ देर पहले ही फैसला कर दिया। *...(व्यवधान)* साथ ही साथ महाराष्ट्र में व अन्य जगहों पर भी होता रहा है और होता रहेगा। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझती और पहचानती है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रिजोल्यूशन का पूरे जोर के साथ विरोध करता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात श्री रूपचन्द पाल के अत्यंत भावुक भाषण का उल्लेख करते हुए शुरू करता हूं जिसमें उन्होंने इराक के बारे में बोलना शुरू किया था। इराक जातिसंहार का शिकार रहा है और तत्पश्चात् वर्षों तक उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अद्भुत, बहादुर और स्वतंत्र देश के हजारों लोगों को इसके नेता और उसके कुछ नजदीकी लोगों की गलती की वजह से भुगतना पड़ा है। प्रतिबंध लगाने के समय से ही इसका पतन होने लगा। हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हम इराक के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंधों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि वस्तुत: काफी पुराना और सहयोगात्मक रहा है। हम इराक के साथ भारत के संबंधों पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि ठीक ऐसा ही रहा है। हम यह चर्चा कर रहे हैं कि लोग इस मृत हो रहे देश में मक्खियों की तरह क्यों जा रहे थे ताकि वे लोग इसको लाशों से थोड़ा बहुत खून और पैसा चूस सकें। ...*(व्यवधान)* हम आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: हम केवल भारतीयों या अन्य लोगों की बात नहीं कर सभी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके इस देश से ठेका प्राप्त करने, वाउचर प्राप्त करने और जितनी भी हो सके धनराशि करने के लिए वहां गए थे।

श्री पाल ने कहा है कि इस रिपोर्ट में किसी अमरीकी कम्पनी का नाम नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं। यह काफी आश्चर्यजनक है कि उनका नाम नहीं है। परन्तु इस रिपोर्ट में जिन कम्पनियों और जिन लोगों का नाम लिया गया है उनमें से अधिकांश लोग, जैसाकि उन्होंने बताया है, प्रत्येक देश के उच्च राजनीतिक हैसियत वाले लोग हैं तथा वह इस तथ्य पर प्रश्न कर रहे हैं कि उनका नाम लिया गया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि केवल ऐसे ही लोगों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय सौदों और वाउचरों तक होती है। मात्र हमारा देश ही ऐसा नहीं है बल्कि संभवत: प्रत्येक देश में ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो अपनी हैसियत और इस प्रकार की परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं और पैसा बनाते हैं। हम यहां यह नहीं पूछ रहे हैं कि वोल्कर रिपोर्ट में किसका नाम आया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुद्दा यह है कि भारत को किस बात पर सर्वाधिक आपत्ति है? हमें 'दलाल' शब्द पर आपत्ति है। यह शब्द हमारे पूरे शब्दकोश का सर्वाधिक अपमानजनक शब्द है। हम रक्षा सौदों में दलाल की उपस्थिति पर आपत्ति क्यों करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि इस कारण रक्षा क्षेत्र में हमारी सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है। संभवत: हमारी विदेश नीति रक्षा सौदों से पहले आती है क्योंकि हमारे रक्षा सौदे अथवा रक्षा प्रबंधन विदेश नीति बनाने के पश्चात् किये जाते हैं। श्री पाल ने कहा कि इस रिपोर्ट में उन्हीं लोगों का नाम लिया गया है जिन्होंने इराक पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया था। मैं यह कह रही हूं कि हम इस बात को तोड़े-मरोड़ें। आखिर यह एक प्रिज्म है। सत्य प्रिज्म की तरह होता है और आप अपने अनुभव के अनुरूप इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यहां हम यह कह रहे हैं कि उनका नाम इस वजह से नहीं लिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधों का विरोध किया था। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने प्रतिबंधों का इस वजह से विरोध किया था क्योंकि उन्हें पैसे मिले थे। हम यही पता लगा रहे हैं। अब पहले कौन आया—मुर्गी या अंडा? पैसा उन्हें पहले मिला अथवा बाद में तथा क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में इनके द्वारा अपनाए रुख का इस बात से सीधा संबंध है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर): क्या उन्हें पैसे दिए गए थे।

श्रीमती मेनका गांधी: यह एक अच्छा प्रश्न है और कमीशन को इस बात का पता लगाना होगा ...*(व्यवधान)* यदि हम यह मानते हैं कि वोल्कर समिति ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: आप अपना प्रश्न समय से कुछ पहले पूछ रही हैं। सर्वप्रथम हमें यह साबित करने दें कि पैसे दिये गये थे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस बात के साथ पैसों के लेन-देन का संबंध है अथवा नहीं।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे यह बात साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कथन वोल्कर समिति का है तथा यह चर्चा वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर ही हो रही है। हम वोल्कर समिति पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम यह कारण जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ तथा नोटिस के अनुसार उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनके नाम रिपोर्ट में आए हैं। आप हर जगह 'तथाकथित' शब्द जोड़ सकते हैं। यह अच्छी बात है। मैं आश्वस्त हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसा करेंगे। ऐसे मुद्दे पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जहां भारत की विदेश नीति के साथ स्पष्ट रूप से समझौता किया गया है तथा जहां कांग्रेस पार्टी और विदेश मंत्री द्वारा धन लेने की बात सामने आयी है।

[श्रीमती मेनका गांधी]

[अनुवाद]

यदि कांग्रेस पार्टी यह पाती है कि उनका विदेश मंत्री दोषी है तो उन्हें उसे तुरन्त हटा देना चाहिए था। यदि वे उन्हें दोषी नहीं पाते हैं तो उन्हें उसे नहीं हटाना चाहिए था। उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहने दें। आज तक मंत्रीमंडल की बैठक में भाग लेने और संदेह के घेरे में रहते हुए राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले नियमों में उनके शब्दों के शामिल रहना व्याख्या करने योग्य नहीं है। इससे जनता में यही मत उभरता है कि शायद वह दल के अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कार्य कर रहे थे और इसीलिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, अथवा वे उन लाभभोगियों का नाम जानते हैं जो ऊपर से जुड़े हुए हैं। *...(व्यवधान)* विशेषकर भारत के लिए तेल के बदले अनाज समिति वाउचरों को तेल के बदले अनाज समिति वाउचरों को तेल के बदले अन्यत्र समिति की जानकारी के बिना इनमें से किसी को लाभ नहीं मिला होगा। उस समिति की अध्यक्षता करने वाले सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं में से एक कौन था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मुझे पता है यह आयोग की रिपोर्ट में प्रकाशित होगा। दो कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के अन्तर्गत उनको पूर्व में कौन सा कार्य सौंपा गया था? उन्हें संयुक्त राष्ट्र किसने भजा था? राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि का क्या संबंध था? इन सभी के नाम लिए गए हैं और ये सब वोल्कर समिति रिपोर्ट में दिए गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय अध्यक्ष ने पहले यह विनिर्णय दिया था कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत मुद्दे और प्रस्ताव के पाठ के अलावा कुछ भी उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* पुन:, समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र में तैनात किये गये भारत सरकार के अधिकारी के किसी भी मुद्दे पर इस प्रकार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जैसाकि किस प्रधानमंत्री के काल में उन्हें भेजा गया था। यह बहुत अनुचित है। सभा में इस तरीके से किसी मुद्दे पर चर्चा करने की परंपरा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: आप जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने में दस मिनट बर्बाद कर चुके हैं। कुछ अन्य लोगों को तहलका रिपोर्ट पर 20 मिनट से ज्यादा समय व्यतीत किया है। मै भी प्रश्न पूछ सकती हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परन्तु आप वाद-विवाद के विस्तार क्षेत्र से आगे कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: मैसर्स हमदान का मालिक कौन था। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय और प्रस्ताव के पाठ के अनुसार सभा की कार्यवाही को संचालित करना है। हम लगभग 20 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र में तैनात किसी व्यक्ति के संबंध का पता लागने का प्रयास करते हुए टॉम, डिक और हैरी आदि की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह सब इस प्रस्ताव के पाठ से बाहर है। आप ऐसा कैसे करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: पुन: मैसर्स हमदान का रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है या नहीं? इस कंपनी के मालिक कौन हैं? मैसर्स हमदम का कंपनी के रूप में उल्लेख किया गया है। इस कंपनी के दो मालिक हैं? इनमें से एक श्री नटवर सिंह का नजदीकी रिश्तेदार और निकट मित्र हैं और उनका पुत्र है। वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के दामाद हैं। दूसरा मालिक कौन है? दूसरा मालिक भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भूतपूर्व ओएसडी के पुत्र हैं। हमदान के ये दो मालिक हैं। जहां भी आप देखें, आप पाएंगे कि यही इसी केन्द्रीय बिन्दु पर केन्द्रित है। सभी इससे जुड़े हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं नियमों की बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* यदि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था तो क्या इसका मतलब यह है कि नाथूराम गोडसे के सभी संबंधी महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं? *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। कांग्रेस के कई लोगों को मैं कई वर्षों से जानती हूं। वे सम्माननीय हैं, सज्जन हैं और ईमानदार लोग है जिनका भारत के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। क्या उन सबको बोफोर्स के द्वितीय प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा?

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बदूर)**:** महोदय, मैं डीएमके पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक को आवश्यक वस्तुओं हेतु तेल का व्यापार करने संबंधी अनाज के बदले तेल योजना को आरंभ करने की अनुमति मानवीय आधार पर की गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी योजनाओं में कमियां होती हैं और कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। वोल्कर रिपोर्ट अभी सामने आई है और इसमें अनियमित में संलिप्त भारतीय और विदेशी कंपनियों के नाम दिये गये हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि कर-अपवंचन भी किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। वोल्कर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये संव्यवहार ज्यादातर वर्ष 2000 और 2002 के दौरान किये गये थे जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी।

विपक्षी पार्टियां, विशेषकर भाजपा के हमारे साथी इस तर्क पर श्री नटवर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उनका नाम वोल्कर रिपोर्ट में दिया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं। जब घोटाला हुआ था तो भाजपा सरकार में थी। फिर वे अपने उत्तरदायित्वों को कैसे भूल सकते हैं। परन्तु हम भारत सरकार और मानवीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रख्यात कूटनीतिज्ञ श्री दयाल की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के लिए उनकी प्रसंसा करते हैं। समिति संयुक्त राष्ट्र पैनल और स्वतंत्र जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की छानबीन सहित सौदे की सभी तकनीकी पक्षों की जांच करेगी। इसके अलावा सरकार ने समुचित विचारार्थ विषय के साथ सम्पूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पाठक को जांच अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया है।

अतएव, इन दोनों पैनलों के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करने के बजाय इस निष्कर्ष पर पहुंचना और श्री नटवर सिंह से त्यागपत्र मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। महारे नेता डा. कलाइंगर ने इस आशय का पहले ही वक्तव्य दिया है कि जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, तो उसे पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए।

पुनः, भाजपा के हमारे साथी अपने ह्रदय को छूकर प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल रिपोर्ट में श्री नटवर सिंह के नाम का उल्लेख देखकर आप त्यागपत्र मांग रहे हैं। परंतु जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो वह भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध व्यक्ति से किस प्रकार निपटे थे? अप्रैल 2001 में* चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित विर्नाचन अधिकारियों द्वारा नामांकन-पत्र रद्द कर दिए गए थे। इन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम आंदिपट्टी, कृष्णागिरी, पुडुक्कोट्टई और भुवनगिरी हैं। कम से कम उनमें से दो नामांकन-पत्र इस आधार पर रद्द किये गये थे कि वह केवल एक मामले में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के तीन मामलों में दोषसिद्ध हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह वोलकर समिति की रिपोर्ट से किस प्रकार संबंधित है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं भ्रष्टाचार के मामलों की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हैं उनके नाम का उल्लेख मत कीजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी: दिनांक 14 अगस्त, 2001 को उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने को अनुमति दी गई थी। मैं भाजपाई मित्रों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने तमिलनाडु के राज्यपाल को एक दोषसिद्ध व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की अनुमति न देने की सलाह क्यों नहीं दी?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह वोल्कर रिपोर्ट से किस प्रकार संबधित है। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, आडवाणीजी ने देश की संप्रभुता के बारे में बोला था। मैं उनसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या उन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा की है? जो व्यक्ति दोषसिद्ध हुआ उसे राज्य के सर्वोच्वच पद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी।

अपराह्न 5.00 बजे

वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है। विपक्ष को सभा की कार्यवाही को रोकने से पहले, कोई मांग या कोई विरोध करने से पहले, यह विचार करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही जांच के आदेश दे दिये हैं और जिस संबद्ध मंत्री के पास जांच का परिणाम लंबित है उसे उसके विभाग से वंचित कर दिया है।

मैं विपक्ष के अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे दोहरे मानदंड न अपनाएं क्योंकि यदि वे जरा-जरा सी बात पर त्यागपत्र जैसी मांग करना शुरू करते हैं तो इस देश में लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में समस्याएं आएंगी। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे दो पैनलों के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करें।

***डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वोल्कर रिपोर्ट संबंधी स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने पर आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं कांग्रेस अध्यक्ष को व्यवहार पर आश्चर्यचकित हूं। वे इसमें शामिल ...** परन्तु वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत की जनता इससे काफी चिंतित है कि कांग्रेसी देश में पहले ... शामिल हुआ करते थे।** परन्तु अब वे ...

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। यह शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* इसे निकाल दिया जाना चाहिए। यह इस तरह नहीं जा सकता। वह एक दल पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि यह असंसदीय है। महोदय, आप नियम देख सकते हैं। यह असंसदीय है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही एक्सपंज कर दिया है। इस हाउस का जो मैम्बर नहीं, उसका नाम नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रतन सिंह अजनाला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. रतन सिंह अजनाला: भारत की जनता इसको लेकर चिंतित है उन्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए था कि वे इसमें लिप्त हैं परंतु वे अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय निर्दोष होने की दलील दे रहे हैं।

यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो आयोग गठित करने की क्या आवश्यकता थी। यदि उन्होंने कुछ गैर-कानूनी काम नहीं किया था तो संबद्ध व्यक्ति ने त्यागपत्र क्यों दिया? यदि कुछ गलत नहीं किया गया था तो छापे क्यों मारे गये थे? आपको आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो इराक में व्यक्ति मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये पैसे छाप रहे हैं। क्या यह मानवता है। वे क्या कह रहे हैं? कि आप कांग्रेस दल का नाम ले सकते हैं परन्तु आप उसके नेता का नाम नहीं ले सकते।** *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

...(व्यवधान)

डा. रतन सिंह अजनाला: उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत यह थी कि श्री नटवर सिंह को अपने आप त्यागपत्र दे देना चाहिए था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

डा. रतन सिंह अजनाला: वह कहते हैं कि वह इसमें लिप्त नहीं हैं। यदि वह इसमें लिप्त नहीं हैं तो फिर वोल्कर रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। महोदय सच यह है कि वह इसमें लिप्त हैं। परंतु, वह अकेले ही लिप्त नहीं हैं। पंजाब के व्यक्ति लिप्त हैं ... लिप्त हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

डा. रतन सिंह अजनाला: वह पहले एक भारतीय कंपनी थी जो कि चोरी में लिप्त थी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

डा. रतन सिंह अजनाला: महोदय, यदि वे सच्चे हैं और उन्हें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है तो फिर वे डरते क्यों हैं? इसमें केवल भारतीय लिप्त नहीं हैं। इसमें विदेशी भी लिप्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को चिंता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला: उपाध्यक्ष महोदय सभी चिंतित हैं। हम सब ये चाहते हैं कि इसमें संलिप्त व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि राष्ट्रीय स्तर की नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की लूट बंद हो गई है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, आज अपोजीशन की ओर से जो मोशन सदन में लाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि यह मोशन सिर्फ एक पोलिटिकल मोटिव, पोलिटिकल गेन और मैलेशियस एटीच्यूड के साथ लाया गया है। इसका सच से कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग सच ढूंढ़ना नहीं चाहते हैं और न ही ये लोग सच जानना चाहते हैं। उन्हें सच जानने में कोई रस नहीं है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि इस मोशन के जरिये ज्यादा से ज्यादा उन्हें किस तरह से पोलिटिकल गेन हो और इनकी राजनीतिक आकांक्षा फलीभूत हो। इसके अलावा इन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के डिस्कशन से स्पष्ट लगता है कि इनका सच जानने से कोई वास्ता नहीं है। यह सरकार जो एक सैन्सिटिव सरकार है *...(व्यवधान)* आपकी तरह नहीं है, जो तहलका और दूसरे मामलों की जो मिसालें यहां दी गई हैं, जिसका मोशन लाने में जो आपका एटीच्यूड था, उससे बहुत ज्यादा सैन्सिटिव है, यह आप मानकर चलिये। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बावजूद भी जैसे ही यह बात सामने आई, सरकार ने तुरंत इंक्वायरी कमेटी बैठाई तथा फॉरेन मिनिस्टर का वहां से तबादला कर दिया। यह सब सरकार ने सच जानने के लिए किया, चूंकि हमें इसकी रूट में जाना है। हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। लेकिन हमारे सामने बैठे हुए मित्रों को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है।

अब मैं रिपोर्ट की बात पर आता हूं। इस रिपोर्ट के बारे में सुबह से बहुत हल्ला-गुल्ला हो रहा है। रिपोर्ट का जो पूरा

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कांस्टीट्यूशन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें रिपोर्ट के कन्टैन्ट के बारे में पूरी दुनिया में बहुत बड़े सवाल खड़े किये गये हैं। उसका थोड़ा सा लिट्रेचर जो मुझे मिला है, उसमें से मैं कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को बनाने का काम यूएन में करीब 60 अधिकारियों को दिया गया। कोई नहीं जानता कि वे 60 आदमी कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका एफिलियेशन क्या था। लोग मांग रहे हैं लेकिन वे बता नहीं रहे हैं। इन्होंने किसको इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू के कंटैन्ट क्या हैं, यूएन कमेटी रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि यूएन की जो अलग-अलग समितियां हैं, उनसे भी यह चीज छिपाई गई है, उसके सामने नहीं रखी गई है। इसके कंटैन्शन सीधे दूसरी बातों से है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट को स्वयं तैयार करने का प्रोसैस ट्रांसपेरेन्ट नहीं है और न ही वह ट्रांसपेरेनट् बनाना चाहते हैं। इससे रिपोर्ट के बारे में एक बहुत बड़ा सस्पीशन खड़ा होता है कि रिपोर्ट के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं, उसका मोटिव आखिर क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि यूएन के संबंध में एक देश के विचार बहुत प्रचलित हैं। कितने देशों को यूएन में ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में शिकायत है क्योंकि यह कमेटी पर्टिकुलरली एक देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, उसके तथ्य पूरी दुनिया के सामने रख रही है। इसलिए उससे वे नाराज हैं। इतना ही नहीं, इस देश के कितने आदमी अभी भी चाहते हैं कि यूरेनियम और प्लूटोनियम जिसको प्रोसैस करने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में कई देश चला रहे हैं, उस पर यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया जाए जिससे लोग सहमत नहीं हैं। इस समिति के एक सदस्य ने इस देश के बारे में ऐसा भी कहा है कि उनके देश की जो कमेटी थी, उनके आदमियों पर यूएस स्टेट डिपार्टमैंट से प्रैशर लाया गया। इतना ही नहीं, उनसे कहा गया कि यूएन की रिपोर्ट को देखो और इस देश के अंदर जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों का क्या रोल रहा है, वह नहीं देखो। इसलिए यूएस की जो कंपनियां है, उनमें से किसी का भी नाम इसमें नहीं है। मैं इस रिपोर्ट की ट्रांसपेरेनटी के बारे में कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट क अंदर नाम लिखते वक्त जिन-जिन के नाम आए थे, उनमें फॉर्मर यूएन सैक्रेटरी जनरल का भी नाम था, लेकिन उनको एक मौका दिया गया, चिट्ठी लिखी गई और उनके बैंक अकाउंट से उनको पता चला कि वे इसमें इनवाल्ड नहीं हैं और इस वजह से उनका नाम क्लियर कर दिया गया। इस कमेटी के चेयरमैन ने भारत के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिय नहीं अपनाई और भारत में जो दो नाम आए, उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई और वे नाम सीधे-सीधे रिपोर्ट में दे दिये गये।

आज सुबह आडवाणी जी ने सवाल उठाया था कि इस रिपोर्ट के अंदर विदेश मंत्री और कांग्रेस के नाम कैसे आ सकते हैं। मैं अपनी शंका व्यक्त करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सही होगी। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के कितने देशों को मिडिल ईस्ट की पोलिटिक्स में इंटरस्ट है और इस देश में सरकार बदलने से विश्व की कई सरकारें नाराज हुई हैं।

[हिन्दी]

नई सरकार आई और नई सरकार के रिश्ते पूरी दुनिया के साथ, खासकर मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों के साथ काफी अच्छे रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूएन के जिन 60 अधिकारियों को सैलेक्ट किया गया, उनका बैकग्राउंड एफिलियेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दुनिया की कितनी शक्तियों के साथ वे एफिलियेटेड हो सकते हैं और ऐसी चीजों को वे डीस्टैबिलाइज करना चाहती होंगी।

महोदय, ऐसा मैं मानता हूं और बताना चाहता हूं कि किसलिए नाम आया है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः मैं जानता हूं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि नाम किस तरह से आते हैं। मै यह भी बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल इंटैलिजेंस एजेंसी, जिसके साथ हमेशा ही कितने देशों के साथ ताल्लुक रहे हैं और जो लोग इस सरकार के खिलाफ हैं तथा इस सरकार को डी-स्टेब्लाइज करने के लिए मिडिल ईस्ट देशों व इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हमारे कोई संबंध न रहे, इस वजह से ये नाम इसके अंदर डाले गये हैं, जिससे कि इन नामों की वजह से पूरी सरकार बदल जाए। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया है। यहां पूरी तरह से इनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और इस वजह से ये नाम इसके अंदर डाले गये हैं, ऐसा मैं ानता हूं।

इसके बाद कांग्रेस पार्टी का एकदम से रिस्पोंस क्या हुआ? हमने कमेटी बनाई और देश के सामने तथ्य रखे। उसके बारे में जो छानबीन चल रहा है और बाद में सही तथ्य हमारे सामने आयेंगे। लेकिन बार-बार यह सवाल उठ रहा है और इस देश के सभी समाचार पत्रों ने लिखा है कि सफाई देने का एक भी मौका फारेन मिनिस्टर को और कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिया गया? समाचार-पत्रों से यह बात बहुत स्पष्ट है कि अगर एक मौका भी दिया गया होता तो शायद वोल्कर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके जो तथ्य हैं, वे अलग होते और जिस तरह से दिखाये गये हैं,

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

उस तरह से नहीं होते। इसलिए इस रिपोर्ट की पूरी क्रेडिब्लिटी का सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। वैसे तो यह रिपोर्ट यूएन सिस्टम के लिए तैयार की गई है। जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूएन के जो सैक्रेटरी जनरल हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और उनको जब किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या आप रेजिग्नेशन देंगे तो उन्होंने ब्लंटली कहा कि मैं कोई रेजिग्नेशन देने वाला नहीं हूं। फ्रांस के अंदर भी डिप्लोमेट का यही रिएक्शन आया और कहा गया कि पहले जांच कराएंगे और रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो सरकार ने पहले ही फॉरेन मिनिस्टर को पद से हटा दिया, ताकि सारी जांच अच्छी तरह से हो, ऐसा इंतजाम किया है। ये लोग हम पर देशद्रोह का और राष्ट्र के हित को बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह उस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जिसने इस देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इस देश में जब कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तब इनकी पार्टी के जो लोग जेल में थे, वे ब्रिटिश सरकार से चिट्ठियां लिख कर माफी मांग कर जेल से छूट रहे थे। ...*(व्यवधान)* जब कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, ये लोग शाखा लगा रहे थे। ये हमसे राष्ट्र हित को बेचने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश आपने नहीं बनाया है। बांग्लादेश कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। ...*(व्यवधान)* कफन की बात आप रहने दो। आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्र प्रेम आपकी अकेले की विरासत नहीं है।

अपराह्न 5.19 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

इस देश में कांग्रेस पार्टी का उज्जवल इतिहास है। आप कांग्रेस पार्टी पर एक आरोप लगाकर कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं। सूरज के सामने कितने दीपक जलते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी हमेशा सूरज की रोशनी होती है, यह आप अच्छी तरह से समझ लें। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने और किसी मंत्री पर हकीकत को जाने बगैर तथा इंक्वायरी की रिपोर्ट के बगैर संसद में डिस्कशन के लिए लाना आपके पोलिटिकल मोटिव के अलावा दूसरा कोई मोटिव नहीं हो सकता है।

आप सिर्फ बदनाम करने की राजनीति, आप सिर्फ धकेलने की राजनीति, आप सिर्फ कम्युनल वॉयलेंस बनाने की राजनीति पर चल रहे हैं। उससे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। आपका वह स्थान निश्चित रहने वाला है और रहेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। अब आप फिर यहां आने वाले नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों हमने निर्णय लिया है कि उत्तर और मतदान 6 बजे किया जायेगा। किन्तु मेरे पास अभी भी 12-13 नाम हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आपके पास अभी भी 13 नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको छोड़ कर।

यदि मुझे सभी दलों को समय देना पड़े तो मैं सबसे पहले उन्हें अवसर दूंगा जिन्हें मैंने अभी तक अवसर नहीं दिया है तब मैं मंत्री जी को अवसर दूंगा। तब ही, शायद हम यह चर्चा 6.30 बजे सायं तक पूरी कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से विपक्ष द्वारा लाए गए कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि जब जांच कमेटी का गठन हो गया है, तब जांच रिपोर्ट आने तक विपक्ष को इन्तजार करना चाहिए था और जब रिपोर्ट आ जाती, तब उस पर बहस चलाई जाती, तो अच्छी बात होती। हमारी पार्टी यह चाहती है कि जो लोग भी इसमें दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी यह मांग करती है।

महोदय, मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश की जो ज्वलन्त समस्याएं हैं, जिन पर बहस होनी चाहिए और जिनका समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए, उन पर बहस नहीं हो रही है। उधर ध्यान न देकर सदन का सबसे ज्यादा समय आज ऐसे विषय पर जाया हो रहा है, जिस पर बहस अभी करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं थी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आज देश की जो आम समस्या है, जो जनता की ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के जो करोड़ों किसान हैं, उन्हें खाद, बीज और पानी उपलब्ध कराने की समस्या है, देश में पेयजल की समस्या है, बेरोजगार नौजवानों की जो फौज देश में खड़ी हुई है, उनकी समस्याओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में दलितों के उत्पीड़न की समस्या, बिजली की समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, नक्सलाइट समस्या, महिलाओं के आरक्षण की समस्या, अनु. जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़ों के आरक्षण की समस्या, महंगाई की समस्या अस्पतालों में दवा एवं डाक्टर उपलब्ध कराने की समस्या, चुनाव में व्यापक सुधार होने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों पर सदन में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन इन पर बहस नहीं हो रही है।

महोदय, मैं अन्त में जरूर कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के लोग, जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान न देकर सदन का समय जाया कर रहे हैं। उनका रोल कंस्ट्रक्टिव न होकर डैस्ट्रक्टिव है। इसलिए मैं और हमारी बहुजन समाज पार्टी विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए स्थगन प्रस्ताव का विरोध करती है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस की ओर से श्री पवन कुमार बंसल, माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे। जब श्री बंसल ने यहां बोलना आरंभ किया तब उन्होंने इस बात की ओर विशेष जोर दिया और इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि शायद मुझे यह पता नहीं होगा और न शायद आडवाणी जी ने ही इस रिपोर्ट को बराबर पढ़ा होगा और यह कहते हुए उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के पांच वाल्यूम हैं, जिनमें से 4 वाल्यूम में कुछ नहीं है और 5वें वाल्यूम की किसी एक टेबल में हमारे देश के दो नाम हैं जिनमें एक पार्टी का और एक नेता का है। आपने जो कहा मैं उसे ही दोहरा रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। *...(व्यवधान)* एक पार्टी और एक व्यक्ति का नाम है।

अधयक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि जिस संदर्भ में नाम आया है वह संदर्भ हमारे देश के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कोई सम्मान की बात है? जिस संदर्भ में वह नाम आया, आपने सिर्फ इतना ही कहा कि टेबल में सिर्फ दो नाम आए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: इसे लेकर यह उत्तेजना उत्पन्न हुई और उसके लिए मैंने जिक्र किया था, मोहन सिंह जी ने जिक्र किया था कि पंडित नेहरू जी ने इस हाउस में खड़े होकर किसी तरह के भ्रष्टाचार के सामने उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। उस हद तक वह ठीक है, लेकिन आज यहां देखने को यह मिल रहा है, उस बात को बोलते हुए तथ्य क्या हैं, किसी ने एक लाइन कह दी और उसे पकड़ कर आप बोलते जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने यह कहा था कि आपको सस्पैंड कर दिया, निकाल दिया लेकिन यहां तो पूरी पार्टी है। सारी पार्टी को कहां से निकाल देते? *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैं इस बात पर अफसोस प्रकट कर रहा था कि उस वक्त सभी लोग मिल कर बात करते थे। आज अगर कोई एक लाइन एक आदमी को दे देगा तो वह आपका एजेंडा बन जाएगा। अब आपकी तरफ से यह शुरू हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, यहां पर सिर्फ नेहरू जी का जिक्र हुआ तो फिर हम इस बात को भी जानना चाहेंगे और देश भी जानना चाहेगा कि जो नेहरू जी के समय में जो कांग्रेस थी, क्या वह कांग्रेस आज है? क्या आज आप उन नीतियों पर चल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): हां, चल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप थोड़ा झांक कर देख लीजिए कि आपकी छवि क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने जो पूछा है, उसका जवाब दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए कह रहा हूं कि हम सारे यहां वोल्कर रिपोर्ट पर बहस नहीं कर रहे हैं। वह रिपोर्ट आज की चर्चा का विषय नहीं है। कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। उस रिपोर्ट पर जिस प्रकार चर्चा कर रहे हैं, आज यहां जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के माध्यम से हम जो चर्चा कर रहे हैं, वह वोल्कर रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो रही है। वह आज चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है जो बंसल जी ने कहा कि एक वॉल्यूम की टेबल में कांग्रेस के एक नेता और कांग्रेस पार्टी का नाम है, वह चर्चा का विषय है। वह देश के लिए चिन्ता का विषय है इसलिए उस पर आज यहां बहस हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो रहा है। आपके पास केवल पांच मिनट हैं। परेशान मत होइए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं। जब पहली बार अखबारों में ये सारी बात आईं और उस समय जब हमारे विदेश मंत्री जी का नाम उसमें आया, कांग्रेस पार्टी का नाम आया। जिस प्रकार अखबारों में ये खबरें आईं, वोल्कर कमेटी में तेल के बदले अनाज के सारे कारोबार में किसी एक मंत्री को कुछ लाभ मिला है या पार्टी को उससे कुछ लाभ मिला है, इस प्रकार की जब खबरें आई तो दूसरे ही दिन देश के सारे अखबारों मे 'यह हैड लाईन थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नटवर जी को क्लीन चिट दी है, उनका इससे कोई संबंध नहीं है। सारे देश ने इस खबर को पढ़ा है। हर अखबार में ये खबरें आई थीं। उसके बाद विदेश मंत्री जी को उनके पद से हटाया गया, उन्हें बिना काम-काज का मंत्री बनाया गया। उन्हें क्लीन चिट दी और उनका यदि उससे कोई संबध नहीं है तो फिर उन्हें उनके पद से हटाया क्यों गया, उनके हाथ से वह डिपार्टमेंट क्यों ले लिया गया, उन्हें बिना काम-काज का मंत्री क्यों बनाए रखा गया? जब यह चर्चा बाहर हो रही थी तब नटवर जी बार-बार बयान दे रहे थे। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, यह गलत है। मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपने पद को नहीं छोड़ूंगा।' लेकिन अंत में उन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाकर रखा गया है। अब जो जांच कमेटी बनायी गई है, उसके दायरे में यह सारी बातें आएंगी। हम सरकार पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि सरकार की मानसिकता बिल्कुल अच्छी है। सरकार वास्तविकता को देश के सामने रखना चाहती है। हम चाहेंगे कि वास्तविकता इस सदन और देश की जनता के सामने कमेटी के माध्यम से आए।

श्रीमती मेनका गांधी ने जो एक बात कही उस पर काफी हंगामा यहां पर हुआ। मैं इस सदन में पिछली चार बार से चुनकर आ रहा हूं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी रहा हूं। उस समय इराक की जो स्थिति थी और हमारे देश के सामने जो स्थिति थी, श्री राम नाइक ने यह पहल की और हमने इराक से तेल खरीदने की बात कही, उसमें तेल के बदले अनजा देने की बात हुई थी। उस समय हमारे देश में सरप्लस अनाज था। देश के सामने वह चिन्ता का विषय था। उस सरप्लस अनाज का हम क्या करते? हजारों और लाखों टन अनाज देश में था और उसे हम समुद्र में फेंक रहे थे। इसलिए वह देश के हित में था और विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता थी। हम उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इतना विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखा, जिसका आनन्द आज के वित्त मंत्री उठा रहे हैं। उस समय तेल के बदले अनाज का सौदा हुआ था, क्योंकि उस समय इराक संकट में था। जो सौदा हुआ था, उस सौदे के संदर्भ में कांग्रेस के एक नेता और मंत्री का नाम आया है, पार्टी का नाम आया है। यह केवल पार्टी के लिए ही नहीं, देश के लिए भी चिन्ता का विषय है। हमारे राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पांच मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं एक विशेष चेतावनी दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल नहीं। पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

चर्चा को आरम्भ करते समय विपक्ष के नेता ने वोल्कर रिपोर्ट का महिमामंडन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समिति है, स्वतंत्र समिति है और इसे संयुक्त राष्ट्र की सहमति से तैयार किया गया है। इसलिए, इससे यह प्रतीत होता है कि वोल्कर ने जो भी कहा है वह देवदूतों का वाक्य है अथवा 'गीता' के समान है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। प्रेस ने भी इसे तूल दिया है। यदि आप इसका अध्ययन करें तो इससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है। हमें इस पर स्पष्ट राय बनाई जाए। इस रिपोर्ट में उन लोगों को दोषी ठहराया गया है जो लगातार साम्राज्यवाद-विरोधी रहे हैं। इस रिपोर्ट में उन अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से नजर फेर ली गई है जो अधिकतर व्यापार कर रही हैं। उनके बारे में एक शब्द भी नहीं है। इसमें दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस सहित उनके अनुसार भारतीय कांग्रेस को दोषी ठहराया है।

श्री आडवाणी ने पूछा था कि क्या कोई साम्यवादी यहां है क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ साम्यवादी दलों के नाम भी देखे। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत ने इस रिपोर्ट के संबंध में समुचित कदम उठाया है क्योंकि हमने इसकी न्यायिक जांच हेतु नियुक्ति कर दी है। यह एक प्रकार की न्यायिक जांच है *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: यह न्यायिक जांच की तरह नहीं है। यह न्यायिक जांच ही है ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह न्यायिक जांच श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी के बारे में दोषों की जांच के लिए न्यायिक जांच है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से देशों ने ऐसा किया है।

रूस सरकार के निवर्तमान विदेश मंत्री, श्री सर्जेई लेवरोत— मैं सोवियत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं—ने पाल वोल्कर समिति के निष्वकर्षों को झूठे साक्ष्यों पर आधारित बताया है। उन्होंने यही कहा है। वोल्कर समिति से मास्को में प्राप्त कुछ सूचनाएं दस्तावेजी साक्ष्यों से परिपूर्ण नहीं बताई गई है। यह वोल्कर समिति पर रूस सरकार की प्रतिक्रिया है। आप इतने अधिक प्रसन्न थे कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के नाम का इसमें उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक दस्तावेजों पर आधारित है। तथापि, प्रेसीडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वोलोशिन आफ रशिया के प्रमुख को दोषी ठहराया गया है। रूस सरकार ने कहा है कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं। उनके हस्ताक्षर तो पहचाने जा सकते हैं। वह राष्ट्र के प्रमुख अधिकारी है। वे कहते हैं कि यह दोषारोपण जाली हस्ताक्षरों पर किया गया है। इस प्रकार, यह वोल्कर समिति की रिपोर्ट की सच्चाई है।

अब भारत के संबंध में, आडवाणी जी ने कहा जब वे उप प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने अपने मंत्री, मेरे विचार में वे श्री राम नाइक की ओर इशारा कर रहे थे, से कहा कि इंडियन आयल कम्पनी इराक द्वारा धन की पेशकश के लालच में नहीं आई। शायद यह बहुत अच्छा कदम है। सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनी ने कोई अनुचित सौदा नहीं किया। किन्तु जब नाईक जी से पूछा गया कि वे इराक क्यों गये थे तो उन्होंने कहा कि वे वहां व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। वे जुलाई 2002 में इराक में व्यापारियों के एक बहुत बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पत्र श्री सद्दाम हुसैन को दिया था और इराकी राष्ट्रपति ने स्वयं भारतीय तेल हेतु तेल कूपनों की पेशकश की तब श्री नाईक ने कहा वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। किन्तु क्या उन्होंने दूसरों को व्यापार करने की अनुमति दी?

जब उनसे विशेष तौर पर उन औद्योगिक घरानों और कम्पनियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस देश के साथ उनके हितों, उनके व्यापार को बढ़ावा देना उनका कार्य है। जब उन्होंने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी तो क्या उन्होंने कोई कमीशन लिया था? यह प्रश्न प्रेस वालों ने पूछा था। उन्होंने कहा, "यह दोषारोपण है।" मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस आरोप की भी जांच की जानी चाहिए। जी हां, आपको इसकी जांच करनी चाहिए क्या श्री नटवर सिंह संलिप्त हैं अथवा नहीं। आपको कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता की जांच भी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

किन्तु आपको इस आरोप की भी जांच करनी चाहिए जो श्री नाईक ने कहा, "कि यह एक आरोप है।" तभी हमें यह पता चलेगा कि इसमें कौन-कौन संलिप्त हैं। मैंने कहा कि हमने इस रिपोर्ट के बारे में समुचित कदम उठाया है क्योंकि शायद विश्व में केवल हमारी ही सरकार है जिसने देश के जिम्मेवार व्यक्तियों और दलों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए कदम उठाया है। यदि हमें इस रिपोर्ट पर चर्चा करनी है, हो सकता है कि जांच की रिपोर्ट बाद में मिले—संभवत:, अध्यक्षपीठ द्वारा यहां वोल्कर समिति रिपोर्ट पर चर्चा कराने की अनुमति दी जा सकती है—तब हम कह सकते हैं कि अमेरिकन साम्राज्यवादी स्वतंत्र विदेश नीति रखने वाले, अमेरिकन साम्राज्यवाद से स्वतंत्र स्थिति रखने वाले देशों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ को किस प्रकार से अनैतिक रूप से प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपसे मुझे एक या दो मिनट और देने का अनुरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि आप मुझे इतना समय अवश्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय: केवल अंतिम वाक्य के लिए एक मिनट मिलेगा तथा यह वाक्य भी मध्यम लम्बाई का होना चाहिए न कि बहुत बड़ा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: ठीक है, महोदय। बात यह है कि साम्यवाद से लड़ने के नाम पर, साम्यवाद को रोकने के नाम पर, 20वीं सदी के अंतिम भाग में, हमने देखा है कि अमेरिकन साम्राज्यवाद विश्वभर में कठोरता से पेश आया था। अब, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के तले अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। लेकिन जब उन्होंने इराक पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उन्हें नहीं मिला। उन्होंने इराक पर नाटों के समर्थन से अपनी सेनाओं से आक्रमण किया।

महोदय, अब इराक में उन्हीं के कब्जे वाली सरकार है। श्री आडवाणी ने कहा कि सभी अभिलेख सुरक्षित हैं क्योंकि तेल मंत्रालय के भवन पर बम नहीं गिराये गये। सभी दस्तावेज वोल्कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इन दस्तावेजों को किसने पेश किया? अमेरिकन शासक सेना ने उस देश पर कब्जा जमाया हुआ

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

है, उस मंत्रालय पर कब्जा किया हुआ है, अभिलेख प्राप्त किये तथा उन्हें वोल्कर समिति के समक्ष पेश किया। यह उस देश की कोई स्वतंत्र सरकार नहीं है, उस देश की सम्प्रभु सरकार नहीं है जिसने अभिलेख पेश किये। हमें वोल्कर पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए जिसकी विश्व के देशों ने खुल्लम खुला निंदा की है। हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों तथा लोगों के प्रति कुछ और न्याय करना चाहते हैं। इसलिए इसकी जांच करने के लिए हमने जांच बिठाई है। महोदय, इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि जांच सही प्रकार से की जाए तथा उसके बाद इस पर यहां संसद में हमें चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक। आपको केवल पांच मिनट का समय मिलेगा।

श्री हरिन पाठक: मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है क्योंकि आप एक समझदार सांसद हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय आडवाणी जी ने आज सुबह जो स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसका अनुमोदन करने के लिए मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव का विषय बहुत गंभीर है। इस समय विषय की वस्तु के अंदर जाना उचित नहीं होगा क्योंकि इस बारे में एक कमीशन जांच करने के लिए बैठाया गया है। मगर मुझे दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि आजादी के 58 सालों के इतिहास में पहली बार हमारे देश के किसी राजनैतिक दल पर जो सरकार में है, उसके खिलाफ दलाली खाने का आरोप दुनिया में लगा है, जो इस रिपोर्ट में लगा है। यह देश के लिए शर्म की बात है। 58 साल की इस राजनीतिक यात्रा में कई सरकारें आई और कही गई। कई आरोप लगे और कई आरोपों के बारे में उसकी जांच की गयी मगर किसी विदेशी और वह भी युनाइटेड नैशंस से जुड़ी हुई संस्था के जरिये की गयी रिपोर्ट पर अगर किसी देश के किसी राजनैतिक दल और उसमें भी राजनैतिक दल में बैठे हुए सरकार के एक मंत्री के खिलाफ अंगुली निर्देश हुई है, तो क्या इस सदन के लिए, हम सबके लिए शर्म की बात नहीं है? ...*(व्यवधान)* क्या इस देश की जनता जानना नहीं चाहती कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। हम लोगों को डिबेट खत्म करनी है। आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानना चाहता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतना टाइम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: देश के अंदर जब कोई छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं तब उस रिपोर्ट के बारे में देश के सामने चर्चाएं होती हैं। मगर यहां पर जो चार शब्द, जो सदन के सामने बार-बार अंग्रेजी में और हिन्दी में कहे गये, "अनाज के बदले तेल" लेकिन मैं कहता हूं "तेल के बदले अनाज"। इन चार शब्दों के बीच देश की इज्जत दांव पर लगी है। वोल्कर कमेटी जो बनाई गई ...*(व्यवधान)* 1990 से जब से इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन मोहन सिंह जी ने और मेनका जी ने जो विषय सदन के सामने रखा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए आरोपों को इतने सामान्य तरीके से और इतनी आसानी से नहीं लीजिए। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब हमारे मंत्री और मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने इसे तर्क में उलझने की कोशिश की लेकिन वह उसमें खुद फंस गये। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री रूपचन्द पाल जी ने यह बताने की कोशिश की। हर कोई इससे सहमत है कि उस समय इराक में जो स्थिति हुई थी, मानवीयता के आधार पर मदद करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने यह भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो यह सरचार्ज लिया गया, उसमें क्या गलत बात है? अगर कहीं गरीबों को अनाज दिया गया या दवाई भेज दी गई क्योंकि वहां पर कत्लेआम हुआ था तो देना चाहिए था। आपने कहा कि ठीक किया। लेकिन इन दो बातों को अलग-अलग करना पड़ेगा। सरचार्ज देना, सरचार्ज लेकर यहां से अनाज भेजना, वहां से तेल खरीदना और उसके बदले में कमीशन खाकर देश में पैसा हड़पना—यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। उसी पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। मानवीयता के आधार पर आपने दवाई भेजी, अनाज दिया और उसके बदले में जो पैसा आया, वह कंपनियों ने चाहे कैसे भी लिया हो, किसी व्यक्ति या पार्टी ने लिया हो, मैं समझता हूं, इसके लिए आने वाली पीढ़ियां न कांग्रेस पार्टी को माफ करेंगी और अगर यह सही निकला तो नटवर सिंह जी को भी माफ नहीं करेंगी। सिर्फ उनके इस्तीफे से यह मामला नहीं रुकता है। अगर वोल्कर कमेटी तक ही आप सीमित रखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इसमें एक रेफरेंस देकर अपनी बात रखूंगा। टेबिल नं. 3, 9, 10, 11 तथा 12 का सरकार पूरे तरीके से अध्ययन करे। टेबल नं. 3 में स्पष्ट रूप से नटवर सिंह जी का नाम है। टेबल नं. 3 में स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का नाम है। व्यक्ति के सवाल पर मैं नहीं

जाना चाहता हूं। जार्ज साहब बोल रहे थे, व्यक्ति की बात कर रहे थे। मैं सीधी बात, जो वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में है, टेबल नं. 3 में कांग्रेस पार्टी का नाम है।

श्री सिंह का नाम रिपोर्ट की तालिका 3 में मेसफील्ड एजी को आबंटित चार मिलियन बैरल तेल के लिए गैर-संविदात्मक लाभान्वित के रूप में है, इस संविदात्मक कम्पनी ने वास्तव में 1.936 मिलियन बैरल तेल उठाया है। इसमें से, जिन चरणों में तेल आवंटित किया गया वह तालिका 9 में दर्शाया गया है। कांग्रेस पार्टी का नाम भी उसी तालिका 3 में चरण 10, 11, 12 एवं 13 में आवंटित चार मिलियन तेल के लिए गैर-संविदात्मक लाभान्वित के रूप में दर्शाया गया है। इस आबंटन में से इस मामले में मेसफील्ड एजी द्वारा 1.001 मिलियन बैरल तेल उठाया गया, जिसे कि चरण 10 में संविदा कंपनी के रूप में दिखाया गया है।

[हिन्दी]

मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तुलना की जा रही थी, दासमुंशी जी कह रहे थे तो उन्होंने शुरूआत आदरणीय आडवाणी जी की प्रसंशा से की। मैं समझा कि आगे अच्छी बात कहेंगे कि अब हम नटवर सिंह जी को वहां से निकालेंगे लेकिन तुलना करते करते वह खुद उलझ गये। तुलना आपने वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट और तहलका की करी और शुरुआत आडवाणी जी से की। जब आडवाणी जी का नाम आया सिर्फ जैन डायरी में आया, उन्होंने एक भी दिन की देर नहीं लगाई। उसी दिन पब्लिक लाइफ से तब तक के लिए निकल जाना तय कर लिया जब तक कि पुनः चुनाव जीतकर न आएं और जब तक न्यायमूर्तियों द्वारा उनको इस केस से क्लियर न किया गया। लेकिन यहां पूरे 17 दिनों तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

[अनुवाद]

सत्रह दिन तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जैसाकि आडवाणी जी ने सही ही इंगित किया है तथा इसका उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में उल्लेख किया है, यह उस समय कांग्रेस पार्टी भी ढुलमुल प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री हरिन पाठक: वह तो रिपोर्ट थी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री ने कतिपय बातें कही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह शब्द न लिखें। श्री हरिन पाठक, आप वह शब्द पुनः बोलने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: मैं मुंशी जी से यह अपेक्षा करता कि अगर वह तुलना कर रहे थे तो ऐसी तुलना करते कि एक वह पार्टी है जिसके किसी भी व्यक्ति का नाम अगर गलती से आ गया है और फिर बाद में यह साबित भी हुआ कि वह गलती से आया था उस पर तुरंत इस्तीफा दे दिया गया, उन्होंने गांधी नगर से अपनी सीट छोड़ दी और यहां आप उनको मंत्री बनाए बैठे हैं। मैं रिपोर्ट की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय की कमी है। मगर मेनका जी ने जो बात कही थी मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के दो और वक्ताओं को अभी बोलना है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। आप इसे छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: मुझे अहमदाबाद की जनता ने भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजा है। इसलिए आपको मुझ पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने अपना भाषण समाप्त नहीं किया तो मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक: महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद कंपनी हमदान एक्सपोर्ट्स में दो लोगों एंडी सहगल तथा विकास डार को इराक तेल के लिए खाद्य घोटाले के संबंध में पूछताछ की है। क्या यह सही है? दूसरी बात यह है कि संबंधों का पता लगा लिया गया है, आप जांच कर सकते हैं, जब चर्चा का आप उत्तर दें तो आप उस पर उत्तर दे सकते हैं, कि जगत तथा हमदान एक्सपोर्ट्स के एंडी सहगल किये गये फोन का सही प्रकार से संबंध जुड़ गया है।

महोदय, वे नम्बर देना चाहता हूं जिनसे ये सारी काल्स की गयी थी। वे नम्बर है 9810008661। पता है-सी-180, प्रथम तल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली। फोन तथा एमएमएस देर रात तक किये गये ...*(व्यवधान)* मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। उन दिनों, जब वोल्कर रिपोर्ट 28 अक्तूबर को प्रकाशित हुई तो जमील ने उसी दिन जार्डन एएएमएस भेजा तथा फोन किया। वह नम्बर है-00962777275665 तथा दूसरा फोन लंदन के 00447968444999 नम्बर पर किया गया। तब उसने जगत को फोन किया। जगत सिंह के टेलीफो ननम्बर 9871089116 हैं। ये फोन जमील ने जगत को किये थे।

[हिन्दी]

इसमें आपके तीन राज्य मंत्रियों के भी नाम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी सारी काल्स 28 तारीख की रात को क्यों की जा रही थी। क्या किसी फिल्म की चर्चा हो रही थी या दिल्ली के तापमान की चर्चा हो रही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे सभी बातें देश के सामने आनी चाहिए। इसमें 130 कंपनियों के नाम हैं। श्री राम नाइक जी अपने कार्यकाल में इराक गए थे, लेकिन रिपोर्ट में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के किसी भी घटक दल का नाम नहीं है। न व्यक्ति का है न पार्टी का है, जिन कम्पनीज ने अगर यह सरचार्ज लिया है उसकी पूरी-पूरी इंवैस्टीगेशन करानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि 130 कम्पनीज में से 46 कम्पनीज ऐसी हैं जो चाय सप्लाई करती हैं। चाय सप्लाई कराने वाले लोगों को भी कांट्रैक्ट दिया गया था।

[अनुवाद]

यह देश के लिए कुछ भयानक एवं शर्मनाक है। इसलिए, मैं श्री नटवर सिंह को मंत्री परिषद से हटाने की मांग करता हूं तथा वोल्कर समिति रिपोर्ट के संदर्भ में न्यायमूर्ति पाठक जांच में अतिरिक्त एक उच्चस्तरीय जांच बिठाई जाए।

अध्यक्ष महोदय: डा. एम. जगन्नाथ, आपकी पार्टी को केवल दो ही मिनट मिलने हैं। मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद सामान्यत: देश के लिए तथा विशेषकर इराक के लोगों के लिए बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। ऐसे समाचार आ रहे थे कि लाखों लोग, कुपोषण से मर रहे हैं तथा यूनीसेफ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि कुछ नहीं किया गया तो देश विनाश के गर्त में समा जाएगा। इस कारण तेल के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ।

वोल्कर समिति की रिपोर्ट ने यह बिलकुल ही स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और इसके कुछ नेताओं ने लोगों के कल्याण के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों में अमानवीय ढंग से व्यवहार किया। महोदय, जो ठेके दिये गये, वे संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन था और ठेके देने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तथा तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत तेल की बिक्री से अर्जित धन का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया। भारत की लगभग 130 कंपनियों ने संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा उन्हें अवैध पारितोषिक तथा अवैध धन प्राप्त हुआ।

पूर्व विदेश मंत्री तथा अब बिना विभाग के मंत्री श्री नटवर सिंह तथा कांग्रेस की भूमिका के प्रश्न पर आते हैं, इनका नाम हाल ही में जारी वोल्कर समिति की रिपोर्ट में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में सामने आया है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसका नाम था मेसफील्ड एजी। मैं मेसफील्ड एजी और श्री नटवर सिंह तथा कांग्रेस पार्टी के बीच संबंधों के बारे में जानना चाहूंगा। रिपोर्ट की सारणी-3 में यह बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मेसफील्ड एजी को चार बिलियन बैरल तेल का आवंटन किया गया था और उसने यह तेल ले लिया था। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है।

यदि श्री नटवर सिंह तथा कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से यह पता था कि उन्हें क्लीन चिट दी जाने वाली है तो सर्वप्रथम श्री नटवर सिंह को विदेश मंत्रालय के उनके विभाग से क्यों हटाया गया? दूसरे सभी पक्षों की जांच के लिए जांच आयोग बनाने की क्या आवश्यकता थी? यदि उनके दावे के अनुसार वे बिल्कुल निर्दोष हैं तो इन प्रक्रियाओं की क्या आवश्यकता थी? वोलकर समिति की रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी तथा तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में उसे विदेशी धन मिलने का पूरा भंडाफोड़ किया है तथा उससे विदेशी सरकारों तथा एजेंसियों को देश के आंतरिक

मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया है। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है।

तेलगू देशम पार्टी की ओर से हम आर्थिक लाभ हेतु देश के हितों से समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी तथा इसके नेताओं की कड़ी आलोचना करते हैं। तेलुगू देशम पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा इसके नेताओं के गंभीर अपराध पर परदा डालने के लिए जांच आयोग के गठन का आदेश देने के लिए यूपीए सरकार की भी कड़ी आलोचना करते हैं। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग की कोई वैधता नहीं है। इस आयोग का गठन किसलिए किया गया है? इसका गठन केवल आंखों में धूल झोंकने तथा दोषियों को बचाने के लिए किया गया है। इसके गठन का यही उद्देश्य है।

सायं 6.00 बजे

अंततः चूंकि कई कंपनियां इसमें शामिल हैं, इस देश पर शासन कर रही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इसमें शामिल है तथा कई वामपंथी दल भी इसमें शामिल हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कौन से वामपंथी दल इसमें संलिप्त हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: प्रातः माननीय आडवाणी जी ने इसका उल्लेख किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. जगन्नाथ, आपने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं। उन्होंने कहा था 'कुछ विदेशी वामपंथी पार्टियां'।

डा. एम. जगन्नाथ: जी, महोदय, वे इस देश की नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कहिए। मैं आपके साथ बहुत उदारता से पेश आ रहा हूं।

डा. एम. जगन्नाथ: चूंकि, कई कंपनियां इसमें लिप्त हैं और काफी मात्रा में अवैध धन का लेन-देन हुआ, तेलुगू देशम पार्टी की ओर से मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, आपको तीन मिनट मिले थे परन्तु मैं आपको चार मिनट का समय दूंगा।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, कृपया मुझे आठ मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए। अध्यक्षपीठ के साथ सौदेबाजी मत करिए। अपनी बात कहिए।

प्रो. एम. रामदास: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव, उसमें लिखी बातों और भाजपा तथा उसके सहयोगियों द्वारा दिये गये तर्कों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है तथा सरकार कतिपय मुद्दों पर परदा डालने का प्रयास कर रही है। मैं स्थगन प्रस्ताव के इन दोनों आरोपों का पूरी तरह खंडन करता हूं।

यदि सरकार को कोई कार्रवाई करनी है तो किसी व्यक्ति, किसी मंत्री अथवा किसी पार्टी की संलिप्तता दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होना चाहिए तथा साक्ष्य का कोई अंश होना चाहिए। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए, विश्व की कोई भी सरकार अप्रासंगिक रूप से किये गये किसी हवाले के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

वोल्कर समिति की रिपोर्ट, जिसके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं वह 630 पृष्ठों में समाहित है। इनमें से किसी पृष्ठ में भी श्री नटवर सिंह अथवा कांग्रेस पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें एक सारणी-3 है, जिसमें एक लाइन का उल्लेख है कि वे गैर-संविदात्मक लाभभोगी हैं। इस अप्रासंगिक हवाले के आधार पर कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है? क्या कोई सरकार इस आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभों के बारे में बिना किसी निर्णायक साक्ष्य के कार्रवाई कैसे कर सकती है?

वोल्कर समिति की रिपोर्ट, जिसके आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं, उसमें कई विरोधाभास हैं। इस वोल्कर समिति का उद्देश्य आर्थिक पक्ष की जांच करना था। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इराक तथा अन्य देशों के बीच सौदों में क्या हुआ। इसका संबंध खरीद तथा वस्तुओं की बिक्री से है। इसका संबंध व्यापार से है। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि एक राजनीतिक पार्टी व्यवसाय कर रही है? एक व्यक्ति व्यापार कर सकता है, एक कंपनी व्यवसाय कर सकती है। एक राजनीतिक दल व्यापार कार्य किस प्रकार कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का यह कहना महज एक कल्पना है कि कांग्रेस पार्टी लेन-देन के संव्यवहार में लिप्त थी और कांग्रेस पार्टी ने कमीशन अथवा रिश्वत इत्यादि ली थी। इसलिए यह तथ्य कि इसमें एक पार्टी के बारे में कहा गया है यह प्रदर्शित करता है कि यह रिपोर्ट अविश्वसनीय और अनुपयुक्त है।

और तो और वोल्कर समिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल किसी कंपनी, अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी पार्टी

[प्रो. एम. रामदास]

के नाममात्र उल्लेख से इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि वह कंपनी अथवा व्यक्ति अथवा पार्टी को भुगतान का अधिकार है। वोल्कर समिति रिपोर्ट में यही शब्द लिखे हैं। किसी विशेष कंपनी के ठेके की पहचान करने का यह मतलब नहीं है कि उस कंपनी ने ऐसा भुगतान किया था अथवा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत थी अथवा इसके बारे में जानती थी। इसका मतलब यह हुआ कि वोल्कर समिति ने अनिश्चित निष्कर्ष दिए हैं।

इसमें एक कंपनी का उल्लेख किया गया है लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि उस कंपनी ने वास्तव में भुगतान किया है अथवा नहीं अथवा इसके लिए प्राधिकृत थी अथवा नहीं। इसमें इसकी विस्तृत जांच करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि वोल्कर समिति ने जो जांच की है और जो निष्कर्ष निकाले हैं उन निष्कर्षों के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। वोल्कर समिति द्वारा इन निष्कर्षों को स्वीकार किया गया है। हम इस प्रकार कि रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि वोल्कर समिति रिपोर्ट मात्र अटकलबाजियों, कोरी कल्पनाओं का विवरण और कोटी आशंकाओं का संग्रह है। इस समिति द्वारा जो पद्धति और प्रक्रिया अपनाई गई है वह दोषपूर्ण है। इस रिपोर्ट में आंकड़ों के उपयोग में भारी असंगतियां हैं। समिति कहती है कि हमने वास्तव में इराकी अभिलेखों से सूचनाएं एकत्रित की है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि क्या सही और क्या गलत है'' हम केवल इतना कह सकते हैं कि इराकी अभिलेखों में क्या था।'' क्या वहां पर मना किया गया था, स्वीकार किया गया था अथवा इन दोनों के बीच का कुछ था इसमें इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि समिति ने इस बात का कोई निर्णय नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती की है अथवा श्री नटवर सिंह ने कुछ गलत किया है। उन्होंने केवल अभिलेख पर विश्वास किया था। ये अभिलेख कहां से आए? क्या वोल्कर समिति ने उस स्थान का निरीक्षण करने के बाद सूचना एकत्रित की थी? श्री वोल्कर सहित समिति के किसी भी सदस्य ने इराक का दौरा नहीं किया और वहां से आंकड़े एकत्रित नहीं किए। उन्हें ये सभी अभिलेख अमरीका की ओर से इराक में कब्जा जमाए बलों द्वारा दिये गये थे। न्यूनतम विधि शास्त्र के अनुसार किसी भी पार्टी द्वारा जब्त किये गये किसी भी अभिलेख को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। विपक्ष को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आरंभिक विधिशास्त्र में यह कहा गया है कि आक्रमण के अंतर्गत प्राप्त हुए किसी भी दस्तावेज के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

इसलिए मैं महसूस करता हूं कि किसी को भी वोल्कर समिति रिपोर्ट को महत्ता नहीं देनी चाहिए। कई देशों, जिनका उल्लेख इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में किया है, ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। एक दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने वोल्कर समिति के विरुद्ध विधिक अभियोजन शुरू करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में इस समिति ने असत्य, लापरवाह, गैर-जिम्मेदाराना, अत्यंत हानिकारक और अपमानजनक बातें कही हैं और इसलिए वे इसे सिरे से अस्वीकार करती हैं। जब विश्व के सभी देशों ने ऐसा किया है तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को इतनी गंभीरता से क्यों लिया है और इस मामले की गहराई से जांच-पड़ताल करने के लिए विधि और जांच आयोग अधिनियम के आधार एक आयोग का गठन किया है। इसलिए हमें इस रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सिद्ध हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं सभा से इस स्थगन प्रस्ताव को मनसा वाचा कर्मणा से अस्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हम सभा की कार्यवाही को 6.45 अथवा 7.00 तक जारी रखते हैं अभी भी सात से आठ सदस्य बचे हुए हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री उदय सिंह आप अपनी बात बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं अत: आपको अधिक से अधिक पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं इस चर्चा के आरंभ में जाना चाहूंगा जब हमारे नेता, विपक्ष के नेता ने अपनी आरंभिक बात कही थी। मैं वहां से शुरू करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मैं हाल ही दिल्ली में नेतृत्व के एक शिखर सम्मेलन में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कही गई बहुत ही साफ और स्पष्ट बात से बहुत ही प्रभावित हूं जिसमें उन्होंने वोल्कर रिपोर्ट से परे जाकर यह कहा था कि वह इस बात के बारे में बहुत चिंतित है कि राजनीतिक पार्टियों और संगठन द्वारा छोटी-छोटी बातों पर राई का पहाड़ बना देते हैं। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। लेकिन जब मैं सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को देखता हूं तो मुझे दो चीजें अटपटी लगती हैं। क्या वोल्कर समिति की रिपोर्ट सही है या गलत है, इसका पता केवल सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण ही लगा सकता है। लेकिन इसमें इस बात के साफ संकेत दिये गये हैं कि इसमें प्रथम दृष्ट्या एक व्यक्ति के संलिप्त होने के संकेत हैं जो उस समय विदेश मंत्री थे और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम भी सामने आया था जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इससे कांग्रेस पार्टी के उस तर्क को धक्का लगा है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह साजिश कांग्रेस पार्टी के नाम को बदनाम करने के लिए रची गई है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते पूरा विश्व कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं दोनों के विरुद्ध पहले और आज भी षडयंत्र क्यों रचे जाते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इसका संदर्भ दे रहा हूं।

हमारे पास डेनियल पैट्रिक मोयनीहन द्वारा लिखित एक पुस्तक जो न केवल उस समय भारत में अमरीकी राजदूत थे बल्कि उस समय वाशिंगटन में एक महत्वपूर्ण नीति बनाने वाले थे। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम "मित्रोखिन आर्काइव" है। इस पुस्तक में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के नाम लिये गये हैं। अब हमारे पास वोल्कर समिति की रिपोर्ट है। अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि पूरा विश्व कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए षडयंत्र रच रहा है। यह बात हमारी कल्पना से परे है।

जिस व्यक्ति का नाम लिया गया था उस व्यक्ति के संबंध में माननीय मंत्री श्री दाशमुंशी इसके बारे में हमें बताने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार ने कितनी तत्परता से कार्यवाही की। मैं उनकी बात से वास्तव में प्रभावित नहीं हूं। सरकार एक साधारण तरीके से भी कार्यवाही कर सकती थी। सरकार में एक प्रमुख पद पर विराजमान जिस व्यक्ति का नाम लिया गया, सरकार उस व्यक्ति से जांच करने के लिए पद छोड़ने के लिए कह सकती थी, यदि वह स्वयं ऐसा न करते और बाद में उसे आदरपूर्वक वापस लाया जा सकता था। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं *...(व्यवधान)* अब यदि आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपके मंत्री उत्तर देंगे। अन्य माननीय सदस्य हैं जो उत्तर देंगे। कृपया व्यर्थ में ही न बोलते चले जाएं।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंहः मैं यथासम्भव सरलता से कहने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता वे इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

डा. मनमोहन सिंह अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, पूरी निष्ठा के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उनके लिए इतना समय लेना और फिर श्री सिंह से विदेश मंत्रालय लेने के राकेट विज्ञान जैसे आधुनिक तरीके को अपनाना मेरे लिए आश्चर्य की बात है। यह ऐसा है जैसे हम उपग्रह प्रक्षेपणों में सुनते हैं कि राकेट का चरण-1 अलग हो गया है; चरण-2 अलग हो गया है। यह क्या है? यह आधा-अधूरा उपाय क्या है? यदि वह पूर्णतः निर्दोष हैं तो उन्हें विदेश मंत्री रहना चाहिए; और यदि थोड़ा सा भी संदेह है तो उन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहना चाहिए यदि उनकी निर्णयों, जानकारियों तक पहुंच है जिसका सीधा प्रभाव परिणाम अथवा कार्यवाही पर पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री उदय सिंहः मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

कांग्रेस पार्टी को लाभार्थी बताया गया है। मैंने उस सम्मेलन में श्रीमती गांधी की बात बड़े ध्यान से सुनी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बोलने की अनुमति तभी दूंगा यदि आपकी पार्टी आपका नाम देती है। जब तक आपको वक्ता नहीं चुना जाता आपको शांत रहना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंहः श्रीमती गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। वह यूपीए की अध्यक्षा हैं और इसीलिए या तो उन्हें एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करना होगा जो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है या फिर स्वयं जिम्मेवारी लेनी होगी। हम केवल इतना चाहते हैं। इस सदन में बिना कारण दबी हुई भावनाएं बाहर आती लग रही हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे विश्वास है वे आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंहः मैं आधे सेकेन्ड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, क्या सोनिया गांधी जी का नाम अनपार्लियामेंटरी है, नाम लेते ही सब खड़े हो जाते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

[अनुवाद]

मैंने इस बात से इंकार नहीं किया है। वह सदन की एक माननीय सदस्य हैं। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह: अतः मैं आदर सहित इस सदन के समक्ष विचारार्थ यह कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति के मामले में जिसका नाम लिया गया है, वह व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के मामले में इसके अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव की भाषा से असमंजस में हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे अनुमोदित किया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: निश्चित रूप से उन्होंने इसे अनुमोदित किया है। परन्तु मैं अभी भी दुविधा में हूं। महोदय, मैं दुविधा में हूं क्योंकि मैं इन लोगों के शामिल होने की निन्दा को समझ सकता हूं और मैं इन व्यक्तियों पर शामिल होने का आरोप लगाने को समझ सकता हूं। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि हम तथाकथित रूप से शामिल होने की निन्दा कैसे कर सकते हैं जब तक कि यह बात सिद्ध नहीं हो जाती, हम किसी बात की निन्दा नहीं कर सकते और मुख्य रूप से इसीलिए यह वाद-विवाद सुबह से शाम तक इस भ्रमित तरीके से चले जा रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें लिखा है "उचित कार्यवाही करना"

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह है "उचित कार्यवाही करने में असफलता।"

अध्यक्ष महोदय: हां 'उचित कार्यवाही करने में असफलता"।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, यह इस बात से शुरू होता है: "यह सदन तथाकथित रूप से शामिल होने की निन्दा करता है...."

श्री हरिन पाठक: नहीं *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: ओह, महोदय, मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं *...(व्यवधान)* मैं उसकी जांच कर रहा था जो मुझे पहले दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु आपको अपना समय वापस नहीं मिल सकता।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और इन शब्दों से सदन के समय को बर्बाद करने के लिए सदन से क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री मणिशंकर अय्यर: परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि किसी के भी शामिल होने की बात सिद्ध नहीं हो पाई है। एक आरोप लगा है और जब आरोप लगता है तो सही कार्यवाही जानकारी प्राप्त करना होता है जो आरोपों दो या तो सिद्ध कर देंगी या उन्हें निराधार सिद्ध कर देगी। यह कार्यवाही कर दी गई है। यदि बिना सबूत आरोपों के आधार पर हम कार्यवाही करते हैं तो वह उचित कार्यवाही नहीं होगी। वह अनुचित कार्यवाही होगी। हमारे लिए साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस व्यक्ति और पार्टी जिसका उससे संबंध है, जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है, वह रिपोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या साथ-साथ अथवा दोनों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है वह भी, श्री वोल्कर के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर जिसे वोल्कर द्वारा हम बाकी लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसलिए, आज हम भारत में उस एकमात्र सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को देख सकते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की सेवा करने में अपने पूरे जीवन काल में संयुक्त राष्ट्र के सम्पूर्ण कार्यकरण का अनुभव है उन्हें जल्दबाजी में संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया। प्रशंसनीय ढंग से कुछ ही समय में उन्होंने आवश्यक दस्तावेज एकत्रित किए। वह उन्हें भारत ले आए और यदि हम आरोप से लाभ उठाने के बजाय संलिप्त व्यक्तियों के बारे में निष्पक्ष होने की इच्छा रखते हैं तो हमें उनकी जांच करने और इस प्रक्रिया में न्यायोचित मानसिकता अपनाने में अधिक समय नहीं लगेगा।

इसलिए, दस्तावेज लाए गए हैं और ठीक उन्हीं शक्तियों के साथ जांच करने के लिए एक निकाय को प्राधिकृत किया गया है जिनसे जांच आयोग को अधियुक्त किया गया है। इस पर लगने वाले समय के बारे में सीमा निर्धारित की गई है और इस सभा ने जिस प्रकार का प्रकरण पहले देखा था, मैं भटकने की बजाए, हम तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती है *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: उन्हें कार्रवाई का डर है।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं नहीं जानता, एक तरफ तो प्रतिपक्ष इस पर चर्चा करने के लिए अत्यधिक इच्छुक है और दूसरी ओर

जब इस विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है तो यहां मामलों पर चर्चा करने की बजाय वे तीन दिन तक टेलीविजन कैमरों के सामने इधर-उधर की बातें करना चाहते हैं। हम यहां एक पूरे दिन की बैठक में एक के बाद एक प्रतिपक्ष का बातें सुनते रहे, और प्रतिपक्ष के प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक सदस्य, जिनके विरुद्ध मुझे मेरी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ाया जाना था, ने मुझे चुप कर दिया क्योंकि वह भी खुद चुप थे। उन्होंने 50 मिनट कुछ भी नहीं कहा ...(*व्यवधान*) ओह, मेरे देशवासियों, यह कैसी विडंबना है। जब, मैं युवा अधिकारी था तो उस दीर्घा में बैठता था। श्री जार्ज फर्नान्डीज जिस तरीके से उठते थे और हर एक से सेंट जार्ज जैसी लड़ाई लड़ते थे उसकी मैं पूरी तरह प्रसंसा करता था और अब 50 असंगति के 50 मिनट क्यों? क्योंकि एक वयिक्त के प्रति उनके मन में घृणा है। प्रतिपक्ष के साथ वही समस्या है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके मन में राजनीतिक बैर है और इसलिए उन्होंने यहां जो भी आरोप लगाए हैं वे समय आने पर कल्पना ही साबित होंगे।

अध्यक्ष महोदय: हर चीज दस्तावेजों में है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता रहा हूं। जो कुछ एक सदस्य कह रहा है अन्य उसके वक्तव्य से बाध्य नहीं हैं। इसलिए, आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।

श्री उदय सिंह: मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या उन्होंने आपका जिक्र किया है।

श्री उदय सिंह: नहीं महोदय, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से दस्तावेज मंगाए जाने के बारे में बात की है। क्या हम यह मान लें कि दस्तावेजों की जांच के बाद श्री नटवर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है?

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, सुबह से हम इस बारे में बहस कर रहे हैं, लेकिन अक्सर यह देखा गया कि हम मुद्दे की बारीकियों के अंदर न जाकर सुर्खियों के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे कि एक मुहावरा है—पेड़ गिनते, गिनते और गिनाते, गिनाते जंगल भी भूल गये। वोल्कर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट जब आई, जिस पर आडवाणी जी ने मोशन मूव किया है, मैं उन्हीं केलि ए कह रहा हूं, जब वे लोग किसी से इस्तीफा मांग रहे थे, हमारी पार्टी सी.पी.आई.(एम.) उसी दिन से, जिस रोज से अखबारों में सुखियां आईं, हमने इस मामले की तह में जाने के लिए इंक्वायरी की मांग की। हकीकत मालूम होनी चाहिए। लेकिन हमारी स्वदेशी ब्रिगेड विदेशियों के बारे में इतना कुछ कहती है कि हमारे अपने स्वदेशी एम्बेसेडर बगदाद से दिल्ली में वाजपेयी जी के पास भेजे कि यह सब अखबारों में आ रहा है, जरा देखिये। चूंकि वह स्वदेशी एम्बेसेडर थे, उस वक्त इन्हें परेशानी नहीं हुई और चूंकि पॉल वोल्कर की रिपोर्ट आई है, इसलिए उसे लेकर महत्ता दे रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में कहीं भी वोल्कर महोदय की रिपोर्ट के बारे में कोई अहमियत नहीं दी गई। क्यों देंगे? ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह रिपोर्ट क्यों आई? यह कमेटी क्यों बनी? 1990 से 1993 तक की वे तमाम बातें मैं हीं कहूंगा, जो हमारे कुलीग्स कह चुके हैं। 12 साल से जो आर्थिक नाकाबंदी चल रही थी, जो इंसानियत के ऊपर एक धब्बा थी। पूरा विश्व का जनमत जब यह मान रहा था कि इराकी बच्चों को बचाने की जरूरत है, तब ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम लागू हुआ। यह 1996 में चालू हुआ और 1998 में कोटा फीस बढ़ाई गई। अब यू.एन. के ऊपर अमरीकी यह लांछन लगा रहे थे और उनके जो पिट्ठू हैं, एक तरफ वे अपना ह्यूमैन फेस दिखाने के लिए कहते हैं कि हां यह ठीक है, इसलिए ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम हो जाए और दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। किस तरह से इसमें रुकावट पैदा की जाए-आज यह कहा जा रहा है। वोल्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंक्वायरी कमेटी भी कितनी इंडिपैन्डैन्ट है। वह खुद कहे किकबैक, वह अपनी शब्दावली में खुद कहे मालप्रैक्टिसिज। मैं उनके जो दूसरे सदस्य हैं, जज के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन रंगभेद के मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका में कितना नाम कमाया है, यह सबको मालूम है। हमारी यह बात महत्वपूर्ण है कि एक देश, जिसकी नाकाबंदी चल रही है, उन्हें विदेश के साथ सम्पर्क करने और वाणिज्य करने की कोई इजाजत नहीं है, पांच साल के बाद उन्हें मौका मिलता है, आप उस सरकार की सॉवरनिटी की बात कर रहे हैं। उस सरकार को पूरा हक है कि मुल्क के लोगों को बचाने के लिए और कामकाज करने के लिए वह जैसा चाहे टैक्स लगा सके। हमारी पार्टी या आपकी पार्टी ने खुद कहा कि हम सब लोग और पूरा देश सैंक्शंस के खिलाफ था, फिर आज यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट के जो दस्तावेज हासिल किये हैं, वोल्कर जी और दूसरे सदस्य खुद कह रहे हैं कि वे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मोहम्मद सलीम]

कभी इराक में नहीं गये, फिर वे दस्तावेज कहां से मिले, जो मैटिकुलसली मेन्टेन्ड हैं। उन्होंने उस बिल्डिंग पर बॉम्बिंग नहीं की। अमरीका जानता था कि इस बिल्डिंग के अंदर वे सब डाकूमैन्ट्स थे। अमरीका, यू.के. और जो उनकी कोएलीशन फोर्सेज हैं, उन्होंने 15 सालों से पीस टाइम में और वार टाइम में बॉम्बिंग की, लेकिन उस बिल्डिंग को बचाये रखा, क्योंकि वे जानते थे कि आडवाणी जी के लिए वहां से डाकूमेन्ट्स निकलने वाले हैं। उसके बाद वे खुद कह रहे हैं कि इराक में पोस्ट इन्वेजन, जो अमरीका ने अपनी पिट्ठू सरकार बनाई, उन्होंने डाकूमैन्ट्स दिये हैं, रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अमरीकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिव असिस्टैन्स के बिना हम यहां काम नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में यह क्यों कहा जा रहा है? वोल्कर कमेटी को क्या पड़ी है कि वह कांग्रेस या भारत सरकार का नाम ले? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जिसने भी इराक का साथ दिया, जो भी इराक में अमरीका के इनवेजन के खिलाफ है, जो अमरीका को वर्ल्ड अम्पायर बनाने की कोशिश के खिलाफ हैं, उन सबको बाद में लगा कि अमरीका की तरफ से यह कोशिश जारी है। ...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: आपका नाम क्यों नहीं आया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, एक दूसरे को बाधा न पहुंचाएं। कृपया, अपनी बात समाप्त करें। आप अपना भाषण समाप्त करें। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें और व्यवधान पर ध्यान न दें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यूएन कमेटी की रिपोर्ट बताने में हमें कोई शर्म नहीं है। हम दावे से कहते हैं कि पिछले दस सालों में यूएनओ को यूएनए बनाया गया है। कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यह यूनआइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका बने। आज आपके जैसे लोगों की जो येस को वर्ल्ड अम्पायर बनाने की सोच है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान सोवरन मुल्क है या अमेरिका का पिट्ठू देश है? ...*(व्यवधान)* आपको सुनना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, समाप्त करें।

मोहम्मद सलीम: ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी का मामला है। अभी बहस हो रही है कि इसमें किकबैक मिले या ऑर्डर मिले या ऑइल कूपन मिले-क्या सॉलिडैरिटी इसलिए होती है? क्या इनकी सरकार और इनकी पार्टी ने इराक की जनता के प्रति अपने को संबद्ध किया, इसलिए ऑइल कूपन मिले? अगर वह तथ्य हम मान लेते हैं तो पूरी दुनिया में आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, उसमें जब हम और तार्किक प्रतिनिधित्वात्मक और लोकतंत्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, वह भी निरर्थक हो जाएगी। इस मामले में इनक्वायरी हो और इस मामले की तह तक जाया जाए, लेकिन जितनी एंटिटीज हैं, हम उनसे क्यों शर्माते हैं? अगर राम नाईक जी वहां पहुंचे और इंडियन आइल ने कह दिया कि हम सरचार्ज नहीं देंगे और जब रिलायंस की बात आई तो क्यों कहने से शर्माते हैं कि उनको फायदा दिया? हरेक को फायदा पहुंचा। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लिये काम किया है। आपने आत्मनिर्भरता हेतु काम किया है लेकिन आपने अपने लिए और रिलायन्स के लिए काम किया है। आज ये अपने को साफ बता रहे हैं। उस वक्त 2004 में वाजपेयी जी और आडवाणी जी को चाहिए था कि इनक्वायरी कराते। अगर उस समय नहीं की तो अब हो रही है। इसकी तह तक जाना चाहिए। नटवर सिंह जी को विदेश मंत्रालय से हटा देने से आप किसको खुश करना चाह रहे हैं—क्या भारतीय जनता पार्टी को या जिसकी बात आप कर रहे हैं उनके मास्टर्स को? पूरी दुनिया में एक नया प्रचार किया जा रहा है। वे जिनको वाशिंगटन में बैठकर पसंद करेंगे उनको रखा जाएगा और जिनको वे पसंद नहीं करते, उनको हटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, आप अपना भाषण दे चुके हैं। कृपया, उत्तेजित न हों, मैं आपको सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूं।

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर): महोदय, मुझे कितना समय मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहते हुए खेद है कि अन्य सदस्यों की तरह आपको भी पांच मिनट का समय मिलेगा।

श्री मानवेन्द्र सिंह: महोदय, मैं आपको स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं वास्तव में इस वाद-विवाद के माध्यम से सभी बातों से उद्वेलित हुआ हूं। कैबिनेट मंत्रियों और कामरेडों ने इस अन्तरराष्ट्रीय षडयंत्र के बारे में बात की है। उनकी कल्पना और विदेश नीति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को विशेषज्ञता की भावना जिसे उन्होंने प्रदर्शित किया है को देखकर आश्चर्य होता है। हां, यह आशा की जाती है क्योंकि कामरेडों ने अपनी विचारधारा की स्थिति में लम्बी छलांग लगाई है और उन्होंने पाया कि जो कोई भी अमरीकी प्रणाली का विरोध करता है उस के विरुद्ध षडयंत्र रचा जाता है। हां इस षड्यंत्र से डॉन क्विक्सोटेक्स जैसी आवाज आती है लेकिन यह अलग मामला है।

मैं आश्चर्यचकित हूं कि वे सोचेंगे कि यह उस समय कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने का षड्यंत्र है जब यही सरकार और इसके घटकों ने संयुक्त राज्य अेरिका के साथ विदेश नीति के दो दूरगामी समझौते-परमाणु सौदा और ईरान पर मतदान किये हैं, जिनसे उन्हें धक्का लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अन्य लोगों को भी इतना ही धक्का लगा है। इसलिए यह मानना कि यह पार्टी के प्रति षडयंत्र है। एक महान कल्पना है। यह तो कल्पना को सम्भावना से परे खींचना है।

जहां तक वोल्कर समिति के शडयंत्र का संबंध है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और मैं संस्थाओं में उलझना नहीं चाहता हूं। यह बहुत ही आसान मामला है। यह इतना सरल मामला है कि इन्सपेक्टर क्लूसो भी इसका समाधान कर सकते थे। इसमें वे लोग और संस्थाएं शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से तेल उठाने का अनुबंध नहीं किया था और इन संस्थाओं ने लाभार्जन किया है। इन संस्थाओं को लाभ हुआ है क्योंकि किसी ने उनकी ओर से हस्ताक्षर किये हैं या उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किये हैं। किसी ने पूर्व विदेश मंत्री की ओर से हस्ताक्षर किये हैं और किसी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से हस्ताक्षर किये हैं। हम भारतीयों का संबंध इस बात से है कि भारत की छवि खराब की जा रही है और हम यह जानना चाहते हैं कि इन संस्थाओं की ओर से किसने हस्ताक्षर किये हैं। यह बहुत ही छोटा अनुरोध है। यह षडयंत्र नहीं है ...*(व्यवधान)*

मेरी जानकारी के अनुसार वोल्कर समिति ने 12 मिलियन दस्तावेजों की जांच की थी। यह 630 पृष्ठ नहीं है जैसाकि कई माननीय सदस्यगण बता रहे हैं। समिति ने बारह मिलियन दस्तावेजों की जांच की। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाया है कि श्री वोल्कर इतने नासमझ थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी गलत लिया। यदि आप रिपोर्ट को पढ़ें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नाम मूल अरबी से अनूदित हैं। मैं आरबी का विद्यार्थी रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नाम के रूप में जो दर्ज है उसे अरबी में ऐसे ही लिखा जाता है। यह मानना कि यह एक साजिश है और ऐसा मानना कि संप्रभुता किसी और के हाथ में है और जिस शासन से हमारे दोस्ताना संबंध थे उस शासन को हटा दिया गया है अत: एक साजिश है, मैं माननीय सदस्यगण को याद दिलाना चाहूंगा कि मुझे बाथ पार्टी के शासन काल में वहां रहने का अनुभव है और ऐसा लगता है कि वहां की जिन्दगी ऐसा नहीं है जैसा सदस्यगण बता रहे हैं। बाथ पार्टी के शासनकाल में दिनप्रतिदिन का कष्टपूर्ण जीवन आशातीत व गुलाग में किसी भी कामरेड द्वारा दी गयी यातना से कल्पनातीत है। यह श्री सद्दाम हुसैन की रक्षा में नहीं है। यह किसी भी सरकार की रक्षा में नहीं है। यह इराक और उसके लोगों को अच्छी कीमतों पर वस्तुएं प्राप्त करने के लिए बनाये गए कार्यक्रम से लाभ कमाने वाली संस्थाओं और लोगों का एक सीधा सा मामला है। इस प्रक्रिया में जैसाकि मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने पहले ही उल्लेख किया है कि किसी ने दलाली की और किसी ने लाभ कमाया। यह अनैतिक लेनदेन है और हम इस अनैतिक लेन-देन के ब्यौरा के पीछे पड़े हैं।

इसका ब्यौरा सीधा है। इसके लिए एक सेवानिवृत्त संयुक्त राष्ट्र अधिकारी, चाहे वह भारतीय मूल का हो अथवा किसी भी मूल का हो, की इन दस्तावेजों को लाने के लिए न्यूयार्क जाने की आवस्यकता नहीं है। क्योंकि पहले से ही न्यूयार्क में हमारा संयुक्त राष्ट्र मिशन विद्यमान है। उन दस्तावेजों को जाने के लिए आपको किसी बड़े नाम की आवश्यकता नहीं है। केवल सही अधिकारी को भेजने की आवश्यकता है ताकि दस्तावेज प्राप्त कर सकें जो किसी भी सरकार के लिए उपलब्ध है। हमें वह दस्तावेज चाहिए जिसमें बताया गया है कि लाभ के लिए भूतपूर्व विदेश मंत्री की ओर से किसने हस्ताक्षर किये और कांग्रेस पार्टी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए। हमारी यही मांग है।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगले वक्ता श्री सुब्रत बोस हैं। आपके पास अपनी बात कहने के लिए मात्र डेढ़ मिनट है। किन्तु आप अपनी बात चार मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री सुब्रत बोस (बारासाट): महोदय, आज आरंभ में विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मेरे विचार से सर्वप्रथम हम सबको पहले तो दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भेजने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने या तैनात करने, दूसरे तेल के बदले अनाज कार्यक्रम घोटाले में अन्तर्वलित भारतीय संस्थाओं में विरुद्ध वोल्कर रिपोर्ट और इसके संलग्नकों में लगाये गये आरोपों की जांच और अन्वेषण करने के लिए एक जांच प्राधिकरण की नियुक्ति करके और तीसरे किसी भी सरकार के लिए जो एक कठिन निर्णय होता है-लम्बे समय से पद धारण कर रहे मंत्री को हटाकर सरकार द्वारा की गयी शीघ्र और उचित कार्रवाई की प्रशंसा करनी चाहिए।

[श्री सुब्रत बोस]

माननीय विपक्ष के नेता ने उल्लेख किया था या गंतव्य दिया था कि विशेष दूत द्वारा संग्रहीत दस्तावेजों को शीघ्र सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। किन्तु मेरे विचार से उचित यह होगा कि जब एक जांच प्राधिकरण की नियुक्ति की गयी है तो इस प्रकार एकत्र दस्तावेजों को पहले जांच प्राधिकरण को पहले दिया जाना चाहिए ताकि वह इन सभी दस्तावेजों का अन्वेषण और जांच कर एक व्यापक रिपोर्ट सौंप सके।

माननीय विपक्ष के नेता ने जांच आयोग के स्थान पर एक जांच प्राधिकरण की नियुक्ति पर अपनी आशंका व्यक्त की है। मेरे विचार से यदि मैं सही हूं तो उन्होंने अपनी आशंका एक खास बात पर जतायी है जो जांच प्राधिकरण पर लागू संबंधित अधिनियम की धारा 11 के बारे में है। मेरे विचार से जो यह कह रहे हैं उसमें शायद कुछ तथ्य है। किन्तु ऐसे आदरणीय और प्रख्यात व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम पद धारण किया है वह निर्णयों, यदि कोई हों, का ध्यान रखेगा और हमें पूर्ण और व्यापार रिपोर्ट दे पाएंगे।

मेरे विचार से विपक्ष के माननीय नेता के द्वारा समय से पहले प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट के बिना, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। यह जांच समिति की रिपोर्ट के बगैर ही नहीं, बल्कि सरकार की गई कार्यवाही रिपोर्ट के बगैर भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय नेता के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वाद-विवाद की शुरुआत विपक्ष के नेता के द्वारा की गई थी। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि वर्ष 1991 से इराक पर कब्जा किये जाने तक की गई बमबारी के दौरान इराकी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालयों को नष्ट नहीं किया गया था और अभी-अभी मैंने भाजपा के माननीय सदस्य को यह कहते हुए सुना कि लगभग मिलियन प्रतिलिपियों की जांच की गई थी। यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यही अमरीकी सैन्य बल महाविनाश के हथियार से संबंधित साक्ष्य का लेशमात्र भी पता लागने में विफल है परन्तु श्री वॉल्कर ने येनकेन इसका पता लगाया है। उन्होंने किसी प्रकार यह पाया कि कई लोग, कंपनियां और कांग्रेस पार्टी संविदा बाह्य लाभभोगी हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखना चाहिए कि श्री पॉल वोल्कर को महाविनाश के हथियारों का पता लगाने के लिए एक बार पुनः इराक भेजा जाना चाहिए ताकि पूरे विश्व को सच्चाई का पता लग सके। मैं सचमुच नहीं जानता हूं और मुझे आश्चर्य है कि इस भवन विशेष को बचाया गया था। इराक में, छोटे बच्चों को दुग्ध पाऊडर नहीं मिल सका और दस लाख से ज्यादा छोटे बच्चों की मौत हुई परन्तु श्री वॉल्कर किसी प्रकार इसका पता लगा सके। मैं इस पर आश्चर्यचकित हूं।

इससे उनकी सत्यनिष्ठा भी झलकती है। भाजपा और श्री वॉल्कर के संगठन के बीच कोई बात है जो उन्हें जोड़ती है। दोनों ही नव रुढ़िवादी हैं। मैं यह भी कहूंगा कि वे रुढ़िवादी हैं। वे रुढ़िवादी हैं और वे नवपरंपरावादी भी हैं। इस प्रकार, दोनो के बीच कोई बात है जो उन्हें जोड़ती हैं। जोड़ने वाली बात यह है कि जो भी संयुक्त राज्य अमरीका की सम्प्रभुता का विरोध करता है उसको लक्षित किया जाएगा।

पार्टी के रूप में हम अपने राज्य में भी कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं। कई बार हम उनके विरुद्ध गए हैं। हम अभी भी उनके विरुद्ध हैं। जहां तक मेरे मत का संबंध है और मेरी पार्टी के मत का संबंध है, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, मेरे विचार से उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। मैं बीते समय की बात नहीं कर सकता हूं। मैं बीते समय की बात नहीं करना चाहता हूं। परन्तु साथ ही, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक राजनीतिक दल, जिसके नेतृत्व में 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया। उनके गृह मंत्री होते हुए गुजरात में मानवता की निर्मम हत्या की गई। आज ऐसी बात कर रहे हैं। यह दोमुंहापन है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। मैं भ्रष्टाचार की भर्त्सना करता हूं। परन्तु आप नैतिक आधार को कैसे बनाए रख सकते हैं? जब यही बात हुई तो आपकी अंतर्आत्मा को क्या हुआ? आपकी सत्यनिष्ठा को क्या हुआ? आपकी सम्प्रभुता और देश के प्रति प्यार को क्या हुआ? यह सब वहां नहीं है।

यह समय संप्रग के लिए आत्मावलोकन करने का भी है। हमें संयुक्त राज्य अमरीका के अनुरूप पूरी तरह नहीं ढल जाना चाहिए या उसके अनुरूप नीतियों का अनुपालन करने को बाध्य होना चाहिए। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का सही समय है। आप कुछ भी कहें, अमरीका आप को निशाना बनाएगा। हम इस पर भी गौर करें, कि यदि संप्रग सत्ता में नहीं होती और यदि राजग सत्ता में होती, तो क्या श्री नटवर सिंह या कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाता? इस प्रश्न पर भी संप्रग को विचार करना चाहिए।

मैं विपक्ष के माननीय नेता द्वारा रखे गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इस तथ्य की काफी प्रशंसा कर सकता हूं कि काफी कम लोगों को वोल्कर

समिति रिपोर्ट के सैकड़ों पृष्ठों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यह पढ़ने के लिए कोई छोटी चीज नहीं है परन्तु मुझे आश्चर्य है कि माननीय विपक्ष के नेता ने, जिनके लिए मेरे मन में काफी श्रद्धा है, जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों तथा न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के विचारार्थ विषय पर कुछ और अधिक ध्यान नहीं दिया है। मैंने सोचा कि विपक्ष के कुछ युवा सदस्यों ने वोल्कर समिति की रिपोर्ट पढ़ने में समय व ऊर्जा खर्च की होगी। मेरी समझ से उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं को सहायता देने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था।

महोदय, इराक पर वर्ष 1990 अथवा 1991 में प्रतिबंध लगाये गये थे। इराक को तेल की बिक्री करने की अनुमति नहीं थी। दिसम्बर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने तेल के बदले अनाज कार्यक्रम (ओ.एफ.एफ.पी.) को स्वीकृति दी थी। प्रत्येक ठेका को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति दी गयी थी परन्तु खरीददार को चुनने का अधिकार इराक के पास था—यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। वस्तुतः इराक सरकार ने खरीददारों को चुना था। मेरी समझ से श्रीमती मेनका गांधी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। ठेका प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ इराक जाने वाले लोगों से जिन्हें, कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, शव पर मंडराने वाली मक्खियां कहा जा रहा है—विलग यह इराक सरकार ही थी जिसने खरीददारों का चुनाव किया। चार वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। परन्तु इराक की जनता की परेशानियां इतनी बढ़ गयी कि इराक को मेरे पास तत्कालीन इराक सरकार का ब्यौरा नहीं है—धन जुटाने के लिए अर्थोपाय ढूंढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने धन क्यों जुटाया? उन्होंने किस चीज पर इस धन को खर्च किया? यह बात इराक सरकार और इराक की जनता के लिए है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धन इसलिए जुटाया ताकि वे दूध, खाद्य सामग्री, औषधियां प्राप्त कर सकें। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अस्त्र-शस्त्र हासिल करने लिये धन जुटाया। मैं इस सभा में खड़ा होकर इराक सरकार के बारे में कोई निर्णय नहीं सुना सकता। यह बताने का काम इराक सरकार का है।

वर्ष 2000 के शरतकाल में, इराक सरकार ने निर्णय लिया कि जब सरकार खरीददार का चुनाव करती है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मूल्य पर तेल बेचती है तो तेल की बिक्री पर अतिरिक्त प्रभार, जिसे 'अधिभार' कहा जाता है, लगाने का अवसर सरकार के पास है। दो मामलों में, जिन पर हम विचार कर रहे हैं, ठेका लेने वाली कम्पनी मेसफील्ड है। मेसफील्ड को तेल बेचा गया था। वोल्कर रिपोर्ट के अनुसार मेसफील्ड ने जोर्डन में एक इराक नियंत्रित अकाउन्ट में अधिकार का भुगतान किया था। प्रश्न यह है कि क्या इस सौदे में कोई अन्य लाभभोगी था जिसे वोल्कर समिति गैर-संविदात्मक लाभभोगी कहती है? यह स्पष्ट किया गया है कि वोल्कर समिति अपनी रिपोर्ट को दोष-निष्कर्ष के रूप में नहीं मानती है और न ही वह इसे वैसे किसी व्यक्ति के प्रति दोषारोपण करती है जिसका नाम इस रिपोर्ट में आया है। अवर महासचिव, श्री शशि थरूर ने 7 नवम्बर का कहा कि:

"यह रिपोर्ट किसी विधिक आरोप-पत्र के समान अथवा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि कुछ अपकृत्य किया गया है।"

9 नवम्बर को उन्होंने कहा कि:

"यह जांच समिति है। यह कोई न्यायिक खंडपीठ नहीं है और यह न्यायिक रूप से दोष सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है। इसमें अनेक तथ्यों को सामने लाया गया है जिन्हें विभिन्न स्तरों पर सबूत और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है।"

महोदय, आप एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। इस सभा में अनेक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। वे वक्तव्य का आशय समझ सकते हैं। मैं इस वक्तव्य को दुहराता हूं:

"यह अनेक तथ्यों को सामने लायी है जिन्हें यह विभिन्न स्तरों पर सबूतों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने में सफल रही है। इसके पश्चात्, अब दायित्व राष्ट्रीय सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकारियों पर है कि वह जैसा उचित समझें कार्रवाई करें।"

इस प्रकार, जब पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो हम अन्य प्रविष्ठियों के साथ-साथ उन दो प्रविष्टियों से रू-ब-रू हुए जो हमारे लिये गंभीर चिन्ता का विषय बनीं। एक प्रविष्टि में उल्लिखित है: "श्री के नटवर सिंह"। दूसरी प्रविष्टि में उल्लिखित है: "इंडिया-कांग्रेस पार्टी"। मैं इस वितण्डा में नहीं पड़ना चाहता कि इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। हमें यह मानना है कि प्रविष्टियों में तत्कालीन विदेश मंत्री और कांग्रेस पार्टी का उल्लेख किया गया है। अन्य अनेक प्रविष्टियां हैं। भारत से संबंधित ठेका लेने वाली अन्य पार्टियां भी हैं।

भारत से संबंध रखने वाले अन्य गैर-संविदात्मक लाभार्थी भी हैं। किन्तु यह प्रस्ताव कथित रूप से गैर-संविदात्मक लाभ पाने वाले भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित है। इसलिए मेरा उत्तर गैर-संविदात्मक लाभार्थियों तक ही सीमित है। सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है जिसका तेल संबंधी ठेका था किन्तु किसी अधिभार का भुगतान नहीं किया गया। सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी है जो मानवीय सामानों के ठेके से संबंधित है। कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास मानवीय सामान के ठेके हैं। निजी क्षेत्र की एक कंपनी के पास तेल का ठेका है। कुछ मामलों में गैर-संविदात्मक लाभार्थियों का उल्लेख किया गया है। अधिकांश मामलों में किसी का उल्लेख नहीं है। दो सबसे महत्वपूर्ण मामलों में

[श्री पी. चिदम्बरम]

किसी अधिभार का भुगतान नहीं किया गया। वोल्कर समिति में ऐसा कहा गया है। किसी भी स्थिति में सबूत और किसी भुगतान की पुष्टि की बात स्थापित करना'' संभव नहीं है।

प्रश्न यह है कि हम इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास करें? अन्य सरकारों ने अलग-अलग प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछेक ने तो इसे एकदम से नकार दिया। यह जरूर है कि एक दो मामलों में कुछ आंतरिक जांच की जा रही है। मैं चाहता हूं कि लोग इस बात की तुलना करें कि अन्य सरकारों ने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया है।

अब वोलकर समिति की रिपोर्ट के आंतरिक सबूतों को देखिए। न्यायशास्त्र की किसी भी प्रणाली का यह मूल सिद्धांत है कि किसी का नाम लेने से पहले आप उसे अवसर दें। श्री वोल्कर से यह पूछा गया: ''क्या आपने नोटिस दिया था?'' उनकी याददाश्त ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा: ''जी हां, कि हमने रिपोर्ट में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को नोटिस दिया था।'' यह बात रिपोर्ट के विपरीत थी। जब उन्होंने यह कहा कि ''मैंने प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस दिया है'', तो वे 139 संविदा वाली पार्टियों का उल्लेख कर रहे थे। अब यह बात रिकार्ड पर है कि वोल्कर समिति द्वारा किसी भी गैर-संविदात्मक लाभार्थी को नोटिस नहीं दिया गया है। और 139 पार्टियों के संबंध में वोल्कर समिति ने यह स्वीकार किया है कि लापरवाही से हमने 12 लोगों को नोटिस नहीं दिया।'' अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि रिपोर्ट में श्री नटवर सिंह अथवा कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है किन्तु उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया।

अब वोल्कर समिति की ओर से वोल्कर समिति के पूर्ववर्ती बयान की इस परिस्थिति का अध्ययन करें कि ये तथ्य अलग-अलग डिग्री वाले सबूत और पुष्टि पर आधारित हैं। अत: ये तथ्य साबित नहीं होते हैं, ये तथ्य पूर्णतया पुष्ट नहीं हैं, तथ्य यह है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अन्य सरकार यह रुख अपना सकती है कि 'हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं।'' वस्तुत: इस देश में ऐसे मामले हैं जिनमें जिन लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा गया—यह एक सम्मानजनक रास्ता है—किंतु उन्हें निर्दोष सिद्ध होने से पूर्व ही वापस ले आया गया था। ...*(व्यवधान)* इस देश में ऐसे मामले हैं जहां लोगों पर 10,000 पृष्ट का आरोगपत्र है और वे उच्च पदों पर आसीन हैं ...*(व्यवधान)* मुख्य बात यह है इस सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? ...*(व्यवधान)* थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इस पर आरोप लगाएं और आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, चार-चार बार जेल हो आए हैं, उनके ऊपर दस-दस हजार पेजों के केसेज हैं और यहां गवर्नमैंट का डिफरैंस बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ आपके काफी नजदीकी मित्र हैं। इसलिए इस मामले में, आरोप यह है कि इन दो संबंधित गैर-संविदात्मक लाभार्थियों के मामले में मार्च 2001, मई 2001, जून 2001 और नवम्बर 2001 में चार भुगतान किये गये थे।

अब प्रश्न यह है कि ''क्या ये भुगतान किये गये थे? ये भुगतान किसने किये? ये भुगतान किसकी ओर से किये गये थे?'' यदि ये भुगतान 'किसी व्यक्ति की' ओर से किये गये थे तो वह 'व्यक्ति' भी लाभार्थी था। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना बाकी है। क्या ये सभी उत्तर वोल्कर समिति की रिपोर्ट में हैं? महोदय, क्या इस सभा में कोई सदस्य खड़े होकर यह कह सकता है कि ''इन प्रश्नों का उत्तर वोल्कर समिति की रिपोर्ट में मिल सकता है।'' यदि कोई भी यह कह सकता है, ''कि इन प्रश्नों का उत्तर वोल्कर समिति की रिपोर्ट में है।'' मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। किंतु इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इन प्रश्नों को उठाना है और इनका उत्तर ढूंढना है और इसका एकमात्र रास्ता है यह गौरवपूर्ण मार्ग अर्थात् एक जांच आयोग का गठन करना, जो इस सरकार ने अपनाया है। अब, यह प्रश्न पूछा जा रहा है और मुझे आश्चर्य है कि जब किसी सदस्य ने दावे से यह कहा कि यही जांच आयोग है तो मेरे मित्र को जोर से अपना सिर हिलाना चाहिए।

यह जांच आयोग है। क्या इसके बारे में कोई सन्देह है? यहां जांच आयोग अधिनियम है। यह अधिनियम 1952 में बनाया गया था। इस सरकार द्वारा नहीं। इसमें धारा 3 और धारा 11 हैं, धारा 3 के अंतर्गत आप जांच आयोग नियुक्त कर सकते हैं। अधिनियम के अन्य सभी उपबन्ध स्वत: ही लागू हो जाते हैं। धारा 11 के अंतर्गत आप जांच प्राधिकरण नियुक्त कर सकते हैं और जैसा सरकार निदेश दे अधिनियम के ऐसे उपबंधों को लागू कर सकते हैं। यही एकमात्र अन्तर है। लेकिन किसी को श्री आडवाणी को बताना चाहिए था।

धारा 11 का अंतिम भाग महत्वपूर्ण है—''यह निदेश देने की अधिसूचना देने पर कि इस अधिनियम के उक्त उपबंध उस प्राधिकरण पर लागू होंगे और ''और ऐसी अधिसूचना जारी होने

पर प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त आयोग माना जाएगा।'' मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी ने इसके बारे में बताया होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्यों बताया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपको बताता हूं क्यों? आप पहली बार आपको पढ़कर सुनाई गई इस धारा को सुन रहे हैं। इसलिए, जब तक में आपको क्यों के बारे में बताता हूं तब तक प्रतीक्षा कीजिए। इसलिए, हमारे पास धारा 3 अथवा धारा 11 का विकल्प है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने सही पूछा था ''भारत के इतिहास में पहली बार धारा 11 को किसने लगाया है?'' उत्तर है महोदय, आपकी सरकार ने 1 अप्रैल 1977, मई 1977 में, तत्कालीन सरकार, जिसमें जैसा कि मेरा विश्वास है कि आप भी प्रतिष्ठित सदस्य थे, ने धारा 11 लगाई, प्राधिकरण नियुक्त किया और अधिनियम के उपबंधों को उस प्राधिकरण पर लागू किए। फिर, फरवरी 1988 में धारा 11 लगाई गई। पुन: फरवरी 1989 में धारा 11 लगाई गई। इसलिए धारा 11 का लगाया जाना नई बात नहीं है, हम धारा 11 क्यों लगाते हैं? हमें मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक की स्वीकृति मिलने के पश्चात, मैं उनके पास गया और कहा ''मुख्य न्यायाधीश जी यह अधिनियम है। अब आप हमें बताएं कि क्या आप धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त किया जाना या धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त किया जाना पसंद करेंगे।'' मुख्य न्यायाधीश पाठक ने मुझे बताया और उन्होंने टेलीविजन पर कहा कि ''सरकार मुझे उन सभी शक्तियों को देने के लिए तैयार हो गई है जिन्हें मैं चाहता हूं।'' मैंने उन्हें अधिनियम दिया। मुख्य न्यायाधीश पाठक ने कहा ''मुझे धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त कीजिए और यहां कुछ उपबंध हैं मैं चाहूंगा कि वे मुझ पर लागू हों।'' इसलिए, हमने गलत क्या किया है? एक या दो अन्य अप्रासंगिक धाराएं, जोकि इस जांच पर लागू नहीं होते को छोड़कर मात्र दो धाराएं हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश पाठक को नहीं दिया गया है—वह धारा 8(ख) और धारा 8(ग) हैं। महोदय, अधिकार न दीजिए। वे आयोग के ऊपर प्रतिबंध हैं। वे आयोग पर प्रक्रियात्मक प्रतिबंध हैं। अत: मुख्य न्यायाधीश पाठक ने कहा: ''मैं प्रतिबंध नहीं चाहता हूं। मैं अपनी प्रक्रिया, अपने नियम बनाने की पूरी स्वतंत्रता चाहता हूं।'' इसलिए, मुझे धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त कीजिए, मुझे निम्न शक्तियां दीजिए और मैं धारा 8(ख) और धारा 8(ग) नहीं चाहता हूं। यदि मुख्य न्यायाधीश धारा 8(ख) और 8(ग) को चाहते तो मैंने उनसे यह वादा किया होता कि ''हम कल धारा 8(ख) और धारा 8(ग) को उन्हें देने की अधिसूचना जारी करते।'' इसलिए शिकायत क्या है? यह पूर्ण जांच आयोग है और यदि आप धारा को पढ़ते हैं तो आप पायेंगे कि धारा 5 के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं, इसमें धारा 5(क) के अंतर्गत किसी भी जांच एजेन्सी का उपयोग करने के अधिकार हैं। इसमें धारा 6 के अंतर्गत शक्तियां हैं।

सायं 7.00 बजे

इसमें धारा 8ख में प्रतिबंधों के बिना धारा 8 के अंतर्गत शक्तियां हैं। इसमें धारा 9 के अंतर्गत सुविश्वास में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण संबंधी शक्तियां हैं। इसमें धारा 10 और धारा 10क के अंतर्गत शक्तियां हैं और जिस शक्ति को, प्रतिबंध नहीं, आयोग चाहता है, हम उसे प्रदत्त करने के इच्छुक हैं। इसलिए, यह एक पूर्ण जांच आयोग है। यह सभी प्रयोजनार्थ जांच आयोग है और आयोग की रिपोर्ट को की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित जैसाकि धारा 3(4) के अंतर्गत अपेक्षित है, सभा पटल पर रखा जाएगा और सभा इस पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है तथा वह अपना निर्णय ले सकती है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जब आपने धारा 11 को स्पष्ट करने का कष्ट किया है तो आपने धारा 3 को क्यों स्पष्ट नहीं किया?

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने अंग्रेजी में उत्तर देने का प्रयास किया था। यदि मैं हिन्दी में उत्तर देने का प्रयास करता हूं, तो आपको परेशानी होगी क्योंकि मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपने धारा 11 की व्याख्या की है। आपने धारा 3 की व्याख्या क्यों नहीं की?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने अभी-अभी उसकी व्याख्या की है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपने अभी-अभी यह व्याख्या की है कि न्यायमूर्ति पाठक ने चाहा है कि जांच आयोग धारा 11 के अंतर्गत गठित किया जाए। संक्षेप में आपने यही व्याख्या की है।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या यह व्याख्या सही नहीं है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: धारा 3 के अंतर्गत क्यों नहीं?

श्री पी. चिदम्बरम: यह इसलिए क्योंकि यदि आप धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त करते हैं, तो धारा 8बी तथा 8सी के प्रतिबंध स्वत: ही लागू हो जाते हैं तथा मुख्य न्यायाधीश से प्रतिबंध नहीं चाहते थे। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, आपके नेताओं को समझ में आ गया है। मेरे लिए यह काफी है।

महोदय, एक सो रहे व्यक्ति को जगाना आसान कार्य है, लेकिन यदि कोई सोने का बहाना कर रहा है तो आप उसे कैसे जगा सकते हैं?

[श्री पी. चिदम्बरम]

महोदय, हमने क्या कदम उठाये हैं? विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की गई थी कि हम लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं? शुरू से ही आज तक, याद रखना चाहिए कि ये संदर्भ सत्यापित नहीं हैं। कोई प्रमाण नहीं मिला है। मैं ऐसा क्यों कहूं?

139 तेल संविदाएं हैं तथा 2,253 गैर-तेल संविदाएं हैं। 139 तेल संविदाओं में से 127 कंपनियों को नोटिस जारी किये गये। वोल्कर समिति ने अध्याय 2 में कई तेल संविदाओं के बारे में चर्चा करने का कष्ट उठाया, इस बारे में यहां व्यापक चर्चा की गई है। एक अन्य अध्याय में वोल्कर समिति ने कई गैर-तेल संविदाओं के बारे में चर्चा की है। लेकिन किसी चौंकाने वाले कारण से इन लगभग 600 पृष्ठों में कहीं भी एक भी भारतीय कंपनी के तेल ठेके बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है। एक ही जगह है जहां श्री नटवर सिंह का नाम तथा कांग्रेस पार्टी का नाम है वह तालिका 1, तालिका 3 एवं तालिका 5 में है। इन संविदाओं के संबध में रिपोर्ट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। यदि ये बातें 27 अक्तूबर, जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, को सत्यापित नहीं हुई थी, मैं विनयपूर्वक कहना चाहूंगा कि ये आज भी सत्यापित नहीं हुई हैं तथा तब तक असत्यापित ही रहेंगे जब तक न्यायमूर्ति पाठक इसकी घोषा न कर दें। जब तक तथ्य एकत्रित नहीं कर लिये जाते हैं, दस्तावेज एकत्रित नहीं कर लिये जाते हैं, जांच प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते हैं, जब तक उन्हें उनकी जांच करने का अवसर नहीं मिलता है तथा अपनी राय नहीं देते हैं तब तक वे असत्यापित रहेंगे तथा यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्येक वक्तव्य में कहा है, 'ये बातें आज तक असत्यापित ही हैं।' लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम मामले की तह तक जाने तथा सच्चाई जानने के लिए प्रतिबद्ध हैं: यह वक्तव्य 3 नवम्बर को दिया गया था। 7 नवम्बर को श्री वीरेन्द्र दयाल को नियुक्त किया गया था।

11 नवम्बर को न्यायमूर्ति पाठक को नियुक्त किया गया था। 17 नवम्बर को प्रवर्तन निदेशालय के साथ श्री वीरेन्द्र दयाल न्यूयार्क के लिए रवाना हुए। 24 नवम्बर को वे बहुत सारे तथ्य लेकर वापस आ गए थे। क्या भारत के इतिहास में 17 दिनों की अवधि में ऐसे तथ्य पहले कभी एकत्रित किये गये थे। 7 नवम्बर से 24 नवम्बर तक 17 दिनों में एक दूत अधिकांश तथ्य श्री वोल्कर को उपलब्ध कराने में सक्षम रहा तथा ये दस्तावेज अब भारत में उपलब्ध हैं।

मुझे लगता है कि विपक्ष आवश्यकता से अधिक क्रोध में तथा नाराज हैं, जो वास्तव में निराशाजनक एवं ईर्ष्यालु हैं। इसलिए आरम्भिक वक्ता, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कुछ बहुत ही नीरस एवं उत्साहरहित भाषण दिया तथा जिनसे आग उगलने की आशा थी उन्होंने मामले को ठंडा करने की कोशिश की।

श्री जार्ज फर्नान्डीज का आज का भाषण उनकी पैठ के अनुरूप नहीं रही। यह शोचनीय था। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ...*(व्यवधान)* अब, सामग्री यहां है। इसका अन्वेषण परीक्षण और विश्लेषण किया जा रहा है। इसे न्यायमूर्ति पाठक के समक्ष रखा जाएगा।

विशेष दूत और जांच प्राधिकरण के बीच क्या सबंध है? सामग्री एकत्र करने के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया था। उसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं? मैं पूछता हूं कि क्या इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति है, जो श्री वीरेन्द्र दयाल की महत्ता, सत्यनिष्ठा और उद्देश्य पर शक कर सके? किसी ने ऐसा नहीं कहा। उसने सामग्री एकत्र की है।

यदि आप न्यायमूर्ति पाठक के विचारार्थ विषयों की ओर देखें, तो आप पाएंगे कि विचारार्थ विषयों में क्या कहा गया है, न्यायमूर्ति पाठक संविदा सं. एम 9-54 और एम 10-57 से संबंधित समिति की रिपोर्ट के संबंध में उक्त स्वतंत्र जांच समिति, वोल्कर समिति के पास उपलब्ध सूचना, सामग्री और दस्तावेजों के स्रोतों की जांच करेंगे और उक्त स्रोतों-सामग्री और दस्तावेजों का प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता पर अपना दृष्टिकोण बनाएंगे और बताएंगे कि क्या उनके दृष्टिकोण में तेल के अभिप्रेत लेन-देन वास्तविक हैं या नहीं।"

सर्वप्रथम, न्यायाधीश से पूछा गया है कि क्या दस्तावेज प्रामाणिक और विश्वस्तरीय हैं और क्या संदर्भ वास्तविक है अथवा नहीं। उसके बाद उनसे इस बात पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कहा गया है कि संदर्भ तर्कसंगत हैं नहीं। उसके बाद, उनसे इस प्रश्न की जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या किसी संस्था या व्यक्ति ने कोई राशि प्राप्त की है या किसी राशि या अन्य वस्तु का भुगतान किया है।

मैं सोचता हूं कि उन्हें इस बात से जलन है कि 17 दिन में जांच कार्यवाही इतनी तेजी से चली। मैं सोचता हूं, उन्हें इस बात से निराशा हुई कि हमने उन्हें अन्य राजनैतिक तमाशे का मौका नहीं दिया जैसाकि उन्होंने जस्टिस शाह जांच आयोग के साथ किया था। यही कारण है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में वास्तव में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी में यही ऐसी सरकार है जिसने इतनी तेजी से कार्य किया है। वास्तव में, श्री वोल्कर ने श्री दयाल से कहा था कि दस्तावेजों के लिए भारत से आया अनुरोध, अनुरोध हेतु सर्वोत्तम दस्तावेज है और सर्वोत्तम सारगर्भित अनुरोध है और आपकी सरकार पहली सरकार है जिसे हम दस्तावेज दे रहे हैं।

महोदय, क्या किसी को जस्टिस पाठक की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और न्यायिक विवेक पर शक है? क्या इस देश में कोई भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पूर्व न्यायाधीश से बेहतर निष्ठावान व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने इस कार्य को राष्ट्रीय कर्त्तव्य मानकर किया है? यही शब्द उन्होंने मुझसे कहे थे। उन्होंने इस कार्य को राष्ट्रीय कर्त्तव्य मानकर किया है। वे अब इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और बताएंगे कि क्या श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी से संदर्भों का कोई आधार है।

प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष—प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से और कांग्रेस अध्यक्षा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा है, "किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यदि किसी ने अपनी स्थिति या प्राधिकार का दुरुपयोग किया है, यदि किसी ने कांग्रेस पार्टी के नाम का दुरुपयोग किया है, हम इस मामले की तह तक जाने और उस व्यक्ति को खोज निकालने के लिए दृढ़संकल्प हैं, और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।"

महोदय, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया गया। मैं उनको ज्यादा नहीं उठाऊंगा।

कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा लिखे गये पत्र के कुछ संदर्भ दिए गए। हां, कांग्रेस अध्यक्षा ने सद्दाम हुसैन को उनके जन्मदिवस पर बधाई संदेश भेजा था। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से आमतौर पर भेजा जाने वाला परम्परागत बधाईपत्र भी दिया था। किंतु ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने भी किया था। मैं सोचता हूं वे सही थे। श्री वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ईराक जाने वाले प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल को एक पत्र दिया था। इसमें गलत क्या है?

महोदय, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई विभिन्न जांचों का संदर्भ दिया गया। मैं यह नहीं बताऊंगा कि प्रवर्तन निदेशालय क्या कर रहा है। स्पष्ट है, आप थोड़े खुश और थोड़े निराश होंगे कि प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रहा है। इसने व्यक्तियों से पूछताछ की है और मकानों की तलाशी ली है। यदि और लोगों से पूछताछ की आवश्यकता होगी, वे ऐसा करेंगे। यदि और मकानों की तलाशी लेनी होगी, को अवश्य लेंगे। धारा 5ए के तहत न्यायमूर्ति पाठक अपनी जांच में मदद के लिए जांच एजेन्सी को बुलाएंगे।

महोदय हम तीन-तरफा रास्ता अपना रहे हैं एक विशेष दूत के माध्यम से जानकारी एकत्र करना, दूसरा जांच एजेंसियों के माध्यम से लोगों, स्थानों तथा भारत तथा दूसरी जगहों में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करना और अंत में न्यायाधीश पाठक यह घोषणा करने के लिए कि किसी ने कुछ गलत किया है या नहीं। एक बार यह हो जाता है, तो यह सदन सर्वोपरि है। रिपोर्ट यहां आएगी, की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट यह आएगी और फिर आप बताएंगे कि क्या सरकार ने तरीके से तथा सम्मानजनक तरीके से कार्य किया है। यदि कोई दोषी है, तो उसे सजा दी जाएगी।

महोदय मैं वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर किसी अन्य सम्मानजनक तरीके से प्रतिक्रिया करने के बारे में सोच नहीं सकता, जिसमें अप्रमाणित संदर्भ हैं, सिद्ध न किए गए तथ्य हैं तथा तथ्य जो प्रामाणिक नहीं हैं। फिर भी उस समिति के स्तर का आदर करते हुए इस बात का आदर करते हुए कि यह समिति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त की गई है तथा इस तथ्य का आदर करते हुए कि इस समिति का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समर्थन किया है, हमने सर्वाधिक सम्मानजनक तरीका अपनाया है जो कोई भी सरकार अपना सकती थी और मामले की जड़ तक जाने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है।

महोदय, कांग्रेस द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का भी संदर्भ दिया गया था। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं। इसीलिए, मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए बोलने का उतना ही अधिकार है जितना भाजपा या किसी अन्य पार्टी के लिए बोलने वाले माननीय सदस्यों का अधिकार है। कृपया उस वक्तव्य को देखें। इस वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की बात कहां कही गई है? वक्तव्य में अवमानना की बात कहां कही गई है? उस वक्तव्य में कहा गया है कि: "हम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को विस्तृत कानूनी नोटिस भेजेंगे।" जारी किया गया नोटिस वास्तव में विस्तृत था। तथ्यों सहित यह पांच पृष्ठों का था। यह वास्तव में कानूनी भी था। यह एक प्रख्यात कानूनी फर्म द्वारा जारी किया गया था। यह वास्तव में एक नोटिस था। अत: एक विस्तृत कानूनी नोटिस निश्चित रूप से जारी किया गया था। आप इसे मजाक समझ सकते हैं। परन्तु संयुक्त राष्ट्र ने नहीं समझा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गम्भीरता से लिया। संयुक्त राष्ट्र ने नोटिस की पावती भेजी और कहा "जी हां हम इसे कार्यवाही हेतु वोल्कर समिति को भेजेंगे।" अत: सरकार का अनुरोध, जिसकी अनुशंसा विशेष दूत श्री वीरेन्द्र दयाल ने की, जिनकी संयुक्त राष्ट्र में काफी ख्याति है, एफ ई एम ए के प्रावधानों से लैस प्रवर्तन निदेशालय के समर्थन तथा वोल्कर समिति से ये सब जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अनुरोध, इन सभी बातों से 17 दिन में ही हमने सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेज और सामग्री जुटा ली है।

हम इन दस्तावेजों की जांच करेंगे। इनका विश्लेषण किया जाएगा। इनकी जांच की जाएगी। आगे जांच की जाएंगी। यह पूरा मामला जस्टिस आर.एस. पाठक इन्क्वायरी अथोरिटी के समक्ष रखा जाएगा। हम सच का पता लगाएंगे और हम उसे अपनी की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ सदन के सामने रखेंगे। इस सदन को स्थगित करने की कोई आवश्यकता, समय तथा औचित्य नहीं है। मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे खारिज किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): मुझे बहुत उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे, तो कुछ ऐसा कहेंगे कि लोगों को उस पर कुछ भरोसा होगा। अगर सब कुछ गलत था, तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने नटवर सिंह जी से क्यों पल्ला झाड़ लिया? क्यों उनका विभाग वापस ले लिया गया? जनता के मन में उसी दिन से संदेह उत्पन्न हो गया कि दाल में कुछ न कुछ काला है। एक बचना चाहता है, दूसरे को बचाना चाहता है। मुझे घोर निराशा हुई है, इसलिए मैं इस उत्तर से असंतुष्ट होते हुए इसके विरोध में अपनी पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

सायं 7.16 बजे

(तत्पश्चात श्री रामगोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी भी इसी कारण बहिर्गमन कर रही है।

सायं 7.16½ बजे

(इस समय श्री किन्जरपु येरननायडु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के माननीय नेता को उत्तर का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव के रूप में आज सदन को वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर दिया। आज सदन में जो बहस हुई, वह बहुत अच्छी थी। इस बहस में, जहां तक स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी दो प्रमुख कैटेगरीज हैं और एक तीसरी भी छोटी सी कैटेगरी है। एक वर्ग था, जो वोल्कर कमेटी को ही गलत मानता था। वोल्कर कमेटी के कंटेन्ट्स को ही चुनौती नहीं देता था, बल्कि उसके मोटीवेशंस को भी चुनौती देता था।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, वे एक प्रकार से उनका जवाब हैं, क्योंकि मंत्री जी ने जो बातें कहीं, उनके अनुसार वोल्कर कमेटी ने कहीं पर भी किसी को अपराधी नहीं ठहराया है, एवीडेंस आफ गिल्ट करके नहीं रखा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हमको जो-जो दस्तावेज वहां से मिले, उन दस्तावेजों को समाविष्ट करके हमने ये सारे कागजात तैयार किये हैं। दूसरा वर्ग वह था, जिन्होंने पूरी तरह से हमारे कंटेंशन का समर्थन किया और कहा कि जो बातें कही गई हैं, आशंकाएं प्रकट की गई हैं, सरकार की नीयत के बारे में भी संदेह पैदा किया गया है, वे सही हैं और हम उनको पुष्ट करते हैं। लेकिन फिर भी स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में स्थगन प्रस्ताव पारित होना एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित होना है। उनके मन में यह बात होगी कि आज हम सरकार को हटाना नहीं चाहते, इसलिए आप के इस कंटेंशन का समर्थन करते हुए भी हम उनका समर्थन नहीं करते और शायद इसी कारण अभी मंत्री जी के बयान से असंतुष्ट होकर कुछ माननीय सदस्य वाक आउट भी कर गए।

अध्यक्ष जी, तीसरा वर्ग वह है, जो मानता है कि यह स्थगन प्रस्ताव गलत है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में जो बातें कही गयी हैं, उनका निराकरण सरकार कर चुकी है और सदन को तब तक इंतजार करना चाहिए, जब तक जस्टिस पाठक अपनी रिपोर्ट न दे दें और उसके ऊपर सरकार कार्यवाही न करे, उस कार्यवाही की रिपोर्ट को भी इस सदन में रखा जाए और फिर बहस होगी, उसी से निष्कर्ष निकलेगा कि वास्तव में कोई अपराधी है या नहीं इत्यादि-इत्यादि। सरकार ने पहले भी यह आश्वासन दिया था और आज फिर दोहराया है कि अगर कोई अपराधी निकलेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा। मैं यह जानता था कि उत्तर आएगा और इसीलिए मैंने अपने भाषण में जिस बात पर बल दिया, वह यह दिया कि सरकार और कांग्रेस पार्टी के रिस्पौंस में जो फ्लिप-फ्लाप था, वह मेरी समझ में नहीं आया। अगर सरकार और कांग्रेस पार्टी शुरू से इसी प्रकार का स्टैंड लेती जो आज लिया है तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती जिस में इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता। आज का भाषण सुन कर मुझे ऐसा लगा कि आज श्री नटवर सिंह को यह सोचने का पूरा हक होगा और शायद पूरा जस्टिफिकेशन होगा कि अगर यह स्टैंड सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोगों का है तो फिर मुझे किसलिए निकाल दिया?

श्री हरिन पाठक: उन्हें बलि का बकरा बना दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसीलिए यह जो शक है और हरिन पाठक जी जो बात कह रहे हैं, वह बात आमतौर पर कही जाती है। लगता है कि इनको बलि का बकरा बनाया गया है। मैं नहीं जानता? मैं प्रतीक्षा करूंगा। खासतौर पर चिदम्बरम जी जैसे कुशल वकील ने इतनी सफाई के साथ अपने जवाब को प्रस्तुत किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया एक मिनट के लिए महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं विपक्ष के माननीय नेता को कहना चाहिए कि फ्लिप-फ्लाप रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये पहले के वक्तव्य *...(व्यवधान)* कृपया सिर्फ एक मिनट *...(व्यवधान)* समस्या यह है कि मेरे विचार से अन्य केवल अपनी पार्टी का समाचार-पत्र पढ़ते हैं। आप वह नहीं पढ़ते जो कुछ प्रामाणिक है। प्रधानमंत्री की ओर से 30 अक्तूबर को कहा गया था कि रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य किसी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं *...(व्यवधान)* सिर्फ एक मिनट। मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं ... प्रधान मंत्री हिंदू के लिए नहीं लिखते हैं *...(व्यवधान)* भारत सरकार समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं करती है। भारत सरकार के वक्तव्य मेरे पास है। प्रधानमंत्री की ओर से 30 अक्तूबर को कहा गया था कि स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट की सारणी 3 में उल्लिखित तथ्य विदेश मंत्री के विरुद्ध किसी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जो कहा वो यह है, "वोल्कर समिति आज की स्थिति में किसी प्रतिकूल अथवा निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। न कोई फ्लिप है और न कोई फ्लॉप है। ये वही शब्द हैं। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने कहा: "इसलिए सरकार ने मामले की जड़ तक जाने और सच्चाई अथवा इन आरोपों के अन्यथा होना सिद्ध करने का निश्चय कर रखा है।" यह प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया पहला वक्तव्य है। न कोई फ्लिप है और न कोई फ्लॉप *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सारे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं मंत्री पद नहीं छोडूंगा। इस बात को हिन्दुस्तान के सभी टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सायं 7.25 बज चुके हैं। हम अब तक मतदान करा सकते थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, चिदम्बरम जी एक कुशल वकील हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन इस क्लीन चिट शब्द का प्रयोग किया गया और नटवर सिंह जी ने कहा *...(व्यवधान)* वह आपके स्टेटमैंट में नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और वह बिना फीस के बहस कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं प्रधानमंत्री का बहुत आदर करता हूं।

[अनुवाद]

उस दिन मैं बिहार में अपने चुनाव अभियान पर था और मुझे यह टिप्पणी करने से रोक दिया गया था कि मैंने उन्हें हमेशा मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री समझा है। अचानक वह "क्लीन चिट प्रधानमंत्री बन गए हैं, संयोगवश उस दिन उन्होंने आपकी बगल में बैठे हमारे मित्र को विकास पुरुष कहा था। अत: वास्तव में मुझे उससे भी आश्चर्य हुआ।

[हिन्दी]

मेरा कहना इतना ही है। आपकी ओर से पूरी कोशिश यह है कि यह कहा जा सके कि विपक्ष जानबूझ कर कांग्रेस पार्टी और नटवर सिंह जी को बदनाम करने के लिए यह सारा कैम्पेन कर रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने सुबह कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने यहां तक कमीशन ऑफ इनक्वायरी के बारे में भी आपसे समझना चाहा था कि सैक्शन 11 का उपयोग क्यों किया गया है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप उसी समय इतना ही कह देते और अगर जस्टिस पाठक चाहते कि हम उसके अनुसार करें, इसके लिए हमने उनको कहा था कि ज्यूडिशल कमीशन बना सकते हैं, उन्होंने कहा हमें ऑथोरिटी दे दीजिए तो मैं उसी समय इसी से संतुष्ट हो जाता।

[अनुवाद]

उस समय मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा था। मैं आपको केवल कांग्रेस के रुख में आए परिवर्तन के बारे में बता सकता हूं।

[हिन्दी]

मैंने आपको उसी समय यानि सुबह भी कहा था जब मैंने 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का बयान सुना उसी समय मैंने उसका स्वागत किया। यद्यपि, मुझे यह जरूर लगा कि अगर दो या तीन दिनों में यही बात कही होती कि शायद हो सकता है किसी ने मेरी पार्टी के नाम का दुरुपयोग स्वयं पैसा कमाने के लिए किया है। मुझे विश्वास है कि उसके बाद कोई भी डिफेंस

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

करता कि इसमें नाम कैसे आ गया जिसके संबंध में आज यहां बहुत-से भाषण दिये गए। आज यहां वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को एक प्रकार से ऐसे बताया गया मानो जैसे वह एक मोटिवेटिड रिपोर्ट थी। जिन-जिन लोगों ने, जिन-जिन पार्टियों ने, जिन-जिन व्यक्तियों ने, जिन-जिन देशों ने यह कहा है ...*(व्यवधान)* मैंने कहा मुझे खुशी है कि इस मामले में आपका और इनका कोई मेल नहीं होता चाहे वह इकॉनमी फील्ड हो या इंटरनेशनल फील्ड हो लेकिन कुल मिलाकर बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऐसे साथी न होते तो आप सही रास्ते पर कैसे चलते। ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा जो मैंने आज प्रातःकाल में कही।

[अनुवाद]

वोल्कर समिति पर यह चर्चा केवल इस विशेष रिपोर्ट अथवा इसमें एक व्यक्ति या कंपनी के उल्लेख के बारे में नहीं है। मैं इसे अपने राजनेताओं और राजनीतिक दलों की सुभेद्यता की आर्थिक गंभीर समस्या मानता हूं।

[हिन्दी]

इस पर बंसल जी नाराज हो गए। बंसल जी ने कहा ऐसे कैसे कह दिया? लेकिन यहां ऐसी चीजें आई हैं, इसलिए मैं स्पीकर महोदय से कहूंगा।

[अनुवाद]

मैं उन्हें मित्रोखिन आर्काइव्ज से संबंधित हाउस ऑफ कामन्स की रिपोर्ट देने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस मामले पर भी चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)* आप इस पर बहस कर सकते हैं परंतु हम करेंगे। हमने आज यह नहीं किया है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और सरकार मित्रोखिन पर चर्चा करने के पक्ष में नहीं है। परंतु मैं अध्यक्ष महोदय को दलील दूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मूलतः सुभेद्यता पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह रिपोर्ट कहां से आई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह यहां नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: और अगर इस डिबेट में से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने नेता को परेशान मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उस डिबेट में से सदन यह निर्णय करे कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए कि विदेशी धन हमारी राजनीति को कैसे प्रभावित करता है और कर सकता है, उसे कैसे रोका जाए तो मैं समझता हूं कि इस सारी बहस का बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: मैं उनका समर्थन कर रहा हूं परंतु साथ ही मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं।

[हिन्दी]

फारेन फंड्स के बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और जांच हो। मैं इस मामले का समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 7.29 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे गए माना जाएगा।

(एक) ऋण वित्त तथा वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को गारंटी प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से वित्तीय ऋण, वार्षिक भुगतान, सिंचाई बाण्ड

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

और वाणिज्यिक ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य की 40% की कृषि वृद्धि दर दसवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में (-)1% तक कम हो गई है। इस वर्ष हेतु वृद्धि का पूर्वानुमान केवल 0.6% किया गया है। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु 62% जनसंख्या के कल्याण हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनःजीवन देना अत्यधिक कठिन कार्य है। नीतिगत ढांचे में अपेक्षित परिवर्तनों को पहले ही तैयार कर लिया गया है। वर्ष 1994-95 में सिंचाई एवं कृषि हेतु योजना व्यय 32.1% था। वर्ष 2003-04 तक इसका स्तर धीरे-धीरे गिरकर 19.1% तक आ गया। वर्ष 2004-05 हेतु इस व्यय को बढ़ाकर 34.4% कर दिया गया। आगामी पांच वर्षों में, 60 लाख एकड़ क्षेत्र हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 46,000 करोड़ रुपये की लागत से लम्बित पड़ी 26 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। इससे 48 लाख जनसंख्या को पेयजल भी उपलब्ध होगा।

पांच वर्षों की छोटी सी अवधि में इतने अधिक संसाधनों को जुटाने की चुनौती स्वाभाविक तौर पर केवल राज्य की क्षमता से पूरे है। मैं भारत सरकार से वित्तीय ऋण, वार्षिक भुगतान, सिंचाई बाण्ड और वाणिज्यिक ऋणों को जुटाने के लिए भारत सरकार की गारंटी की रूप में सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) उड़ीसा के गजपति जिले के पारलखामुंडी में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंजम और गजपति जिले आते हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए। किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र के गजपति जिले में कोई भी केन्द्रीय विद्यालयन नहीं है। सिद्धान्ततः, सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और गजपति जिले के मुख्यालय पारलखामुंडी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया गया है। यद्यपि यह निर्णय एक वर्ष पहले लिया गया था किन्तु आज तक भी कोई विद्यालय नहीं खोला गया है।

इसलिए, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जनता तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के जो कर्मचारी स्थानांतरण के बाद यहां आते हैं उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से बचने के लिए तत्काल पारलखामुंडी में केन्द्रीय विद्यालय आरम्भ करना चाहिए।

(तीन) दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई संवर्धन के लिए यमुना नदी पर कसाउ बांध परियोजना को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का कृषि क्षेत्र को विकसित करने तथा उत्पादकता बढ़ाने में प्राथमिकता देने का एजेण्डा है। कृषि उत्पादन में प्रगति के लिये सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग ऐसा है, जहां अभी इस क्षेत्र में केवल 10 लाख एकड़ होने की संभावना है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए 1994 में इन राज्यों में यमुना नदी पर कसाउ डेम परियोजना पर एक करार हुआ था, जो जल संसाधन मंत्रालय में लम्बित पड़ी है। मेरी जानकारी है कि मंत्रालय ने हाल में संबंधित राज्यों से बातचीत की है, उसमें क्या निर्णय लिया गया, उसकी जानकारी नहीं है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को स्वीकृति दी जाये तथा उसके लिए आवश्यक फण्ड्स मुहैया कराया जाये, जिससे यह राज्य कृषि भूमि में सिंचाई से लाभान्वित हो सके तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

(चार) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में खादी और कुटीर उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की काफी संभावना है। यहां के ग्रामीण लोगों के पास कृषि भूमि तो है परन्तु सिंचाई के अभाव में वह खेतों में फसल बोने में असमर्थ हैं, जिसके कारण गांव की महिलाएं खाली समय में बहुत ही अच्छी किस्म की बुनाई करती है और यह भी देखा गया है कि देश में ही नहीं अपितु विदेशों में इन कपड़ों के बुनाई के कार्य को बहुत ही पसंद किया जाता है। पुरुष वर्ग भी खादी के कपड़ों के धागे को तैयार कर सकते हैं एवं खादी के कपड़े को अच्छी मात्रा में बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में गांधीवादी भावना अभी लोगों में कूट-कूट कर भरी हुई है। अतः उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में खादी एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये जाने की काफी संभावना है। यहां के लोग अपने परिवार के लालन-पालन के राजस्थान और मध्य प्रदेश के फैक्टरियों एवं कारखानों में काम करने के लिए पलायन कर जाते हैं। खादी और कुटीर उद्योग स्थापित करके इस पलायन को रोका जा सकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में खादी और कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वे किया जाये और इन उद्योगों को रोजगार सृजन हेतु शीघ्र स्थापित किया जाये।

(पांच) टाटा स्टील के कोयला कामगारों को सातवें राष्ट्रीय मजदूरी समझौते के लाभ दिये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971-73 में कोयला कर्मियों की दुर्दशा को देखते हुए कोयला का राष्ट्रीयकरण कर श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने का संकल्प लिया। इसके तहत पूरे देश के कोयला श्रमिक, जिसमें कैन्टीय माइन्स में कार्यरत मजदूर भी हैं, के वेतन आदि भुगतान हेतु राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता का प्रावधान किया गया जो प्रत्येक पांच सालों में कोयला प्रबंधन और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के बीच सम्पन्न होता है। अभी हाल में सातवां वेतन समझौता सम्पन्न हुआ है, जिसका लाभ कोल इंडिया में कार्यरत मजदूरों को मिल रहा है, परन्तु कैन्टीय माइन्स चलाने वाला टाटा स्टील में कार्यरत कोयला मजदूरों के लिए फरवरी 2004 एवं दिसम्बर, 2004 में एक गलत ढंग से सेटलमेंट कर मजदूरों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में तीन हिस्सा का कटौती कर भुगतान किया जा रहा है, जो वेतन समझौता नं. 7 के विपरीत है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों सेटलमेंट को अविलम्ब रद्द कराकर टाटा स्टील के कोयला मजदूरों को सातवां वेतन समझौता का लाभ दिलाया जाये, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत टाटा के मजदूरों को न्याय मिले।

(छह) गोवा में कर्मली रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को ठहराव दिये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): अध्यक्ष महोदय, गोवा पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और यहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह भी प्रायः होते रहते हैं, जिनमें काफी बड़ी मात्रा में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपये की आमदनी प्रतिवर्ष होती है।

कर्मली गोवा का मुख्य रेलवे स्टेशन है। कर्मली रेलवे स्टेशन से पणजी मात्र 9 कि.मी. है तथा गोवा के जो मुख्य पर्यटक स्थल आदि हैं वो भी यहां से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं और इस रेलवे स्टेशन से वहां तक पहुंचने के लिए साधन भी उपलब्ध हैं। किंतु, कर्मली रेलवे स्टेशन पर मात्र 3-4 गाड़ियों का ठहराव होने के कारण पर्यटकों को मडगांव रेलवे स्टेशन, जहां पर प्रत्येक गाड़ी का ठहराव है, पर उतरना पड़ता है, जिससे उनको काफी परेशानी होती है। अतः यह आवश्यक है कि इस लाइन पर चलने वाली प्रत्येक यात्री गाड़ी का ठहराव कर्मली रेलवे स्टेशन पर दिया जाये।

अतः मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पर्यटकों की असुविधा को देखते हुए गोवा आने जाने वाली प्रत्येक यात्री गाड़ी का कर्मली रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि गोवा में पर्यटन को और बढ़ावा मिले तथा रेलवे की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हो।

(सात) झांसी-जालौन सीमा पर स्थित कराई बांध से जल प्रवाह के कारण प्रभावित हुई फसलों के लिए किसानों को हर्जाना दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा में नवम्बर माह में प्रारंभ होते ही झांसी-जालौन सीमा पर स्थित कराई बांध के कटने के भय के कारण बांध के चारों पटियन खोल दिये जाने के कारण से किशुनपुरा, परैथा, पुलैला, इमलौरी, खैरी, सेता, देवगांव, मोपता, इमिलिया आदि एक दर्जन से अधिक गांवों की फसल जलमग्न होकर सड़ गयी है। किसानों ने पांच हजार रुपया कुन्टल का अररिल तथा अन्य बीज बोया था, पलेवा किया, खाद दिया और सम्पूर्ण परिश्रम बेकार हो गया है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि कराई बांध से निकलने वाले पानी का स्थायी समाधान किया जाये तथा वर्तमान में हुई किसानों की करोड़ों रुपये की क्षतिपूर्ति की जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये।

(आठ) 1947 विभाजन के बाद पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आकर बसे लोगों को मतदान का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, देश का विभाजन 15 अगस्त, 1947 को हुआ। बहुत से हिन्दू पाकिस्तान को छोड़कर भारत में कई हिस्सों में आकर बसे, लाखों लोग जम्मू में आकर बस गये। 58 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। आज तक इन लोगों के बच्चे जम्मू कश्मीर में चपरासी की नौकरी तक नहीं पा सकते और मेडिल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला तक नहीं ले सकते और न ही विधान सभा में वोट डाल सकते हैं।

यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। बहुत से लोग दलित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। इन सभी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

अत: सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(नौ) राजस्थान में ऐजवाल और नयागुडा गांव से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 को चार लेन वाला बनाये जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या-76 के पालनपुर-उदयपुर भाग को फोर लेन का करने के प्रस्तावों में गांव ईसवाल व नयागुड़ा आदि में सड़क को अन्य विकल्प होते हुए भी गांव के बीच से निकालने के कारण भारी विस्थापन, ध्वनि व वायु प्रदूषण तथा गांवों का विकास अवरुद्ध होने के आधार पर प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करने के स्थान पर मात्र औपचारिक सुनवाई करने व प्राधिकरण द्वारा सुनवाई से पूर्व ही कार्य आबंटन कर न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर माननीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि ग्रामीण जनों, जिसमें आधे से अधिक मेघवाल जाति, अनुसूचित जाति के हैं, की समस्या का निराकरण करने हेतु हस्तक्षेप करें।

(दस) बचत लिखतों को अभिदाय, संचयन और निकासी, तीनों चरणों पर कराधान से छूट की प्रणाली जारी रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): बचत लिखतों जिसमें भविष्य निधि, लघु बचतें, बीमा पालिसियां आदि शामिल हैं, इन सभी को सभी तीनों चरणों अर्थात अभिदाय संचयन और निकासी को कराधान से छूट दी गई है। इसे ईईई प्रणाली के रूप में जाना जाता है। परन्तु ईईटी प्रणाली को प्रस्तावित रूप से अपनाए जो पर एक विशेषज्ञ समिति कार्य कर रही है। यह प्रणाली अभिदाय तथा संचयन के प्रारंभिक चरणों पर छूट को मजाक बना देगी। निकासी के चरण पर कर लगाना और कुछ नहीं बल्कि संपूर्ण संग्रह पर संचयी कराधान है तथा यह कर की अधिकतर दर होगी। इससे न केवल लोगों का एक बड़ा वर्ग बचतों के प्रति हतोत्साहित होगा, इससे एलआईसी, जीआईसी, पीएफ तथा लघु बचतों जैसी संस्थाएं प्रभावित होंगी तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित तथा लाखों कामगारों तथा कर्मचारियों तथा लघु बचत करने वाले लोगों के एक बड़े वर्ग को वित्तीय कठिनाइयां पेश आएंगी।

महोदय, सरकार ने इन सभी लिखतों पर देय ब्याज दर जोकि जून 2000 में 12 प्रतिशत थी को घटाकर 2002 में घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था। सरकार ने 12 प्रतिशत ब्याज दर बहाल करने की मजदूर संघों की सर्वसम्मत मांग नहीं मानी है। निकासी के चरण पर सभी बचत लिखतों पर कर लगाना कामगारों तथा कर्मचारियों और बचत करने वाले लोगों पर एक और आघात है।

अत: मैं सरकार से इस पश्चगामी कदम को न उठाने तथा सभी बचत लिखतों पर दशकों पुरानी ईईई प्रणाली को जारी रखने की मांग करता हूं।

(ग्यारह) बरेली-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ की छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र ब्राडगेज रेल लाइन से न जुड़े होने के कारण पूरे देश से कटा हुआ है। यह क्षेत्र अनाज उत्पादन के मामले में देश के अन्य भागों से आगे रहता है। यहां रहने वाले किसानों को ब्राडगेज रेल लाइन न होने के कारण अपने उत्पादन को देश की उन्नत मंडियों में ले जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

तराई क्षेत्र के सांसदों द्वारा यह मामला बार-बार इस सदन में उठाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ मीटरगेज लाईन को ब्राडगेज में परिवर्तित करें, जिससे तराई क्षेत्र का विकास सुचारू ढंग से हो सके तथा यह क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों के साथ ब्राडगेज रेल लाइन से जुड़ जाये।

(बारह) बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार में दरभासन हाइड्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका के कटूरिया प्रखंड में दरभासन जलाशय का काम 15 साल से रुका हुआ है, जिसके कारण इस जलाशय का निर्माण कार्य खराब हो रहा है और इसमें लगी मशीनें भी खराब हो चुकी हैं। इस जलाशय पर कई करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इस जलाशय का निर्माण 50 से 60 प्रतिशत तक हो चुका था। यह जलाशय योजना आदिवासी लोगों के लिए बनाई गयी थी और इस जलाशय से आदिवासी लोगों की जमीन को सिंचित करने की

योजना थी। इस जलाशय योजना के न बनने से आदिवासी लोगों की जमीन सिंचित सुविधा से वंचित है। अगर केन्द्र सरकार इसमें सहयोग देकर इस जलाशय योजना के अधूरे काम को पूरा करवाये तो आदिवासी लोगों के जीवनस्तर में सुधार किया जा सकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दरभासन जलाशय योजना के कार्य को केन्द्र सरकार अपना सहयोग देकर पूरा करवाये।

(तेरह) उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी को दूर करने की दृष्टि से क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत का गंभीर संकट बरकरार है। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषत: पिछड़े एवं ग्रामीण अंचलों में विद्युत की भारी कमी बनी हुई है। मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भी विद्युत की समस्या से अछूता नहीं है। उन्नाव संसदीय क्षेत्र में तो विद्युत की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस क्षेत्र में कई-कई दिनों तक बिजली गायब रहती है तथा गर्मी के मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिस कारण विद्युत के अभाव में ग्रामीणों, किसानों एवं अन्य जन सामान्य को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव संसदीय क्षेत्र में विद्युत की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए उन्नाव क्षेत्र में गैस पर आधारित एक विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु कारगर कदम उठाए।

(चौदह) मुम्बई और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली देवगिरी एक्सप्रैस में दूसरे और तीसरे दर्जे के वातानुकूलित डिब्बों के साथ-साथ एक पेन्ट्री कार जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मुम्बई से निजामाबाद के बीच देवगिरी एक्सप्रेस रेल सेवा चलती थी। बड़ी लाइन होने के बाद यह रेल सेवा मुम्बई से सिकन्दराबाद चल रही है, जिसके कारण इसमें अधिसंख्य यात्री अब यात्रा करने लगे हैं। परन्तु, इस रेल सेवा में अभी तक पेन्ट्री कार सेकेण्ड एवं थर्ड ए.सी. के कोच नहीं है, जिसके कारण लम्बे सफर करने वाले लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। अगर इस रेल सेवा में पेन्ट्री कार, सैकिन्ड ए.सी., थर्ड ए.सी. के कोच लगा दिया जाये तो लोगों को सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ रेलवे को अतिरिक्त आय भी होगी।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देवगिरी एक्सप्रेस रेल सेवा में पेन्ट्री कार, सैकिण्ड ए.सी. एवं थर्ड ए.सी. लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को निदेशित किया जाये।

(पन्द्रह) उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक सेवाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद भी डाक सेवाएं उड़ीसा में जनजातीय बहुल खांडायल जिले तथा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी तक नहीं पहुंच पाई हैं। डाकघरों में कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण डाक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। डाकघरों की वर्तमान संख्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। बड़ी संख्या में डाकघर ऐसे भवनों से चलाए जा रहे हैं, जो जर्जर स्थिति में है। इन सभी कारणों से निजी कोरियरों को बढ़ावा मिल रहा है।

जब हम संपूर्ण विकास और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा मुख्य उत्तरदायित्व है कि हम देश की जनजातीय जनसंख्या को न भूलें। हमें उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना है और इसके लिए हमें ऐसे क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा के खांडायल जिले तथा फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

इसलिए, मैं सरकार से फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा में डाक सेवाओं के विस्तार आधुनिकीकरण तथा विकास हेतु आवंटन बढ़ाने की मांग करता हूं।

(सोलह) कोयम्बटूर रेलवे जंक्शन के विस्तार के लिए वहां रेलवे द्वारा एन.टी.सी. की अतिरिक्त भूमि का अर्जन किये जाने की आवश्यकता

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बतूर): राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वामित्व वाली सोमासुंदर मिल तथा कोयम्बतूर रेलवे जंक्शन के बहुत निकट कार्य रही कालीश्वर मिल स्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। इसकी लगभग 40 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। ऐसा पता चला है कि एनटीसी का विचार इस भूमि को निजी हाथों को बेचने का है। यह भूमि कोयम्बतूर में रेलवे जंक्शन तथा निकटवर्ती उत्तरी कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन के बहुत निकट स्थित है। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर को, जोकि दिन-प्रतिदिन विकसित हो रहा है, उसे भविष्य में अपेक्षित सुविधाओं के विस्तार तथा कोयम्बतूर में रेलवे

जंक्शन के विकास के लिए इस भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है। इस आवश्यकता पर विचार के बाद मैं रेल तथा वस्त्र मंत्री से पहले ही कोयम्बतूर में रेलवे जंक्शन के भविष्य के विस्तार तथा विकास हेतु इस भूमि के अधिग्रहण का अनुरोध कर चुका हूं। परन्तु इस समय रेल मंत्रालय की एनटीसी के स्वामित्व वाली इस भूमि के अधिग्रहण में रुचि नहीं है।

इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसमें हस्तक्षेप करने तथा भविष्य में कोयम्बतूर रेलवे जंक्शन के विस्तार के लिए रेल मंत्रालय को ये भूमि खरीदने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पर्ली रेल लाईन को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए और निधियां आवंटित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील (बीड): अध्यक्ष महोदय, अहमदनगर-बीड-परली (वैद्यनाथ) यह नयी रेल लाइन मेरे चुनाव क्षेत्र बीड-महाराष्ट्र में आती है, जिसका बीड जिले में भूसंपादन का काम चल रहा है। करीब 15 करोड़ रुपयों का भूसंपादन काम हो चुका है, लेकिन इसका भी पेमेंट अभी तक लंबित है। इस काम पर आवंटित अब तक की राशि में से 42 करोड़ रुपये शेष है।

इस नयी रेल लाइन के निर्माण का काम गतिमान हो इसलिए मेरे क्षेत्र के सभी पक्ष, संगठन व जाने-माने सामाजिक संगठनों ने सभी प्रकार के व सभी स्तर पर लगातार आंदोलन कर क्षेत्र के रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता को प्रकट किया है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। उपरोक्त काम का 15 करोड़ रुपये का पेमेंट तुरंत किया जाये व अगले साल 2006-07 के बजट में इस लाइन के निर्माण की आवश्यकता को विशेष महत्व देकर, 100 करोड़ से भी अधिक की राशि का प्रावधान करने का कष्ट करें।

(अठारह) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की दरों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित वित्त मंत्री जी ने क्रूड तेल के दाम बढ़ने से पैट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के स्रोतों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के प्रति चिन्ता गत माहों में जाहिर की थी उन्होंने इसे आर्थिक विकास के लिए अभिशाप कहा है। गत अगस्त के अंत और सितम्बर के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 70 डालर प्रति बैरल थी, जो भारतीय वास्केट के लिए 62.78 डालर प्रति बैरल आंकी गयी थी। यह कीमतें अभी तक की सबसे अधिकतम कीमत थी। अत: सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों के नाम पर देश में पैट्रोल और डीजल की कीमतें आम उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा दी। आज ये कीमतें 54 डालर से 55 डालर प्रति बैरल भारतीय वास्केट के लिए हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं पर सरकार देश में पेट्रोल, डीजल की कीमतें कम करने से इंकार कर रही है, कहना है रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आने पर निर्णय होगा।

मेरा अनुरोध है कि अभी तक देश में पैट्रोल, डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने पर बढ़ायी गयी है अभी कीमतें कम होने पर कम होनी चाहिए, यही न्याय है। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट जब आयेगी इस पर उस समय विस्तार से विचार होगा। पर अभी तो पुरानी रीति-नीति के अनुसार ही सरकार को कीमतें कम करनी जरूरी है।

(उन्नीस) उत्तरी राज्यों से तमिलनाडु को पहुंचाई गयी दालों पर उद्ग्रहीत रेल भाड़ा टैरिफ में छूट दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): तमिलनाडु राज्य दाल की आवश्यकता के लिए मुख्यत: हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों तथा गुजरात पर निर्भर करता है। तमिलनाडु के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा अनाज व्यापारी अपने सामान की ढुलाई के लिए मुख्यत: रेलवे पर निर्भर करते हैं।

रेलवे केवल पीडीएस-खाद्यान्न के लिए ही छूट देता है। तमिलनाडु में केवल चावल और गेहूं पीडीएस के अंतर्गत आते हैं और सभी खाद्यान्न विशेषकर दालें इसके दायरे में नहीं आतीं। 2005-06 के दौरान रेल बजट में रेल भाड़ा टैरिफ के यौक्तिकीकरण के कारण खाद्य वस्तुओं पर मालभाड़ा बढ़कर 33.5 प्रतिशत हो गया है।

इसके मद्देनजर, मैं सरकार से दालों पर भी छूट देने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.29 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 29 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री जे.एम. आरून रशीद श्री असादूद्दीन ओवेसी	62
2.	श्री सीता राम यादव श्री राजनरायन बुधौलिया	63
3.	श्री मोहन रावले	64
4.	श्रीमती निवेदिता माने	65
5.	श्री मुन्शी राम श्रीमती अर्चना नायक	66
6.	श्री के.एस. राव श्री अजीत जोगी	67
7.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री दलपत सिंह परस्ते	68
8.	श्री पी.सी. थामस श्री ए. साईं प्रताप	69
9.	श्री शिशुपाल पटले श्री अशोक कुमार रावत	70
10.	श्री सुरेश कुरुप	71
11.	श्री शिवराज सिंह चौहान	72
12.	श्री एम. अप्पादुरई श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	73
13.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री एस.के. खारवेनथन	74
14.	डा. अरुण कुमार शर्मा श्री मणि चारैनामै	75
15.	श्री रामदास आठवले	76
16.	श्रीमती मेनका गांधी	77
17.	श्री धनुषकोडी आर. अतिथन प्रो. एम. रामदास	78
18.	श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	79
19.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	80
20.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	81

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	749, 814
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	630, 792, 845
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	738, 756, 819, 822
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	719, 749
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	655, 741, 812
6.	अजय कुमार, श्री एस.	704
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	704
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	745, 818
9.	आठवले, श्री रामदास	758, 821
10.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	696, 760, 824
11.	बंसल, श्री पवन कुमार	716, 801
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	651, 738, 810, 855
13.	बर्मन, श्री हितेन	635, 751
14.	बर्मन, श्री रनेन	631
15.	बखला, श्री जोवाकिम	631, 666, 753
16.	भगोरा, श्री महावीर	646
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	687, 782, 835
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	693
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	633, 778, 832
20.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	647, 735, 836
21.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	639, 729, 807
22.	बोस, श्री सुब्रत	650
23.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	731, 826
24.	चक्रवर्ती, श्री अजय	709, 795, 847
25.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	645, 734

1	2	3
26.	चन्देल, श्री सुरेश	672
27.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	681
28.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	665, 674, 719, 721, 749
29.	चिन्दा मोहन, डा.	695, 775
30.	चौधरी, श्री अधीर	662, 683, 746, 773, 813
31.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	705, 777
32.	देव, श्री बिक्रम केशरी	685
33.	धनराजू, डा. के.	688, 770
34.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	670, 762
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	722, 760, 803, 853
36.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	750, 815
37.	गांधी, श्रीमती मेनका	759, 823
38.	गणेशन, श्री एल.	713
39.	गंगवार, श्री संतोष	678
40.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	749
41.	गोहेन, श्री राजेन	699, 788
42.	हसन, श्री मुनव्वर	804
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	700, 752, 789, 842
44.	जटिया, डा. सत्यनारायण	671
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	702, 706
46.	झा, श्री रघुनाथ	657, 796, 814, 848
47.	जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा	669
48.	जोगी, श्री अजीत	665, 781, 833, 834
49.	करुणाकरन, श्री पी.	692

1	2	3
50.	कस्वां, श्री राम सिंह	638
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	652, 739, 811
52.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	691, 771, 837
53.	खन्ना, श्री अविनाश राय	701, 790
54.	खारवेनथन, श्री एस.के.	733, 809, 854
55.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	637, 728, 806, 830
56.	कृष्ण, श्री विजय	684, 802, 830
57.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	673, 768
58.	कुरूप, श्री सुरेश	755, 852
59.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	752, 779, 798, 833
60.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	682, 695
61.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	723, 805
62.	महाजन, श्री वाई.जी.	712
63.	महतो, श्री बीर सिंह	665
64.	महतो, श्री सुनिल कुमार	674
65.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	731, 826
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	714
67.	महतो, श्री टेक लाल	703
68.	माझी, श्री परसुराम	648, 744, 749, 808
69.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	678
70.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	761
71.	मंडल, श्री सनत कुमार	661, 800
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	750, 815
73.	मनोज, डा. के.एस.	698, 704, 787
74.	मसूद, श्री रशीद	663, 748, 844
75.	मेघवाल, श्री कैलाश	637, 778

1	2	3
76.	मेहता, श्री आलोक कुमार	688, 702, 770
77.	मिश्रा, डा. राजेश	676
78.	मोघे, श्री कृष्णामुरारी	664
79.	मोहिते, श्री सुबोध	704
80.	मुकीम, मो.	660, 804
81.	मुन्शी राम, श्री	752, 779, 798, 833
82.	मुर्मु, श्री हेमलाल	699, 710, 788
83.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	670, 674, 762
84.	नायक, श्री अनन्त	720
85.	नायक, श्रीमती अर्चना	679, 769
86.	निखिल कुमार, श्री	773, 815, 830
87.	ओराम, श्री जुएल	644, 732, 808
88.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	764, 815, 825
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	740, 822
90.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	656
91.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	642, 770, 829
92.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	707, 793, 822
93.	पटैरिया, श्रीमती नीता	678
94.	पाठक, श्री ब्रजेश	708, 768, 794, 830, 846
95.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	686, 780
96.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	653
97.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	767
98.	पटले, श्री शिशुपाल	752, 779, 798, 833
99.	पिंगले, श्री देविदास	689
100.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	668
101.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	763
102.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	758
103.	राजेन्द्रन, श्री पी.	659, 743
104.	रामदास, प्रो. एम.	784, 838
105.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	667, 705, 749
106.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	641, 695, 764, 791, 843
107.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	638, 712
108.	रावले, श्री मोहन	742
109.	रावत, श्री अशोक कुमार	752, 779, 798, 833
110.	रावत, श्री कमला प्रसाद	628, 725, 822
111.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	654, 727, 786, 841
112.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	627, 714, 766, 828
113.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	705, 777
114.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	770
115.	साईं प्रताप, श्री ए.	737, 817
116.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	629, 726, 830, 839
117.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	677, 758
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	643, 765, 827
119.	सेन, श्रीमती मिनाती	695
120.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	715
121.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	658
122.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	757, 820
123.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	688, 770
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	638, 756, 819, 822
125.	शिवन्ना, श्री एम.	690, 783, 822

1	2	3
126.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	752, 779, 798, 833
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	790
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	697
129.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	632, 668, 774
130.	सिंह, श्री गणेश	702
131.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	696, 750, 815
132.	सिंह, श्री मोहन	675
133.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	684, 711, 797, 849
134.	सिंह, श्री रेवती रमन	822
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	707, 793, 822
136.	सिंह, श्री उदय	683, 776, 831
137.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	640, 730
138.	सुगावनम, श्री ई.जी.	636, 727, 850
139.	सुमन, श्री रामजीलाल	682, 775
140.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	680, 772

1	2	3
141.	स्वाईं, श्री खारबेल	705
142.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	649, 736
143.	थामस, श्री पी.सी.	754, 816
144.	तुम्मर, श्री वी.के.	642, 721, 829
145.	त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि	634, 777
146.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	712, 799, 851
147.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	678, 694, 785, 840
148.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	701
149.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	679
150.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	638, 756, 819, 822
151.	यादव, श्री गिरिधारी	718
152.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	718, 774
153.	यादव, श्री मित्रसेन	717
154.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	724
155.	जाहेदी, श्री महबूब	626, 747, 749.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	62, 68, 69, 71, 77, 81
रसायन और उर्वरक	:	79
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	70, 75, 76, 78
पर्यावरण और वन	:	64, 66, 73
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
श्रम और रोजगार	:	67, 72, 80
इस्पात	:	65
पर्यटन	:	
जल संसाधन	:	63, 74.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	633, 638, 639, 643, 644, 647, 650, 654, 655, 656, 665, 679, 682, 686, 687, 688, 698, 701, 704, 708, 713, 717, 719, 722, 724, 725, 726, 733, 734, 735, 738, 739, 742, 747, 748, 749, 755, 760, 764, 771, 772, 775, 781, 783, 785, 786, 787, 789, 793, 799, 800, 805, 806, 808, 809, 810, 824, 828, 836, 837, 838, 841, 842, 843, 850, 853
रसायन और उर्वरक	:	626, 628, 633, 661, 700, 703, 709, 715, 795, 804, 811, 816, 827, 830, 834, 848, 849
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	652, 658, 681, 683, 695, 697, 702, 711, 716, 727, 743, 770, 774, 790, 791, 796, 798, 814, 817, 854
पर्यावरण और वन	:	627, 631, 632, 634, 636, 651, 653, 657, 662, 667, 670, 676, 684, 689, 691, 710, 721, 738, 740, 741, 746, 754, 759, 765, 766, 768, 776, 812, 813, 819, 822, 825, 829, 831, 851, 852
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	635, 669, 693, 699, 714, 745
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
श्रम और रोजगार	:	645, 659, 664, 668, 674, 678, 692, 705, 718, 753, 756, 757, 762, 763, 767, 773, 777, 782, 794, 815, 821, 839, 844
इस्पात	:	630, 648, 663, 696, 720, 723, 780, 792, 802, 840, 845

पर्यटन	:	640, 672, 675, 706, 707, 728, 731, 737, 750, 761, 779, 788, 818, 832
जल संसाधन	:	629, 637, 641, 642, 646, 649, 660, 666, 671, 673, 677, 680, 685, 690, 694, 712, 729, 730, 732, 736, 744, 751, 752, 758, 769, 778, 784, 797, 801, 803, 807, 820, 823, 826, 833, 835, 846, 847, 855.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/14/4/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।